(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] विधान सभा के सप्तम् सत्र का 32 वां दिवस [संख्या 24

बृहस्पतिवार

20 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण, यातायात, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, योजना, सिंचाई, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, विद्युत्, उद्योग, अकाल राहत, खनिज, विधि, वित्त, आयुर्वेद, न्याय, आबकारी, गृह, सैनिक कल्याण, सहकारी विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री नाथूराम।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

643. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने स्नातक और अधिस्नातक अनुसूचित जाति, जन-जाति के बेरोजगार हैं जिन्हें अध्यापक प्रशिक्षण, आई०ए०एस० प्रशिक्षण तथा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा इन पर कितना प्रतिमाह व्यय हो रहा है ? जिलेवार सूचना प्रदान करें।

(2) क्या यह सत्य है कि बेरोजगारी भत्ता जिनको दिया जा रहा है उनसे विभिन्न कार्यालयों में पूरे समय कार्य लिया जाता है, लेकिन कार्यानुभव की अवधि एवं नियुक्ति गारन्टी निश्चित नहीं की गई है ? यदि नहीं, तो किस किस विभाग में कितने कितने ऐसे बेरोजगार कार्य कर रहे हैं उन विभागों में कितने कितने स्थान रिक्त हैं ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राज्य में कुल 448 स्नातक और 437 स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति व जन-जाति के वृत्तिकाधारी बेरोजगार हैं जिनमें से 246 अध्यापक प्रशिक्षण, 33 आई०ए०एस० प्रशिक्षण व 606 टंकण तथा लिपिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न विभागों में राज्य में कार्य में अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। स्नातक को 150 रु० मासिक एवं स्नातकोत्तर को 250 रु० मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तदनुसार अनुमानित मासिक व्यय 1.75 लाख रु० होता है। वृत्तिकाधारियों की जिलेवार सूची

(2)

(**श्रीमती कमला बेनीवाल**)
परिशिष्ट (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री नाथूराम : मुझे सूची नहीं मिली है अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी दे देंगे।

(2) राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन-जाति के बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तर व्यक्तियों को वृत्तिवा स्वीकृत करने के नियमों के अन्तर्गत जब तक ऐसे वृत्तिकाधारियों को रोजगार नहीं मिल जाये तब तक राज्य सरकार जिस रूप में एवं जिस ढंग से उनकी सेवाओं का उपयोग लेना चाहे ले सकती है। तदनुसार ऐसे वृत्तिकाधारियों को बी०एड०, एस०टी०सी० व लिपिक एवं टंकण प्रशिक्षण में भेजा जाता है तथा विभिन्न राजकीय विभागों में अनुभव प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है ताकि उन्हें शीघ्र ही रोजगार मिल सके। जो वृत्तिकाधारी प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहता है उन्हें भी प्री-एग्जामिनेशन कोचिंग इन्स्टीट्यूट में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। कार्यानुभव प्राप्त करने की अवधि एवं कब तक नियुक्ति मिल जाय, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है। विभिन्न विभागों में कितने कितने वृत्तिकाधारी कार्य कर रहे हैं उनकी सूची परिशिष्ट (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। इन विभागों में रिक्त स्थानों की जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की तरफ से यह निश्चित अवधि कब तक कायम रहेगी?

श्रीमती कमला बेनीवाल : किस चीज की अवधि ?

श्री नाथूराम : कार्यभार की जिनको काम पर लगाया जाता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया जो वृत्तिकाधारी हैं उनको प्रशिक्षण में भेजा जाता है और जैसे ही जिस विभाग में रिक्त स्थान होता है उनको रिजर्वेशन के हिसाब से नियुक्ति दे दी जाती है।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय, 448 ग्रेजूएट और 437 पोस्ट ग्रेजूएट हैं, जिनको भत्ता दिया जा रहा है। इनमें से अब तक कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो सूची दी गई है कितने वृत्तिकाधारी हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो प्रशिक्षण पा रहे हैं ....

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं पूछना चाहता हूं उनमें से अब तक कितनों को नौकरी दी जा चुकी है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मोहन छंगाणी): अध्यक्ष महोदय, जो वृत्तिकाधारी हैं जहां जहां ट्रेनिंग में गये हैं चाहे टंकण प्रशिक्षण में हों, चाहे एस०टी०सी० में हों और चाहे बी०एड० के प्रशिक्षण में हो, जब वे ट्रेनिंग पास कर लेंगे उसी समय उनको प्राथमिकता दे दी जायगी।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता महोदय।

श्री ओंकारलाल चौहान : प्रश्न के हिसाब से उत्तर नहीं आ रहा है अध्यक्ष महोदय।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : कितने व्यक्तियों को उसमें से रोजगार दिया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह है कितने वृत्तिकाधारी हैं और कितनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर यह पूछा जाता कि कितनों को ट्रेनिंग दे चुके हैं आइ०ए०एस० और दूसरी चीजों में तो उस तरह का जवाब दे सकते थे।

श्री ओंकारलाल चौहान : कितने व्यक्तियों को उनमें से आज तक रोजगार दिया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 280 को रोजगार दिला दिया गया है।

श्री ओंकारलाल चौहान : किस किस विभाग में रोजगार दिया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह विवरण अभी नहीं बता पायेंगे। आपको बाद में जानकारी दे दी जायगी।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, जो बी०एड० की ट्रेनिंग में जाते हैं उनको भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार हैं उनको सभी को स्टाईपिन्ड दिया जाता है। आपको गलतफहमी कैसे हुई कि नहीं दिया जा रहा है ?

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, कई विद्यार्थियों ने मुख्य मंत्रीजी को, समाज कल्याण मंत्रीजी को जो ट्रेनिंग में बी०एड० में जाते हैं, पिछले साल भत्ता नहीं दिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, समस्या इस प्रकार की नहीं है, समस्या यह है कि छात्र यह चाहते हैं कि लगातार भत्ता मिलता रहे और यह हमने देखा है। हम ट्रेनिंग में भेजने की कोशिश करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके जल्दी से जल्दी नौकरी में लग जायं। जहां जहां नौकरी के स्थान खाली हैं इन स्नातकोत्तरों को प्राथमिकता से नौकरी दी जाय।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, बी०एड० और एस०टी०सी० छात्रों को पिछले साल भत्ता नहीं दिया गया है। कई लड़कों ने यहां आकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। क्या मंत्री महोदय, यह व्यवस्था करेंगे कि उनको ट्रेनिंग का भत्ता दिया जाय ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं व्यक्तिगत रूप से जब भी नाथू भाई कहेंगे उसे हल करने की कोशिश करूंगा।

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को प्राथमिकता के तौर पर क्या प्राथमिकता दी जाती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 28 परसेन्ट के हिसाब से उनको लिया जाता है। प्राथमिकता का हिसाब नहीं है। उनकी रिजर्व सीटें हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : अलग अलग विभागों को आदेश हैं दिये गये हैं, क्या उसकी सूची है और क्या आप जांच करवायेंगे कि जिन जिन विभागों को आपने आदेश दिये हैं वे इसकी अनुपालना कर रहे हैं या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, दो अलग अलग प्रश्न किये

(श्री हरिदेव जोशी)

जा रहे हैं। एक चीज वह है कि जो स्टाईपिन्ड होल्डर्स हैं उनका एब्जार्पशन हो और दूसरे जो ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं उनको स्टाईपिन्ड दिया जाय। जो लोग एब्जार्ब होना चाहते हैं उसमें बाज मर्तबा डिफिकल्टी है कि गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट हैं उनके अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं इसलिये रह जाते हैं। अब रह गया सवाल उन लोगों का जो ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं बी० एड०, एस० टी० सी० अथवा और कोई तो ये दोनों डिफरेन्ट फेक्टर्स हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं · · · ·

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल आगया न, आप पूछिये।

श्री जयकिशनलाल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नियुक्तियों के बारे में आपने कहा है स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं। उदयपुर के इरिगेशन विभाग में जगह खाली पड़ी है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डीडेट्स वहां विद्यमान हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से नाम भेजते हैं तो भी नियुक्ति नहीं की गई है और दूसरे अपने सवर्ण लोगों की नियुक्ति की गई है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा एक प्रश्न है–पहले तो सरकार ने निर्णय लिया था कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के केन्डीडेट्स नहीं मिल पाते हैं वैसे तो होते हुये भी आपके अधिकारी यह कहते हैं और उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं लेकिन अगर सूटेबिल केन्डीडेट नहीं मिले तो आप क्या उन स्थानों को जब तक रिक्त रखेंगे तब तक नहीं मिले ? आयुर्वेद विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी वैद नहीं है और इस समय शिड्यूल्ड कास्ट्स के आयुर्वेदिक वैद बेकार हैं और आपके यहां अप्लाई किया हुआ है। अगर आप अपने अधिकारियों से इस प्रकार की रिपोर्ट मांगेंगे तो उनका जवाब मिल जायगा कि नहीं है। तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं माननीय सदस्य इसको डिफरेन्ट रूप में ले रहे हैं। यह प्रश्न केवल स्टाईपिन्ड होल्डर्स के बाबत है, न कि एम्पलायमेंट के बाबत, जैसाकि आप फरमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्राइवेट बस मालिकों पर यात्री कर की बकाया राशि

644. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के प्राइवेट बस मालिकों में सन् 1962 से 1974 तक कितना यात्री कर बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया यात्री कर कब तक वसूल कर लिया जायेगा ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्थगित कर दिया जाये। सूचना आते ही नैक्सट टर्न पर या जब भी सूचना आ जायेगी, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : क्या इसी सत्र में जवाब आ जायेगा ?

(अनुत्तरित)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री राजेन्द्रसिंह ।

उनियारा की जलप्रदाय योजना

645. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा की जलप्रदाय योजना टंकी के अभाव में सुचारु रूप से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो सरकार निराकरण का क्या समाधान सोच रही है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : जयप्रदाय योजना, उनियारा सुचारु रूप से चल रही है । टंकी का अभाव योजना को सुचारु रूप से चलाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि टंकी के अभाव में विद्युत् विच्छेद होने पर पानी सप्लाई में बाधा आती है ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई ।

श्री राजेन्द्रसिंह : अवश्य हुई है । आपको जानकारी नहीं है । मैं वहां का रहने वाला हूं और वहां से आता हूं । मैं स्पष्टरूप से बताता हूं कि जब विद्युत् की सप्लाई बन्द हो जाती है और वहां डाइरेक्ट पम्प से जो कनेक्शन होता है तो वहां ठीक सप्लाई से पानी नहीं पहुंच पाता है । यह आपके पास जानकारी है और दूसरा प्रश्न यह है कि वर्षाकाल में कई सप्ताह तक वहां के कनेक्शन विच्छेद होने की वजह से सप्लाई नहीं होती है ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, टंकी बनाने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाया है । जो जमीन उपलब्ध हुई है वह टंकी का बोझ लेने के लायक नहीं है । हम वहां टंकी बनाना चाहते हैं और उपयुक्त स्थान मिलते ही बनायेंगे । और जब तक टंकी नहीं बनती है तब तक सीधे कुओं से पानी देना शुरू कर दिया है । अभी कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 646

श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी) ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि का आवंटन

647. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1974-75 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार किस किस कार्य के लिए कुल कितनी कितनी राशि निर्धारित की तथा उक्त राशि को जिलेवार किस किस कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ?

(2) उपरोक्त आवंटित राशि में से 31 जनवरी तक किस किस जिले में किस किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा कितनी राशि के लैप्स होने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) वर्ष 1974-75 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न मदों के लिये मूल रूप से 1,948.50 लाख रखे गये थे। इस प्रावधान को संशोधित कर 1,553.18 लाख कर दिया गया है। विवरण निम्नांनुसार है :—

मद	मूल	प्रावधान (लाख रु०) संशोधित में
ग्रामीण विद्युतीकरण	200.00	200.00
ग्रामीण सड़कें (इनमें 100 लाख रुपये राजस्थान नहर व चम्बल क्षेत्र की सड़कों के लिए हैं।)	230.00	209.00
प्राथमिक शिक्षा	333.50	348.36
जन स्वास्थ्य	95.00	95.00
ग्रामीण जलप्रदाय	650.00	612.00
नल जलप्रदाय	570.00	578.50
कूप निर्माण	40.00	8.50
डिग्गियां (राजस्थान नहर अधिकृत क्षेत्र में)	40.00	25.00
पोषाहार	76.00	34.82
गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार/	50.00	34.00
भूमिहीन ग्रामीणों हेतु आवासीय भूखण्डों की व्यवस्था	15.00	
	1648.50	1553.1

उपरोक्त में से ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक शिक्षा जनस्वास्थ्य, ग्रामीण जलप्रदाय एवं गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिए निर्धारित राशि का जिलेवार आवंटन किया गया था। इन मदों के मूल प्रावधान जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 74, जनवरी, 75 तक किये गये जिलेवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है। किसी भी मद के अन्तर्गत राशि लैप्स होने की सम्भावना नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन : ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एक पैसा भी अब तक खर्च नहीं किया है इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : ग्रामीण विद्युतीकरण का काम आर०एस०ई०बी० करती है। मुझे याद है कि 10 हजार से अधिक कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

श्री भीमसेन : आपने जो सूची दी है उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण में कोई भी राशि खर्च होने का उल्लेख नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही प्रश्न के उत्तर में अर्ज कर चुका हूं कि उपरोक्त में से ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक शिक्षा जनस्वास्थ्य, ग्रामीण जलप्रदाय एवं गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिए निर्धारित राशि का जिलेवार आवंटन किया गया था। बाकी राशि का जिलेवार आवंटन नहीं किया गया है। जो ग्रामीण विद्युतीकरण के पैसे हैं वह आर०एस०ई०बी० खर्च करती है।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : कहां खर्च हुआ है, कितना हुआ है या नहीं हुआ है ? अगर आवंटन कर दिया है तो उसके बावजूद भी खर्च नहीं किया है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अर्ज कर दिया है कि पैसा लैप्स नहीं हुआ है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने कटौती करके कुओं की धनराशि बहुत कम कर दी तो क्या आप उचित नहीं समझते कि जो खारे पानी के एरिया हैं उनमें टांके बनाने के लिए इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत रुपया देना उचित समझते हैं वर्ना ऐसे एरियाज में पानी की व्यवस्था नहीं होगी । क्या राज्य सरकार उचित समझेगी कि जो राशि रखी है, जो पंचायत समितियों को देंगी उसमें ऐसे एरियाज जहां कुए बनाना सम्भव नहीं है और रीजनल पाइप लाइन नहीं बन सकती तो वहां कम से कम टांके तो बनें जो बरसात का पानी उनमें इकट्ठा हो जाये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ मदों में जिलेवार आवंटन किया और कुछ मदों में जिलेवार नहीं किया, इसका क्या कारण है ? क्या इसका कारण यह है कि सरकार मनमाने तरीके से बिना किसी की आवश्यकता को देखते हुए राजनैतिक तरीके से खर्च करे इसलिए रखा गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : ग्रामीण विद्युतीकरण की राशि का जिलेवार आवंटन करना संभव नहीं है क्योंकि कहीं लाईन ले जाई जा रही है, कहीं कुओं का विद्युतीकरण कर रहे हैं । जिलेवार आवंटन करना सम्भव नहीं है । बाकी जिन जिन राशि का जिलेवार आवंटन करना सम्भव था उनमें कर दिया गया । अगर यही मंशा होती कि राजनैतिक तरीके से उपयोग किया जाये तो फिर बाकी राशि जो 14 करोड़ की है उसका जिलेवार आवंटन क्यों करते ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । यह गम्भीर मामला है ।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या यह सही है कि कोटा जिले के ग्रामों के अन्दर इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत केवल 47 हजार रुपया ही दिया गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अलग अलग जिले की लिस्ट दे दी है । अब अगर अलग अलग जिले की लिस्ट डिसकस करना चाहें तो यह सम्भव नहीं होगा । जिस तरह से प्रोग्राम बनाया गया कि किस जिले में कितना मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत, 2,500 की आबादी के जितने लोकैलिटीज हैं उनको टैप करना है । जिस जिले में जितनी लोकैलिटीज थीं उसके अनुसार उस जिले को पैसा आवंटन किया गया है । अगर किसी जिले में अनकनेक्टेड नहीं हैं तो उस जिले को बिलकुल पैसा नहीं दिया गया है । जिस जिले में कम है उनको कम दिया गया और जहां ज्यादा है वहां उसको ज्यादा दिया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : 2 हजार से कम की आबादी के जो गांव हैं और जिनमें जल-प्रदाय योजना नहीं चल रही हैं उनमें हम ज्यादा पैसे का आवंटन करें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत तो इस साल चूंकि अकाल की बात थी इसलिए 1।। करोड़ रुपया हमने हमारे प्लान में से डाइवर्ट करना

Page No 8

(8)

(**श्री चन्दनमल बैद**)
जरूरी था क्योंकि हम यह पैसा अपना डाइवर्ट नहीं करते तो भारत सरकार ने जो रुपया दिया है वह वह नहीं देती। इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि 1।। करोड़ रुपया अपने प्लान में से हम डाइवर्ट करते। अगले साल के बजट में हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा पैसा हम कुओं के निर्माण के लिए आवंटन करें।

श्री भीमसेन : जो ग्रामीण सड़कें आपको बनानी हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत उन सड़कों के लिए अभी अकाल राहत कार्य के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो उनके लिए अग्रिम राशि इस सड़क निर्माण के लिए लेकर क्या राजस्थान के जिलों में आप सड़कें बनवायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : यह कहना सही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के लिए या अकाल राहत के लिए। पहले भी मैंने कहा था कि अकाल राहत कार्य के सिलसिले में जितनी सड़कें लेना जरूरी है वह ली जायें और उसके लिए धनराशि की कमी नहीं है। केवल ध्यान इसका रखना है कि हम इस बात की पूरी सावधानी बरतें कि फिजूल खर्ची न हो।

श्री भीमसेन : जब आपके पास कमी नहीं है तो अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खोल रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह माननीय सदस्य······

श्री शंकरलाल (पाली) : मजदूर तो कह रहे हैं कि काम दो····

श्री हरिदेव जोशी : सुन लीजिए, मेरी बात। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्दर जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की बात है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं और उसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जिले ज्यादा विकसित नहीं हैं अविकसित हैं उन जिलों को मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्दर आप प्राथमिकता देते हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत हर प्रोग्राम के लिए एक नार्म्स तय कर दिए गए हैं। सड़कों के बारे में पच्चीस सौ की आबादी की जितनी लोकैलिटीज हैं उनको कनेक्ट करेंगे और उसके मानचित्र तैयार कर लिए गए हैं कि हर जिले में कितनी लोकैलिटीज ऐसी हैं जिनको मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत लेना है, उनके मानचित्र बना लिए हैं किस किस जिले में कितनी लोकैलिटीज को कनेक्ट करना है और उसके लिए उपलब्ध टोटल धनराशि के अनुपात में देकर कार्य करायेंगे।

श्री शंकरलाल : जितने जिलों के···

श्री अध्यक्ष : श्री मो० गफ्फार अली।

श्री शंकरलाल : प्रस्ताव आये हैं उन सबकी स्वीकृति हो गई है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री मो० गफ्फार अली।

सिंचाई विभाग द्वारा सामान की खरीद

648. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : [श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या सिंचाई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग द्वारा सन् 1971 में मेजरिंग ग्लासेज और रैन गेजेज इंडिया मैट्रोलोजिकल विभाग की बगैर सहमति के खरीद किया गया था? यदि हां, तो कितने रुपये का, कितनी मात्रा में, किस दर से और किन आधारों पर?

(2) क्या यह सही है कि उक्त माल में से अधिकतर सामान अनुपयोगी था और उससे राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ी? यदि हां, तो कितनी राशि की हानि उठानी पड़ी और क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सामान बगैर टेण्डर इन्वाइट खरीद किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि नियमों में टेण्डर इन्वाइट कर माल खरीदने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस मामले में किन आधारों पर टेण्डर इन्वाइट नहीं किया? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सिचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) केन्द्रीय मौसम विभाग में मेजरिंग ग्लासेज व रेनगेजेज उपलब्ध न होने के कारण निविदाएं आमंत्रित करके वर्ष 1971-72 में 3,74,880) रुपये में 3550 रेन गेज व 7,100 मेजरिंग ग्लासेज क्रमशः 76) रुपये व 10) रुपये प्रत्येक की दर से खरीदे गये थे।

(2) उक्त यंत्र आइ० एस० आइ० के मापदंड के अनुसार न होने के कारण पूर्णरूप से उपयोगी नहीं है। हानि के विषय में निश्चित सूचना जांच के पश्चात ही दी जा सकती है। आवश्यक जांच जारी है।

(3) जी नहीं, सामान निविदाएं आमंत्रित करके खरीदा गया पर नियमानुसार टेण्डर मंजूर नहीं करने के विषय में दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि टेण्डर नहीं मंगवाये गये?

श्री हीरालाल देवपुरा : टेण्डर तो लिए ही गए हैं, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टेण्डर लिया गया है लेकिन एज पर रूल्स टेण्डर को स्वीकार करना चाहिए था वह स्वीकार नहीं किया गया इसलिए जांच कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जांच कब से चल रही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसकी सिंचाई विभाग नहीं कर रहा है बल्कि गजेटेड ऑफिसर होने के कारण डिपार्टमेंट आफ परसनल ने उनसे जवाब तलब किया है। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है इसलिए फिर उनको नोटिस दिया गया है कि वे शीघ्र अपना जवाब दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन 2 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है और जांच कब से चल रही है वह डेट बताइये?

श्री हीरालाल देवपुरा : अधिकारी तो एक ही हैं शास्त्री, जो इस वक्त चीफ इंजीनियर, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। उस समय वे चीफ इंजीनियर इरिगेशन थे और उनके टाइम में ही टेण्डर इन्वाइट किए गए और उन्होंने ही खरीद की थी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जांच के दौरान श्री शास्त्री को प्रमोशन दे दिया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पहले भी वे चीफ इंजीनियर थे और आज भी वे चीफ इंजीनियर ही हैं, कौन सा प्रमोशन दे दिया ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक बात बताने की कृपा करें ....

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मुझे पता नहीं है अभी ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : इस बात से साफ पता चलता है कि रिटायरमेंट तक इंक्वायरी चलेगी यही सरकार की मंशा है । इंक्वायरी आखिर चार साल से चल रही है और बहुत छोटा सा मामला है, खरीदने में अनियमितता हुई है, यह आप भी मानते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जैसा मैंने निवेदन किया कि उनको नोटिस दिया गया है कि तत्काल अपना जवाब पेश कर दें । उनका जवाब आते ही उनकी इंक्वायरी को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री मूलचन्द रामरिया : रिटायरमेंट के पहले जांच कम्प्लीट हो जायेगी क्या आप आश्वासन देने को तैयार हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : सन् 71 में यह जो खरीद हुई तो राज्य सरकार को यह पता कब लगा कि यह सारा सामान जो खरीदा गया है, वह अनुपयोगी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अनुपयोगी होने की बात मैंने नहीं कही है । सवाल इतना ही था कि जो खरीदारी होनी चाहिए थी वह आजकल मेजरमेंट मैट्रिक सिस्टम के आधार पर मैजरिंग ग्लासेज और रेन गेजेज की खरीदारी होनी थी लेकिन उन्होंने जो खरीदारी कर ली वह इंचेज वगैरह के आधार पर कर ली जो पुराना सिस्टम था । यह निर्णय लिया जा चुका था कि ऑल इंडिया पैटर्न के आधार पर मैट्रिक सिस्टम से ही ये सामान खरीदे जायं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच कौन कर रहा है ?

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, चार साल के दौरान सिंचाई विभाग ने मुख्य अभियन्ता शास्त्री को एक नोटिस दिया और कहा कि कारण बताओ कि क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाय और उसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया । चार साल से सरकार की ओर से नोटिस दिया जावे और मुख्य अभियन्ता जैसे उच्च पद पर आसीन अधिकारी जवाब भी न दें तो क्या यह अपने आप में अनुशासनहीनता सरकार नहीं मानती ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : नोटिस कब दिया गया है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : एक बात मैं और जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, यह जांच राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कण्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सेक्शन 16 के तहत चार्ज शीट देकर जांच प्रारम्भ हो चुकी है या प्रिलिमिनरी जांच ही कर रहे हैं। अगर आरोपित हो चुके हैं तो चार्ज शीट पढ़ कर सुनाने का कष्ट करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न केवल मैं माननीय मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि इस तरह की बहुत सी शिकायतें सदन के सामने आती हैं जिनमें कहा जाता है कि इंक्वायरी हो रही है। चार पांच साल तक इंक्वायरी चलती रहे और छोटे 2 अफसरों को चार्ज शीट देकर तुरन्त एक्शन हो जाय तो इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए मुख्य मंत्री क्या डिपार्टमेंट ग्रॉफ परसोनल में इंक्वायरी रूल्स में आमूलचूल परिवर्तन करने का इरादा रखते हैं कि जो जल्दी ही इंक्वायरी कम्प्लीट कर दें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले लोढ़ाजी के प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारी का ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले एक एक प्रश्नों का उत्तर आजाय।

श्री अध्यक्ष : मैं तो स्वयं भी यही चाहता हूं लेकिन आप नहीं मानते तो मैं क्या करूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप यह बताइये कि रूल 16 के तहत मेजर पनिशमेंट के लिए चार्ज शीट दी गई है या नहीं, इसका जवाब दीजिए पहले आप।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऐसे अधिकारी को जिसके खिलाफ जो चार्जेज हैं, परवेक्षण करने में इस प्रकार की अनियमितता है और उस अधिकारी को इतने वर्षों तक आप हायर पोस्ट पर रखते हैं और इंक्वायरी कम्प्लीट नहीं होती है तो यह कहां तक उचित है और इतने करीब 2 चार वर्षों तक लगातार कार्यवाही करके ऐक्शन नहीं लेने के लिए क्या गवर्नमेंट खुद रेस्पांसिबल नहीं है ?

श्री र.माकि.न : एक सवाल यह भी है कि क्या यह जो रेन गेजेज खरीदे गये थे उसके लिए जो सिंचाई विभाग में हाइड्रोलोजिस्ट्स काम करते हैं उनकी रिपोर्ट मंगाई गई थी और मंगाई थी तो हाइड्रोलोजिस्ट्स ने क्या रिपोर्ट दी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले तो यह पूछा गया कि यह जांच कब से चल रही है तो मैं निवेदन कर दूं कि 11 जून, 74 को इन्हें चार्ज शीट दे दी गई थी और चार्ज शीट का जवाब मांगा गया है। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह जांच इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है बल्कि गजटेड आफिसर होने के कारण डिपार्टमेंट ग्रॉफ परसोनल इसकी जांच कर रहा है और चार्ज शीट का जवाब आने पर परसोनल विभाग के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर फार डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, उनके माध्यम से ही जांच होगी। दूसरी बात ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : चार्ज शीट पढ़कर सुनाइये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चार्ज शीट मेरे पास नहीं है। मैंने निवेदन किया कि मेरा डिपार्टमेंट जांच नहीं कर रहा हूं डिपार्टमेंट ग्रॉफ परसोनल कर रहा है इसलिए चार्ज शीट मेरे पास नहीं है। इसमें जो इतनी बात कही जा रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। गवर्नमेंट ने

(श्री हीरालाल देवपुरा)
यह फैसला किया था कि हर पंचायत समिति के ऊपर रेन गेजेज लगने चाहिएं और उस फैसले के अन्तर्गत ही सिंचाई विभाग ने ये रेन गेजेज खरीदने का फैसला किया था। गल्ती इतनी ही हुई कि ये ग्रॉल इंडिया पैटर्न के ग्राधार पर मीट्रिक सिस्टम के खरीदने चाहिए थे ग्रौर उन्होंने इंचेज के खरीद लिए, यही इसमें बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री गोपाल जोशी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार्ज शीट का जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : चार्ज शीट का जवाब ग्रभी तक नहीं दिया गया है। यह क्वेश्चन ग्राने के बाद मैंने फिर बात की ग्रौर उनको रिमाइण्डर जारी कर टाइम तय कर दिया गया है कि इतने समय तक ग्राप चार्ज शीट का जवाब दे दें वरना ग्रापके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है। इतने महान, वरिष्ठ ग्रधिकारी चार्ज शीट का जवाब नहीं दे ग्रौर चीफ इंजीनियर बना रहे जब कि हमारी सरकार एक चपरासी ग्रौर क्लर्क अगर इस तरह का कर ले तो उसको डिसमिस कर दे ग्रौर इस तरह से वरिष्ठ ग्रधिकारी चीफ इंजीनियर इतने दिनों तक जवाब नहीं दे तो यह घोर ग्रनुशासनहीनता है।

श्री करनसिंह (डीग) : सरकार कब तक जांच पूरी करवा देगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस बारे में सरकार जागरूक है ग्रौर जल्दी से जल्दी पूरा कराने का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

बीकानेर शहर में पानी की पुरानी पाइप लाइन से मकानों की क्षति

649. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर): क्या जन स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में जल प्रदाय विभाग की पुरानी पाइप लाइनों के फटने से या उनमें से पानी चूने से बीकानेर शहर के कई स्थानों पर जमीन में पानी भरने से बहुत से मकान गिर पड़े ? यदि हां, तो कितने मकान कहां कहां किस किस के कब गिर पड़े ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि पहिले भी ऐसे पाइप लाइन के फटने के कारण मकान गिरे हैं? यदि हां, तो कहां कहां किस किस के कब ?

(3) उक्त गिरने वाले मकानों की ग्रनुमानित लागत क्या होगी ?

(4) क्या सरकार ने यह पता लगाने का कष्ट किया है कि ये मकान क्यों व कैसे गिरे व इन सबका कौन जिम्मेदार है ?

(5) क्या मकान गिरने वालों के मालिकों ने सरकार को इसकी सूचना दी ? यदि हां, तो कब ग्रौर किसे दी व सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या सरकार गिरे हुए मकानों के लिए कोई मुग्रावजा भी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों नहीं ?

मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं। विभाग की पाइप लाइन फटने अथवा उनमें से पानी चूने के कारण कोई मकान नहीं गिरे।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) विभाग को दिनांक 25-9-74 एवं 29-11-74 को बीकानेर में 2 स्थानों पर मकानों को क्षति पहुंचने की जानकारी हुई थी। जानकारी मिलने से प्रतीत होता है कि उक्त मकानों को संभवतः निजी कनेक्शनों के पाइप में से जल निकलने अथवा अन्य कारणों से हुई है।

(5) जी हां। विभाग को जानकारी दिनांक 25-9-74 एवं 29-11-74 को प्राप्त हुई थी, विभाग ने उक्त गलियों के पानी की सप्लाई तुरन्त बन्द कर दी ताकि और नुकसान न हो व मकानों को बचाने का प्रयत्न किया जा सके।

(6) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है, जी नहीं। कई स्थानों पर पानी भरने से मकान गिर पड़े हैं या मकान नहीं गिरे हैं, यह मंत्री महोदय कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं। आपने कहा है मकान गिरे हैं। ....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, विभाग की पाइप लाइन फटने से, या पानी चूने से कोई मकान नहीं गिरे हैं।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह वहां की नगरपालिका का सर्टिफिकेट है। इसको मैं यहां पर पेश कर सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी पाइप लाइन फटने से यह मकान गिरा है। गनीमत यह है कि एक तरफ मकान के लिए आप सहायता दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके विभाग की लापरवाही के कारण मकान गिर रहे हैं, आप कहते हैं मकान नहीं गिरे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह नहीं कहा है कि मकान नहीं गिरे हैं।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये मकान मंत्री महोदय के विभाग की लापरवाही के कारण गिरे हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। इनकी अनुमानतः लागत भी मौजूद है। आपने यहां पर गलत इन्फरमेशन दी है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जैसे ही सूचना मिली, हमारे इंजीनियर्स वहां पर गये। उन्होंने लाइन को जाकर के देखा, विभाग की लाइन कहीं से भी लीक नहीं हो रही थी। अलबत्ता जो प्राइवेट लाइन थी वह लीक हो रही थी। प्राइवेट लाइन से पानी लीक करे और उससे मकान गिर पड़ें, मकानों को क्षति पहुंचे इसके लिए विभाग कैसे जिम्मेदार हो सकता है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्राइवेट लाइन कौन सी थी?

श्री गोपाल जोशी : इसका रिलेवेन्ट पोरशन बता देता हूं। नगरपरिषद् ने बताया है ....

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : .... नगरपालिका कह रही है .... मकान और आने जाने वाले को खतरा था। मकान मालिकों को नुकसान

Page No 14

(१४)

(श्री गोपाल जोशी)

हुआ है, अन्दाजन यह 8000 रुपया है। इसकी वजह वाटर वर्क्स की पाइप लाइन का टूट जाना है। पहली पाइप लाइन को बंद करके दूसरी पाइप लाइन लगा दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह दूसरी पाइप लाइन क्यों लगाई है ? आप क्या सोचते हैं ? क्या पुरानी पाइप लाइन नहीं फट चुकी थी ? पुरानी पाईप लाइन फट चुकी थी और पानी उसमें से चू रहा था और वह पानी मकानों के अन्दर घुस कर उनको नुकसान पहुंचा रहा था। इसी कारण से वहां पर मकान गिरे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मुझे पता नहीं वे किस ओवरसीयर की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स द्वारा जो सूचना दी गई थी 2 तारीख को, वह सूचना यह है कि हमारे इन्जीनियर्स मौके पर गये, उन्होंने मौके पर पाइप लाइन को खोद कर देखा और यह पाया कि हमारी पाइप लाइन लीक नहीं कर रही है बल्कि प्राइवेट पार्टिज की जो पाइप लाइन हैं वे लीक कर रही थी, उनकी लाइन टूटी हुई थी; उनमें से पानी लीक हो रहा था। इसलिए हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते।

श्री शंकरलाल : क्या मंत्री महोदय, इसकी निष्पक्ष जांच कराने का कष्ट करेंगे कि आपके विभाग की पाइप लाइन से नुकसान नहीं हुआ है। माननीय सदस्य कह रहे हैं रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं। · · ·

श्री चन्दनमल बैद : इसकी जांच की जरूरत मैं नहीं समझता, हमारे इंजीनियर्स ने इसको देखा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप भगवान हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य पूछें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाता, डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स क्या भगवान हैं ? माननीय सदस्य एक बात सर्टिफिकेट के आधार पर कह रहे हैं। फिर पाइप लाइन को बदलने का आधार क्या है आपके पास ? आपने वहां पर पाइप लाइन क्यों बदली है ? उनके पास सर्टिफाइड कोपी है, वाटर वर्क्स की पाइप लाइन फटने से मकानों में पानी घुसा इसलिए मकान गिरे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह सर्टिफिकेट किस का है, यह भी आपको मालूम नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हैं और जांच कराने के बाद आपको यह मालूम हो जाये कि वास्तव में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की पाइप लाइन फटने से यह मकान गिरे हैं तो क्या आप इसके बाद मुआवजा देने को तैयार हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसका जवाब दीजिये। · · · · (शोरगुल) · · ·

श्री शंकरलाल : आप जांच करवाइये। आपके खिलाफ आक्षेप हैं एक माननीय सदस्य का · · · ·

श्री चन्दनमल बैद : मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि जयपुर से एक सीनियर इंजीनियर वहां भेज कर जांच करवाई जाए · · · ·

श्री गोपाल जोशी : आपके विभाग की गलती है तो मुआवजा भी देना चाहिये · · ·

Page No 15

(15)

श्री चन्दनमल बैद : यह कानूनी प्रश्न है। अलबत्ता जयपुर से किसी सीनियर इंजीनियर को वहां भेजकर यह पता लगवाऊंगा कि वास्तव में वाटर वर्क्स की पाइप लाइन फटने से मकानों को नुकशान हुआ है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री अमृतलाल-यहलोत।

प्रश्न संख्या 650।

सिचाई विभाग में ठेकेदारों की बकाया राशि

650. श्री अमृतलाल यहलोत (सरदारपुरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन के पश्चात् के एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल बिल्स कितने अब तक भुगतान करने बकाया हैं, उनकी पूर्ण सूची मय ठेकेदारों के नाम, काम के नाम, कार्य समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सिक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह पश्चात् भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण, अब तक भुगतान नहीं की गई है इसकी भी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सिचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में चाही गयी सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है। सूचना एकत्रित होने में समय लगेगा। अतएव निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 651

651. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के तीन अंगों के एकीकरण के आदेश दिनांक 1-5-73 से लागू होगये थे परन्तु निदेशक ने राज्य सरकार के आदेशों को अपने आदेश से स्थगित कर दिया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : राज्य सरकार ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग, के तीनों अंगों के एकीकरण के आदेश दिनांक 1-5-73 से लागू किये थे। इसके अनुसरण में निदेशक ने आवश्यक आदेश अपने स्तर पर निकाल दिये थे लेकिन निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों की पालना में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव होने से निदेशक ने अपने उक्त आदेश आंशिकरूप से जिनका सम्बन्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों से सम्बन्ध था उनको वापस कर लिया है। अब राज्यादेशों की अनुपालना में किस प्रकार के आदेश जारी किये जावें इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

श्री रामकिशन : डिपार्टमेन्ट ने इन आदेशों को कब कब निकाला ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 30-4-73 और 26-5-74 को निकाला है····

श्री रामकिशन : जो आदेश वापिस लिये गये तो क्या इससे पूर्व राज्य सरकार की सहमति विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई थी····

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगानी) : अध्यक्ष महोदय····

श्री रामकिशन : आप बीच में कैसे आगये····

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसलिये कि····

श्री रामकिशन : ऐसे खड़े हो गये जैसे गामा पहलवान खड़ा होता है·······

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, एक कान्फरेन्स हुई थी। माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं – इन्टीग्रेशन हुआ, कुछ नाम बदले गये, सी० एम० एच० ओ० और उनके नीचे, तहत डिप्टी सी० एम० एच० ओ० हैल्थ, डिप्टी सी० एम० एच० ओ० फेमिली प्लानिंग, इनका नामकरण करके इनका इन्टीग्रेशन किया गया। उसके बाद कान्फरेन्स हुई कि इस इन्टीग्रेशन को किस तरह से इम्प्लीमेन्ट किया जाये। यह कान्फरेन्स हुई थी 30-4-74 को और 31-7-74 को। इसमें जो डिफिकल्टी आई थी उसमें डिप्टी सी० एम० एच० ओ० को जो पावर्स दिये गये थे फाइनेन्शियल पावर्स उनके कारण सी० एम० एच० ओ० से डिप्टी सी० एम० एच० ओ० को ज्यादा पावर मिल गयी थी और सी० एम० एच० ओ० को कोई नहीं पूछता था। जो पावर दिये गये थे उनमें उनको हास्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन सारे के सारे डिप्टी सी० एम० एच० ओ० को दिये गए थे। टूर प्रोग्राम, लीव सैंक्शन, आफिस इन्स्पेक्ट करना ये सारे डिप्टी सी० एम० एच० ओ० को मिल गये थे इससे सी० एम० एच० ओ० की अवहेलना शुरू हो गई। सेमिनार हुई थी तो उसमें उन्होंने यह प्रश्न रखा था और विचार विमर्श किया गया। इसके बाद इन्टीग्रेशन स्कीम इस तरह से आई है। डिसकसन के दरम्यान जो परिणाम निकले हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं और उसके बारे में राज्य सरकार जल्दी ही कार्यवाही करेगी····।

श्री रामकिशन : प्रश्न यह है कि आपकी कान्फरेन्स होने के पहले, आदेश जाने के बाद, आपके डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ ने यह आदेश वापिस ले लिया – तो क्या राज्य सरकार की सहमति विभाग ने ले ली थी····

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं भी उस कान्फरेन्स में गया था····

श्री रामकिशन : यह दूसरी बात है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के आदेशों को निदेशक ने संशोधित कर दिया। क्या निदेशक को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं या उन्होंने संशोधित करने से पहले राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर ली थी ?····

श्री मोहनलाल छंगाणी : उस कान्फरेन्स में वरबल टाक पर बहस हुई थी।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
मौखिक रूप से बात कर, विचार करके, उस आश्वासन के आधार स्वरूप यह डाइरेक्ट, मेडिकल व हैल्थ का संशोधित आदेश है जो अभी विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय करेंगे ?....

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है कि क्या....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस सवाल को....

श्री रामानन्द अग्रवाल : .....सरकार के रूल्स के अनुसार यह दुरुस्त है कि राज्य सरकार के आदेशों के बगैर कोई भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट राज्य सरकार के आदेशों को बदल सकता है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैं वहां पर मौजूद था, सेक्रेटरी, मेडिकल एण्ड हैल्थ मौजूद थे और वहां पर इन्टेग्रेटेड स्कीम का सवाल आया उसको संशोधित करने का सवाल आया तो आदेश दे दिये गये थे। उसके बाद में संशोधित आदेश निकाले डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज ने।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझते नहीं हैं या समझकर बात नहीं कह रहे हैं। आप वहां पर मौजूद थे, सेक्रेटरी था। सवाल डाइरेक्टर का है कि उन्होंने चैन्ज कर दिये पी० एस० सी० के आदेश के बाद भी। आपके जबानी आदेश के बाद पी० एस० सी० में झगड़ा पैदा हो गया कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, लीव कौन सैन्क्शन करेगा। राज्य सरकार के आदेश के बगैर सरकार की सहमति के बगैर डाइरेक्टर को अधिकार है क्या ? जबानी आदेश कुछ भी हों इससे कोई मतलब नहीं है। आप साफ बताईये कि सरकार ने अपनी सहमति प्रकट की थी ? अगर नहीं की तो क्या यह डाइरेक्टर की अनुशासहीनता नहीं है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : न तो पी० एस० सी० के लेवल पर सीनियर और जूनियर का झगड़ा था। उनके ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन भी हैं। कौनसी गाड़ी मिलनी चाहिए और कब गाड़ी मिलनी चाहिए वहां तक के लेवल पर इन्टेग्रेशन कम्प्लीट है। जहां तक सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का सवाल है वह डी० पी० सी० के जरिये करीब करीब निर्णय कर चुके हैं पी० एस० सी० के लेवल पर। जो आदेश इन्टेग्रेशन के दिये गये वह निश्चित तौर से लागू किये गये हैं और कोई संशोधिन उन आदेशों में नहीं किया गया है। डाइरेक्टर के लेवल पर जो ढांचा किया गया है डाइरेक्टर के नीचे एडिशनल डाइरेक्टर, फेमिली प्लानिंग वहां पर भी कोई झगड़ा नहीं है। डी० एम० एच० ओ०, मेडिकल को जो पावर दिये गये हैं तो डी० एम० एच० ओ० अवहेलना करते हैं कभी कभी तो सी० एम० एच० ओ० और डी० एम० एच० ओ० मेडिकल के अन्दर झगड़ा है। उसके कारण परिवर्तन न करना चाहते हैं। इसके आदेश दिये हैं और वह अभी भी विचाराधीन हैं कि उसके अन्तर्गत इन्टेग्रेशन कैसा होना चाहिए।

श्री रामकिशन : आप सम्पूर्ण पुष्करणा ब्राह्मण हैं। न तो आप मेरी बात समझ

(श्री रामकिशन)
हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। आप साफ कह दें हां में या ना में कि डाइरेक्टर ने बगैर राज्य सरकार की सहमति के आदेश बदले या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने लिखित में आदेश दिये थे ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके रूल्स आफ बिजनेस के अनुसार आप इस प्रकार से सेमीनार में कोई विचार व्यक्त करें तो वह सरकार के आदेश मान लिये जायेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या मंत्रीजी के जबानी आदेश लिखित में जाते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब इन्टेग्रेटेड स्कीम हुई तो इस बात पर विचार मीटिंग में हुआ था।....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप गोलमाल कर जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं निवेदन करता हूं शान्ति से सुनें। उसके बाद जब मीटिंग हुई और उसमें जब कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। डी० एम० एच० ओ० और सी० एम० एच० ओ० दोनों में कन्फ्लिक्ट के कारण पहले संशोधन कर दिया सेमीनार भी हुआ। हम इससे पहले भी निर्णय कर चुके थे इसके बारे में कन्फ्लिक्ट था डी० एम० एच० ओ०, मेडिकल के बारे में। या भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की फ्रीक्वेन्सी में और मेरी फ्रीक्वेन्सी में डिफरेन्स है। उन्होंने जो सवाल उठाया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस बात पर पहले डिसकशन किया था और वर्बली मैंने वहां पर कहा था कि डी० एम० एच० ओ० के पावर्स में संशोधन करना चाहिए। संशोधन करने के लिए सेमीनार भी करेंगे और उसके बाद में इस पर विचार करेंगे और इन्टेग्रेटेड स्कीम जैसी होनी चाहिए वह आगे निर्धारित कर देंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कई सेमीनार होते हैं और मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं। जितने भी सेमीनार में निर्णय लेंगे और मिनिस्टर्स मौजूद होंगे तो वह गवर्नमेंट के निर्णय माने जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सेमीनार में डिसकशन करते हैं और सभी निर्णय लेते हैं और जो हम निर्णय लेते हैं और जो आर्डर देते हैं सेमीनार में किसी इश्यू पर कि यह हमें करना है....

श्री पी० के० चौधरी : सवाल यह है। Have you given order ? गवर्नमेंट का लिखित आर्डर था कि नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, वर्बल आर्डर था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गवर्नमेंट के वर्बल आर्डर्स हैं तो आपके रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार राज्य सरकार को वर्बल आर्डर्स को कन्फर्म करना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बिजनेस रूल्स के तहत जो भी फैसला हुआ है उस आधार पर डी० एम० एच० ओ० के लेवल तक डाइरेक्टर पूरे अधिकारी हैं और हम

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
से पूछकर सलाह करके यह निर्णय लिया गया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी खराब है । नौकरशाही के दिमाग पहले ही चढ़े हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

ग्राम उन्हेल (गंगधार) के विद्युतीकरण की योजना

652. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : क्या विद्युत् मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राजस्थान सरकार ग्राम उन्हेल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ को मध्य प्रदेश से 2 के० एम० विद्युत् की लाइन से ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत लेने का विचार रखती है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : ग्राम उन्हेल, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ को मध्य प्रदेश के धतूरिया ग्राम से जोड़ने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल से पत्र-व्यवहार चल रहा है । आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने पर तथा धन की उपलब्धि के अनुसार यथोचित कार्यवाही पर विचार किया जायगा ।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश से पत्र-व्यवहार के बाद कब तक इसको ले लिया जायेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, विद्युत् मण्डल में पूरी तरह से यह फाइनल हो गया है और वह मन्जूर हो गया है कि गांव धतूरिया से उन्हेल गांव को जोड़ने को तैयार है । उसकी कार्यवाही कर रहे हैं और फाइनल स्टेज पर है । मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही निर्णय हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री श्रीराम गोटेवाला ।

राजस्थान लघु उद्योग निगम में डेपुटेशन पर लिये गये कर्मचारी

653. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) एवं **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर में वर्तमान में राज्य सरकार के कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा किस आधार पर डेपुटेशन पर लिया गया ?

(3) क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए डेपुटेशन की अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी अवधि समाप्ति के पश्चात् भी संस्थान में नियुक्त है और क्यों ?

(4) इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि में संस्थान को कितनी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

धनराशि प्रति वर्ष व्यय करनी पड़ती है ? वर्ष 1972-73 से अब तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संस्थान द्वारा डेपुटेशन पर लिये जाने का संस्थान के कर्मचारी संघ ने विरोध किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) निगम द्वारा जिस पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना होता है, उस पद के लिये सम्बन्धित शृंखला के अधिकारियों का पैनल मांगा जाता है एवं पैनल में से कार्यक्षमता एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के आधार पर नियुक्ति की जाती है ।

(3) सबकी अवधि निर्धारित है । कोई भी अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद नियुक्त नहीं है ।

(4) इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्ते आदि पर निगम द्वारा निम्न व्यय किया गया:—

वर्ष	राशि
1972-73	39,375 रु०
1973-74	81,250 रु०
1974-75	1,25,070 रु०

(5) यह मामला कर्मचारी संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी कर्मचारी संघ ने दिनांक 1-1-74 को यह मामला मांग-पत्र में उठाया था, जिस पर उसी दिन आयोजित सम्मेलन में इसके औचित्य के बारे में कर्मचारी संघ सन्तुष्ट हो गया था । तत्पश्चात् इस विषय पर कोई चर्चा नहीं उठी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डेपुटेशन पर लेने में सरकार को और कार्पोरेशन को जो हानि होती है जैसे कि 1,25,000 रु० की 74-75 में आपने बताया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हानि को हटाने के बारे में सरकार कोई कार्यवाही करने का सोच रही है क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह हानि का प्रश्न भी नहीं है । एक अधिकारी की आवश्यकता है अगर कार्पोरेशन स्वयं उसको रिक्रूट करता है और अगर एक ही पोस्ट होगी तो वह एक ही जगह पर अधिकारी रहेगा और यदि एक बार गलत आदमी रिक्रूट होगा तो हमेशा वहां पर बना रहेगा । डेपुटेशन में वाइड चान्स इनको होता है । सरकार अपने अधिकारी को वापिस भी बुला सकती है । कार्पोरेशन को सुविधा नहीं है तो दूसरे आदमी को बदल सकता है । इसलिए हानि का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो लिस्ट दी गई है उसमें कई व्यक्ति तो 10-11 वर्ष से रह रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : अच्छा है अगर 20 वर्ष तक रहेगा तो क्या बुराई की बात है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पाली जिले में अकाल राहत कार्य

654. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की कितनी जन-संख्या अभावग्रस्त है और मौजूदा कितने अकाल राहत कार्यों पर कहां कहां कितने कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि अकाल पीड़ित जनसंख्या को देखते हुए चालू किये गये राहत कार्य बहुत ही कम हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पाली जिले में अधिक राहत कार्य खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) पाली जिले में 8,25,871 ग्रामीण जनसंख्या अभावग्रस्त है । वर्तमान में 20 राहत कार्य चल रहे हैं जिनमें से 15 कार्य सिंचाई विभाग एवं 5 कार्य निर्माण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं । इस समय कुल 8 हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं ।

(2) राज्य सरकार ने 8 लघु सिंचाई कार्य, 6 सड़क योजना कार्य तुरन्त हाथ में लेने का फैसला किया है जिन पर कार्य अविलम्ब शुरू हो जायेगा ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूची प्राप्त हुई है और आपने जनसंख्या 8 हजार बताई है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 8 हजार नहीं 8 लाख ।

श्री शंकरलाल : इसका मतलब यह है कि 8 लाख में से 8 हजार लोगों को आप काम दे रहे हैं फेमिन के अन्दर जब कि गये साल इतनी जनसंख्या प्रभावित नहीं थी तो इसी मार्च के महीने में वहां पर 50 हजार मजदूर काम कर रहे थे। लोगों को बिल्कुल काम नहीं है इसलिए और काम की सुविधायें हों। 8 हजार की जनसंख्या बहुत कम है पाली की जनसंख्या को देखते हुए और अभाव को देखते हुए ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और अधिक कार्य खोलने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 56❀

माननीय सदस्य नहीं हैं अब ।

श्री निरंजननाथ आचार्य ।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के अपाहिजों, निराश्रितों, वृद्धों एवं असहायों को आर्थिक सहायता

75. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गत अकाल के दौरान अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के अपाहिजों, निराश्रितों, वृद्धों एवं असहायों को भरण-पोषण हेतु एक रुपये प्रति दिन दिये जाने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

❀ प्रश्नकर्ता श्री चिमनसिंह भाटी का देहावसान हो जाने के कारण यह प्रश्न प्रश्न सूची से निकाला गया ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(2) उक्त व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता का भुगतान कितने माह तक किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे लोगों को कुछ माह की आर्थिक सहायता दी जानी अब भी शेष है ? यदि हां, तो कितने माह की और क्यों ?

(4) कृपया तहसील स्तर पर ऐसे लोगों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां, यह व्यवस्था दिनांक 1-11-72 से 30 सितम्बर, 1973 तक लागू रही थी ।

(2) इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस सहायता का भुगतान सितम्बर, 1973 तक किया गया ।

(3) जी हां, सीकर जिले की माधोपुर एवं फतेहपुर तहसीलों, उदयपुर की बल्लभनगर, मावली, धरियावद, खेरवाड़ा एवं भीम तहसीलों में, जिला गंगानगर, चूरू की श्री डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर तहसील में असहायता का वितरण किया जाना शेष है । यह 9 माह से लेकर 1 माह तक है । अधिकांश व्यक्ति बाहर चले गये हैं और नहीं मिलते हैं ।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सूची आपने दी है, इतने आदमी हैं जिनका चुकारा बाकी है, मावली में 521, हाइएस्ट नम्बर है। अब मैं ज्यादा इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। अब क्या आपकी सद्भावना है, इन 521 को चुकारा करने की ? इसके साथ ही दूसरे जिलों के लिए भी है, उदयपुर, सीकर, गंगानगर में दो हैं। चूरू में 391 हैं। बीकानेर में 312 हैं। अब क्या ब्याज सहित चुकारा कर देंगे क्योंकि आपने रिटेन किया है फार ए लांगर पीरियड ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ब्याज के चुकारे का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो राशि चुकारे की है, उसके लिये जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं कि शीघ्र चुकारा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 3-3-1975

राज्य में फौजियों को आवंटित भूमि

281. **श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)**: क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने फौजियों को (हाजिर सर्विस वालों को, पेन्शनर्स को, शहादत प्राप्तों के वारिसान को) कहां कहां कितनी कितनी जमीन अलाट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू की विभिन्न तहसीलों की तीनों प्रकार की पैंडिंग दरख्वास्तों की मय दरख्वास्त देहन्दाओं के नामों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री जुझारसिंह) : (1) राज्य में 7,185 फौजियों को (हाजिर सर्विस वालों को, पेन्शनार्थ को, शहादत प्राप्तों के वारिसान को) 1,13,217 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है जिसकी जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहरसिंह : क्या इस सिलसिले में सही है कि शेखावाटी के बहुत से शहादत प्राप्त की विडोज को जमीन दी गई राजस्थान कैनाल में, जिसकी उन्हें सूचना नहीं मिली और दसियों विडोज की जमीन का दूसरे लोग उपभोग करते रहे ?

श्री जुझारसिंह : पर्टीक्यूलर केस आप बतायेंगे तो उसके बारे में कह सकता हूं। मेरे पास जानकारी है, जितने सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन हैं, उनके वारिसान को जमीन या केश अवार्ड दे दिये गये हैं। ऐसे केसेज आपकी निगाह में हों तो आप कहें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या इसकी आप जांच करवायेंगे ?

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या आपकी जानकारी में है कि सब विडोज को जमीन का कब्जा मिल गया है ?

श्री जुझारसिंह : जो विडोज हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, सबको जमीन या केश अवार्ड मिल गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ऐसी शिकायत प्राप्त हुई हैं कि किन्हीं को कब्जा नहीं मिला है अभी तक ?

श्री जुझारसिंह : एक केस आया था, जिसकी डिटेल्स मुझे अभी नहीं मालूम हैं। आपकी निगाह में कोई केस हो तो आप बतायें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या इसकी जांच करवाना उचित समझेंगे ?

श्री मोहरसिंह : दसियों शिकायतें आपके पास पहुंची है कि विडोज ऐसी है जिनको जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है। यह पिछले साल का केस है, पिछले सैशन का।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या आपके यहां ऐसा प्रावधान है, फिजिकल कब्जा देने के बाद, वेरीफिकेशन होकर आपके पास में, आपके रिकार्ड में आता है, फिजिकल कब्जा दे दिया गया है, ऐसा फार्म है, ऐसा प्रावधान है, ऐसा आदेश आपका है ?

श्री जुझारसिंह : कोई स्पेसिफिक बात बतायेंगे तो मैं बता सकता हूं, टोटल नम्बर आफ पर्सन्स किल्ड इन एक्शन है 388, इसमें से 387 को केश अवार्ड दिया गया है, जमीन भी दी गई है। एक की जो पत्नी है, उसको भूमि नहीं मिली, उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहरसिंह : दसियों विधवाओं के बारे में सूचना दी गई है, क्या आप उस पर कार्यवाही करेंगे ? क्या यह भी सही है कि नागालैंड आपरेशन में शहादत प्राप्त व्यक्तियों की विडोज को जमीन नहीं दी है, आपने ?

श्री जुझारसिंह : मैंने कहा कि किल्ड इन एक्शन हैं 388, इनमें से एक को नहीं

Page No 24

(24)

(श्री जुझारसिंह)

मिली। कोई केस आपकी निगाह में हो तो स्पेसिफिक सूचना दे दीजिये, कार्यवाही कर लूंगा।

श्री मोहरसिंह : नागालैंड आपरेशन एरिया में शहादत प्राप्त विधवाओं को आपने जमीन दी है ?

श्री जुझारसिंह : स्पेसिफिक नहीं कह सकता। जो भी इसमें कवर्ड हैं, उसमें आर० ए०सी० के आदमी आते हैं, जो भी हैं, जो इस लिस्ट में आते हैं उनको सबको जमीन मिल चुकी है एक के सिवाय।

श्री मोहरसिंह : नागालैंड आपरेशन के अन्दर शहादत प्राप्त की विधवाओं को जमीन नहीं दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वार में जो शहीद हुए हैं, उन्हीं की लिस्ट है। नागालैंड एक्शन में जो काम आये, वह शामिल नहीं हैं, क्या यह सही है ?

श्री जुझारसिंह : यह स्पेसिफिकली नागालैंड के बारे में पूछा नहीं गया था, इसलिए जवाब नहीं दे सकता

श्री रामानन्द अग्रवाल : चीन, पाकिस्तान, नागालैंड का किस्सा है। नागालैंड में शहादत प्राप्त की विधवाओं को जमीन दी है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : स्पेसिफिक चीज है, किल्ड इन एक्शन मीन्स इन वार, उसके लिए यह सारे कन्सेशन्स हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नागालैंड से वार नहीं हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 12-3-1975

क्रय विक्रय संघ, फतहनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार

424. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार के संमुख विचारार्थ प्रस्तुत है ? यदि हां, तो किन किन की और कब से ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ, फतहनगर द्वारा स्थापित आयल मिल तथा सालवेन्ट प्लान्ट के मामले में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी सहकारिता विभाग द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो कब और उक्त जांच रिपोर्ट पर आगे क्या निर्णय लिया गया ?

सहकारी मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं। सहकारी विभाग में कार्यरत लगभग 3,000 कर्मचारियों में से कुछ ही कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत नियमित जांच करवाई गई है। जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होकर विचाराधीन है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सहकारी मंत्री)

(2) जी हां। जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 28-3-74 द्वारा कराई गई तथा इस संबंध में आगे अधिनियम, 1965 की धारा 74 एवं उसके अन्तर्गत नियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री राम रघुनाथ : जो सूची मैंने मांगी थी, वह प्राप्त नहीं हुई, इसलिए यह पता लगना मुश्किल है कि कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनके संबंध में यह जांच चल रही है? दूसरा प्रश्न यह है कि जो मशीन की खरीद की गई थी, वह मशीन आया पुरानी थी या नई थी, और भुगतान किसके नाम पर, कब और किसको किया गया है?

श्री रामनारायण चौधरी : जांच वाली सूचना, मान्यवर, इस प्रकार है : (1) श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निरीक्षक (कार्यकारी), (2) श्री हरिसिंह निरीक्षक (कार्यकारी), (3) श्री शिवकृष्ण सिमरोट, सहायक निरीक्षक, (4) श्री किशन चौधरी सहायक निरीक्षक, (5) श्री शंकरलाल शर्मा, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, श्री सुगन सिंह सांखला, निरीक्षक अजमेर, एण्ड श्री कामताप्रसाद, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नम्बर 2 में आपने बतलाया है, यह कार्यवाही प्रारम्भ है, यह किनके खिलाफ आरम्भ है, क्या एलीगेशन ऑफ ऑपरेशन है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और यह कब से है और कब समाप्त हो जायगा? उन व्यक्तियों के, ऑफिसरों के नाम भी बतालायें, नॉन ऑफिसियल जो इसके अन्दर हैं, उनके नाम भी बतलायें, जिनके खिलाफ यह कार्यवाही प्रारम्भ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें, सारे मामलों में गबन घोटाले की कितनी रकम इन्वाल्व्ड है टोटल?

श्री रामनारायण चौधरी : 3,33,-231.96 पैसे का इन्वाल्वमेंट है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत ज्यादा है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके अन्दर निम्न व्यक्तियों के खिलाफ जांच चल रही है। प्रकार चतुर एवं सोभाग मल कटारिया पर्चेज आफिसर (सम्मिलित रूप से, व्यक्तिगत रूप से), यशवन्त सिंह सिंघवी (व्यक्तिगत) केमिस्ट, भोपाल सिंह टारिया, पर्चेज क्लर्क, फतेह लाल खाविड़ा, पर्चेज क्लर्क, प्रकाश चतुर, श्री सोभाग मल कटारिया, श्री छगन लाल चण्डालिया; श्री नवरत्नमल चपलोत, श्री भोपाल सिंह कापड़िया (व्यक्तिगत एवं सम्मिलित) इस प्रकार से पांच व्यक्ति हैं, कुछ मामलों में सामूहिक रूप से, कुछ मामलों में इंडिविजुअल कैपेसिटी के अन्दर जांच चल रही है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : एलीगेशन का विवरण दे दीजिये, क्या आरोप हैं, किस किस चार्ज के सम्बन्धित आरोप हैं, कब से इन आरोपों की आपने छानबीन करना शुरू किया है?

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें पर्चेज ऑफ मशीनरी और पर्चेज ऑफ रा मैटिरियल

(सहकारी मंत्री)

है। मूंगफली की खरीद में घोटाला, रासायनिक विश्लेषण में अनियमिततायें, प्लान्ट निर्धारित कार्यक्षमता के अनुसार उत्पादन न हो। इसमें मूंगफली की खरीद में घोटाले आदि के आरोप हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष हैं श्री चतुर, जिनका नाम लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पहले थे, आपके जमाने में।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अब हट गये हैं।

श्री राम रघुनाथ : मेरा प्रश्न था, यह मशीन खरीदी गई, यह मशीन पुरानी थी अथवा नई, और पेमेन्ट क्या हुआ ? दूसरे शंकर लाल, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, जो ड्राइ फ्रूट्स के घोटाले में इन्वाल्वड हैं, मेरे एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में जवाब मिला था, राजस्थान में ड्राइ फ्रूट्स नागौर जिले में खरीदें गये, नागौर जिले के शंकरलाल असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के मार्फत खरीदे गये, उसमें लाखों रुपये का घोटाला है। उसमें क्या कार्यवाही की गई है और क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : शंकर लाल असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी नागौर में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार थे उस समय ड्राइ फ्रूट्स की खरीद और इम्पोर्ट के मामले में उसके खिलाफ शिकायत हुई, उस शिकायत की जांच की गई। जांच के दरमियान शंकरलाल का दोष होना पाया गया तो श्री शंकरलाल के खिलाफ दफा 120, 420 व 168 आइ०पी०सी० के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और भ्रष्टाचार संबंधी दूसरे मामलों को लेकर भी एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में भी उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिये गये हैं और इसका इन्वेस्टीगेशन एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के जेर तफतीश है। ड्राइ फ्रूट्स के इम्पोर्टस का मामला होने के कारण यह भारत सरकार से संबंधित है। इसलिए अधिक सूचना देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढा : क्या उसको निलम्बित किया गया है, इज ही अण्डर सस्पेन्शन ?

श्री राम रघुनाथ : ऐसे व्यक्ति को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): ऐसे व्यक्ति को निलम्बित कर देना चाहिए था। अब आप इसको निलम्बित करिये।

श्री गुमानमल लोढा : आपने केस तो रजिस्टर करा दिये परन्तु इतने घोटाले किये, यह साबित होने के बाद भी उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री राम रघुनाथ : यह आश्वासन दिया जाय कि उसको सस्पेन्ड किया जायगा। इतने केस सिद्ध होने पर भी सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : यह स्थगित प्रश्न रात को 11 बजे मैंने देखे थे, इसलिए समय कम होने से जितनी जानकारी मिल सकी है, उतनी तो मैंने दे दी है, इससे ज्यादा इस समय देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बाद भी उसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस केस के बाबत गवर्नमेंट

(श्री हरिदेव जोशी)
एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट से एक वीक में रिपोर्ट ले लेगी और एक्शन ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नया विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट

949. **श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में नये विश्वविद्यालय खोलने के बारे में बनाई गई श्रीमाली कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है? यदि हां, तो उसमें कोटा में एक नया विश्वविद्यालय खोलने के बारे में क्या राय दी गई? रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां, अभी यह रिपोर्ट मंत्रिमण्डल में विचारार्थ रखी जावेगी तब इस संबंध में विचार विमर्श हो सकेगा तब तक उसे प्रकाशित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-2-75)

अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

56. **श्री खिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अकालग्रस्त घोषित गांवों की जिलेवार सूची एवं घोषित तिथि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक जिले में तहसीलवार खोले गये राहत कार्य उन पर लग रहे मजदूरों की संख्या व कार्य किस मद व योजना के अन्तर्गत चल रहा है, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य के घोषित अकालग्रस्त गांवों में से किन किन तहसीलों में अब तक राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये तथा इन तहसीलों में राहत कार्य कब तक खोल दिये जावेंगे?

(4) राज्य सरकार को अकालग्रस्त जनता को राशन व रोजी देने की क्या योजना है तथा वहां कार्य किस प्रकार चलाये जायेंगे? श्रमिकों को वेतन कितना व किस एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा?

(5) राज्य सरकार ने मार्च, 75 से अगस्त 75 तक जिलेवार श्रमिकों को कार्य पर लगाने व राशन सप्लाइ की व्यवस्था हेतु क्या योजना तैयार की है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि उपलब्ध कराके रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की हुई है। इस हेतु जो कार्य चालू किए गये हैं, उनकी जिलेवार सूची संलग्न है। इस सूची में कार्यों को उसके मदों के अनुसार छांटकर दर्शाया गया है। इन कार्यों का तहसीलवार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक कार्य एक से अधिक तहसीलों में फैले हुए हैं। कार्यों की स्वीकृति

(अकाल सहायता मंत्री)
जिले को इकाई मानकर ही की जाती है, तहसील के आधार पर नहीं की जाती। सड़क कार्यों पर जो श्रमिक कार्यरत हैं, उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के योजना एवं गैर योजना मद दोनों के श्रमिकों की संख्या शामिल है। सिचाई कार्यों के बाबत भी जिलेवार सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है। इनमें केवल उन कार्यों को ही लिया गया है, जो विशेषरूप से सहायता व्यवस्था के तहत चालू किए गये हैं। सिचाई विभाग के योजनागत कार्यों की श्रमिक संख्या को शामिल नहीं किया गया है।

(3) इस वर्ष, केन्द्रीय सरकार के कहे अनुसार, राज्य सरकार ने योजनागत एवं बड़े कार्यों को ही प्राथमिकता दी है। ऐसी दशा में, तहसीलवार कार्य खोलना राज्य सरकार की नीति के हिसाब से, संभव नहीं हो पाएगा।

(4) अकालग्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यकता के अनुसार राहत कार्य खोलने के लिए सरकार कार्यरत है। जहां तक श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों का संबंध है, जो कार्य विभिन्न योजना के मदों से कराये जा रहे हैं उन पर उनकी बी० एस० आर० के अनुसार है। टास्क करने पर मजदूरी का चुकारा किया जायेगा। दरें वही होंगी जो उन विभागों के अपने विभागीय कार्यों पर लागू रहती हैं। श्रमिकों को चुकारा वर्तमान में उन्हीं अभिकरणों से किया जा रहा है, जो उन कार्यों को सम्पादित करने के लिए जिम्मेवार हैं।

(5) आवश्यकतानुसार सरकार कार्यवाही करेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर का कार्य

378. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अब तक राजस्थान नहर कितनी लम्बी बन चुकी है और कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

(2) राजस्थान नहर कब तक पूरी हो जावेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान फीडर पंजाब क्षेत्र में 169 किलो मीटर व राजस्थान में 35 किलो मीटर बन चुकी है। राजस्थान मुख्य नहर 128 किलो मीटर पूर्ण हो चुकी है। इस समय तक इस परियोजना पर 113.60 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

(2) यह धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर है।

ग्राम अमरपुरा (बीकानेर) की लिफ्ट नहर का सर्वे

379. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के ग्राम अमरपुरा मुख्य नहर की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
आर० डी० 7,49,900 (150 मील) के पास सेएक लिफ्ट नहर की सर्वे कराई गई है ? यदि हां, तो यह नहर सर्वे के अनुसार किन किन गांवों से नोखा–नागौर जायेगी । सूची नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त लिफ्ट नहर की खुदाई का कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत जल्दी कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त लिफ्ट नहर से सिंचाई का कार्य भी किया जावेगा ? यदि हां, किन किन गांवों की भूमि में सिंचाई होगी ? मय नक्शे की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की आर० डी० 749 (150) मील के पास से एक लिफ्ट नहर के आलाइन्मेन्ट की प्रारम्भिक सर्वे कराई गई है । इस प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार नहर का मार्ग तहसील कोलायत, नोखा व नागौर के निम्नलिखित गांवों में होकर है । नक्शे के प्रति संलग्न है :—

(क) तहसील कोलायत :

अमरपुरा, भानीपुरा, जयमलसर, कोडमदेशर ।

(ख) तहसील नोखा :

स्वरूपसर, पलाना, देशनोक, सूरपुरा, सालुंडा व नोखा-मंडी ।

(ग) तहसील नागौर :

चीलो, भागु, श्री बालाजी, अलाय, नागौर व रोडी

(2) जी नहीं ।

(3) चूंकि उपरोक्त लिफ्ट नहर के सिंचाई क्षेत्र के बारे में कोई सर्वे नहीं की गई है इसलिए कौनसे गांवों की भूमि में सिंचाई होगी नहीं बताया जा सकता ।

(नक्शे की प्रति पुस्तकालय में रखी गई ।)

राजस्थान नहर क्षेत्र में हरिजनों की भूमि का आवंटन

380. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में गरीब हरिजनों व काश्तकारों को ऊंची या छोटे छोटे टुकड़ों की भूमि या ऐसी भूमि जिनका आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है या जिसमें पानी नहीं लग रहा, आवण्टित की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ण सिंह आत्मज फग्गा सिंह, हरिजन चक 3 बी० बी० तहसील पदमपुर को आदेश संख्या 7531, तारीख 20-8-74 द्वारा मोमेवाला (2 एम० डी० में मु० नं० 142।42, बीघ मु० नं० 162।25, 6 बीघे (जो 4 बीघे पूरे और 5 बीघे में प्रत्येक बीघे में 8, 8 बिस्वे)मु० नं० 161।32, 3 बीघे 5 बिस्वे । (किला नं० 16, 22 व 25 पूरा पूरा किला नं० 11, 2 बिस्वे, किला नं० 12, 3 बिस्वे)

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

मु० नं० 161। 56 किला० 1 बीघा 4 बिस्वे (किला नं० 25 सालम किला नं० 10–4 बिस्वे) कुल 19 बीघे 9 बिस्वे 4 मुरब्बे भूमि आवंटित की गई जब कि उसे 25 बीघे मिलने थे ।

(3) क्या सरकार उक्त अलाट-मेंट को उचित मानती है ? यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसी आवण्टित भूमि जिसमें नहरी पानी नहीं मिल पाता, छोटे टुकड़ों में है या जिसका कब्जा नहीं मिल पाया, को सरकार तब्दील करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

उत्पादित विद्युत के सम्बन्ध में पड़ौसी राज्यों से समझौता

381. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1973–74 में कुल कितने कुओं को बिजली दी गई है तथा वर्ष 1974–75 में कुल कितने कुओं को बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या राज्य में उत्पादित विद्युत् का अन्य पड़ौसी राज्यों को देने का समझौता किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि समझौते के कारण राजस्थान राज्य के उद्योगों के उत्पादन और नये लगने वाले उद्योगों पर प्रभाव निश्चितरूप से पड़ेगा ? यदि हां, तो इसका क्या उपाय है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1973-74 में कुल 7789 कुओं की बिजली दी गई, जिनकी जिलेवार सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है । वर्ष 1974–75 में 11,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य था । जनवरी '75 तक 10,453 कुओं को बिजली दी जा चुकी है ।

(2) इस प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है अलबत्ता पड़ौस के राज्यों से स्थिति व आवश्यकतानुसार विद्युत का आदान प्रदान होता है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये) ।

गंगानहर क्षेत्र की नहरों का पानी

382. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगनहर क्षेत्र में 15-4-74 से आज तक कौन कौन सी नहर कब कब और खरीफ 1974–75 में कितने दिन चली व कौनसी नहर कम चली, किस नहर में किन दिनों (सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि) में अधिक बंदी आई ?

(2) क्या यह सही है कि श्री जे० सी० शर्मा, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, इरिगेशन श्रीगंगानगर द्वारा नहरें खरीफ 1974 में जब कि नहर में पानी की कमी थी, पक्षपात से चलाई जाती रही व जिन नहरों के साथ पक्षपात किया जाता रहा

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

उन्हें फसल की बिजाई व पकाई के समय अधिक पानी मिलता रहा और अन्य जैसे आर० बी० व एच० नहर के साथ दुर्व्यवहार किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं, आर० बी० व एच० नहर की बारी प्रत्येक फसल में बारी के निश्चित दिनों में किसी भी बार को 14 बार से कम नहीं आई जब कि कुछ अन्य नहरों की बारी 13 दिन ही आई। अतः उक्त नहरों में पक्षपात के साथ कम पानी देने का आरोप युक्ति-संगत नहीं हैं । इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखिये)

चूरू जिले में साबुन के कारखाने

383. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चूरू जिले में लघु उद्योग के तहत साबुन बनाने के कई कारखाने हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां, कब–कब से, किन किन नामों से हैं ? सम्पूर्ण सूची (नाम संस्था, फर्म, व्यक्ति, स्थान, कायम होने को तिथि दर्शाते हुए) सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) क्या साबुन बनाने के लिए इन उद्योगों को कोई सामग्री राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के कोटे से दी जाती है, यदि हां, तो क्या क्या सामग्री कितनी कितनी, किस किस संस्था व व्यक्ति को कब कब दी गई ? 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(3) क्या यह सही है कि कई उद्योग द्वारा उन्हें दिये गये सम्पूर्ण कोटे का उपयोग साबुन बनाने में नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के पते सहित सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

सूची 'क' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, भटन टेलो/फेटी एसिड का कोटा दिया जाता है । वर्ष 1972–73, 73–74 व 74–75 के आवंटन की सूची 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है । अतः प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राजकीय सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का वेतन

384. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राजकीय सचिवालय तथा लोक सेवा आयोग सचिवालय के कितने

Page No 32

(32)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
कर्मचारी अपने वेतनमान का अधिकतम (मैक्सिमम) पा रहे हैं ? कृपया श्रेणीवार कुल कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राजकीय सचिवालय के कुल 229 कर्मचारी तथा लोकसेवा आयोग के कुल 13 कर्मचारी अपने अपने वेतनमान का अधिकतम (मैक्सिमम) वेतन पा रहे हैं। प्रतिशत दर्शाते हुये, श्रेणीवार कर्मचारियों की सूची सलंग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कर्मचारियों की सन् 1973 को हुई हड़ताल में वफादार कर्मचारियों का वेतन

385. **रामचन्द्र रोत** (चौरासी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कर्मचारियों की 1973 की हड़ताल में सम्मिलित नहीं होने वाले कितने कर्मचारी किस किस जिले में थे. उनमें से कितनों को दस दिन का वेतन दिया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर जिले में उक्त घोषणा के अनुसार वफादार कर्मचारियों को दस दिन का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो किस किस को 10 दिन का वेतन कब कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पुलिस में अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के व्यक्तियों का कोटा

386. श्री **जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के मुख्यालय में अनूसूचित जाति, जनजाति के लोगों का राज्य सरकार के आदेशानुसार कोटा पूरा अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) पुलिस मुख्यालय को अलग अलग शाखा में थानेदार, कान्स्टेबिल व लिपिकों के पदों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से अनूसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के कितने कर्मचारी हैं ? उनके नाम, पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। शेष कोटे के लोगों की भर्ती राज्य सरकार के नियमानुसार कब तक पूरी करली जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सी०आई०डी० क्राइम ब्रान्च में कान्स्टेबिल की भर्ती की गई? यदि हां, तो ये कुल कितने पद भरे जाने थे उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोगों के प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितनों के मेडिकल हो चुके हैं तथा कितनों को मेडिकल के लिये नहीं भेजा गया है। कितने लोगों को अब तक नौकरी पर ले लिया गया है? सूची मय नाम जाति के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी भर्ती में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गई और जिसके कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का कोटा पूरा नहीं किया गया ? इसके क्या कारण थे ?

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

क्या इस संबंध में पिछड़े वर्ग के लोगों के कार्यकर्ता प्रार्थी आदि ने पुलिस अधीक्षक तथा राज्य सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों से लिखित में प्रार्थना भी की थी कि इन लोगों का भर्ती में कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि भर्ती में निर्धारित नाप से कम व्यक्ति के लोगों को भर्ती किया गया ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और उनमें से अनुसूचित जाति के कितने लोगों को इस प्रकार का लाभ दिया गया ?

(6) क्या यह भी सही है कि निर्धारित रिजर्व कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के पद अभी तक भी नहीं भरे गये और इन जाति के लोगों के प्रार्थना-पत्र मय डाक्टरी रिपोर्ट के कई महीनों से पड़े हैं ? यदि हां, तो इनको नौकरी पर लेने में क्या बाधा है ? सरकार इन लोगों को कब तक भर्ती करने का इरादा रखती है ? जिन लोगों के प्रार्थना-पत्र भर्ती हेतु पड़े हैं उनके डॉक्टरी मुआयना करवा कर कब तक भर्ती करने को तैयार हैं ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग के मुख्यालय के कुछ एक शाखाओं में अनुसूचित जाति, जन-जाति के कर्मचारियों का कोटा राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरा किया गया है, लेकिन कुछ शाखाओं में उक्त जाति के कर्मचारियों का कोटा इसलिये पूरा नहीं हो सका है क्योंकि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले कुछ पदों को कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर भरा जाता है क्योंकि मुख्यालय होने के कारण इन पदों पर अनुभवी कर्मचारियों की ही जरूरत रहती है।

(2) पुलिस मुख्यालय की अलग अलग शाखाओं में तैनात थानेदार, कान्सटेबल व लिपिकों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या, उनके नाम व पद आदि की सूची अलग अलग शाखा-वार संलग्न है।

(3) जी हां। सी०आई०डी० क्राइम ब्रान्च में कुल 102 पद कान्सटेबल के भरे जाने थे, जिनमें से 14 पद अन्य जिलों से स्थानान्तरण कर भरे गये तथा शेष 88 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये जिसमें रोस्टर प्रणाली एवं प्रतिशत के अनुसार 15 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं 9 व्यक्ति अनुसूचित जन-जाति के कुल 24 पद भरे जाने थे जो 24 पूरे भरे गये जिसके लिये 40 अनुसूचित जाति व 19 प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जन-जाति के लोगों के प्राप्त हुए थे, जिनमें से क्रमशः 25 व 11 कुल 36 को मेडिकल के लिये भेजा गया था। 23 व्यक्तियों को योग्य न समझने के कारण मेडिकल के लिये नहीं भेजा गया। चाही गई सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(4) जी नहीं। सारी भर्ती रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही की गई है और अनु-सूचित जाति व जन-जाति का कोटा पूरा किया गया है। अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) जी हां। सी०आई०डी० (सी०-बी०) में कुल 12 व्यक्तियों को निर्धारित नाप से कम होने पर नियमानुसार छूट दी

(गृह मंत्री)

बाकर भर्ती किया गया जिनमें 2 अनुसूचित जाति व 2 अनुसूचित जन-जाति के कुल 4 अर्थात् 33 प्रतिशत व्यक्ति हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(6) जी नहीं। जितने कांस्टेबल्स के पद नियुक्ति द्वारा भरे गये हैं उसमें रोस्टर प्रणाली के अनुसार अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों का कोटा पूरा किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की योजना

387. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में मिनिमम लेवल आफ कन्ज़म्पशन रेखा में कम खर्च करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और इसमें किस किस वर्ग के कितने व्यक्ति हैं? इनकी आर्थिक स्थिति के सुधारने की राज्य सरकार पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में क्या विशेष प्रावधान कर रही है? विस्तृत नोट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

भारत सरकार ने चौथी योजना दस्तावेज में 1960-61 के मूल्यों पर उपभोग के निम्नतर स्तर को 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास माना है जिसका भारत सरकार की पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में भी जिक्र है इसी आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मोटे रूप में राज्य में लगभग 1 करोड़ 64 लाख व्यक्ति उपभोग के निम्नतर स्तर के नीचे पांचवी योजना के प्रारंभ में (मार्च, 74) आंके गये हैं। इसमें से लगभग 25 लाख शहरी एवं 1 करोड़ 39 लाख ग्रामीण होंगे। वर्गों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

उपभोग के निम्नतर स्तर से कम खर्च करने वाली जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रति व्यक्ति आय तथा उप-भोग क्षमता में वृद्धि के उपाय किये जा रहे हैं। प्रदेश की अधिकांश जनता कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। अत: पांचवी योजना में कृषि एवं पशुपालन के विकास के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रमों को भी उपभोग के निम्नतम स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्रियान्वित किया जावेगा। ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए एक विशेष योजना भी इसी उद्देश्य से तैयार की गयी है।

बाड़मेर जिले के जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की यात्रा भत्ता को बकाया राशि

388. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कितनी यात्रा भत्ते की राशि बकाया है और वह कब से? सदन को जानकारी देने की कृपा करें।

(2) उक्त बकाया यात्रा भत्ता की अदायगी कब तक करदी जायगी?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
यात्रा भत्ते की बकाया राशि लगभग 23,610 रु० हैं जिसमें से कुछ बकाया पिछले दो तीन सालों से है।

(2) उक्त बकाया भत्ते की राशि का भुगतान बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा।

अंग्रेजी शराब के ठेके

389. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में इस वक्त कुल कितने अंग्रेजी शराब के ठेके चल रहे हैं? नाम, स्थान का हवाला अंकित करते हुए चालू होने की तिथि सहित सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखी जाय?

(2) क्या अंग्रेजी शराब विदेशों से मंगवाने के राजस्थान में भी कोई लाईसेन्सदार हैं? यदि हां, तो उनके लाईसेन्सों की स्वीकृति व गत तीन वर्षों में कितनी मुद्रा की अंग्रेजी शराब मंगवाई गई व उपयोग की गई इसका विवरण लाईसेंसदारों के नामों एवं शराब के लाये जाने की तिथि व मुद्रा लागत का हवाला देते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अफीम, गांजा, सुलफा आदि 2 मादक पदार्थों का विक्रय बढ़ाने की नीति का अनुसरण करने में सक्रिय है? यदि नहीं, तो जिलेवार उपरोक्त मादक पदार्थों के विक्रय की गत 5 वर्षों की क्रमश: सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग द्वारा विदेशी मदिरा के विदेशों से आयात करने हेतु कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किये जाते।

(3) जी नहीं। गांजा एवं सुलफा का विक्रय राजस्थान में निषेध है। परन्तु अफीम खाने वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अफीम प्राप्त करने का अनुमति-पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के अफीम खाने वालों को दी गई अफीम की मात्रा की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फागी तथा चाकसू तहसीलों में भू-तल जल का सर्वे

390. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या भू-जल मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या फागी तथा चाकसू तहसीलों का भू-जल मंडल द्वारा सर्वे करवाया जा चुका है? यदि हां, तो विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं कराया गया, तो कब तक सर्वे करा दिया जावेगा?

(2) उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। फागी तथा चाकसू पंचायत समितियों का अर्द्ध विस्तृत भू-जल

(भू-जलमंडल मंत्री)

सर्वेक्षण आगामी वर्ष 1975-76 में, भू-जल विभाग द्वारा किये जाने का विचार है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्टाम्प्स विक्रेताओं को कमीशन

391. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान मुद्रांक नियम, 1954 के अनुसार राजस्थान में विभिन्न स्तरों पर स्टाम्प्स विक्रेताओं को किस-किस दर पर कमीशन दिया जाता था ? पूर्ण विवरण बतावें।

(2) क्या इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्या ?

(3) क्या इसका कोई औचित्य है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) स्टाम्प्स विक्रेताओं को किस कीमत के स्टाम्प्स देने के अधिकार हैं ? क्या यह राशि जमीन, जायदाद की बढ़ी हुई कीमत के अनुरूप है ?

(5) क्या स्टाम्प्स को जमानत पर देने के प्रावधान हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(6) क्या जायदाद की जमानत या हैसियत पर अन्य जामीन की जमानत पर किसी अवधि तक के लिए स्टाम्प्स देने पर सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 में बने थे। नियमों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर स्टाम्प विक्रेताओं को निम्न दर पर कमीशन दिया जाता है :—

नान जूडिशियल स्टाम्प्स :—

1. सभी जिला मुख्यालयों पर	3.10 प्र०सै०	
2. सभी उप-खण्ड मुख्यालयों पर	4.70	,,
3. अन्य स्थानों पर	6.25	,,

जूडिशियल मुद्रांक :—

1. सभी स्थानों पर	1.55	,,

पांच रुपये या उससे कम के मुद्रांक तथा रेवेन्यू स्टाम्प्स 0.5 पैसे, 0.10 पैसे, 0.15 पैसे तथा 0.25 पैसे के स्टाम्प खरीदने पर कमीशन देय नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) स्टाम्प विक्रेताओं को एक समय में एक कार्य के लिये 100.00 तक के मुद्रांक बेचने के अधिकार दिये गये हैं। इस संबंध में विभाग को अन्य राज्यों से व जिलों से सूचनायें एकत्रित करने के लिये कहा जा रहा है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

बीकानेर डिवीजन में डॉक्टरों, कम्पाउन्डरों के स्थानान्तरण

392. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बीकानेर डिवीजन में डॉक्टरों, कम्पाउण्डरों एवं नर्सों के तबादले

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

भ्रष्टाचार एवं पक्षपात के आधार पर किये जाते हैं ? सन् 1970-71 से 31 दिसम्बर, 74 तक उपरोक्त पदों के किन-किन व्यक्तियों का कब कहां-कहां स्थानान्तरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह सही है कि कुछेक कृपा-पात्र एवं अन्य तौर-तरीकों वाले डॉक्टर्स तथा कम्पाउण्डर्स 3 वर्षों एवं पांच वर्षों से ज्यादा समय से भी एक ही स्थान पर बैठे हैं ? यदि हां, तो 3 वर्षों से ज्यादा समय तक एक ही स्थान पर रहने वाले डॉक्टरों एवं पांच वर्षों से ज्यादा समय से रहने वाले कम्पाउण्डरों की सूची उनके नाम, स्थान और अवधि के नामों, स्थानों, पदों एवं तिथियों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनेक डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ एक स्थान पर अनेक वर्षों तक कार्य करते रहने का कारण यही है कि अनावश्यक रूप से तथा अकारण ही लोगों का स्थानान्तरण करना वांछनीय नहीं समझा जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

घुमक्कड़ जातियों को बसाने की योजना

393. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने अनेक घुमक्कड़ जातियों जैसे वन बावरियों, गवारियों, खानाबदोशों व जोगियों आदि को बसाने एवं उन्हें अच्छे नागरिक बनाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार है या नहीं ? यदि नहीं, तो योजना शुरू करने का विचार कब से है। तिथि की घोषणा करें।

उत्तर

घुमक्कड जातियों तथा विमुक्त जातियों को बसाने और उनकी शिक्षा के लिये एक सम्मिलित योजना बनाई गई है, जो पिछड़ी जातियों के कल्याण की पांचवीं योजना का ही एक भाग है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त जातियों पर पांचवीं योजना में 90.00 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत छात्रवृत्ति, छोटे उद्योग धन्धे तथा कृषि-उप-करणों के लिये सहायता एवं भवन निर्माण अनुदान है। यह योजना वर्ष 1974-75 से प्रारंभ कर दी गई है और इस वर्ष इन जातियों के लोगों को भवन निर्माण हेतु प्रति परिवार 1,000 रुपया अनुदान स्वीकृत करने के लिये डेढ़ लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

दौसा में वृद्धावस्था पेन्शन के मामले

394. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा एस० डी० ओ० के यहां कितने आवेदन-पत्र वृद्धावस्था पेंशन के व कितने अन्य अपंगों के विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कब तक निर्णय किया जाना संभव है ?

(श्री मूलचन्द डागरिया)

(3) क्या शीघ्र निर्णय किया जाकर आवेदकों की मजबूरी पर गौर किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उप-खण्ड अधिकारी, दौसा के कार्यालय में 24 आवेदन-पत्र वृद्धावस्था पेन्शन के एवं 2 आवेदन-पत्र अपाहिज पेन्शन के पेन्डिंग हैं । सूची संलग्न है ।

(2) इनमें से जितने भी मामले नियमान्तर्गत योग्य होंगे उनका निपटारा मार्च, 75 तक कर दिया जावेगा ।

(3) इसका उत्तर भाग 2 में दिया जा चुका है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जिला झालावाड़ के रोड़वेज में कन्डक्टरों का मामला

395. श्री हाजी खान मोहम्मद (पिड़ावा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री अंसार अहमद तथा श्री मोइनुद्दीन, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ रोड़वेज में कन्डक्टर थे ? अगर हां, तो उन्हें नौकरी से क्यों हटाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों ने नौकरी से हटाये जाने के विरुद्ध एक वर्ष पूर्व अपील भी की थी ? यदि हां, तो उन पर फैसला क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री अंसार अहमद 4 रोज के अवकाश पर प्रस्थान करने के उपरान्त स्वेच्छा से निगम सेवा से अनुपस्थित हो गये एवं एक वर्ष सात माह तेरह दिन पश्चात् उपस्थित होने पर उन्हें पुनः निगम सेवा में नहीं लिया गया । यात्री बिना टिकट ले जाने व टिकट संख्या में हेरा फेरी के कारण श्री मोईनुद्दीन की अस्थायी सेवा अवधि आगे नहीं बढ़ाई गई ।

(2) जी हां । किन्तु प्रश्न संख्या एक में उल्लिखित कारणों से इनकी अपीलें अस्वीकार कर दी गई ।

राजकीय छात्रावासों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्र

396. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने छात्रावास राजकीय और अनुदानित कहां-कहां चलते हैं ? अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त छात्रावासों में से कितने छात्रावास अनुसूचित जाति और कितने जन-जाति के छात्रावास हैं ।

(3) कितने अनुदानित छात्रावास राजस्थान में किन-किन स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाये जाते हैं ।

(4) क्या यह सही है कि राजकीय छात्रावास और अनुदानित छात्रावास के खर्च में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हरलाल मीणा)

(5) क्या यह सही है कि महंगाई काफी बढ़ने के बावजूद भी स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों का अनुदान जो पहले दिया जा रहा था, आज भी वो ही दिया जाता है ?

(6) क्या यह भी सच है कि राजकीय छात्रावासों में पहले से अब खर्चा बढ़ गया है या बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 133 राजकीय छात्रावास, 130 अनुदानित छात्रावास एवं 45 तृतीय श्रेणी छात्रावास चलाये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

(2) उक्त छात्रावासों में से 137 छात्रावास अनुसूचित जाति तथा 144 छात्रावास अनुसूचित जन-जाति के हैं।

(3) राजस्थान में 130 अनुदानित छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची परिशिष्ट (ब) संलग्न है।

(4) जी हां। राजकीय छात्रावासों में समस्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अनुदानित छात्रावासों में विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि तथा संस्था द्वारा एकत्रित किये जाने वाले चन्दे की राशि की सीमा तक खर्च किया जाता है।

(5) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों को 1-7-71 से पूर्व निम्न दरों से अनुदान स्वीकृत किया जा रहा था :—

क्रमांक	श्रेणी	प्रति छात्र प्रति माह अनुदान की दर
1.	कक्षा 5 वीं से 8 वीं तक के छात्रों के लिये	40) रु०
2.	कक्षा 9 वीं से 11 वीं तक के छात्रों के लिये	45) रु०

लेकिन 1-7-71 से अनुदान की दरों में निम्न प्रकार से वृद्धि की गई है :—

क्रमांक	श्रेणी	प्रति छात्र प्रति माह अनुदान की दर
1.	कक्षा 5 से 8 तक के छात्र	55) रु०
2.	कक्षा 9 से 11 तक के छात्र	60) रु०

(6) राजकीय छात्रावासों में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का स्केल निर्धारित है यह सुविधाएं अब भी दी जा रही हैं। मंहगाई के कारण खर्चा बढ़ गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर के सहायक अध्यापक का मामला

397. **श्री करणसिंह** (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि यदि शिक्षा विभाग के किसी भी शिक्षक का सेवाकाल 31 दिसम्बर के पश्चात् समाप्त होता है तो सेवाकाल उसी वर्ष के सत्र की समाप्ति तक बढ़ा दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री प्रेमचन्द शर्मा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर को जिनकी सेवा समाप्ति दिनांक 31-1-75 को थी उनके सेवाकाल बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त भी सेवा निवृत्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस मामले में नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा श्री प्रेमचन्द शर्मा, सहायक अध्यापक को सत्र समाप्ति तक सेवा करने का अवसर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां । शिक्षा विभाग में किसी शिक्षक का सेवाकाल 31 दिसम्बर के पश्चात् समाप्त होता है तो राजस्थान सेवा नियम, 56 के फुट नोट के अनुसार यदि नियुक्ति अधिकारी शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक समझे तो सत्रांत तक पुनः नियुक्त कर सकता है ।

(2) जी नहीं । श्री प्रेमचन्द शर्मा वर्तमान में कार्यरत है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डिग्री तथा पोस्ट-डिग्री कॉलेज

398. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में राज्य सरकार के कितने डिग्री तथा पोस्ट-डिग्री कॉलेज हैं ? तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्थान में कितने जिला हैडक्वार्टर्स ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार का कोई कॉलेज नहीं है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में राज्य सरकार के डिग्री व पोस्ट-डिग्री कॉलेज कुल मिलाकर 50 हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राजस्थान में निम्नलिखित 3 जिला हैडक्वार्टर्स पर राज्य सरकार के कॉलेज नहीं हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. जयपुर
2. जोधपुर
3. झुंझुनू

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

भदेसर पंचायत समिति के अभावग्रस्त गांव

399. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या अकाल सहायता

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ तथा भदेसर पंचायत समिति में कौन-कौन से ग्राम इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित किये गये ? और अकाल सहायता के लिये यहां कितनी धनराशि दी और कौन-कौन से कार्यों को हाथ में लिया गया ?

(2) क्या अकाल सहायता के लिये सिंचाई के अधूरे कार्यों को पूरा करने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या विजयपुर, चित्तौड़गढ़ के पास बरखेड़ी तालाब के अधूरे कार्य को पूरा करने का सरकार कोई इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) अभी अकाल सहायता में निर्धारित नीति के अनुसार वे ही कार्य लिये जा रहे हैं, जो कि योजनागत कार्य हैं। अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत लिये गये अधूरे कार्य जब हाथ में लिये जायेंगे, तो इस योजना पर भी विचार करना संभव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 4 जनवरी को करौली मंडरायल क्षेत्र में आर० ए० सी० द्वारा कुछ व्यक्तियों से नाजायज तरीके से 7,000 (सात हजार) रुपये वसूल कर लेने के विषय में।

2. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर में कुछ बेघर लोगों के लिये अभय नगर बस्ती में गत 2 व 4 मार्च को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़, आगजनी और लूट पाट की कार्यवाही के विषय में।

इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

3. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर के लिये बन्ध बारेठा से सिंचाई विभाग की कुछ आपत्तियों के कारण पेयजल की व्यवस्था न होने के विषय में। इस विषय पर भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है। माननीय सदस्य आज पेयजल के सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य विभाग की मांगों के समय इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

4. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूर्व में घोषित तिथियों पर हो पावेंगी अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में अनिश्चितता है। यह घटना किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और भावी आशंका पर आधारित है।

5. श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर जिले में अकाल-राहत कार्य प्रारम्भ न करने के विषय में। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य आज बजट की मांगों के समय बोल सकते हैं।

Page No 42

(४२)

(श्री अध्यक्ष)

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री शंकर लाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, वह नहीं.....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद फरमावें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि यह तो आज के हैं, और कल के भी आप लेना चाहें तो ले लीजिये।

श्री ज्ञान मल लोढ़ा : आज अध्यक्ष महोदय, करोली—मंडरायल क्षेत्र के अन्दर डाकुओं के उत्पादन के कारण आर० ए० सी० को इसलिए लगाया गया है कि वह वहां की जनता को दस्युओं से मुक्त कराये और डाकुओं को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, आर० ए० सी० और डाकुओं द्वारा अपहरण काण्ड के सम्बन्ध में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके लिये आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है, परन्तु मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि आर०ए० सी० के जवानों और इस क्षेत्र के अफिसरों को वहां के डाकुओं को पकड़वाने के लिए डेप्यूट किया गया था और उन्होंने वहां ए० एस० पी० खंगार सिंह के नेतृत्व में अपने आपको डाकुओं के गिरोह में कन्वर्ट कर लिया है जिनका काम वहां पर डाके डाल कर वहां के जो धनवान व्यक्ति हैं उनका अपहरण करके उनसे रेनसम (फिरौती) लेकर उनको छोड़ना होगया है ? अध्यक्ष महोदय, यह काण्ड करौली मण्डरायल क्षेत्र में ए० एस० पी० खंगार सिंह और शंकरसिंह आदि के माध्यम से किया जा रहा है और उन्होंने मंडराई क्षेत्र के हर गोविन्द, चिरंजी लाल, मुरली धर आदि पांच व्यक्तियों को पकड़कर कब्जवाया गया और उनको गजाधर की धर्मशाला में ले जाकर यह कहा कि या तो फी व्यक्ति तुम पांच हजार रुपये दे दो वरना डाकुओं की मदद करने के इल्जाम में आपके खिलाफ मुकदमे बनाये जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने इन्कार कर दिया तो आर० ए० सी० के जवान और ए० एस० पी० खंगार सिंह इन लोगों को सरकारी ट्रक नं० 2625 में उनको बैठा कर नीदर बांध के पास एक गोपी डकैत की खोह है वहां पर उनको ले गये और उनके सीने पर बन्दूक रखकर उनको यह कहा कि फिरौती देने के लिये मन्जूरी दो और नहीं दी गई तो हम गोली से, बन्दूक से उड़ा देंगे और यह काम गोपी डकैत की खोह में किया गया। अध्यक्ष महोदय, दूसरे रोज वहां की जनता को मालूम हुआ और जब गोली की नोक के ऊपर उनसे रकम स्वीकृत करा ली गई तो दूसरे लोग दस्युओं को 7,000 देकर इनको छुड़ा लाये। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद करौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, ए० एस० पी० खंगार सिंह स्वयं मौजूद थे और वे इस सारे काण्ड में नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रकम शाम को मिल जायेगी। लेकिन उसमें से 450 रु० खंगार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सिंह को दिये गये। उसने अपने आपको बचाने के लिये प्रकाश सिंह और छतरसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया लेकिन वे लोग आज भी वहां पर बराबर काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए मैं यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार से जानकारी करली जाय परन्तु 4-1-75 के बाद इतना समय हो जाने पर भी ए० एस० पी० खंगार सिंह और उसके साथी प्रकाश सिंह और छतर सिंह वहां पर विद्यमान थे और उन्होंने जनता से नाजायजतौर पर वह वहां पर रेनसम (फिरौती) लेकर जनता को लूट रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आज निश्चितरूप से मुख्य मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहा जाय और जो व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसके संबंध में आपने जानकारी चाही है। परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा। धौलपुर में बेघर लोग थे। उन्होंने बेघर समिति बनाई है। उन्होंने यू०आइ०टी० को दरखास्त देकर एक स्कीम बनाई जिसके बहुत लोगों को भूमि अलोट करना तय हुआ। 500 लोगों ने पैसा जमा करा दिया। अलाटमेन्ट होने तक टैम्परेरी अलाटमेंट करने की यू०आइ०टी० ने स्कीम बनाई थी। उनको टैम्परेरी अलाटमेंट कर दिया गया। वहां लोगों ने अपनेमकान बना लिये। मकान बनाकर वह वहां रह रहे थे। इसी महीने की 2 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने, एक प्रभुसिंह ने लोगों को इकट्ठा करके उनके मकानों पर हमला किया है। उनके मकानों को जला दिया। उनका सामान लूट कर ले गये। उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रिपोर्ट करने के दूसरे दिन फिर दुबारा उन लोगों ने हमला किया। जो पुलिस का आदमी मौजूद था, उसने कुछ भी नहीं कहा पुलिस की शह पाकर उन लोगों ने उनके मकान वगैरह ढहा दिये। ऐसा लगता है, वहां की जो पुलिस है, उसकी शह से उन मकानों को तोड़ा गया है। पुलिस की शह से उन मकानो की तोड़फोड़ की गई है। जबकि खुद मुख्य मंत्रीजी जोधपुर गये थे। वहां उन्होंने यह कहा था कि जो बेघर लोग हैं, उनको न केवल गांवों में ही शहरों में भी मकान देंगे। लोगों को इससे आशा बनी। इस प्रकार से उन्होंने पैसे जमा कराये। जोधपुर शहर जैसी जगह में जहां पुलिस के डी०आइ०जी० का हैडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहती है। फिर भी छोटे लोगों को संरक्षण नहीं मिल सके। मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि फौरन ही कार्यवाही होनी चाहिए। जांच की जानी चाहिए। उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने मकान तोड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जाये। जिनके मकान टूटे हैं, उनको सरकारी मुआवजा दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सदन में 184 माननीय सदस्य हैं। उनके घर पर भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। वह पूछते हैं, परीक्षाएं होंगी या नहीं। इसलिए मेरा स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
है। आज विद्यार्थियों को यह निश्चित नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी। हिन्दुस्तान की तवारीख में यह पहला अवसर होगा जबकि विद्यार्थी इस बात के लिये अनिश्चित हों कि परीक्षा कब होंगी। डेट निश्चित नहीं होने से छात्रजगत में भयंकररूप से असन्तोष है। राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अस्थायी और स्थायी दोनों ही अपने निर्णय पर दृढ़ हैं। जब तक यू०जी०सी० ग्रेड नहीं दी जायेगी। वह परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। न पेपर सेट करेंगे, न परीक्षाएं लेंगे और न कापी जांचेंगे। तीनों ही काम वह नहीं करेंगे। राज्य सरकार किस आधार पर किस ढंग से परीक्षाओं का आयोजन करेगी। मैं निवेदन करूंगा कि परीक्षकों ने यह निर्णय ले लिया है कि हम किसी प्रकार का भाग नहीं लेंगे। मेरा निवेदन है, राजस्थान में आन्दोलन हो तो यू०पी० से पुलिस बुलाकर दबाया जा सकता है। उन्होंने यह निर्णय लिया है कि हम पर्चे सेट करने वाले हैं नहीं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर प्रश्न है। शिक्षा मंत्री महोदय, को शिक्षकों से बात करके डेट निश्चित करनी चाहिए। अभी सदन चल रहा है। 31 तारीख के बाद यह सामाप्त हो जायेगा। इसके बाद क्या दशा विद्यार्थियों की होगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दबाने के लिए, सदन को बिना विश्वास में लिये हुये, आदेश निकाल लिये हैं। कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता है। राज्य कर्मचारी, नगरपालिका के कर्मचारी, पंचायत के कर्मचारी, यह स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। हड़ताल नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे अधिक राज्य सरकार का और कोई निन्दनीय कदम नहीं हो सकता। मैं पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय नहीं हो। इसलिए इस संबंध में राज्य सरकार गम्भीरता से कदम उठाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो राज्य कर्मचारियों पर पाबन्दी लगाई गई है, इस संबंध में और परीक्षाएं कब होंगी इस बारे में सरकार से वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जब जलप्रदाय विभाग को उत्तर हो तो भरतपुर के पेयजल के बारे में भी वह उत्तर दें। भरतपुर बन्द बरेठा पेयजल योजना शुरू होगई है। वहां पर जलदाय और सिंचाई विभाग में विवाद खड़ा हो गया है। पैसा कौन दे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उत्तर देते समय वह जवाब दें कि पानी शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पानी के बारे में झगड़े के कारण पानी रोक दिया है।

श्री अध्यक्ष : घोषणाएँ।

श्री केदारनाथ : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ प्रिविलेज सर।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो राज्य कर्मचारियों के बारे में हड़ताल नहीं रखने के सम्बन्ध में आदेश निकाले हैं। जबकि सदन सेशन में है।

श्री अध्यक्ष : इस पर तो एडजॉर्नमेंट मोशन है। इस पर कल लेंगे।

अध्यक्षीय घोषणा

श्री मालाराम द्वारा जनता मोर्चा की सदस्यता ग्रहण

"मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मालाराम, सदस्य, विधान सभा ने सूचित किया है कि उन्होंने विधान सभा में 'जनता मोर्चा' की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके इस गुट में सम्मिलित हो जाने से अब विधान सभा में जनसंघ दल का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहेगा।"

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री दिनेश राय डांगी (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) :— अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1974-75, मेडिकल शिक्षा के सम्बन्ध में समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री भीखा भाई :— अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति, 1974-75, मेडिकल शिक्षा के सम्बन्ध में समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ?

अनुपूरक अनुदान की मांगों 1974-75 का विवरण

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) :— अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1974-75 के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को केन्द्र के समान बढ़ी हुई दर पर पेंशन

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को केन्द्र के समान बढ़ी हुई दर पर पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री केदारनाथ:— आज तो घोषणा कर दें।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री):— अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भारत सरकार ने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान 1-1-73 से संशोधित किये हैं जिनके अन्तर्गत 1-1-73 से पूर्व प्राप्त महंगाई भत्ता, तदर्थ सहायता की राशि को वेतन में जोड़ा गया है। इस प्रकार 1-1-73 या इसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को पेन्शन/ग्रेच्युटी में लाभ प्राप्त हुआ है। यद्यपि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन मानों में कोई संशोधन नहीं किया है, फिर भी राज्य के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेन्शन/ग्रेच्युटी का लाभ देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने वेतन में महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन एवं तदर्थ

(श्री चन्दनमल वैद)
सहायता जो कर्मचारी को 1-1-73 के पूर्व प्राप्त थी को जोड़ कर, पेन्शन / ग्रेच्युटी दिये जाने का निर्णय अक्टूबर, 74 में लिया, और इस सम्बन्ध के आदेश दिनांक 31-10-74 से प्रभाव में लाये गये। जहां तक भारत सरकार द्वारा इन आदेशों को 1-1-73 से प्रभाव में लाने का प्रश्न है, वह उस संघर्ष के अनुकूल प्रतीत होता है कि भारत सरकार द्वारा संशोधित वेतन मान 1-1-73 से प्रभावशील किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा वेतन मानों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः उक्त आदेशों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया गया।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 1-1-73 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेन्शन के 5% की दर से राहत दी जावेगी। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) के 12 महीनों के औसत में जब-जब 16 अंकों की वृद्धि होगी तब-तब उन दरों पर यह राहत दी जावेगी। 12 महीनों का औसत जुलाई, 73 में 216 और दिसम्बर, 1973 में 232 एवं मार्च, 1974 में में 248 हो जाने से भारत सरकार ने क्रमशः 1-8-73, 1-1-74 एवं 1-4-74 से केन्द्रीय सेवा निवृत कर्मचारियों की पेन्शन के 5% (न्यूनतम 5 रु० व अधिकतम 25 रु०) प्रतिमाह राहत स्वीकार की है :—

पेन्शन की रकम	तदर्थ राहत पेन्शन
85 रु० से नीचे	15 रु० प्रतिमाह
64—65	
85 से अधिक लेकिन 210 रु० से नीचे	20 रु० प्रतिमाह
210 रु० और इससे अधिक लेकिन 500 से कम	25 रु० प्रतिमाह
500 रु० और इससे अधिक	35 रु० प्रतिमाह

भविष्य में इन सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शन में 5 प्रतिशत की राहत (न्यूनतम 5 रु० व अधिकतम 25 रु० प्रतिमाह) जब-जब भी अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 — 100) के 12 महीनों के औसत में 16 अंकों की वृद्धि होगी तब तब राहत दी जावेगी। इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को 1-8-73, 1-1-74 एवं 1-4-74 से राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य सरकार ने अपने पेन्शनर्स के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है। सारा मामला विचाराधीन है।

श्री केदार नाथ : यह स्टेटमेंट तो क्या हुआ, आपने तो केन्द्र का फैसला सुना दिया।

श्री चन्दन मल वैद : स्थिति से अवगत करा दिया।

श्री राम किशन : आप सीधा बता देते कि हमने फैसला नहीं किया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा ही मानवता का प्रश्न है। जिन लोगों ने वर्षों तक राज्य की सेवा की, उनका संबंध है लेकिन जो वर्तमान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में सेवा कर रहे हैं उनसे भी संबंध है और विधायकों से भी संबंध है। अन्य राज्यों ने तो विधायकों के लिए भी पेन्शन की व्यवस्था कर दी है, हो सकता है कि राजस्थान में भी विधायकों के लिए पेन्शन की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद भी सवाल आएगा कि ज्योंही केन्द्र में महंगाई भत्ता बढ़े तो विधायकों का भी बढ़े। उस समय वित्त मंत्रीजी आपको कष्ट महसूस होगा और राज्य सरकार को कोसेंगे। आपने अपने बजट को संतुलित बजट बताया, कोई नया कर नहीं लगाया, वह तो बढ़िया बात की। आप यह भी घोषणा करें कि जो पेन्शनर्स हैं उनके लिए भी आप बजट में साधन मुहय्या करें और घोषणा करें। महंगाई तो बराबर बढ़ती जा रही है, वह घटने वाली नहीं है। यहां पर जिन लोगों को पहले 4 रुपए मिलते थे उनके भी 40) कर दिए, जिनको 10) मिलता था, उनका भी 40 रु० कर दिया। यह कहां की समानता है ? आपको मालूम होगा कि राजाओं के समय में लोगों को क्या मिलता था ? 10 रुपए। आखिरकार उनको क्या मिला महंगाई बढ़ जाने के कारण वह न के बराबर हो गया, असमानता बढ़ी। केंद्र और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के वेतन-मान पहले से ही कम हैं इसलिए पेन्शनर्स को भी अन्य राज्यों के मुकाबले में कम पेन्शन मिली है।

जनवरी, 1973 के बाद ज्यों-ज्यों केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती गई, राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए उतना ही महंगाई भत्ता बढ़ाती गई। केंद्र सरकार ने अपने पेन्शनर्स के लिए भी बढ़ोतरी तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1-1-73 से 15 रु० से 35 रु० केंद्रीय सरकार ने तदर्थ सहायता बढ़ाई है लेकिन राज्य सरकार ने अपने पेन्शनर्स को यह नहीं दिया। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को तो केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे दिया। उसके लिए तो वह धन्यवाद की पात्र है लेकिन जो रिटायर हो गए उनको यह लाभ नहीं दिया। केंद्र सरकार ने अपने पेन्शनर्स को 1-1-73 को 5 परसेंट, 1-1-74 को 5 परसेंट और 1-4-74 को 5 परसेंट दिया। राज्य सरकार ने ये तीनों लाभ और तदर्थ सहायता अपने पेन्शनर्स को नहीं दी। आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० अधिकारियों को तो आपने केन्द्रीय सरकार के पेन्शनर्स के अनुसार लाभ दे दिया लेकिन छोटे कर्मचारियों को इससे वंचित कर दिया। यह घोर असमानता है जिसके कारण से उनके दिल में निराशा आना स्वाभाविक है। राज्य सरकार ने 40) अधिक से अधिक कर दिया। यह कहां की असमानता है जबकि केंद्रीय सरकार ने समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाकर वहां पर कम से कम मासिक पेन्शन 75) रु० कर दी।

राजस्थान में 55 वर्ष की आयु में रिटायर करते हैं, पेन्शनर, जिसको 300) पेन्शन मिलनी चाहिए उसने अपनी पेन्शन कम्यूट करवाकर 200 रु० प्रतिमाह 65 वर्ष की आयु तक लिया। उसको आप 65 वर्ष की आयु के बाद भी 200 ही पेन्शन देते हैं। उसको आगे से तो आप 300) ही दीजिए। आपने जब उससे मूलधन वापस ले लिया, ब्याज वापस ले लिया, वह जीवित है तो 200) रु० क्यों ? 300) रु० ही उसको मिलने चाहिएं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राज्य सरकार ने कहा था कि हम पेन्शनर्स को चिकित्सा सुविधा देंगे । आपने उनके लिए केवल एक कमरा बनवा दिया । जिन लोगों ने वर्षों तक आपके राज्य की सेवा की, ऐसे लोगों को चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार नहीं देती उनके दवाइयों के बिलों का रि-एम्बर्समेंट नहीं होता, तो थोथी घोषणा से क्या लाभ ? उन पर निर्भर बच्चों को शिक्षा सुविधा नहीं मिलती ।

राज्य सरकार ने नियम बनाया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी चाहे नगरपालिका का हो, चाहे पंचायत का हो, कहीं भी काम नहीं कर सकेगा आपने ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया ? पेन्शन तो आप 40) रु० दें और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है, काम कर सकता है, तो सरकार उसके काम करने पर रोक क्यों लगाती है ? राज्य सरकार पेन्शनर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह कोई दान नहीं है उनका एक प्रकार से अधिकार है । केंद्रीय सरकार द्वारा पेन्शनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद पश्चिम बंगाल ने भी 40 से 85 रु० कर दिया । इस प्रकार पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केरल ने अपने पेन्शनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया ।

अध्यक्ष महोदय, जब सभी प्रान्तों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के बराबर पेंशन में और डी०ए० में सुविधायें दे दी हैं तो हमारी राजस्थान सरकार जो अपने आपको अग्रणी मानती है वह इस मामले में दूसरे प्रान्तीय सरकारों से आगे क्यों नहीं आती है । इसमें राजस्थान सरकार पीछे क्यों रहना चाहती है उसे तो आगे आने की पहल करनी चाहिये । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज वित्त मंत्री जी इस सदन में घोषणा करें कि हमने केन्द्रीय सरकार के बराबर पेन्शनयाफ्ता लोगों को पेन्शन में हर प्रकार की सुविधा अपने राज्य कर्मचारियों को दे दी है। मैं वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि अन्य बातों में जहां पर कि टैक्स लगाते हैं आप उस टैक्स का भार आपके रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी तो पड़ता है जब कि आप अपने सेवारत कर्मचारियों को तो डी०ए० दे देते हैं पर पेन्शनर्स को डी०ए० वगैरह क्यों नहीं देते हैं । क्या उन पर महंगाई का असर नहीं पड़ता है क्या ? इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि आज ही सदन में पेन्शनर्स के जिये वही सुविधा दे दी गयी यह सदन में घोषणा करे । मैं आशा करता हूं कि वह आज सदन में अपने पेन्शनर्स को वही सहूलियतें पेन्शन के मामले में दी जायेगी जो कि केन्द्रीय कर्मचारियों के रिटायर्ड पेन्शनर्स को दी जाती है उसकी घोषणा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ प्रोसीजर की धारा 131 के तहत हमने राज्य का ध्यान आकर्षित किया था । राज्य सरकार ने जो स्टेटमेंट सदन में दिया है उसका तो यह असर हुआ है कि उस स्टेटमेन्ट ने उल्टा एम०एल०एज० का ही ध्यान आकर्षित कर दिया । मैं स्टेबिलाइड पार्लियामेन्ट्री कन्वेन्शन्स के अनुसार जब स्टेटमेन्ट हो गया तो ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा और यहां पर सिर्फ दो शब्द ही निवेदन करना चाहूंगा । मान्यवर, जबकि डेफिसिट स्टेट्स ने अपने

(श्री केदारनाथ)

पेन्शनर्स को घाटा होते हुए भी वही सुविधायें दे दीं जो कि केन्द्रीय सरकार के रिटायर्ड पेन्शनर्स को दी जाती हैं तो हमारी स्टेट तो जैसा कि बजट स्पीच में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यहां पर घोषणा की थी कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक है तो राजस्थान गवर्नमेंट के रिटायर्ड लोगों को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड पेन्शनर्स की तरह पेन्शन क्यों नहीं देती है? उन्हें भी उसी बेसिस पर पेन्शन दी जानी चाहिये। जब डेफिसिट होने के बावजूद पंजाब ने और दूसरी स्टेट्स ने सेन्ट्रल के पेन्शनर्स के बराबर पेन्शन और डी०ए०, एडहोक रिलीफ वगैरह दिये हैं तो मान्यवर अपनी स्टेट को ऐसा करने से विशेष फर्क नहीं पड़ता है। मान्यवर थर्ड पे कमीशन ने जो रिकमन्डेशन की है वह हमारे यहां पर पेन्शन के मामले में रूल्स लागू होने चाहियें। मान्यवर, एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट आपके यहां पर 55 साल तक सर्विस करने के बाद या 30 साल की सर्विस होने पर रिटायर होता है उसके बाद में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति दस बारह साल से ज्यादा जिन्दा नहीं रहता है। तो इससे एक रिटायर्ड परसनल की एज एवरेज 65 से लेकर 70 साल की हुई। लेकिन आपने उसको ड्यूरिंग सर्विस तो सभी सुविधायें दीं जैसे मेडिकल, हाउस रेन्ट, फैसीलिटीज वगैरह लेकिन जब उसे एक्चुअली जरूरत होती है मेडिकल फैसीलिटीज इन हिज ओल्ड एज उस वक्त आप उसे मेडिकल फैसीलिटीज को देना बन्द कर देते हैं। इसके अलावा आज जो दिन व दिन महंगाई बढ़ती जा रही है उससे उसका गुजारा चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने रिटायर्ड पेंशनर्स की पेन्शन में दो बार डी०ए० बढ़ाया तो राज्य सरकार ने भी पहले जब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी सुखाड़िया साहब थे उन्होंने भी उस वक्त अपनी स्टेट डेफिसिट होने के बावजूद केन्द्रीय सरकार के बराबर वही फैसीलिटीज देने की घोषणा की थी। तो अब तो आप जैसा कि कहते हैं हमारी स्टेट डेफिसिट में नहीं है तो फिर ऐसी हालत आपने जो थर्ड पे कमीशन ने केन्द्रीय कर्मचारियों को जो पेन्शन में बेनिफिट दिये हैं वह हमारे यहां के पेन्शनर्स को भी देने की घोषणा करें। इसके अलावा मान्यवर, ऐसा भी होता है कि कई बार 55 साल तक ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब एक सरकारी कर्मचारी पेन्शन लेता है तो वह अपनी पेन्शन को कम्यूट करा सकता है अपटू वन-थर्ड आफ हिज टोटल पेन्शन। अब जब वह गवर्नमेंट सर्वेंट, मान्यवर, अपनी पेन्शन को इधर तो कम्यूट करा लेता है और दस साल बाद अगर वह नहीं मरता है तो मैं समझता हूं मान्यवर, कि राजस्थान सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि उसे दस साल बाद वही पेन्शन देना चाहिये जो कि पहले उसे मिलने वाली थी। यानी वन-थर्ड जो पेंशन उसने कम्यूट करा ली वह तो उसने पूरी चुका दी है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रूल्स में रिलेक्सेशन होना चाहिये, कि ऐसे मामले में अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पेन्शन को कम्यूट कराया और जितने सालों तक के लिये उसने कम्यूट कराया मेक्जिमम उसका दस साल का पीरियड है उस पीरियड के बाद वह जो पेन्शन वन-थर्ड कम हुई थी वह वापिस उसे मिल जानी चाहिये इसके अलावा मान्यवर, यह जितने भी आपके आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस० और दूसरे क्लास वन आफिसर्स हैं जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट रूल्स से गवर्न होते हैं उन्हें तो आफ्टर रिटायरमेंट वही बेनिफिट हो

(श्री केदारनाथ)

जाते हैं जो कि दूसरे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को होते हैं लेकिन एक तबका मान्यवर जो उससे छोटा है जैसे एल०डी०सी, यू०डी०सी०, वर्क-चार्ज या पटवारी जिसके ऊपर कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा भार पड़ जाता है उसे आप वह सुविधायें नहीं देते हैं। इसके अलावा मान्यवर, उसी के साथ काम करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो कि सर्विस में होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट सेन्ट्रल के बराबर बेनिफिट्स दे देती है तो यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। ऐसा होना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसलिये मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि थर्ड पे कमीशन में केन्द्रीय सरकार ने जो डी०ए० और एडहोक रिलीफ को पेन्शन में केलकुलेट कर लिया है उसी तरह के जो भी बेनिफिट्स हैं वह हमारे यहां के रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दी जानी चाहियें। मान्यवर, मैं अभी जो वित्त मंत्रीजी ने हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जो स्टेटमेंट दिया है उसको स्टेटमेंट नहीं मानते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने स्टेटमेंट को रिवाइज करके हाउस में यह घोषणा करें कि राज्य सरकार भी अपने पेन्शनर्स को उसी प्रकार पेन्शन देगी जिस प्रकार कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को देती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, पेन्शनर्स के बारे में सदन में जो वित्त मंत्रीजी द्वारा स्टेटमेंट दिया है उसको मैं सही नहीं मानते हुए यह गुजारिश करना चाहूंगा कि वह इस बारे में ऐलान करें कि हमारी सरकार भी अपने मुलाजिमान को उसी प्रकार पेन्शन में लाभ देगी जो कि केन्द्रीय सरकार देती है। जब हमारी सरकार यह मानती है और अपने कर्मचारियों को सेन्ट्रल के बराबर डी०ए० देती है एडहोक रिलीफ देती है तो फिर ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने कि निहायत ईमानदारी से सरकार की सेवा की है उनको रिटायर होने के बाद उसी रूल्स के अनुसार पेंशन क्यों नहीं दी जाती है। उस प्रपोर्शन से पेंशन क्यों नहीं दी जाती है जिस प्रपोर्शन से कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने रिटायर्ड सर्वेंट्स को देती है। मेरी गुजारिश यह है कि हमारे यहां भी कर्मचारियों को उसी प्रपोर्शन से पेन्शन दी जानी चाहिये।

(12.35 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज तो बहुत साफ है और वह यह कि सेन्टर के जो पे स्केल्स हैं उनके मुकाबले में आपके पे स्केल्स कम थे, इसलिये आपका जो आदमी रिटायर हुआ उसकी पेन्शन सेन्टर के आदमी से बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो दयनीय हालत है उसका आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वह अपना गुजारा कर सकता है। इसी बात को देखकर तीसरे पे कमीशन ने 1-1-73 के बाद जो सेन्टर के कर्मचारी रिटायर हुए उनके लिये कम से कम पांच और अधिक से अधिक 25 रुपये की वृद्धि दी। और उसके बाद अप्रेल, 1974 में दूसरा नोटीफिकेशन, उपाध्यक्ष महोदय, यह निकाला कि सभी पेन्शनर्स को चाहे उनकी डेट आफ रिटायरमेंट कोई भी हो, उन सब को यह वृद्धि दी जायेगी। और यह भी हुआ कि सूचकांक अंक जब भी 16 पाइन्ट से बढ़ेगा तो और वृद्धि भी आटोमेटिकली दी जायेगी। और आज उनकी वृद्धि कम से कम 25 रुपये और अधिक से अधिक 75 रुपये तक आगई है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि राज्य सरकार दूसरे मामलों में तो कटौती करने को तैयार नहीं, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने को तो तैयार नहीं, दूसरी बातों पर खर्च की कमी करने को तैयार नहीं, लेकिन पेंशनर्स के मामले में पेन्शन वृद्धि करने से खर्च बढ़ जायेगा, यह उनका दृष्टिकोण है उनको बड़े अफसोस की बात है। आज इस ओर और उस ओर दोनों तरफ बैठने वाले यह कहते हैं कि हमें समाज का ढांचा बदलना है। तो ऐसी हालत में जो समाज का वल्नरबिल सेक्शन है, जो परेशान है, जिसको तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, या जो गरीब हैं या जो पेंशनर्स हैं, उनका तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वर्ना सोशलिज्म एक महज ढकोसले-बाजी है। मंत्री महोदय ने अपनी तकरीर में यह फरमाया, अपने बजट भाषण में यह फरमाया कि हमारी स्थिति बहुत सुहावनी है। बहुत खुशनुमा नजारा पेश किया उन्होंने और कहा कि हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन, हमारी माली हालत सुधरी है और हम अच्छी तरह से काम चला सकते हैं। और अपनी रियासत के अन्दर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आज जो उनका जवाब आया है वह इस कदर मायूस है, मैं समझता हूं आपको कहना नहीं चाहिये था, शर्म आनी चाहिये थी यह कहने में कि पेंशनर्स, बेचारे ऐसे हैं पेंशनर्स, जो कि बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, जो आज एक एक पैसे के लिये मोहताज हैं, 113 देते हैं सन् 50 से, उस पैसे की क्या प्राइस रही है। डेफिसिट स्टेट्स हैं, जैसा प्रोफेसर केदार ने कहा आपके मुकाबले में जिनकी माली हालत ज्यादा कमजोर है, उन्होंने पेन्शनर्स को दिया है, जब वे दे सकते हैं तो आप ऐसा मायूसपन का जवाब देते हैं, मैं समझता हूं, कि आपका यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है।

आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह तो कर सकते हैं कि उनको कुछ सहूलियतें दीजियेगा, केन्द्र के मुकाबले में पेन्शन दीजियेगा और उसको बाकी की सहूलियतें दीजियेगा। एक बूढी औरत को पेन्शन मिली, किसी ने रास्ते में निकाल ली, वह तीन दिन रोती रही। 70 वर्ष के लोगों को क्या आप घर तक पेंशन नहीं पहुंचा सकते और आप मजबूर करते हैं उनको कि आपके दफ्तर पहुंचे। क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि आप गारंटी ले लीजियेगा? यदि मर जावेगा और पेन्शनर को अधिक मिल गयी है तो गारेन्टर होगा वह पैसा दे देगा। जैसे मुलाजिमान को दवाई का रिएम्बर्समेंट देते हैं उसी प्रकार कुछ दवाइयों का उनको भत्ता मिल जाय। करप्शन की यह हालत है कि 600 मुकदमें रिएम्बर्समेंट के पैंडिग पड़े हैं।

वित्त मंत्रीजी से यह कहना है कि आप इस बात के हामी हैं कि हमारी नीतियां प्रगतिशील हों, हम आगे बढें। लेकिन अफसोस की बात है कि आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे हटते जा रहे हैं। इसलिये, महरबानी करके, आपने जो बात कही है, किबला, उस पर गौर फरमाइये और पेंशनर्स को ये सहूलियतें अता फरमाइये। आप जानते हैं कि पेंशनर्स आन्दोलन कर नहीं सकेंगे, धरना दे नहीं सकेंगे। गरीब आदमी हैं इसलिये आप क्या उनका शोषण करना चाहते हैं? यदि दूसरा सेक्शन होता तो ताकत के साथ उठता आपको दया आनी चाहिये, किबला, उनकी हालत पर। आप गौर नहीं फरमायेंगे तो मैं उनको कहूंगा कि आप आन्दोलन कीजिये। मैं समझता हूं, आप नजरशानी फरमायेंगे।

श्री केदारनाथ : पोइटिक हैं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि एम्प्लोइज जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके स्तर से, डी०ए० आदि अन्य चीजों से मिलान करके चलते हैं तो जिन पेंशनर्स ने जीवन का बड़ा भाग सरकार की सेवा में दिया क्या उनका उसके लिये अधिकार नहीं बनता है ?

दूसरा, जो वित्तीय स्थिति चल रही है, जो मंहगाई है, जैसा गफ्फार साहब ने कहा, उनको जरूरत है, जो मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको कितना सूक्ष्म-रूप से पैसा देते हैं। आज हमारी फैमिलीज का जो ढांचा है, पहले का जो सिस्टम था वह खत्म होता जा रहा है, आज पेंशनर्स को कोई देखने वाला नहीं है। जोइन्ट फैमिली सिस्टम प्रगति के कारण से छिन्न भिन्न हो गया है, वह अब असहायों के लिये सहारा नहीं है। इसलिये मैं पुरजोर डिमाण्ड करूंगा कि मानवीय दृष्टि से मांग है उसका अध्ययन करें। यहां पर वित्त मंत्रीजी ने दो तीन बार दोहरा दिया था कि हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनती जा रही है और अगले साल सुदृढ़ बन जावेगी। ऐसी स्थिति बनती जारही है फिर भी आप उस वर्ग को, जिसको मैं पीड़ित वर्ग मानता हूं, सहूलियतें न दें प्राइस लाइन के इन्डैक्स का मिलान करते हुए, यह उचित नहीं है।

मैडिकल फैसिलिटीज का प्रश्न उठता है। रेलवे से एम्प्लाइज जो रिटायर हो जाते हैं उनको तो फैसिलिटीज होस्पिटल की मिलती है। क्या एम्प्लोइज को मैडिकल फैसिलिटीज, 55 के बाद 60 के बाद उसकी एज की क्या कन्डीशन रहती है, उस दृष्टि से मानकर उसको मैडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जानी चाहिये। बाजार से खरीदी जाने वाली दवाइयों की कोई लिमिट बांध दीजिये और इस प्रकार यदि आप उनको देंगे तो हम उनको कुछ सहूलियत दे पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता जो माननीय सदस्यों ने सदन के प्रांगण में रखे हैं। एक अजीब बात इस प्रसंग में है। यह प्रश्न बहुत ही सहानुभूति का है, विधायकों का, माननीय सदस्यों की सहानुभूति का है। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी से पेन्शनर्स मिले थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सहृदयता के साथ, सहानुभूति के साथ मौन रह कर उन्हें विश्वास दिया उसमें यह दिखता था ....

श्री चन्दनमल वैद : मौन रहकर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप और हम प्रलाप तो करते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मौन से देते हैं अभिव्यक्ति।

श्री चन्दनमल वैद : मौन से अभिव्यक्ति देना बड़ी बात है और उसको समझना और भी बड़ी बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी मौन अभिव्यक्ति से संकेत देकर स्पष्टीकरण किया जैसे वे सहानुभूति से कोई कदम लेने जा रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी पुनः मुस्कराये और वे (पेंशनर्स) आश्वस्त होकर निकले कि दरअसल कुछ होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष: इस ओर तो वित्त मंत्रीजी को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दुर्भाग्य से वित्त मंत्रीजी यहां नहीं थे। होते तो उन पर प्रभाव पड़ता।

और एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न राजनेताओं का नहीं है। राजनेता भी संतप्त हैं। वह राजनीति के क्षेत्र में सेवायें देने पर भी ऐसे ही वे निकलते हैं लेकिन मांगते नहीं। यह अधिकारियों का प्रश्न है। आपके सेवारत अधिकारियों का यह स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है वह ऐसे ही अधिकारियों द्वारा तैयार कराया हुआ है जो कल रिटायर होने वाले हैं या किनारे पर हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वे कोई आन्दोलन नहीं करना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का कार्यरत कर्मचारी कल का पेन्शनर है, उनके मन में उदासीनता है, उद्विग्नता है, कलम चलती है लेकिन उदासीनता से चलती है, इसलिए आपके माध्यम से संकेत देना चाहता हूं कि यह प्रश्न रिवोल्ट पैदा करने वाला तो नहीं है, किन्तु कल उन पर भी यह लागू होने वाला है इसलिये उनकी कलम धीरे चलती है, वित्त मंत्री को आगाह करती है कि यह प्रश्न हमारा है इस पर ध्यान देना चाहिये। समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो संकेत देना चाहता हूं कि सचिवालय के उच्चाधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक सब की हमदर्दी पेन्शनर्स के साथ है और ऐसी स्थिति न आ जाय कि कल उनकी कलम टेबल पर रख दी जाय।

श्री चन्दनमल बैद : संकेत मिल गया है आपका।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस पर पुनर्विचार की जरूरत है इसलिये कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति, जिसकी निरंतर घोषणा करते रहे हैं कि सुदृढ़ होती जा रही है, उस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि आपकी सरकार यह मानती है कि पैसे की कीमत गिर रही है और किस प्रकार पेन्शनर्स अपना जीवन बिता रहे हैं यह वित्त मंत्रीजी को अहसास होना चाहिये। सदन में आपने जवाब दे दिया। अब दुबारा निर्णय लेते समय यह विश्वास दिलायें कि दुबारा मंत्रालय एवं अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मंत्रणा करके घोषणा करने की स्थिति में हैं, उस प्रकार का आप जवाब दें और आप यदि यह समझते हैं कि यह अंतिम निर्णय है और विचार करने की स्थिति में नहीं है तो विपक्ष में बैठने वालों को इस पर किसी प्रकार से सोचने की जरूरत पड़ेगी। जितना वित्तीय स्थिति की चिन्ता आपको है उतनी ही हमको भी है। हम मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी में पैसा लगना चाहिये। लेकिन जो सवाल है यह दूसरे प्रकार का सवाल है। केन्द्रीय सरकार और अन्य सरकार जब इस मामले में चिन्तित हैं और निर्णय ले रही हैं तो माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपको पुनः आश्वासन देना है और उसी प्रकार का आश्वासन देना है जिस प्रकार अन्य राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है, ऐसी मुझे आशा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा यह विचाराधीन जो शब्द है मैं समझता हूं जनता में इसके बारे में इस प्रकार का विचार बन गया है कि किसी बात को कोल्ड स्टोरेज में डालना हो तो यह संसदीय तरीके से इन्कार करने वाली बात है और जनता का आक्रोश न बढ़े इसलिये जनता को मीठे तरीके से मना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करना हो तो माननीय मंत्री महोदय ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, विचाराधीन है, शीघ्र विचार किया जायगा, जल्दी से निर्णय किया जायगा, मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार को अपने आप इसके बारे में तुरन्त निर्णय लेना चाहिये था और राजस्थान के पेन्शन पाने वाले व्यक्ति खासकर वे व्यक्ति जो उच्च अधिकारी के नाते रिटायर नहीं हुए – कनिष्ठ लिपिक हैं, वरिष्ठ लिपिक हैं, पटवारी हैं, चपरासी हैं, कहीं पर कोई साधारण, डिपार्टमेंट में शिक्षक हैं जो हजारों की तादाद में है और माननीय मंत्रीजी ने देखा होगा कल ही हजार, पन्द्रह सौ व्यक्ति यहां जयपुर में आये हैं तो मेरा निवेदन है ऐसे प्रश्न को आप कोल्ड स्टोरेज में डालने का प्रयास न करें और क्या यह लोकतन्त्र के लिये उचित है ? मैं समझता हूं इसकी स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिये । यह सर्व विदित है पेन्शन के पहले या बाद में, कार्य सेवा में है या कार्यसेवा से निवृत्त हो गया उसके जीवन की आवश्यकतायें और परिवार की आवश्यकतायें प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और जब वेतन बन्द हो जाता है अथवा उसके अन्य साधन बन्द हो जाते हैं – शरीर और स्वास्थ्य दूसरे कार्य की अनुमति नहीं देते हैं और आपके नियम भी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में काम करने से रोकते हैं तो जब रुपये की वेल्यू 20 पैसे होगई है और यह आपने स्वयं ने स्वीकार किया है तो फिर आप उसी लकीर के फकीर बनकर चलें तो समझ में नहीं आता है । आपके आस पास के दूसरे प्रदेश हैं। न केवल यह केन्द्रीय सरकार की बात है बल्कि अन्य राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है– वेस्ट बंगाल ने किया है, बिहार ने किया है, हरियाणा ने किया है, पंजाब ने किया है, गुजरात ने किया है वगैरह वगैरह सरकारों ने अब घोषणायें कर दी हैं और जब हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने इस बजट में सदन में घोषणा की है कि कम से कम राजस्थान की वित्तीय स्थिति ऐसी होगई है जो वास्तव में बहुत साउन्ड है और बड़ी उपलब्धि की बात की, और जो बजट भाषण का प्रासपेक्ट निकला माननीय वित्त मंत्री के भाषण का सिनोपसिस कि सारे के सारे मामले को खतम करके राजस्थान को नया जीवन दे दिया है टेबिल टर्न कर दिया गया है · · · ·

श्री चन्दनमल बैद : टेबिल टर्न नहीं किया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : · · · · · जो आपकी गरीबी की टेबिल थी, ओवर ड्राफ्ट की टेबिल थी या केन्द्रीय सरकार से भिक्षा मांगने की टेबिल है, उसको टर्न कर दिया है । वे ऐसा मानते हैं तो फिर उसका प्रतिबिम्ब हर क्षेत्र में देखने को मिलना चाहिये। पेन्शनर्स यह कहें कि हमारी पेन्शन भी प्राइस इन्डेक्स से लिन्क कर दीजिये और उसको यह कह कर टाल देना कि सरकार विचार कर रही है । इस मामले में मैं समझता हूं आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेने वाले नहीं हैं और सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर कोई इसका असर पड़ने वाला नहीं है और जब वे यह कहते हैं कि हमको अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में नौकरी करने की छूट दे दो तो अब इसमें आपको क्या दिक्कत है ? उन्होंने यह मांग की है जिस प्रकार दूसरे सर्विस वालों के बच्चों को एज्यूकेशन फैसिलिटी देते हैं उसी प्रकार की एज्यूकेशन फैसिलिटी हमको भी दे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दीजिये इसमें क्या दिक्कत है ? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने आप मान लेनी चाहियें ये ऐसे मामले नहीं हैं कि पोस्टपोन कर दें और विशेषकर आपने जब आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस० और जो हाइली प्लेस्ड हैं इनको जो सम्मान दिया है, उनको ऐकोमोडेट करने की कोशिश की है । उनके डी० ए० के बारे में पेन्शन के बाद भी लिन्क किया है तो साधारण तबके के लिये भी यह विकासशील सरकार, जन कल्याणकारी सरकार, लोक कल्याण की सरकार न करे तो समाजवाद की श्रेणी से और भी दूर हो जाती है । एक तरफ आप उच्च वेतन प्राप्त करने वाले पेन्शनरों को सुविधा देते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनके लिये नहीं करते हैं तो सरासर अन्याय है इसलिये मेरा निवेदन है माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि इसकी आज निश्चित घोषणा करें ।

विचाराधीन वाली बात नहीं चलेगी । इसको दया पर मत लीजिये, करुणा पर मत लीजिये, लेकिन यह एक प्रश्न है न्याय का है राजस्थान में भी आज घोषणा कर दीजिये या फिर आज नहीं करना चाहते हैं तो टाइम बाइन्ड कर दीजिये । आप यह चाहते हैं कुछ दिनों बाद यह सदन समाप्त हो जायगा और जनता के बोलने वाले लोग जो यह मांग उठाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में चले जायेंगे तो फिर कुम्भकरण की निद्रा में सो जायेंगे फिर 6 महीने बाद मिलेंगे तब देखेंगे और जो पेन्शनर्स आये हैं वे भी चले जायेंगे, उनका चिल्लाना भी बन्द हो जायगा तो मेरा निवेदन है यह चलने वाला नहीं है । मैं प्रार्थना करूंगा इस बारे में आज घोषणा करें कि यह तो हम आज मान लेते है और जो अन्य मुद्दे हैं उन पर एक सप्ताह में घोषणा कर देंगे और यदि यह भी नहीं, वह भी नहीं तो मैं समझता हूं सरकार की नीयत में कोई दूसरी बातें हैं । मैं उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे मुख्य मंत्री पर इस प्रकार का दबाव डालें ।

श्री केदारनाथ : इस पर वोटिंग हो जाय तो ....;

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वोटिंग करा लीजिये ....

श्री चन्दनमल बैद : क्वेश्चन क्या है जिस पर वोटिंग हो जाय । आपने सरकार का ध्यान आकर्षण किया है, हमने जवाब दे दिया ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पेन्शनर्स एसोसियेशन की तरफ से हमको भी मेमोरेन्डम दिया है कि सदन में ध्यान आकर्षण किया जाय तो मेरा निवेदन है यह प्रश्न मानवीय दृष्टिकोण का है । पेन्शनर्स जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनकी जो पेन्शन फिक्स हुई है, वह नाममात्र की है । वह पेन्शन तो पेन्शनर्स के लाने ले जाने में ही खर्च हो जाती है बहुत ही थोड़ा अमाउन्ट है । माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अभी 11 करोड़, 12 करोड़ की तीन किस्तें दी हैं और जब केन्द्रीय सरकार ने निर्णय ले लिया है और जब यह मांग आई है बिलकुल वाजिब है, मैं आपके मार्फत वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको पेन्शन अच्छी हालत में मिलती है तो वे केवल एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन अधिकांश वर्ग की हालत बहुत ही खराब है । बहुत गंभीरता से विचार करके और उन पर बहुत ही

Page No 56

(56)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सहानुभूतिपूर्ण रुख अपना कर कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिये और कुछ राहत दी जानी आवश्यक है ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । सारा मामला विचाराधीन है और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो इस बारे में विचार प्रकट किये हैं जब इस मामले पर निर्णय किया जायेगा तो विचारों का पूरा ख्याल रखा जायेगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कब तक लिया जायेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : सरकार पूरा विचार करके ही निर्णय लेगी ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं समझता हूं कि सेन्टर में इन्क्रीमेन्ट हुआ है और वह जायज है और आप डिक्लेरेशन कर देते हैं तो उचित ही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : एक समय में एक ही माननीय सदस्य खड़े हों ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जब इन पेन्शनर्स का एक शिष्ट मण्डल माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि हम 10 दिनों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आपको निर्णय सूचित कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक यह कहना चाहिए कि इतने दिनों में या सत्रावसान के पहले इस पर निर्णय ले लिया जायेगा और यह श्रेय उनको लेना चाहिए कि एक दो दिन में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय ले लेंगे । अभी बजट सत्र है और आप सप्लीमेन्टरी बजट लायेंगे तो सप्लीमेन्टरी बजट में इस सारे भार को यह वहन कर लें और उसमें ले आयें तो रेगुलेराइजेशन हो जायेगा । 6 महीने बाद लायेंगे तो आप ध्यान नहीं देंगे । इसलिए अभी बजट सत्र चल रहा है और सप्लीमेन्टरी बजट आप पेश करने के लिए जायेंगे और इन मांगों को आप मान लें और अभी सदन की स्वीकृति ले लें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग जानते हैं और इस बात को चाहते हैं — कांग्रेस पार्टी के लोग भी चाहते हैं और विरोधी पार्टी के सदस्य भी चाहते हैं । वित्त मंत्रीजी ने जब और बातों की घोषणा की है तो गम्भीरता से वह सदन में कहें और यह बात नहीं सोचें कि हमने ध्यान आकर्षण किया है इसलिए हमारी बात नहीं मानें, यह किसी दल विशेष की बात नहीं है, यह मानवीय प्रश्न है और यह बात आपको माननी चाहिए ।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सोचते थे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, में यह होगा, वित्त मंत्री महोदय के भाषण में होगा और फिर सोचा कि रिप्लाई आयेगा उसमें होगा । लेकिन यह किसी समय भी नहीं आया । अब आपको इससे अच्छा मौका और कौनसा मिलेगा ? फिर आपने इस मसले कर एग्जामिन भी कर लिया कि कितना फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन पड़ेगा । केबिनेट की मीटिंग भी 2 बजे हो रही है तो आप क्यों नहीं कह देते कि इसी सेशन के ऐडजोर्न होने से पहले पहले आप इसका रिप्लाई दे देंगे ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो एक ही जवाब चाहते हैं कि सत्रावसान

(श्री रामकिशन)
हो उससे पहले राज्य सरकार अपने निर्णय की सूचना देगी या नहीं देगी केवल इतना बता दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारे लोग अनसरटेंटिटी में रहें इससे क्या होगा । माननीय मंत्री को इस पर मौन नहीं साधना चाहिए और कोई न कोई जवाब देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : It is the sweet discretion of the Government. I cannot compel the Government.

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आसन तो गूंगे व्यक्तियों को भी बुलवा सकता है जिसमें यह तो बोलने वाले हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आंख जोर की दिखाइये शायद बोल जायें ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी का जो रुख है मैं समझता हूं कि सदन के लिए और सरकार के लिए भी बहुत ही अजीब प्रकार का रुख है । हम तो केवल यह चाहते थे कि 31 तारीख से पहले पहले आप मना भी कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि पेन्शनर्स के मामले में जो रुख माननीय मंत्री महोदय ने अपनाया है और जैसा मंत्री महोदय का रुख रहा है और सदन में जैसा आपका रुख है मैं समझता हूं कि इसके विरोध स्वरूप हम सदन को त्याग कर दें और उनके रुख की हम निन्दा करते हैं ।

(श्री रामकिशन का समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का रुख है कि इनको घोषणा करनी चाहिए और अगर इस ह्यूमन प्राब्लम पर भी सिम्पेथी और हमदर्दी के साथ कोई रुख नहीं अपनाना चाहते हैं तो हमको भी मजबूरन फैसला करना है ।

'हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक'

इसलिए मजबूर होकर हम यहां से वाक आउट कर जायें ।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली का भाकपा के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्परा के अनुसार जिस रुखे तरीके से शासन दल की ओर से और माननीय मंत्री महोदय की ओर से उपेक्षा की जा रही है और उत्तर तक देने के लिए तैयार नहीं हैं और इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हैं और यह भी नहीं कहते हैं कि कब तक घोषणा कर देंगे तब फिर सदन में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है । हम एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि उससे माननीय मंत्री महोदय के ऊपर असर पड़ेगा ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा का जनता मोर्चा के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, डिस्क्रिमिनेशन की हाइट है कि जो लोग 1-11-74 को रिटायर होंगे उनको पेन्शन 675 होगी और 40 रुपया होगी और

(श्री केदारनाथ)
ग्रेचुटी भी 13 और 15 टाइम होगी और पेन्शनर का 30180 है तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसी सरकार कभी सोशियेलिस्टिक पैटर्न पर चलने की बात नहीं कर सकती है इसलिए मैं भी प्रोटेस्ट में वाक आउट करता हूं।

(श्री केदारनाथ का सदन से बहिर्गमन)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझाने का प्रयत्न करूं शायद वह वापिस आ जायें।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगें–प्रस्तुतिकरण एवं विचार।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अहाते में एक पिस्तौलधारी की गिरफ्तारी संबंधी प्रस्ताव

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि 18 मार्च को इलाहबाद हाई कोर्ट के अहाते में एक पिस्तौलधारी पकड़ा गया–उसके बारे में प्रस्ताव दिया था और संसद ने एक उसके बारे में निन्दा प्रस्ताव भी पास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह माननीय अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। तो कल या परसों जब भी माननीय अध्यक्ष उचित समझेंगे निर्णय ले लेंगे, उस समय आपको बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य आप तो बहुत अनुभवी हैं जब तक आसन की तरफ से व्यवस्था नहीं सुनाई जाये तब तक बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि ध्यान आकर्षण के बाद इस पर चर्चा की जायेगी।

श्री शंकरलाल : मैं खड़ा हुआ था तो उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसके बाद इसको लिया जायेगा। इस पर व्यवस्था हो जाये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें कन्ट्रोवर्सी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि आज की कार्य सूची मेरे पास है और आज की कार्य सूची में माननीय सदस्य जिस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उसको दर्ज नहीं किया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी जहां तक मुझे मालूम है, मैं भी यहीं था और जैसी मैंने टेबल आफिस से जानकारी ली है इस तरह का आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस समय इसको नहीं लिया जा सकता।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, 306 नियम बहुत स्पष्ट है। इस पर हाउस की कान्शश है कि इसको लिया जाये तो आसन को क्या आपत्ति है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से बात कर रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है इस पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जायेगा तो फिर इस मामले में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसको यहीं रहने दें। सरकार की तरफ से आ जायेगा। तो उचित रहेगा।

श्री शंकरलाल : विरोधी पक्ष की तरफ से भी किसी को ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री शंकरलाल : ग्रौर ग्राप हाउस की राय ले लें, इस पर ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके लिए व्यवस्था दे चुका हूं । मैं ग्रनुमति नहीं दे सकता जब कि कार्य सूची में नहीं ग्रा जाता है या माननीय ग्रध्यक्ष की ग्रोर से सहमति नहीं मिलती है । इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ग्रनुदान की मांगें प्रस्तुत करें ।

ग्रनुदान की मांग

मांग सं० 27, 19, 20, 21, 22, 26, 28, व 33 **का प्रस्तुतीकरण**

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,38,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी ।

श्री हीरालाल देवपुरा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,41,23,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्ति होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,03,58,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,87,72,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,98,88,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्री ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 26 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,64,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 28 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद मफ्फार ग्रली ।

श्री गुलाबसिंह : एक डिमाण्ड ग्रौर है साहब ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Page No 60

(60)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,39,95,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 27, 19, 20, 21, 22, 26, 28, व 33 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल बाजार, जयपुर) ।

श्री **मनोहरलाल** (कामां) :

श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) :

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) :

श्री **मीठालाल मीणा** (लालसोट) :

1. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान नहर क्षेत्र का उचित विकास न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

2. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 1 रुपया कम कर दिया जाय (लोक स्वास्थ्य प्रयोग-शालाओं के प्रभाव पर चर्चा के लिये ।

3. मांग संख्या 26, मुख्य शर्षिक 695 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों को कर्जा दिये जाने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतनमान में असफलता पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 26, मुख्या शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में जनता को औषधियां उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में एक जिला अस्पताल बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित जनाने अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में दूषित पेय-जल वितरण करने पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में पेयजल के स्थायी समाधान के लिये बनाम योजना लागू करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :

11. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विवेकानन्द गृह निर्माण कचरा बस्ती, जयपुर की कोलोनी में विभाग द्वारा अब तक जल की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विवेकानन्द गृह निर्माण कचरा बस्ती, जयपुर के निवासियों को विभाग द्वारा अब तक नल के कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विवेकानन्द गृह निर्माण कचरा बस्ती, जयपुर को स्थायी पट्टे व साइड प्लान न दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विवेकानन्द गृह निर्माण कचरा बस्ती, जयपुर की कोलोनी में नाले आदि का निर्माण न कराये जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

15. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद बोर्ड के अस्पताल को राज्य सरकार द्वारा लाने के पश्चात् सुधार करने व स्वास्थ्य हेतु दवाइयों का वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद अस्पताल में हड्डियों का विशेषज्ञ डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पतालों में गरीबों की चिकित्सा समय पर नहीं होने पर व मृत्यु हो जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के अधीनस्थ कर्मचारियों के लक्ष्य पूरे नहीं होने व वेतन वृद्धि की रुकावट पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सही ढंग से पूंजी को नहीं लगाने पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में बनाई गई सड़कों पर सही ढंग से बरडा नहीं डालने व पुलिया बनाने के तुरन्त पश्चात् टूट जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (ग्रामीण स्कूलों के भवनों नसीराबाद महाविद्यालय के भवन में दरारें पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री शंकरसिंह रावत)

23. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल में अपाहिज, लंगड़े, लूले, बूढ़े व्यक्तियों को विशेष सहायता देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोशावड़ा (फागी):

24. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में आयुर्वेद औषधालयों की दशा सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में पी०एच० सी० सेंटरों में दवाइयों की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू एवं फागी तहसील में मुख्य मुख्य कस्बों में नल योजना चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जलपूर्ति ठीक ढंग से करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक परिवार नियोजन केन्द्र पर महिला डाक्टर नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन में जो खर्च किया जाता है उसका सही हिसाब नहीं रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से मालपुरा रोड़ को दो दो फुट दोनों ओर से चौड़ी कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से चाकसू सड़क को दो दो फुट दोनो तरफ से चौड़ी कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाद (फागी एवं चाकसू तहसील में नई सड़कें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी से चाकसू रोड़ को डामर करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री जयकिशनलाल फागी)

35. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सड़कों की दयनीय दशा सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में अति शीघ्र अकाल राहत कार्य खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर :

37. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम दवाखानों की कमियों को दूर करने हेतु चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दवा की व्यवस्था का बजट बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दवा खरीद में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीमारियों को रोकथाम करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छुआ छूत की बीमारियों को दूर कराने और स्वच्छ जल प्राप्त करवाने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुसलमानों में भी यह योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक केन्द्रों में परिवार नियोजन हेतु जबरन आपरेशन करने पर चर्चा के लिए)।

44. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण ठेकेदारों द्वारा निर्माण में पूरा सामान न लगाने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीबों को सस्ते मकान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टूटी हुई सड़कों और पुलियों का निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं नगर की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुलियों की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों का समय पर पूर्ण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

Page No 64

(64)

(श्री दीपंकर)

50. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछले अकाल की रकम बकाया है, उसे चुकाने हेतु चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा हेतु दवा की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

52. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नान-क्लीनिक डॉक्टरों के भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कई डाक्टरों का एक ही वर्ष में कई बार स्थानान्तरण करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में कार्यरत प्रोफेसरों को सीनियर होते हुए भी पदोन्नत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूषित पेयजल उपलब्ध कराने से जयपुर की 90 प्रतिशत जनता के कीड़ों की बीमारी से पीड़ित रहने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की उचित जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में पुरानी बस्ती व रामचन्द्रजी की चौकड़ियों में पेयजल के उचित प्रेशर हेतु छोटे रास्तों में बड़ी पाईप लाइन डलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन हेतु जितना पैसा व्यय किया जा रहा है उससे चौथाई लाभ भी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किये जाने में होने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (छन) :

62. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा की पूरी सुविधा सभी को उपलब्ध नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

63. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य मार्गों की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

64. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़):

65. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में चिकित्सा की वर्तमान व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

66. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चिकित्सालय की दोषपूर्ण व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

67. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन के कार्य-क्रम के असफल होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

68. मांग संख्या 280, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में और तेजगति लाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित कार्यों के निर्माण की गति बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

70. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनी सड़कों की दुर्गति के संबंध में चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल का स्थायी हल निकालने हेतु योजनाबद्ध कार्य-क्रम अपनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) :

72. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में समय पर दवा न भेजने तथा कम भेजने पर चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एलोपैथिक अस्पतालों में दवाई आदि समय पर न देने तथा पूरी नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

74. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के ग्रामों में व शहरों में जल प्रदाय योजना के माध्यम से समय पर पानी उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये) ।

75. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सड़कों की

Page No 66

(66)

(श्री सांवरमल मोर)

मरम्मत न होने से जनता को होरही परेशानी पर चर्चा के लिये) ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

76. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं दिया गया, बीमारों का सही ढंग से इलाज, समय पर दवाइयां आदि नहीं मिलती, इस पर चर्चा के लिये) ।

77. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के कस्बा नोखा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में इन्डोर पेसेन्ट्स की व्यवस्था तथा डाक्टरों की पूर्णरूप से व्यवस्था और इसे रैफल चिकित्सा केन्द्र बनाया जाना आज तक नहीं बनाया गया है, इसलिये बनने पर चर्चा के लिये) ।

78. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों एवं कम्पाउण्डरों के तबादलों के सम्बन्ध में होने वाली अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये) ।

79. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

80. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर एवं ग्राम पांचू (तहसील नोखा) जो, कि बीकानेर जिले के सबसे बड़े गांव हैं और इसके इर्दगिर्द में 40 मील के घेरे में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा न होने के कारण चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में राजस्थान नहर के निर्माण कार्य एवं बढ़ती आबादी के कारण तेजी से डिस्पैन्सरी में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुपात में बजट बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये) ।

82. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सेवाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की पालना नहीं किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और न ही इस ओर कोई ध्यान दिया गया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में राजस्थान लिफ्ट नहर से पीने के पानी की व्यवस्था कराने के लिये चर्चा के लिये) ।

85. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कम कर दिया जाय (अरजनसर, महाजन, पीपेरा, मलकीसर, हरियासर, काकड़वाला, खोखराणा, डेलाना, फूलदेसर, रोझा ग्रामों में मनुष्यों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदेसिया, ऊंचाइडा, सुरनाणा, हुंसेरा, दलमेरा, धीरेरा ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

87. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत कुजटी, ग्राम पंचायत सोढ़वाली, ग्राम पंचायत ग्राम कुंभाणा क्षेत्र की ग्रामीण जनता को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये) ।

88. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत जागीर एवं खानीसर क्षेत्र की ग्रामीण जनता को पानी के पीने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

89. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में परिवार नियोजन कार्य हेतु जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

90. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर बीकानेर – गंगानगर एवं रतनगढ़ के बीच बड़े भू–भाग में प्रसुति-गृह कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

91. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिशाषी अभियन्तों, सहायक अभियन्ताओं एवं जूनियर इंजीनियरों के तबादलों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरूप से की जाने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के आदेश के बावजूद हनुमानगढ़ व बीकानेर के इन्जीनियरों के तबादले करने पर चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में अनुसूचित जाति के लिए नियुक्तियों में समुचित आरक्षण न दिये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

94. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर से सूरतगढ़ जाने वाली सड़क के हरवर्ष आंधियों से अवरुद्ध होने पर मनमाना खर्च को रोकने हेतु स्थायी हल निकालने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर क्षेत्र की सीमा में लूणकरणसर से सरदारशहर सड़क को लम्बी अवधि से कच्ची

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रखने से भयंकर कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कात्तर ग्राम से नोखा के बीच में नोखा-सुजानगढ़ सड़क की खराब हालत की मरम्मत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

97. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 506 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर प्रोजेक्ट कार्यालय के नव-निर्माण में हुए भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

98. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 511 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के लूणकरणसर चिलिंग भवन नव-निर्माण के कार्य सम्पन्न न होने के अन्देशों पर चर्चा के लिये) ।

99. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल पीड़ित मजदूरों को समय पर पेमेन्ट न किये जाने से उत्पन्न निराशा से होने वाले संभावित खतरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

100. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में अकाल पीड़ित व मवेशी मालिकों का अपने मवेशियों को बचाने हेतु अन्य जिलों एवं अन्य प्रान्तों में गये लोगों की सहायतार्थ पर चर्चा के लिये) ।

101. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर एवं लिफ्ट पर लगे अकाल पीड़ित मजदूरों की चिकित्सा, सर्दी गर्मी से बचने की व्यवस्था न होने की स्थिति में बीमारियों के प्रकोप एवं मौतों के होने पर चर्चा के लिये) ।

102. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मवेशी पालकों को इस अकाल में घास केवल लूनकरणसर में 19 रुपये 60 पैसे प्रति क्विन्टल की रेट्स से खरीदने की क्षमता ऊंची दर पर न होने की स्थिति में राठी नस्ल की गायों को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

103. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के गरीब अकाल पीड़ित लोगों के लिये पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

104. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के अकाल पीड़ित कृषकों के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं भोजन के अभाव में परीक्षा से वंचित रहने के संदेह पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील के अकाल पीड़ित असहायों की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
भूख से, बीमारी से एवं मौत से रक्षा करने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री झाबरमल सूण्डा (वि०सं० 50) प्रस्ताव करेंगे कि :—

106. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर–शेखावाटी क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी तथा वर्तमान औषधालयों में अपर्याप्त स्टाफ पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर–शेखावाटी क्षेत्रों के राजकीय औषधालयों में दवाओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर–शेखावाटी क्षेत्र के खारे पानी के 22 गांवों में पाइपों से जलपूर्ति कराने हेतु चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

110. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मंडावा सड़क निर्माण कराने पर चर्चा के लिये) ।

111. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावा से फतेहपुर सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर–शेखावाटी क्षेत्र में सड़कों की दुर्व्यवस्था एवं कमी पर चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में कार्यरत मजदूरों को समय पर भुगतान न होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

114. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व परिवार नियोजन केन्द्र, कालू पंचायत समिति, लूणकरणसर एवं प्राथमिक केन्द्र, नापासर के अन्तर्गत उप-केन्द्रों पर स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये) ।

115. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं को क्रियान्वित हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र के खारे एवं विराइजड़े पानी वाले गांवों के लिये राजस्थान मुख्य नहर एवं लिफ्ट के स्रोत पर बनाई गई क्षेत्रीय जलप्रदाय

(श्री भीमसेन)

योजनाएं जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, वित्तीय प्रावधान न किये जाने एवं निश्चित समयावधि में पूरा न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, शेखसर (लूणकरणसर) व जालवाली बदसर को समय पर पूरा न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराइजड़े पानी वाले गांव खारड़ा के लिये राजपुरा कूवे के आधार पर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना क्रियान्विति में तेजी लाने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की नहरी पानी के आधार पर तैयार की गई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं, जिनका तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से मिल चुका है, की क्रियान्विति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पर्याप्त धन का प्रावधान करने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में सन् 1951 से 70 तक योजना, गैरयोजना मदों एवं अकालराहत फण्ड से बीकानेर जिले में बहुत कम खर्चा हुआ है वहां की पेयजल की गंभीर समस्या के अनुरूप आयन्दा के लिये पर्याप्त अर्थ व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के विभिन्न परिवार नियोजन केन्द्रों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन केन्द्र, नापासर को जैमलसर स्थानान्तरण किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नापासर—गुसाईंसर सड़क जो कि कैश प्रोग्राम व विभागीय राशि से निर्मित हुई थी उस पर डामर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अर्जुनसर से जैतपुर सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण कार्यों में भेदभाव बरतने की नीति को बदल कर आर्थिक महत्व की सड़कों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सत्तासर से पूंगल राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत

(श्री भीमसेन)

स्वीकृत सड़क के निर्माण को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये) ।

127. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय कृषि फार्म, सूरतगढ़ में रबी फसल की कटाई के बाद बीकानेर जिले की अकालग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों को चरने की सुविधा दिलाने पर चर्चा के लिये) ।

128. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लूणकरणसर की रेल टेंकर्स के बजाय स्थानीय नहरी कॉलोनी से पाइप द्वारा मीठा पानी उपलब्ध कराने की योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र की ग्रामीण जनता के लिये अकाल राहत कार्य न खोलने से उत्पन्न दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर जिले में कुवों से पानी निकाल कर खारे पानी वाले गांवों में पहुंचाने हेतु व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): 131. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों के स्थानान्तरण की राजकीय नीति के अभाव में फैला हुआ भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में पर्याप्त डिस्पेन्सरीज के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

133. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

134. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस० एन० मेडिकल कॉलेज, जोधपुर एवं सम्बन्धित अस्पतालों में कमियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कार्य करने वाले आर्टिस्ट, मोडलर एवं फोटोग्राफर के विशेष वेतनमानों में विषमता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

136. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग में कार्य करने वाले इन्जीनियर्स एवं ओवरसियर्स के ट्रान्सफर की नीति के अभाव से उनमें फैली हुई निराशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

137. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर को इम्प्रूवमेंट ऑफ मीस व अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पानी के नलों के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि आवण्टन न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

138. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर तहसील की अधूरी डिग्गाड़ी–चैनपुरा ग्रामीण जल योजना को आगामी वर्ष में पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

139. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 482 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में अपर्याप्त एवं टूटी सीवर लाइन को लगवाने एवं मरम्मत के लिए और महामन्दिर चौराहे से कमला नेहरू हाल तक की सीवर लाइन के टेन्डर इनवाइट होने के व आउट फाल सीवर लाइन में पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद भी इस हेतु कोई ऋण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्ष 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले इंजीनियर्स एवं ओवरसियर्स के ट्रांसफर की नीति के अभाव से उनमें फैली हुई निराशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की पाचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में नई सड़कों के निर्माण के लिए अत्यन्त कम धनराशि आवंटन करने पर चर्चा के लिये) ।

142. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा स्पेशल एम्प्लायमेंट स्कीम के अन्तर्गत जयपुर नगर की सड़कों एवं नालों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु 17.15 और 18.00 लाख रुपयों का वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः आवंटन करना परन्तु जोधपुर नगर को कुछ न देकर अन्याय करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

143. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

144. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री राम गोपाल (किशनगंज) :

145. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों में रिक्त स्थानों के कारण पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हुई इससे व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

(श्री राम गोपाल)

146. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगाने, दन्त व आंखों के चिकित्सक की पोस्ट स्थापित करने व रोगियों को पर्याप्त सुविधा हेतु पलंगों व भवन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालय, बारां में जन सुविधा हेतु रोगी वाहन की कमी पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कई कम्पाउण्डरों को जिला कोटा से लगातार बार बार स्थानान्तरण किये जाने से क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की जल-प्रदाय योजनाओं का सुधार व शाहबाद में हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण में कोटा जिले की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा-शिवपुरी मार्ग पर समरानिया से कस्बा थाना तक डामर किये जाने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सड़कों को पक्की करा कर डामर बिछाए जाने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में विश्राम गृह के अभाव पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल का स्थाई हल निकालने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा):

155. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार न उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये बजट में धौलपुर उप-जिले में कोई भी नई सड़क न बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सड़कों व पुलिया को न बनाने व अधूरे रहने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों व डिस्पे-

(श्री गोपीलाल)

लरियों में बिमारों को समय पर औषधियां व अन्य सुविधायें न मिलने पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बड़ोद की नल-योजना को चालू करने व ग्राम पीपल्दा गेंता मण्डावरा की नलयोजनाओं की राशि जमा होने पर भी कार्य चालू न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

160. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बकानी असनावर प्राथमिक हैल्थ सेन्टर व रटलाई ग्राम में डाक्टर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाओं एवं देख-रेख की कमी की चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के चिकित्सालयों में अव्यवस्था की रोगियों द्वारा शिकायतों की ओर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ चिकित्सालय में रोगीवाहन न होने व खून देने की व्यवस्था न होने से बीमारों की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, असनावर (जिला झालावाड़) भवन को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाकानी व असनावर ग्राम, जिला झालावाड़ की नल योजनाएं पूरी करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन-सुनेल रोड़ को पूरा न कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर–कोटा–भोपाल को राष्ट्रीय मार्ग बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की सड़कों की खराब हालत व मरम्मत न होने के कारण चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 75

(75)

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में काली सिंध व अरनिया नदी के पुल को ऊंचा करने व टूटी हुई पुलियों की मरम्मत किये जाने की चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

170. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बिग्गा में वार्ड प्रसूति के लिये निर्माण करवाने तथा मोटर गैरेज निर्माण की चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में स्वच्छ पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन केन्द्रों पर अधिक कार्य करने वाले चिकित्सकों को विशेष सुविधा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक अभियन्ताओं के हैडक्वार्टर्स निर्धारण के संबंध में चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 295 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ में सहायक अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रेस प्रोग्राम में बनी सड़क कीतासर, सीतलनगर, सेरणा, सूड़सर को योजना में लेकर डामर युक्त कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एप्रोच रोड़ बिग्गा रेल्वे स्टेशन, नेशनल हाइवे नम्बर 11 तक डामर युक्त कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेल्वे क्रासिंगों पर पुलियाओं की सुविधा हेतु चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 477 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ छात्रावास के भवन में समय लगने से हुई क्षति के संबंध में चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 480 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरदारशहर डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण में समय लगने व उसमें हुए घोटाले के संबंध में चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछले अकालों में लगे श्रमिकों को बकाया भुगतान को उनके नाम गलत दर्ज कर राजस्व अथोरिटी में भेज देने से भुगतान न होने पर चर्चा के लिये)।

(76)

(श्री लूणाराम)

181. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की सड़कों के लिये निकाले गये धोधड़े को समय पर न तो काम में लेना और न ही नीलाम करना इस सम्बन्ध में पिछले अकालों में लगे सारे धन की बर्बादी हुई, पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विगत अकालों में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बनाये गये फर्जी मस्टर रोल के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समय पर अकाल कार्य आरंभ न करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था न करना, असहाय लोगों को समय पर सहायता नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरी सड़कें जो पिछले अकाल के समय में रह गई थीं आठसर, पूनरासर, ठुकरियासर, भादासर, बानाकातर, डूंगरगढ़, हराया, डूंगरगढ़, सांवतसर, डूंगरगढ़, कालू, तेजियोसर, बिग्गा, सरणाकातर, सैरुणा, पुनरासर, मामासर, राजल देसर को अब पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल पीड़ित क्षेत्र में पशुओं के लिये चारा, तकावी उपलब्ध कराने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग) :

186. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा प्रणाली में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की सुविधा तथा अनुसूचित जाति व जन-जाति को पेयजल की सुविधा हेतु चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के अधिक व्यापक कार्यक्रम अपनाने हेतु चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्य समय पर प्रारंभ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) :

191. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 77

(77)

(श्री नारायण सिंह)

कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य शीघ्र प्रारंभ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की सड़कों की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होस्पीटलों में दवाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर):

194. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में मरीजों को उचित सुविधा नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल से पीड़ित लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की असफलता के कारणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की उपलब्धि की कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर):

199. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निरन्तर 10 साल तक अकाल स्थिति बने रहने से जैसलमेर जिले के लोगों में उत्पन्न कठिनाई व असंतोष पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल स्थिति में राज्य को सजगता पूर्वक अपने दायित्व को निभाना चाहिये, लेकिन उपयोगी तरीके से, इस पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र केवल विभाग द्वारा संचालित नलयोजनाओं तक ही सीमित करना अनुचित, इसे बढ़ाकर सभी जल स्त्रोतों जहां से पानी पेयजल के काम में मानविक जनसंख्या द्वारा लिया जाता है वहां तक पहुंचना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 78

(78)

(श्री भोपालसिंह)

202. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान चिकित्सा प्रणाली ग्राम क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या व उनकी इस सम्बन्ध में अपेक्षा के परिपेक्ष्य में न तो उपयुक्त है और न ही पर्याप्त है इस दिशा में आमूल चूल परितवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

203. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के चिकित्सालयों के सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में पेयजल समस्या व जलप्रदाय योजनाओं की व्यवस्था सुधारने पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में नई सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा अस्पतालों में दवाओं की कमी तथा टोडाभीम राजकीय औषधालय में बजट कम होने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सड़कों की दुर्दशा, नादौती तहसील मुख्यालय पर डाक बंगला न होना, सवाई माधोपुर–अलवर स्टेट हाइवे शहर से तालाकिड़ा की दुर्दशा से जन असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों पर किया गया व्यय अकाल की विभिषिका को मिटाने में सहायक नहीं हुआ है तथा धन का सदुपयोग नहीं हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल का स्थायी हल निकालने पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

210. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जनाने चिकित्सालय में सर्जरी हेतु सामान कम होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उचित दवाईयों की कमी व फालतू दवाइयां की खरीद से उत्पन्न कठिनाइयां पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री अजीतसिंह)
कम कर दिया जाय (जिला टोंक सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 265 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागों की बिल्डिंग की समय पर मरम्मत व सफेदी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में अकाल सहायता में अनावश्यक कार्य हाथ में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

215. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन केन्द्र अलग जगह पर रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 477 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाला भवन जो जन सहयोग से निर्माण हुये हैं, उन के मैन्टीनेन्स के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमंद तहसील में अकाल सहायता व बनास नदी पर बाढ़ से पुल टूट गया उसे ठीक कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमंद तहसील में भयंकर अकाल के कारण अकाल राहत कार्य चलाने हेतु चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुरज से गडंडी तक स्टेट रोड को मिलाने के लिये लिंक रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमंद क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजसमंद पी० एच० सी० को होस्पिटल में परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन केन्द्र रेल मगरा में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :

224. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक

Page No 80

(80)

(श्री रामलाल)
280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये कार्यों में और सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

226. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर सरकारी अस्पताल में समय पर दवाइयां व अन्य सामग्री समय पर न मिलने से बीमारों का ईलाज नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों आदि का चलता फिरता दवा खानों की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में खास तौर से बीकानेर जिले में सड़कों को सम्पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संक्रामक रोगों के उन्मूलन हेतु योजना की विफलताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में परिवार नियोजन की ओर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए सफलता बहुत कम मिली है, इस पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में बसने वाले मध्यम श्रेणी के लोगों को अकाल के समय में किसी भी तरह की आज तक सरकार द्वारा सहायता व महनताना व मजदूरी नहीं दी गई है, अतः दिलाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हेमीराज (सराड़ा)।

232. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में डिस्पेन्सरी खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के नठारा की पाल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के ग्राम चावण्ड व सराड़ा गांव में नल योजना स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री देवीलाल)
कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में विश्राम गृह का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सल्लाड़ गांव के पास और बणाखुर्द के पास गोमती नदी पर पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा की सड़कों को पंचवर्षीय योजना में लेकर निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में अकाल सहायता कार्य खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री मगराज चौधरी (रानीवाड़ा):

239. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले की पंचायत समिति जसवंतपुरा के मुख्यावास पर डिस्पैन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले की भीनमाल तहसील में खारे पानी के गांवों में मीठा जल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में सड़कों के पूर्णतया अभाव के संबंध में चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में अकाल राहत कार्य खोलने, चारे एवं पानी की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमानसहाय (बैराठ):

243. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद स्नातकों को जन शक्ति विभाग में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था एवं आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सुविधा संस्थानों को स्थानान्तरित कर जन सुविधा के स्थानों पर स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेडिकल डिस्पैन्सरी, शाहपुरा को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बाघावास, चौरासी, देवल, फांट, नवलपुरा, नयावास, रानीपुरा, बिदारा में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(82)

(श्री हनुमानसहाय)

247. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराटनगर तहसील की सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रही अपूर्ण सड़कों की स्थिति एवं दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैड़ से प्रतापगढ़, शाहपुरा से नीमकाथाना, मनोहरपुर से प्रतापगढ़ वाया धोला सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराटनगर तहसील के अकाल सहायता के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नायना, अमरसर, शाहपुरा एवं मनोहरपुर तथा बैराठ की नलयोजनाओं की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)

252. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम धवली-राडावास, भामरू, करीरी, मैड, तहसील विराटनगर के ग्रामों में पेयजल हेतु नलयोजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर-पश्चिम):

253. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्टेनसिव केयर प्रोग्राम की उपलब्धियों पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत कार्य चालू करने में जिले के विधायकों की राय न लेने पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर के बीचों-बीच नेशनल हाईवे सड़क की कोई मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर के तोपदड़ा रेल्वे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने व मारटिन ब्रिज को चौड़ा न करने पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत माग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर की वे सड़कें जो सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर दी गयी हैं उनकी दयनीय हालत पर चर्चा के लिये)।

(श्री किशन मोटवानी)

258. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नेशनल हाईवे पर किशनगढ़ उप-पथ व अजमेर उप-पथ की सड़कों के कार्यों को अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर की सफाई के लिये सिवरेज स्कीम व नालियों का निर्माण कार्य चालू नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर की पेय-जल की वितरण प्रणाली जो बहुत पुरानी है वह आधुनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये सक्षम नहीं है, उसके लिये प्रावधान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पानी की दर बढ़ाने पर वे बिलों के भुगतान में तकलीफ व नये कनेक्शन के लिये जनता की अनावश्यक तकलीफ पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

262. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उचित चिकित्सा सुविधा दिलाने में सरकार की असफलता पर व गांवों में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के समस्त गांवों को सड़कों से जिला मुख्यालय से जोड़ने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

264. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा नगर और तहसील में समुचित चिकित्सा अभाव पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-गोवर्धन औषधालय को रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेगल व उनबभन ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-मचीन्द सड़क की उपयोगिता और उसके विकास पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया

(श्री मनोहर कोठारी)
शीशोदा-सांमा का खेड़ा सड़क को प्लान में सम्मिलित करने संबंधी चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया गांव गुड़ा सड़क को प्लान में लेने संबंधी चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा नगर में परिवार नियोजन केन्द्र के अभाव पर चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 477 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा को मेन्टिनेन्स लिस्ट पर लेने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मनमोहनसिंह (छबड़ा) :

272. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सारथल एवं जैपला पी० एच० सी० में डाक्टरों का स्थान काफी समय से रिक्त होने के संदर्भ में चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबड़ौद की कम्पाउडर डिस्पैन्सरी को डाक्टर डिस्पैन्सरी में क्रमोन्नत किए जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद तहसील को ग्राम सारथल एवं ग्राम हरनावदा शाहजी की पेयजल योजनाओं की स्वीकृत किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद कस्बे की पेयजल योजना को शीघ्र पूरी कराए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बे की पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बे में जच्चेखाने में स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा छीपाबड़ौद से हरनावदा शाहजी तक सड़क निर्माण कराये जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा से इकलेरा सड़क की गंभीर हालत व मरम्मत न कराये जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री जगमोहनसिंह)

281. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बा जिसकी आबादी 12,000 है व एस०डी०ओ० का मुख्यालय है, अब तक सड़क में नहीं जोड़ा गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कलकोदिया से हरनावदा शाहजी की सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालपुरा से छबड़ा कस्बे तक की सड़क की दुर्दशा व मरम्मत न कराये जाने व अंधेरे पर पुल निर्माण कराये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल (पाटन) :

284. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में चिकित्सालयों के अभाव में जनता को हुई परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के के लिये)।

285. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था उचित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखेरी केशवराय-पाटन के चिकित्सालयों में समय पर दवाइयां नहीं दिये जाने से होने वाली स्थिति पर चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार नहीं दिये जाने से होने वाली स्थिति पर चर्चा के के लिये)।

288. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में घटिया दवाइयां भी समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन पर अपव्यय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के कस्बे बड़ाखेड़ा चुतराका खेड़ा करवर में परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की समय समय पर सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में विश्व बैंक की सहायता से बनाई जा रही सड़कें

(86)

(श्री नन्दलाल)
लवान से बूंदी रोड़ व खटकड़ से बूंदी रोड़ के कार्य के धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में करवर से इन्द्रगढ़ की सड़क पर डामर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

294. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालेड़ा से केशवराय पाटन की सड़क की मरम्मत समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

295. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की सड़कों की रिपेयर करते समय डामर रोड पर मिट्टी से गढ्ढे भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलवे स्टेशन लाखेरी में नगरपालिका चुंगी नाका नम्बर एक लाखेरी तक की सड़क की रिपेयर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

298. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की तहसील केशवरायपाटन में लवान से पापड़ी सड़क के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

299. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल राहत में कार्य करने वाले मजदूरों को समय पर वेतन, अनाज, पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति से होने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत में किये गये निर्माण कार्य अधूरे हैं, उन्हें पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

302. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की नैनवा, हिण्डौली, बूंदी की तहसीलों में जो गांव अभावग्रस्त हैं उनमें अकाल राहत कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

303. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

होमियोपेथी के विकास, प्रचार एवं प्रसार में उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

304. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल, बाड़मेर में दवाइयों एवं मरहम पट्टी की माकूल व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में बाड़मेर जिला भारत सेवक समाज द्वारा संचालित होमियोपेथी अस्पताल की राजकीय सहायता के बढ़ाने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

306. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्राइमरी हैल्थ केन्द्रों पर डॉक्टर एवं पर्याप्त स्टाफ न भेजने और माकूल दवाइयों की व्यवस्था न होने के कारण जिले की ग्रामीण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

307. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के कोटेज वार्ड्स में मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण माकूल व्यवस्था न होने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

308. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के कई प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों पर डॉक्टरों एवं पर्याप्त स्टॉफ के पोस्टिंग नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण उनमें घोर असंतोष व्याप्त है, जिस पर चर्चा के लिये) ।

309. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग अधिक फैल रहा है उसके उपरान्त भी राज्य सरकार अलग से टी० बी० क्लिनिक खोलने में उदासीनता बरत रही है जिसके कारण जनता में असंतोष व्याप्त होने पर चर्चा के लिये)।

310. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार पानी उपलब्ध कराया जाता है उसकी मात्रा कम और हफ्ते में कभी एक बार और कभी दो बार और कहीं कहीं एक माह में एक बार भी पानी उपलब्ध नहीं होता है जिसके कारण ग्रामीण जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है, जिस पर चर्चा के लिये) ।

311. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में भाखड़ा नलकूप से कूडला-रामसर कुआ, रावतसर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना में अभी तक मगना की ढ़ाणी एवं रामसर कुआ रावतसर को योजना से सम्बन्धित कर पानी नहीं पहुंचाया गया है, जिसके कारण उक्त ग्रामों की ग्रामीण जनता में घोर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
असन्तोष है, जिसके बारे में चर्चा के लिये) ।

312. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में नीबलां नलकूप से जायडू ग्राम जलप्रदाय योजना जिसके कारण सोनड़ी, बैसानी, सुरा, नांद, करनोडा, कैरावा, मलवा एवं जामडू लाभान्वित होते हैं, का सर्वे कर दिया गया है, जिला आयोजना समिति ने भी स्वीकृति के लिये सिफारिश करदी है परन्तु उसके स्वीकृत किये जाने में विलम्ब के कारण ग्रामीण जनता में असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

313. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य जल समस्या निवारण बोर्ड के गठन की घोषणा को किये हुये करीब चार साल हो चुके हैं, परन्तु उक्त बोर्ड के गठन न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

314. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गग मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊडूं से पनाउडा एवं भाडखा से देरासर ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के कमीशन करने में जो कठिनाइयां और बाधायें आ रही हैं, उनके निराकरण करने में राज्य सरकार द्वारा अधिक विलम्ब करने और उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

315. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निबला-आवडू ग्रामीण जलप्रदाय योजना की स्वीकृति में अधिक विलम्ब होने के कारण प्रभावित ग्रामीण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

316. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सन् 75-76 में जनस्वास्थ्य में ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं में कम प्रावधान करने के कारण असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये) ।

317. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [भीमड़ा नलकूप (नया खुदवाकर) से नौसर ग्राम तक जलप्रदाय योजना जिसमें नरसाली नाडी (कोलू) बावलू चिमनजी का हेमजी का तला स्कूल मादासर तला (बावलू भोपजी) ग्राम भोजासर से विनियाली, नौसर आदि ग्रामों में पानी पहुंचाने की योजना को अभी तक जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे करने में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये] ।

318. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में मेटरनिटी होम की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

319. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में परिवार नियोजन के कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

319. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्रों में योजनागत एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे ह उनमें ठेकेदारों के टेण्डरों की जो तारीखें निर्धारित हैं उनके पहिले ही 40-50 हजार रुपये की राशि में टुकड़ों में ठेके देकर जिससे कि स्वीकृत राशि का अधिकार भी अधिशाषी अभियन्ता के पास ही रहे और उक्त राशि का ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है और कार्य भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है और न मजदूरों को निर्धारित मजदूरी मिल रही है जिसके कारण तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण कार्यालय बाड़मेर द्वारा सन् 1974-75 में बाड़मेर जिले की सड़कों की मरम्मत, सुधार एवं एस० आर० में राशि का जो प्रावधान किया गया था, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कर और दुरुपयोग करने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

321. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (बाडमेर जिले में इस वर्ष अकाल में योजनागत एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हुई है, उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना टेण्डर आमंत्रित किये ही ठेकेदारों को कार्य सौंपा जा रहा है, सरकारी रोलर जो बेकार पड़े हैं उन्हें सुधार कर कार्य में नहीं लाया जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी लगाने में जिस प्रकार दकियानूसी नीति को प्रयोग में लिया जा रहा है, जिससे असन्तोष पैदा होने पर चर्चा के लिये) ।

322. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की दूसरी प्राथमिकता के आधार पर सीमावर्ती सड़कों, बाड़मेर से हरसाणी वाया वैसाला, रामसर से गिराब, रामसर से चौहटन, चौहटन से बारवासर को सुरक्षा सड़कों में सम्मिलित कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डालने में कमजोरी बरतने पर चर्चा के लिये) ।

323. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत 2,500 की आबादी के ग्रामों को सड़कों से मिलाने का कार्य को रेगिस्तानी जिले जैसलमेर और बाड़मेर, जिनकी आबादी क्षेत्रफल को दर्शाते हुए बहुत कम है, को 1,500 की आबादी पर परिवर्तन के लिये जोर देने पर चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्रों में योजनागत एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सड़कें निर्माण की जा रही हैं वे सिर्फ 10 फुट ही चौड़ी बनाई जा रही हैं जो चौड़ाई अपर्याप्त है, जिसके कारण असंतोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

325. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से चौहटन डामर सड़क पर सड़क से एक किलोमीटर की दूरी पर राणी गांव आया हुआ है, जहां ग्रेवल रोड़ है जिसे डामर रोड़ में परिणत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

326. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की सड़कों की मरम्मत के लिये कम प्रावधान होने के कारण सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

327. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 480 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल, बाड़मेर के भवन, हायर सैकण्डरी स्कूल, बाड़मेर के भवन एवं बाड़मेर जिले की सब-जेल, बाड़मेर भवन के सुधार एवं मरम्मत के कार्यों के लिये प्रावधान न करने के कारण उक्त भवनों का सुधार न होने के कारण तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये)।

328. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में राज्य सरकार द्वारा अकालराहत कार्यों में मार्च, 1975 से जुलाई तक कितने मजदूरों को लगाये जाने के बारे में नीति स्पष्ट नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्रति अकाल सहायता के मामले में राज्य सरकार द्वारा उदासीन नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

330. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में इस वर्ष अकालग्रस्त क्षेत्रों में योजनागत एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य सार्वजनिक निर्माण द्वारा कराये जा रहे हैं व उनमें ठेके दिये जाते हैं और वे ठेके टेण्डरों की जो तारीख निर्धारित है उनके पहिले ही 40-50 हजार रुपये की राशि में टुकड़ों में ठेके देकर जिससे कि स्वीकृत राशि का अधिकार भी अधिशाषी अभियन्ता के पास ही रहे, उक्त राशि का ठीक तरह से न उपयोग हो रहा है और न कार्य भी ठीक तरह से हो रहा है और न मजदूरों को निर्धारित मजदूरी प्राप्त हो रही है सिरकियों और न पानी की उपलब्धि हो रही है जिससे उनमें तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त गांवों में जहां जल कष्ट की भयंकर समस्या है, अपर्याप्त पानी ट्रकों द्वारा टंकियों से पहुंचाने के कारण ग्रामीण जनता में भयंकर असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

332. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार बाड़मेर जिले में जहां अकाल की अधिक तीव्रता और उग्रता है वहां अधिक कार्य नहीं खोले जाने पर जनता द्वारा रोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

333. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में अकाल राहत केन्द्र खोलने के लिये मार्च, 1975 से जुलाई, 1975 तक कितने-कितने मजदूरों को रोजी देने का निश्चित कार्य-क्रम नहीं बनाया है, जिसके कारण जनता में व्याप्त असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

334. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने पशुओं के लिये जो चारे की दरें मुकर्रर की हैं वे बहुत ही बढ़ी हुई हैं जिसके कारण पशुपालकों में घोर असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में इस वर्ष अकाल में योजनागत एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत जिन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हुई है वे कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठीक ढंग से नहीं चलाये जाने के कारण जनता में घोर असंतोष है, जिस पर चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) :

336. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं होने के विषय पर चर्चा के लिये)।

337. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की तहसील हिण्डोली व नैनवा ग्रामों में पेयजल के संकट को दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

338. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

339. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में अकाल और अकाल में हुए कार्यों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

340. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की उचित व्यवस्था व दवाई की कमी पर चर्चा के लिये)।

341. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

342. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का उपयोग सही ढंग से न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

343. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर क्षेत्र में सड़कों की अव्यवस्था तथा उस पर सरकार की तरफ से उदासीनता के ऊपर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई) :

344. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर के चिकित्सालयों में दवाओं की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

345. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की पेयजल समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

346. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में परिवार नियोजन की अव्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

347. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की सार्वजनिक सड़कों की दुर्दशा से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

348. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में अकाल सहायता के अन्तर्गत हुए कार्यों से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

349. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और अधिक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

350. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरसा से सादूरपुर की अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़क को स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

351. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, भादरा, सूरतगढ़ तहसीलों के अभावग्रस्त गांवों में शीघ्र कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) :

352. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में दवाओं की खरीद में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :

353. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा 'सी' श्रेणी चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किये जाने एवं उसमें शिक्षित दाई का पद कायम किये जाने में सरकार द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

354. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा-मनोहरथाना, जावर और मालता के चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव में मरीजों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

355. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा-मनोहरथाना की पेयजल नल योजनाओं का संचालन कार्य

(श्री भैरूंलाल)

असन्तोषजनक होने के फलःस्वरूप जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

356. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरड़ा ग्राम की पेयजल नल योजना को शीघ्र निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

357. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा से मनोहरथाना वीनागंज सड़क की पुलिया के अपूर्ण निर्माण कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

358. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की बड़ी नदियों पर निर्मित नीचे पुलों को ऊंचा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

359. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील क्षेत्रान्तर्गत मनोहरथाना से हरनावदा, आसलपुर से भालता और बोरखेड़ी लोढ़ान से सरड़ा तक जाने वाली कच्ची सड़कों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

360. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की सड़कों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

361. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील के कुछ ग्रामों की वर्षा के अभाव में खरीफ की फसल ज्वार, मक्का सूख जाने पर उक्त ग्रामों को भी अभावग्रस्त घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

362. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में डॉक्टरों का अभाव, दवाइयों का अभाव व प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

363. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की सड़कों की बिगड़ी स्थिति सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

364. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना अस्पताल में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति करने तथा अस्पताल भवन में मरीजों के लिये कमरे बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

365. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना नगर में जल वितरण योजना द्वारा नागरिकों को जल वितरण के लिये व पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

366. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर से

(श्री जेठमल बरखड़) :
हरसोर रोड़ व परवतसर से पुष्कर रोड की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

367. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील के ग्रामों में अकालराहत कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

368. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिला केन्द्र के भगवानदास खेतान अस्पताल की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

369. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

370. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में परिवार नियोजन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

371. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 265 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहली स्थित जोधपुर हाउस की मरम्मत एवं सुधार पर किये गये अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

372. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभी तक अकाल सहायता कार्य प्रारंभ न करने के कारण उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये)

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) :

373. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में रोगियों को पौष्टिक आहार न दिये जाने एवं सस्ता इलाज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

374. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर के जनरल अस्पताल को 'ए' श्रेणी का बनाये जाने के आश्वासन देने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

375. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठूमर - घोसराणा (अलवर) 12 मील लम्बी सड़क को 14 वर्ष में भी पूरा न किये जाने सम्बन्धी लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

श्री शिवनारायण (बारां) :

376. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां अस्पताल की जरूरतों को देखते हुए उसमें सुविधायें दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

377. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोयला रोड की दुर्दशा से होने वाली कठिनाई के बारे में और श्रमदान

(श्री शिवनारायण) :
रोड आदर्श गांव नलका, सोमलपुर, वहाजनपुरा की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

378. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता से सीसवाली ढीपरी रोड की दुर्दशा और उससे उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

379. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से कोटा होते हुए बारां, शिवपुरी तक के रोड की स्टेट हाइवे के तहत चौड़ाई न होने व दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

380. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में अन्ता से मांगरोल व सांगोद से सोरसन होती हुई अन्ता तक व मांगरोल से सीसवाली व बारां से सीसवाली व बारां से मिर्जापुर होती हुई सांगोद व अन्य सड़कें जो फेयरवेदर रोड में निकाल रखी हैं उनसे पैदा हुई कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

381. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल से सूरथाक सड़क पर क्रैश प्रोग्राम के तहत पूरा कार्य नहीं कराये जाने और बानगंगा नदी पर बमोरी कलां में मंजूरशुदा पुलिया का निर्माण नहीं कराने से हुई कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये)।

382. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा-शिवपुरी रोड पर काली सिन्ध और पारबती नदी से बाढ़ के कारण पुलियायें न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

383. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां से मांगरोल व मांगरोल से अपाल गनेशगंज इटावा रोड़ की दयनीय दशा व उससे पैदा होने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा के लिये)।

384. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 488 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां में समाज कल्याण विभाग द्वारा कायम छात्रावास के नये व पुराने भवन की दुर्दशा और उसे पूरा नहीं कराये जाने से पैदा हुई कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

385. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अस्पताल जालोर को 100 शैया अस्पताल बनाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

386. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैया अस्पताल बनाने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

387. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में चिकित्सालयों में दवाइयों एवं पट्टियों वगैरह की कमियों पर चर्चा के लिये)।

388. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

Page No 96

(96)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

389. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने में सरकार की उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

390. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

391. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी० पी० सी० द्वारा 439 सी० ए० एस० चयनित नवम्बर, 1969 में डाक्टरों का फिक्सेशन होकर वेतन न मिलने पर चर्चा के लिये)।

392. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में चिकित्सा सेवाओं की कमी के बारे में चर्चा के लिये)।

393. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में जल-प्रदाय योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)।

394. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में नई जल-प्रदाय योजनाओं का सर्वेक्षण एवं उनकी शीघ्र क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये)।

395. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर कस्बा की जल-प्रदाय योजना अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

396. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में मलेरिया निरोधक कार्यवाही एवं मलेरिया बुखार के उपचार में कमी पर चर्चा के लिये)।

397. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांकड-गुंदाउपुर क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत सेडियावास बस्ती में होज निर्माण के बारे में चर्चा के लिये)।

398. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

399. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

400. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में परिवार नियोजन हेतु पूरा स्टाफ शीघ्र लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

401. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर में परिवार नियोजन विभाग के क्वार्टर शीघ्र बनवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

402. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में परिवार नियोजन ब्यूरो को कायम रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

403. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर की सड़कों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा के लिये)।

404. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ज़िला जालोर में सड़कों के रख-रखाव के बारे में बजट प्रावधान करने में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

405. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पक्की सड़कों के अभाव के बारे में चर्चा के लिये)।

406. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर-रानीवाड़ा सड़क की मरम्मत एवं सड़क चौड़ी करने के बारे में चर्चा के लिये)।

407. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुड़गांव-बाड़मेर सुरक्षा सड़क पर लूनीपुल शीघ्र दुबारा बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

408. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सरकारी इमारतों के रख-रखाव के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

409. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में अकाल राहत कार्य शीघ्र खोलने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

410. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में असहाय व्यक्तियों को सहायता एवं पीने का पानी एवं अन्य सहायता दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

411. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित लोगों को सामयिक सहायता देने में सरकार की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी)

412. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में दिये जाने वाली धनराशि अपर्याप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

413. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा इन्टेंसिव केयर सेन्टर्स खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

414. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खोले गये नये पी० एच० सी० व उनके तहत सब सेन्टर्स खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

415. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में की गई खाद्यान्न वस्तुओं की मिलावट के बारे में चर्चा के लिये)।

416. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य विभाग की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं में होने वाली अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

417. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन पर किये जाने वाली धनराशि के मुकाबले उस विभाग की कार्य-कुशलता नगण्य होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

418. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के केसेज के आंकड़ों का अवलोकन करने पर भी विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

419. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सार्वजनिक भूमि पर गैरकानूनी कब्जा कर लेने के संबंध में चर्चा के लिये)।

420. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर विकास की जितनी योजनायें हैं उनमें श्रमिक वर्ग को एक विशिष्ट स्थान देकर स्लम्स की गन्दी जिन्दगी से छुटकारा दिलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

421. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों की क्वालिटी के विषय में जन-असंतोष के विषय में चर्चा के लिये)।

422. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में सड़कों के लिए दी गई राशि अपर्याप्त होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

423. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कई अवांछनीय स्थानों पर सड़क बनाने व अधिक स्थानों पर सड़क न बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

424. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारतों के लिये दिये गये लोन के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

425. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में राज्य सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के संबंध में चर्चा के लिये)।

426. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता में लगाये गये करोड़ों रुपये का अर्थ गंवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

427. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता में खोले गये कार्यों के बजाय राजस्थान केनाल व चम्बल क्षेत्र में खोले जाने की उपयोगिता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

428. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में नये चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

429. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली के हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

430. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील की बांदीन व पावटा ग्राम की जलप्रवाय योजना स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

431. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल समस्या के निराकरण में विभाग की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

432. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील की प्रागपुरा से पाडाला सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

433. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील की पावटा से कल्याणपुरा सड़क को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

434. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील की गोरधनपुरा से राजनोता सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

435. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में सार्वजनिक विश्राम गृह बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

436. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में राहत कार्य न खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 100

(१८०)

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

437. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील के आधे से अधिक फसल खराब होने वाले ग्रामों को अकाल प्रभावित क्षेत्र घोषित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (माण्डल) :

438. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

439. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अस्पतालों में साधनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

440. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माण्डल अस्पताल का भवन बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

441. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नल योजनाएं हैं वहां पर ड्रेनेज सिस्टम की कमी पर चर्चा के लिये)।

442. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूढ़े पुरुषों के वाइसेक्टमी ओपरेशन करने पर चर्चा के लिये)।

443. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अधिक कार्य खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

444. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की हालत सुधारने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

445. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा में करेड़ा से भीम सड़क को योजना में लेने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हाजी आसमोहम्मद (पिड़ावा) :

446. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सैन्टर, पिड़ावा में लेडी डॉक्टर न होने पर चर्चा के लिये)।

447. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सैन्टर, पिड़ावा के भवन की चारदीवारी न बनाने पर चर्चा के लिये)।

448. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा-सोयत रोड सड़क, जिला झालावाड़ में से 6 किलोमीटर मध्य प्रदेश को दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

449. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा तहसील

(श्री हाजी जानमोहम्मद)
की अधूरी सड़कों को पूरा न करने व सड़कों की मरम्मत न होने पर चर्चा के लिये)।

450. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा तहसील की सड़कों एवं पचपहाड़ तहसील की सड़कों की मरम्मत कराये जाने में राज्य सरकार द्वारा दिखाई जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : एवं **श्री मनोहरलाल** (कामा):

451. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर के चिकित्सालयों में दवाइयों व पट्टियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

452. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में पेय-जल के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

453. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भयंकर अकाल से पीड़ित राजस्थान में अकाल राहत कार्य न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) :

454. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा के अस्पताल की अव्यवस्था के बाबत चर्चा के लिये)।

455. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में अकाल की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

456. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सुविधाओं की असमानता को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

457. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा नगर की पेय-जल योजना के रीओर्गेनाइजेशन स्कीम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

458. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा नगर में मेटरनिटी-होम की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

459. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में निर्माणाधीन सड़कों को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

460. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में सरकार द्वारा बरती जाने वाली असमानता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 102

(102)

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

461. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बडा खेड़ा, ग्राम पंचायत समिति जवाजा में शफाखाना खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

462. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर के ए० के० शफाखाना में शैयाओं के बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

463. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर के ए० के० शफाखाने के बजट को बढ़वाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

464. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर के ए० के० शफाखाने को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

465. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

466. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज, उदयपुर में प्रवेश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

467. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के औषधालयों में जो कि 'ए' श्रेणी के हैं उनमें 'ए' श्रेणी के वैद्यों को न लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

468. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर रसायन-शाला में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

469. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऑल इण्डिया आयुर्वेद विद्यापीठ की परीक्षाओं की मान्यता के बारे में चर्चा के लिये)।

470. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन, ब्यावर में जबरन नसबन्दी करने पर चर्चा के लिये)।

471. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर के ए० के० शफाखाने में एक स्त्री द्वारा परिवार नियोजन के हेतु ऑपरेशन न कराने पर उसे शफाखाने से बाहर कर देने पर उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

472. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बराखन से दुदेलेश्वर रोड के कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

473. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देव ाता-दड़काचरा

(श्री केशरीमल)

रोड़ के कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

474. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटरा-पाली रोड को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

475. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपय कम कर दिया जाय (बामनहेड़ा-सोजत रोड को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

476. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अरनाली-वाला-चराट रोड को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

477. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीम-टाटगढ़ रोड को ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

478. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर-कोटरा-काबरा रोड की मरम्मत नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

479. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्य सरकार द्वारा न खोलने पर चर्चा के लिये)।

480. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्य जो अधूरे रह गये उन्हें पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

481. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सदैव के लिये अकाल की समस्या के समाधान हेतु योजना बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

482. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में अकाल राहत कार्यों पर किये गये कार्य की बकाया मजदूरों के पैसे बकाया रख लिये और अभी तक नहीं दिये गये, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री किशोरीलाल (सलूम्बर) :

483. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा संस्थान में ठीक कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

484. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सेवा से लोगों को लाभान्वित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

485. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों की कमियों पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 104

(104)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) :

486. मांग संख्या 26, **मुख्य शीर्षक** 280 के **अन्तर्गत** मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की उचित देखभाल न होने पर चर्चा के लिये)।

487. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की पेयजल समस्या का समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

488. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

489. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य में निम्नस्तर का मैटिरीयल लगाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

490. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवास बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

491. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य मार्गों पर बने पुलों की दुर्दशा पर व कई पुलों का कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

492. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 265 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी विभागों के लिये भवनों के अभाव की पूर्ति करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

493. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल घोषित करने में सरकार की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (छापर) :

494. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों के अभाव और अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

495. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक पद्धति के विकास करने के बारे में व ग्राम लालगढ़, तहसील सुजानगढ़ एवं ग्राम भानूदा, तहसील रतनगढ़ में नये औषधालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

496. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाय व गांवों में आबाद अनुसूचित जातियों के लिये पानी की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

497. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम का देहातों में भी अधिक विस्तार किये

Page No 105

(105)

(श्री रावतराम आर्य)

जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

498. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल की स्थायी रोक-थाम के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ करने पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

499. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में अकाल की भयंकर स्थिति को देखते हुये राहत कार्य खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

500. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालगढ़ से कातर (जिला चूरू), सुजानगढ़ से लालगढ़, छापर से राजलदेसर, चूरू से सरदारशहर सड़क की उपयोगिता व उन्हें पूरा करवाने पर चर्चा के लिये]।

501. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की सड़कों की दुरावस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

502. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर के एलेक्जेण्डर अस्पताल को 'ए' ग्रेड का अस्पताल बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

503. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर के सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले नर्सिंग स्टाफ का डेपूटेशन समाप्त करने से बीमारों की देख-भाल में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

504. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर के सरकारी अस्पताल को 'अ' श्रेणी के अस्पताल में क्रमोन्नत कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

505. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा संचालित योगिक अनुसंधान केन्द्र, जयपुर की अधिक उपयोगिता और प्रत्येक जिले में विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

506. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की सड़कों की मरम्मत में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

507. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्यों के शुरू किये जाने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

508. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर के बांगड़ अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री शंकरलाल) :

509. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के ग्राम गुन्दोज में डिस्पेन्सरी हेतु स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

510. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांवों में पीने का पानी देने में जलप्रदाय विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

511. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर में जलप्रदाय विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता व अवहेलनापूर्ण रुख पर चर्चा के लिये)।

512. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिक लोकप्रिय व उपयोगी बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

513. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील की रोहट पंचायत समिति में सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

514. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत बनी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

515. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में सड़कों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

516. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में आवश्यक अकाल राहत कार्य न खोले जाने से संकटमयी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास) :

517. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन व आदिवासी डाक्टरों को पोस्ट–ग्रेजुएट स्टेडी के लिए भेजने की रिजर्व सीट न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

518. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास, सवाई माधोपुर की डिस्पेन्सरी के भवन की दुर्दशा व कभी भी गिरकर नष्ट हो जाने से व्याप्त असंतोष के क्रम में चर्चा के लिये)।

519. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से व्याप्त असन्तोष के क्रम में चर्चा के लिये)।

520. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास तहसील के जिन जिन गावों में पीने का पानी सुलभ नहीं है व पीने का पानी खराब है वहां पानी न दिए जाने से क्षेत्र में घोर असंतोष व निराशा पर चर्चा के लिये)।

(श्री भरतलाल) :

521. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास-गढ़मोरी सड़क को लालसर की घाटी तक और जोड़ने से क्षेत्र के आवागमन के साधन काफी सुलभ होने पर चर्चा के लिये)।

522. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास-गढ़मोरा सड़क राजाशाही के जमाने की अधूरी पड़ी हुई है जिसका बहुत महत्व होते हुए भी पूरी न किए जाने से क्षेत्र में घोर असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

523. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले को जोड़ने के लिए बनास व मोरेल नदी पर पुल न बनाये जाने से क्षेत्र में व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

524. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों को प्रचुर मात्रा में दवाई वगैरह दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

525. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों में चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

526. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के संबंध में चर्चा के लिये)।

527. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संक्रामक रोगों से बचाव एवं नियंत्रण के संबंध में चर्चा के लिये)।

528. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाओं के प्रसार पर चर्चा के लिये)।

529. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य के संबंध में वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

530. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना को जिला मुख्यालय व अजमेर से डामर सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये)।

531. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की सड़कों के संबंध में चर्चा के लिये)।

532. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में अकाल पीड़ित क्षेत्र की घोषणा करने में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

533. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी जिला

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

सवाईमाधोपुर की प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को क्रमोन्नत कर 30 बेड्स अस्पताल बनाने पर चर्चा के लिये)।

534. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम वजीरपुर तहसील गंगापुर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने एवं ग्राम टोकसी जालोखरा में सब-सेन्टर खोलने पर चर्चा के लिये)।

535. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्था एवं दिन प्रतिदिन गिरती हुई दशा के संबंध में चर्चा के लिये)।

536. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर की जलप्रदाय की रिवाइज्ड स्कीम को स्वीकृत कर शीघ्र कार्य शुरू करवाने पर चर्चा के लिये)।

537. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर-पिलोड़ा रोड़ को शीघ्र बनवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

538. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम वजीरपुर, तहसील गंगापुर से रेलवे स्टेशन पिलोड़ तक सड़क निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये)।

539. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गन्छीपुरा तहसील गंगापुर से नारायणपुर टटवाड़ा रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

540. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश की चिकित्सा आवश्यकताओं की न्यूनतम पूर्ति न करने तथा उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था में धांधली व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

541. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सुलखनियां व सांखू (तहसील राजगढ़) की जलप्रदाय योजनाओं को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये]।

542. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी० डी० टी० छिड़कने के अभाव में मलेरिया के पुनः प्रादुर्भाव पर चर्चा के लिये)।

543. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कें बनाने में सादुलपुर क्षेत्र के साथ बरते जाने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

544. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार अकाल राहत कार्य खोलने में अकाल पीड़ित भूखी जनता को राशन व्यवस्था देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढा मालानी) :

545. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति केन्द्र धोरीमना जिला बाड़मेर में एक चिकित्सालय (डिस्पेन्सरी) खोले जान हेतु चर्चा के लिये)।

546. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लूणदा–जागीर पंचायत समिति धोरीमना, जिला बाड़मेर में अस्वास्थ्य कर जल कष्ट निवारण हेतु स्वास्थ्य जल की व्यवस्था की जाने पर चर्चा के लिय)।

547. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर के अकाल पीड़ित लोगों को स्पेशल ग्रेचुअस रीलिफ (एस० जी० आर०) दिलायी जाने हेतु चर्चा के लिये)।

548. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में राहत कार्यों पर कम से कम 70,000 मजदूरों को काम पर लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पंचपदरा) :

549. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पाटोदी (जिला बाडमेर) जिसकी दस हजार की जनसंख्या है उसमें चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

550. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऊंडू नलकूप से कूंपलिया नल योजना (बाड़मेर) से गांव कूंपलियां को पांच छः साल की लंबी अवधि के बाद भी पानी नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिये)।

551. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा के बड़ी संख्या के गावों में पीने के पानी की नल योजनाएं नहीं बनाने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

552. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आगोलाई (जिला जोधपुर) से मांडपुरा होती हुई पचपदरा तक की सड़क जो बाड़मेर जिले की सबसे पुरानी सड़क हैं उसको इतने लंबे समय तक भी डामर की नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

553. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा से बाड़ (जिला बाड़मेर) सड़क को डामर की नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

554. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल से प्रभावित लोगों के लिये रोजगार के अवसरों को नितान्त अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्रीमती मदनकौर) :

555. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के सूखाग्रस्त गांवों में पीने के पानी के भयंकर अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

556. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय क्षेत्र जो निरन्तर अकाल से प्रभावित रहते हैं उनके स्थाई विकास की योजना की क्रियान्विति नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

557. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त पश्चिमी जिलों में बड़ी संख्या में भुखमरी की स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री गुरदयालसिंह साधु (करनपुर) :

558. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर चिकित्सालय में महिला डाक्टर के न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

559. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर चिकित्सालय मे दवाइयों व पट्टियों की कमी पर चर्चा के लिए) ।

560. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर चिकित्सालय में एक्स-रे प्लांट लगाने पर चर्चा के लिए) ।

561. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर चिकित्सालय भवन को बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

562. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल्लूका स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यालय की छतों की खराब हालत और उसे सुधारने हेतु विभाग द्वारा ध्यान नही दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

563. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 39 आर० बी० में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने पर पर चर्चा के लिये) ।

564. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मोबाइल सर्जिकल यूनिट स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

565. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के चिकित्सालय को और अधिक औषधियां दिलाने हेतु चर्चा के लिये) ।

566. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर चिकित्सालय के भवन की बढ़ोतरी पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

567. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर बुड़ाजोहड़

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
की 23 किलोमीटर की सड़क को शीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये)

568. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करनपुर से गर्जसिहपुर तक की पक्की सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

569. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर से गठ्ठुवाला तक नयी सड़क का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये)।

570. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर की बनी हुई पक्की सड़कों की मरम्मत न कराने पर चर्चा के लिये)।

571. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर से रायसिंहनगर वाया पदमपुर सड़क की मरम्मत व चौड़ी करवाने पर चर्चा के लिये)।

572. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनायी गयी आढ़सर नरासर सड़क जिसकी लम्बाई 43 किलोमीटर आस-पास है उसे 52 के० एम० दिखाना जो धांधले की बनी हुयी है उसे उस पर 35 लाख रुपया खर्च करना जब कि 5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

573. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू सरदारशहर सड़क (धांधला सड़क) जो अब दुबारा डामर रोड में परिवर्तित की जा रही है, उसमें हुयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

574. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल विभाग द्वारा चूरू तारानगर सड़क की चल रही जांच को पूरा न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (निवाई):

575. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पी० एन० आर० सी० व आर० एन० आर० सी० की ट्रेनिंग हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु न बुलाये जाने व किसी प्रकार की इत्तिला नहीं देने से उत्पन्न बेरोजगारों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

576. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होमियोपैथिक चिकित्सा को मान्यता देने के उपरान्त भी इसकी दवाओं का पुनर्भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

577. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धोलपुर उप-जिले के मा लेली, बसई नीम, मस्सूरा ग्रामों में नल योजना द्वारा पीने के पानी की सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री बनवारीलाल) :

578. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में सरकारी क्वार्टर्स के आवंटन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

579. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी क्वार्टर्स के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की पंजीयन संख्या की सूचना न देकर आवण्टन में विभाग पक्षपात बरतता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

580. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में सरकारी क्वार्टर्स के आवंटन में सचिवालय व इसके स्तर के अन्य विभागों के लिये अलग से कोटा निर्धारण करने हेतु चर्चा के लिये)।

581. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में सरकारी क्वार्टर्स के आवण्टन में विभाग द्वारा मनमानी बरतने पर चर्चा के लिये) ।

582. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर से मांगरोली सड़क को पूरा कराने के बाबत चर्चा के लिये) ।

583. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर पुरानी छावनी से सरानी खेड़ा तक सड़क को पूरा कराने के बाबत चर्चा के लिये) ।

584. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में ओडेला से कोनारी सड़क को पूरा कराने के बाबत चर्चा के लिये) ।

585. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में पार्वती नदी पर तसीमा ग्राम के पास पुल का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है उसे शीघ्र पूरा कराने के बाबत चर्चा के लिये) ।

586. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में हो रहे पक्षपात के बारे में चर्चा लिये) ।

587. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में औषधियों की व्यवस्था करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

588. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में बोरी ग्राम में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिये) ।

589. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशिक्षित ए०एन०एम० अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति की आवेदिकाओं की नियुक्तियों में विलंब तथा विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)

(श्री अमवारीलाल)

590. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना, जिला नागौर में ओवर हैड टैंक की एक ही एक्स्ट्रा आइटम की तीन बार मंजूरी होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

591. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में मसूरिया पहाड़ पर दस लाख गैलन की क्षमता की टंकी के निर्माण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

592. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

593. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

594. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी देने में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

595. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

596. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में नाहरू निवारण के लिये शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

597. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में आदिवासी इलाकों में नाहरू की बीमारी को रोकने के लिए वैल्स खोदकर पीने का जल उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

598. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन पर धन का दुरुपयोग के बारे में चर्चा के लिये)।

599. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र में परिवार नियोजन हेतु कोई केन्द्र नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

600. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

601. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में

Page No 114

114

(श्री भवरीलाल)
अनास नदी पर पुल के निर्माण के बारे में चर्चा के लिये)।

602. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बांध से बांसवाड़ा जिले में अनास नदी के पानी रुकने से यातायात हेतु कोई सड़क व पुल निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

603. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सड़कों की आवश्यक व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

604. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सड़कों के बनाने में हुए धन का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

605. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में अकाल की स्थायी समस्या हल करने पर चर्चा के लिये)।

606. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में अकाल से पीड़ित आदिवासी लोगों को रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिये)।

607. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) :

608. मांग संख्या 33; मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में अकाल की स्थिति के बावजूद पर्याप्त राहत कार्य नहीं खुलने पर चर्चा के लिये)।

609. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

610. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा मनमाने तौर पर जलप्रदाय योजनायें चालू करने पर एवं कुछ स्थानों पर वांछित राशि जमा कराने के बावजूद जलप्रदाय योजना चालू नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

611. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में परिवार नियोजन विभाग द्वारा वांछनीय सफलता प्राप्त नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

612. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राजकीय राशि के अपव्यय करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) :

613. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जलपूर्ति हेतु दिये जाने वाले कनेक्शन में मीटर नहीं देने से राज्य कोष में होने वाले घाटे पर चर्चा के लिये) ।

614. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जल वितरण समस्या का समाधान नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमराज चौधरी (नोहर) :

615. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाखूवाली से साहा तक पाइप लाइन द्वारा पीने का पानी पहुंचाने की स्कीम के अन्तर्गत रास्ते में आने वाले गांवों को पानी देने के विषय में चर्चा के लिये) ।

616. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की नोहर तहसील के खारे पानी के गांवों में पीने का पानी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई उपेक्षा के विषय में चर्चा के लिये) ।

617. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण में गंगानगर जिले की की गई उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

618. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [खण्डेला (सीकर) में जलप्रदाय की योजना की असफलता पर चर्चा के लिये] ।

619. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कावट (सीकर) नदी पर पुल न बनाने हेतु चर्चा के लिये] ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

620. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 281 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली शहर के अन्दर प्रसूतीघर खुलवाने के विषय में चर्चा के लिये) ।

621. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह से अजमेर जाने वाली रोड़ पर मोर से सवारियां तक डामर कराने के विषय में चर्चा के लिये) ।

622. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह से अजमेर जाने वाले रोड़ के ऊपर केवल 13 किलो मीटर मोर ग्राम से सवारियां तक डामर कराने के विषय में चर्चा के लिये) ।

623. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह से अराना

(श्री चतुर्भुज)
रोड़ पर डामर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

624. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह से नासिरदा रोड़ पर डामर कराने के विषय में चर्चा के लिये)।

625. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मालेड़ा से नासिरदा रोड़ पर डामर कराने के विषय में चर्चा के लिये)।

626 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली से राजमहल रोड़ पर डामर कराने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री बलवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):

627. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

628. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डोन):

629. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी):

630. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त डूंगरपुर जिले में अधिक कार्य खुलाने पर चर्चा के लिये)।

631. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री मोरवर्मसिंह (सीकर):

632. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में धन का दुरुपयोग व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

633. मांग संख्या, 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में अकाल राहत कार्य जो गत अकाल के समय में प्रारंभ किये गये थे, पूर्ण कराने व राशि दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

634. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य को सीकर तहसील में सीकर-धोंद सीपरा-बट सड़क का कार्य व सेवद बड़ी-सीहोर-

(श्री गोरधनसिंह)
बड़ी गोंव-मुन्डयाड़ी सड़क के अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

635. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) :

636. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ से क्षतिग्रस्त बल्लभगढ़-वालछेड़ी सड़क की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

637. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोकरवाड़ा-भुसावर-बयाना मार्ग की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

638. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हलेना-नदहई व हलेना-खेरली सड़कों को शीघ्र पूरा करवाने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया) :

639. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धरियावद एवं सलूम्बर तहसील में सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिए)।

640. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की धरियावाद एवं सलूम्बर तहसील में अकाल राहत कार्य खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) :

641. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में सड़कों की खराब दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

642. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में अकाल के कारण काफी बड़ी संख्या में लोगों को भूखों मरने से बचाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र अकाल राहत कार्य खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) :

643. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत प्रदान करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री लालाराम (फलासिया) :

644. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं झाडोल तहसीलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत माहेव तालाब, ओगना की नाका, पाटोरुसीया का नाका आदि तालाबों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री लाला राम)

645. मांग संख्या 33; मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में कोटड़ा से माहेद, मामेट होती हुई हिम्मतनगर सड़क को अकाल राहत कार्य में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

646. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं झाडोल तहसीलों में अकाल राहत कार्य खोलने से राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

647. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुल व सड़कों के निर्माण में की गई अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये)।

648. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में हुए घोटालों के संबंध में चर्चा के लिये)।

649. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक बृहस्पति के कक्षाओं में लिखित भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ विधि से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को वंचित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

650. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भवनों की मरम्मत न करने से संबंध में चर्चा के लिये)।

651. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवास की समस्या के समाधान न करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां) :

652. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स को सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

653. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति व स्थिरीकरण के मामलों को अधिकारियों द्वारा लटकाये रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

654. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पांच एम० एल० ए० क्वार्टर्स के लिये एप्रोच रास्ता न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

655. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधायक निवास के सामने चौराहे को बारबार तोड़ फोड़

(श्री मनोहरलाल)
कर बनाने में होने वाले अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

श्री मीठालाल (लालसोट) :

656. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट कस्बे के बिल्कुल पास सड़क पर हमेशा कस्बे के बहते पानी के ऊपर पुल बनाकर सड़क को ठीक करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

657. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट, चाकसू तहसील में नई सड़कें बनाने के बारे में चर्चा के लिए) ।

658. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा-लालसोट रोड पर लालसोट कस्बे के पास पहाड़ के घाटे में सड़क को चौड़ा करने के कार्य को डामर बिछा कर पूरा करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

659. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा-लालसोट-गंगापुर व लालसोट-कोथून तथा लालसोट-सवाई माधोपुर सड़क की शीघ्र मरम्मत कर सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

660. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-सवाई माधोपुर सड़क पर मोरले व बनास नदियों के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिए) ।

661. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-दौसा सड़क पर तथा लालसोट-कोथून सड़क पर नये पुल बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

662. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 229 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट कस्बे में तहसील कार्यालय का नया भवन बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

663. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के अकालग्रस्त ग्रामों में किसी भी प्रकार की लेवी वसूली न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

664. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [चाकसू तहसील (जयपुर) के कुछ गांवों में 80% से अधिक फसल नुकसान होने के बावजूद इन ग्रामों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये] ।

665. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट व चाकसू (जयपुर) में अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले का बंटवारा न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये] ।

Page No 120

(श्री मीठालाल)

666. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की बामसोद तहसील में शीघ्र अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

667. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 289 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य न खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27 19, 20, 21, 22, 26, 28 व 33 पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष, आज जो लोक-निर्माण, जन-स्वास्थ्य, अकाल, चिकित्सा आदि पर जो महत्वपूर्ण 4-5 मांगें हैं और जब इतनी महत्वपूर्ण मांगें हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि 8 बजे वाली पाबन्दी न हो और दूसरा यह है कि पार्टियों को जो 30-30 मिनिट एलाट किये गये हैं वह पाबन्दी भी यदि ये दोनों होगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और दल के वक्ताओं को बहुत कम समय मिलेगा। वह एक विषय को छूकर दूसरे विषय पर चले जायेंगे तो यह उन विषयों के बारे में अन्याय होगा, और न सत्र में जो लोगों को विचार रखने का पूरा अधिकार रखना चाहिए उसके बारे में अन्याय हो। इसलिए मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं कि समय भी पर्याप्त दिया जाय और पार्टियों का समय भी ज्यादा बढ़ाया जाय क्योंकि दो दिनों के विषयों को एक दिन में ही लेने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से इस बात का पूर्णरूप से ध्यान रखा जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जितनी मांगे हैं उनके ऊपर एक साथ ही विवाद होना है। सबसे पहले मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। पिछले सदन के मौके पर राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस पर पाबन्दी लगाई जाने का निर्णय लिया गया। उसके बारे में, मैं इब्तदा में राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य सरकार का यह फैसला मैं मानता हूं कि एक इन्कलाबी फैसला था, और जो एक और जो गुमराह लोगों ने पैदा करने की कोशिश की थी वे इसमें नाउम्मीद हुए और प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के फलस्वरूप जनता को काफी उससे लाभ उपलब्ध हुआ। इसके अतिरिक्त जो नये डॉक्टर, बेरोजगार डॉक्टर आते थे और आये दिन सदन में उनके संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सवाल उठाये जाते थे, आज उसका मैं यह असर देख रहा हूं कि वह लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, और उनको अब भी अवसर प्राप्त हो रहा है। थोड़ा काम करने का उनको मौका मिल रहा है। इसलिए यह जो कदम उठाया गया है यह बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि इस कदम को उठाने के बाद अब इसकी गति में कुछ कमी पड़ गयी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
है । उसकी रफ्तार कुछ कम हो गयी है, और शायद राज्य सरकार को यह सूचना लगी हो कि यह जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमने कर दिया इससे सन्तुष्ट हो जायेंगे, लेकिन और आगे इस दिशा में कोई कदम न उठाया जाय तो मैं यह समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी । मेरा निवेदन यह है कि आपने जो कदम उठाया है उसको आप एक फेज्ड प्रोग्राम की शकल में, एक ऐसी शक्ल में उसको रखें कि यह पूरी तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस हर जगह पर बन्द हो जाय, और डॉक्टरों को सेवा करने का मौका मिले । मैं यह जमझता हूं कि यह कदम थोड़ा सा आपके लिए तकलीफदेह होगा, थोड़ी सी आपको माली-मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आप उन हालात पर काबू पा लेंगे बशर्ते कि आप सही इरादे और सही नीयत के साथ इस दिशा पर में कदम उठायें ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह एक सही दिशा में कदम था जो मैं समझता हूं सफल हुआ है । परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटलों और शफाखानों की हालत में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है, और छोटी छोटी चीजें भी आज शफाखानों में उपलब्ध नहीं होती हैं । आये दिन हमको इस सदन में यह शिकायत सुननी पड़ती है कि हॉस्पिटल में मरीजों की धोती फाड़ कर उसकी पट्टी बांधी गई, और कई-कई और शिकवे यहां पर लोग आकर करते हैं । तो यह उचित है कि जब आप लाखों रुपये तक डाक्टरों के ऊपर सर्फ (खर्च) कर रहे हैं, और मैं समझता हूं शिक्षा के बाद बजट जो है वह चिकित्सा का है । अब इतने करोड़ों रुपये उस पर खर्च कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि कुछ और रकम दवाओं के लिए, उपकरणों के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए आप दें । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जब चिकित्सा मंत्री थे तो उन्होंने कुछ कमेटियों का निर्माण किया था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन कमेटियों का आज तक यह पता नहीं चला कि वे जीवित हैं या मर गईं । मैम्बर तो उनके जीवित जरूर हैं लेकिन वह कमेटियाँ जीवित हैं कि नहीं उसका आज तक पता नहीं चला । चिकित्सा मंत्री से मैंने निवेदन किया, मैम्बरों ने यह गुजारिश की कि अगर आप यह चाहते हैं कि हम लोग कुछ सहायता कर सकें, कुछ मदद दें तो आपको उनके थोड़े से अधिकारों में बढ़ोतरी करना चाहिए और उसकी मीटिंग बुलाना चाहिए । पर मुझे यह अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वह डाक्टरों को मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना चाहिए क्योंकि डाक्टरों का पेशा कुछ अलग किस्म का है । लेकिन मैं यह सोचता हूं कि डाक्टर भी उस अवसरवादी नीतियों से प्रभावित हैं जो अवसरवादी नीति दूसरे अफसरों में है । न तो उन कमेटियों को समाप्त किया जाता है और न विस्तार किया जाता है, न मीटिंग बुलाई जाती है और न उनके लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो मैं यह गुजारिश करूंगा चिकित्सा मंत्री से कि वह इस बात की तरफ तवज्जह करके जो भी उनको फैसला लेना है लें ।

आज जो दयनीय हालत है अस्पतालों

(122)

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)

की वजह मैं समझता हूं कि इस वजह से नहीं है माली मालो मुश्किलात की वजह से बल्कि वह इस वजह से भी है कि आज हर बड़े शफाखाने में गुटबन्दी हो रही है। डॉक्टरों का आपस में मनमटाव है। मैंने पहले जब चिकित्सा के मसले पर बहस चली थी उस वक्त यह निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप कोई भी रास्ता निकालें जिससे यह सब के सब डॉक्टर मिलजुल कर कन्धे से कन्धा मिलाकर, सर जोड़कर मरीजों के लिए, जनता के लिए कुछ कारगर कदम उठा सकें। पर मैं यह समझता हूं कि वह हालत जो पहले थी वह बदस्तूर है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या यह सम्भव नहीं है कि हम इसका कोई रास्ता निकालें। मैं समझता हूं यह सम्भव है। अगर हम लोगों से मिलजुल कर बातचीत की जाती तो हम समझते हैं कि हम इस कार्य में मदद दे सकते थे और यह समस्या हल हो सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि आज हमारी सर्विसेज में स्पेशिलिस्ट मौजूद हैं। हम ने बहुत बड़ी रकम खर्च करके अपने डॉक्टरों को बाहर ट्रेनिंग में भेज कर स्पेशिलिस्ट बनाया है। लेकिन जो स्पेशिलिस्ट हैं, उनका उपयोग हमारे शफाखाने में नहीं हो रहा है। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन किया था कि अगर आप जो एडमिशन शफाखाने में करते हैं, वह दिन मुकर्रर कर रखा है। दो दिन किस डाक्टर के, दो दिन किसी और डाक्टर के, दो दिन और किसी डाक्टर के नियत कर रखे हैं। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। अब कोई दिल का मरीज है, दिन एलर्जी के डॉक्टर का है – तो दिल के बीमारी का मरीज एलर्जी के डॉक्टर के यहां पर एडमिट हो जाएगा और अगर मरीज एलर्जी का है और दिन दिल के डाक्टर का है तो वह वहां पर एडमिट हो जाता है। हमारे पास दिल के डॉक्टर का एक्सपर्ट है, उस मरीज का दाखिला उसके वहां पर होना चाहिए – वह होगा नहीं और वह दूसरे वार्ड में भरती हो जायेगा। मैं यह अर्ज किया चाहता हूं, आपके पांच अस्पताल हैं। आप तजुर्बे के तौर पर, स्पेशिलाइजेशन के बेसिस पर, जिस लाइन में जो स्पेशिलिस्ट हो, उस लाइन में उसको पूरा मौका मिलना चाहिये। उस लाइन के अन्दर वह अपने इल्म को डवलप करे। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं हर मर्ज के, हर मरीज के बारे में बराबर मालूमात रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, यह तो एक समुद्र है इसमें हर आदमी गोता लगाता है। उसको तजुर्बा होता है। मुश्किल से वह एक लाइन में दावे के साथ कह सकता है कि पचास, साठ प्रतिशत उसका तजुर्बा है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार के लोग, हमारे चिकित्सा मंत्री कभी इस विषय के ऊपर गौर करना नहीं चाहते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि हम स्पेशिलाइजेशन के बेसिस पर दाखिला करें और ऐसे इमरजेन्सी वार्ड कायम करें जिसमें स्पेशिलाइजेशन के बेसिस पर दाखिले हों। उपाध्यक्ष महोदय, किसी को हार्ट अटैक होता है और रात को टर्न किसी डॉक्टर की है, तो वह जाकर एलर्जी के डॉक्टर के यहां पर दाखिल हो जाता है जब तक

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)

वह डॉक्टर आवे और वह सोचे कि क्या करें, ट्रान्सफर करें या आपने यहां रखें उस वक्त तक मरीज का खातमा हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां पांच मेडिकल कालेज हैं, पांच बड़े अस्पताल हैं। आप तजुर्बे के तौर पर जयपुर में हो, मैं निवेदन किया चाहता हूं, जयपुर में ही इस बात का तजुर्बा करें। यहां पर जो दाखिले हों वे स्पेशिलाइजेशन के बेसिस पर हो। हमारे यहां पर हार्ट के स्पेशियलिस्ट हैं। हमारे यहां पर न्यूरोलोजी के स्पेशियलिस्ट हैं। हमारे यहां पर विभाग के स्पेशियलिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशियलाइजेशन का विकास नहीं हुआ है। हुआ है, पहले जो शाखाएं जनरल में थीं उन सब में स्पेशियलाइजेशन का डवलपमेन्ट हुआ है। मसलन यह है न्यूरोलोजी का आज एक अलग डिपार्टमेन्ट है, आरथोपेडिक्स का अलग से एक डिपार्टमेन्ट है, यूरिनरी इन्स्पेक्शन का अलग से डिपार्टमेन्ट है। इसमें आपके पास एक्सपर्ट है। फिर मेरी यह समझ में नहीं आता कि आप इन एक्सपर्ट्स से फायदा क्यों नहीं उठाते? मेरा यह संक्षेप में निवेदन है कि आज हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका हम केटेगराइजेशन करें और उनको स्पेशियलिस्ट की हैसियत से डिवाइड करें और जितने भी एडमिशन हों, वे स्पेशियलिस्ट-की हैसियत से एडमिशन होना आवश्यक है। और अगर आप यह कदम उठाएंगे तो मैं एक बात और बताये देता हूं, वह वक्त आजाएगा जब यहां पर डाक्टरों में, किसी डाक्टर के विभाग में ईर्ष्या, नफरत एक-दूसरे के खिलाफ नहीं रहेगी। असल में ये भावनाएं तब तरक्की पाती हैं डॉक्टर में जब एक स्पेशियलिस्ट के मैदान में दूसरा आदमी घुसने की कोशिश करता है। उस वक्त मनमुटाव पैदा होता है। तो आप कुछ नहीं करें, यह निवेदन करूंगा कि एक अस्पताल में इस बात की कोशिश करें कि दाखिले बजाय टर्न के स्पेशियलिस्ट के यहां दाखिले हों। आरथोपेडिक्स का ठीक है। जो दिमाग के मरीज हैं, उनकी भी अलग से व्यवस्था है लेकिन जो हार्ट के पेशेन्ट हैं, इनके लिए आपके यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से एलर्जी का पेशेन्ट है वह एलर्जी विंग में जाए। इस प्रकार की परम्परा कायम कीजिये और यह चीज एक बार नहीं अनेक बार मैं यहां पर, इस सदन के प्रांगण में गुजारिश कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मुझे यह निवेदन करना है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आर्थिक सहायता करती हैं। उनको पूरा एन्करेजमेन्ट, समर्थन मिलना चाहिये। मैंने एक बार वित्त मंत्री महोदय से भी यह निवेदन किया था। यह जो आपके मरीजों के लिए एक्स-रे प्लेट आती हैं इन पर आप टैक्स लेते हैं। यह बड़ा अन्याय है। आपने बहुत-सी चीजों को टैक्स से मुक्त कर रखा है और जिसका अधिकांश बोझा चाहे राज्य सरकार पर पड़ता हो, या इन्डिविजुअल पर पड़ता हो, वह पड़ता है परन्तु इस के ऊपर तो किसी किस्म का टैक्स नहीं लगना चाहिये। लेकिन इस तरफ भी राज्य सरकार की तवज्जोह नहीं है। इसी तरह से आपके यहां पर जो ब्रान्चेज निग्लेक्टेड हैं उनकी तरफ भी तवज्जोह नहीं होती है। आपके यहां पर प्लास्टिक सर्जरी के दो डाक्टर्स हैं और बर्न (जलने) के केसेज आते हैं, उनमें

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी तकलीफ होती है बर्न से जलकर होती है, उसका अन्दाजा आप नहीं कर सकते हैं। उनको जनरल सर्जरी में डाल दिया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर आपके पास हैं, जिनको ट्रेनिंग मिली है, उनको इस बात का मौका नहीं मिलता है कि वे ऐसे केसेज की पूरी खिदमत कर सकें। तो मेरा निवेदन है कि जो ऐसे मर्ज हैं, तकलीफदेह हैं, उनके मरीजों को रिलीफ दें। क्या कठिनाई है। एक दफा बर्न का वार्ड कायम हो जाए, चाहे वह छोटा ही हो। वहां पर प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हैं, उनको वह काम सुपुर्द कर दिया जाये. कल ही एक घटना घटी है। इस असेम्बली के पीरियड के दरम्यान, जब से यह शुरू हुई, कम से कम तीन हमारे सदन के मैम्बर हार्ट फेल्योर के शिकार हुए हैं। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन किया था और बार-बार यह कहा था कि ये हार्ट फेल्योर के जो केसेज हैं, इनका इन्सीडेन्स बढ़ता ही जा रहा है। आपके पास हार्ट के केसेज को अटेन्ड करने के लिए एक मोबाइल यूनिट होनी चाहिये जो इक्विप्ड हो हर किस्म के इक्विपमेन्ट्स से। हमारे तीन सदस्य जिसमें मुख्य मंत्री बरकतुल्लाखां साहब भी हैं, इस मर्ज के शिकार हुए हैं। इन्टेन्सिव केयर यूनिट की रिपोर्ट आयी और उसमें कुछ सवालात किये थे, मुझे इससे कोई शिकवा नहीं है कि उसके जवाबात वेग आये पर यह मेरा निवेदन है कि आप कुछ भी फैसला लीजिये, आप एक वार्ड कायम कीजिये, दो वार्ड, दस वार्ड, जितने आप से हो सकें और केटेगराइजेशन वार्ड का कायम कीजिये। आप इस दिशा में कदम उठाइये। रोज इस किस्म की मौतें होती हैं लेकिन आपको इस बात का अहसास नहीं होता कि किस तरह से उसको कन्ट्रोल किया जावे। न वह मोबाइल यूनिट कायम होती है और न दूसरे इन्टेन्सिव केयर यूनिट आप स्थापित करना चाहते हैं। स्पेशियलाइजेशन के बेसिस पर आप तवज्जोह करेंगे तो यह चीज बहुत हद तक हल हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मसले को, जिसको मैंने बार-बार उठाया है उसके मुतल्लिक फिर मैं यहां निवेदन किया चाहता हूं। मेरी मान्यता यह है कि हमारे माननीय मंत्री श्री छंगाणी ने चार्ज जब से लिया है उस वक्त से दवाओं में मिलावट के केसेज में कमी आई है और मैं उसके लिए उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। चाहे वह खेतसिंहजी की तरह गर्दन न हिलायें……

श्री फूलचन्द जैन : हम सब ने आपके धन्यवाद को स्वीकार किया है।

श्री रामकिशन : लेकिन उनमें खुद में मिलावट आगई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : और मैं यह भी मानता हूं कि रिएम्बर्समेंट के केसेज में भी कुछ कमी हुई है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि आपको सैद्धान्तिक रूप से एक चीज को मानना चाहिए। वह यह है कि यह जो आप का रिएम्बर्समेंट का तरीका है, तीन सेक्शन्स को, तीन किस्म के लोगों को करप्ट करता है। डॉक्टर को करप्ट करता है जो सर्टीफिकेट देता है। उस डीलर को करप्ट करता है जो दवाएं

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)

देता है और उस मरीज को, मुलाजिम को भी करप्ट करता है जो उस सर्टीफिकेट का हासिल करता है। तो जब आप यह रिएम्बर्समेंट के सिस्टम को सही नहीं कर सकते तो फिर इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जिन लोगों की तनख्वाहें, आप कोई लिमिट कायम कर लीजिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मैंने सुझाव दिया था कि जिन लोगों की तनख्वाहें पांच सौ रुपये से कम हैं उनको बजाय रिएम्बर्समेंट के उनको पैसा मिल जाना चाहिए हर माह। चाहे दस रुपया, बीस रुपया महीना ही हो और यह सीमा नहीं होनी चाहिए बल्कि आपका एक बोर्ड होना चाहिए। अगर वह यह कहे कि दस रुपये माहवार से मेरा गुजारा नहीं चल सकता तो वह बोर्ड यह कह सकता है कि इनको इतना पैसा इस इलाज के लिए और दे दिया जावे या ये दवायें और दे दी जावें। पांच सौ रखिए, हजार की लिमिट रख लीजिए। मैं देखता हूं, रिएम्बर्समेंट के बारे में मैंने सवालात पूछे पर राज्य सरकार के लोग दो-दो महीने तक भी अपना जवाब नहीं देते। मैंने पूछा था कि कितने गजेटेड अफसरों को रिएम्बर्समेंट का पैसा दिया, कितने नॉन-गजेटेड अफसरों को पैसा दिया गया रिएम्बर्समेंट का और कितने छोटे मुला-जिमान यू० डी० सी०, एल० डी० सी० को कितना पैसा दिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि कौनसा ऐसा यह काम है जो सीगे राज में रखना चाहती है राज्य सरकार और हमको नोलेज नहीं देना चाहती। यह पैसा मिला तो इसमें कितना मंत्रियों को मिला, कितना अधिकारियों को मिला। मेरी मान्यता यह है कि इसका ज्यादा उपयोग, ज्यादा उपलब्धि उन लोगों को है जो, जिनकी तीन हजार, ढाई हजार, दो हजार रुपये माहवार तनख्वाहें मिलती हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि हजार रुपये के ऊपर किसी शख्स को रिएम्बर्समेंट मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हो सकता है कि हमारे आई० ए० एस०, आर० ए० एस० को नागवारे-खातिर हो लेकिन इन्सानियत के नाते खुद परसनली सोचें कि जिस रिएम्बर्समेंट का फायदा उठा रहे हैं और जो रिएम्बर्समेंट असल में गरीब मुलाजिमान को मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल रहा है और उनकी एक अच्छी खासी रकम आपके पास जा रही है। तो मैंने निवेदन किया कि इस सिस्टम में भी आपको कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर आज तक उसकी तरफ कोई तवज्जोह नहीं हुई है।

दवाओं में मिलावट का एक लम्बा किस्सा था और उपाध्यक्ष महोदय, और हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्लूकोज इस किस्म का तैयार हुआ कि बहुत सी मौतें वाके हुईं। हमारा राजस्थान इस किस्म की घटना से बचा रहा लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें काफी सतर्कता की जरूरत है। इसमें ऐसे लोग मुलाजिम होने चाहिएं, ऐसे लोग इस काम को हाथ में लें कि जिनकी ईमानदारी शुबे से ऊपर हो और उसको पूरी तौर से कण्ट्रोल किया जाय। श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही यह निवेदन करना चाहता हूं चिकित्सा के बारे में कि जो कमेटियों का निर्माण किया था या तो आप उनको आज अपनी घोषणा में समाप्त कर दें या फिर अगर आप कुछ चाहते ह कि दूसरों को

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)
कुछ सहायता मिले तो उसके ऊपर आपको रिएक्टवाइज करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस पर गौर फरमावें और यह जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि यहां पर ......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दस मिनट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : That will be more than half an hour.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं एक अकेला ही बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : That's why I am requesting you to complete within five minutes.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दस मिनट में खत्म कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो छः लाख 13 हजार की आबादी का एक शहर है इसमें एक हॉस्पिटल है, सदन में भी यह कई बार आ चुका है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कायम होना चाहिए और वह जनाना अस्पताल के बारे में कुछ कदम उठाये गये हैं राज्य सरकार द्वारा और जनाना हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करके और वहां स्पेशियलाइजेशन का रूप दिया जावे और यह हॉस्पिटल जनाना अस्पताल यह दूसरी जगह शिफ्ट किया जावे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस काम में क्यों देरी की जा रही है और क्या कठिनाई है इसमें। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में कदम उठायें। तो यह संक्षेप में मैंने चिकित्सा के बारे में कहा।

मुझे अब छः आयुर्वेद और तिब्बिया कालेज के सम्बन्ध में भी निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, वह थोड़े में यह कहना है कि मेरी नजर में से एक किताब गुजरी है उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि तिब्बिया, तिबे यूनानी और आयुर्वेद को एक ही ब्रांच की शाखायें हैं यह बताने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि यह मान्यता सैद्धान्तिक रूप से गलत है। यूनानी, तिबे यूनानी का ओरिजन इजीप्ट के यूनान के, ग्रीस के इन हुकामों से चलता है कि जो जमाना अरस्तु का, बुखरात का सुकरात का, जालूलूस ये पैदा हुए। इन सख्शों ने तिबे यूनानी को जन्म दिया जब कि आयुर्वेद हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा हुआ और वैदिक चिकित्सा के आधार पर हुआ। लेकिन इस किताब में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह दोनों एक की ही शाखायें हैं। यह हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन दोनों को एक तरह से बढ़ावा दिया हो लेकिन यह दोनों संस्थायें अलग हैं। केन्द्र की हुकूमत का भी यह रवैया रहा है कि यह जितने सिस्टम हैं उनको बराबर प्रोत्साहन दिया जावे, पर मैं यह देख रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तिब्बे यूनानी के तीन शफाखाने और दूसरे शफाखाने डेढ़ सौ और सौ खुल रहे हैं और आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने बजट रखा है उसमें एक पैसे का प्रावधान भी तिबिया कालेज के लिए या तिबे यूनानी की हकीमों के लिए नहीं है। आज छः 'ए' श्रेणी के, 'ए' क्लास के तिबिया यूनानी

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)

की डिस्पेंसरीज हैं और उनमें एक में भी 'ए' क्लास के हकीमों को मुकर्रर नहीं किया गया है मैं समझता हूं कि यह पक्षपात राज्य सरकार को शोभा नहीं देता और उस सूरत में जब हम यह मानते हैं कि प्रगतिशील नीति रखने वाले एक इंसान के हाथ में यह है, वह इंसान इन सब अफेयर्स को कण्ट्रोल कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात का अध्ययन करें और इसका हल निकालें। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मालूम है कि पहले यह सुझाव था कि डिप्टी डायरेक्टर एक तिब्बिय यूनानी का अलग हो ताकि वह पूरा टाइम देकर इस पर तवज्जोह करे और जहां पर जरूरत हो तिबें यूनानी के शफाखाने कायम करने की वहां पर ही कायम करें। होता यह है कि इन हॉस्पिटल्स पर कन्ट्रोल नहीं रहता और यह शफाखाने ऐसी जगह कायम किये जाते हैं जहां मांग नहीं होती। इसलिए कुछ दिनों बाद इनको बन्द करना पड़ता है। जहां पर मांग होती है वहां पर यूनानी दवाखाने कायम नहीं करते। तो क्या यह जो तरीका आपका है, इसको आप सही मानते हैं ? मेरा निवेदन यह है कि इस सिलसिले में तिब्बी यूनानी हकीमों को शिकायत है। इसलिए एक छोटी-सी कमेटी बना दें। उसमें असेम्बली के भी मेम्बरान को भी रख दें ताकि जिस जगह मांग हो वहां पर खोला जाये और जगह जब इतना खर्चा करते हैं। आयुर्वेद के 34 'ए' क्लास के हैं, 'बी' क्लास के 1?6 और 'सी' क्लास के 1,635 हैं जबकि यूनानी के 3, 6 और 45 हैं। इसको आप उचित मानते हैं क्या ? उचित मानते हों तो वह बात अलग है। नहीं तो यह अनुचित है। तिब्बी यूनानी की कई जगह खाली पड़ी हैं। यहां पर एक कॉलेज है। मन्त्री महोदय की कोशिशों से वह चल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पास किये हुए हकीम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ठोकर खाते फिर रहे हैं। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा वह कॉलेज चल रहा है। आपने रुपया दिया है। यह आपकी शान है। राजस्थान में तिब्बी कॉलेज है यह आपका सेक्युलर सोचने का तरीका है। सही ढंग से सोचने का तरीका है। आप सही आदमी को मुकर्रर करें। मेरा अर्ज करना यह है कि इस तरह से आप तजबीज दें। यही मैं निवेदन करता हूं। तीसरी चीज जो छोटा सा मसला है। पानी का मसला है। मैं अर्ज करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर में पानी की समस्या बहुत गम्भीर है और गर्मियों में थोड़ा संकट पैदा होता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो अपनी प्लानिंग की है जो व्यास योजना आपने बनाई थी वह छोड़कर आप कुआं खोद रहे हैं, और कुओं के जरिये से आप पानी पा सकें। आप यह परीक्षण कर रहे हैं, कि कहां पानी उपलब्ध हो सकता है। यह जो नीति आपने बनाई है, यह गलत है। उस रोज भी यह सवाल आया था। 15-15 फीट पानी नीचे जा चुका है क्या आप यह चाहते हैं कि 6 लाख 15 हजार आदमियों पर पानी का संकट पैदा हो जाये। तभी आप कुछ करें। आप अपने बजट की बात करना चाहते हैं मुझे उन अधिकारियों से कुछ नहीं कहना है जो पानी के मसले को डील करते हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आपकी नीतियां सही नहीं हैं। उनमें सुधार लाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
संक्षेप में निवेदन करूंगा कि चिकित्सा मंत्रीजी और वित्त मन्त्रीजी ने इस मसले पर थोड़ी बहुत रोशनी डाली है तो उन पर तवज्जोह फरमायें और मेरी गुजारिश पर गौर फरमायें। मैं चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जिन कमेटियों का आपने निर्माण किया था उस बारे में आप निश्चित फैसला सुना दें। उनको आप कायम रखना उचित समझते हैं या नहीं, नहीं तो, उनको समाप्त करें।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री मीठाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी बोला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आंख में तकलीफ है। आप बाद में बोल लें।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिन मांगों पर विचार हो रहा है, राजस्थान की वह बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें हैं। और मैं चाहूंगा, सदन में माननीय सदस्य जो सुझाव दें, राज्य सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करते हैं और माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे देते हैं। जवाब तो दे देते हैं लेकिन मन्त्री महोदय उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो विभागों की मांग है, उसको मन्त्री महोदय सुनें और सुनकर उस पर विचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग पर चर्चा करना चाहता हूं। और वह इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय हमारे सामने बैठे हैं। जिस दिन सिंचाई विभाग पर चर्चा हुई थी उस दिन उन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाया जैसे माननीय सदस्य राजस्थान का विभाजन कराना चाहते हों। उपाध्यक्ष महोदय, देशी रियासतों का जब विलीनीकरण हुआ तो हमीं लोगों ने यह कहा था कि राजस्थान एक बने। हमारी कभी यह मंशा नहीं है कि राजस्थान का विभाजन हो। राजस्थान के विभाजन के लिए हम कभी नहीं कह सकते हैं। आपने आंखों में आंसू लाकर, गद्गद् हृदय होकर, वाणी में भारीपन और भरे हुये गले से जो कहा तो मैं समझता हूं कि आप असलियत को स्वीकार करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जवाब दिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आंखों में आंसू लाकर कहा था, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशन : यह मैं जानता हूं, गफ्फार साहब ! आप जानते नहीं है।

उस दिन जब यह कहा गया कि राजस्थान के पूर्वी भाग में यह काम नहीं हुआ है। चूंकि वह वाद-विवाद समाप्त हो गया है इसलिए मैं दुबारा उसे कहना नहीं चाहता हूं। वह हमारे पुराने साथी रहे हैं। वह सदन में इस प्रकार का बयान देने से बाज आयें। थोड़ा-सा कोई अगर यह जिक्र करे कि राजस्थान के दूसरे जिलों में राजस्थान के पूर्वी जिलों में कोई काम नहीं हुआ है तो उसका कारण यह बता दिया जाता है कि वहां पानी का अभाव नहीं है। तो क्या आप यह भी कह सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के लोगों को सड़कों पर चलना नहीं

(श्री रामकिशन)

आता है। उदयपुर के लोग सड़कों पर चल सकते हैं। इसीलिए आप पूर्वी क्षेत्र में सड़कें भी नहीं बनाते हैं। क्या आप यही जवाब देंगे? क्या पूर्वी राजस्थान में अनाज ढुलाई के वाहन कम हैं? इसके लिए पहले से तैयार रहें। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि सदन में चर्चा निरन्तर चल रही है राजस्थान के कुछ इलाकों की उपेक्षा की जाती है। उस उपेक्षा में कोई बात नहीं है। अगर उदयपुर में आदिवासियों के लिए कोई काम होता है, तो हमें प्रसन्नता है। अगर अकाल राहत का कोई काम होता है तो हमें प्रसन्नता होती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब आप पूंजी नियोजन की बात करते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है कि पूंजी को ऐसी जगह लगाओ जहां से रिजल्ट्स जल्दी और अच्छे आजावें। मैं आप को जानकारी देता हूं चाहे आप सिंचाई विभाग ले लें। शिक्षा, चिकित्सा, रोड्स, बिल्डिंग्स, आप कोई भी एक मामला ले लें। आज 12-15 जिलों की सम्पूर्ण उपेक्षा की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नाराजगी का कारण नहीं। यह पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच में कटुता का प्रश्न भी नहीं है। लेकिन इस बारे में आप अपने आचरण और विचारों को सुधारें क्योंकि जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मेरी यह दृढ़ भावना है कि आप खंडित करने की कोशिश करेंगे। आपके साथी ताली बजा दें। लेकिन घर जाकर आप सोचेंगे कि झूठ बोला है। आपको दण्ड मिल सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बात नहीं है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन तो मन्त्री महोदय भावावेश में कह गये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल कितनी सड़कें हैं। जितनी भी बनी हैं, योजना के तहत और अकाल के तहत। योजना के तहत 33,832 किलोमीटर बनी हैं और अकाल के तहत 14,221 किलोमीटर बनी हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं कि सड़कों का विस्तार कहां होना चाहिए। अकाल की बात छोड़ देते हैं। अकाल पड़ेंगे तो वहां तो आपको करना ही है। लेकिन आप यह स्वीकार करेंगे, योजना के तहत सड़कें कहां बनेंगी। आप भरतपुर को ले लीजिये, अलवर को ले लीजिये, सवाई माधोपुर को ले लीजिये, जयपुर को ले लीजिये, कोटा को ले लीजिये, बून्दी को ले लीजिये, झालावाड़ को ले लीजिये। आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर वाहनों की संख्या ज्यादा है, वहां पर ट्रक-ट्रेक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी भार वाहन की क्षमता भी दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। रेल्वे का हिसाब भी मैंने लिया है कि कितने मील पूर्व में जाती है और कितनी पश्चिम में जाती है। कितनी ज्यादा संख्या वाहनों की होती है, सड़कों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। नागपुर रिपोर्ट को ले लीजिये, मैंने नागपुर रिपोर्ट को भी पढ़ा है, जहां पर वाहन ज्यादा होते हैं वहां पर सड़कों का विस्तार भी ज्यादा होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के क्षेत्र में जितने

(श्री रामकिशन)

भी वाहन हैं उसकी जानकारी भी मेरे पास है और मन्त्रीजी नहीं रखते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के इलाके में जो रीजन हैं उसमें इस प्रकार के वाहनों की संख्या 65,915 है, और उदयपुर में इस प्रकार के वाहनों की संख्या 13,887 है ट्रक और ट्रैक्टरों की, क्योंकि यह इलाका विशेष प्रवृत्ति का सूचक है इसलिए वहां पर यह संख्या ज्यादा है। कुल 72 लाख में से सात जिलों में ही 47 लाख का उत्पादन है। भार-क्षमता कितनी ज्यादा है परन्तु सड़कों का विस्तार उसके मुकाबले में वहां पर क्या हुआ है। इसी सम्बन्ध में, माननीय मन्त्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसी दृष्टि से देखेंगे तो सारे राजस्थान की जब आप शक्ल देखेंगे तो उदयपुर में कितने व्यक्ति हैं, वहां की आबादी 18 लाख 3 हजार 680 है और योजना के तहत वहां सड़कें बनायी गई हैं 3,311 किलोमीटर, अकाल के तहत जिसमें सभी प्रकार की सड़कें बनी हैं 1,447 किलोमीटर। इसी प्रकार से बांसवाड़ा को लीजिये क्योंकि यह एक विशिष्ट क्षेत्र है, इस क्षेत्र की राजगद्दी है, इसलिए जहां राजा रहेंगे वहां तो काम होगा ही, लेकिन मन्त्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए। बांसवाड़ा की आबादी 6 लाख 54 हजार और योजना के तहत सड़कें 730 किलोमीटर और अकाल के तहत 538 किलोमीटर, डूंगरपुर में आबादी 5,20,000 योजना के तहत सड़कें 707 किलोमीटर और अकाल के तहत सड़कें 435 किलोमीटर, भीलवाड़ा की आबादी 10 लाख 54 हजार योजना के तहत सड़कें 1,165 किलोमीटर, अकाल के तहत 846 किलोमीटर। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ में आबादी 9 लाख की है जहां पर योजना के तहत सड़कें बनाई गई हैं 288 किलोमीटर और अकाल के तहत 143 किलोमीटर। अब इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तस्वीर को आप देखें, माननीय मन्त्रीजी यह स्वीकार करेंगे, आप इन इलाकों में दूर तक चले जाइये, मैं तो बहुत दौरा करता हूं, दो-चार मील तक कोई आदमी की शक्ल दिखाई नहीं देती। कभी-कभी कोई कार चले ही निकल जाय। आखिर आपने किस उद्देश्य से वहां पर सड़कें बनाई हैं। अब दूसरी ओर जहां पर आबादी ज्यादा है और वाहन संख्या और भार वाहन की क्षमता भी ज्यादा है उस तस्वीर को भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भरतपुर को आपने क्या बना रखा है। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब मुजीब ने कहा था . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया . . .

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर की आबादी 14 लाख 90 हजार है, सड़कों की लम्बाई योजना के तहत 1,538 किलोमीटर, अकाल के तहत कुछ भी नहीं है। अलवर में आबादी 13 लाख 91 हजार 162 है, योजना के तहत सड़कें 1,401 किलोमीटर, अकाल के तहत कुछ नहीं, सवाई माधोपुर में आबादी 11 लाख 93 हजार 5 सौ अट्ठाइस है, योजना के तहत सड़कों की लम्बाई 941 किलोमीटर और अकाल

(श्री रामकिशन)

के नाम पर कुछ नहीं । मेरा निवेदन करना है कि इन जिलों में अकाल के राहत के नाम पर कोई सड़कें नहीं बनाई गई और हमारे यहां अकाल पड़ता भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं। लेकिन वहां की आबादी ज्यादा होने पर भी, भार-वाहन की क्षमता ज्यादा होने पर भी और वाहनों की संख्या ट्रक-ट्रेक्टरों की संख्या इतनी ज्यादा होने पर भी योजना के मामले में आपने इतनी गड़बड़ियां क्यों कीं । आपका इसके लिये कोई जवाब नहीं है । जयपुर और टोंक को भी ले लीजिये, जितनी आबादी टोंक में और जितने वाहन हैं उनके मुकाबले में सड़कों का विस्तार नहीं हुआ । इस प्रकार मैं पूर्वी जिलों से कहना चाहता हूं कि इनके अलावा राजस्थान के सारे जिलों की भयंकर रूप से उपेक्षा की गई है। क्या आप यह चाहते हैं कि सारा पूर्वी राजस्थान रोता रहे और आप अपने क्षेत्र का ही विकास करते रहेंगे । मन्त्रीजी के पास इसका क्या जवाब है । आप यह कहने की कोशिश करेंगे कि अकाल के तहत जो सड़कें नहीं बनी हैं या बनी हैं उसका जवाब तो अकाल राहत मन्त्रीजी दे सकेंगे, मुझसे इसका सम्बन्ध नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है। मुख्य मंत्री हमेशा बांसवाड़ा या उदयपुर डिविजन के ही बनेंगे, क्योंकि उनकी राजगद्दी है । पूर्वी राजस्थान को आप हमेशा वंचित करते रहेंगे, कब तक वे इस अन्याय को बर्दाश्त करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि आपका राजस्थान बहुत बड़े संकट में जाने वाला है और हालत बहुत खराब होने जा रही है । आप कोटा, बून्दी और झालावाड़ पर नजर डालेंगे तो आपको बहुत निराशा होगी । आप कहेंगे कि वह तो चम्बल का क्षेत्र है, लेकिन आपने उसके अलावा और वहां पर क्या किया है। अगर आपमें साहस है तो सत्य के हिसाब से देखिये और जवाब दीजिये और साहस नहीं है तो सब स्वीकार कर लीजिये और लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, खर्चे की दृष्टि से देखें तो दशा और भी खराब है। हमारे राजस्थान की जो स्थिति है 67-68 में अकाल की योजनाओं के नाम पर जितना खर्च किया गया है, इसमें भी दूसरे जिलों की भयंकर उपेक्षा की गई है। सबसे पहले उदयपुर को लीजिये जहां पर राजगद्दी है, वहां पर, क्योंकि राजगद्दी वहां की होती, यह अलग बात है कभी बांसवाड़ा की, कभी उदयपुर की, लेकिन होती है जयपुर वालों और जोधपुर वालों की बुद्धि से। तो उदयपुर में खर्चा हुआ है योजना के तहत 2 करोड़ 43 लाख 75 हजार, अकाल के तहत 8 करोड़, भीलवाड़ा में योजना के तहत 1 करोड़ 88 लाख 51 हजार और अकाल के तहत 4 करोड़, बांसवाड़ा में योजना के तहत 1 करोड़ 17 लाख, और 21 हजार के लगभग, चित्तौड़ में योजना के तहत खर्चा हुआ है । 1 करोड़ 78 लाख 11 हजार, और अकाल के तहत 1 करोड़ । भरतपुर की तरफ अकाल का तो सवाल ही नहीं है परन्तु योजना को देखेंगे तो भी भरतपुर रह जाता है, वहां पर योजना के तहत खर्चा हुआ है 1 करोड़ 73 लाख, अकाल के तहत कुछ नहीं, अलवर में 1 करोड़ 80 लाख और 12 हजार के लगभग खर्च किया गया है, अकाल में कुछ नहीं। जयपुर उदयपुर से बड़ा है हर लिहाज से आबादी में, राजस्व में और सब तरह

(श्री रामकिशन)

वहां पर योजना में 2 करोड़ 18 लाख और अकाल राहत पर 60 लाख हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में योजना के तहत 1 करोड़ 64 लाख खर्च किया है, अकाल के नाम पर कुछ खर्च नहीं किया है। टोंक में योजना के नाम पर खर्च किया है, छोटा-सा कस्बा है, कहां टोंक और कहां बांसवाड़ा, लेकिन टोंक में योजना के नाम पर खर्च किया 52 लाख और अकाल पर खर्च किया है 1 करोड़। इस सारी स्थिति को जब देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो निराशा होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप जब योजना बनाते हैं तो थोड़ा चिन्तन भी करते हैं क्योंकि आगे क्या समय आयेगा और अब कैसा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, जो हो चुका, वह हो चुका हमारे मन में उसको लेकर कोई कटुता नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रवृत्ति को जारी रखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के लोग आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे, बगावत करेंगे। आप समझते हैं, उनको आप अनुशासन के नाम पर रोक सकेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, वह शांत रहने वाले नहीं हैं, आखिर क्षेत्र में जो स्थिति बनती जा रही है, उसका उनके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह से सारे आस्पेक्ट को देखने की कोशिश की है, योजना को देखा, अकाल को देखा, खर्च को देखा, लम्बाई को देखा, आबादी को देखा। अब सडकों की लम्बाई देखिये, कितने किलोमीटर सड़क बनाई, अगले साल की स्थिति देखें, 1974-75 की। मैं एक बात कहता हूं कि उदयपुर में काफी सड़क बन गई हैं, फिर भी आपको सन्तोष नहीं है। इस साल फिर वहां नई सड़क बनी है। आप जिले के हिसाब से देखें कि कहां पर सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़क बनी है। मैं यह भी साफ किये देता हूं। आखिर इस प्रकार का जो काम करते हैं, इसका नतीजा क्या होने वाला है। इसका खुद अन्दाज लगाकर देखिये। उपाध्यक्ष महोदय, खासतौर पर इस वर्ष में जो अभी नई सड़कें चालू कर रखी हैं, उसका जिक्र करके इस विभाग के बारे में अपनी बात खत्म करके दूसरे विभाग पर आना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नई सड़कों में कहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें हैं तो उदयपुर जिले में हैं। यह बात आपके ध्यान में कई वर्षों से लायी जा रही है कि आपको अपनी आदत में सुधार करना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति में सुधार करना चाहिए। 1974-75 में, उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी तक खर्च हुआ है उसमें उदयपुर में साढ़े दस किलोमीटर नई सड़क बनी है। राजस्थान से कहीं नई सड़क नहीं बनी है, लेकिन उदयपुर में बनी है, इतनी सड़कें हैं, कोई उन पर ट्रक नहीं, कोई कार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गांव नहीं, लेकिन सड़क जरूर बनेगी। आपने वहां के लोगों को डिसीव करने के लिए सड़क बना दी, जिससे लोगों को कह दें कि सड़क बना दी। भीलवाड़ा में नई सड़क बना दी, उदयपुर में नई सड़क बना दी साढ़े दस किलोमीटर। अब बांसवाड़ा में राजगद्दी हो गई है, इसलिए वह भी सड़कों के मामले में अब आगे जा रहा है। उदयपुर जिले की तुलना में, वहां पर साढ़े सत्ताईस किलोमीटर सड़क नई बनी है और साढ़े पांच किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है। उदयपुर में राजगद्दी उठ गई है, वहां पर 19 किलोमीटर

(श्री रामकिशन)

सड़क नई बनी है और 18 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है। चित्तौड़ में 8 किलोमीटर सड़क नई बनी है और 11 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हुई है। पूर्वी राज्यों के अन्दर आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो भरतपुर में मरम्मत के नाम पर कुछ नहीं, नई सड़क के नाम पर भी कुछ नहीं। वहां कुछ हो जाता तो आखिर होता क्या। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में न नई सड़क बनी है और न मरम्मत कराई है। आपने मरम्मत और मेन्टेनेन्स के लिए पैसा दिया है, उसका आवंटन आखिर किया कैसे है, वहां पर मरम्मत जरूरी है। और नई सड़कों का मेन्टीनेन्स भी जरूरी है। सीकर के अन्दर 9 किलोमीटर नई सड़क का काम हुआ है और मरम्मत 15 किलोमीटर की हुई है। झालावाड़ में न नई सड़क बनी है और न पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई है। बूंदी में मरम्मत के नाम पर जरूर कुछ हुआ है, और नई सड़कों के नाम पर तीन किलोमीटर नई सड़क बनी है और 12 किलोमीटर की मरम्मत कराई है। मैं चाहता हूं कि आप राज्य सरकार में किसलिये बैठे हैं। आप आज ही हिम्मत करके ऐलान कर दें त्याग-पत्र देने के लिए। आप कह दें, मुझसे अनजाने में भूल होगई है। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक परम्परा निभाने के लिए यह सत्ता आपके हाथ में दी है। लोकतांत्रिक परम्परा निभाने के लिए दूसरे मुल्कों में मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इंगलैंड में एटली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आखिर उनका दोष क्या था? उनका दोष था, इंगलैंड का जो विकास बोर्ड बना था, वह उसके चेयरमैन थे, और स्काटलेंड और इगलेंड में इम्बेलेन्स पैदा होगया था। इसलिए वह त्याग-पत्र देकर चले गये। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मंत्री-पद से त्याग-पत्र दे दें, लेकिन आप डेमोक्रेटिक, लोकतन्त्रवादी हैं तो बयान के टाइम पर आपका इस्तीफा देने का ऐलान होगा। अगर नहीं, तो फिर आप कम से कम यह कहेंगे कि हमसे यह गलती हुई है, इसको हम दुरूस्त करेंगे। इतनी बात कह कर मैं इस रोड सेक्टर को छोड़ता हूं, आप खुद इस पर चिन्तन करें.....

श्री केदारनाथ : गलती मत कर लेना क्लेमेन्ट बहुत हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भरतपुर में बाढ़ में खूब काम किया गया है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, अब देखिये, बिल्डिंग का क्या है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट फण्ड में चाहे खर्च हो या राज्य सरकार का योजनागत खर्च हो, एक निवेदन कर दूं इस पर निगाह डालेंगे तो सदन के सारे सदस्यों को मालूम हो जायगा कि विकास का सारा पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। राजस्थान की इकनामिक पोजीशन गिर रही है, पर कैपिटा इन्कम गिर रही है क्योंकि जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वह वेस्ट जा रहा है। इसका नतीजा आपके सामने हैं। मेरा क्षेत्रीय दृष्टिकोण नहीं है, मेरा भरतपुर, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता से मोह नहीं है। इस कारण मैं जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर भार-वाहन की क्षमता बहुत अधिक भरतपुर में है। रेल्वे बिल्टी पार्सल का हिसाब लगायें, तो माल इस हिसाब से वहां से बाहर जाता है कि वहां पर दो तीन पुल की

(श्री रामकिशन)

आवश्यकता है, गम्भीरी पर दो पुल होने चाहिएं। वहां के सदस्य मांग करते हैं, लेकिन वह पुल नहीं बन सके। पुल कहां बनते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जरूर पुल बनेंगे, वहां नदी पर पुल बनते हैं, जहां मुश्किल से साल में पांच ट्रक जाते होंगे, देवपुराजी की कार जाती होगी, हरिदेव जी की कार जाती होगी। वहां पर मामूली से मामूली पुल जरूर बनेगा। लेकिन जहां से माल जाता है, जहां से ढुलाई होती है, जो कि रेल्वे के ट्रेंक निकल रहे हैं वहां पर पुल नहीं बनेगा। इस स्थिति में मैं इतना ही कह कर इस बात को समाप्त करना चाहूंगा, आप मेहरबानी करके इस दिशा में सोचें....

श्री दीपंकर : गुजरात से बहुत लोग आते हैं।

श्री रामकिशन : आप फर्मा दें, आपको बोलना हो तो।

श्री दीपंकर : मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : मुझे जानकारी इतनी है कि हिन्दुस्तानी में कम लोगों को होगी। मैं गुजरात के बारे में जानता हूं, राजस्थान के बारे में जानता हूं। उस रास्ते से मैं गया हूं, मैंने रास्ते में भोजन किया है और नदी में नहाया हूं।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से चाहूंगा, आप जो कुछ करें, वह करें लेकिन अच्छा काम करने के लिए कोशिश करें। आप झालावाड़ जायें, और वहां की सड़कों की शक्ल देखिये। आप भरतपुर में आये और वहां की सड़कों की शक्ल देखें। आप जायें, धौलपुर से करौली, और वहां की सड़कों की हालत देखिये। आप चाहे जहां जायें और वहां की सड़कों की हालत देखिये। आप चाहे जो कुछ करें, लेकिन कन्सोलिडेटेड फण्ड से या जो पांच छः जिले मैंने बताये हैं उनके लिए दो तीन करोड़ रुपया इस साल सड़कों की मरम्मत के लिए निकाले, नहीं तो यह जो स्थायी सम्पत्ति है, यह नष्ट हो रही है। और जो आप नई सम्पत्ति बना रहे हैं यह कोई रिटर्न नही देने वाली है। इस मामले में सरकार गम्भीरता से विचार करें।

दूसरा मेरा सुझाव यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आप मान कर चलें जब तक कांग्रेस राज्य है, तब तक अकाल चलेगा। यह मान कर चलें, कांग्रेस चाहे पांच साल चले, दस साल चले, अकाल बराबर चलते रहेंगे। कांग्रेस और अकाल सहोदर भ्राता है। दोनों की मौत साथ होगी। कांग्रेस की सरकार रहेगी तो अकाल रहेगा और कांग्रेस मरेगी तो अकाल खत्म होगा। इसलिए यह दृष्टिकोण रहे कि अकाल तो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ेगा। इसलिए योजनागत पैसा है वह आप विकास के ऊपर खर्च करें और अकाल के लिए तैयार रहें और जो पैसा लेना चाहें वह ले लें। लेकिन आपने विकास के कामों पर खर्च नहीं किया तो राजस्थान का भविष्य खराब है। यह कह कर मैं आपके विभाग पर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्थिति को सुधारेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की हालत खराब है, बड़े मियां सो बड़े मियां,

(श्री रामकिशन)

छोटे मियां सुभान अल्लाह ? चन्दनमल बैद के पास में जलप्रदाय योजना है। जलप्रदाय की योजना उसके हाथ में लग गई, तो मैं मानता हूं चूरू में पानी की बहुत तकलीफ है, पानी की तकलीफ बहुत व्यापक है। लेकिन इस योजना को खर्च के हिसाब से देखें तो जो बात वह इंगित करती है वह कटुता पैदा कर सकती है। जितनी जलप्रदाय की योजना है, उसका बहुत बड़ा अंश आप चूरू में लगाना चाहते हैं, जहां से आप चुनाव जीत कर आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्टेट लीडर बनने की कोशिश करें, आप अपनी कान्स्टीटुएन्सी के नेता बनने की कोशिश मत करें, चाहे वहां से चुनाव लड़ें और चुनाव जीत कर आयें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राजस्थान की हालत नहीं सुधार सकते हैं। इतनी बात कह कर मैं इस विभाग के बारे में अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, छंगाणीजी ने हमारे राज्य के कल्याण और राज्य के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ली है। उनके स्वास्थ्य को देख कर लगता है, वह हमारे राज्य के स्वास्थ्य को ठीक रख सकेंगे, यह लगता है लेकिन आपको चिन्तन करने की जरूरत है कि आज राजस्थान की हालत क्या है। आप कहेंगे कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोल दिये। आपके विभाग ने जो रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट मैंने देख रखी है। लेकिन आपके जो अस्पताल हैं, जो डिस्पेन्सरी हैं, उन अस्पतालों और डिस्पेन्सरी में दवाई मिलती है ? कहीं के लिए कह सकते हैं कि वहां दवाई है ? कहीं के लिए कह सकते हैं कि वहां पट्टियां हैं ? कहीं के लिए कह सकते हैं कि वहां टिंक्चर आयोडिन है ? आपके पब्लिक हैल्थ सेन्टर हैं, मैं पूछना चाहता हूं, खाली मकान बना कर राजस्थान में क्या तस्वीर बनाना चाहते हैं ? जो सम्पन्न लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वह बाजार से दवाई खरीद लाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो साधारण रोगी हैं उसको भी दवाई के लिए बाजार जाना पड़ता है, आपकी अस्पतालों में दवाई का इन्तजाम नहीं है, मैं चाहूंगा कि आपको राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए और अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। मुझे आपके बजट से निराशा हुई इस बजट में तो कुछ नहीं है अगले साल इससे भी ज्यादा खराब हालत होने वाली है। दुनियां के दूसरे देशों ने जब विकास करना शुरू किया है तो पहले भवन नहीं बनाया है, पहले उपकरण बनाए हैं। हिन्दुस्तान में पहले भवन बनेंगे, वैज्ञानिक आयेंगे, फिर उपकरण आयेंगे। जिन चीजों से रोगी का उपचार किया जा सकता है वह नहीं है। चाहे आयुर्वेद के बजट को देखें, चाहे चिकित्सा विभाग को यानी बजट निराशाजनक है।

आप अस्पतालों में चले जायं। मरीजों को जो भोजन दिया जाता है, उसको देखा है ? दूध में कितना पानी होता है, वह देखा है। सारे शहरों में तो आपने मिलावट विरोधी अभियान चलाया है, यह तो अच्छा है, लेकिन कभी अस्पतालों का मुआइना किया है ? मरीजों को दूध के नाम पर पानी दिया जाता है। जो दूध खरीदा जाता है, वह शुद्ध दूध तो डॉक्टरों के घरों में पहुंचता है और पानी रोगियों को मिल जाता है। दूसरी जगह तो आप

(श्री रामकिशन)

मिलावट विरोधी अभियान चलायें और अस्पतालों में यह हालत हो, तो इस तरफ ध्यान दें कि आपके विभाग की हालत क्या बनती जा रही है। जहां तक खर्च का सवाल है, विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। गफ्फार साहब कह रहे थे कि हृदय रोग के रोगियों के लिए केयर सेंटर खोलना चाहते हैं सवाई मानसिंह अस्पताल में, यह प्रसंग पुराना है। आपने ढाई लाख रुपए का प्रावधान किया है आप सोचिए कि एक आदमी जिसका अगर हृदय रोग से जीवन का अंत हो जाता है तो उस परिवार की कल्पना कीजिए लेकिन हृदय रोग के लिए केयर सेंटर नहीं बनाते हैं। आप बना रहे हैं इन्टेंसिव केयर सेंटर। हिन्दुस्तान में जितने अस्पताल हैं, आप जानकारी करें कहीं भी इन्टेंसिव सेंटर हैं ? इसका मतलब क्या है ? आपके पास अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग विशेषज्ञ हैं। इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने के लिए एक बेड पर दो रुपए खर्च नहीं कर सकते आप 25 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं, क्या तुक है ? आप इस काम को बन्द करें, उससे दवाइयां मंगायें नहीं, तो दूसरे कामों में यह पैसा लगायें। लेकिन ऐसी खर्चीली व्यवस्था अमरीका और यूरोप में चल सकती है, हिन्दुस्तान में नहीं। आप यूरोप की नकल मत करें, हिन्दुस्तान के जो साधन हैं उन पर नजर डालें।

आपने एक्सपर्टस कमेटी बनाई थी यह तय करने के लिए कि इंटेंसिव केयर सेंटर बने या नहीं। एक्सपर्टस् ने राय दी कि नहीं बनना चाहिए। आप नॉन-एक्सपर्टस् की राय को इम्पलीमेन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप इंटेंसिव केयर सेंटर के लिए अपने विचार बदलें।

आपके विभाग में परिवार नियोजन को ले लें, वहां कपला ही कपला है। मैं परिवार नियोजन के लक्ष्यों की बात नहीं करता वह सबसे पीछे बताऊंगा कि उसकी क्या स्थिति है। कारें खरीदी गईं एम्बेसेडर कार्स, 25 गाड़ियां खरीदी गईं। एक नई कार जिस दिन खरीदी गई उसी दिन खराब हो गई। आपने जांच की कि उसके जिम्मेदार कौन हैं ? उत्तर प्रदेश ने दी है या केन्द्रीय सरकार ने दी हैं ? आखिर ये गाड़ियां कहां से आई थीं ? ये श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव क्षेत्र में चलाई गई थीं, उसके बाद आपको चिपका दीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाही कर दी, सब की सब गाड़ियां खराब पड़ी हैं, यह पैसा दवाइयों के काम आता, परिवार नियोजन का कार्यक्रम बढ़ाने के काम आता तो राज्य का कल्याण होता। इन गाड़ियों को ट्रान्सपोर्ट विभाग ने देखा ? आपके मेडीकल विभाग का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसका मालिक नहीं है। आपने सीनियर फोरमैन को हटाने के लिए आदेश दिया था। मुझे सूचना मिली है कि आपने सीनियर फोरमैन को हटा दिया था लेकिन वह छुट्टी लेकर चला गया। आपने कहा कि हटा दिया। उसने एक गाड़ी में 24 घन्टे में दो बैटरियां बदलती दिखाई हैं, उसने ब्लेक किया है। यह करप्शन का गंभीर मामला है जो पकड़ लिया, आपके नोटिस में आ गया। आपने विभाग को उसको वापस भेजने को कहा लेकिन वह छुट्टी लेकर चला गया। जवाब में जरूर बतायें कि उसके खिलाफ जांच करेंगे ?

(श्री रामकिशन)

जहां तक खरीद का सवाल है शायद कोई नियंत्रण आपसे न हो पायगा क्योंकि स्टोर पर्चेज कमेटी के जो सेक्रेटरी, श्री कल्ला हैं वह 10 साल से वहां बैठे हुए हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता लेकिन सिद्धान्त यह हैं, आपके अकाउन्टेंट्स का नियम है कि एक आदमी को दो तीन वर्ष से ज्यादा एक जगह नहीं रखना चाहिए। इससे पहले अधिकारी था श्री शर्मा उन्होंने राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की, उसको आपने सस्पेंड किया, 7 साल सस्पेंड किया लेकिन एक आदमी को 10 साल से एक ही जगह बिठा रखा है, उसका नतीजा यह है कि आप खरीद की सूची देखें। आपको वहां कई तरह की अनियमिततायें मिलेंगी। ऐसे गंभीर केसेज मिलेंगे जिनकी मंत्री महोदय कल्पना नहीं कर सकते। आप केवल चलते फिरते चिकित्सालय की तरफ ध्यान न दें बल्कि आमदनी और खर्च की तरफ भी तवोज्जह देने की कोशिश करें।

चिकित्सा विभाग में नियम बने हुए हैं कि कोई नई कम्पनी आएगी तो पहले उसकी जांच करेंगे मैं 1972 की एक घटना बता रहा हूं, आप कहेंगे कि उस समय आप इस विभाग के मंत्री नहीं थे। एक कंपनी जिसका नाम है तामिलनाडु डड्ढा कंपनी। उसमें तामिलनाडु सरकार के 90 पर्सेन्ट शेयर्स हैं और डड्ढा के 40 पर्सेन्ट। वह कंपनी कैटोगोराइजेशन के लिए एप्लीकेशन लेकर आई आपके विभाग के पास लेकिन उस कंपनी को इसलिए रिजेक्ट करते हैं चूंकि उसमें तामिलनाडु के शेयर्स हैं, उनकी सप्लाई सारे देश में होती है। शेयर्स होते हुए भी आपके पर्चेज कमेटी के चेयरमैन ने उसको रिजेक्ट किया कि यह कंपनी राजस्थान के लिए नई है इसलिए एप्रूव नहीं करते हैं, कैटेगोराइजेशन नहीं करते हैं, उससे सैम्पल्स मंगवाते हैं उन सैम्पल्स को मैडीकल कॉलेज में भेजते हैं सैम्पलों का टैस्ट होता है। उसके बाद एप्रूव करते हैं, वह अपील करता है। पर्चेज कमेटी के निर्णय के विरुद्ध अपील मुख्य मंत्री, श्री बरकत साहब के यहां अस्वीकार की जाती है।

दूसरी ओर आलमा नाम की कमेटी है इसमें जो माल लिया गया, उसके सैम्पल्स कब टैस्ट कराए गए? क्या कमेटी ने एप्रूव किए थे? बल्कि चेयरमैन ने स्लिप पर घर से लिखकर भेज दिया कि चूंकि यह कंपनी रेलवे में रजिस्टर्ड है इसलिए इस कंपनी के मारफत खरीद की जाए। इतना बड़ा करप्शन, घोटाला आपके विभाग में हो रहा है तो मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? यह आपको सोचना है। राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में चाहे चंदनमलजी कह रहे थे कि सुदृढ़ है वह बजट के समय जब बोलूंगा तो बताऊंगा कि दिवालिया है। वह सदन को गुमराह करने में सफल हुए हैं, चूंकि मुझे मौका नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बोल पाया। आपके राजस्थान की 15-20 साल तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पायेगी। जैसी भौगोलिक स्थिति है, सरकार की नीति है और मंत्री हैं, उससे तो 20-25 साल तक राजस्थान स्वावलंबी नहीं हो सकेगा। जनता को आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं कर पायेंगे लेकिन धन का अगर इस प्रकार से दुरुपयोग होगा तो क्या होगा? तो इस घटना की जांच

(श्री रामकिशन)

करें और पता लगायें। स्पष्ट प्रमाण है कि घोटाला हुआ है चर्चा ऐसी है कि किसी विशेष कारण से आलमा कंपनी को पर्चेज कमेटी के चेयरमैन ने एप्रूव किया है।

परिवार नियोजन की गाड़ियां, चिकित्सा निदेशक के पास गाड़ियां दो साल से हैं। ये कहां चलती हैं? लॉगबुक्स कहां हैं। मैंने इन सारी बातों का इसलिए जिक्र किया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य ग्रांट्स के लिए मांगें लेकर ही सामने न आजायं बल्कि उनके विभागों में जो खामियां हैं वह उनके चिंतन और जानकारी में होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई और अनियमिततायें और गड़बड़ियां मेरे देखने में आयीं। लेकिन उनमें से एक घटना का यहां पर खासतौर से जिक्र करना चाहूंगा। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कुछ लोगों का चयन आर० ए० एस०, आर० पी० एस०, एकाउन्ट सर्विसेज और आर० जे० एस० वगैरह के केन्डीडेट्स का किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 109 केन्डीडेट्स थे। उन लोगों को बाद में मैडिकल फिटनैस के लिये बुलाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक मैडिकल बोर्ड बना हुआ है जिसमें एक आई स्पेशियलिस्ट, हार्ट स्पेशियलिस्ट और एक बड़ा फिजीशियन बैठता है। बोर्ड के जो मेम्बर होते हैं वह उस बोर्ड में बैठते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन 109 केन्डीडेट्स में से 90 केन्डीडेट्स को बोर्ड के सामने बुलाया गया और उन 90 केन्डीडेट्स में से 31 केन्डीडेट्स को पे-क्लिनिक के जरिये मैडिकल फिटनैस सर्टिफिकेट दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, जब बोर्ड बना हुआ था तब उन 31 केन्डीडेट्स को पे-क्लिनिक के सामने बुलाने की क्या जरूरत थी। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि जिन 31 व्यक्तियों को पे-क्लिनिक के माध्यम से फिटनैस सार्टिफिकेट दिया गया है वह सभी मैडिकल फिटनैस के काबिल नहीं था। इसलिये मेरा छंगाणीजी से यह निवेदन है कि अगर आप जांच कराना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, तो आपको इसके उस रिकार्ड को सीज अभी कर लेना चाहिये। मेरे पास सभी रसीद नम्बर, पे-क्लिनिक में कब गये और कितने पैसे दिये हैं वह सभी मौजूद हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर आप वास्तव में मैडिकल डिपार्टमेन्ट में सुधार करना चाहते हैं तो आपको तुरन्त वह पूरा का पूरा रिकार्ड सीज कर लेना चाहिये। और बाद में उसकी जांच करवायी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, घोर अनियमिततायें हुई हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में भ्रष्टाचार की चरम सीमा आ गयी है। इसको रोकने की तुरन्त आवश्यकता है। मैं छंगाणीजी से यह अपेक्षा करना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं, वास्तव में विभाग पर अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं तो इस मामले की पूरी जांच करावें और सारा का सारा रिकार्ड जो भी है उसको सीज कराने की तुरन्त व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री रामकिशन)

सामने एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा। इसमें एक तो है देवीराम नाम का व्यक्ति जिसको कि सात फरवरी को मैडिकल बोर्ड के सामने बुलाया गया। वह व्यक्ति आर० ए० एस० का केन्डीडेट था वह व्यक्ति फेल हो गया था। उस व्यक्ति को पे-क्लिनिक में 121 एफ की रसीद के अनुसार 11-2-75 को वीजन टेस्ट किया गया। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, वीजन के लिये सिक्स बाई सिक्स आई साइट होनी चाहिये लेकिन उस व्यक्ति की वीजन सिक्स बाई सिक्स नहीं थी। मैं गारन्टी से कह सकता हूं, लेकिन उसे गलत ढंग से पे-क्लिनिक में बुलाकर सर्टिफिकेट दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिये। इसके अलावा दूसरा उदाहरण आपको राजेन्द्र कुमार सिंह का देना चाहता हूं। इस केन्डीडेट को भी बोर्ड के सामने बुलाया गया बाद में इस केन्डीडेट ने भी पे-क्लिनिक से फिटनेस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। मेरे पास उपाध्यक्ष महोदय, रसीद नम्बर, कौन से दिन, कितनी बजे पे-क्लिनिक में गया वह सभी मौजूद है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घोर अनियमितताये वहां आज हो रही हैं। इसी प्रकार एक यादराम गौड़ नाम का व्यक्ति था उसको भी पे-क्लिनिक मे बुलाकर उसे फिटनैस का सर्टिफिकेट दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास 31 ही केन्डीडेट्स के नाम व रसीदें मौजूद हैं इसलिये कि ज्यादा समय नहीं लगे। इसलिये मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही छंगाणीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारे में एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठाकर उसकी जांच करावें और जो रेकार्ड है वह पहले ही सीज करा लिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे घोटाले में बहुत ही गम्भीर अनियमितताये हुई हैं और उसमें जांच होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो खामियां सभी जगह हैं देश में लेकिन इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर रहे हैं ऐसे केसेज में तो नियन्त्रण रखाना बहुत ही आवश्यक है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं डॉक्टरों की सीनियोरिटी के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर्स की सीनियोरिटी की लिस्ट सन् 67 में ही बन गयी थी लेकिन उसके बाद में कोई प्रमोशन कमेटी नहीं बैठने के कारण आपने सन् 75 तक कई लैक्चरार्स को रीडर पहले कर दिया, किसी को प्रमोशन दिया, किसी को नीचे से ऊपर कर दिया, किसी सीनियर को जूनियर कर दिया। इस प्रकार काफी अनियमिततायें हुई। इस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिये मैं छंगाणी जी से कहना चाहूंगा कि यह आपके जितने भी सेक्रेटरी हैं, हैड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वह आपसे गड़बड़ियां कराते हैं। यह लोग अपना उल्लू सीधा कराने के लिये करते हैं यह ठीक है आपको आज सलाम बोल रहे हैं लेकिन यह मत समझें कि यह हमेशा आपको सलाम बोलते रहेंगे। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह किसी के सगे नहीं जो भी कुर्सी पर आयेगा उसी को सलाम बोलेंगे। आज आप इनके कहने से यह गड़बड़ियां कर रहे हैं उसके लिये जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 से आज तक प्रमोशन कमेटी नहीं बैठी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता का विषय है इस पर नियन्त्रण करना बहुत जरूरी है। और मैं

(श्री रामकिशन)

छंगाणीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान देकर जो भी अनियमिततायें हुई हैं उस पर कार्यवाही करें।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। परिवार नियोजन के बारे में हमारे हिन्दुस्तान में शुरूआत की गयी है उसमें हमारे राजस्थान ने पहल की उसके लिये तो मैं हिन्दुस्तान गवर्नमेन्ट और राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो परिवार नियोजन के बारे में जो काम किया गया है वह अधूरे मन से किया गया है हम हमारे प्रयत्न जो कर रहे हैं वह पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। इसलिये मेरा इसमें सुझाव यह है कि परिवार नियोजन के लिये पूरी तरह से योजना बना कर काम करना चाहिये। पर इसके पहले मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर परिवार नियोजन की जो बात की गयी है उसका कारण यह है कि हमारी सरकार ने अपनी योजनाओं को पूर्णतया सफल बनाने में जब असफल रही तो हमारी सरकार ने इस दोष को, अपनी योजना की असफलता को न मानकर उसको आबादी पर मढ़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो भी कर्जा लिया था योजनाओं के लिये वह सभी गलत रूप से क्रियान्वित करने के कारण या यों कहिये जिस मद के लिये हमने पैसा लिया उसको उसमें काम न लेने के कारण हमारी योजनायें असफल हुई। जब योजनायें असफल हुई तो हमारी सरकार ने कहा कि आबादी बहुत बढ़ गयी है इसलिये योजनायें असफल हो गयी हैं। जहां तक सवाल आबादी का ही है उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि चीन की आबादी हमारे देश की आबादी से कहीं ज्यादा है वहां पर तो परिवार नियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अलावा यहां पर मैं यह और कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कि जब अंग्रेज भारत से गये थे तो हमारा देश एशिया में सबसे ज्यादा एडवान्स देश था उसे आप चाहे रेल्वे के मामले में लें, कपड़े की मिलों के मामले में, सीमेंट के कारखानों के मामले में और किसी भी उद्योग के मामले में आप देखलें हमारा देश सबसे एडवान्स था और उसके मुकाबले में चीन हमारे से बहुत पीछे था उसने काफी तरक्की करली उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीन का समर्थक नहीं हूं और न कभी चीन का समर्थक रहा हूं लेकिन वहां की व्यवस्था का हमेशा से ही प्रशंसक रहा हूं क्योंकि वहां पर न तो इतने कारखाने थे, न इतनी टक्नीकल मदद किसी ने उसको दी लेकिन वह हर मामले में आज चाहे आप रेल्वे के मामले में, सड़कों की लम्बाई के मामले में देखें। कारखानों के मामले में, सिचाई के मामले में, चाहे विद्युत् के मामले में, सभी में हमारे से बगैर विदेशियों की मदद से आगे चला गया और हम पीछे रह गये। उपाध्यक्ष महोदय, चीन ने कोई परिवार नियोजन नहीं किया। तो मैं यहां यह कहूंगा कि यह आबादी का जो हौवा हमारी भारत सरकार ने हमारे सामने रखा वह बिलकुल बेकार था। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि एक उम्र के बाद बाप-बेटी साथ नहीं रहनी चाहिये, भाई-बहन साथ नहीं रहने चाहिये। ऐसा मनु ने कहा है जो कि हमारे वहां पर बड़े महात्मा हुए हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि पता नहीं कब किसी के मन में उत्तेजना फैल जाय। इसके अलावा उन्होंने चार व्यवस्थायें भी दीं पहली 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ और फिर 75 तक वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास की जो व्यवस्था थी वह क्या थी वह एक प्रकार से परिवार नियोजन के लिये तो थी एक भावना उसके पीछे यही थी।

श्री चन्दनमल वैद : रामकिशनजी आपके पास जो केदारनाथजी बैठे हैं उनसे

(श्री चन्दनमल बैद)
आप 25 से लेकर 500 साल की व्यवस्था के बारे में पूछें। उनका अनुभव क्या कहता है।

श्री रामकिशन : प्रोफेसर साहब का अनुभव जो हैं चहुंमुखी अनुभव। आप चाहें तो उनसे वक्त आने पर सुन लेना तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप परिवार नियोजन की बात करते हैं दूसरी तरफ आप आज ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में कर रहे हैं कि आपका परिवार नियोजन चल नहीं सकता क्योंकि एक तरफ आप परिवार की सीमित व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर जो आज हमारे यहां के युवा और युवतियों में जो आप स्थिति पैदा कर रहे हैं वह कैसी है आज हमारे यहां पर जो सिनेमा बनते हैं उसमें आप क्या देखते हैं, मैं यह नहीं कहता कि मैं साधु हूं। मैं सिनेमा भी देखता हूं और न कभी साधु बनने की बात भी सोचता हूं लेकिन जो बातें आज हमारे यहां पर सिनेमा में दिखाते हैं उसका हमारे समाज के युवा वर्ग पर क्या असर पड़ता है? क्या आप सिनेमा के दृश्य देखकर यह उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा और युवतियों में संयम रह सकेगा और सन्तान पैदा नहीं होगी? मैं एक सिनेमा गीत का उदाहरण देना चाहता हूं कि जिसमें हीरो हिरोइन यह गाना गाते हैं कि हम तुम एक कमरे में बन्द हो जायें और चाबी खो जाय...... यह आपकी सरकार का सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है। यह मजबूर करता है। जब इस प्रकार के गाने चलेंगे तो उत्तेजना क्यों नहीं होगी? छंगाणीजी साहब, यह रिकार्ड आपके घर में बज जाय तो मन की क्या प्रतिक्रिया होगी।

(व्यवधान)

इस तरह की बातें हो रही हैं समाज में, मंदिर में लाउड स्पीकर, घरों में सिनेमा रिकार्ड्स और आपके मन पर, आपकी आदतों पर नियन्त्रण हो जाय, नामुमकिन बात है। आप चीन और पूर्वी योरोप में चले जायं, क्या वहां पर रिकार्ड इस तरह से बज सकते हैं? जब तक मनु की संस्कृति रहेगी, तब तक उससे भारतीय समाज प्रभावित रहेगा। ईश्वर और सेक्स। ईश्वर को कुछ लोगों ने स्वीकार किया है और कुछ ने नहीं किया है। लेकिन सेक्स से हम सब प्रभावित हैं।

एक माननीय सदस्य : सबसे पहले आप प्रभावित होते हैं।

श्री रामकिशन : हम जैसे प्रौढ़ों पर असर पड़ता है तो क्या असर पड़ता होगा? जब फिल्म सेन्सर होते हैं, दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के ऊपर है कि सेंसर बोर्ड को बाध्य करे कि इस प्रकार की फिल्मों को रिलीज न करे। लेकिन इस तरह की पिक्चर्स को रिलीज करता है तो निश्चित रूप से उन पर बन्धन लगाना चाहिये। वरना आप दवाई वगैरा बांटिये उससे कोई असर होने वाला नहीं है। समाज में इसको लेकर कितनी उत्तेजना है इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिये समाज के वातावरण को बदलना पड़ेगा। पूंजी का नियोजन, जहां जहां नदी-घाटी बिजली के प्रोजेक्ट्स पर जाना चाहिये वहां आप सिनेमा उद्योग और हॉटल उद्योगों पर देखेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं में इतनी बड़ी रकम इन पर लगायी है, और जो परिवार नियोजन का जो लक्ष्य रखा गया है, वह लक्ष्य आप कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस परिवार नियोजन के बारे में प्रचार के लिये समस्या आती है। मैं सुझाव देना चाहूंगा, जिस गांव

(श्री रामकिशन)

में हम जाते हैं, मंत्री महोदय भी गये होंगे, सीधा सवाल ग्राम वाले हमसे करते हैं, वह यह है कि हम ऑपरेशन करा लेंगे तो आबादी कम हो जावेगी। चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देंगे तो हम उसका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। अपढ़ लोग इस प्रकार से चीन और पाकिस्तान को जोड़ कर जवाब देना चाहते हैं। सुरक्षा की गारन्टी बड़ी आबादी नहीं है किन्तु हथियार और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके हैं। आप उनको सम्यक् प्रकार से समझाओ तब ही उनके ऊपर कोई असर होता है। इजराइल, बड़ी आबादी वाले अरब राष्ट्रों, जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ के करीब है, क्यों उनके मुकाबले में टिका हुआ है? इसका मुख्य कारण यह है कि उसकी अपनी सुरक्षा उसके हथियारों की श्रेष्ठता पर है। आप धर्म ग्रन्थों में लिखे हुए प्रमाणों से, जो कि आपको सब ही धर्म ग्रन्थों में उपलब्ध हो सकेंगे, चाहे ईसाई धर्म ग्रन्थ हो, चाहे हिन्दू धर्मग्रन्थ हो, चाहे कुरान शरीफ हो, उनमें व्यापक प्रचार करिये। खाली लूप बांटने से, जैली बांटने से काम नहीं चलेगा। यदि इस प्रकार से प्रचार करेंगे तो आगे जाकर वे लोग भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपना सकते हैं जल्दी।

मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरे साथ कलेक्टर साहब थे उन्होंने जिम्मेदारी ली कि परिवार नियोजन का प्रचार करेंगे। आपको मालूम होना चाहिये कि बेटा बाप को पकड़ कर लाता है और ऑपरेशन करा देता है। खाली आदेश देते रहें कि ऑपरेशन क्यों नहीं हुए, इससे काम नहीं चलेगा। समाज में जो वातावरण बनना चाहिये इसके प्रति, वह नहीं बन रहा है। कई प्रकार की उनको शंकायें हो जाती हैं। हमसे पूछते हैं। हम क्या जवाब दें उनको? सारी शंकाओं का निराकरण करने के लिये मोटी भाषा में ग्रामीण लोगों को समझाना चाहिये ताकि ग्रामीण लोग समझ सकें, यदि ग्रामीण लोग समझ गये तो आपके विभाग के जो लक्ष्य हैं वे पूरे हो जावेंगे अन्यथा आपके लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे।

राजस्थान में पांच मैडिकल कॉलेज हैं। आज डॉक्टर बेकार हो गये हैं, बेरोजगार हैं। मैडिकल कौंसिल ने जो स्टेन्डर्ड बनाया है, उसके अनुसार मैडिकल कॉलेज में स्टाफ है या नहीं। ज्यादा है तो आप जिले में भेजें, एक्सपर्ट बैठे हैं यहां पर जयपुर में, वे केवल जयपुर के लिये ही नहीं हैं, हिन्दुस्तान के दुखी लोगों का इनसे सम्बन्ध आता है, कृपा कर उन लोगों को इन की सेवायें उपलब्ध कराईये।

जितने बेरोजगार डॉक्टर्स हैं, बेरोजगार, उनके लिये आपने कर्ज की व्यवस्था की है। आखिर क्यों नहीं चलते उनके क्लिनिक? सामाजिक वातावरण क्यों नहीं बन रहा है? आपको डाक्टर को बुलाकर, प्रोफेसर को बुला कर चर्चा करनी चाहिये और कोशिश करनी चाहिये। मैडिकल कालेज में सीटें कम न करें। जैसे-जैसे वित्तीय स्थिति सुधरेगी आपको इनकी जरूरत रहेगी। आज हमारे यहां दस हजार की जनसंख्या पर कितने डाक्टर उपलब्ध हैं और यूरोप में कितने हैं? एक बात कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य घट रहा है। क्यों घट रहा है। खाने-पीने की चीजें नहीं मिलतीं जितनी किलोरीज मिलनी चाहियें वे नहीं मिल पाती हैं। जरूरत इस बात की है कि लोग प्राइवेट क्लिनिक में काम करें, प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिये आप प्रोत्साहित करें डाक्टरों को जो आज बेकार हैं। उत्तर प्रदेश में डाक्टर्स

(श्री रामकिशन)

की कमी है। वे सीधा उनको एप्लाई करें, यह जरूरत नहीं है। वहां के मैडिकल विभाग मिनिस्टर से राय ले लीजिये, उत्तर प्रदेश में 20। 25 परसेन्ट के लिये उपलब्ध हैं, हमारे यहां पर 60-70 परसेन्ट हैं और हमारे यहां पर ज्यादा डाक्टर हैं तो उनकी सेवाओं में उनको खपाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ी देर में समाप्त कर देता हूं।

परिवार नियोजन की एक बात और कहना चाहता हूं। जितना व्यक्ति अस्वस्थ होगा, कमजोर होगा, उतनी ही सन्तानें अधिक होंगी। दूसरे देशों में चले जाइये।

श्री गोपाल जोशी : आपके पंडितजी, कितने बच्चे हैं ?

श्री रामकिशन : शिवचरणजी से पूछें कि कितने बच्चे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हर साल नया कलेण्डर छापते हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर नजर रखें। पौष्टिक आहार की क्या स्थिति है। अलवर, भरतपुर में ले लीजिये। पहलवान हैं बच्चे कम होंगे मन और शरीर कमजोर होगा तो संतानें ज्यादा होंगी।

जापान के वैज्ञानिक ने राय दी है। मैं आपसे यह चाहूंगा जब हमारा प्रयत्न हो तो साथ साथ चलें। पौष्टिक आहार की व्यवस्था कीजिये। हिन्दुस्तान में कौनसा पौष्टिक आहार है, यह सब दिखावा है। इस सम्बन्ध में आपका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। हम यह चाहते हैं आप प्रयत्न करेंगे तब तो आपके विभागों में सुधार हो पायेगा और अगर यह नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं चाहे जो चीज ले लें आपको सफलता नहीं मिलेगी।

अब आप मलेरिया के बारे में देख लें, इसमें आपके कोई प्रयत्न सफल नहीं हुये। चेचक का अबके साल बिहार और अन्य राज्यों में प्रकोप हुआ। तीन-चार मलेरिया के अटेक हुये हैं, उनको हम किसी प्रकार रोक नहीं पाये। आपका स्वास्थ्य विभाग दवाओं की छानबीन करें, खाद्य पदार्थों की छानबीन करें। आपने इस सम्बन्ध में अवश्य अबके कुछ किया है उसके लिये तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं हालांकि आपको सफलता नहीं मिली है और भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन आपने उस ओर आंशिक कार्य तो किया आपका मन तो उस ओर बना है लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर आपको चिन्तन करना है। माननीय वित्त मंत्रीजी, एक ही निवेदन कर दूं, ज्यादा निवेदन इसलिये नहीं करना चाहता हूं कि आप समझदार हैं, वित्त मंत्री भी हैं और योजना मंत्री भी हैं लेकिन चूरू पर नजर डालें, भरतपुर का इशारा किया जाता है–इतना ही कहूंगा, आप समझ लें और दूसरा मैं चाहूंगा भरतपुर में पानी की किल्लत है।

एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ पानी की किल्लत है क्या नतीजा है लेकिन आपकी योजना है खैर जैसे तैसे पानी आया बान्ध बारेठा .... (व्यवधान) ... देखते क्या हैं पकड़ लीजिये, मेरे पास होते तो मैं फैसला करवा लेता .....

उपाध्यक्ष महोदय, जलप्रदाय विभाग भरतपुर लेजा न सकेंगे किन्तु हम चाहते हैं

(श्री रामकिशन)
चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जैसा चाहें समस्या का निराकरण करें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं भरतपुर में आपकी कृपा से नहीं, ब्राड लाईन की कृपा है या फिर दूसरे दिल्ली के नजदीक है, व्यापारिक सम्भावनायें ज्यादा हैं–अब कोई कठिनाई है तो पानी की, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस मकान में रहता हूं वहां मुझे दो ढाई साल हो गये हैं और मैं और मेरी पत्नि दोनों बाहर से पानी लाते हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : आपकी पत्नि भी लाती है क्या ?

श्री रामकिशन : हां, मैं और मेरी पत्नि भी लाती है। मैं पत्नी की सब प्रकार से सेवा करता हूं ... मैं निवेदन करना चाहता हूं इस स्थिति में आप सुधार करें ...

एक माननीय सदस्य : सब प्रकार की सेवा में क्या क्या है ?

श्री रामकिशन : निहलाना, कपड़े धोना, पेटीकोट धोना, हम आप जैसे कन्जरवेटिव, नहीं हैं ... और दूसरा निवेदन करना यह है कि भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील में खारा पानी है। परम्परागत वहां नमक बनता था क्योंकि वहां अब नदियों का पानी आना बन्द हो गया है और यह सब देवपुरा साहब की कृपा से है। मोखला बान्ध के लिये अबा तीन करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया, जवाब यह होगा और कह देंगे टैक्निकली फिट नहीं है। हमें तो याद आता है गुड़गांव नहर आ जायगी तो मीठा पानी मिल पायेगा। अभी तो देवपुरा साहब की कृपा से वहां सम्पूर्ण खारा पानी है। मेरा निवेदन है आपने मिनिमम नीड प्रोग्राम में जो पैसा रखा है उसको खर्च करके कुछ कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

अब मैं आयर्वेद के बारे में कुछ कहना चाहूंगा लेकिन न आयुर्वेद मंत्री हैं, न छंगाणी हैं–दोनों चले गये। हमारा जो पुराना सिस्टम है उसको विकसित करें। आयुर्वेद हमारे देश के लिये बहुत सस्ता सिस्टम है। दूसरे देशों ने भी अपने अपने पुराने सिस्टम को डवलप किया है। पुराने सिस्टम ने चीन को स्वास्थ्य लाभ दिया है। मैं चाहता हूं जो बजट रखा है दवाओं की दृष्टि से और फैलाव की दृष्टि से भी तो इस सम्बन्ध में भी उपाध्यक्ष महोदय, विचार करें।

अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में कुछ मेरे जिले के लिये इतना कहना चाहता हूं। भरतपुर जिले के अब के 216 गांव अकाल घोषित किये गये हैं। न हमें अकाल की आकांक्षा है, न जरूरत है, भरतपुर के लोग चाहते हैं मेहनत का फल मिले लेकिन अब की बार सर्दी पड़ गई ज्यादा और खरीफ की फसल नहीं हो सकी इसलिये भरतपुर जिले के 216 गांवों को अकाल में घोषित कर दिया मैं यह चाहता हूं भरतपुर जिले में छोटे मोटे काम जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं उनके क्षेत्र में शुरू करवा सकें तो हमारा जिला भी समझेगा कि राजस्थान सरकार से हमारा भी कोई ताल्लुक है। फसल मारी गई, लेवी मारी गई, लोगों के खाने का कोई साधन नहीं रहा। मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में कोशिश करें। अकाल की रिपोर्ट मैंने देखी है जितने गांव जिले में नहीं हैं उससे ज्यादा गावों में अकाल घोषित कर दिया है। नूंह जिले में ही देखें

(श्री रामकिशन)
लीजिये 7 गांव ज्यादा घोषित कर दिये मान लिया वहां के वित्त मंत्री महोदय हैं इसलिये कर दिया होगा, अब यह गलती से हुआ है या क्या ......

एक माननीय सदस्य : गलती से हो गया।

श्री गोपाल जोशी : आपने पढ़ने में गलती कर दी होगी ?

श्री रामकिशन : जहां जहां गलती करने की जरूरत है, वहां गलती भी करें ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन इधर भी नजर रख लें तो हमारा काम भी बन जाय। अब अन्त में जिन जिन विभागों की मांगें हैं उन विभागों को आप सुधारेंगे और सुधारने के साथ साथ में आचरण को भी सुधारेंगे जिससे हमारे राजस्थान की स्थिति सुदृढ़ हो और जिस राज्य की हम कल्पना करते हैं वह स्वप्न भी हमारा साकार हो ....

श्री फूलचन्द उपाध्यक्ष महोदय ....

(मा० भीखाभाई के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, आज कई विभागों की मांगों पर बहस हुई है और उन पर विचार करने के लिये मैं समझता हूं जो समय है वह बहुत कम होगा परन्तु मैं और ....

(व्यवधान : अश्रव्य)

सारे विषयों पर या मांगों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं खासकर हमेशा आयुर्वेद का भक्त रहा हूं उसके पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके में डूंगरपुर और बांसवाड़ा तथा उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा, प्रतापगढ़ तहसील और उसके आस-पास के क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं और जिनको राष्ट्रपति महोदय ने शिड्यूल एरिया घोषित किया हुआ है और जहां शिड्यूल एरिया घोषित किया है वहां तीन प्रकार की समस्यायें हैं, एक तो यह समस्या कि वह क्षेत्र पर्वती क्षेत्र है, दूसरे वहां पर आदिवासी बहु-संख्यक हैं और तीसरा हमेशा हमेशा वह अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है। जब कभी हमारे क्षेत्र का जिक्र आता है चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य करें और चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, जब भी चर्चा करते हैं पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर की बात करते हैं। हमने कभी यहां बैठकर हमारे जो प्रतिनिधि सदस्य हैं और जो विराजे हुये हैं उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा कि दक्षिण में इस प्रकार की मांग हो रही है परन्तु मैं चाहता हूं-अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही हैं वे हमारे दोस्त हैं, मैं उनको दावत देना चाहता हूं वे मेरे साथ चलें और उधर यह कह दें अपने मुंह से जो कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है तब तो मैं मानूंगा सही है। वे बड़े विद्वान हैं; स्पष्टवक्ता हैं, मैं उनकी इस बात के लिये तारीफ करता हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन क्षेत्रों में जो कुछ काम हुआ है, इन वर्षों में चाहे अकाल के काम में हुआ है, चाहे विकास के काम में हुआ है, चाहे शिक्षा के काम में हुआ है, उसको देखना पड़ेगा कि आज वहां के लोग किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, अगर आप इस बात का किसी भी प्लानिंग के अन्दर ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे वह स्टेट का प्लानिंग हो या कोई दूसरा प्लानिंग हो कि वहां के रिसोर्सेस क्या हैं, वहां की टोपोग्राफीकल, ज्योग्राफीकल

Page No 146

(१४६)

(श्री भीखाभाई)

कन्डीशन्स क्या हैं, इनका ख्याल नहीं रखा जायेगा तब कोई भी प्लानिंग यदि शुरू कर भी दिया जायेगा तो वह अधूरक्षूल में होगा और आकाश में होता है वैसा प्लानिंग हो जायेगा। जब राजस्थान की रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो यह देखना पड़ेगा कि अलग अलग जगह क्या क्या परिस्थितियां थीं क्या राजनैतिक परिस्थितियां थीं और क्या सामाजिक परिस्थितियां थीं। इन परिस्थितियों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम प्लानिंग ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं इस भ्रम को मिटाना चाहता हूं और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं चाहूंगा, इस समय मैं इनफार्मली सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं बोल सकता लेकिन एक साथी की हैसियत से बोलना चाहता हूं कि वह मेरे साथ आयें और फिर मैं उनको बताऊंगा कि वहां क्या क्या स्थिति है। वह पहाड़ी इलाका है। आप कल्पना कीजिए कि एक पाल 20 स्क्वायर मील के एरिया में बसा हुआ है। हारेता की पाल ऐसा ही गांव है जो कि 20 वर्ग मील में फैला हुआ है और उस गांव की आबादी 50 के करीब की होगी। बाप और बेटा अलग अलग रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को देखें तो बहुत ही दयनीय है। वह 6 महीने कमाते हैं और ऋणग्रस्त हमेशा रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। अभी परिवार नियोजन के बारे में कहा गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं और वहां पर 73 परसेन्ट विलेजेज में आदिवासियों की जनसंख्या है और उसके अन्दर रहने वाले आदिवासी लोग जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर पहाड़ों में रहते हैं। एक तो पाल कहलाती है और दूसरा मगरा कहलाता है। आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि वहां पर सागड़ी प्रथा अभी तक भी है और इसलिए वह कर्ज में डूबे हुए हैं। इसलिए यह कहना कि आदिवासी क्षेत्र में उदयपुर की गद्दी होने से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की गद्दी होने से वहां ज्यादा काम होते हैं, गलत है। मैं चेलेन्ज करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त कहते हैं, मैं सरकार की तरफ से वकालात नहीं कर रहा हूं बल्कि आदिवासी क्षेत्र की वकालात करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप वहां जायें और देखें कि वहां कितना काम हुआ है। वहां राज्य के काम नहीं खोले जा रहे हैं इसलिए नहीं कराये जा रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर वित्तीय स्थिति खराब है। इसके लिए मैं राहत मंत्री जी से कहना चाहता हूं परन्तु वह सोचते हैं कि सारा राजस्थान एक है और वह सब जगह काम कराना चाहते हैं। इसलिए वहां का वीकर सेक्शन है जिसकी परचेजिंग पावर नहीं है और वहां पर राहत कार्य शुरू होने चाहिएं और वहां राजस्थान का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि परिवार नियोजन के बारे में अभी जापानी वैज्ञानिक की बात हुई। मैं आपको यह कहना चाहता हूं और रामकिशन जी से भी कहना चाहता हूं और मैं सहमत हूं उनसे कि जहां निर्बल आर्थिक स्थिति होगी, जहां कमजोरी होगी वहां परिवार नियोजन की बात कैसे चलेगी? आप अन्दाजा लगायें कि एक भील एक पहाड़ी पर रहता है और दूसरा भील दूसरी पहाड़ी पर और यहां तक कि बाप और बेटे अलग अलग रहते हैं तो उनके लिए क्या मनोरंजन है। आप किस के पास जाकर बैठ सकते हैं। उनकी हालत क्या होगी ....

श्री रामसिंह : आप एक भीलनी को एक के पास बैठा दो और दूसरी को दूसरे के पास तब परिवार नियोजन हो जायेगा।

श्री भीखाभाई : मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं जब पार्लियामेंट का मेम्बर था उस समय में राजकुमारी 'अमृतकौर, केन्द्र की स्वास्थ्य मंत्री थीं और वह परिवार नियोजन में विश्वास नहीं रखती थीं लेकिन हमने पूछा कि 'व्हेयर इज दी हाइएस्ट फर्टीलिटी इन दी कन्ट्री' तो इसका जबाब चाहता मैं था कि वह सन्थाल परगना का नाम लेंगी, आसाम और नीग्रो हिल्स का नाम लेंगी और इसके लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी हो सकते हैं। इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उसके अन्दर क्या करना पड़ेगा। उसके अन्दर यह करना पड़ेगा कि वहां पर आपको सामाजिक संगठन बनाने पड़ेंगे। वहां सामाजिक प्रचार करना पड़ेगा तब जाकर परिवार नियोजन का काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब तक जनमानस बदलने की बात, प्रचारात्मक ढंग से बात करने की बात नहीं करेंगे तब तक यह काम नहीं हो सकेगा।

तीसरी बात जलप्रदाय योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं मुझे बहुत खुशी है कि जो इस विभाग के अध्यक्ष हैं और सरकार है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं और पानी पहुंचाया है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय योजनायें बनाई हैं उससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हैण्ड पम्प सिस्टम लागू करने से वहां नाहरू की बीमारी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के खतम होने से आदिवासी लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। इस काम को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस साल के बजट में भी इस प्रकार का प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि विभाग की प्रवृत्तियों को आगे और बढ़ाया जाये और जहां नाहरू की बीमारी वहां शताब्दियों से चली आ रही है वह दूर हो सकेगी।

मैं आयुर्वेद के संबंध में कुछ कहना चाहता था। मुझे यह कहना है कि जैसा आपके शब्दों से प्रकट होता है कि इसके दो अर्थ हैं। आयु और वेद। आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ....

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के चुनावों का कार्यक्रम

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के चुनाव के कार्यक्रम में निम्न परिवर्तन किये गये हैं :–

नामजदगी पर्चों को वापिस लेने की तिथि :—	20-3-75 के पूर्वान्ह 11 बजे से 3.00 बजे के स्थान पर 24-3-75 के 3.00 बजे तक।
चुनाव यदि आवश्यक हो तो :—	22 मार्च, 75 को मध्यान्ह पूर्व 11 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक के स्थान पर 29 मार्च, 1975 को मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक।

(श्री उपाध्यक्ष)

मतों की गणना 29 मार्च, 1975 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से ।

मांग सं० 27, 19, 20, 21, 22, 26, 28, व 33 पर अग्रेत्तर विचार ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद के संबंध में कुछ कह रहा था जैसा कि मैंने निवेदन किया आयुर्वेद दो शब्दों से बना हुआ है। आयु और वेद-हमारे देश में और विश्व के लोग भी जानते हैं कि 5 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद और पांचवा उसमें आयुर्वेद है और आयुर्वेद अपने आप में जीवन का एक शास्त्र है, एक जीवन की पद्धति है। आदमी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आदमी बीमार ही न पड़े इस प्रकार का इलाज होना चाहिए और इस प्रकार का इलाज और इस प्रकार की पद्धति हमारे देश में मौजूद है लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त-प्रायः हो गयी है और लुप्तप्रायः होने का कारण आज का जो आधुनिक प्रकार का जीवन है वह उसका बहुत कुछ कारण है और इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमको वापिस उसी जगह पर आना चाहिए जहां से हमने शुरू किया है ....

आयुर्वेद जैसा कि मैंने निवेदन किया नाम से प्रकट होगा कि पहले इसका मकसद यह है कि हम जीवन के अन्दर इस पद्धति को अपनाएं, आहार बिहार, दिनचर्या, रात्रि-चर्या इस प्रकार की हो और इस प्रकार का कार्य करें जिसके कारण बीमारी ही न हो और बीमार हो जायें तो फिर उसका उपचार इससे करें। इस चिकित्सा पद्धति का जब नाम आता है तो आपको मालूम होगा कि यहां पर जो विश्व की जितनी भी पद्धतियां निकली है, वह चाहे अलग 2 कोई भी हों, होमियोपैथी हो, एलोपैथी हो, चाहे नेचरोपैथी हो, चाहे कोई भी पद्धति हो, वह पद्धतियां जितनी भी निकली हैं वह सब आयुर्वेद पद्धति से निकली हुई हैं। आयुर्वेद सब पद्धतियों की जननी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है और प्राचीनतम पद्धति है, और महापुरुष हुए हैं, चरक सुश्रुत और नागार्जुन और दूसरे भी उनके नाम से प्रसिद्ध है और आप सब लोग जानते हैं कि जो मॉडर्न सरजरी है, आधुनिकतम सर्जरी है, शल्य चिकित्सा है वह भी इसी से निकली हुई है और आज हम इस बात को देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर ऐसे 2 महापुरुष हुए हैं, ऐसी ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने आयुर्वेद को राजस्थान के अन्दर ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान के अन्दर आयुर्वेद को चमकाया है। आज हम उन लोगों को भूल नहीं सकते। हम जयरामजी को नहीं भुला सकते, हम वैद्य नन्दकिशोरजी को नहीं भुला सकते, हम कृष्णरामजी को नहीं भुला सकते, हम स्वामी लच्छीरामजी को नहीं भुला सकते जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक लेकर सारे हिन्दुस्तान में किया और सारे विद्यार्थियों को शिक्षित किया और उनको शिक्षा-दीक्षा दी है। तो आज इस मौके पर यही निवेदन करता हूं .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भीखाभाई : जहां तक आयुर्वेद का सवाल है हमारे राजस्थान में कुछ काम

(श्री भीखाभाई)

हुआ है लेकिन जितना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है। हमारे आयुर्वेद का स्वतंत्र मंत्रालय था लेकिन आज स्वतंत्र मंत्रालय भी नहीं रहा और इसलिए इसको कायम किया जाय। दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि . . .

श्री चन्दनमल बैद : अभी भी है भीखाभाई।

श्री भीखाभाई : वह मैं जानता हूं कि कितना स्वतंत्र है। स्वतंत्र स्टाफ है . .

श्री चन्दनमल बैद : मंत्री भी स्वतंत्र हैं एक राज्यमंत्री के चार्ज में है।

श्री शंकरलाल (पाली) : इनका मतलब है कि राज्य मंत्री पूरा मंत्री नहीं है। कमलाजी को पूरा मंत्री बनाओ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : राज्य मंत्री स्वतंत्र मंत्री नहीं होता, आपका यह कहना है।

श्री चन्दनमल बैद : आपके पास स्वतंत्र चार्ज है।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका संचालन स्वतंत्र नहीं है। कोई केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है और जो आयुर्वेद मंत्री हैं वे पूरे मंत्री नहीं होने से इसकी प्रगति नहीं हो सकती। आयुर्वेद के लिए केबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिए फिर, चाहे वह शिवचरण जी हों, चन्दनमलजी हों या और कोई हो।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : आयुर्वेद के लिए बड़े मंत्री की जरूरत है, राज्य मंत्री की नहीं, आप कहना यह चाहते हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री भीखाभाई : मैं कहना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय स्थापित होना था वह मंत्री नहीं होने से, केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं होने से पिछड़ रहा है। राजस्थान में रतनगढ़ के अन्दर आयुर्वेद भारती को कन्वर्ट करके विश्वविद्यालय करने की बात थी और भंवरलालजी दूगड़ ने तो इसके लिए अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं की गई और इसके मुकाबले गुजरात आगे बन गया, व्यासजी ने वहां विश्वविद्यालय बना दिया और हमारा विश्वविद्यालय रह गया।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)।

तो यह चार-पांच सुझाव लेकर समाप्त करता हूं।

तीसरा सुझाव यह है कि यहां पर . .

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझाव तो आपकी फाइलों पर ही होंगे।

श्री भीखाभाई : मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ . . . .

एक माननीय सदस्य : अब वे भूल गये हैं इसलिए याद दिला रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : वे तो भूले नहीं हैं, आपको याद दिला रहे हैं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड रिसर्च है दिल्ली में उसी प्रकार आयुर्वेद के लिए आल इंडिया पैटर्न पर एक यहां पर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात थी इसलिए दूसरे राज्य भी इसके लिये प्रयास

(श्री मीखाभाई)

कर रहे हैं, उत्तरप्रदेश कर रहा है, मध्यप्रदेश कोशिश कर रहा है, केरल प्रयत्न कर रहा है और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी लिख दिया है। मगर मैं आपको कहता हूं कि अगर यह संस्थान कहीं पर कायम किया जाय तो राजस्थान के अन्दर ही स्थापित किया जावे, यह सब को निवेदन करना चाहिए।

तीसरा मैं यह निवेदन करता हूं कि एकेडेमिक के संबंध में, यहां पर जो आयुर्वेदिक की सेपरेट एकेडेमी होनी चाहिये। हमारे यहां पर आयुर्वेद के बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका तर्जुमा किया जाना चाहिए और उसके लिए एकेडेमी स्थापित करनी चाहिए।

चौथा मेरा सुझाव यह है कि हमारे यहां पर जिस प्रकार नाहरू के बारे में शिविर किए जाते थे कि नाहरू के अन्दर भी अनुसंधान शुरू होना चाहिए वह शुरू नहीं हुआ है। नाहरू के इलाज के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं है इसलिए इसमें अनुसंधान करायें और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए और फार्मेसीज जो अलग, अलग फार्मेसीज हैं उनकी जगह एक इन्टीग्रेटेड फार्मेसी बनायें जो निगम के रूप में काम करे। मैं इस बात पर जोर देकर निवेदन करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि हमारे यहां जो आयुर्वेद का संस्थान बनने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद की स्थापना होनी है वह राजस्थान में ही करनी चाहिए और इसके लिए हमारे सदन की तरफ से इस बात के लिए जोरदार मांग होनी चाहिए, पुरजोर मांग होनी चाहिए कि केन्द्र सरकार इसकी स्थापना यहां पर ही करे। उसी तरह विश्वविद्यालय यहां पर बने और फार्मेसी का कारपोरेशन बने, इन्हीं सारी बातों को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले चूंकि चूरू जिले के बारे में आमतौर पर सदन में यह कहा जाता है कि जलप्रदाय की योजनाओं के अन्तर्गत अधिक रुपया वहां जा रहा है और इस विभाग के मंत्री भी हमारे चूरू जिले के हैं इसलिए मैं इसके बारे में पहले बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसके अन्दर यह बताया गया है कि कुल 157 गांवों के अन्दर से विभाग 151 गांवों को अभी तक जलप्रदाय योजना के जरिये लाभ पहुंचाने लगा है। मैं वैसे सब के बारे में नहीं कह सकता पर वैसे अगर मान भी लिया जावे कि 151 गांवों के अन्दर विभागीय योजनाओं से लाभ मिलने लगा है तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं जिससे माननीय मंत्रीजी यह बता सकें कि उनके बारे में क्या स्थिति है वे इनमें शामिल हैं या नहीं हैं।

सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि रतनगढ़ कस्बे को आप किस में शामिल करते हैं। आप अपने विभाग में शामिल करते हैं जो आपकी योजना के 151 गांवों के अन्दर है या उससे अलग छः गांवों में शामिल है क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ कस्बे के अन्दर से बहुत वर्षों पहले से वहां पर एक निजी संस्थान से ग्रामीण जल प्रदाय योजना चलाई जा रही है और उसके बाद में वर्षों से यह

(श्री फूलचन्द जैन)

प्रयत्न किया जा रहा है कि जो आबादी बढ़ी है उन गरीब व्यक्तियों की वहां जो पुरानी जलप्रदाय योजना चालू है वह पीने का पानी नहीं पहुंचा सकती। उसका एक्सपांशन भी नहीं करते हैं और बड़ी दिक्कत कस्बे के लोगों को हो रही है। लोगों को दिक्कत रहती है उसके बावजूद भी न तो राज्य सरकार अभी तक इन दलित वर्ग के लोगों को मीठा पानी पहुंचा सकी है, दूसरी जो जल प्रदाय की व्यवस्था की जाती है वह व्यवस्था कर सकी है और न वहां पर अपनी ओर से कोई योजना बनाने की बात राज्य सरकार सोचती है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं इसे बहुत ही खेदजनक बात समझता हूं। एक तरफ सारे राजस्थान में हमारी बदनामी हो और वहां पर एक सब डिविजनल हैडक्वार्टर रतनगढ़ कस्बे के अन्दर होते हुए भी आज भी वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिले और राज्य सरकार विवश हो जाय, दूसरों का मुंह देखती रहे इस बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं जहां तक मेरी जानकारी है जो निजी संस्थान जलप्रदाय योजना चलाता है उनका भी यह कहना है कि राज्य सरकार ले ले तो हम उन्हें दे दें, हम इसको चलाने में सक्षम नहीं है।

दूसरा कस्बा मैं लेता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, छापर का और छापर का कस्बा जो उसकी स्थिति दूसरे ढंग की है। क्योंकि राज्य सरकार ने जो अभी चालू योजना है उनके अन्दर छापर कस्बे को शामिल कर रखा परन्तु सन् 71-72 के बजट में यह 71-72 अन्दर फर्स्ट इंस्टालमेंट छापर की योजना लिये दिया था। 24 लाख से अधिक की योजना का प्रावधान इसके लिए किया गया था और उसके बाद में फिर रिविजन किया गया और रिविजन के बाद आज, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि वहां पर रिजर्वायर बन चुका है। वहां छापर से गोपालपुरा तक पाइप लाइन डाली जा चुकी है और गोपालपुरा से लाडनूं तक, इसका सोर्स है, योजना बनाते समय बनाया गया था, वहां पर पाइप पड़े हुए हैं, खाली उनको जमीन में डाल कर के कनेक्ट करना है, यहां तक इस योजना का काम चालू हो गया है, उस योजना के बारे में– आज वैसे विभाग यह कहता है कि हम ने करीब 15/16 लाख या इससे अधिक रुपया खर्च कर दिया है, परन्तु माननीय मंत्री महोदय कृपा करके यह बताएंगे कि 71 से लेकर 75 तक आज भी इस योजना को वे क्यों पूरा कर नहीं पाये हैं। इसकी वजह क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह भी एक अजीब स्थिति है, वहां के लोग यह कहते हैं कि लाडनूं से पानी न मिल कर उनको सांडवा से पानी मिलेगा। आपने योजना कहां के लिए बनायी थी। रुपया लगा दिया है, पाइप लाइन डाल दी है– अब वहां के लोगों को सांडवा से पानी मिलेगा। दो वर्षों तक वहां के लोग प्रतीक्षा करते हैं और सांडवा की बात कहते हैं। वर्षों तक सुजानगढ़ की पानी की योजना पर रिसर्च किया गया। अन्त में यह कह दिया कि लाडनूं में इतना पानी नहीं है इसलिए वहां से पानी नहीं दे सकते। लाडनूं में पानी कम हो जाएगा इसलिए लाडनूं से पानी नहीं दिया जा सकता यह तुक समझ में नहीं आती। यह नहीं समझ पाया कि छापर के लिए एक अलग योजना बनाई। उस समय क्यों बनाई? क्या आपको जानकारी नहीं थी। लाडनूं में पानी नहीं है– वहां पर पाइप लाइन डाली है गोपालपुरा से चरावास, लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। एक तरफ एक योजना

(श्री फूलचन्द जैन)
पर एक लाख रुपया खर्च कर दिया गया गौर फिर कहते हैं कि सांडवा से पानी देंगे। इसके पीछे आपकी क्या राय है। यह आप ही जानते हैं मंत्री महोदय। क्या मंत्री महोदय यहां पर बताएंगे कि अब उनका छापर के बारे में क्या इरादा है? जो योजना बनी है, खर्चा हो गया। क्या विभाग ने आपको नहीं बताया- अगर नहीं बताया है तो विभाग से जानकारी करके बताएंगे कि विभाग ने क्यों जानकारी नहीं दी। इसके बाद में मैं सुजानगढ़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सुजानगढ़ के बारे में फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यह जवाब दीजिए कि इस योजना के लिए जितना आपने प्रावधान किया था उतना क्या आपने अभी तक सुजानगढ की योजना पर खर्च कर दिया है? नहीं कर चुके हैं तो इसकी क्या वजह है। इसके लिए रुपया आप एल० आई० सी० से लोन लेते हैं म्युनिसिपैलिटी के बिहाफ पर आप लोन लेते हैं योजना में प्रॉविजन है, तो फिर वह रुपया कहां चला गया? वहां जो कुए बने है वे क्या सुजानगढ वाटर वर्क्स के उपयोग में आते हैं। क्या आप उनकी आवश्यकता नहीं समझते हैं। आज भी ऐसी गरीब बस्तियां हैं जहां पर पाइप की लाइन नहीं जाने की वजह से उनको पानी नहीं मिलता है। इसके बाद मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज भी आप वहां पर पर्याप्त पानी नहीं देते हैं- इससे आपकी योजना इकोनोमिक और अन-इकोनोमिक कैसे होती है, यह तो पीछे बताऊंगा, परन्तु आज वहां पर आप मान लीजिये और कुए बढ़ा कर पानी की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो क्या आपकी रेवेन्यु नहीं बढ़ती है, खैर। यह मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि आपने जिन 151 नगरों की बात की है, एक एक का उदाहरण दें, अलग अलग कस्बे की क्या स्थिति है, यह मैं नहीं कह सकता परन्तु इस तरह से ये सारी योजनाएं बनी हैं, अलग अलग स्थिति इस प्रकार की है, तो यह चिन्ताजनक है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि शहरों में जल प्रदाय योजनाएं 74-75 में 26.91 लाख खर्च किया गया उसके मुकाबले में 33 हजार 305 गांव हैं और जिनकी आबादी 2 करोड़ 12 लाख से अधिक है उसमें भी आप यह मानते हैं कि 24 हजार, 37 गांव ऐसे हैं जिनमें हम को मीठे पानी की सुविधा देनी होगी और इनके अन्दर वर्ष 74-75 तक अभी तक कितने गांव कवर किये हैं सिर्फ 3201 गांव आपने कवर किये हैं और जिसकी आबादी 30/32 लाख के करीब है। दो करोड़ 12 लाख की आबादी में से अभी तक 30।32 लाख की आबादी कवर कर सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह सकता कि इनके अन्दर कितने ऐसे गांव शामिल है जिनके अन्दर मीठा पानी उपलब्ध था और वहां पर आपने वाटर सप्लाइ स्कीम बना कर पानी पहुंचा दिया और उन गांवों का प्रतिशत कितना है जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं था और वहां पर लोगों को पीने के पानी की सब से अधिक दिक्कत है, ऐसे कितने गांवों को आपने इन रूरल वाटर सप्लाइ स्कीम के तहत गांवों को कवर कर सकें- यह भी कृपया बताएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इन सब बातों के ऊपर आप नहीं सोचेंगे और हमारे जो लिमिटेड प्राविजन्स हैं, एक तरफ मीठा पानी है, उस पर खर्च न करके जो दूसरे प्राविजन हैं, उस पर इतना खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम यह कह रहे हैं कि हमने इतने गांवों के लिए पीने के पानी की योजनाओं से कवर

(श्री फूलचन्द जैन)

कर लिया है। तो यह इन लोगों के साथ में अन्याय होगा कि जो लोग सदियों से खारा पानी पीते आ रहे हैं, खारा पानी पीने के बावजूद इन 25/27 वर्षों में हम उनके लिए मीठे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और अब वे क्या आशा करें कि उनके लिए मीठे पानी की व्यवस्था होगी। आज तक ये लोग इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि आज हमारी योजनाओं की स्थिति क्या है? हमारी जो अब तक की जलप्रदाय योजनाएं हैं उनके बारे में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने 11 वर्षों के आय-व्यय, निर्माण-व्यय के आंकड़े दिए हैं। इसके आधार पर उन्होंने जो निर्माण-व्यय है उसको अलग छोड़ दिया है, उसके बाद जो संधारण व्यय है–किसी भी वर्ष में, 62-63 में संधारण व्यय 49.20 लाख रुपया और उसके मुकाबले में आय है 41.52 लाख रुपये। इसके बाद 72-73 की स्थिति यह है–संधारण व्यय है 465.65 लाख रुपये और आय है उसके मुकाबले में 280.80 लाख रुपये। इसमें निर्माण-व्यय शामिल है, उसको अलग छोड़ दिया गया है। इसके बाद संधारण व्यय के मुकाबले में, उसके अनुपात में भी इसकी आय नहीं है। तो इस ओर सोचना है कि यह कम क्यों होती है? यह मैं मानता हूं कि यह एक ऐसी विषम समस्या है जिसको हमें केवल इकोनोमिक आस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिये। मैं यह भी जानता हूं कि इसके रीजन्स क्या हैं और क्यों हमारी आय बढ़ती नहीं है और व्यय, संधारण व्यय के मुकाबले आय नहीं कर पाते। अनइकोनोमिक तरीके से अगर इस प्रकार के काम को करते चले गये–या तो आपको तैयार होना चाहिए कि हम इसको डेड मान कर भुगता देंगे या आपको यह देखना होगा, आखिर किसी भी कस्बे की जलप्रदाय योजना से संधारण व्यय के मुकाबले आय हो। तो इसके रीजन्स क्या है? पहले भी कह चुका हूं, आपके पास में पानी है। काम भी आपने कम्पलीट कर दिया है फिर भी आपकी आय इसलिये नहीं हो पा रही है, आप पूरा पानी नहीं दे सकते हैं। दो घंटे का पानी है उसको आधे घन्टे देने के बाद बंद कर देते हैं डेढ़ घंटे के बाद बंद कर देते हैं। कह देते हैं बिजली फेल हो गई, कर्मचारी छुट्टी पर हैं, या फिर वे घर जाकर सो जाते हैं। ये ऐसे रीजन्स हैं जिससे आपकी आय बढ़ नहीं रही है। हमारी आय गिरती जा रही है संधारण व्यय के मुकाबले में। आप यह कह सकते हैं कि हमें डिफरेन्ट आस्पेक्ट्स से, ह्यूमेनेटरी ग्राउन्ड्स से सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तफसील पूछूंगा, तफसील से बताइये कि इसकी क्या वजह है? प्राक्कलन समिति ने लिखा है: 'उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगरीय जलदाय योजनायें घाटे में चल रही हैं। केवल 1963-64 को छोड़कर सभी वर्षों में व्यय आय से अधिक रहा है और हर वर्ष आय और व्यय में अन्तर बराबर बढ़ रहा है। राज्य सरकार की आय और व्यय में पिछले 10 वर्षों में इतना अन्तर क्यों आया है? इसकी जानकारी करनी चाहिये क्योंकि यह अपने आप में एक चिन्ता का विषय है। इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति अपनी रिकमन्डेशन में लिखती है कि 'इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए समिति यह सुझाव देती है कि नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धी के कार्य को एक स्वायत्तशासी मण्डल को सौंप देना चाहिये और योजना निर्मित होने के पश्चात् ये कार्य मण्डल द्वारा 'न लाभ न हानि' के सिद्धांत पर संचालित किये जाने चाहिए।

Page No 154

(१५४)

(श्री फूलचन्द जैन)

यह कामर्शियल तरीके से आप करने लगे हैं और सारा काम विभाग करता है। विभाग में जो योजनायें चल रही हैं विभाग शायद उनको देखता है, सारा काम विभाग करता है। उसके बाद कामर्शियल लाइन पर किसी भी ढंग से नहीं ला सके तो किस प्रकार से जो अनाप-शनाप पापुलेशन इसके अन्दर कवर होने से रह गई है, पानी का वहां पर क्या होने को है? इनको किस तरह से चलायेंगे?

और इन बातों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब एक बात और देखिये। समिति ने यह भी कहा है 127 के अन्दर–

"समिति बीकानेर व डूंगरपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय जल योजना के लिए गलत क्षेत्र ढूंढ़ने, बिना सर्वे किये टंकियों एवं क्वार्टर्स के निर्माण एवं मीठे पानी वाले गांवों को भी योजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही को उचित नहीं समझती। समिति की यह मान्यता है कि इस प्रकार के कार्य पूर्ण सर्वेक्षण के अभाव में जल्दबाजी में किये गये हैं जिनका उद्देश्य जनता की सेवा न होकर केवल मात्र प्रचार ही प्रतीत होता है। निरुद्देश्य रूप से किये गये कार्यों में जन धन का न केवल अपव्यय होता है अपितु ऐसे कार्यों से शासन पर जनता की आस्था में भी कमी आती है।" फिर समिति ने अपने सुझाव दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ और इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इस तरह से अनइकोनोमिक तरीके से करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी जो योजनाएं जलप्रदाय की हैं उनको टाइमली कम्प्लीट नहीं करते हैं। उसके सम्बन्ध में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एल० आई० सी० लोन देने वाली मुख्य बोडी है और जिससे आप रुपया ले चुके हैं 74-75 में आपकी 23 कान्टीन्यूइंग स्कीम्स के लिए और आपने कहा है कि 74-75 तक हम इनको कम्प्लीट कर देंगे। क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि इन 23 कान्टीन्यूइंग स्कीम्स को आप 74-75 में कम्प्लीट कर देंगे? उनके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि एक तरफ एल० आई० सी० साफ कह रही है–

"The State Government should see that as far as possible water supply and sewerage schemes are planned to be self-supporting in the sense that the income accruing out of the schemes after completion should be sufficient to meet the cost of maintenance, depreciation on plants, payment of interest and repayment of principal on the Loans raised for financing the schemes. While water supply may have to be provided free of cost by way of public taps to economically weaker sections of the population, sufficient income should be collected from that section of the population which can afford to pay, for meeting the cost of the schemes. This is necessary to ensure satisfactory servicing of LIC Loans without resorting to Government guarantee as far as possible. This aspect must be kept in mind while framing the

(श्री फूलचन्द जैन)

schemes. While selecting the schemes to be taken up for financing, LIC would generally give preference to those schemes which would be self-supporting."

क्या आप उनको कन्विन्स कर सके हैं ? 23 जो आपकी स्कीम्स हैं वे 23 स्कीमें आपकी चल रही हैं, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71 और 71-72 से चल रही हैं। 67-68 में आपने फर्स्ट इन्स्टालमेंट में लिया है जिन स्कीमों को वे अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाई हैं। आप एल० आई० सी० से यह कहते हैं कि हमारा जो इन स्कीम्स पर 793 लाख का प्रोवीजन था उसके लिए अब हमको 909 लाख रुपये चाहिए। 136 लाख के करीब एक्सेस रुपये और आपको चाहिए। यह किस की गलती से चाहिए? क्यों न आप इनको कम्प्लीट कर सके कि जिसकी वजह से आज आप यह कहते हैं? एक तरफ तो एल० आई० सी० से यह कहते हैं। इसके अन्दर जो रिपोर्ट है उसके अन्दर आप यह कहते हैं कि वाटर सप्लाई स्कीम्स को इकोनोमिकल बनाने के लिए हम वाटर रेट्स को रेज करेंगे। आज तो आप पानी की दरें बढ़ा लेंगे और आपने बढ़ाई हैं लेकिन कब तक बढ़ायेंगे? क्या आप यह गारन्टी दे सकते हैं कि वाटर की रेट्स को बढ़ाने से आपकी स्कीम्स को कम्प्लीट करने की पोजिशन में आयेंगे ? अगर आप गारन्टी नहीं कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप वाटर रेट्स को बढ़ा देंगे और इकोनोमिक स्कीम्स बना देंगे? यह आप गारन्टी दे सकते हैं ? अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपके यहां पर जिस तरह से इनकी आय और व्यय के अन्दर, जिन योजनाओं के अन्दर वर्किंग एफिशियेन्सी इम्प्रूव होनी चाहिये, आपकी स्कीम्स टाइमली कम्प्लीट होनी चाहिए, आज की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस स्कीम में कितना टाइम ज्यादा क्यों लगा ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उसके बाद आप इन सारी चीजों को नहीं देखें तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि फिर उसके बाद में यह स्थिति चिन्ताजनक तो राजस्थान के लिए है ही। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप कई बार यह कहा करते हैं कि, मेरी इच्छा का एक विभाग स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब से मांगा था जलप्रदाय विभाग और वह मिल गया। यह मिला तो हमें भी बड़ी खुशी हुई थी कि चलो चूरू जिले के अन्दर आपने इस विभाग को लिया है तो कुछ काम होगा। वेस्टर्न राजस्थान में बेलेन्स और इम्बेलेन्स की कुछ बात कहें लेकिन जो वहां की रियल प्राब्लम है मीठे पानी की उपलब्धि की–वह साल्व होगी। लेकिन मैं वहां के लिए कहना चाहता हूं कि यही पिक्चर आप छोड़ना चाहते हैं अपने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट की तो फिर ठीक है, आप उस पर गौरव का अनुभव करते हैं तो करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस हालत के अन्दर आज जिस तरीके से एक तरफ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के अन्दर जितनी भयंकर स्थिति है आपका पर्सेन्टेज आफ स्टोरेज बहुत कम रहा है वहां दूसरी तरफ योजनाएं घाटे में चल रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज कई कारणों से लोग आपकी तारीफ करते हों, लेकिन · · ·

श्री रामकिशन : आपकी क्या राय है?

श्री फूलचन्द जैन : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि छापर के अन्दर पब्लिक टेप्स लगाने के लिए आपकी टाइमली योजना वहां पर चल रही है। सुजानगढ़ से हम पानी दे

(श्री फूलचन्द जैन)

रहे हैं । सारी योजना का पानी पहुंचा कर कैसे हम राहत पहुंचा रहे हैं यह हम जानते हैं, आप कहते हैं कि पब्लिक टेप्स देंगे । पब्लिक डोनेशन से पब्लिक टेप्स का रुपया दिया गया और फ्री आफ कास्ट हम पानी दे रहे हैं और आपकी सब चीजों को मन्जूर करने के बाद डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया । आपके चीफ इन्जीनियर साहब ने सेन्क्शन दे दी, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब ने सेन्क्शन दे दी उसके बाद भी आज तक साल-डेढ़ साल निकल जाय और आपका विभाग टेप्स के अन्दर ......

श्री चन्दनमल बैद : वजह बताऊंगा ।

श्री फूलचन्द जैन : वजह बता देंगे तो खुशी होगी । आप कहते हैं कि पानी नहीं है इसलिए नहीं दे सकते ... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री चन्दनमल बैद : वजह बता दूंगा आप नाराज न हों ।

श्री फूलचन्द जैन : हम वजह पूछेंगे और पूछने के बाद आपने इस तरह से समय के अभाव में किस तरह की स्थिति बना रखी है उसके बारे में क्या बतायेंगे ? इस स्थिति के अन्दर ......

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है । जब माननीय सदस्य बोल रहे थे सदन में तो माननीय मंत्रीजी ने जिस तरह से अपने भावों का प्रदर्शन किया है माननीय सदस्य के प्रति तो आसन की जिम्मेदारी है कि उनके हितों की रक्षा करें ।

श्री फूलचन्द जैन : आप छोड़िये क्या बात करते हैं । अरे, छोड़िये साहब । वह डरे नहीं मुझ से, यही गनीमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, खैर ! मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ।

इसके साथ ही चिकित्सा मंत्रीजी के विभाग के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं दो मिनिट के अन्दर कि चिकित्सा मंत्रीजी चिकित्सा तो करते ही हैं, आप तो मेहरबानी करके यह बताइये कि आपने इस रिपोर्ट के अन्दर आपने 95 लाख का जो आपने बताया है इस वर्ष के लिए प्राविजन रखा है उसके लिये आपने कहा है—

"इस हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 95.00 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है जो कि कुल प्रावधान के 75 प्रतिशत से भी अधिक है । इस योजना के अन्तर्गत 75 परिवार नियोजन केन्द्र, 225 उप-केन्द्र और 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण करने का कार्यक्रम है ।"

भवनों को पटकिये अलग । आज स्थिति क्या है? भवनों को छोड़कर झोपड़ों में लगा दें । आपको पैटर्न बदलना होगा काम करने का । भवनों पर रुपया खर्च करने के बजाय आज हमको चाहिए चिकित्सा की व्यवस्था । दवाओं की वहां पर स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्षजी, एक तरफ तो दवाओं की जो आज स्थिति है वह बड़ी दयनीय है, आप मानें या न मानें यह आप जानें, परन्तु मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दवाओं की अस्पतालों के अन्दर जिस प्रकार की उपलब्धि की दयनीय स्थिति है, मेहरबानी करके आप किसी तरह भी कहीं पर भी कटौती करें लेकिन दवाओं का प्रबन्ध करें । मैं यह कहता हूं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का आज एक ऐसा अहम प्रश्न है कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं । आपको उसके लिए पूरा बजट बनाना चाहिए

(श्री फूलचन्द जैन)
और आपके बजट बनाने के अन्दर कोई दिक्कत आयेगी तो हम आपका पूरी ताकत के साथ साथ देंगे। हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते हैं कि हास्पिटल के अन्दर पट्टी चाहिए, टिन्चर आयोडिन चाहिए तो वहां कहे डाक्टर कि आप जाकर बाजार से ले आइये। गरीब आदमी को आप कहते हैं कि दवाओं में वृद्धि की है। क्या करेंगे आप दवाओं में वृद्धि? दवाओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप कहते हैं कि दवाओं का प्रोवीजन बढ़ा दिया है तो आपने दवाओं का प्रोवीजन पैसों में बढ़ा दिया होगा, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। यह कितनी व्यवस्था आप कर सकते हैं यह हमें बतायें?

दूसरी बात आपने रूरल सेक्टर बिल्कुल छोड़ दिया। शहरों में अस्पताल वगैरह हैं। लेकिन गांवों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर द्वारा इसके अलावा और क्या चिकित्सा देते हैं? आप गांवों में किस प्रकार से व्यवस्था करना चाहते हैं? आपने अलग अलग सेण्टर्स को दे दिया है। हम सोचते हैं, आप दो हजार की आबादी के गांव को पानी पहुंचायेंगे। हम मानते हैं, 1 हजार की आबादी मान सकते हैं। वहां प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायेंगे। आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछियें। पर इस स्थिति पर आप गम्भीरता से सोचकर ग्रामीण क्षेत्रों को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। अकाल मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, एक रिपोर्ट इस विभाग की दी है। इसमें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और कोई काम हो या न हो लेकिन चूरू जिले का नामोनिशान उन्होंने मिटा दिया है। उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। वहां के लोगों को रोजगार का कोई साधन नहीं है। अनाज इतने ऊंचे भावों में है कि गरीब काश्तकार और मजदूर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। दूसरी तरफ पीने के पानी की हालत देखिये। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर कठिनाई है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का हमारे बाड़मेर जिले के अकाल से प्रभावित लोगों के बारे में बिल्कुल उदासीनता का भाव है। मैं यह प्रमाण दे सकती हूं कि राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने और अकाल राहत मन्त्रीजी ने इस क्षेत्र का दौरा करके वहां की वास्तविकता का जायजा तक नहीं लिया है। जब भी वहां के जनप्रतिनिधि राहत देने की मांग करते हैं तो राजस्थान सरकार यह प्रस्ताव लेकर आती है कि उनको राजस्थान नहर पर भेज देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूं, बाड़मेर जिले के लोगों का इस भारी संकट में राजस्थान नहर पर जाना कतई सम्भव नहीं है। उनकी आजीविका पशुधन पर निर्भर है। उसको छोड़कर वह नहीं जा सकते। फिर भी जो जा सकते थे, वह घोषणा करने से पहले ही चले गये हैं। राजस्थान कैनाल पर स्थिति क्या है। जो आदमी काम पर लगे हुये हैं उनका केवल मात्र पेट भरता है। आश्रितों के लिए कुछ भी नहीं होता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूं कि बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य खोले जायें। वहां लोगों को साधन उपलब्ध कराये जायें। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी साधनों के द्वारा वहां के क्षेत्र के लोगों को काम नहीं दे सकें। इससे अधिक और दुख की क्या बात हो सकेगी?

(श्रीमती मदन कौर)

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के लिए यह कहना कि पानी के अभाव में वहां पर उत्पादक काम खोले ही नहीं जा सकते हैं तो वह वास्तविकता से दूर है । मैं मानती हूं कि 25-30 सड़कों के काम बाड़मेर जिले में शुरू किये गये हैं । लेकिन इतनी बड़ी जन-संख्या में, 4,000 की जनसंख्या में यह काम बहुत ही ज्यादा नहीं है । वहां पर व्यापक स्तर पर सड़कों को लिया जाये, तो बहुत से मजदूरों को काम मिल सकेगा। और जो सड़कें बेकार पड़ी हैं, यातायात की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगी । लूनी नदी पर बालोतरा और समदड़ी के बीच में बांध बनाया जा सकता है ।

(3.35 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

इससे कनाना, मिटूब, पारासी, बिंदरी, बालोतरा तक ऐसी जगह हैं, जहां पानी के बहाव से उपजाऊ जमीन कटती रहती है । तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी, सिंचाई विभाग वाले इसको रपट कहते हैं, जिससे भविष्य में उपजाऊ जमीन का कटना बन्द हो, इस प्रकार से बनाया जा सकता है । इसके साथ साथ बाड़मेर में विद्युत् के क्षेत्र में इस प्रकार का हो गया है। वहां भमनलाई, पापरानी, वानसी क्षेत्र में पानी की ड्रेनेज इस प्रकार की हो कि पानी लूनी नदी में में चला जाये तो हजारों बीघा जमीन, जो बेकार पड़ी है, कृषि योग्य होगी और लोगों के लिए एक आवश्यक साधन होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ पंचायतों के काम डी०पी०ए०पी० के माध्यम से कराये गये हैं । सरकारी रिपोर्ट में वह पूरे हो गये हैं। लेकिन वास्तव में अधूरे पड़े हैं। राज्य सरकार उनकी जांच कराये और जो जो पंचायत की खड़ीन के काम अधूरे पड़े हैं। तो शिव, शिवाना और पच-पदरा में वन विकास के काम हाथ में लिये जा सकते हैं । मैं यह मानती हूं कि ये प्रकार के काम मजदूर प्रधान होते हैं। यह राज्य सरकार मंजूर करती है कि इतने बड़े स्केल पर इन कामों को नहीं कर पायेगी । तो मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहती हूं कि अगर बाड़मेर जिले में जब तक राहत कार्यों के माध्यम से कम से कम एक लाख लोगों को काम उपलब्ध नहीं कराये जायें तब तक फिर बाड़मेर के लोगों को कोई विशेष सहायता 20 रु० प्रति व्यक्ति ब्याजमुक्त देनी चाहिए । सितम्बर के महीने से माइलो नाज का देना प्रारम्भ किया गया था । दो किलो से अधिक क्वान्टिटी बाड़मेर के लोगों को उपलब्ध नहीं कराई है । अब 6 किलो प्रति-व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध करायी जा सके । इतनी तो उपलब्ध करायी जाये । पीने के पानी का ध्यान दें तो यह हालत है । पच-पदरा तहसील ऐसी है जहां पानी की बहुत कठिनाई है । 68-69 में 140 गांवों में टैंकर की मार्फत पानी उपलब्ध कराया जाता था । आज 24 गांवों में उपलब्ध कराया जाता है । वह भी 15-20 दिनों में एक टैंकर जाता है । दवाई के माफिक लोग पानी को काम में लेते हैं। इस तरह की स्थिति रहे तो यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है । मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करती हूं कि जिन क्षेत्रों में पानी की कठिनाई है, वहां पर पानी उपलब्ध कराया जाय । सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के लोग पूछा करते हैं, कि राज्य सरकार पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराती है, कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है, तो क्या राज्य सरकार ने यहां के लोगों को मारने की

(श्रीमती मदन कौर)

धारना बना रखी है ? सभापति महोदय, उनकी यह धारणा निर्मूल नहीं है। स्वाभाविक है। और आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब कि राजस्थान सरकार लोगों को तात्कालिक राहत देने के लिये कोई कदम नहीं उठाती और बहुत बाद में जब कि हालत बहुत खराब हो जाती है। जब आग लग जाती है तब कुआं खोदते हैं, तो मालूम नहीं कब पानी मिलेगा और तब तक तो सब का सब भस्म हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अकाल और सूखा निवारण के लिये इनसे पीड़ित क्षेत्रों में तात्कालिक सहायता का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

इसी तरह से विकास का प्रश्न दूसरा है। स्थायी विकास का काम तो आगामी दिनों में जैसे-जैसे खर्चे की गुंजाइश हो और जिस प्रकार से साधन उपलब्ध होते जायं उस प्रकार से प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन अकाल राहत के रूप में तो जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि अकाल राहत कार्यों के माध्यम से, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहती हूं, बाड़मेर जिले में जब तक एक लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उनको 20/- प्रति माह ब्याजमुक्त देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों के लिये भी निवेदन करना चाहती हूं जो राजस्थान नहर पर मजदूरी करते हैं। वहां पर उनकी स्थिति बहुत खराब है। उन लोगों को जो अनाज दिया जाता है वह 12 दिन भी पूरा नहीं चल पाता है और उनका गुजारा नहीं हो सकता है। एक किलो बाजरी में मुश्किल से 6 रोटियां बनती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको और अधिक अनाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि गंगानगर जिले में जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन है उसमें कुछ अनाज रखा हुआ है वह लगभग 11 हजार टन है जो वहां पड़ा हुआ है। वह अनाज खुले बाजार में 135 रुपये प्रति क्विण्टल के भाव से लिया हुआ है और उसमें स्टोरेज और अन्य दूसरे खर्चों को मिलाकर उसको 192/- प्रति क्विण्टल बना रखा है। सभापति महोदय, इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहती हूं कि अकाल राहत के अन्तर्गत जो लोग राजस्थान नहर में काम कर रहे हैं उनको वह अनाज कुछ कम कीमत पर 60 रुपया सब्सीडी के रूप में कम किया जाकर प्रति व्यक्ति 12 किलो के हिसाब से दिया जाना चाहिए। इस पर कुल मिलाकर मेरे खयाल से 3-4 लाख रुपया ही खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जहां एक ओर हम राजस्थान नहर के निर्माण पर इतना खर्चा कर रहे हैं और अकाल पीड़ितों से वहां पर काम भी ले रहे हैं तो इतना-सा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। वहां के लोग एक ही बात की याद दिलाते हैं कि जागीरदारी और राजा-महाराजाओं के जमाने में तो शोषण होता था परन्तु जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने और समाजसेवी लोगों ने यह विश्वास दिलाया था कि अब आपका शोषण बन्द हो जायेगा। परन्तु आज भी स्वतन्त्रता के बाद, आजादी के बाद भी मुझे तो यह महसूस होता है कि राज्य सरकार यहां के लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर लोगों को राजस्थान नहर पर भेजती है और लोगों से जितना काम लिया जाता है, उसके मुकाबले में उनको उतना पेमेन्ट नहीं किया जाता और बल्कि यह कहना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य में उनको पेट भर भोजन के लिये भी पूरा नहीं पड़ता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उन लोगों के लिए थोड़ी अच्छी

(श्रीमती मदन कौर)

हालत ठीक करने के लिये और राजस्थान नहर पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके विकास के लिये भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उनके कपड़ों की व्यवस्था के बारे में भी निवेदन करना चाहती हूं। दूसरे गांवों में तो नियंत्रित मूल्य के कपड़ों की कानें खोली गई हैं परन्तु राजस्थान नहर के शिविरों पर भी मोटे कपड़े की दुकानें खोली जानी चाहिए। और अब होली का त्योहार आने वाला है, आखिर वे लोग भी इन्सान हैं, वे भी अपने जीवन को कुछ रसपूर्ण बनाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए उनको इस अवसर पर कुछ शक्कर दिलाई जाय तो वे लोग बहुत आभार मानेंगे। इसी के साथ, सभापति महोदय, मैं अकाल के स्थायी सुधार के लिये भी कुछ सुझाव देना चाहती हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था खाद्यान्नों का अभाव भी अकाल के साथ ही जुड़ा रहता है। 1970-71 का एक ऐसा वर्ष था जब बाड़मेर जिले में बाजरे की बहुत अच्छी फसल हुई थी। अगर उस समय सरकार दूरदर्शिता से काम लेती और बाजरे का स्टॉक कर लेती तो उसके बाद जो अकाल की स्थितियां पैदा हुई उन स्थिति का मुकाबला किया जा सकता था और कुछ निश्चित रूप से बचाया भी जा सकता था। इसलिए मेरा सुझाव है कि भविष्य में जब भी इन जिलों में अच्छी फसल हो तो अनाज का पर्याप्त स्टॉक तैयार करना चाहिए जिससे मुश्किल के समय में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जहां पर पीने के पानी की समस्या है, राज्य सरकार को निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए और भूतल के जल का सर्वेक्षण कराना चाहिए और जल योजना के माध्यम से पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। पीने के पानी के सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ और नाचना के बीच से 100 क्यूसेक की एक नहर लाई जाय तो वहां के लोगों को एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। केवल इतना है कि इस नहर को जैसलमेर जिले में दो-तीन स्थानों पर पंप करना पड़ेगा, इसको ऊंचा उठाना पड़ेगा लेकिन बाड़मेर जिले में चार स्थानों पर हीरा की ढाणी, भचावड़ा, कांकरेज और थरपारकर की ओर प्राकृतिक ढलान है जिसकी तरफ इस नहर को लाया जाय तो निश्चित रूप से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और वहां के लोगों के लिये पीने के पानी का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस नहर से पशुपालन के विकास में भी बहुत सहायता मिलेगी और उनके लिये भी इसका एक स्थायी हल निकल सकेगा। इसी के साथ बाड़मेर जिले के पशुओं की की नस्लों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। वहां की कांकरेज वगैरह जो नस्लें हैं वे मजबूरी की वजह से वहां समाप्त होती जा रही हैं और दूसरे प्रान्तों में जा रही हैं और वहां पर बची-खुची कुछ ही नस्लें रह गई हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर जो एक प्राकृतिक देन है उससे बाड़मेर जिले को वंचित होना पड़ जायेगा। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने बजट भाषण में एक मरुस्थल विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बोर्ड से एक सलाहकार बोर्ड के रूप में काम नहीं लिया जाकर इसको एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में सूखा

(श्रीमती मदनकौर)

निवारण की योजनाओं का जो जिक्र किया है, इन योजनाओं में जो कार्यक्रम हाथ में लिये जायं वहां इस बोर्ड के माध्यम से कुछ ऐसे स्थायी काम किये जायं और उस बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को लिया जाय जिनको उस क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान हो और वे उस क्षेत्र के विकास में रुचि भी रखते हों, वैसे जो कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं, अच्छे हैं।

सभापति महोदय, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी कटौती प्रस्ताव हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जनसंख्या नियन्त्रण का प्रश्न भी अकाल से जुड़ा हुआ है। जिस तेजी से आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, निश्चितरूप से एक बहुत ही भयानक और विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है। अगर इस तेज गति से जनसंख्या बढ़ती गई तो जो हमारे सीमित प्राकृतिक साधन हैं उनके माध्यम से हमारे यहां के लोगों को उसमें साधारण रूप से जीवन-यापन के साधन भी जुटाना मुश्किल हो जायगा। आज यह स्थिति भी देखने को मिलती है कि गांवों में इसका प्रचार कम होने से वहां के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वहां के लोगों को सभी प्रकार के साधन उपलब्ध कराये जायं और सारी सुविधायें दी जायं, अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाय तो, क्योंकि वहां के लोग कुछ शंका भी रखते हैं, इसकी वजह से खुले रूप से बात भी नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि परिवार नियोजन सम्बन्धी राज्य सरकार की जो भी मशीनरी है, जो भी साधन हैं उनको गांवों के कोने-कोने में उपलब्ध किये जाने चाहिएं और इसका अच्छी तरह से प्रचार करके लोगों को कन्विन्स करना चाहिए जिससे वहां की जनसंख्या में बढ़ोतरी रुकेगी। आज हमने जनसंख्या की बढ़ोतरी को कन्ट्रोल नहीं किया तो निश्चितरूप से माल्थ्यूस की थ्योरी के अनुसार हमको भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करती हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग – इन सबके ऊपर साथ में ही चर्चा हो रही है। वास्तव में अकाल की जैसी भयंकर स्थिति राजस्थान में है, उसे देखते हुए तो हम इसके ऊपर दो-तीन दिन तक लगातार चर्चा करके क्रियात्मक सुझाव अकालग्रस्त जनता को राहत दिलाने के लिए दे सकते – इस बात की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य यह है कि इस मामले को लेकर हमारे सारे राजस्थान के अन्दर पंचायतों के चुनाव तक को टाल दिया और ऐसे समकालीन अकाल को लेकर गुजरात में विधान सभा के चुनाव को टाल दिया। ऐसे गम्भीर विषय को यहां जन स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग में सेंडविच करके कुछ घन्टे चर्चा करके समाप्त कर देना, मैं समझता हूं, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए अलग से प्रयास किया जायेगा कि इसके बारे में दो-दिन की चर्चा हो और इस पर चर्चा करने के लिए इस सत्र को बढ़ायें....

श्री शंकरलाल : अकाल पर अलग से चर्चा हो, इसके लिए कांग्रेस के सदस्यों ने भी मांग की है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम सबने मांग की है। यह जीवन-मरण का प्रश्न है। अकाल से राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित है। इसके लिए अलग से प्रयास और मांग की जायेगी कि इस विषय पर इस सदन में चर्चा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् अब तक, मैं समझता हूं, सदन में जितने भी विधायक बोले, उनकी भाषा में, उनकी वाणी में, विधान सभा के अन्दर जो हमने इस समय तक इस सत्र के अन्दर विचार-विमर्श किया है, उसमें कुछ मूलभूत कमजोरी है, जिसके कारण एक तरफ विधान सभा चल रही है, दूसरी तरफ लगातार अकाल के कारण से त्रस्त और ग्रस्त जनता.......

एक माननीय सदस्य : मर रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, यह है, हर रोज मौत की खबर आती है, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गये हैं भूख से होने वाली मौत से कि इस बात को लेकर लोक सभा में, हंगर डेथ की बात को लेकर हंगामा मच जाता है, मंत्री महोदय वहां उत्तर देते हैं, वह हां या ना में जबाव देते हैं। वह बोलते तो हैं, लेकिन राजस्थान के अन्दर विधान सभा के अन्दर अकाल मंत्री और हम सब की दशा इतनी शोचनीय हो गई है कि मौत की खबर आने के बाद भी उसे ऐसे टाल दिया जाता है जैसे मक्खी या मच्छर मर गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, इनसान की भूख से मौत हो जाय और जनता में आक्रोश न उत्पन्न हो सके, यह बहुत खेदजनक और चिन्ताजनक स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि राजस्थान सरकार ने इतने जिलों में अकाल घोषित किया है, उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी बराबर, जब भी विचार-विमर्श हुआ है, इस बात को टालते रहे हैं, जब तक हो सके, अकाल राहत कार्यों को अकालग्रस्त जिलों में खोलने की बात धीरे धीरे टालने का प्रयास करें। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है, और दिल्ली में बैठी देवी ने अंगूठा बता दिया है, अकाल राहत के मामले में कह दिया है, अकाल राहत में बहुत ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में खराब हो चुका है, अनुपयोगी कामों में खर्च हो चुका है इसलिए दिल्ली अकाल राहत कामों के लिए पैसा नहीं दे सकती। हमारी राज्य सरकार कहती है कि हमारे साधन सीमित हैं, हम तो देशनिकाले की बात कर सकते हैं। अकाल से त्रस्त और पीड़ित जनता को कहते हैं, राजस्थान नहर पर जाओ, कहीं बांध बन रहा है वहां जाओ। इसका तात्पर्य यह है, गांवों में अकाल से त्रस्त और मजबूर लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, उनको कहा जाय कि राजस्थान कैनाल पर जाकर काम करो, अपने परिवार को लेकर राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जाओ, अपने मवेशियों को यहीं छोड़ जाओ, अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी को यहीं छोड़ जाओ। यह क्रूर उपहास आप गरीब अकालग्रस्त लोगों के साथ कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुःख है। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक उस क्षेत्र से आते हैं, जो अकाल से त्रस्त और पीड़ित हैं, लेकिन उनको चाबुक और व्हिप का ऐसा डर है कि इन्सान को मरते हुए देख कर भी उनका खून खोलता नहीं है। समाचार-पत्रों में सुर्खी में छपा है, चौहटन में एक व्यक्ति मर गया। उसकी लाश सड़ती रही। अकाल की इतनी विषम और चरम स्थिति है कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उसकी लाश को जलाने के लिए ले जाने वाला कोई नहीं मिला ....

श्री दीपंकर : इस विषय पर चर्चा का टाइम मिलेगा तब हम भी बोलेंगे, आप भी बोलना। अभी दूसरे विषय पर बोलें ताकि सदन का समय बचे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। विधान सभा का सत्र आगे बढ़े या नहीं, यह कांग्रेस विधायक या मंत्री महोदय ही कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे जितना लाइटली ले रहे हैं वह शर्मनाक अवश्य है .....

श्री दीपंकर : सब ने मांग की है। एक दिन, दो दिन इस पर चर्चा करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, 27 मार्च को सूरज, गांव इटावा चौहटन में मर गया। छः-सात दिन वह भूखा रहा। उसके मरने के बाद स्थिति ऐसी बनी कि उसकी लाश को ले जाने वाला वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला। इतना ही नहीं, रमजान नाम का व्यक्ति, गांव आरी, भील रिडमल भूख से मर गया। यह भी भूख से मरा। चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य हैं, जब वह बोलेंगे तो इस बात का समर्थन करेंगे। सभापति महोदय, आज स्थिति यह बन गई है कि लोगों के अन्दर खरीदने की शक्ति नहीं रही है। वहां पर राहत कार्य हैं नहीं। ईश्वर का हमेशा उन पर कोप रहा है, बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले जैसे रेगिस्तानी इलाके के ऊपर। और दुर्भाग्य इस पर यह है कि हमारी सरकार का भी कोप रहा है। इस तरह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता की चरम सीमा, पराकाष्ठा है। विधान सभा के अन्दर एक डिबेटिंग सोसाइटी के रूप में डिबेट करते रहते हैं, और इन्सान एक के बाद एक करके मरते जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महीने पहले विधान सभा के अन्दर, विजयनगर के अन्दर हुई चार मौतों के बारे में बताया। आज बताया, चौहटन के अन्दर भूख के कारण मौत हुई है। इसके अलावा विजयनगर के अन्दर एक भील और उसकी पत्नी पिछले महीने के अन्दर अन्दर इसी प्रकार से मर गई। 23-1-75 को भुखमरी के कारण घन्ना व छोटू भील मर गये। गंगा औरत शिवपुरी गांव की रहने वाली है, यह विजयनगर तहसील में है। पहले पटवारी को शिकायत की, हमको धान मिलता नहीं है, राहत कार्य हैं नहीं, न पर्चेज करने की शक्ति है, न राहत कार्य हैं गवर्नमेंट के गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, धान इकट्ठा करके दिया, उससे कई दिन तक काम चलाया। मैं गांव के लोगों से जांच करके, सरपंच और सारे लोगों का वेरीफिकेशन करा कर लाया हूं। उस वक्त हमने पटवारी को कहा, एस० डी० ओ० को कहा, तहसीलदार को कहा, हमारे यहां प्रबन्ध करो, इन्सान के मरने की स्थिति बनती जा रही है। तो पन्द्रह-बीस दिन तक तो धान इकट्ठा करके दिया। फिर सारा परिवार, पति-पत्नी समाप्त हो गये। अफसोस की बात है, इस बात को विधान सभा में रखा गया तो वहां धान नहीं भेजा गया, राशन नहीं भेजा गया, अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये। वहां पटवारी गया, तहसीलदार गया, एस० डी० ओ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया । वायरलेस से मैसेज गया, विधान सभा में यह बात उठ गई है । उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस प्रकार वेरीफाइ कर दो, यह लिख दो, यह बीमारी से मरे हैं । इन्सल्ट टू इन्जरी । इन्सान भूख से मरता है, वह चिल्ला नहीं सकते, पुकार नहीं सकते । और फिर स्थिति यह है कि उनको कहा गया, यह बयान दो कि यह भूख से नहीं मरे हैं, बीमारी से मरे हैं । उन्होंने कहा, हम यह बयान नहीं देंगे । तब उन्होंने वहां इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी । हमारे पास मैसेज आया कि आपके बाद, विधान सभा में प्रस्ताव को रखने के बाद स्थिति यह हुई है, धान नहीं आया है, राशन नहीं आया है, लेकिन पटवारी, तहसीलदार और एस० डी० ओ० घूम रहे हैं, डरा धमका रहे हैं । यह दुःखद स्थिति है, इस बात को रख रहा हूं तो मुझे डर होता है । चाहिए तो यह था कि अकाल मंत्री स्वयं जाते, सब प्रकार का वहां प्रबन्ध करते । लेकिन यह नहीं किया गया । डूंगरपुर में सात मौतों का जिक्र इस सदन के विरोधी दल के नेता ने किया था जब राज्यपाल महोदयके अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा था । इस प्रकार दो, चार, सात मौतों का जिक्र करने के बाद, उनके नाम, पते देने के बाद, केवल प्रयास यह किया जाता है कि किस प्रकार डिनाई किया जा सके । स्थिति यह बन गई है, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस सदन के अन्दर हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पसन्द नहीं करते हैं, एडजोर्नमेंट मोशन आये, उस पर विवाद हुआ लेकिन उत्तर नहीं दिया । आज मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, निश्चित तौर से बिजयनगर और शिवपुरी की मौतों के बारे में कहा गया है, उसका जवाब देंगे, यह गलत है या सही है इस प्रकार मैं चौहटन की चार मौतें बता रहा हूं, सही है या नहीं, इसके प्रमाण लेकर आया हूं । मेरे पास गांव वालों के स्टेटमेंट हैं । अगर मंत्री महोदय डिनाई करेंगे तो, सभापतिजी, आपकी अनुमति से मैं जो टेप लेकर आया हूं वह सुनाऊंगा । उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई है कि कौन कौन कैसे मरा है । ऐसी हालत में भी आप अकाल-राहत कार्य न खोलें तो यह दर्दनाक स्थिति है। तो मंत्री महोदय को आज ही घोषणा करनी चाहिए कि सभी जिलों में जहां जहां अकाल है, वहां अकाल राहत कार्य खोले जायेंगे । यदि यह घोषणा नहीं करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि मांगें पास करवा लेंगे । वहां बैठे सदस्य हमसे ज्यादा दुखी है, वह अपनी आंखों से देखते हैं कि गांवों में किस प्रकार आज इन्सान परेशान हैं ।

मैंने, सभापतिजी, झालावाड़ के पास में बूंदी और कोटा में शिवपुरी गांव के लोगों को मध्य प्रदेश में जाते हुए देखा । वे बता रहे थे कि मध्यप्रदेश में एक भेड़ पर एक-दो रुपया, मवेशियों के लिए 5 रु० और ऊंट के लिए 15 रु० मध्य प्रदेश सरकार टैक्स वसूल करती है । वे हमारे पास आए । मध्य प्रदेश सरकार पहले नहीं लेती थी लेकिन आज स्थिति यह है कि जो मवेशी लेकर जाते हैं, तो उन पर भारी कर लगता है, लेकिन हमारे अकाल मंत्री को चिंता क्या है ? वह तो बंगले में रहते हैं, एयर कन्डीशनर हैं, सारे साधन उपलब्ध हैं विधान सभा में आते हैं, जाते हैं इसलिए जैसलमेर और बाड़मेर में क्या हो रहा है, उसकी उसको क्यों चिंता हो ? मैं जानता हूं कि व्हिप इश्यू करवायेंगे, मांगें पास करवायेंगे और कहेंगे कि विरोधी दल के लोग प्रचार करते हैं, हमने तो बजट संतुलन कर दिया है, प्रॉफिट हो गया है, कोई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लॉस नहीं है, राजस्थान की स्थिति अच्छी है। जब हरिदेवजी जोशी प्रधानमंत्री के पास बैठे हुए थे, प्रधान मंत्री ने भी कह दिया कि देखिए इनको मेरा विश्वास प्राप्त है तभी तो मेरे पास बैठे हैं। उनका सर्टिफिकेट मिल गया, चिंता की बात नहीं, लोग मरते रहें, कोई परवाह नहीं। आखिर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज अकाल राहत कार्यों के खुलने की घोषणा होनी चाहिए। भूख से जो मौतें हुई हैं जो मैंने बताई हैं, प्रमाण मेरे पास हैं, टेप व टेप रेकार्डर लाया हूं। तो आशा है अकाल मंत्रीजी अवश्य जवाब देंगे, मैंने नाम व पते बताए हैं।

जब अकाल राहत कार्य खोलें तो फेमिन कोड में परिवर्तन करें, मजदूरी बढ़ायें और माइलो के बजाय अच्छा धान दें।

अब मैं चिकित्सा विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। क्योंकि छंगाणी साहब बिराजमान हैं, और वह कहते हैं कि उनके विभाग में जैसे कल-परसों उन्होंने बताया कि लेबर रिलेशन्स में इतनी उपलब्धि हो गई है कि हड़तालें कम हो गई, सब तरह से औद्योगिक शांति है। भरतपुर में हुए मजदूरों पर फायरिंग के बारे में वह भूल गए, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा। मेडिकल व हैल्थ विभाग आपके पास में हैं, जनसम्पर्क विभाग, प्रचार विभाग आपके पास में है, आपके पास प्रचार के साधन हैं। लेकिन मैं आंखों देखी घटना बताता हूं। मैं माउन्ट आबू गया था, पट्टी की बात तो पुरानी हो गई, ए०पी०सी० नहीं मिलीं, दवाइयां नहीं मिलीं, यह सब पुरानी बात हो गई। किसी अस्पताल में चले जायं, ये चीजें कहीं पर नहीं मिलती हैं। विधान सभा चल रही कुछ पट्टियों के बण्डल भेजे गए हैं यह कहने के लिए कि कहां-कहां पिछले दिनों में सप्लाई की है। जवाब के समय बतायें कि जो दवाइयां अस्पताल से सप्लाई करनी चाहिए फ्री ऑफ चार्ज, उनमें से कौन कौनसी, कहां कहां पर उपलब्ध हैं। मैं जोधपुर का उदाहरण देता हूं। काफी समय से आपरेशन करने के लिए हीटर भी नहीं मिलता है चोट लग जाय तो अपने साथ में बैंडेज लेकर जायं।

माऊंट आबू में एक आदमी एक्सीडेंट के कारण मर गया, उसका पोस्ट मार्टम होने वाला था, कोई साधन नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि पोस्ट मार्टम तभी करूंगा जब पोस्ट मार्टम के लिए जो कुछ खर्चा होगा, वह आप वहन करेंगे। सारा सामान और उपकरण मेरे पास हैं, उनको छोड़कर बाकी जो खर्चा होगा वह आप करें, सामान बाजार से ले आयें। लोगों ने चंदा करके गरीब का पोस्ट मार्टम करवाया। तो क्या पोस्ट मार्टम के लिए भी सरकार इंतजाम नहीं कर सकती?

माऊंट आबू में एक और एक्सीडेंट हो गया। 20-25 आदमी घायल हो गए, ट्रक खड्डे में गिर गई। मैं वहां पहुंचा तो चंदा हो रहा था। मैंने पूछा, चंदा किसलिए तो कहा कि अस्पताल में कोई इन्तजाम नहीं है उन लोगों को पालनपुर पहुंचाने के लिए और अस्पताल में फर्स्ट एड मिल सके उसके लिए चन्दा किया गया वहां के बाजारों में। डाक्टर भला आदमी था, साफ साफ उत्तर बता दिया कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो एक्सीडेंट के बाद चंदे से इलाज हुआ। आप बातें तो विकास और प्रगति की करें लेकिन मैं अपनी एक एक बात प्रमाणित करने को तैयार हूं। जो मैंने पोस्ट मार्टम की बात

Page No 166

(166)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कही, जो बैंडेज की बात कही, ए० पी० सी० की बात कही, अस्पतालों में मिक्स्चर नहीं मिलता है, हीटर, ए० पी० सी० पाउडर और एसपिरिन नहीं मिलती और आउटडोर में मरीज जाएं और बाजार की दवाइयां लिखवाकर ले आएं, तो अस्पताल फिर किस काम के लिए हैं ? प्राइवेट प्रेक्टिस को छोड़िये, उस पर काफी विचार हो चुका है। जब तक आप गरीब इन्सान को दवाइयां नहीं दे सकते तो उसका उपयोग क्या है ? उसके अलावा सारे अस्पतालों में डॉक्टरों की गुटबंदी है, अधिकतर इम्पार्टेंट डॉक्टरों में। कई गांवों में सी० ए० एस० डॉक्टर पड़े हैं उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन जो इम्पार्टेंट डॉक्टर हैं, सारे के सारे हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। सारे के सारे डाक्टर्स कहता हूं तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अधिकतर डॉक्टर्स। आपने किसी डाक्टर की सीनियोरिटी लिस्ट निकाली तो 10 बार रिट्स होंगे। 75 या 65 परसेंट रिट्स विभाग के खिलाफ जाती हैं। कहीं पर एडहॉक प्रोमोशन देते हैं, किसी न किसी प्रकार आप पर दबाव आता है या किसी प्रकार का इन्ट्रेस्ट होता है। आप डी० पी० सी० बुलाकर मेरिट पर प्रोमोशन्स नहीं करते।

आपकी मैट्रन्स हैं जिनको 9 महीने से वेतन नहीं मिला। क्यों नहीं ? आप कहते हैं कि डी० पी० सी० बैठने वाली है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी एक रात में हो जाती है। आपने सब को लटका रखा है, वे घूम रहे हैं। आपने इस प्रकार की स्थिति बना रखी है जिसके कारण सारे विभाग के लोग लिटीगेशन में उलझे हुए हैं। यह स्थिति आपके स्वयं के लिए शर्मनाक है जो आपको बदलनी चाहिए और सही रूल्स बनाने चाहिएं। ट्रांसफर्स के मामले में भी कई डॉक्टर्स जिनका वसीला है उनकी अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है और जिनका वसीला नहीं है वे गांवों में पड़े रहते हैं।

सभापति महोदय, यह सब क्यों होता है ? इसका कारण है कि एक बार मिनिस्टर साहब का राउन्ड होता है तो ट्रान्सफर लिस्ट निकलती है और वह ट्रान्सफर लिस्ट निकलने के बाद लोगों का दबाव आता है तो फिर उस लिस्ट के कैन्सिल होने की लिस्ट निकलती है। और इस प्रकार मेडिकल विभाग में एक प्रकार की अव्यवस्थित स्थिति बनी हुई है। सभापति महोदय, मेरे पास व्यक्तिगत रूप में कई विशिष्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स के उदाहरण मौजूद हैं वह मैं सदन में व्यक्तिगत रूप से देना अच्छा नहीं समझता हूं वह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन सारे मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखें और उसमें सुधारने करने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा मैं जोधपुर में एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हुई है काफी समय से उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सिर्फ वही नहीं आज तीन महीनों से वहां पर लिफ्ट मशीन खराब पड़ी हुई है। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय खुद जोधपुर के ही हैं उन्हें पता भी है कि लिफ्ट खराब पड़ी हुई है। तो क्या तीन महीने तक लिफ्ट ठीक नहीं हो सकती ? वहां पर मरीजों को काफी तकलीफ हो रही है। आज, सभापति महोदय, एक दिन में लोग चांद में जाने की बात करते हैं वहां पर आज तीन-तीन महीने हो गये लिफ्ट ठीक नहीं हो सकी है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि आप इस सारे मामले में सुधार करने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, अब मैं एक मिनट थोड़ा आपके ड्रेनेज विभाग, यह जो गटर विभाग है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। गटर विभाग मैं इसको इसलिये कहना चाहता हूं कि गटर विभाग की व्यवस्था गटर जैसी ही है। इसको गटर विभाग कहने की तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस विभाग की व्यवस्था हमारे जोधपुर में बहुत ही खराब है। पिछले सालों में जोधपुर की गटर व्यवस्था के बारे में एक ढ़ाई करोड़ रुपये की योजना बनी थी, लेकिन वह न जाने ड्रेनेज विभाग के कौन से गटर में जाकर पड़ गयी कि वापिस ऊंची ही नहीं आ रही है।

श्री चन्दनमल बैद : इसका नाम गटर विभाग नहीं है हिन्दी में इसे जल निस्सरण विभाग कहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्षमा करेंगे यह जल निस्सरण शब्द की हिन्दी बहुत ही क्लिष्ट है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो गटर हैं उन्हें ठीक कराये जाने चाहियें। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जोधपुर में एक पुंगल-पाड़ा जगह है जो कि काफी अच्छा मेन मार्केट है वहां पर सुबह 8-9 बजे से हो जो नालियां बनी हुई हैं उनका पानी सड़क पर करीब दिन भर ही गटर बहता रहता है। सड़क पर, सभापति महोदय, करीब सात आठ इन्च पानी बहता रहता है और वहां पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। यह पानी करीब डेढ़-दो फर्लांग तक बहता है इससे लोगों को बहुत गन्दगी में जहां पर पानी के ऊपर विष्टा बहती रहती है, चलना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि इस गटर को आप ठीक कराइये। लेकिन मैं समझता हूं कि आपका यह गटर विभाग ऐसा है कि जिसमें जो व्यक्ति एक बार चला जाता है वह उस गटर में से वापिस बाहर नहीं आता है इसमें कोई हो, नेता हो, मिनिस्टर हो, म्युनिसीपेलिटी का मैम्बर हो, चेयरमैन हो, कोई व्यक्ति हो, वह गटर में गया तो वह बाहर निकल नहीं सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : आप फिक्र नहीं करें हम दोनों ही निकलेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मेरा निवेदन यही है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कराइये। आज आप कहते हैं कि सरप्लस बजट है हमने योजनायें बनायी हैं तो फिर क्या कारण है कि यह योजनायें क्यों नहीं बन रही ह? इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेषरूप से आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिन-जिन बातों के बारे में मैंने सुझाव दिये हैं उस ओर आप समुचित व्यवस्था करेंगे और सभी बातों पर आप कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, आपने जो मुझे थोड़ा समय दिया है उसके लिये मैं आभारी हूं। आज की जो मांगें चल रही हैं उनमें सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से सर्व प्रथम तो यह निवेदन है कि आपने जो सीमित दायरे में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की है उसका तो स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा इसमें

(श्री दीपंकर)
यह सुझाव है कि ग्राप प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करने की व्यवस्था हमारे प्रान्त में सभी जगह जल्दी से जल्दी लागू की जाय जिससे कि इसका लाभ सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों को ही नहीं मिले लेकिन सभी को मिले। सभापति महोदय, ग्राज बढ़ती हुई जन-संख्या को देखते हुए यह सिर्फ बड़े-बड़े शहरों तक ही नहीं, जिला मुख्यालयों तक ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे गांवों तक चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये।

सभापति महोदय, इसके ग्रलावा ग्रब थोड़ा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज जो ग्रापकी चिकित्सा व्यवस्था प्राथमिक केन्द्रों पर है उससे हमारी यहां की ग्रामीण जनता बिलकुल सन्तुष्ट नहीं है। मुझे इसका बहुत ग्रच्छा ग्रनुभव है क्योंकि मैं तो प्रधान रह चुका हूं, मुझे मालूम है। जब हम गांवों में जाकर पूछते हैं कि क्या डॉक्टर ग्राये थे, तो वहां के लोग कहते हैं कि साहब कभी-कभी ग्राते हैं ग्रौर एक-दो चौधरियों के घर पर चाय पीकर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ग्राप डॉक्टरों को वहां पर लगा भी देते हैं तो भी वह लोग वहां पर ग्रामीण जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। लोग जो शहरी क्षेत्र से ग्राते हैं डॉक्टर बन कर वह लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसन्द ही नहीं करते। यह तो मैं मानता हूं कि शहर में रहने वाले लोगों का गांवों में मन नहीं लग सकता, लेकिन जब डॉक्टर चिकित्सा केन्द्र पर नहीं है तो फिर क्या फायदा? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ग्रोर मन्त्री महोदय ध्यान दें जिससे कि ग्रामीण लोगों को उन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों से चिकित्सा का लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने ग्रपने बजट को सरप्लस बताया तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा योजनायें बनायी जानी चाहियें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका ग्रच्छा लाभ मिल सके। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कई दवाइयां नहीं मिलती हैं— जैसे ए० पी० सी० वगैरह भी नहीं मिलती हैं ग्रस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं तो फिर चिकित्सा केन्द्र खोलने से भी लाभ क्या? वहां पर दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हैं। मन्त्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्रोर ग्रपना ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा सुविधा पूर्णतया नहीं मिल रही है उसमें सुधार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, चिकित्सा मन्त्रीजी ने मिलावट के लिये जो ग्रभियान चलाया उसके लिये मैं तो क्या पूरे हिन्दुस्तान में इसकी तारीफ हुई है ग्रौर उनका यह कदम स्वागत योग्य है। वह तो ग्रापने गजब का काम किया था, लेकिन इसको भी ग्रापने सीमित दायरे में ही रखा है कि 25 हजार तक की ग्राबादी वाले शहरों में मिलावट के खिलाफ ग्रभियान चलाया जायेगा। लेकिन मेरा इसमें यह निवेदन है कि ग्राप इसे 25 हजार तक की ग्राबादी तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि इसको ग्राप गांवों की ढाणियों तक फैलावें क्योंकि ग्राज मिलावट ढाणियों से ही शुरू हो जाती है। इसलिये ग्राप इसमें थोड़ा शोधन कर दें। ताकि मिलावट के खिलाफ में ग्रापका ग्रभियान पूरे राजस्थान में चले जिससे कि जनता को राहत मिले।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा ग्रापके पुलिस ग्रौर डॉक्टरों की मिलीभगत के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से ग्रापने प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगायी है उसी तरह ग्राप जो यह डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं

(श्री दीपंकर)

323 के मामले में, 307 और 326 के झूठे सर्टिफिकेट दे देते हैं और इस प्रकार डॉक्टरों और पुलिस वालों की मिलीभगत से गांवों में मुकद्दमें दर्ज होते हैं कि जिससे कि लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा जो आज गांवों में लड़ाई भी उस कारण से होती है, कुछ समृद्ध लोग लड़ाई-झगड़े करते हैं और कराते भी रहते हैं और यह लोग पैसा खिलाकर साधारणसी चोट के लिये बड़े सर्टिफिकेट ले लेते हैं जिससे कि लोगों को परेशानी हो जाती है। इसलिये मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनायी जावे कि जिससे यह पुलिस और डॉक्टरों की मिलीभगत बन्द हो जाये।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं राजनैतिक पेन्शनर्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजनैतिक पीड़ितों को भी मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था दी जानी चाहिये। वैसे आज कुछ ही बड़े-बड़े राजनेताओं तक ही यह व्यवस्था सीमित है उनके लिये स्पेशियल आदेश निकलता है। इसलिये मेरा इसमें यह निवेदन है कि चाहे कोई भी छोटे से छोटा राजनैतिक पीड़ित हो उसको पेन्शन के साथ-साथ मैडिकल फ्री एड दी जानी चाहिये। ऐसा प्रोवीजन आप करने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मलेरिया के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि मलेरिया के बारे में जिला स्तर पर सेन्टर है, लेकिन आजकल वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक वक्त था तब हमारे इस मलेरिया डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आजकल वापिस मलेरिया बहुत फैल रहा है उसके लिये शिकायत करते हैं, तो कहते हैं कि आप कोई केस पकड़ो तो अब हम तो कहां से केस पकड़ कर लावें ? यह तो आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि इससे राहत मिले। इसके अलावा आज जो मलेरिया के सेन्टेर्स हैं वहां पर आपस में डॉक्टरों में बहुत ही झगड़ा रहता है। उन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर इन्चार्ज कौन डॉक्टर बने, इसके अलावा वहां पर डॉक्टरों और कम्पाउन्डर्स में झगड़ा होता है। नर्सों और कम्पाउन्डर्स में झगड़ा होता है। तो सभापति महोदय, उन लोगों के झगड़े में जो बेचारे गावों से बीमार रोते हुए आते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है। बस यही झगड़ा कि कौन इन्चार्ज, किसके पास क्या क्या काम हो, कौन वहां पर वाहन वगैरह का उपयोग करे इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में सही ढंग से व्यवस्था कराने की कृपा करें।

इसके अलावा अब थोड़ा मैं हमारे यहां पर लाडनूं में एक एक्स-रे मशीन है पर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है इसलिये जहां पर एक्स-रे मशीनें वगैरह हैं या दूसरे ऐसी मशीनें हैं उनके लिये वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की व्यवस्था करने की कृपा करें। लेबोरेटरी के साधन हैं लेकिन इन्चार्ज नहीं है। एक तरफ बजट में प्रोविजन है और दूसरी तरफ बेकार पड़े हैं, मशीनें बेकार पड़ी हैं, तो लोगों को क्यों नहीं रखते हैं ? जिस प्रकार केरल से नर्सेज को बुलाया और बुला लीजिये, लोगों को ट्रेनिंग दीजिये, उनको नहीं देते हैं तो असुविधा अधिक हो जावेगी।

आयुर्वेद के बारे में निवेदन करूंगा। इसमें बहुत बड़ा घोटाला रहा है। माननीय मंत्रीजी जब सदस्य होने के नाते बैठते थे चर्चायें हुआ करती थीं, कितनी मोती भस्म और कितनी सवर्ण भस्म बना ली और किस किस के पास पहुंचती है, यह अजीब बात है। इस विभाग में गांवों के लोगों की आस्था है। शहरों में भी लोगों की आस्था है लेकिन उन लोगों को उचित मात्रा में दवा मिलनी चाहिये

Page No 170

(१७०)

(श्री दीपंकर)

वरना इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी ।

प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत ही अच्छी चिकित्सा है । यह करीब पांच तत्वों से बना है । इसमें खर्चा भी नहीं होता है लेकिन फिर भी इस ओर कोई रुचि नहीं है । जितनी भी पद्धत्तियां हैं उन के प्रति सर्व व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिये जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके ।

जो कुछ भी जिला अधिकारी हैं मैडिकल के; हमने पट्टी की चर्चा की, धोती फाड़ कर बांध देते हैं । जांच करना चाहें तो सही बात है । कुचामन के गांव में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग बात करते हैं । आपके पास शिकायत करें, जिला स्वास्थ्य अधिकारी किस प्रकार से मखौल उड़ाते हैं, उनकी चर्चा न करें तो क्या करें ? नागौर के स्वास्थ्य अधिकारी का दिमाग अधिक बढ़ा है, ज्यादा दिमाग में पैसे की गर्मी है। हमारी चर्चायें करते हैं जन प्रतिनिधियों की चर्चायें करते हैं, राजनीति में हिस्सा लेते हैं तो आप उनको छुट्टी दीजिये ताकि राजनीति में भाग लें अन्यथा चर्चा नहीं करनी चाहिये ।

एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । लाडनूं शहर में पत्थर की खानें हैं । वहां पर लोग पत्थर निकालते खानों से, उनको तोड़ते हैं, और बाहर उनको भेजते हैं । इसी धन्धे से वहां के लोगों का गुजर बसर होता है इससे उनको बीमारियां अधिक हो जाती हैं । टी०बी० की बीमारी है, सर्वेक्षण करायें इसका । हजार बारह सो केसेज हैं । अंडे खाया करो, यह कहते हैं । छोटी मोटी दवा दे देते हैं और यह कह कर चले जाते हैं । विशेष चिकित्सा की ओर ध्यान देना चाहिये ।

सभापति महोदय, पी०डब्ल्यू०डी० के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करना चाहिये । इससे इन्जीनियर जो इनसे पैसा लेते हैं वह कम होगा, बेरोजगार इन्जीनियरों को काम मिलेगा । मजदूर भी इससे आराम पायेगा जो कि उनका ठेकेदार लोग शोषण करते हैं । शोषण नहीं कर पायेंगे ।

निर्माण विभाग द्वारा भवन बनाये गये हैं वे अधूरे बनाये हुए हैं । ऐसी स्थिति है कि नये नहीं बना सकते हैं । सुजानगढ़ के दानदाता ने विज्ञान पढ़ाने के लिये भवन बना कर दे दिया कॉलेज का । चार लाख रुपया खर्च करके शिक्षा विभाग को दे दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद कोई भी उसकी मरम्मत नहीं करता । कमजोर हालत में है । बच्चे नीचे बैठ कर अखबार पढ़ते हैं । बच्चे मर जावेंगे । मरम्मत कोई करता नहीं । या तो प्रोजेक्ट हाथ में लें नहीं और लेते हैं तो उसको पूरा करें । अधूरा क्यों रहा, उसका कारण बता सकते हैं ? इन्जीनियर्स के द्वारा बताया वैसा ही कॉलेज दानदाता ने बनाया । पूरा बना दिया । रीडिंग रूम, बैठने के कमरों की छतें चूती हैं, पानी गिरता है । सरकारी विभाग इन भवनों को अधिग्रहण नहीं करता है । पी०डब्ल्यू०डी० वाले कहते हैं कि ठीक नहीं है । लड़कों को बाहर निकालिये, दानदाता को कहिये कि अच्छा बनाओ । कालेज चला रहे हैं । दानदाता हमेशा मरम्मत करवाता रहता है । आयुर्वेद डिस्पेन्सरियों के भवनों के लिये भी कोई एड नहीं देते हैं । यह सोचते हैं कि अधिग्रहण करने से हमारा खर्चा बढ़ जायेगा । इन्जीनियर्स की क्या मंशा है । धार्मिक मनोवृत्ति से शिक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से भी, पैसे का सदुपयोग होगा लोगों के लिये खर्च करने से, ऐसे लोग बिल्डिंग्ज बनाते हैं,

(श्री दीपंकर)
उनको आपका विभाग सम्भालना तक नहीं चाहता । अधिक पैसा लेना चाहें तो लगा सकते हैं फिर वह कहते हैं कि इतने वर्ष तक चलाया और अब आप कहते हो कि मरम्मत करा दो। इस प्रकार की जो समस्यायें हैं उनको समाप्त करिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खत्म कर रहा हूं। जन-प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। प्रधान, एम० एल०एज० को सुविधा मिलनी चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद : सुविधा है।

श्री दीपंकर : हम गये हैं लेकिन हमको ठहरने नहीं दिया गया है।

श्री शंकरलाल : दिल्ली की बात कर रहे हैं, राजस्थान में तो है।

श्री दीपंकर : दिल्ली की बात छोड़िये, राजस्थान में नहीं है।

आवास गृह के लिये निवेदन करना चाहूंगा। सुजानगढ़, लाडनूं बड़े शहरों में भूमिहीनों को 'उजाला' नाम का नगर बसाने की योजना है। बसाना चाहिये। इसलिये नहीं कि बड़े शहर नहीं हैं। मीटिंग होती है चुनिन्दा प्रतिनिधि कहते हैं इस योजना को लें। लेकिन सरकार कहती है कि कहां जंगल में बनवा रहे हो। क्या सुजानगढ़, लाडनूं में भूमिहीन नहीं हैं? सरकार को इस पर सोचना चाहिये ।

बिक्री कर के मुतल्लिक यह अर्ज है ....

श्री सभापति : बिक्री कर का कहां है आज ? आज नहीं है।

श्री दीपंकर : है ।

श्री सभापति : नहीं है आज। Please sum up.

श्री दीपंकर : लोक स्वास्थ्य के लिये मेरा निवेदन है, अन्तिम पाइन्ट है ....

बिक्री कर है साहब इस लिस्ट में ...

श्री बिजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय को याद नहीं है वरना है बिक्री कर इसमें, ..

श्री चन्दनमल बैद : बिक्री कर की डिमान्ड आज नहीं है।

श्री दीपंकर : तो, सभापति महोदय, लाडनूं में पानी की जब खोज की गई और जो बांध बना वह 10 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से बना था और उससे 10-15 गांवों को पानी दिया जाता रहा है। कई जगह अब 20 गैलन प्रति व्यक्ति की बन गई लेकिन हमारे लाडनूं में यह स्कीम अभी तक रिवाईज नहीं हो सकी है, लाडनूं के मोहल्लों को सुविधा से पानी नहीं मिलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस स्कीम को रिवाईज करके अच्छा किया जाना चाहिये। इस स्कीम के लिए एक दानदाता ने घोषणा की थी लेकिन आपने उसका भी फायदा नहीं उठाया और वह मर गया उसने पाकिस्तान की लड़ाई में काफी दान दिया है।

सरकार बड़े-बड़े शहरों में पानी की व्यवस्था करती है तो इस स्कीम को भी अच्छा रूप दिया जाकर सब मोहल्लों को ठीक प्रकार पानी मिले, यह निवेदन है। दूसरी बात लाडनूं पर इतनी आबादी का वजन बढ़ा दिया है इसलिये वहां का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। कोई दिन ऐसा न आ जाय कि सब के सब ऐसे के ऐसे ही रह जायं। हमने सुना है आपने दूसरा कोई सोर्स खोला है तो मेरा निवेदन है लाडनूं की स्कीम को बातचीत करके शीघ्र पूरा करें।

(श्री दीपंकर)

अन्त में निवेदन है कि चूरु में कितना पैसा लगा? ज्यादा गुंजाइश है, वहां लगना चाहिये हम यह नहीं कहते हैं लेकिन नागौर जिला भी उन्हीं की तरह है। किसी सहकारी बैंक से बात नहीं हो सकती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक से बात हो सकती है और स्कीम के लिये पैसा मिल सकता है और वैसे भी आपका बजट सरप्लस है, मैं समझता हूं सरप्लस के बजाय घाटे का बजट पेश कर दें। वहां पानी कर की उगाही की जाती है। एक मवेशी को पानी के लिये दो-दो रुपये देने पड़ते हैं और यदि यह चार्ज करके भी आप मीठा पानी दिलवा सकेंगे तो आपको वहां की जनता धन्यवाद देगी।

नागौर जिला क्या चाहता है केवल मीठा पानी चाहता है इसकी पूर्ति करिये और इसके अलावा जितनी स्कीम्स हैं वे बेकार हैं इसलिये मेहरबानी करके मीठे पानी की स्कीम को जल्दी जल्दी पूरा करिये। लेकिन जो प्यासे हैं उनको पानी नहीं पिला सकें तो यह दुःख की बात होगी। वहां एक परिवार के एक-दो आदमी दिन भर पानी लाने में पूरा कर देते हैं और फिर भी वहां के जिले को पानी नहीं पिला सकते हैं। मेरा निवेदन है विशेष योजना बना सकते हैं। आपने एम०एल०ए० से कह दिया स्कीम बना कर लाओ। काहे की स्कीम बना कर लावें, एक एम०एल०ए० की क्या क्षमता है? वहां की आबादी कितनी है, लागत कितनी है, दूरी कितनी है इन सारी बातों की क्षमता उसमें कहां है? आपकी क्षमता बहुत बड़ी है, सरकार अपनी क्षमता का उपयोग करे और प्यासे लोगों को पीने के लिये पानी का उचित प्रबन्ध करे या योजना में प्राथमिकता दी जाय ....

श्री सभापति : प्लीज, समाप्त करिये।

श्री दीपंकर : बस समाप्त है साहब। छोटे-मोटे काम करने वालों को, बीड़ी बनाने वालों के लिये, जिनके लिये कोई श्रम कानून नहीं है, कोई वेतन श्रृंखला तय नहीं है, तो उसका सर्वे कराया जाय और उस पर श्रम मंत्रीजी ध्यान दें, ऐसी मेरी आशा है तो उन लोगों को भी राहत मिल सके।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा :

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : सभापति महोदय, आज की डिमान्ड में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं थोड़े में ही निवेदन करना चाहता हूं। चिकित्सा के बारे में प्रथम निवेदन करूंगा। झालावाड़ जिले में जो झालावाड़ जिले का अस्पताल है उसकी शिकायत माननीय मंत्री महोदय के पास एक साल पहले की थी और 6 महीने पहले वहां आपके डिप्टी डाइरेक्टर साहब भी पधारे थे तो वहां यह हालत है कि पैसों के लिये बीमार की चारपाई हटा सकते है, पैसों के लिये अधूरा आपरेशन भी छोड़ सकते हैं, पैसों के लिये सीरियस मरीज को भी छोड़ सकते हैं और कह देते हैं आज मेरा दिन नहीं है, तो माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आज 6 महीने के बाद जांच होने पर भी मुझे मालूम नहीं क्या कार्यवाही हो रही है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस जांच को मंगा कर देखिये कि क्या हुआ है। ऐसे डॉक्टरों को बदलिये। अच्छे सर्जन भेजिये। झालरापाटन में अच्छे डॉक्टर हैं। उनका व्यवहार अच्छा है और निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। बड़े अस्पताल में न जाकर लोग छोटे अस्पताल में जा रहे हैं। झालावाड़ इतना बड़ा जिला है, लेकिन अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने निवेदन किया था झालरापाटन में दो नर्सों की, कम्पाउण्डर की कमी है, भेजिये। 35

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

मरीज रोज आते हैं। पहले 50 आते थे। जिला अस्पताल के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां का जो स्टाफ है वह 10-10 साल से है, 10-10 साल से वहां डॉक्टर जमा हुआ है। न अस्पताल में पट्टी है, न इन्जेक्शन हैं, न कोई दवाइयें हैं, वहां मरीज आता है वह भर करके जाता है या अपनी जेब कटवा कर जाता है और आजकल सभापति महोदय, हालत यह हो रही है कि लोग इलाज के लिये कोटा जाने लग गये हैं।

दूसरी बात, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, असनावर और बकानी में 5-6 महीने से डॉक्टर नहीं है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर दिया था और आपने कहा था आर्डर हो चुके हैं लेकिन आप इस बारे में भी जल्दी ही सोचिये 50 हजार की जनता प्राइमरी हैल्थ सेन्टर से लाभ उठाती है तो इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वहां डॉक्टर जल्दी पहुंचा दीजिये। आपके 6-6 आर्डर देने के बाद भी आर्डर की परवाह नहीं करते हैं तो यह राज्य सरकार के लिये बड़े दुःख की बात है। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, असनावर नये भवन में अब शफाखाना जा चुका है। वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है तो निवेदन है उसकी व्यवस्था जल्दी करेंगे।

तीसरी बात है–आयुर्वेद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आयुर्वेद के जितने औषधालय जिला झालाबाड़ में हैं न वहां कोई दवा की व्यवस्था है, न वैद्य ही मिलते हैं और आयुर्वेद की जितनी पुरानी दवाइयें हैं वे खराब हालत में हैं उनको ही वैद्य देते आ रहे हैं। अभी 71 में डग में और काली सराई में जो पिड़ावा में है वहां वैद्य चले गये लेकिन न दवा है, न वैद्य के बैठने का स्थान है, न किसी और चीज की व्यवस्था है सिर्फ वैद्य वेतन पा रहा है। आज जिला आयुर्वेद अधिकारी न होने से कोई देखरेख नहीं है। साल भर से आयुर्वेद अधिकारी की मांग की जा रही है। जो नियुक्ति फरमाते हैं वे जाते नहीं हैं। मेहरबानी करके आप दूसरों को भेजिये। वहां दो क्लर्क ऐसे बैठे हुये हैं जो सर्वे-सर्वा हैं और वैद्यों का इधर-उधर तबादला करवाने में माहिर हैं। उनका काम केवल बीमा करना है। बीमा करने के अलावा वे कुछ काम नहीं करते हैं। अपनी बीबी के नाम पर बीमा की ऐजेन्सी ली हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा इसके बारे में आप कोई एक्शन लेंगे। तीसरी बात, मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले की सड़कों की हालत तो करीब-करीब आपने सुन रखी है। आप तो वहां कभी आये नहीं लेकिन मुख्य मंत्रीजी जरूर पधारे थे। बड़ी हालत खराब है और गत साल ज्यादा बरसात के कारण वहां बहुत नुकसान हुआ जयपुर-कोटा-भोपाल एक अच्छा रोड़ है और इस पर बहुत भारी ट्रेफिक है। इसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराना चाहिए था। अब तक कुछ नहीं हो सका है। जब कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी ओर से पत्र-व्यवहार हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं और आपकी सरकार को भी आगे आना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना चाहिए। कालीसिंध का पुल और अरनिया नदी का पुल है और जब ज्यादा बरसात होती है यह जिले को दो भागों में बांट देता है। उन पुलों के टेन्डर्स ले लिये थे दो साल पहले लेकिन आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ और कहा कि पैसे के अभाव में यह नहीं हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

वहां की सड़कों के लिए पैसा नहीं, पुलों के लिए पैसा नहीं, मरम्मत के लिए पैसा नहीं, आखिर झालावाड़ जिले से टैक्सेशन की काफी आमदनी होती है और 1 करोड़ रुपया आपको हर साल यह जिला देता है। वहां से टैक्सेशन की आमदनी है, आबकारी और राजस्व की आमदनी है और 1 करोड़ से ज्यादा ही झालावाड़ जिला आपको देता है और आप सड़कों के लिए मेन्टिनेन्स में और भी कम करते आ रहे हैं। 1972-73 में आपने जो सड़कों की मेन्टिनेन्स के लिए रुपया दिया था 1973-74 में मेन्टिनेन्स पर आपने 1 लाख रुपया कम दिया और यह पैसा लेबर चार्जेज में ही खतम हो जाता है और फिर उसके बाद मरम्मत नहीं हो पाती है, सड़कों की मेन्टिनेन्स नहीं हो पाती है। सारी सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। हमारा राजस्थान यहां तक बदनाम है कि मध्य प्रदेश से आने वाली गाड़ी में कोई धक्का आ जाता है तो कहते हैं कि राजस्थान की सड़क आ गई। आपने किसी जिले को एडवान्स प्लान के 30 लाख दिये हैं, किसी को 40 लाख दिये हैं। मैं नहीं कहता कि उनको क्यों दिया। आप सबको दीजिए लेकिन झालावाड़ जिले की हालत देखते हुए जो मेन रोड्स हैं उनको तो आप ठीक कराइये। बरसात आ गयी तो 6 महीने तक रास्ते बन्द हो जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि झालावाड़ जिले की सड़कों को ठीक करायें। वहां आज तक कोई नई सड़क नहीं बनी। सुनेड़, पाटन रोड़ को नहीं बनवाया है। यह सड़क भवानीमण्डी से मिलती है और इससे दूरी भी कम होती है। रीछवा और भाबता रोड़ आपको बनाना है और इससे भोपाल को सीधा रास्ता निकलता है। इसी प्रकार मनोहरथाना-हरनावदा रोड़ आपकी वैसी ही है उस पर आज तक काम नहीं हुआ। इसी प्रकार निवेदन है कि क्रैश प्रोग्राम में अधूरी सड़कें पड़ी हैं। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में दहीरमुड़ा की सड़क को लेना चाहिए। बड़ी ताज्जुब की बात है। आप देखिये कि सड़कों की हालत कैसी है। सब लोगों ने कहा कि इसके लिए पैसा दीजिए। आप पुलियाओं की मरम्मत भी करायें।

मैं जलप्रदाय योजना के बारे में सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक तो खानपुर तहसील में सरोडला, हरीगढ़, दहीखेड़ा है। इकलेरा क्षेत्र में सरड़ा गांव है वहां पानी की बहुत तकलीफ है और एक हजार फुट नीचे से पानी ऊपर जाता है और तीनों कस्बों की रकम जमा करा दी है लेकिन योजना का काम नहीं हुआ, न योजना स्वीकृत हुई। इसलिए मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कम से कम कार्यवाही शुरू की जाये। झालावाड़ जिले में पानी की कमी नहीं है लेकिन तीन कस्बों में पानी की कमी है। इनको पैसा देकर काम किया जाये।

बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : मुख्य मंत्री जी।

(4.44 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

निन्दा प्रस्ताव

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहाते में हथियार लेकर युवक के प्रदेश की घटना

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:—

"यह सदन दिनांक 18 मार्च, 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहाते में भारत की माननीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी

(श्री हरिदेव जोशी)

द्वारा दी जाने वाली गवाही के समय एक युवक द्वारा हथियार लेकर प्रवेश करने के प्रयास करने की घटना की निन्दा करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक चिन्ता का विषय है कि हमारे देश में कुछ लोग प्रजातांत्रिक भावना को छोड़कर हथियारों के उपयोग को अथवा हिंसा की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति की ओर देखते हैं। अभी तक हम सौभाग्यवश इस देश में स्वस्थ परम्पराओं को रखते हुए चले आ रहे हैं।

(4.45 म० प०)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

और हमारा देश, चाहे यहां का प्रजातांत्रिक इतिहास जन्म से उतना लम्बा नहीं रहा हो, 27 वर्ष हुए हैं लेकिन फिर भी हम एक प्रौढ़ प्रजातंत्र की तरह काम करते चले आ रहे हैं। उसमें इस प्रकार की घटनायें निश्चित रूप से चिन्ता का कारण बन जाती हैं और इसलिए प्रत्येक प्रजातांत्रिक भावना रखने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस प्रकार की जहां कहीं भी घटनायें हों उनकी निन्दा करे और समाज में ऐसा वातावरण बनाये कि हम सहिष्णुता से और प्रजातांत्रिक और वैधानिक तरीके से अपने मतभेदों को मिटायें और यदि कहीं कोई असन्तोष भी हो तो उसके निवारण का तरीका वायोलेन्स नहीं होकर, हिंसा नहीं होकर, शान्तिपूर्ण उपाय इसका होना चाहिए। इस दृष्टि से जब माननीय श्रीमती गांधी वहां गवाही के लिए गयीं, देखने की बात तो यह थी कि देश की प्रधान मंत्री प्रथम व्यक्ति के रूप में जहां उन्हें देखा जाता है वह अदालत के अन्दर बयान के लिए अपनी बात को कहने के लिए वहां गयीं, तो यह एक प्रजातांत्रिक प्रणाली को और परिपाटी को दृढ़ करने के लिए और न्यायालय की स्थिति को अधिक सम्मान देने की दृष्टि से था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति का सन्देहजनक स्थिति में हथियार लेकर प्रवेश करना चिन्ता का विषय बन जाता है। तो मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है वह इसी दृष्टि से रखा है कि हम इस प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं और अनुचित समझते हैं और निन्दा करते हैं और हम यह आशा करते हैं कि हमारी यह भावना देश के हर लोग तक पहुंचेगी, और सभी लोग महसूस करेंगे कि प्रजातंत्र में आपस में विचार-विमर्श के द्वारा ही टिक सकते हैं, प्रजातंत्र एकोमोडेशन के जरिये ही टिक सकता है और हिंसा के द्वारा नहीं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जिस युवक ने वहां हथियार लेकर आने की कोशिश की थी इस घटना की यह सदन निन्दा करे। यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि निर्विरोध एक मुद्दा है। इसलिए जहां तक समर्थन का सवाल है पालियामेंट में भी जितने राजनैतिक दल हैं और असेम्बली में भी जितने राजनैतिक दल हैं उन्होंने इस किस्म की तजवीज का समर्थन किया है। पर अध्यक्ष महोदय, दो शब्द मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी न हो। हमारी मान्यता यह है कि राजनैतिक मतभेद डेमोक्रेसी में जरूरी हैं और जब तक डेमोक्रेसी कायम रहेगी वह मतभेद भी कायम रह सकते हैं लेकिन उन मतभेदों के फलस्वरूप जैसा वातावरण हिंसा का हिन्दुस्तान में पैदा हो रहा है वह किसी बिना पर भी हो रहा हो, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं पर मैं यह निवेदन किया चाहता हूं कि राजनैतिक दल का

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और राजनीति में काम करने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि वह इस बात का अध्ययन करें और इस बात को अपने दिल में सोचें कि जो रास्ता यहां पर अख्तियार किया जा रहा है और जो फिजां हिन्दुस्तान में पैदा हो रही है क्या वह डेमोक्रेसी के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है ? इस मामले में मैं प्राईम मिनिस्टर को खासतौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान के अध्याय में एक नया चेप्टर जोड़ा है । आज तक हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी किसी अदालत के अन्दर बतौर गवाह के या बतौर फरीक के पेश नहीं हुआ । यह जो स्वस्थ परम्परा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कायम की है और जो परम्परा हमारे प्रेसीडेन्ट, श्री वी० वी० गिरि ने पांच साल पहले कायम की थी वह एक ऐसी परम्परा है जिसने हमारी जुडीशियरी के मान को बढ़ाया है और हमें गौरव का मौका दिया है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ असामाजिक तत्व इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि हिन्दुस्तान में हिंसा का तशद्दुद और आपस में संघर्ष का वातावरण पैदा हो । यह अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस मसले के ऊपर हम सबको मुंतकिल तौर पर बैठकर हल निकालना चाहिए । आप या हम कोई भी चीज रख सकते हैं, उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष के तरीके अपना सकते हैं, जनता को अपने साथ ले सकते हैं लेकिन हम इस तरह का वातावरण पैदा न करें जहां पर स्वस्थ परम्परायें आगे निर्वाह न कर सकें, आगे न बढ़ सकें, तो वह बड़ी गलत बात होगी । आज हमारी प्राइम मिनिस्टर, प्रधान मंत्री वहां गई और उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा कायम की थी, अब इसको सेट बेक हुआ है और अब वह गवर्नमेंट सोचेगी केन्द्र की, और लोग भी सोचेंगे कि क्या इस तरह के बड़े आदमी को अदालत में जाना सिक्योरिटी रिजन्स के आधार पर सही है। इसलिए मैं तमाम अपने साथियों से, अपने जो यहां राजनैतिक दल हैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि आप हम इस बात का अध्ययन करें और आगे इस किस्म की घटनायें न बढ़ें और आगे इस किस्म की बात पैदा न हो उसके लिए हम इस्ततमाई तौर पर कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह जो तजबीज आई है उसकी पुरजोर हिमायत करता हूं और मेरी मान्यता है यह बगैर किसी विरोध के यह तजवीज मानी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री समूचे राष्ट्र की प्रधान मंत्री हैं, प्रधान मंत्री के नाते देश में प्रस्थापित हमेशा हमारे संविधान की परंपराओं के अनुसार भी जनतंत्रीय परम्पराओं के अनुसार भी और विश्व में जो प्रस्थापित राजनैतिक दर्शन है उसके अनुसार भी वह एक देश के प्रधान मंत्री के नाते सारे ही समाज में इसी दृष्टि से देखी जाती हैं । प्रधान मंत्री किसी दल विशेष से आयें, यह तो जनतंत्र का स्वाभाविक तरीका है । परन्तु प्रधान मंत्री बनने के बाद में यद्यपि दल की नीतियों से और नीतियों को क्रियान्विति करना कर्त्तव्य होता है, लेकिन समूचा राष्ट्र, राष्ट्र के प्रधान मंत्री के नाते उनमें श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखता है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से प्रधान मंत्री के जीवन के ऊपर किसी प्रकार का हिंसात्मक आक्रमण होने की संभावना निश्चित रूप से इस सदन में बैठे हुए सारे माननीय सदस्यों के लिए और समस्त देश के लिए चिंता का विषय है ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, यह तो जांच से ही पता लगेगा, जहां तक समाचार-पत्रों में इसका विवरण आया है उसके अनुसार उस व्यक्ति ने अपने आपको कोई पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित होने के नाते पिस्तौल रखने की बात कही है। यह भी बात आई है कि पहले एक दूसरे मुकदमे में उसको सजा हो चुकी थी और फिर वह हाई कोर्ट से बरी होगया था। इससे अधिक अभी तक कोई समाचार हमको नहीं मिला है। हो सकता है कि यह सारी बातें गलत हों या इनमें से कुछ सही हों लेकिन अध्यक्ष महोदय, किसी भी रूप में किसी भी कारण से हो, कोई भी व्यक्ति यदि हथियार लेकर पिस्तौल जैसा हथियार लेकर जहां प्रधान मंत्री का बयान होने वाला है और उसको छिपा कर ले जाने का प्रयास करता है तो यह निश्चितरूप से हम कम से कम इस बात के लिए विश्वास करेंगे कि उसकी नियत प्रधान मंत्री पर सम्भावित हमला करने की थी और उसके कारण से जितनी भर्त्सना की जाय, कम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अभी तक जो समाचार मिले हैं इस घटना का किसी भी प्रकार का राजनीति से कोई सम्बन्ध किसी ने कहीं पर भी जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। हो सकता है कि जांच के बाद में कुछ और रहस्य निकलें लेकिन आज जब कि यहां सदन में विचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति को लाना यह प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व और हमारे सब की गरिमा और जिस सद्भावना के वातावरण में हम जनतंत्रीय परम्पराओं को आगे ले जाना चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं है। मेरी यह भी मान्यता है, अध्यक्ष महोदय, कि हिंसा के दौर को यदि किसी भी प्रकार से राजनीति में कहीं लाया भी जाता है तो वह जनतंत्र के लिए ही नहीं हम सब के लिए आत्मघातक, विनाशकारी है और इस कारण से इस घटना से उसका कोई सम्बन्ध न होते हुए उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रधान मंत्री के द्वारा न्यायालय में आकर साक्षी देने का प्रश्न है यह निश्चिय ही हमारे देश की गरिमा के अनुकूल है।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज की यह बहस और आज रखी हुई मांगें पारित हो जांय तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी न्याय-पालिका का और हमारे संविधान में न्याय-पालिका का जो सर्वोच्च स्थान है जो रूल्स आफ लॉ, कानून का राज्य जिसको लेकर के हम चलते हैं उसके यह अनुकूल है कि देश का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी महान व्यक्ति हो, कितना भी ऊंचा और ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हो वह न्यायालय में जा करके साक्षी के रूप में प्रस्तुत होकर के कामनर्स के नाते, साधारण मनुष्य के नाते अपने आपको प्रस्तुत करे और प्रधान मंत्री ने इलाहबाद के न्यायालय में अपने आपको प्रस्तुत करके हमारे उस विश्वास को दृढ़ किया है।

Page No 178

(178)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी देश के सबसे ऊंचे आसन पर सुशोभित राष्ट्रपति भी सुप्रिम कोर्ट में साक्षी देने के लिए गए थे और हम इस परम्परा को कायम रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग पर मैं केवल इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हुई उसकी हम इस प्रस्ताव के माध्यम से भर्त्सना करें और भविष्य में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, प्रधान मंत्री तो हमारी निश्चितरूप से देश के अन्दर बहुत ही ऊंचे और महत्वपूर्ण स्थान को सुशोभित करती हैं लेकिन साधारण इंसान, एक गरीब इंसान भी सड़क पर चलता हुआ मजदूर, किसान या ठेले वाला या हॉकर, इसके प्रति भी हमारी तो यही भावना और लक्ष्य रहता है कि कानून के राज्य में हर व्यक्ति को कानून के माध्यम से, न्याय के माध्यम से अपनी स्वस्थ प्रणाली, जनतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहिए और इस प्रकार की दुर्घटना या घटनायें जो भी होती हैं, मैं समझता हूं कि हम सबको एकमत होकर के तीव्र से तीव्र भाषा में उसकी भर्त्सना करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि सर्व-सम्मति से इसे पारित किया जावे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस देश में हिंसा और हत्या की राजनीति न पनपी है और न पनपेगी। जिस सारे समाज ने, सभी दलों ने इसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की है, मान्यवर, कोई यह सोचे कि इस देश में डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने के लिए इल्लीग्यूजल एक्ट, टेरिरिज्म के हैं वे पनप जाएंगे, यह संभव नहीं है। मान्यवर, परिवर्तन के लिए, समग्र क्रान्ति के लिए कभी भी हिंसा और हत्या के रास्ते सफल नहीं हुए हैं और न होंगे। इस देश की आजादी के लिए गांधीजी ने सिविल डिसओबिडियन्स, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था, उस समय भी कुछ लोगों ने हत्या, और आंतक के रास्ते अपनाये थे, किन्तु उनका उद्देश्य उच्च था फिर भी गांधीजी ने उनको कभी प्रोत्साहन, समर्थन नहीं दिया और अहिंसा का मार्ग सार्थक सिद्ध हुआ और आज भी मान्यवर, वही रास्ता हमारे प्रजातन्त्र में, समाजवाद लाने में, परिवर्तन लाने में, सामूहिक संघर्ष और क्रान्ति में कामयाब होगा और इसी में हम विश्वास करते हैं और हिंसा और हत्या की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। जिस युवक ने जो अपने आपको पत्रकार कहता है, मालूम नहीं उसका क्या उद्देश्य था, किसी पार्टी से वह सम्बद्ध था या नहीं, यह जांच का विषय है, परन्तु जिस तरीके से वह आया वह कन्डीशन, सरकमस्टान्सेज में उसकी मंशा खराब हो सकती है, इसलिए सारे देश ने, और दलों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। मेरा दल भी मुख्य मंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख मुख्य मंत्री महोदय ने एक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम प्रजातन्त्रीय प्रणाली का संकल्प लिए हुए चल रहे हैं। भारतवर्ष एक बड़ा, महान देश है जिसके अन्दर बगीचे की तरह सब पार्टियों को फलने-फूलने का हक है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी कोने से इस प्रकार की कोई घटना हो, उसकी कोई आदमी निन्दा किए बिना नहीं रह सकता है। मैं इस प्रकार के प्रयास को राक्षसी प्रयास कहता हूं। ऐसी सूरत में सदन के सामने यह

(श्री मोहरसिंह)
जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। इसके साथ ही एक बहुत ही गौरवपूर्ण परम्परा को कायम करने के लिए मैं हमारी प्रधान मंत्री न्यायालय में पहुंची, उस वक्त हमें और ज्यादा खुश होना चाहिये लेकिन ऐसे मौके पर इस प्रकार का प्रयास करना और भी ज्यादा दुखद घटना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शंकरलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मेरी बात सुन लीजिये।

इस सम्बन्ध में मेरे पास दो प्रस्ताव आये हैं। एक सदन के माननीय नेता की ओर से और एक श्री शंकरलाल और श्री श्रीराम गोटेवाला की तरफ से। बातचीत करने के बाद यह तय पाया गया कि इस प्रस्ताव की महत्ता को देखते हुए सदन के नेता की ओर से यह प्रस्ताव रखा जाए और इस वजह से सदन के नेता महोदय ने यह प्रस्ताव रखा। मैं समझता हूं कि इससे आपको सन्तोष होगा। सभी दल की ओर से एक एक माननीय सदस्य बोले हैं · ·

श्री शंकरलाल: यह ठीक है। लेकिन दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगर मैं आपको समय देता हूं तो श्री श्रीराम गोटेवाला को भी समय देना पड़ेगा।

श्री शंकरलाल: मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह: We shall also speak.

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलना चाहेंगे · · · · · · · · ·

श्री शंकरलाल: अध्यक्ष महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी की बात है। यह पार्टी की नीति की बात है · · · · · · · ·

श्री शंकरलाल: आपकी ओर से इजाजत चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: आपके नेता बोलगये हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा है, समय नहीं है··

श्री शंकरलाल: अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैंने प्रस्ताव रखा है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन के नेता महोदय ने प्रस्ताव रखा है। यह ठीक है परन्तु दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। · · · · · ·

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं · · · ·

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी भी रिक्वेस्ट कन्सीडर करें · · ·

श्री अध्यक्ष: अगर सारा सदन बोलना चाहे तो बोले। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने निवेदन कर दिया है। आज की डिमाण्ड्स इतनी है, दो दिन की डिमाण्ड्स है और समय कम है। मैं सलाह देना चाहता हूं कि सबके सब बोलने के बजाय प्रत्येक दल से एक एक सदस्य बोल लें। यह ज्यादा अच्छा होगा। अगर इसमें सभी हिस्सा लेना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। · · · · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला: हमारी जो भावनाएं हैं, वे हमारे नेता महोदय ने कह दी है · · · · ·

श्री अध्यक्ष: यह तो आपकी भावनाएं हैं?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द जरूर कहना चाहता हूं । इतनी देर में तो निवेदन कर देता ।

इतना ही निवेदन है कि हमारे भूतपूर्व रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के समय हमारी प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था, हमारे देश के अन्दर कुछ ऐसी शक्तियां पनप रही हैं। उन्होंने अपने खुद के जीवन के ऊपर खतरे की शंका प्रकट की थी और वह शंका इस घटना के होने से पुष्ट होती है । जिस प्रकार, जिन परिस्थितियों में यह व्यक्ति पकड़ा गया, उसकी जांच चल रही है, वह विजय नामक पत्र का सम्पादक था बहुगुणाजी ने बताया है आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत उस पर मुकदमा दर्ज होगया है। इसके साथ साथ मैं यह चाहूंगा कि प्रस्ताव में यह कहा जाए कि हमारी प्रधान मंत्री की सुरक्षा करने का समुचित प्रबन्ध हो और यह राज खुलना चाहिये कि यह जो युवक है, वह पिस्तौल लेकर कैसे पहुंचा ? प्रधान मंत्री की सुरक्षा का प्रबन्ध है यह प्रस्ताव में हो और इसका राज खुलना चाहिये, ये दो बातें प्रस्ताव में हों। इस तरह की घटना पर सदन के नेता महोदय का जो प्रस्ताव है, उसका इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव– "यह सदन दिनांक 18 मार्च को इलाहबाद हाई कोर्ट के अहाते में भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दी जाने वाली गवाही के समय एक युवक द्वारा हथियार लेकर प्रवेश करने का प्रयास करने की घटना की निन्दा करता है ।" को पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण ।

श्री रामप्रसाद बोहरा ।

एक माननीय सदस्य : वे बोल चुके हैं ।

श्री किशन मोटवानी : एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था ? ......

श्री अध्यक्ष : बात कर लें ।

(5.09 म० प०)
(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आज के दिन इतनी महत्वपूर्ण मांगों को एक साथ रखा गया है–चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अकाल सहायता, इन सब मांगों के प्रति मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं और जिस प्रकार से विचार व्यक्त करना चाहता हूं, मैं समझता हूं समय को देखते हुए, समय की पाबन्दी को देखते हुए वह संभव नहीं है। इन सब मांगों के सम्बन्ध में, आज की चर्चा में मैं समझता हूं कि दूसरे माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे, इस पर पूरा विचार-विमर्श और निर्णय नहीं कर पाएंगे। हमने मांग की है, अकाल सहायता जैसा एक विषय है, उसके ऊपर भी गए सत्र में और उसके पहले भी दो दिन लगातार विधान सभा में चर्चा करने का मौका मिला है परन्तु इस महत्वपूर्ण विषय पर, जब कि राजस्थान के 23 जिले इससे प्रभावित हैं, हमारे प्रान्त की अधिकांश जनसंख्या इससे प्रभावित है, उसमें कई प्रकार की समस्याएं

(श्री शंकरलाल)

हैं, चाहे वह पानी की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे चारे की हो और मजदूरी की हो, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन सब के ऊपर आज निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि अकाल सहायता के लिए कुछ अलग से दिन चर्चा के लिए मुकर्रर करें। लेकिन आज जो कुछ भी समय मिला है इन सब मांगों के सम्बन्ध में, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा।

मैं लोक स्वास्थ्य की मांग के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जो आपके विभाग ने प्रगति विवरण पेश किया है और जिसमें आपने स्वीकार किया है कि राजस्थान के 33,305 गांवों में से आप केवल 8 हजार गांवों में पानी का प्रबन्ध कर पाये हैं और 24,037 गांव ऐसे हैं जिनके लिए आप अभी तक पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं। इतना ही नहीं हम केवल इतना ही कह दें कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जब कि हम पांचवीं पंच वर्षीय योजना में प्रवेश कर चुके हैं उसके बाद भी जो योजनाएं मिली हैं तो पांचवीं योजना के अन्त तक भी हमने ऐसा प्रावधान नहीं बनाया है कि हम राजस्थान के गांवों के अन्दर 25 साल की आजादी के बाद भी कम से कम पीने को पानी तो दे सकें उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं फिर भी मैं वित्त मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी दूसरी योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती कर दें, लेकिन कम से कम राजस्थान के चाहे शहर हों, चाहे गांव हों उनमें कम से कम पीने का पानी तो दें इतने वर्षों के बाद भी। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि इसी सदन के अन्दर इस समस्या को महत्व देने के लिए राजस्थान ग्रामीण जल-कष्ट निवारण बोर्ड बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जायगा। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य है, इस बात का बड़ा दुख है, शायद वित्त मंत्रीजी यह कहेंगे कि बोर्ड के गठनमात्र से समस्या का हल किस प्रकार से हो जायेगा। वह कहेंगे कि राजस्थान के रेगिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बन रहा है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान के अन्दर दूसरी समस्याएं हैं, लेकिन जो इलाका रेगिस्तानी नहीं है वहां पर भी पीने के पानी की समस्या हो सकती है। शायद उनको याद होगा, राजस्थान के अन्दर जल बोर्ड था उस जल बोर्ड के अन्तर्गत गांवों के अन्दर पीने के पानी के लिए कुएं और दूसरी चीजों का निर्माण हुआ था। आज वह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इस बात को सदन में स्वीकार किया गया था और यह सदन का निर्णय था और जो सरकार का आश्वासन था। मैं समझता हूं कि आप बतायेंगे कि वह पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? जल बोर्ड का गठन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस बात को सदन की और माननीय सदस्यों की अवहेलना कर रहे हैं ऐसा समझता हूं। इस पर दो तीन दिन ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि काफी चर्चा हुई और उसके बाद में वह प्रस्ताव स्वीकार हुआ है और उसको मान्यता नहीं दी जा रही है।

इसी संदर्भ में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपने क्षेत्र पाली जिले के उन क्षेत्रों का वर्णन करूंगा जहां पर जल-कष्ट की समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पाली जिले के अन्दर पाली तहसील का जो इलाका है जिसमें रोहट का इलाका है वहां पर पानी जो खारा

(श्री शंकरलाल)

है, और अगर वर्षा नहीं होती है तो तालाबों में पानी नहीं रहता है तो पीने का पानी कुओं में भी नहीं रहता है। उस हालत में जवाई बान्ध का पानी कच्ची नहरें बनाकर उन गांवों को पानी दिया जाता है, और इसको वित्त मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में यहां पर स्वीकार किया है कि 75 गांवों के लिए पानी की मांग आई थी उनमें से 55 गांवों के लिए मांग मन्जूर की गई। उसमें से 37 गांवों को पानी दे चुके और 18 गांवों को पानी देना बाकी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कच्ची नालियों से पानी देने से पानी नष्ट होता है, पानी का खराबा होता है, लेकिन साथ ही मानवीय दृष्टिकोण से पानी देना पड़ता है। आज भी उन गांवों की यह दशा है, आज 18 गांवों को पानी नहीं दे रहे हैं और 33 गांवों को पानी देने के बाद में 40 गांव रह जाते हैं। क्या वह कम से कम पीने का पानी न मांगें? उनको आपको पानी देना पड़ेगा। आज जब ऐसे लोग नहरों को तोड़कर पानी देने की बात करते हैं वह ठीक नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि आखिर कब तक? पीने का पानी तो देना ही पड़ेगा। जवाई नहर के जरिये जवाई बान्ध का पानी जोधपुर जाना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि जोधपुर वालों को पीने का पानी नहीं दिया जाय, लेकिन 8 एम० पी० एफ० पानी जवाई से निकलता है और एक एम० पी० एफ० पानी जोधपुर में पहुंचता है और तीन-चौथाई पानी रास्ते में ही नष्ट होता है। कितने वर्षों से यह समस्या है। कोई इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इतना बड़ा जवाई बान्ध जो कि सिंचाई का बान्ध था जिससे पाली जिले का एग्रीकल्चर इलाका, व्हीट प्रोड्यूसिंग ऐसा इलाका होता कि वह सारे राजस्थान को व्हीट सप्लाई कर सकता, लेकिन चूंकि जवाई बान्ध से सिंचाई के लिए पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जोधपुर में पानी की समस्या है। न तो हम इस प्रकार से पाली तहसील के गांवों को पानी दे सकते हैं, न सिंचाई के लिए दे पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि आप जवाई की जो नहर है उसमें पक्की पाइप लाइन नहीं लगा रहे हैं। अगर हो सके तो यह करना चाहिए जिससे पानी का वेस्टेज नहीं हो जिससे जोधपुर को भी पानी मिले। यह सही है कि साही की योजना हो जाने से काफी समस्या का हल होगा, लेकिन वह स्कीम भी बहुत धीरे चल रही है। मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया के नेशनल कमिशन ओन एग्रीकल्चर की इन्टेरिम रिपोर्ट है, भारतीय कृषि आयोग की इन्टेरिम रिपोर्ट के 75 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें पानी की समस्या के बारे में जवाई बान्ध के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है

'If the Jawai water which is committed for Jodhpur water supply is made available for irrigation in the Jawai commanded area, it would afford further relief in Pali district. In lieu, Jodhpur town can draw water from the Rajasthan Canal which would be a dependable source and which can cater for the prowing water requirements for domestic and industrial use. The Rajasthan canal water will, however, have to be brought, via Phalodi lift canal, over a distance of about 200 K. metres

(श्री शंकरलाल)

and lifted nearly 135 metres which would naturally be expensive for irrigation but not too expensive for domestic and industrial use. The Conveying channel or pipeline can also provide rural water supply enroute. This should be considered along with any exploitation of ground water that may be feasible for the purpose.

मैं सारे को पढना नहीं चाहता, लेकिन आपके कृषि आयोग की इन्टेरिम रिपोर्ट में जिस प्रकार की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार उस पर विचार करे और विचार करके जोधपुर को पानी देने के लिए राजस्थान कैनाल से पानी फलौदी से जिस प्रकार इसमें कहा गया है, लिफ्ट करके पानी पहुंचाये तो जोधपुर की और पाली जिले की समस्या हल हो सकती है ·····

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान कैनाल कब आयेगी ?

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो कोई भी योजना बनाते हैं उसके अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी हमारे यहां इन गांवों के अन्दर पानी देने के लिए अगर आप वाटर स्कीम बनाते हैं और वाटर स्कीम से पाइप लाइन से गांवों को पानी देने की योजना बनायें तो कच्ची नालियों में जो काफी पानी वेस्ट होता है उसको बचाया जा सकता है। रिग्नोद के अन्दर योजना बनाई तो 30-40 और उससे भी अधिक गांवों के अन्दर पाइप लाइन से पानी दिया जायगा तो पानी की बचत हो जायगी। दूसरी स्कीम आपकी भाकरोली की स्कीम है दूसरी रोहट की पंचायत समिति की स्कीम है। उसके लिए पैसा स्वीकृत कर दिया गया तो आपका बहुत सा पानी जो कच्ची नालियों में जाने से खराब होता है वह बच जायेगा। अगर आप यह कहें कि इनको पानी देने से जोधपुर के लिए पानी नहीं रहेगा तो हम कहते हैं कि वाटर स्कीम बना देंगे और बरसात होगी तो हम पानी नहीं लेंगे, लेकिन जिस वक्त गर्मी में आप पानी देते हैं तो वह देते हैं कच्ची नालियों से ऐसे समय में वाटर स्कीम से पानी दें तो आपकी बचत होगी पानी की और लोगों को भी पानी मिल जायगा। इसलिए आपने जो पैसा पाली जिले के लिए दिया है तो ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दें जहां कि वास्तव के अन्दर पानी की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि जो रीजनल स्कीम हैं चाहे वह रोहट की है, चाहे रिग्नोद की हो तो रीजनल स्कीम के अन्दर आसपास के गांवों को मिले। रोहट के अन्दर योजना बनाई है तो इन क्षेत्रीय योजनाओं के अन्दर पानी है तो रिग्नोद के अन्दर पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी प्रकार से बावा गांव की स्कीम है तो वहां से भावनगर आदि गांवों को पानी दे सकते हैं। तो आपको इस प्रकार की स्कीम्स को मन्जूर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैमिन के विषय में जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस पर विस्तृत चर्चा होगी तभी मैं निवेदन करूंगा। लेकिन अकाल राहत मन्त्रीजी इस बात को देखा जाये पाली जिले को अकाल राहत घोषित किया गया। कितने आदमी काम कर रहे हैं। वहां पानी मिलता नहीं है। गांवों में जाते हैं। तो वहां की हालत यह है। मैं निवेदन करूंगा

(श्री शंकरलाल)

कि जेता वल्द जेठा जो गांव का रहने वाला था। उसके भूख से मरने की इत्तिला मिली है। माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कलेक्टर से इसके बारे में मालूम करायें। गुड़ा गांव में भूख से मरने की सूचना आई है। वह कितनी सही है। गांवों में आपको पानी, अनाज और मजदूरी देनी पड़ेगी। यह नहीं है। 8,000 मजदूर बताये हैं। पाली जिले में अकाल राहत का काम जब पहले खोला तो 50 हजार मजदूर काम कर रहे थे। मार्च के महीने में। वित्त मन्त्री जी कह रहे थे कि पैसे की कमी नहीं है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में कमी नहीं है। आप काम कीजिये। आप का सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंध है। जो सड़कों की मंजूरी हुई थी। आज तक चालू नहीं हैं। सुमेरपुर सड़क मंजूर हुई है। आज तक पूरी नहीं हुई है। कहीं कहते है कि हमारे पास सीमेन्ट नहीं है। लोगों को लगाने के लिए स्टाफ नहीं है। यह मौके पर बातें आती हैं। हम कहते हैं कि हजारों लड़के काम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल हैल्थ विभाग की डिमाण्ड हैं। स्वास्थ्य मन्त्रीजी प्रगतिशील हैं, ईमानदार हैं। समाजवादी नीतियों में विश्वास रखने वाले हैं। कई कदम उठाये हैं किन्तु कई कदम उलटे भी उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसा सुना है कि यहां पर 25 लाख रु० लगाकर इण्टेन्सिव क्योर यूनिट जयपुर के अन्दर बनायेंगे। उसमें 250-300 रु० पर हैड खर्चा होगा। वह रुपया कहां से आयेगा? वह मौजूद अर्थ व्यवस्था है। जो खर्चा अन्य खातों में खर्च होता था उससे अब पर हैड 250-300 रु० खर्चा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार से खर्चा होगा। क्या यह समाजवादी नीति है। आपके कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट हैं। एलर्जी आदि के हैं, उनको आपने जिस कारण से बनाया है, उनके अन्दर पैसा लगायें। जब आदमी जाता है तो उसको दवाई नहीं मिलती है। आप ऐसी जगह लगा दें जिससे आपकी वाहवाही हो जाये। इसमें कोई वाहवाही होने की नहीं है। हिन्दुस्तान में किस जगह इण्टेन्सिव क्योर यूनिट है। आप कहीं से करके कॉमन पूल से लाकर व्यय करें, यह उचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पाली खास में कई काटेज वार्ड की कमी है। पाली वालों ने इसके लिए लिखा है। इसी तरह से वहां पर एम्बुलेंस की जरूरत है। आप इसके लिए रैफरिंग व्यवस्था करें। वहां पर वार्ड बनवाने के लिए दानदाता पैसा भी देने के लिए तैयार हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर भी पता नहीं है। उस बारे में जल्दी ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसकी अभी कोई स्वीकृति नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि जो भी इस प्रकार से दानदाता आता है तो उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जल्दी से जल्दी वहां पर काम को कराना चाहिए। इसी प्रकार से आपकी जो मेडिकल हैल्थ की रिपोर्ट है, उसके अन्दर लिखा है "मिलावट निरोधक अधिनियम, 1954 जो कि राज्य में सन् 1957 से लागू किया गया, 14 जनवरी, 1969 तक सम्पूर्ण राज्य में लागू था परन्तु 15 जून, 1969 से यह सिर्फ 43 नगर-पालिकाओं, जिनकी जनसंख्या 25 हजार या अधिक है, में ही लागू है।" इसका मतलब यह है कि पहले सभी जगह लागू था। अब आपने 43 नगर पालिकाओं में लागू किया। यह क्यों कर दिया। आज सुमेरपुर की जनसंख्या 25 हजार से कम है। सुमेरपुर में तेल में मिलावट होती है। वह आकर पाली के अन्दर बिकता है। छोटे छोटे जो खुदरा व्यापारी हैं, उनको तंग किया जाता है। सुमेरपुर में

(श्री शंकरलाल)

मिलावट होती है। आप जयपुर शहर के पास से घी, दूध, तेल में मिलावट होकर आती है। यह मिलावट मृत्यु दण्ड जैसा अपराध है। इसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए। चाहे 25 हजार की जनसंख्या हो या उससे भी ऊपर हो। चाहे जितनी जन-संख्या हो यह सारे राजस्थान में लागू करना चाहिए। तभी मिलावट मिटाई जा सकती है। अन्यथा यह मिटने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है। गांवों में आज भी इसके प्रति आस्था है। इसमें आज भी प्रगति सम्भव है। लेकिन इसके बारे में राज्य का जो रुख है, वह सन्तोष-पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। माननीय भीखा भाईजी ने कहा था कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड के अन्दर आपको कुछ उपलब्धियां करनी चाहिए। आयुर्वेद की प्रणाली को और आगे बढ़ाना चाहिए। यह जो एलोपैथी का सिस्टम है, यह सर्जिकल साइड में ठीक है। लेकिन गांवों में वैद्यों के पास ही जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एलोपैथी चिकित्सा कीमती होती है। तो मैं यह एक सलाह देना चाहता हूं कि यह जो मोबाइल यूनिट शुरू की है, यह डिवीजन वाइज करदें। यह वास्तव में अच्छी सेवा करती है। अभी दो जगह है, इसे और ज्यादा कर दें। वह राजस्थान के गांवों में भी अच्छी सेवा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप दो बार घण्टी बजा चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि डूडोद में एक आदमी ने सवा लाख रुपया लगाकर मकान बनाया। जिलाधीश ने भी यह लिख कर भेज दिया है कि वहां पर स्टाफ भेज दिया जाये। इस प्रकार से वहां उसका श्री गणेश हो जाये। स्टाफ भेजने का ध्यान रखा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय हो गया है। बार बार आप घंटी बजाते हैं। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगा। इसलिए अकाल राहत के बारे में अलग से समय दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शंकरलालजी के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, और आज दो दिन की डिमान्ड एक साथ ली जाय, इसलिए अकाल के साथ हम लोग अपना पूर्ण न्याय नहीं कर पायेंगे, इस विषय पर हमको बहुत कम समय मिलेगा जबकि हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग आज अकाल से पीड़ित है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल पर विचार करने के लिये अलग से समय निर्धारित किया जाय जिससे अच्छी तरह से इस पर विचार किया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन विभागों के उपर अपने विचार व्यक्त करके, चूंकि अधिक समय नहीं है और सब पर बोलना संभव नहीं है। इसलिए सब पर नहीं बोलते हुए मैं सबसे पहले विशेष रूप से, मुझे आज आयुर्वेदिक विभाग पर कहना है। इस विभाग के बारे में आयुर्वेद के जो भूतपूर्व मन्त्रीजी थे उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे राजस्थान में चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है, सरकार भी चाहती है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो। इस प्रणाली को बहुत अच्छी प्रणाली माना गया है। आयु-र्वेदिक प्रणाली के माध्यम से सस्ता और सुलभ उपचार लोगों को प्राप्त हो सकता है

(186)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

और हमारे राज्य की यह व्यवस्था है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जावे और गांवों के लोगों को आयुर्वेदिक प्रणाली से उपचार करके अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके, यही राज्य सरकार का भी विचार है, फिर ऐसी क्या बात है क्या सरकार इतनी उदासीन है, सरकार यह चाहती है कि इस प्रणाली को गांव-गांव तक पहुंचाया जाय और उपचार किया जाय, लेकिन जो भी आज इनके सम्बन्ध में व्यवस्था है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उन व्यवस्थाओं के अन्दर आयुर्वेद के विकास करने की कोई योजना दिखाई नहीं देती और राजकीय सहयोग के साथ जो आयुर्वेदिक विभाग हमारा है उस विभाग के तरीके में भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है इसका कारण यह भी है कि जो हमारे वैद्य लोग हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, एक सीनियर टीचर से, एक अध्यापक से भी कम है और उनको कुछ सुविधायें भी प्राप्त नहीं हों तो जनता को कौनसा लाभ मिल सकता है। जो इन्टलेक्च्युअल हैं वह तो इसके अन्दर आते ही नहीं और जो बचे हुए लोग आते हैं, उनको पूरा वेतन भी नहीं मिल पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियां भी पूरी उपलब्ध नहीं होती हैं और जो कुछ भी होती हैं वे अच्छी किस्म की नहीं होती है। जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं, जो रसायनशालाएं हैं उनके माध्यम से जो लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं वह जनता को नहीं मिलता है, वे आज एक तरह से बिक्री के केन्द्र बने हुए हैं और रोगियों की दशा हमारे राजस्थान में बहुत ही खराब हो रही है। कई जगह गांवों में छोटे-छोटे औषधालय खोल तो दिये गये हैं परन्तु वहां पर चूर्ण भी नहीं मिलता, त्रिफला भी नहीं मिलता और छोटी-छोटी औषधियां भी रोगियों को नहीं मिलती हैं। यह सब रसायनशालाओं की अव्यवस्था के कारण होता है या फिर औषधियां उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक विभाग के अन्दर मैंने पहले भी कहा था, दवाइयों की खरीद में कई प्रकार की अनियमितता हुई है। इसके बारे में कई बार स्वास्थ्य मन्त्रीजी के सामने बात भी हुई और मैंने तथा श्रीरामजी गोटेवाला ने और अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी रखे थे। विशेष कर फारमेसी के इन्चार्ज जो हैं, वे दवाइयां बेचते हैं। उनकी दवाइयों की दुकान भी है, बेचने वाले भी वही और जो सरकारी दवाइयों की खरीद होती है उसकी खरीद करने वाले भी वही। वही विभाग से पैसा लेने वाले और दवाइयां भी सप्लाई करने वाले। आपकी आडिट रिपोर्ट में भी यह बात आ चुकी है, इसके बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है, उसके बाद उनके खिलाफ जांच भी बिठाई गई, उनके बारे में कई अनियमितताएं भी पायी गईं, उनके खिलाफ चार्जेज भी लगाये गये। लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई थी उसका आज तक कोई पता नहीं है कि वह कहां चली गई। दुर्भाग्य से आज दोनों ही मन्त्री नहीं हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : हम हैं आपको जवाब देने के लिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट अगर सदन में पेश हो जाती तो हमको पता लग सकता था कि क्या बात है और अपराधी कौन आदमी है, जो अपराधी पाया जाता उसको दण्ड भी मिलना चाहिए था। परन्तु

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बिना उसको चार्ज-शीट दिये और बिना कोई दण्ड दिये और बिना रिपोर्ट को लागू किये, आज आपने इस विभाग में जोइन्ट डाइरेक्टर को उसकी जांच करने के लिये दिया है। डाइरेक्टर के खिलाफ जांच कर रहा है जोइन्ट डाइरेक्टर, यह कैसे हो सकता है। अगर डाइरेक्टर की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाती तो ठीक होता। जब डाइरेक्टर के खिलाफ कई आरोप हैं और जब डाइरेक्टर स्वयं उसमें इन्वोल्व है, इस प्रकार की बात है तो जांच जोइन्ट डाइरेक्टर के किसी उच्च अधिकारी के माध्यम से कराई जानी चाहिए थी न कि जोइन्ट डाइरेक्टर से।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सेक्रेटरी से कराना चाहिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सेक्रेट्री से करा सकते हैं लेकिन एक डाइरेक्टर की जांच जोइन्ट डाइरेक्टर क्या करेगा और कैसे करेगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी जांच इस प्रकार की जांच एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से हुई है वह सारी की सारी सदन के पटल पर रख दी जानी चाहिए ताकि उस पर खुले रूप में विचार हो सके। दूसरी बात मैं यहां पर जो आयुर्वेदिक कालेज है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर एक स्वामी रामप्रकाशजी हैं जो कालेज में रीडर हैं, अब उनकी एक फार्मेसी चल रही है, स्वयं ही दवाइयां प्रेसक्राइब करते हैं और स्वयं ही बिल बनाते हैं और बिल को लेने वाले भी स्वयं ही हैं। दवाइयों को प्रमाणित करने वाले और वे ही बिलों पर हस्ताक्षर करने वाले, उनकी दुकान चल रही है वह समाप्त होनी चाहिए दोनों बातें नहीं चल सकतीं। माननीय सभापति महोदय, मैंने गत वर्ष भी विधान सभा में एक मूल्य सूची रखी थी, अब एक रीडर है वह सर्विस भी कर रहा है और रोगियों को बाजार में दवाइयां भी बेच रहा है, उसको यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि उसको यह दुकानदारी या सर्विस दोनों में एक की अनुमति मिलनी चाहिए और अगर दोनों की अनुमति मिलेगी तो वह उसका अनुचित लाभ उठायेंगे, मैं उसकी अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता, कई प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। वहां से जो दवाएं औषधालय में बेची जाती हैं वह किस भाव पर बेची जाती हैं। दवाइयां रिइम्बर्स की जाती हैं आखिर गवर्नमेंट का ही पैसा लगता है। गवर्नमेंट को ही इससे नुकसान होता है। एक दवाई थी हरिद्राखंड जो कि 15 रु० किलो की बाजार में है जबकि उन्होंने वहां पर सप्लाई की 150) किलो के हिसाब से। यह तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा है, ऐसे कई उदाहरण हैं कई प्रकार की औषधियां हैं जिन पर बाजार भाव से दस-दस गुना भाव लगाया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही व्यक्ति है मेरे विचार से यही सज्जन हैं गोल्ड एक्ट कन्ट्रोल के तहत जिनके घर की तलाशी ली गई थी और इनके पास साढ़े आठ लाख रुपये का सोना निकला था और उनके खिलाफ गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उनके खिलाफ गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थी।

एक माननीय सदस्य : वे सोने की भस्म बनाते थे।

(188)

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो कुछ भी बनाते हों मैं अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनके बारे में अखबारों में भी बहुत कुछ आया था। क्या सरकार उनके खिलाफ गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के तहत चालान नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति हमारे इस विभाग में आज भी कार्यरत है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा आज, कुछ उपाधि के बारे में। इनको कौनसी उपाधि मिली हुई है। उपाधि मिली हुई है, आयुर्वेद बृहस्पति। उपाधि किसको कहते हैं, जैसे आचार्य है, आचार्य को उपाधि कहते हैं। इसको ऊंची उपाधि कहते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि है। इनको झांसी से जो उपाधि मिली है, जहां तक मेरी जानकारी है, वह सम्मान के लिए दी गई उपाधि है। वह उपाधि न किसी रेगुलर कालेज की है, और न किसी विश्वविद्यालय की है। तो जो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, उसको किस प्रकार आप इजाजत दे रहे हैं कि वह पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थियों को पढ़ाये। यह विभाग की अनियमितता है। झांसी से जो उपाधि प्राप्त की है, वह जिस विभाग ने दी है, वह विभाग कहीं अस्तित्व में नहीं है, कहीं एक्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी कोई उपाधि उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन वह उस उपाधि को लेकर बैठे हैं। विभाग इसके बारे में क्यों जांच नहीं करता है, मैं कुछ नहीं कह सकता।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ऐसे अनेक वैद्य मिलेंगे, जो बीस वर्ष से, दस वर्ष से एक जगह जमे हुए हैं। क्यों जमे हैं यहां? आप स्थानान्तरण करना चाहते हैं तो उनका कर दीजिये, सबको बदला जाना चाहिए। अगर ऐसे वैद्य हैं तो सबको उनका लाभ मिलना चाहिए। उनको उदयपुर भेज दीजिये, ताकि उदयपुर की जनता को लाभ मिल सके। आपको एक व्यवस्था बनानी चाहिए, स्थानान्तरण की व्यवस्था बनानी चाहिए। अब आयुर्वेद विभाग में अन्धाधुन्ध अव्यवस्थायें हैं कि क्या कहने। एक ट्रान्सफर हो जाता है। वह अपना माल समेट कर जिस गांव में ट्रान्सफर होकर जाता है, वहां दो दिन रहता है कि फिर ट्रान्सफर हो जाता है। वह फिर दूसरी जगह जाता है, वहां पांच दिन रहता है कि फिर ट्रान्सफर हो जाता है। इस ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि एक व्यक्ति का एक महीने में पांच बार स्थानान्तरण क्यों किया जा रहा है ....

श्री मीठालाल : दो हजार ले लिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि दो हजार लिये, चार हजार लिये, क्या किया। मैं कहता हूं कि आपको स्थानान्तरण करना है तो अच्छी तरह सोच कर एक दफा स्थानान्तरण कर दीजिये, यह क्या कि पांच पांच, छः छः बार स्थानान्तरण जो 'ए' क्लास में वैद्य है, वह 'सी' क्लास में जा रहा है और जो 'सी' क्लास में है, वह 'बी' क्लास में, लगा हुआ है। कोई श्रेणी से सोचा जाना चाहिये कैटेगोराइजेशन का विचार होना चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ आयुर्वेद विभाग के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, हम रोगियों को अच्छी सुविधायें दे सकें, इसलिए ही बजट प्रावधान किया हुआ है। लेकिन इस विभाग को आप ठीक ढंग से चलायें। आज मंत्री महोदया किसी के लिए आदेश दे दें, लेकिन आयुर्वेद विभाग के जो निदेशक हैं, उप-निदेशक हैं, वह उस आदेश को मानते नहीं हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। कहते हैं,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ऐसे आदेश बहुत से आते हैं। ऐसे तो बहुत से आर्डर आते हैं, मंत्री महोदया; आपको मालूम है या नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की मैं समझता हूं, यह जनप्रतिनिधि की भावना का भी अपमान है। मंत्री महोदया आदेश भेजती हैं, उसको वह रद्द करके, कैंसिल कर दें, यह समझ में नहीं आया। ठीक है, आप मिल लीजिये, और स्थानान्तरण करिये। आज स्थानान्तरण आदेश देने की कोई व्यवस्था नहीं है। सेक्रेटेरिएट लेबल पर स्थानान्तरण हो रहा है, डाइरेक्टोरेट लेबल पर स्थानान्तरण हो रहा है। एक व्यक्ति के दो स्थानान्तरण आदेश हो गये, कहां जाय। उसके शरीर को तोड़ कर, काट कर यह किया जाय शरीर का एक भाग मंत्री महोदय ने जो आदेश किया है, वहां जाय और दूसरा जो डाइरेक्टर महोदय ने आदेश किया है वहां जाय। आखिर में एक व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के अनुसार विभाग को चलना चाहिए तब जाकर विभाग ठीक तरह से चल सकता है। मैं आयुर्वेद विभाग के बारे में इतना ही कह कर अन्य विभाग पर आऊंगा।

हमारे उदयपुर के मंत्री सामने विराजमान हैं, चन्दनमलजी हैं नहीं। चन्दनमलजी कहते हैं, मैं पक्का बनिया हूं, महाजन हूं। खैर लेकिन मुझे एक बात कहनी है, महाजन पक्के हैं, लेकिन मैं आपके विभाग की बात उदयपुर के बारे में कहना चाहूंगा, जहां लेने में कष्ट आपको होता है। उदयपुर वाटर विभाग है जहां लोग देने जाते हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है और वहां चार चार घन्टे, छः छः घन्टे लम्बी लाइन लगती है। आपका बैंक कहता है, हम पैसा नहीं लेंगे, समय समाप्त हो गया है, कल आओ। ऐसी चन्दनमलजी व्यवस्था करें कम से कम कि वहां पैसा लेने की व्यवस्था हो क्योंकि इससे फिर घाटे की व्यवस्था चलती है और लोगों के ऊपर एरियर चढ़ जाता है। खैर, यह व्यवस्था बैंक के माध्यम से होती है। लेकिन वहां जो पावर हाउस है, उसका जो कन्ज्यूमर है, उसको कभी दिक्कत नहीं होती, चाहे एक दो घन्टे लगाते हों। वहां ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि अभी जो एक बैंक की मोनोपोली कर रखी है, उसके बजाय दो-तीन बैंकों में यह बांट सकते हैं क्योंकि शहर बढ़ गया है, कन्ज्यूमर बढ़ गये हैं, इसलिए एक बैंक की व्यवस्था को आप हटा सकते हैं।

उदयपुर में पानी की व्यवस्था है, उसके बारे में कहूं कि उदयपुर को झील की नगरी कहा जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है कि उदयपुर का भविष्य वही हो, जो स्थिति ब्यावर और अजमेर की है। तालाब सूखने लगे हैं, तालाबों में गंदगी बढ़ रही है। सारे शहर के एक पोर्शन का, जो उदयपुर का पश्चिमी भाग है, के सारे गन्दे नाले, सारा कचरा, सारा पानी उसमें जाता है, जो पिछोला और स्वरूप सागर कहलाता है। पिछोला और स्वरूप सागर में गन्दा पानी इकट्ठा हो और वहां से हमारी जलप्रदाय योजनायें चलें, यह ठीक नहीं है। मैंने इसके बारे में कई बार निवेदन किया है। मैं चाहूंगा कम से कम शुद्ध जल मिल सके, इसलिए विशेष प्रावधान रख कर इस पानी को दूसरी जगह निकालने की व्यवस्था कीजिये। मैं इतना ही इसके बारे में कह कर पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, अधिक कह नहीं सकता हूं क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा।

एक तो हमारे पास पैसा नहीं, दूसरे हमारा पी० डब्ल्यू डी० मनमाने ढंग से

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

से सड़क बना रहा है, वह कैसी बना रहा है, क्या बना रहा है, वह क्यों टूट रही है उसका पता नहीं। इस विभाग के अन्दर चलने वाली अनियमितताओं की ओर मुझे ध्यान आकर्षित नहीं करना है। आप जयपुर में देख लीजिये, विधायक निवास के सामने कितनी बार चौराहा टूटा है। फिर बन रहा है, फिर टूटेगा। दूसरा इंजीनियर आयेगा, वह कहेगा, ठीक नहीं है। पुराने इंजीनियर ने ठीक नहीं बनाया। तोड़ो इसे। हजारों, लाखों रुपये का इस प्रकार अपव्यय हो जाता है, उदयपुर में दिल्ली गेट के बाहर पांच साल के अन्दर चौराहा पांच बार टूट गया है। फिर बन रहा है, फिर दुबारा बन रहा है। क्यों तोड़ते हो, क्यों बनाते हैं। एक बार अच्छी तरह योजना बनानी चाहिए ताकि अपव्यय नहीं हो।

मैं एक बात एलोपैथी के बारे में कहना चाहूंगा, और एक पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में। अलवर जिले के अन्दर सरकार की जो भूमि है सड़क की, कितने लोगों ने अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा कर लिया हैं। मैंने प्रश्न पूछा था, 8-4-74 को, 8-4-74 को इसका जवाब दिया गया। उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने माना है, अलवर जिले में 205 व्यक्तियों ने पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क पर अनधिकृत रूप से जमीन ली है, 205 ने अनधिकृत रूप से पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क पर कब्जा कर लिया है–ऐसा सरकार ने जवाब प्रश्न के उत्तर में दिया है। उस पर कार्यवाही नहीं हुई। क्यों कार्यवाही नहीं की जाती है? मैं समझता हूं, एक साल होने को आया, अब दूसरा साल चल रहा है, लेकिन सदन में आकर जवाब देने के बाद उस पर कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत किशनगढ़वास, उदयपुर, के अन्दर बस स्टैण्ड बना, वह पी० डब्ल्यू० डी० ने बनाया, वहां पर अनधिकृत रूप से दुकान बना ली। सरकार कह रही है, प्रश्न के उत्तर में कह रही है, अनधिकृत रूप से दुकानें खड़ी की गई हैं। मैं सोचता हूं, इस प्रकार अनधिकृत कब्जे, पी० डब्ल्यू० डी० जिसे अनधिकृत मानते हैं, वैकेट करवाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अनधिकृत कब्जे ही नहीं हों, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरे अब मैं एलोपैथी के बारे में कहना चाहूंगा। सवाई मानसिंह हास्पिटल है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे माननीय रामकिशन ने एक बात कही थी, यह विभाग कैसे चलता है–इसका जीता जागता उदाहरण यह सवाई मानसिंह हास्पिटल है। आर० जे० एस०, आर० ए० एस०, आर० पी० एस० जो कमिशन में चुन कर आते हैं वह फिटनैस सर्टिफिकेट लेने आते हैं। आंख वाले हैं उनको अन्धा बनाना डाक्टर का काम है, जो अन्धा है उसको आंख वाला बनाना डाक्टर का काम है ....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: बढ़िया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री: बहुत बढ़िया। यह बढ़िया काम चल रहा है। जो जाकर मजिस्ट्रेट बनेगा, उसके पहले डाक्टर के सामने फिटनैस सर्टिफिकेट के लिए जाता है तो उसको वे क्लिनिक में बुलाते हैं। पैसा मिल जाय तो दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। एक व्यक्ति की, फिटनैस सर्टिफिकेट के अन्दर दृष्टि छः बटा छः है, जो ठीक मानी जाती है, वह सिक्स बाई सिक्स मानी जाती

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हैं, उसको छः बटा छांसठ बना कर अन्धा बना दिया, देख नहीं सकता, फिगर भी नहीं देख सकता है, आंख के सामने अंगुली आ जाय तो नहीं देख सकता। उसको रिजेक्ट किया जाय। वह व्यक्ति दूसरे हास्पिटल में जाकर पैसा देकर अपना वापिस सर्टिफिकेट बनवाये, उसमें सिक्स अपोन सिक्स बनवाये। पहले उसने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं देने के कारण आंख वाले को अन्धा बना दिया, फिर अंधे को आंख वाला बना दिया जाय। जो मजिस्ट्रेट बनने जा रहा है, आर० पी० एस० आफिसर बनने जा रहा है, उसको पहले रिश्वत भ्रष्टाचार के मामले का सामना करना पड़ता है–इससे बढ़ कर और खतरनाक चीज क्या हो सकती है·····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह मामला सीरियस है, इसको अच्छे ढंग से रखिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बहुत सीरियस है। मेरे पास लम्बी लिस्ट है 130 उम्मीदवार आए थे उनमें से 90 एपीयर हुए सभी की लगभग यही दशा है। मंत्रीजी यहां नहीं हैं। वह चाहते हैं कि इस प्रकार की खामियों को दूर किया जाए। यदि ईमानदारी के साथ वह ऐसा करना चाहते हैं तो सारे फिटनैस सर्टिफिकेट्स को वह सीज करें। तब जाकर रहस्योद्घाटन हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता, इसको चैक करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय घोषणा करें और पुलिस को हैण्डओवर करें या सीज कर दें तब जाकर पता लग सकता है। इस अस्पताल की इतनी करुण कहानी है कि कई विदेशी पर्यटक आते हैं विदेशी मुद्रा दे जाते हैं कोई हिसाब किताब नहीं। आज उस अस्पताल में 530 डालर हैं, कुछ हांगकांग के कुछ अमरीका के हैं, कोई हिसाब किताब अस्पताल में नहीं है। जितना मेन्टेनेन्स होता है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। आज कितनी बार बिजली की वायर बदल दी जाती है जो पुरानी वायर थी कहां गई ? कोई पता नहीं। जो अंदर बैठे हुए हैं सुपरिन्टेंडेंट या इन्चार्ज हैं, उनके घरों पर या अन्य स्थानों पर उसका दुरुपयोग होता है कोई चैकिंग नहीं। लोगों को ओढ़ने के लिए कम्बल नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं और जहां राजस्थान का सारा राज्य आर्थिक संकट के मोड़ पर है 60 हजार के बिस्तर कम्बल जला दिए गए न मालूम कहां दुरुपयोग किया गया। कैसे जलाया ? बीकानेर में भी गए हों तो नए नहीं बनाए जायेंगे। किस कोयले से जलाया ?

महारानी गायत्री देवी विदेशों से उपकरण लाई, जब ड्यूटी लगने वाली थी तो उन्होंने कहा कि मैं दान के लिए लाई हूं, ड्यूटी नहीं लगाई जाए, राज्य सरकार ने उसको ड्यूटी से एग्जेम्पट किया, उसके बाद आज एक भी उपकरण सवाई मानसिंह अस्पताल में नहीं है। कहां गए ? कोई जांच करने वाला है ? आज वहां इतनी खरीददारी होती है, सिलण्डर खरीदे जाते हैं, पूछा जाए कि सिलण्डर कहां गए ? खरीदने के बाद आक्सीजन के उपयोग के बाद बचे हुए सिलण्डर कहां गए ? कोई हिसाब किताब नहीं। मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह सदन में घोषणा करें।

जो बोर्ड के अंदर बैठते हैं या पे क्लिनिक के अंदर बैठते हैं तो इनकी फीस फिक्स्ड है, 40 परसेंट उनको लेनी है और 60 परसेंट सरकारी खजाने में। लेकिन वे 45 परसेंट ले जाते हैं। आडिट ओब्जेक्शन होते हैं, सरकार चुप है। सरकार पर क्या डाक्टरों का दबाव है ? जब फाईनेनशियल रूल्स है कि

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

60 प्रतिशत सरकार जमा करेगी और 40 परसेंट डाक्टरों को लेना है तो फिर डॉक्टरों को 45 प्रतिशत लेने का क्या अधिकार है ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा यह मेडीकल रूल्स हैं कहीं भी राजस्थान में कोई मेडीकल जूरिस्ट की रिपोर्ट की कापी लेना चाहते हैं तो उसकी फीस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चार्ज की जाती हैं, कहीं 16) तो कहीं 5), कहीं 15) जबकि यह फीस लेने का उनको अधिकार नहीं है। हमारे अस्पतालों में इस प्रकार की फीस लेते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं, उसको लेने के बाद हमारी सरकार मौन क्यों है ? एक्स-रे प्लेट्स न होने के कारण कई कर्मचारी एन०एस०सी० लेकर बाहर से एक्स-रे करवाते हैं और रकम अपने विभाग से लेते हैं। इस तरह सरकार को एक जयपुर की अस्पताल में लाखों का नुकसान होता है। सारे अस्पतालों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हमारी अव्यवस्था से हो जाता है। मैं चाहूंगा कि उचित व्यवस्था की जाए। अस्पताल की वर्कशाप किस लिए है ? क्या बनाते हैं ? किसी को गले में फिट करने का साधन चाहिए तो वह दिया जाता है लेकिन रोगियों से पैसा चार्ज किया जाता है, फिर वह पैसा कहां जाता है ? गत वर्ष की बात है। 9 नवम्बर से 13 नवम्बर तक बगदाद में एक सम्मेलन हुआ था टाक्सीकेशन पर। उस सम्मेलन में किसको भेजना चाहिए यह राज्य सरकार के विचार में था, जो टाक्सीकेशन के एक्सपर्ट्स थे उनको न भेजकर डा० एस० एम० भंडारी को भेजा जो केवल सी० ए० एस० है। खैर, किसी को भी भेजें, मुझे अज नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि जो भी विदेश में सरकारी खर्चे पर भेजें वहां से लौटने के बाद यहां आकर टाक्सीकेशन के बारे में राजस्थान को लाभ दें तो फिर उसका उपयोग है लेकिन यहां उसी पद पर उसको लगाया गया जहां वह पहले था। इसके लिए डा० एस०आर० मेहता ने भी एप्लाई किया था उनको अनुमति नहीं मिली।

सवाई मानसिंह अस्पताल में 10 बिस्तर परिवार नियोजन के लिए हैं, उनको एक वर्ष में 350 केसेज देने चाहिए लेकिन उन्होंने 50-55 से ज्यादा नहीं दिए। हमारा जो इन्चार्ज हैं डा० शारदा, वह जो खाली वैकेन्सीज होती हैं एडजस्ट करके दे देते हैं लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि तीन तीन महीने उनको वेतन नहीं मिलता क्योंकि या तो डा० शारदा की खुशामद की जाए उसके बाद उनके पास सुविधा शुल्क चला जाए तब जाकर पेमेंट होगा। इस प्रकार की अव्यवस्थायें हमारे अस्पतालों में रही हैं, यह शोभाजनक नहीं है। बहुत लंबा इतिहास है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज में एक पोस्ट क्रिएट की फिजीकल वैरीफिकेशन करने वाले की। उस पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। लेकिन जबसे वह नियुक्त हुआ उसके बाद आज तक उस कॉलेज में या अस्पताल में फिजीकल वैरीफिकेशन हुआ ? बिल्कुल नहीं। वह कर्मचारी दूसरा धंधा करता है। मेरिट से जो अस्पताल में एडमिशन्स होती हैं उनमें वह अव्यवस्था फैलाकर जो कार्य करता है उसके लिए उसको अस्पताल से सम्मान के रूप में मानदेय दिया जाता है। क्या वह फिजीकल वैरीफिकेशन करने के लिए रखा गया है या इस प्रकार का कार्य करने के लिए रखा गया है ? चीफ अकाउंट्स अधिकारी ने कई बार इंगित किया है कि अस्पताल

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

में यह अव्यवस्था हो रही है लेकिन आज तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं अधिक इस विषय पर नहीं बोलना चाहूंगा और सिर्फ एक यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो जनता को जिस तरह से चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये वह उस तरह से नहीं मिल रही है उसके अन्दर सुधार करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने उदयपुर के अस्पताल का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि वहां पर मैं बड़े बड़े व्यक्तियों की बात तो करता नहीं लेकिन बेचारे साधारण व्यक्तियों के लिये वहां पर कुछ नहीं मिलता है। मैंने इसके बारे में, माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि उदयपुर में अगर एक गरीब व्यक्ति आपरेशन कराने जाता है तो वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता है। उसे सुई से लेकर हर चीज बाजार से खरीदने जाना पड़ता है इन्जेक्शन हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे कुछ भी जरूरत हो उन्हे बाहर से खरीदना पड़ता है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर जो आपरेशन के पहले बाल साफ किये जाते हैं उसमें जो ब्लेड डाक्टरों द्वारा मंगाई जाती है सेवन ओक्लोक ब्लेड मंगायी जाती है और एक ही नहीं बल्कि चार चार ब्लेड मंगायी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई वह ब्लेड लाकर नहीं देता है तो उस बेचारे गरीब का आपरेशन नहीं होता है। अब आप सोचिये कि सेवन ओक्लोक ब्लेड एक विदेशी ब्लेड वह बेचारा कहां से लावेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में व्यवस्था की जावे। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो मैं डाक्टर के हाथ का लिखा हुआ आपको बतला सकता हूं, वह अभी भी मेरे जेब में मौजूद है या आप चाहें तो सदन की मेज पर रख सकता हूं। आप जिसके लिये अनुमति दें वही कर दूं।

श्री फूलचन्द जैन : क्या सेवन ओक्लोक के लिये लिखा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जी हां, सेवन ओक्लोक के लिये ही लिखा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो रख दीजिये सदन की मेज पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की मेज पर न रख कर मंत्रीजी को ही दे दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उदयपुर के अस्पताल में सुई से लेकर, ग्लुकोज, ब्लेड और इन्जेक्शन कुछ भी नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में एक ग्रामीण व्यक्ति की क्या हालत होगी ? एक गरीब आदमी कहां से साधन जुटा पायेगा। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन अनियमितताओं को समाप्त कीजिये अगर आप वास्तव में जनता का भला करने की इच्छा रखते हों तो। इसके अलावा अन्त में मैं यही निवेदन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि सवाई मानसिंह होस्पीटल के बारे में जो मुद्दे मैंने उठाये हैं और जो जो मैंने इन्क्वायरी-करने के लिये सुझाव दिये हैं उनकी सदन में घोषणा करें ताकि जनता को राहत मिले। बस इतना ही निवेदन करके मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

(19M)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री मोहरसिंह : मुझे बहुत बार हो गयी उठ बैठ करते हुए, मुझे मौका दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया जाना चाहिये । काफी देर हो गयी है मुझे उठ बैठ करते हुए ।

(कई सदस्यों के बोलने पर : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आप सभी को मौका दे रहे हैं, एक पक्ष वालों को, उदयपुर वालों को मौका नहीं दे रहे हैं। हमें मौका मिलना चाहिये ।

श्री मीठालाल मीणा : अभी थोड़ी देर पहले, उदयपुर वाले ही तो बोल रहे थे ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अकाल राहत, सार्वजनिक निर्माण विभाग जन-स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और परिवार नियोजन की मांगों के संबंध में अपने कटौती प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं। मैं सर्व-प्रथम अकाल राहत के बारे में अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आज जो अकाल राहत के बारे में प्रतिवेदन मिला है उसमें अकाल के बारे में जो सूचनायें देनी चाहिये थीं वह उसमें नहीं हैं ।

(6.05 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

इसमें यह भी नहीं बताया गया कि आठ जिलों में कितने लोगों को मजदूरी पर लगाया गया । लेकिन उसका कोई विवरण उसमें नहीं था जो कि प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । सभापति महोदय, जब तक हमें यह पता नहीं लगे कि अकाल राहत कार्य में कितने मजदूरों को लगाया गया तब तक हमें अकाल राहत कार्यों के बारे में क्या प्रगति हुई कैसे पता पड़ सकता है । सभापति महोदय, जब तक राज्य सरकार यह नहीं बतावे कि अकाल राहत कार्यों को किस प्रकार किया जा रहा है तब तक हमें कैसे पता पड़ सकता है कि इस समस्या का हल किस प्रकार निकाला जा रहा है । सभापति महोदय; यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह इस बारे में सूचना दे ।

दूसरी बात जो मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिलों में अकाल की ज्यादा विभीषिका है जहां अकाल की वजह से जनता की हालत अत्यन्त खराब है वहां पर आपने अकाल राहत खोले या नहीं खोले । अकाल राहत कार्य खोलने में आपको मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना होगा उसमें हमें यह देखने की जरूरत है कि अकाल राहत कार्यों को वहां खोला गया है या नहीं, जहां कि उसकी अधिक से अधिक जरूरत है । अकाल राहत कार्य खोलने का आधार यही होना चाहिये कि अकाल की विभीषिका कहां पर अधिक है अगर जहां पर अकाल की विभीषिका ज्यादा है और वहां पर अगर राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं किया । आज कई जिलों में अकाल भयंकर था लेकिन राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य नहीं खोले । और अगर खोले भी तो वहां पर नहीं खोले जहां कि अकाल की विभीषिका ज्यादा है । आज अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कितने मजदूर कहां कहां

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पर लगे इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी केवल यह कह दिया आगे कि इस वर्ष में अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत 8 हजार मजदूरों को लगाया गया है। तो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह आठ हजार मजदूर कहां लगे, कब लगे। मैं सदन के समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि अक्टूबर में एक भी मजदूर नहीं लगा, नवम्बर में एक भी मजदूर नहीं लगा दिसम्बर में भी नहीं, जनवरी में भी नहीं लगा और 15 फरवरी, 1975 तक कोई मजदूर नहीं लगा उसके बाद में कुछ अकाल राहत कार्यो पर 8 हजार मजदूरों को लगाया है। तो यह जो अकाल की विभीषिका है, अकाल की उग्रता है वह इतनी बढ़ गयी अक्टोबर से लेकर 15 फरवरी तक कि लोग भूखे मरने शुरू होगये तब आप जाकर सोचने लगें कि अकाल राहत कार्य खोलने चाहिये। सभापति महोदय, अकाल के समय में लोगों को ऐसा लगा कि लोगों के पास कार्य नहीं, खाने को भोजन नहीं तब जाकर लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि हम अब क्या करें।

श्री मीठालाल : मरें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर जिले में 865 गांवों में से 864 गावों में अकाल पड़ा हुआ है। और इन 864 गावों में अक्टोबर से लेकर 15 फरवरी तक कोई अकालराहत कार्य नहीं खोले गये। सभापति महोदय, बाड़मेर क्षेत्र के लोगों की हालत इतनी खराब हो गयी कि लोगों ने अपने गहने बेचने शुरू कर दिये, अपने पशुओं को बेचना शुरू कर दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 68-69 में जो व्यवस्था की थी उतनी भी नहीं की। जो पशुओं की जनगणना बाड़मेर जिले में 68-69 में की गयी उसमें 6 लाख पशु हमारे यहां पर थे वह सन् 71 की पशुगणना के अनुसार डेढ़ लाख पशु रह गये करीब साढ़े चार लाख पशु हमारे अकाल की विभीषिका की चपेट में आगये। और यह स्थिति ज्यादा अकाल की बाड़मेर जिले में ही बहुत खराब है और अब वहां पर पशु तो मरने और शुरू हो गये इसके अलावा वहां की जनता का क्या हाल है वह आप सुने दो दिन में एक बार उन्हें खाने को मिलता है। और एक परिवार को चार दिन मे एक किलो मक्का खाने को मिलता है तो आप सोचे की कैसे वहां की जनता जिन्दा रहेगी। अब तो जगह जगह से ऐसी सूचना भी मिलने लग गयी है कि वहां पर लोग भूख से मरने शुरू हो गये हैं हम इस बात की अभी तक पुष्टि कर रहे हैं और जब पता लगेगा तो सदन में बताया जायेगा। सभापति महोदय, अकाल के अन्दर सबसे हालत खराब राजस्थान में बाड़मेर जिले की है वहां पर जैसलमेर से भी हालत खराब है क्योंकि वहां पर तो पशुओं को तो थोड़ा बहुत चारा खाने को मिल गया है लेकिन बाड़मेर में तो पशुओं के खाने को कुछ भी नहीं है। सभापति महोदय, बाड़मेर में जहां हर साल 27.5 सेन्टीमीटर बरसात होती है वह इस साल सिर्फ 4.8 सेन्टीमीटर बरसात हुई है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस जिले में आप एप्रिल में कितने मजदूर लगायेंगे, मई में कितने मजदूर लगायेंगे, जून में कितने मजदूर लगायेंगे और जुलाई में कितने मजदूर लगायेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं जिससे पता पड़े कि आप इस स्थिति का किस प्रकार से मुकाबला करना चाहते हैं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अकाल राहत कार्यों के संबंध में हमें अंधेरे में रखा गया है। अकाल राहत कार्य में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स के अन्तर्गत कितने कार्य लिये जावेंगे, अकाल राहत कार्यों में प्राकृतिक विपदाओं के लिये जो प्रोग्राम हैं उनके अन्तर्गत 10 करोड़ 90 लाख का प्रोविजन किया था। उसके अन्तर्गत बाढ़ से हुई क्षति से सड़कों आदि की मरम्मत, डी०पी०ए०पी० के कार्य किये। पिछले अकाल राहत कार्यों में मुख्य जिला सड़कों को लिया गया। यह मैं कहना चाहता हूँ कि इस अकाल की समस्या के हल के लिये कोई नोन प्लान एक्स्पेन्डीचर भी होगा। हमारे जिले में नोन प्लान एक्स्पेन्डीचर कर सकते थे लेकिन नोनप्लान्ड एक्सपेन्डीचर नहीं किया। बार बार मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत करने के लिये कहते रहे और कहा गया कि 2500 की आबादी पर खोले जावेंगे। बाड़मेर जिले में अनुपात 7 वर्ग किलो मी० प्रति व्यक्ति आता है और जैसलमेर में 6 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति आता है। कहां है 2500 की आबादी? जैसलमेर, बाड़मेर के इस अनुपात की आबादी के गांव नहीं और आपने रिपोर्ट दी है उसमें 1500 की आबादी के गांव मिला दिये हैं। ज्यादा से ज्यादा वहां कार्य किये जा सकते हैं। सोइल कन्जरवेशन, खडीन के कार्य लीजिये। पहले भी मदद दी थी। सन् 1968-69 के मार्च में 1 लाख मजदूर काम कर रहे थे और वह सीमा जुलाई में 1।।। लाख पहुंची। अब 8 हजार मजदूरों की व्यवस्था करके भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लगाया गया है, दूसरों को नहीं। दूसरे लोग भी गरीब हैं, उनको भी वहां पर काम पर लगाया जाना जरूरी है। इसलिये आप कोई फेज्ड प्रोग्रान बनाये और अधिक से अधिक मजदूरों को लगाने की कोशिश करें।

अकाल राहत के कार्य पहले चले हैं उनमें बहुत करप्शन हुआ है। मैं पी०डब्लू०डी० के लिये बताना चाहता हूं कि 25 मील की सड़क में 25 लाख रुपये खर्च हो गये, चोहटन रोड में। जब कि उस पर पांच लाख ही खर्च होना चाहिये था। आप जांच कर रहे हैं, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। असिस्टेन्ट इन्जीनियर, जिनका नाम मैं बता देना चाहूंगा, श्री मोहनलाल व्यास हैं, उनके खिलाफ स्वीकृति देने के बाद भी चालान प्रस्तुत नहीं हुआ। पी०डबल्यू० डी० ने स्वीकृति दे दी। ओवरसियर का भी चालान पेश नहीं किया। करप्शन के केसेज के बारे में पी०डबल्यू०डी० को सक्रिय होकर करप्शन के विरुद्ध कार्य करना चाहिये। इस समय जो कार्य चल रहे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। कान्ट्रेक्टर्स के द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। पी० डब्ल्यू०डी० काम कराती है, एक्स० इ० एन०, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स ओवरसीयर्स के शेयर होते हैं, यह प्रणाली बहुत बुरी है। पहले भी करप्शन चला।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सदस्य का क्या यह भी मतलब है ऊपर मंत्री तक?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ऊपर मंत्री से नहीं।

पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिस्टम सारे राजस्थान में चल रहा है कांट्रेक्टर से काम कराने का, 25 वर्ष से हम देख रहे हैं। इससे बहुत नुकसान होता है। काम बहुत कम होता है। अनुचित होता है।

श्री सुशीलाल इन्दलिया : माननीय सदस्य की तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा धीरे बोलें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अकाल राहत कार्य के लिये 24 घंटे पानी की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा गांव ऐसे हैं कि जहां पर महीने में 2 दफा ही ट्रक्स के द्वारा टंकियां भेजी हैं जो कि बहुत अपर्याप्त है । प्रति व्यक्ति लें तो 1/8 गैलन प्रतिव्यक्ति नहीं मिलता है, 1/6 भी नहीं मिल पाता है । इस प्रकार जो पानी मिलता है इसकी मात्रा को बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है ।

रोड्स बन रही हैं, दस फुट चौड़ी ही बन रही हैं, वे काम की नहीं हैं । 12 फीट की बननी चाहिये । रोड रोलर्स के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी तरह से उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है । इसकी जो कमी है, उसको पूरा करना पड़ेगा । स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा । यदि आप इसकी व्यवस्था अभी नहीं करेंगे तो जो कार्य चलेंगे वे कन्ट्रोल नहीं हो सकेंगे और उनमें करप्शन बढ़ेगा और करप्शन के कारण ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं दे रही है और गरीब जनता को उसका दण्ड मिल रहा है । कोई भी कार्य कराया जाय, उसमें करप्शन हो और इस कारण आप और काम न खोलें और उसका दण्ड मिले गरीब जनता को, जो आज भूखों मर रही है, उसके बारे में आपको समुचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि पशुओं के बारे में चारा-विक्रय केन्द्र बाड़मेर जिले में खोले नहीं गये हैं । बाड़मेर हैडक्वार्टर पर खोला जाय । चारे की रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं । उन रेट्स में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में फर्क किया गया है क्योंकि ये केन्द्र हैडक्वार्टर पर होंगे इसलिये, नगरीय क्षेत्रों की भी रेट्स को कम कीजिये और ग्रामीण क्षेत्र की भी कम कीजियेगा । बाड़मेर जिले में लोग दूध बेच कर अपनी व्यवस्था करते हैं, महंगा चारा मिलता है, हैडक्वार्टर में भी रेट्स कम करें जिससे आवश्यकता हो वे ले सकें और अपनी व्यवस्था कर सकें ।

पशुपालन और सांड सहायता, कांकरेज और थारपारकर दोनों अच्छी ब्रीड हैं । इन ब्रीड के सांडों को बचाना चाहिये । वरना पशुधन की बहुत अवनति हो जावेगी ।

मेरा यह कहना है कि भू-संरक्षण खडीन के कार्य, अधूरे लघु-सिंचाई के कार्य, इनको हाथ में लेकर इस समय जो अकाल की समस्या है उसका मुकाबला करना चाहिये और इसको हल करना चाहिये ।

पानी की समस्या के लिये निवेदन करना चाहता हूं ... (वित्त मंत्री के सदन में आने पर) वित्त मंत्रीजी सदन में पहुंच गये हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या हल करने के लिये प्रयास नहीं किया । जब आप जन-स्वास्थ्य मंत्री जी बने तो एकदम 20 करोड़ रुपया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यय किया गया । 32 करोड़ जो खर्च किया गया और आपके मंत्री बनने पर जो 20 करोड़ खर्च किया गया यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु यह भी कहना चाहता हूं अभी जो स्थिति बताई है उसमें 73 परसेन्ट विलेजेज कवर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

करने हैं। अभी तक 27 परसेन्ट विलेज ही कवर किये हैं। उनको कवर करने के लिये 200 करोड़ की आवश्यकता के लिये प्लान में बताया। 200 करोड़ रुपया जिस रफ्तार से खर्च करने जा रहे हैं और अभी जो प्रोविजन कर रहे हैं उसमें 7-7॥ करोड़ का कर रहे हैं तो उस रफ्तार से 50 वर्ष तक समस्या का हल नहीं हो सकेगा। जैसे चतुर्थ, पंच वर्षीय योजना में उदारता बताई। जब जिले में भयंकरता है और लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है तो इस समस्या की उग्रता, आप वित्त मंत्री जी भी हैं, आप योजना मंत्री जी भी हैं इसलिये आप पर बहुत जिम्मेदारी है। मैं यह कहना चाहता हूं इसके लिये प्रावधान अधिक से अधिक करें और प्रावधान करते समय यह देखें, जिन जिलों में उग्रता है उनमें ज्यादा खर्चा करें। हमारे जिले में भी आपने अधिक खर्च किया है अबके। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तारांकित प्रश्न के उत्तर में जवाब दे रहे थे उससे हमारे जिले में केवल 10 लाख ग्रामीण जल प्रदाय योजना में खर्च करेंगे और तीस लाख व्यय करेंगे तीन साल में इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये अधिक से अधिक प्रावधान करने की कोशिश करिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अब मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं जो जल प्रदाय योजनायें चल रही हैं भीमड़ा से बायतू और रावतसर तो इनमें बहुत से गांवों में तो महीने में एक दफा पानी मिलता है, बहुत से गांवों में महीने में पांच दफा मिलता है। आप पूरी तरह इन्फारमेशन मंगा लीजिये कभी कठिनाई पड़ जाती है, कभी डीजल सेट की मरम्मत नहीं हुई तो आपके डीजल सेट की मरम्मत का काम सुदृढ़ करें और दूसरी स्कीमें जो कमीशन की हैं व नये डीजल सेट प्राप्त नहीं हुये हैं जो योजनायें बनें उनका सर्वेक्षण करें। गांव को ले लेते हैं पर एक सिरे से दूसरा सिरा 10-12, मील की दूरी पर आता है बीच में ढाणी के जो पाइन्ट हैं उनको छोड़ देते हैं। कोई नीति तय कर लें कि चार मील पर लेंगे। इसमें जन-प्रतिनिधियों को कान्फीडेन्स में लिया जाना चाहिये। सर्वेक्षण करें तो उनके एम०एल०एज० को कान्फीडेन्स में लेकर कि कौन कौन से पाइन्ट उनकी स्कीमों में आये ताकि सारा हिसाब ठीक से बैठ जाय। बाद में सारी स्कीम बिगड़ जाती है इसलिये इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। जो योजना आप बनाते हैं उसमें पशुओं के बारे में ध्यान नहीं देते हैं इसलिये जो योजना बन जाती है वह प्रेक्टिकल योजना नहीं होती है अतः पशुओं के बारे में भी ध्यान दें।

अब मैं चिकित्सा के बारे में कहना चाहूंगा। मैं होम्योपैथिक के बारे में कहना चाहता हूं। हमने बड़ी कोशिश करके बाड़मेर जिले में भारत सेवक समाज की तरफ से होम्योपैथिक अस्पताल खोला है और हम उसमें दवाओं की फ्री व्यवस्था कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री दे रहे हैं और जितने हैडक्वार्टर के अस्पताल हैं उतने भारत सेवक समाज के चल रहे हैं और रोगियों के लिये व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन जो सबसिडी दी जाती है वह केवल साढ़े चार हजार की दी जाती है तो उस सबसिडी को बढ़ाना चाहिये।

दूसरे हमारे यहां टी०बी० के बारे में काफी जोर है क्योंकि आप अखबारों में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पड़ते होंगे लोगों की स्थिति कमजोर होने के कारण बाड़मेर जिले में ज्यादा फैल गई है। टी०बी० क्लिनिक सेपरेट नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हुआ जो अकाल की समस्या है, पी० डब्ल्यू० डी० से भी कहूंगा आपके डिपार्टमेंट में जो करप्शन है और करप्शन का जो एक सिस्टम बन गया है उसको समाप्त करने के लिये सख्त कदम उठायें। जो रोड्स बन रही हैं उसमें मुझे यह कहना है जिस प्रकार हिन्दुस्तान पाकिस्तान की सीमा से लगता है और 1971 का युद्ध हमने जीता है तो जो सेकिन्ड प्रायरिटि रोड्स हैं उनको पहले हाथ में लेना चाहिये और उनको सबसे पहले सम्पूर्ण करना चाहिये और नहीं किया तो हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के संबंध खराब हैं, कभी भी खतरा हो सकता है इसलिये सेकिन्ड प्रायरिटि रोड्स की जो सूची मैंने दी है उसको शीघ्र पूरा करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, सदन के सामने जो मांगें आज विचारार्थ प्रस्तुत हैं उन मांगों को सभापति महोदय, हम इस तरह से बांट सकते हैं कि उनमें से जो चार मांगे ह वे इन्सान की जिन्दगी को जिन्दा रखने के लिये हैं और दो मांगें उसके विकास से ताल्लुक रखती हैं। पहली मांग पीने के पानी का इन्तजाम और दूसरी जिसको मैं नम्बर दो पर गिनता हूं इन्सान के खाने के लिये अनाज जो अकाल की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तीसरी मांग है बीमारी पैदा न हो उसके रोकथाम करने की और चौथी जो बीमारी होगई उसकी चिकित्सा, उसके बाद परिवार नियोजन और विकास की डिमान्ड में सड़क की डिमान्ड महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं इन्सान को जिन्दा रखने के लिये पानी आवश्यक है। पहला नम्बर तो हवा का आता है और दूसरा पीने के पानी का। यह बड़ी अहमियत की मांग है। सभापति महोदय, इसके बिना जिन्दा नहीं रह सकते हैं। जलप्रदाय योजना का जो सवाल है काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने जिले के हालात के बारे में बयान करते हुये बतलाया है। अभी रतनगढ़ की जलप्रदाय योजना के बारे में बतलाया गया उसमें मुझे कुछ कहना है लेकिन समय को खयाल में रखते हुये उसको बताना भी मुश्किल है। हमारे वित्त मंत्री जो, योजना मंत्री भी हैं, वे उसके लिये कुछ वायदा करें और वायदा न करें तो जल्दी से जल्दी कदम उठायें। रतनगढ़ का पानी ठीक है। इसी तरह, सभापति महोदय, मेरा जो क्षेत्र है सादुलपुर, सारे राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन जो मेरे क्षेत्र का सवाल है उस इलाके के अन्दर आज जो आदमी पीने के पानी को मोहताज हो रहे हैं इसलिये दो-तीन योजनायें, सुना गया है कि जल्दी ही कार्यरूप में आयेंगी। एक सुरखड़िया और दूसरी साखो–ये दोनों ही खटाई में पड़ी हुई हैं। सुरखड़िया की स्कीम के लिये यहां तक बात आ रही है, सभापति महोदय, वहां पानी इतना है कि सिंचाई के काम के लिये निकाला जाय तो पीने के लिये नहीं रहेगा इसलिये वहां का विकास अवरुद्ध हो रहा है इसलिये पीने के पानी के लिये ही सही जल प्रदाय योजना लागू करके जो वहां के आदमी हैं उनको मुहैया की जाय। इसी तरह से साखो की योजना है इसके अन्दर खारा पानी है। उनके लिये लिफट योजना भी सिधमुख कैनाल की है। जल्दी से जल्दी उनको लाने की योजना बनाई जाय य समस्या हल हो सकती है। सभापति महोदय,

(श्री मोहरसिंह)

मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि कहने को तो समाजवादी नीतियों पर चलने वाले हैं लेकिन हमारा रुझाव पूंजीवादी स्कीम के लिए है। वह कब स्कीम बनेगी और कार्यान्वित होंगी ? उसमें टाइम लगेगा लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी पीने के पानी का इन्तजाम किया जाये। इसलिए सिधमुख केनाल भी बहुत जल्दी लाई जाये तो मैं समझता हूं कि सिंचाई के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल आ सकती है और पीने के पानी के लिए भी। हमारे इलाके में लोगों को आकर्षण भी है नहरों के प्रति। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर अप्रैल के महीने में सिधमुख केनाल का फैसला पंजाब के साथ हो जाता है तो जल्दी से जल्दी उसकी खुदाई की जाकर उसके काम को पूरा कराया जाये। जिस तरह से हरियाणा में बंसीलाल एक एक महीने में नहरों का इन्तजाम करता है और बिजली का इन्तजाम करता है। इसी तरह से हमारे राजस्थान के मिनिस्टर साहब को भी इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक विकास की स्कीमों का सवाल है बहुत जल्दी वह स्कीम बनाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा इलाका यह चाहता है कि नहरों के काम के लिए मेन पावर इस्तेमाल किया जाये तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए सुरखड़िया और साखों की योजना लेकर जल्दी से जल्दी चालू की जायें तो मैं समझता हूं कि इस इलाके में पीने के पानी का इन्तजाम इस तरह से किया जा सकता है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ पीने के पानी के बाद में अन्न की व्यवस्था का सवाल है। सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सदा अकाल से घिरा रहता है और यहां 10 में से 7 साल अकाल पड़ता है और इसमें दो साल तो भयंकर अकाल पड़ता है। ऐसी सूरत में अब तक हम 27 वर्षों में नहरों का इन्तजाम नहीं कर सके और यही कारण है कि आज हमारे राजस्थान में अकाल पड़ते हैं। यहां पर कहा गया कि एक दिन की बहस हम अकाल के ऊपर अलग रखेंगे। कितने उपहास की बात है कि एक दिन की बहस हम अकाल पर अलग से रखेंगे। सभापति महोदय, 7 महीने पहले जब सदन का सत्र था उस समय भी यह सवाल आया था कि एक दिन की बहस इस अकाल के संबंध में रख लेंगे। उस समय भी हमने विचार किया था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस प्रकार का सवाल करने वाले माननीय सदस्यों से कि 7 महीने में क्या इन्तजाम हमने किया ? कितनों को हमने रोटी दी और रोजगार दे दिया ? 7 महीने में हम वहीं के वहीं पड़े हैं। गांवों के अन्दर थोड़ा थोड़ा काम खोला गया और वही मुख्य मंत्री जी जिन्होंने आवाज लगाई थी कि 7 दिन के अन्दर अन्दर हम अकाल राहत कार्य खोल देंगे तो कहां गये वह वचन और कहां गये वह और आश्वासन कौन कौन से काम खोले गये। चूरू जिले में माननीय सभापति महोदय, सड़कों की हालत को देखिये। दसियों योजनायें अधूरी पड़ी हैं और किसी पर 30 आदमी काम कर रहे हैं तो किसी पर 40 आदमी काम कर रहे हैं। इस तरह से गरीब आदमी जो कि अकाल से पीड़ित है क्या उसका दिल नहीं टूट जायेगा ? कितने दिन वह जिन्दा रह सकेगा ?

सभापति महोदय, 7 महीने पहले यहां खेतसिंह जी ने कहा था कि अकाल का सवाल है आप भी बोलिये। सभापति महोदय, मैं इस बात को भी जानता हूं कि कोरे आश्वा-

(श्री मोहरसिंह)

सनों से कुछ नहीं हो सकेगा। हमने सोचने के लिए 2।। अरब रुपया मिट्टी में उड़ा दिया। कोई प्रॉडक्टिव प्लान नहीं बनाया। आज हमें सुनना पड़ रहा है। एक एक पैसे के लिए हम दुख पा रहे हैं। 10 करोड़ की योजना है और उसके लिए 1।। करोड़ रुपया दिया है तो कैसे काम चल जायेगा इतने बड़े राजस्थान के लिए जो कि अकाल से पीड़ित है। इस प्रकार से इतने पैसे से कैसे काम चल जायेगा? ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सभापति महोदय, इस प्रकार से 7 महीने गुजर जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाये। यहां बैठे बैठे हम कह देते हैं कि एक दिन का टाइम रखें। आपने रखा कितने दिन हो गये इस सदन को चलते हुए। राजस्थान के इलाकों की हालत देखिये। क्या हालत हो रही है? लोग प्राणों के लिए सिसक रहे हैं और हम यहां भोजन करके आराम से बैठे हुए हैं। वो क्या जाने पीर पराई जिसके फटी न बिवाई। आये दिन भूख से मरने वालों के समाचार आते हैं आज दो मर गये, आज एक मर गया। इस तरह से गरीब आदमी मर रहे हैं। मैं साफ तौर से बतलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी जो कि चूरू जिले से ताल्लुक रखते हैं: मैं राजगढ़ तहसील का एक किस्सा बताता हूं। पाकासर एक गांव है उसमें 105 घर हैं जिसमें से 60 घर तो जाटों के हैं, 35 घर हरिजनों के, 4 घर नाइयों के और 6 घर खातियों के हैं। 105 घरों में से हरिजनों की जो हालत है वह बयान करूं तो आंखों में आंसू आते हैं। जाटों के 60 घरों में से 10 घर तो ठीकठाक हैं और 50 घरों की हालत ऐसी नहीं रह गयी है जो कि अपनी खेती से काश्त कर सकें। अखबारों में नहीं आया। लोग सिसक सिसक कर मर गए। चार, चार दिन में भूख से मर गए। चिमना हरिजन मर चुका, आज से 20 दिन पहले लेकिन कोई अखबार में समाचार नहीं आया।

श्री रामरघुनाथ: भूख से मरे हैं?

श्री शंकरसिंह: भूख से ही मरते हैं। रोटी खाते खाते थोड़े ही मरते हैं।

श्री मोहरसिंह: इसी तरह से हरिजनों के घर में बाप और बेटा मर गया दो महीने के अन्दर अन्दर। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है क्योंकि भूख की दावानल है उसके महत्व को समझो। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, आज हालात खराब हैं। दो तीन मौतों का किस्सा और है। एक ही गांव में पांच, छः मौतें हो चुकी हैं दो महीने के अन्दर अन्दर जांच की जायेगी, ऊपर से कलेक्टर का जोर पड़ेगा, तहसीलदार का जोर पड़ेगा, ए० डी० एम० का जोर पड़ेगा, तहसीलदार का जोर पड़ेगा कि यह मत कहना कि भूख से मरे हैं। कह देना कि बीमारी से मरे हैं। इस प्रकार से सारी चीजें सामने आ रही हैं। सभापति महोदय, हालात इस किस्म के हैं। जिनके पास छः महीने और बारह महीने का अनाज पड़ा रहता था उनकी भी हालत खराब है। आज हालत यह है कि खाने के लिए अनाज उनके पास कतई नहीं है। रोजगार खोले नहीं जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या यह भी किसी के ऊपर एहसान है कि आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास कुर्सी है, जब आपके पास हुकूमत है और आप उसके मालिक हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपको जनता को रोटी देनी पड़ेगी, जनता को काम देना

(202)

(श्री मोहरसिंह)

पड़ेगा। अगर आप यह नहीं दे सकते तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह से समाजवाद पर चलने वाली सरकार को कोई हक नहीं है कि कुर्सी पर बैठें इसलिए मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि अकाल की विभीषिका दिनों दिन बढ़ती जाती है। एक एक दिन की देर करना लोगों को मौत के मुंह में धकेलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अकाल के लिए जितना भी कहा जाय और मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन समय की घण्टी को मैं सामने देख रहा हूं बीच में आप टोकेंगे इस कारण से जो एक एक घण्टा बोलते हैं उनको आप बीच में रोक देते हैं लेकिन मुझे आप बीच में रोकें यह मुझे गवारा नहीं होता है इसलिए मैं एक दो बातें ही और कह देना चाहता हूं। वास्तव में ही अकाल की भयंकर समस्या है। इस अकाल की समस्या को हमारे माननीय मंत्रीजी को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए और इसकी बहानेबाजी नहीं करना चाहिए कि एक दिन और रखेंगे, डिस्कशन करेंगे। 33 दिन हो गए डिस्कशन करते हुए, 33 दिन में कुछ नहीं किया। सात महीने पहिले डिस्कशन हुआ था इसी असेम्बली में पिछले सत्र में लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं किया। आज सात महीनों से डिस्कशन कर रहे हैं और पिछले 33 दिनों से यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, रोजाना सवाल हो रहे हैं, रोजाना एडजोर्नमेंट मोशन यहां पर लाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है? अकाल की हालत से लोग बहुत दुखी हैं। सात महीने पहले जब यह अधिवेशन समाप्त हो गया तो मैंने स्वयं ने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा था और उनको बताया था कि अकाल की विभीषिका से मीट करने के लिए सत्राहवान किया जावे लेकिन यह आवाज नक्कारखाने में कौन सुने। इसके बाद किसान संघर्ष समिति ने सारे राजस्थान में आन्दोलन चलाया, बूंदी में चलाया, कोटा में चलाया, अलवर में चलाया, चूरू में चलाया, बाड़मेर में चलाया। जगह जगह गंगानगर में चलाया। आज उसकी बात हो रही है परसरामजी मदेरणा से संघर्ष समिति की और 24 तारीख को किसानों का, मजदूरों का अकाल राहत कार्यों के लिए, अनाज देने के लिए जगह जगह सारे इन्तजामात करने के लिए 24 तारीख को 40 हजार लोगों का मजमा यहां इकट्ठा होगा, किसी तरह से सुनें, किसी तरह से उनके कान पर जूं रेंगे या मिनिस्टर साहब के लगे। धन कहां से आये यह आपको देखना है। केन्द्र को देखना है। आप महसूस कर लें और जान जायं इस बात को बताने के लिए 24 मार्च को हजारों लोगों का मजमा यहां आएगा, आपके सामने पिटीशन रखेगा पांच लाख दस्तखतों का कि हालत यह है राजस्थान की। लेकिन मैं उनसे पहले कह देना चाहता हूं कि हमारी संघर्ष समिति की बातचीत चालू है, टूटी नहीं है। इसलिए आपको आगे का प्रोग्राम झूठा बता दूं, गलत प्रोग्राम बता दूं या उसका यहां इजहार कर दूं यह उचित नहीं है। मैं तो इस समय यहां पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान की जनता बेहद दुखी है। आप उसको भुला नहीं सकते। आप काम नहीं करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान की जनता दुखी नहीं है। वे आज बोल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुखी नहीं हैं। अगर वे बोल नहीं सकते तो हम किस लिए हैं? हम लोग अगर उनकी सही हालत का दिग्दर्शन नहीं करते तो मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, महानुभावों से भी कहना चाहता हूं

(श्री मोहरसिंह)

कि क्या हम जनता के साथ भला काम कर रहे हैं, क्या हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं ? वास्तविक स्थिति का दिग्दर्शन हाउस में नहीं रखते तो मैं समझता हूं कि अपना फर्ज अंजाम नहीं देते हैं। इसलिए मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि एक दिन की भी देरी नहीं करके अकाल के मसले पर विचार करना चाहिए और एक दिन की भी देरी किए बगैर राहत कामों को शुरू कर देना चाहिए। अगर काम शुरू नहीं करते हैं, एक दिन के लिए भी खाने का इन्तजाम नहीं करते हैं कि वह जिन्दा रह सकें तो यह जनता के साथ बड़ा भारी धोखा होगा। जनता के बारे में इस प्रकार से अगर हम नहीं सोचें तो बड़ी गद्दारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, अकाल के मसले पर दो शब्द कहना चाह रहा हूं। इसके लिए कितनी ही मिसालें दी जा सकती हैं, कितना ही कहा जा सकता है। हर इलाके में यही हालत है। लोग पेड़ों की छालें उतार कर खा रहे हैं, लोग लूंग में मिला मिला कर पेट भर रहे हैं। जो लाल ज्वार धतूरा मिला कर देते हैं उससे लोग बीमार हो रहे हैं। हालत यह है कि बिल्कुल मजदूरी नहीं है। ऐसी हालत में अकाल की भीषणता, तांडवता, भयंकरता महसूस करना चाहिए और इसके लिए एक दिन भी आगे नहीं बढाते हुए तुरन्त अकाल के काम शुरू कर देना चाहिए। अगर हम अकाल के मसले को हल कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस विधान सभा का काम पूरा कर लेते हैं। यह सबसे अहम समस्या है, मुख्य समस्या है जिसके आगे हमारे सारे कानून दरगुजर हो जाते हैं इसलिए सबसे पहले इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके कुछ तरकीब निकालनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हमारे वित्त मंत्री महोदय के साथ विपक्ष के साथी भी सब तैयार हैं। जहां हम यह प्रस्ताव मंजूर करते हैं कि इन्दिराजी हजार वर्ष तक जिन्दा रहें, उन पर कोई आंच नहीं आवे। अगर उन पर हमले की कोई कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि हमारे प्राणों को हर रहा है ऐसा दुष्ट आदमी। जहां यह भावना हम व्यक्त कर रहे हैं वो इसके साथ ही देश की माताओं के लाल बरस 2 कर मर जायं, जहां उनको यह दिन देखना पड़े तो हम इसके लिए भी उनको जाकर कह सकते हैं कि राजस्थान को कुछ देओ, अगर राजस्थान को कुछ नहीं दे सकते तो यह राजस्थान के साथ हमारे साथ में सौतेला व्यवहार है। हमें उनको यह भी साफ साफ कह देना पड़ेगा। श्रीमानजी आप भी कह रहे हैं और हमें भी कहना पड़ेगा (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) मैं समझता हूं कि ये काफी कड़े शब्द हो सकते हैं लेकिन दुखके साथ अच्छे शब्द नहीं निकल सकते, यही शब्द निकलेंगे राजस्थान की इस हालत को देखते हुए। भूख से मायूस बच्चों की आंतड़िया निकल रही हैं, खाने को कुछ नहीं है...

श्री रामगोपाल : इनका भाषण तो रबड़ की तरह लम्बा होता जा रहा है।

श्री मोहरसिंह : जी ?

श्री रामगोपाल : भाषण रबड़ की तरह बढ़ता जा रहा है।

श्री गोपाल जोशी : सभापति महोदय, इनको काफी समय हो गया है।

श्री सभापति : जितना पार्टी को टाइम मिलना चाहिए उतना ही दे रहा हूं।

श्री मोहरसिंह : अकाल से ज्यादा भयंकर कोई चीज नहीं हो सकती।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह : दूसरी चीज मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं वह है बीमारी पैदा होना। यह बीमारी पैदा होने का विभाग है जल व्यवस्था का विभाग। आपको मालूम है और सब इस बात को जानते हैं कि राजस्थान की तीन बीमारियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है नाहरू रोग जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चला जाता है। दूसरा है रोहे की बीमारी, जो आंखों में रोहे की बीमारी होती है। इसके अलावा तीसरी बीमारी है मलेरिया की। कई महीने हो गए, मैंने चरू की चर्चा करते हुए कहा था कि श्रीमान डी० डी०टी० जल्दी भेजिए, मलेरिया फैल रहा है लेकिन आज तक कोई इन्तजाम नहीं है। बीमारी आज हो रही है लेकिन मैं कहता हूं कि बीमारी फैलने से पहले ही रोक दिया जाय, यह उपयोगी काम है, जिस पर आपको विचार करना चाहिए।

इसके साथ चिकित्सा विभाग में, सभापति महोदय, पांच हजार आदमियों के ऊपर एक डाक्टर की औसत है, पांच हजार और इक्यावन के ऊपर लेकिन हमारे राजस्थान के अन्दर तो वह भी बारह हजार के ऊपर एक डाक्टर। श्रीमान् इसके अलावा हमारे यहां पर पांच सौ, छः सौ डाक्टर हर साल तैयार होते हैं उनके रोजगार की कोई योजना नहीं है। वह भी बेकार फिर रहे हैं। इसके साथ साथ में अस्पतालों की जैसी हालत है यह तो सर्वविदित है। किस प्रकार की गरीबों की हालत है, दवाईयों की क्या हालत है, पट्टियों की क्या हालत है, किस प्रकार से बीस बीस वर्ष में आबादी बढ़ती जा रही है जयपुर और दूसरी सब जगहों पर और बीस वर्ष में उनकी हालत वैसी ही है। इसलिये चिकित्सा से संबंधित हमारे माननीय मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद, सभापति महोदय, सवाल आता है परिवार नियोजन का। यह तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री मोहरसिंह : यह धतुरा मिला ज्वार देकर जिस प्रकार लोगों को मारा जा रहा है उससे तो साल दो साल में अपने आप ही परिवार नियोजन हो जाएगा। इसके बाद, सभापति महोदय, आखिर में मैं रखना चाहूंगा रोड्स के संबंध में। सभापति महोदय, वास्तव में हमारे इलाके के साथ, वैसे तो सारे चूरू जिले के लिए ही है लेकिन मेरे इलाके का जहां तक ताल्लुक है मैं समझता हूं कि सात और सात चौदह कोस, यानि 22 मील की सड़क राजगढ़ तहसील में श्रीमान पड़ती है, उसके बाद नेशनल हाईवे दिल्ली से बीकानेर जाता है लेकिन राजगढ़ को न्यारा रख दिया। यही बात पिलानी की है जिसमें हम 22 मील का टुकड़ा मान सकते हैं, वह टुकड़ा है। इतनी बड़ी तहसील जिसमें बीकानेर की जनता ने अहम रोल अदा किया स्वतंत्रता सेनानी इस बात को जानते हैं। जब भी मौका पड़े सैनिक आदमी देने में सबसे अव्वल नम्बर पर, पहले नम्बर पर और उसी जगह की इतनी नेग्लीजेंस बरत रहे हैं सड़कों की सुविधा के संबंध में। इसके अन्दर गड़बड़ी के बारे में, भ्रष्टाचार वगैरा के संबंध में मैं इस समय नहीं कहता हूं क्योंकि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, इसलिए जल्दी जल्दी में इतने ही शब्द आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि इन बातों पर हमारे संबंधित मंत्री महोदय विचार करें और जल्दी से जल्दी जो सबसे अहम सवाल है इलाके का, जो

(श्री मोहरसिंह)
बहुत अहम सवाल है, जनता दुखी है, दुख के भट्टे में जा रही है, अकाल की समस्या पर एक दिन की देरी किए बगैर आप राहत कार्य प्रारम्भ करें और जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अमृतलाल गहलोत, अगर आपको आपत्ति न हो तो शंकरसिंहजी को अवसर दे दूं। उनकी तबियत ठीक नहीं है।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं एक कटौती प्रस्ताव ....

श्री जान मोहम्मद खां : मैं भी बीमार आदमी हूं, मुझे भी पहले मौका दिया जावे।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरी भी तबियत ठीक नहीं है ....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे : अश्रव्य)

श्री सभापति : मैं निवेदन करता हूं माननीय सदस्यों से, शायद आप सहमत होंगे कि जो सूची मुझे आपके मुख्य सचेतक महोदय ने दी है मैं उसी क्रम से चल रहा हूं। उस क्रम के अन्दर जो परिवर्तन करना हो तो आप मुख्य सचेतक महोदय से करायें या आप मुझे मौका दें कि मैं अपना डिस्क्रेशन यूज करूं।

श्री किशोरीलाल शर्मा : सूची में मेरा नाम है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी, ...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे : अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ... आर्डर प्लीज।

श्री गौरीशंकर मुनीम : आर्डर प्लीज तो मान रहे हैं, पहले टाइम तो बता दें। मेरा नाम भी इसमें है।

श्री सभापति : मेरे पास कोई लिखकर नहीं आये हैं।

श्री गौरीशंकर मुनीम : लिखकर कैसे नहीं आया, मैंने दिया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, मेरे पास ऐसा कोई लिखकर नहीं आया है।

श्री शंकरसिंह।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमारे सचेतक महोदय ने भी सूची दी है उसको भी आप ध्यान में रख लें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शंकरसिंह रावत।

श्री गोपाल जोशी : जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले समय दिया जाये।

श्री सभापति : आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जायगा।

एक माननीय सदस्य : इनका नम्बर पहले आ जायेगा। ....

श्री शंकरसिंह रावत : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से यह जो बजट संबंधी मांग प्रस्तुत की गई है ...

श्री गौरीशंकर मुनीम : जानबूझ कर आप नहीं बता रहे हैं। उन्होंने परची पर लिख कर भेजा है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नोट करें। जो कुछ भी कह रहा हूं, सोच समझ कर कह रहा हूं ....

श्री गौरीशंकर मुनीम : आप ठीक नहीं कह रहे हैं। गलत बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मैंने जो भी कहा है, सोच समझ कर कहा है। मैं आशा करता हूं, आप बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं, ऐसी बात न कहें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरा .... (शोरगुल) ...

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरे नाम की पर्ची है, मुझे दिखा दीजिये .. (शोरगुल) .. वरना मैं जाता हूं ....

श्री सभापति : शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत : सभापति महोदय, राजस्थान में स्वास्थ्य ...

श्री गौरीशंकर मुनीम : आप जानबूझ कर इन्कार कर रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं ..

श्री गौरीशंकर मुनीम : मैं जाता हूं। यह लीजिये।

श्री सभापति : यह पर्ची है। मुख्य सचेतक महोदय ने लिखा है, वह पढ़ कर सुना देता हूं। इसमें लिखा है, ...

श्रीमती सुमित्रा : यह जरूरी नहीं है पढ़ कर बताना ....

श्री सभापति : "इनको कृपया अवश्य ही समय दिरावें।" माननीय सदस्य कम्पेल नहीं कर सकते। यह आक्षेप है। ... (शोरगुल) आर्डर प्लीज। ....

श्री शंकरसिंह रावत : सभापति महोदय, मेरे आज की मांग के संबंध में कटौती प्रस्ताव हैं। उन पर मुझे निवेदन करना है। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं तो 1950-51 के बजट में 1 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान था वहां वर्ष 61-62 में यह राशि 3 करोड़ 92 लाख थी वर्ष 72-73 में यह बढ़कर 16 करोड़ रखी गयी, वर्ष 73-74 में यह 20 करोड़ 34 लाख रखी गयी और 75-76 के वर्ष में आपने इस बजट में 20 करोड़ 38 लाख रखी है। इस तरह स्वास्थ्य सेवाओं में हम देखते हैं उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया है। मैं सिर्फ, सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। नसीराबाद केन्टोनमेंट बोर्ड है। वहां पर केन्टोनमेंट का अस्पताल है। बोर्ड ने इसको राज्य सरकार को दिया है। मुख्य मंत्री महोदय ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अनाउन्समेंट कर दिया है। राज्य सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि राजस्थान सरकार ने वह अस्पताल ले लिया है। इसके संबंध में मेरा निवेदन है नसीराबाद के अन्दर एक छोटा सा यह अस्पताल है। वहां पर केन्टोनमेंट बोर्ड है। वहां पर कोई विशेषज्ञ न होने से लोगों को अजमेर भागना पड़ता है। जनता को असुविधा होती है। यही नहीं, सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिये था, लेकिन वहां पर एक डाक्टर साहनी हैं। वे

(श्री शंकरसिंह रावत)

इस केन्टोनमेंट हास्पिटल में दस साल से चले आ रहे हैं। केन्टोनमेंट बोर्ड ने यह प्रस्ताव रखा था कि राज्य सरकार इस अस्पताल को ले ले ताकि यह डाक्टर यहां से हट सके। राज्य सरकार ने हास्पिटल को ले लिया। लोगों को भी यह आशा थी शायद यह डाक्टर यहां से हट सके। सभापति महोदय, दस साल से डाक्टर रह रहा है। यही नहीं, यह बात मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को मैंने स्वयं ने कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं ने ही अपनी स्पीच में कहा था एक आदमी एक ही स्थान पर बैठा रहे तो वहां उसके वेस्टेड इन्टरेस्ट डवलप हो जाते हैं। इस प्रकार उसको सब जगह रखने से मदद मिलेगी। यही नहीं, सभापति महोदय, आज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले जब वे विधायक थे तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, –"मंत्री महोदय, हमारी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको सक्षम होना चाहिये और आप इस भ्रष्टाचार के रोग को दूर कर इस मेडिकल विभाग को एक नया रूप दें"। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह निवदन करना है कि जिस डाक्टर को वहां का नगर नहीं चाहता, वहां की नगर कांग्रेस कमेटी नहीं चाहती, वहां का विधायक नहीं चाहता, उसका ट्रान्सफर किया गया लेकिन किसी कारणवश वह ट्रान्सफर कैंसिल हो गया। अब वह डाक्टर कहता रहता हैं, देख लो क्या कर लिया मेरा। इस प्रकार ट्रान्सफर कैंसिल होते हैं तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है जनता में गलत बातें फैलती हैं। दस साल तक वह डाक्टर वहां पर बैठा रहता है। जनता तंग है और वह फर्जी बिल बनाता है। वह पी०एस०सी० से सिलेक्टेड नहीं है परन्तु चूंकि वह केन्टोनमेंट हास्पिटल के साथ आया है, उसको राज्य सरकार ने अपनी सर्विसेज में ले लिया। परन्तु अब राज्य सरकार को यह देखना चाहिये। मैं समझता हूं, इस डाक्टर के ट्रान्सफर के सिलसिले में मंत्री महोदय अपने उत्तर में घोषणा करेंगे या यह आश्वासन देंगे कि ऐसे डाक्टर का ट्रान्सफर अवश्य ही कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, अजमेर में एक सीताराम डाक्टर है। 7-1-75 को एक औरत की मृत्यु हो जाती है डाक्टर को फीस नहीं देने के कारण। 24 घंटे तक लाश पड़ी रही, पोस्टमार्टम नहीं हो पाने के कारण। पुलिस यह कहती है कि हमें इसकी इन्क्वायरी नहीं करना है। पंचनामा करके सौंप दो। डाक्टर सीताराम की लापरवाही के कारण इस औरत की मृत्यु हुई। 24 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। यह डाक्टर की लापरवाही है। मंत्री महोदय को इस पर कार्यवाही करना चाहिये। जांच करना चाहिये।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, औषधालय को अपग्रेड कर दिया गया किन्तु आज तक वहां पर नर्स नहीं भेजी गयी है। एक बार वहां पर मंत्री महोदय पधारे थे तो निवेदन किया था। उस गांव में 100 हरिजन परिवार रहते हैं। आज तक नर्स नहीं भेजी गयी है।

परिवार नियोजन की बात है। वहां पर शिक्षाप्रसार अधिकारी का पद रिक्त है। आज तक वहां पर कर्मचारी नहीं पहुंचा है। आपने इन्सपेक्टर का कोटा निर्धारित कर रखा है इतनी नसबन्दी के केस देने होंगे। इनको वेतन नहीं मिलता है। वेतन रोक दिया जाता है। सभापति महोदय, नसबन्दी के लिए प्रचार होना चाहिये। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। यह बड़ा टेड़ा काम है। अभी तो मंत्री महोदय ने भी

(श्री शंकरसिंह रावत)
नसबन्दी नहीं करायी है। वे भी आ जाएं तो पांच केस नहीं ला सकते ....

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने तो करा ली है ?

श्री शंकरसिंह रावत : मैंने तो 62 में ही करा ली है। ....

श्री मोहनलाल छंगाणी : तो आप अनुभव के साथ कह रहे हैं ....

श्री शंकरसिंह रावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन के इन्स्पेक्टर के लिए, नसबन्दी कराने का जो कोटा निर्धारित आपने कर रखा है, एक महीने में पांच केस, यह वे नहीं दे सकते। एक दोस्त को भी कहें, आपरेशन करवालें तो वह भी इसके लिए जल्दी से तैयार नहीं होगा यह राष्ट्रीय योजना है। यह जरूर होना चाहिये। इससे देश की आर्थिक दशा सुधरेगी, समृद्धि होगी। लेकिन यह पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कि इतने केस होने चाहियें। हां अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजना में जो कोटा पाबन्दी आपने लगायी है उस पाबंदी को आपको हटा देना चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 12 तारीख को एक महिला को आपरेशन के लिए अजमेर ले जाया गया। नारू तेली की वह औरत थी। उसकी वहां पर मृत्यु हो गयी। यह कैसे हो गई ? क्या आपरेशन बिगड़ गया या और कुछ ? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे ? मैं समझता हूं कि इसका राज खुलना चाहिये। डाक्टर की लापरवाही के कारण इसकी मृत्यु हुई है। ऐसे केसेज बिगड़ जाने से लोगों के मन में एक डर अस्पतालों के प्रति पैदा हो जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय कम से कम जो इस प्रकार की लापरवाही बरत रहे हैं उनके विरुद्ध एक्शन तो लें और डॉक्टरों को सजग रहने के लिए कहें।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि डाक्टर झूठे मेडिकल बिल बनाते हैं। इससे राजस्थान की धनराशि का दुरुपयोग होता है। इस प्रकार के झूठे मेडिकल बिल को रोका जाना चाहिये। इस पर सरकार को सोचना चाहिये। यह तथ्य है। कई लोगों के सामने झूठे मेडिकल बिल बनायें जाते हैं। अगर कोई आदमी छुट्टी पर जाता है, छुट्टी नहीं मिलती है तो मेडिकल लीव पर चला जाता है और मेडिकल लिव पर रहते हुए वह घूमता रहता है। इस तरह से जो मेडिकल लीव लेते हैं और घूमते रहते हैं उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिये। ऐसे आदमी को पकड़ा जाए और उसको सस्पैन्ड करना चाहिए। इसके सिवाय मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों के अन्दर जो पोषाहार कार्यक्रम बनाये गये हैं तो जो पाउडर वगैरह जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ पकोड़े वगैरह बनाने के लिए दिये जाते हैं वह इस प्रकार से खराब आटा मिलता है। यह ठीक है कि गांवों में पोषाहार कार्यक्रम की स्थापना करना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं इस पर अधिक नहीं कहता हुआ इतना जरूर निवेदन करूंगा कि पी०डब्ल्यू०डी०, लोक-निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कि लोक-निर्माण

(श्री शंकरसिंह रावत)

विभाग एक ऐसा विभाग है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते । वह तो हमें सीधा परलोक लेजाने की कोशिश कर रहा है । मंत्री महोदय स्वयं भी जानते हैं कि कितनी भी कोशिश की गई आज तक और हर डिपार्टमेंट पर अंकुश लगा है लेकिन पी०डबल्यू०डी० के ऊपर कोई भी मंत्री महोदय पूरी तरह से काबू नहीं पा सका है, और नीचे से लेकर ऊपर तक इनका 10 पर्सेन्ट बन्धा रहता है और हर काम में । जो सड़कें बनी हैं, अगर मंत्री महोदय देखेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लास्ट इयर में जितने अकाल राहत कार्य किये गये हैं और कितनी ही पुलियाएं बनी हैं तो जो मुरड़ डाली गई है तो ट्रक के ट्रक जगह जगह खाली कर दिये गये हैं । वह इसलिए कर दिये गये हैं कि बिल नहीं बनेंगे और हम बिल नहीं बना सकेंगे । सभापति महोदय, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोड्स एक तरफ बन गई और मुरड़ डालने की बात अच्छी की जाती है तो सड़क के ऊपर इस प्रकार की लापरवाही की जाती है तो गाड़ियां जो निकलती हैं उनमें इतना उतार-चढ़ाव आता है । ट्रक के ट्रक सड़कों पर खाली कर दिये गये हैं ।

यही नहीं नसीराबाद में कॉलेज की जो बिल्डिंग बनी है वह बन कर तैयार नहीं हुई कि एक साल के बाद ही उसमें दरारें चल गई । मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न किया था उसमें लिखा है कि दरारें जरूर आई हैं। अकबर बादशाह के समय की बनी हुई मस्जिद मीनारों में दरारें नहीं आई और पी.डब्ल्यू.डी. की बनी हुई बिल्डिंगों में 6 महीनों में ही दरारें आ जाती हैं । उनके पास क्या मसाला था । आजकल तो आर०सी०सी० वगैरह करते हैं, लेकिन वह जाता कहां है लोहा ? वह उनके घर में जाता है, सीमें उनके घर जाता है । मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का बताऊं कि वह रिश्वत भी खाते थे लेकिन जिस समय एस्टीमेट बनाते थे तो जो कॉस्ट होती थी कि कितने लाख की बिल्डिंग है तो वह पूरी लागत की होती थी । उनको खाना होता तो अलग से खाते थे । लेकिन आज तो उसमें से ही खा जाते हैं । सभापति महोदय, अगर आज आप ब्रिटिश साम्राज्य की बिल्डिंगों को हटाना चाहें या सड़क की पुलियाएं बनाना चाहें तो आज जो नई पुलियाएं बन रही हैं उतना खर्च तो पुरानी पुलियाओं को तोड़ने में लग रहा है ....

एक माननीय सदस्य : अलग से खाने की बात है ।

श्री शंकरसिंह रावत : सड़कों पर फ्लोरिंग का पटाब डालते हैं तो वह टूटती क्यों हैं ? वह इसलिए कि 3 इंच की डालते हैं जब कि 6 इंच की डालना चाहिए । उस कारण से एक दफा भी ट्रक निकल गया तो टूट गई । तो, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि आप इसको काबू में नहीं ला सके हैं । अगर कोई कहता है तो वह सही है क्योंकि धुआं वहां पर उठता है जहां पर आग है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रयास करें । आप मंत्री महोदय हैं और कोई मंत्री यह नहीं चाहेगा कि उसके विभाग में किसी प्रकार की खराबी आये । लेकिन जितनी तेजी से स्कीम निकलती है तो उसमें तेजी रहती है लेकिन एक साल के बाद ठप्प हो जाती है । ठेकेदारों के जितने धन्धे हैं वह आप जानते हैं । उनके पूरे बिल पास नहीं होते हैं । पता नहीं क्या बन्धा हुआ है । बन्धा हुआ नहीं देने से बिल पास नहीं हो रहे हैं । इस प्रकार की बातें नहीं

(श्री शंकरसिंह रावत)
होनी चाहिए। अगर आप जांच करें तो मैं निःसंकोच होकर कह सकता हूं कि जो वहां का ओवरसियर होता है वह दूसरे विभाग के कर्मचारियों से कहीं अच्छा रहता है। वहां पर एक ओवरसियर मेट्रिक्यूलेट भी बन जाय तो मैं समझता हूं कि कई आइ०ए०एस० के बराबर प्रापर्टी बना लेता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि मैं मौका नहीं देता हूं। आपने घंटी बजा दी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से बड़ा दुःख होता है। पैसा साधन है साध्य नहीं। इससे कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कल ही हमारे एक माननीय साथी का देहावसान हो गया तो क्या धन उनके साथ चला गया? ठीक है आप अपनी मेहनत से कमायें। स्वार्थी की हालत खराब होती है। सभापति महोदय, हाथ में खाज चलती है तो क्या कहते हैं कि पैसा आयेगा। कोई यह कहता है कि सिर में खाज चलती है तो जूते भी पड़ सकते हैं। आपका विभाग इस प्रकार का धंधा करता है तो नतीजा उलटा होता है। सरकार की नहीं जनता की आवाज पर निर्भर करता है कि सरकार का प्रशासन कैसा है। जनता की इच्छाओं की पूर्ति आपको करनी चाहिए।

अकाल के लिए अधिक नहीं बोलता हूं क्योंकि अकाल के लिए जैसी राजस्थान की परिस्थिति है उसके लिए समय मिलेगा तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो विभाग आपके हाथ में है जहां तक आपका प्रयास हो उसको ठीक करें। माननीय सदस्य कहते हैं कि खेजड़ी के छोलटे खाये हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में दो अकाल पड़े थे एक तो छपन्या का और कांग्रेस के शासनकाल में 7-8 अकाल पड़े तो छपन्या में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के समय में लोगों ने खेजड़ी के छोलटे खाये थे तो मर गये इतने आदमी और इन अकालों में एक भी नहीं मरा। सिर्फ आलोचना करते हैं क्योंकि आलोचकों का स्मारक कोई नहीं बनता है। सही बात कहेंगे तो भी गलत कहेंगे आप सच्चाई की बात पर आजायेंगे तो उलटी बात करने लग जायेंगे। आज खेजड़ी के छिलके कौन खाता है? आज गांवों में जायं तो छाछ के लिए कोई नहीं कहेगा और चाय के लिए आपसे कहेगा कि चाय आपको पीनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि आप अकाल के संबंध में, हैल्थ के संबंध में जो निवेदन किया है और डाक्टर साहनी के संबंध में आपसे निवेदन किया है, मैं बारबार आपको कहता नहीं लेकिन आप इस बारे में जरूर आश्वासन दें कि आप इमीजियेटली इसका ट्रान्सफर करें। वहां की जनता नहीं चाहती है। उस बिल्डिंग को देने का कारण है उसको हटाने का।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सड़कों के बारे में कई बार इस सदन में बोल चुका हूं। जितनी सड़कों की अवहेलना इस राजस्थान सरकार ने की है वह शायद ही किसी राज्य सरकार ने की होगी। नतीजा क्या हुआ है कि हम देश भर में पीछे रह गये हैं। जिस रफ्तार से दूसरे राज्य बढ़े हैं उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे रह गये है और हमारे बीच का अन्तर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

बढ़ रहा है। पांचवीं योजना का एप्रोच बना था दृष्टिकोण, उसमें राज्य सरकार ने पक्की सड़कों के अलग आंकड़ें दिये थे कि विभिन्न राज्यों में कितनी सड़कें पर हन्ड्रेड किलोमीटर में है–कैरल 50, तामिलनाडू 33, कर्नाटक 20, वेस्ट बंगाल 18, पंजाब 16, हरियाणा 14, आन्ध्र प्रदेश 12, महाराष्ट्र 11, उत्तरप्रदेश 9, गुजरात और बिहार 8, मध्यप्रदेश और उड़ीसा 6, राजस्थान 5, आसाम 4, जम्मू-कश्मीर और नागालैण्ड 2, पक्की सड़कों को लें तो 33 हजार किलोमीटर सड़के हैं, अर्थात् राजस्थान में सब तरह की सड़कें कुल मिलाकर 10 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर आती हैं। दूसरी तरफ उदाहरण पर जाते हैं तो मैं कम्पेयर करता हूं मैसूर यानी कर्नाटक से। कर्नाटक की आज जनसंख्या 150 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है और राजस्थान में है 75 पर्सन्स। कर्नाटक से राजस्थान को कम्पेरिजन किया जाय तो दुगुना होता है। हमारे यहां पर 5 किलोमीटर और कर्नाटक में 20 किलोमीटर होता है। अगर इसको वेटेज दिया जाय 50 पर्सेन्ट फार दी पोपुलेशन एण्ड 50 पर्सेन्ट फार दी एरिया तो कर्नाटक के स्तर पर आने के लिए हमें 15 किलोमीटर चाहिए। मैसूर भी एक देशी रियासत थी। मैसूर ने क्यों तरक्की की ? एक विशेष परिस्थिति के कारण। वहां पर एक महान से महान् व्यक्ति हुआ। वह इन्जीनियर था, चीफ इन्जीनियर हुआ और बाद में दीवान बन गया। उनका नाम है भारतरत्न विश्वेश्वरैया। 102 साल की उम्र प्राप्त करके वे स्वर्गवास हुए। वे मैसूर के एक गरीब गांव से निकले थे। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पाये और 1910 में रिटायर होगये गवर्नमेन्ट से। जवाई प्रोजेक्ट जो है वह उन्हीं का प्लान है। यह स्वर्गीय जयनारायणजी व्यास ने कहा था पहले। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे यहां पर यह है कि प्रशासन में टेक्निकल कार्य करने वालों का काफी अभाव है। साइन्टिस्ट, इन्जीनियर्स और टेक्नोलाजिस्ट्स को अगर हम पालिसी मेकिंग में साथ में लेंगे तो हम ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं, और यदि उनकी अवहेलना की गई तो मैं कह सकता हूं कि हम प्रगति नहीं कर पायेंगे मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय और राज्य सरकार से नम्र निवेदन है कि इन्जीनियर्स को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर सचिव के पद पर उनका चयन किया जाय। उनका एक्सपीरियन्स बहुत गहराई का होता है टेक्निकल मामलों में और उनकी सूझ-बूझ बड़ी कारगर होती है। विलय के पश्चात हर योजना के साथ न्याय किया जाये। प्रथम योजना में 54 करोड़। पूरे व्यय का 10 प्रतिशत आता है। दूसरी योजना में 105 करोड़। पूरे व्यय का 9 प्रतिशत। तृतीय योजना में 213 करोड़। पूरे व्यय का संचार पर व्यय 5 प्रतिशत। त्रिवर्षीय योजना में 133 करोड़ का संशोधन कर दिया गया। यानी जो कुछ नया है। चतुर्थ योजना में 317 करोड़ खर्च किया गया। उसमें से सड़कों पर 9.50 करोड़। पिछले वर्ष योजना मन्त्री से पूछा गया उन्होंने 95 करोड़ की वार्षिक योजना बताया है अर्थात् 1 करोड़ 21 लाख का खर्चा 1.7 पर्सेंट योजना का पहुंच गया। प्रथम योजना में जहां 10 पर्सेंट था वहां इतना कम होगया है। तो यह नयी सड़कों के निर्माण में यह हाल होगया है मरम्मत का हाल बुरा है। यह राशि 74-75 में 5.9 करोड़ रुपया लगी है। यहां पर दोनों मन्त्री महोदय हैं

Page No 212

(212)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

उनको ध्यान हो सकता है। 31 दिसम्बर 73 के बाद दूसरे ही दिन सुबह होते ही पैट्रोल का दुगुना भाव होगया।। ज्यों ज्यों पेट्रोल का भाव बढ़ता जायेगा हम मरम्मत का व्यय कम कर नहीं सकते हैं। नई सड़कें बना नहीं सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक योजना देता हूं। यह 25 करोड़ की योजना है। 9 करोड़ तो बजट में हैं। 16 करोड़ कहां से आयें। वित्त मन्त्रीजी पधार गये हैं। 5 करोड़ रुपया मैंने वित्त मन्त्रीजी को कृषि उपज मण्डी से बताया। 5 करोड़ का प्लानिंग सड़कों के लिए दे दिया जाये। पंजाब और हरियाणा मंडी फीस से सड़कों का विकास करते हैं। राजस्थान में 1 लाख 42 हजार मोटर गाड़ियां हैं। उनसे रोड एवं पैसेन्जर टैक्स 15 करोड़ प्राप्त होता है। ट्रक वाले चलते हैं। वह कहते हैं कि टैक्स भले ही और बढ़ा दें। लेकिन सड़कें ठीक करदें उनसे 5 करोड़ अतिरिक्त कर से मिल सकता है। 5 करोड़ की मार्जिन मनी से प्राप्त हो सकते हैं। माइनिंग आपरेटर हैं, वह अपनी रायल्टी का अधिक पैसा देने के लिए तैयार हैं। इस तरह एक करोड़ रुपया प्राप्त हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं अब शहरों के बारे में कह दूं। राजस्थान सरकार ने घोर अन्याय किया है 35 लाख रुपया जयपुर को देकर। यह गुलाबी नगरी है। क्या गुलाबी नगरी है? उस औरत की तरह से गुलाब नगरी है जो अपने रूप और सौन्दर्य को बनाने की कोशिश करती है। उसके लिए मेकअप करती है। यह जयपुर का गुलाब रंग यह मेकअप सब धुल जाती है। जोधपुर के पत्थरों का रंग प्राकृतिक है, कुदरती है। उसके लिए 6 लाख रुपया दें। और वह भी दो लाख रुपया काट कर दूसरे को दे दें। यह आपने मेहरबानी की। मैं कई बार भिक्षापात्र लेकर मन्त्री महोदय के पास गया हूं। मुझे मांगने में शर्म नहीं। आपको देना पड़ेगा। अब की आप को देना पड़ेगा। नहीं तो मेरे को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अब की मैं खाली नहीं जाऊंगा। चिकित्सा मन्त्री जी चले गये हैं। चिकित्सा के बारे में निवेदन करता हूं। 20 करोड़ 38 लाख की डिमाण्ड पेश की है। 73-74 में 16 करोड़ रुपये चिकित्सा में खर्च किये गये। उस वक्त कन्ज्यूमर इण्डैक्स की क्या हालत थी? उस समय 270 था अब 452 है। उस समय राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर 6 रु० करते थे। इस समय 20 करोड़ 58 लाख का बजट खर्च किया जाता है। पर प्राइस इण्डैक्स के हिसाब से 12 करोड़ ही होता है। पहले 6 रु० खर्च होता था। अब साढ़े 4 रुपया खर्च होंगे। अस्पतालों में दवाई नहीं है जैसा कि गुमानमलजी ने कहा था। टट्टियां गन्दी हैं। न कलर हुआ है, न वार्निश हुई है। भयंकर असन्तोष है, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। मन्त्री महोदय बैठे हुये हैं, क्या आप सोच सकते हैं? आपने प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाई है। जो 10-20 हजार की प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हैं उनका पेट भर जायेगा। आपने यह देखा कि जो स्कीम बनाई है, उस को लागू कैसे करें। मेरे आरोप मन्त्री महोदय पर नहीं हैं। वह प्रगतिशील हैं, ईमानदार हैं। दोनों बातें कहता हूं। परन्तु जो स्कीम बनाई गई थी उसको रद्दी की टोकरी में क्यों डाल दिया है? यह डाकटर अपनी बदली को रोकने के लिए विशेष प्रकार विटामिन प्रयोग करते हैं। राजस्थान के कई मख्य मन्त्री बदल गये हैं। कई लोग

(श्री अमृतलाल गहलोत)

बदल गये हैं। लेकिन यह नहीं बदले हैं। ये विटामिन डब्ल्यू कम्पलैकेस काम में लेते हैं। इनके पास डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री और डब्ल्यू फोर कम्पलैकेस हैं। वह अपनी बदली को रोक सकते हैं। एक पुराना सिस्टम था, इतनी रिश्वत देते थे। ट्रांसफर का कागज आगे नहीं बढ़ता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

परिस्थिति यह है। हम दावा करते हैं कि लोक आयुक्त को बिठा दिया और सारे दुनिया भर के सतर्कता आयोग को बिठा दिया और उसको बिठा दिया। यह राजस्थान सरकार की परीक्षा होगी अगर वह डाक्टरों के ट्रांसफर की नीति को लागू कर दे तो। यह एक टेस्ट होगा। और नही करते हैं तो वह कुछ भी कहीं कर सकती है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, वैसे मैंने कटौती प्रस्ताव दूसरे विभागों के लिए भी दिये हैं परन्तु सबसे पहले मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां स्थान-स्थान पर अलग-अलग हैं। हमारा इलाका एक पहाड़ी इलाका है प्रकृति के प्रकोप से यहां पर दुष्काल आता ही रहता है। लेकिन वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और प्रकृति की कृपा से वहां पर पानी भी बहता रहता है। अकाल की स्थिति का सही और स्थायी हल निकालने के लिये मैं मन्त्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में माही नदी पर डेम बनाया जा रहा है चौदह वर्ष होगये और 14 सालों में शायद वह पूरा हो सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में भयंकर अकाल रहता है और वहां के श्रमिक इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहते हैं, उनको वहां पर मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि अकाल की स्थायी समस्या को हल करने के लिये नित्य पानी वहता रहता है, माही, बनास वगैरह नदियां हैं उनके लिए सरकार अगर लिफ्ट योजना मन्जूर कर दे तो भविष्य में जो लाखों रुपया अकाल के नाम पर खर्च किया जाता है वह खर्च नहीं करना पड़ेगा और जो पानी बहता रहता है उसका भी उपयोग हो सकेगा। इससे गेहूं की जो पैदावार अच्छी होती है वह भी बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन जहां पर लिफ्ट योजना नहीं है वहां पर सूखा ही सूखा नजर आता है। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माही नदी और अनास नदी पर सरकार लिफ्ट योजना की मन्जूरी देवे। इससे वहां के हजारों लोगों को मजदूरी मिलेगी और भविष्य में लिफ्ट योजना आरम्भ होने पर अनाज की पैदावार भी अधिक होगी। सरकार वैसे ही अकाल पर जो लाखों रुपया खर्च करती है परन्तु लिफ्ट योजना पर एक बार पैसा खर्च कर दे तो वहां पर काफी लाभ होगा और हजारों मजदूरों को मजदूरी मिल जायगी। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने और कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बांसवाड़ा जिले में और उदयपुर जिले में सड़कों पर बहुत खर्चा किया गया है। मैं, सभापति महोदय, उन्हें यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र भूखिया में

(श्री नाथूराम)

7-8 हजार मजदूर हैं। वहां पर कडाना बांध पर मजदूरी करने गुजरात गये हैं। एक पाइलट प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने दिया है जिससे कि वहां के मजदूर लोग और गरीब लोग बेरोजगार हों और उनको काम मिले लेकिन वे बेचारे मजदूरी के लिये मारे-मारे फिरते रहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कई लोग हैं जिनको मजदूरी नहीं मिलती है और कोई उनके पास साधन नहीं है इसलिए वहां के लोग भयंकर मुश्किल में हैं, वहां पर कई काम खोले गये थे सो बन्द हो जाने से बड़ी मुश्किल हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर लिफ्ट योजना का फायदा हो सकता है वहां पर वह योजना खोलकर उनको मजदूरी दी जानी चाहिए और जो सड़कें बनाई जा रही हैं, मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर प्लान में जो बड़ी-बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं वहां पर लोगों को मजदूरी पर नहीं लगाया जाता और उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जहां भी लम्बी सड़कें बनायी जा रही हैं वहां पर पत्थर को डालकर मिट्टी काम में नहीं लेते हैं नदी से मिट्टी मंगवाकर झूठे बिल उठाये जा रहे हैं और ठेकेदारों से काम करवाकर सड़कों पर पूरा सामान भी नहीं लगाते हैं, एक ही बरसात में सड़कें टूट जाती हैं। वहां पर जो ठेकेदार हैं और पी० डब्ल्यू० डी० के जो काम करने वाले हैं वे लोग सब झूठे बिल बनाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एन्क्वायरी बैठायी जावे तो सारी चीजें साफ नजर आ जायेंगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों में पूरी मिट्टी नहीं डालकर नदी की मिट्टी डालकर ऊपर से डामर बिछाई गई है और उसमें पूरा मेटीरियल काम में नहीं लिया गया है। तो सभापति महोदय, मैं सड़क निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तुरन्त एन्क्वायरी करायी जावे और वहां के जो आदिवासी लोग गरीब हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं उनको मजदूरी देने के लिए उनको काम मिलना चाहिए न कि ठेकेदारों को पैसा खिलाना चाहिए और इस प्रकार से सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो बड़ी सड़कें बनायी जा रही हैं वहां पर लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यह बतायेंगे कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर से नीचे तक सबका परसेन्टेज बंधा हुआ है, यह मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था। माही प्रोजेक्ट में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां पर लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(7.25 सायं)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

वहां पर आस पास के मजदूरों को लगा देते हैं परन्तु वहां के नहीं लगाते वहां पर 6 लाख 58 हजार जन संख्या में से 5 लाख आदिवासी हैं वे लोग भीख नहीं मांगना चाहते वे मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहते, हैं। इन्द्रदेव की कृपा से वहां पर पानी भी कम बरसता है और छोटी-छोटी जमीनें होने के कारण पैदावार भी कम होती है। इसलिए वहां के आदिवासी बेचारे काम के लिये प्रकृति के प्रकोप के कारण मारे-मरे

(श्री नाथूराम)

फिरते रहते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है, अप्रैल, मई, जून के बाद में बरसात की तैयारी होने लगेगी इसलिए कम से कम इस महीने में नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो उनको काम मिलना ही चाहिए ताकि वहां के लोगों को जिन्दा रहने का एक साधन मिल सके। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वर्कचार्ज पर भी नहीं रखते हैं, जहां पर सड़कों का काम चलता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माही प्रोजेक्ट पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको कम से कम वर्कचार्ज पर तो अवश्य लगाया जाना चाहिए जिससे वहां की कुछ तो बेरोजगारी मिट सके। सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों में भुखमरी के कारण पीलिया की बीमारी फैली है। मेरे क्षेत्र में 100 व्यक्ति इस बीमारी से मर गये थे। तीन गांवों के अन्दर तीन परिवार तो खत्म हो गये जिनमें एक एक परिवार में से 5-6 व्यक्ति मर गये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दुरावस्था के कारण वहां पर बीमारी फैली, हैदराबाद से वहां पार्टी आई, दिल्ली से पार्टी आई, जयपुर से पार्टी गई और बम्बई से पार्टी आई, पूना से पार्टी आई लेकिन टीए० डीए० और भत्ते हजारों रुपयों के कमा लिये, सरकारी पैसे की बर्बादी हुई और आखिर में लोग कौनसी बीमारी से मरे, यह भी नहीं मालूम पड़ा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आपको कोई भी बीमारी हो उसको कन्ट्रोल करना चाहिए। बीमारियों पर हजारों और लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं तो इस बीमारी को भी कन्ट्रोल किया जा सके, इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मलेरिया और चेचक की बीमारियां समाप्त हो गई हैं, ऐसा बताया जाता हैं लेकिन मलेरिया और चेचक की बीमारियां ज्यादा फैली हैं। ऐसे नोटिस लगवाते हैं कि चेचक के बीमार को बताने पर 100/- ईनाम दिया जायगा। लेकिन चेचक की इस साल बच्चों में, इस तरह की बीमारी हुई कि कोई गांव बाकी नहीं बचा, जहां यह बीमारी ज्यादा फैली हुई न हो। अभी भी कई परिवारों में छोटे बच्चे चेचक की बीमारी से बीमार हैं। आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि चिकित्सा विभाग की तरह से ठीक व्यवस्था होनी चाहिए और समय पर दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं वहां पहले समय के भवन बने हैं लेकिन वहां दवाई की ठीक व्यवस्था नहीं होती है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिए भारत सरकार से, राज्य सरकार से लाखों रुपया मिलता है लेकिन आदिवासी क्षेत्र में पैसा जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं होता है। आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जहां डिस्पेंसरी हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, पब्लिक हैल्थ सेन्टर हैं, वहां दवाई की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो गरीबों के लिए समय पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन

(श्री नाथूराम)

कर दें, वहां प्रसूति में हरसाल कई महिलायें जंगलों में मर जाती हैं ठीक व्यवस्था नहीं होने में और आने-जाने के रास्ते ठीक नहीं होने से। वहां पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब लोग, जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर नहीं पहुंच सकें, को इस व्यवस्था का लाभ मिल सके। जहां भी दवाखाना है वहां पर दवाई की व्यवस्था समय पर नहीं होती है और विशेषकर गरीबों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं होती है।

परिवार नियोजन के लिए आपके द्वारा सरकार को निवेदन कर देता हूं, परिवार नियोजन में 10 करोड़ का प्रावधान रखा है और चिकित्सा में 20 करोड़ 64 लाख का। इस प्रकार पैसा खर्च होता है लेकिन गांवों में अधिक खर्च नहीं होता है। परिवार नियोजन के लिए कलेक्टर, तहसीलदार और बी० डी० ओ० को आदेश देते हैं, बी० डी० ओ० ग्राम सेवक को आदेश दे देता है कि वह गरीब लोगों को पकड़ कर लाते हैं। उनको कहते हैं, इतने केसेज लाओगे तो विशेष सहायता मिलेगी। इस प्रकार दबाव देकर परिवार नियोजन का काम चलाया जाता है, नहीं तो तनख्वाह रुक जाती है। जबर्दस्ती लोगों को इसमें फंसाते हैं और समय पर उनका इलाज नहीं होता है। मेरे क्षेत्र में मैंने कैम्प लगवाये थे, परिवार नियोजन में जो आपरेशन करते हैं, उसके लिए जबर्दस्ती लाते हैं। गरीब लोगों को जिनको खाने को नहीं मिलता है, उनको जबरदस्ती लाते हैं और बाद में उनकी केअर नहीं की जाती है जब कि हजारों रुपये टी. ए, डी.ए में खर्च होते हैं। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार को निवेदन करता हूं कि परिवार नियोजन की स्कीम है, उसके अन्दर जो कर्मचारी हैं वह किसी तरह कोशिश करके संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन जिन डाक्टरों को बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है, जिन अधिकारियों को बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है, उसकी विशेष जांच होनी चाहिए। हजारों रुपयों का पेट्रोल उनकी गाड़ियों में खर्च होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं तो यह राजकीय योजना है, इसमें सरकार को सरासर धोखा दे रहे हैं। आम जनता को समझाइश से केसेज तैयार करने चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा बांसवाड़ा ज़िले में नारु की बीमारी हर साल होती है। जैसी कि पानी के बारे में हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने गये साल घोषणा की थी, इस साल भी घोषणा की है, फिर भी नारु की बीमारी वैसी की वैसी है। इसका कारण यह है, जो ट्यूब वल खोदे जाते हैं, वह ग्राम सड़कों पर खोदे जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र जो हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, अलग अलग आबादी में रहते हैं, वहां पर ट्यूब वैल नहीं खोदे जाते हैं। आज भी वही नालों का गन्दा पानी पीते हैं। आपके द्वारा मैं सरकार को निवेदन करता हूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नारु के नाम पर खर्च तो बड़े बड़े कस्बों, बड़े बड़े गांवों में पैसा होता है, लेकिन आदिवासी जहां आबादी में रहते हैं, पहाड़ी के क्षेत्र में रहते हैं, वहां ट्यूब वैल खोदने चाहिएं ताकि उनको पानी मिल सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देता हूं कि पेय जल की जो व्यवस्था है, वह संतोषजनक नहीं है,

(श्री नाथूराम)

जैसे मेरे क्षेत्र परतापुर कस्बे में बाहर से लोग आते जाते हैं, वहां टंकी बड़ी नहीं बनी हैं, वहां की स्कीम बना कर भेजी थी, वह वैसी की वैसी रही। वहां गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता है। प्रकृति से पानी के नदी नाले बहते रहते हैं, वाटर वर्क्स विभाग की तरफ से सुव्यवस्था नहीं होने से पानी समय पर नहीं मिलता है। बांसवाड़ा जिले में भूखिया, नोगांवा, आंजना आदि कई जगहों पर टैंक अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन ठेकेदार उनको अधूरा छोड़ कर चला गया। जो अधूरे वर्क छोड़े हुए हैं, उनको सरकार को हाथ में लेना चाहिए। जो हजारों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन टैंक अधूरे पड़े हुए हैं। अब सीमेन्ट भी मिलती है, इसलिए जो अधूरे टैंक्स हैं, उनको विभाग द्वारा पूरा कराना चाहिए, न कि ठेकेदार पर छोड़ना चाहिए।

सभापति महोदय, समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसी तरह से .....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये।

श्री नाथूराम : थोड़े समय में कर देता हूं।

सार्वजनिक निर्माण के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन कर देता हूं। वहां कडाना बांध का पानी 380 फीट इस साल रोका जायेगा, इससे वहां लोगों के आने-जाने का रास्ता रुकेगा। वहां आम जनता पांच दस साल से मांग कर रही है कि आवागमन वहां रुकेगा, इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि अनास नदी पर पानी रहेगा, पंचायत समिति भूखिया, बागीदोरा तहसील के वहां गांव के लोगों को तहसील हैडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आने-जाने में असुविधा रहेगी। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि अनास नदी पर गुजरात से पैसा लेकर पुल निर्माण का काम हाथ में नहीं लेंगे तो तकलीफ लोगों को होगी।

इसी तरह से जो दूसरे नदी नाले हैं, जहां 419 फीट पानी रहेगा, वहां सरकार को गुजरात सरकार से पैसा लेकर सड़क निर्माण करना चाहिए, पुलिया का निर्माण करना चाहिए ताकि लोगों का आवागमन नहीं रुके। यह आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

अंत में वहां जबर्दस्त भुखमरी है, इसलिए राहत कार्य जल्दी से जल्दी खोल कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए।

श्री सभापति : श्री गौरीशंकर!

एक माननीय सदस्य : हमारा नम्बर है।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया ....

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, यह देखा है कि जो झगड़ जाता है उसको पहले टाइम मिलता है।

श्री सभापति : जो आदेश मिला है, वैसे ही ले रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा : आसन को किसी का आदेश नहीं होता है। आपके डिस्क्रेशन पर है।

श्री सभापति : जो लिस्ट बनी हुई है वह गाइड लाइन है। बोलिये, बोलिये आप!

श्री गौरीशंकर मुनीम : सभापति महोदय, आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में निवेदन है, पहले आयुर्वेदिक औषधालय कायम हुए, फिर दूसरे हुए यूनानी, उसके बाद फिर हुए एलोपैथिक और उसके बाद हुए होमियोपैथिक। मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक विभाग है, यह एक ऐसा विभाग है, गरीबों को इससे राहत मिल सकती है क्योंकि इसमें दवाई जो बनती है वह सस्ती बनती है और फायदा ज्यादा करती है। परन्तु उसमें जरा सा नुक्स यह हो गया है कि इस वक्त दवाइयों का हाल यह हो गया है कि दवाईयां पचास पर्सेंट नकली चल गई हैं, और पचास पर्सेंट दवाई नकली होने की वजह से लोगों को फायदा ज्यादा नहीं पहुंचता है, और असली दवाई जानने वाले अब रहे नहीं हैं। मैं चैलेंज देता हूं यदि कोई यह बता दे कि असली है या नकली है। काली मिर्च नकली है, लोंग नकली, जवाहर मोहरा नकली, पीपल नकली, बनप्सा नकली, गुल बनस्पा नकली। मैं कहता हूं कि जितनी दवा चल रही है उनमें पचास पर्सेन्ट नकली चल रही हैं। इस वजह से आयुर्वेद पिछड़ता जा रहा है। वैसे सबसे अच्छा आयुर्वेदिक इलाज है। इसमें देरी तो लगती है इलाज करने में, परन्तु जो फायदा होता है, मरीज को आराम हो जाता है तो वह दस वर्ष तक बीमार नहीं होता है। एलोपैथी में क्या है कि आज आराम हो जायगा लेकिन आठ रोज पीछे फिर वैसा ही हो जायगा। यह मेरा अनुभव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग को जरा देखिये, आयुर्वेद विभाग में जानकार अच्छे होने चाहिए क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो मोती नकली, अम्बर नकली, कस्तूरी नकली, केसर नकली–मैं पूछता हूं कि कोई चीज असली बता दें तो मैं दावा करता हूं ....

मेरा निवेदन यह है, खास तौर से मंत्री महोदय से, कि अगर दवाईयां असली हों तो बुड्ढा भी जवान हो जावे।

श्री बनवारी लाल : मंत्री असली है या नकली ?

श्री गौरीशंकर मुनीम : मंत्री महोदय तो असली हैं। तो मेरा निवेदन है कि यह आयुर्वेद की तरफ खास तौर से ध्यान दें। मैंने पचास साल काम किया है इसमें, और मैंने यह पाया है कि आजकल नकली दवाईयां बहुत आती हैं और वैद्य लोग कोई समझते नहीं हैं, इसलिये आयुर्वेद की महिमा घटती जा रही है। आयुर्वेद का इलाज बड़े आदमी नहीं कराते, वह तो ऐलोपैथी का इलाज करवाते हैं, आयुर्वेद का इलाज गरीब लोग ही करवाते हैं। ऐलोपैथिक शफाखानों में पैसा खर्च करने की गरीबों में हिम्मत नहीं है, इसलिये वे लोग आयुर्वेद में जाते हैं। आप इसको हंसी मत समझिये, पर आयुर्वेद के मुकाबले कोई भी शफा नहीं है।

अब मैं कुछ ऐलोपैथी दवाखानों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। ऐलोपैथी की दवाइयों में बहुत तेजी आ गई है और आप इस तरफ अवश्य ध्यान दें ताकि गरीबों को कुछ मिले। आज गरीबों को कोई दवाई नहीं मिलती और सौ सौ और पचीस पचीस रुपये की इन्जेक्शन्स उनको बाहर से लानी पड़ती हैं। अब इतनी महंगी दवाइयों से गरीब क्या इलाज करवायेगा ? आप इन दवाइयों को सस्ता करने के लिये कुछ करिये। आज ऐलोपैथी का कौन इलाज करवाता है? वह करवाता है जिसे सरकार से पैसा

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

मिलता है। गरीब को कोई नहीं पूछता। आज हालत यह है कि अस्पताल से कुछ नहीं मिलता, अगर पट्टी लानी है तो वह भी मरीज लावे और दवा लानी है तो वह भी मरीज लावे और इन्जेक्शन लानी है तो वह भी मरीज ही लायेगा। और उसके बावजूद भी टेरामाइसेन का इन्जेक्शन अलग रखकर मरीज को पानी का इन्जेक्शन लगा देंगे।

श्री हाजी जान मोहम्मद : जनता की बात कह रहे हैं।

श्री गौरी शंकर मुनीम : डाक्टर्स का भी सुधार किया जाये। डाक्टर्स का यह हाल हो रहा है कि मरीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप मंत्री महोदय, ध्यान दें

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय को नजदीक बिठा दिया है।

श्री गौरीशंकर मुनीम : वास्तव में औषधालयों की हालत बहुत खराब है और उसे देख कर रोना सा आता है। कोई परवाह नहीं करता। दूध में वैसे ही आधा पानी मिला हुआ होता है लेकिन वह आधा पानी मिला हुआ दूध भी मरीजों को नहीं मिलता, डाक्टर लोग पी जाते हैं। इसी प्रकार मक्खन मिलता है मरीजों के लिये, वह भी डॉक्टर लोग ही खा जाते हैं, मरीजों के पास वह नहीं पहुंचता। आप लाखों रुपये गरीब मरीजों के लिये प्रावधान रखते हैं लेकिन वह उन गरीबों के पास नहीं पहुंचते और बीच में ही डॉक्टर खा जाते हैं। मंत्री महोदय, इस तरफ ध्यान दें। आप जैसे महान पुरुष इस विभाग में बैठे हैं, अगर आप भी ध्यान नहीं देंगे तो और मिनिस्टर्स क्या ध्यान देंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत ज्यादा चिल्लम भर दी आपने।

श्री ओंकार लाल चौहान : मंत्रीजी को साथ ले जायें और वहीं सारी व्यवस्था ठीक करवा लें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : रोड्स के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आपने यह आधार बना रखा है कि 2,000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा ......

श्री चन्दनमल बैद : ढाई हजार।

श्री गौरीशंकर मुनीम : ढाई हजार की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ देंगे, यह आपने आधार बना रखा है। पर मेरे गांव में तो चार हजार की आबादी है, उसको आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं ? वहां से आपको शत प्रतिशत वोट मिलते हैं फिर भी आप सड़क नहीं बनवाते।

श्री ओंकार लाल चौहान : This should be noted

श्री गौरीशंकर मुनीम : तो मेरे गांव को तो कृपा करके जोड़ दीजिये। वाटर वर्क्स के बारे में यह निवेदन करना है कि आपके यहां से लैटर भी आ गया कि अगले साल हैरागढ़, सरेला और सराड़ा में वाटर वर्क्स की योजना ले लेंगे। हमने रकम भी जमा करा दी। लेकिन आप फिर लिखते हैं कि पैसा नहीं मिला। अरे, मैंने आपको रसीद बतला दी, फिर कैसे कहते हैं कि जमा नहीं करवायेंगे। कुछ

Page No 220

(220)

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

तो आप हमारे यहां काम करवाओ, हमारी भी तो कुछ इज्जत रखो, वर्ना हम लोगों को क्या मुंह दिखायेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : जिला समिति से रिकमन्डेशन पास करवा दो ।

श्री गौरीशंकर मुनीम : आप कमेटी से कम हैं क्या ? कमेटी से क्या पास करवायेंगे ? हां ?

मेरा निवेदन यह है कि आप इस ओर ध्यान दें । मेरे क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तो यह उचित नहीं होगा । हम किस मुंह से अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में जायेंगे ? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं ज्यादा टाइम तो लेता नहीं हूं, केवल पांच मिनिट ही बोलता हूं और इस सत्र में केवल तीन बार ही बोला हूं, और तीनों ही दफा आप ही आसन पर मिले हैं । मैं सही बात ही कहता हूं और उसके लिये आज समय मिला है, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री जगमोहन सिंह ।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मैंने भी पब्लिक हैल्थ और सड़कों के बारे में और चिकित्सा के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं और उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । कोटा जिले की सड़कों के बारे में, जब से यह विधान सभा बनी है, गत तीन साल से बराबर मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं । कई बार आपका ध्यान वहां की सड़कों की दुर्दशा की तरफ दिलाया । वहां की सडकों की बहुत ही शोचनीय स्थिति है । पिछले 27 सालों में कई नई सड़कों का आपने निर्माण किया, लेकिन हमारे यहां जो सड़कें पहले से बनी हुई थीं उनको भी आपने अच्छी तरह नहीं संभाला और आज वहां की सड़कें ऐसी हो गई हैं कि अगर कोई गर्भवती स्त्री किसी बस में बैठकर उन सड़कों पर से जाये तो उसका गर्भपात हो सकता है । कई दफा बसों का ब्रेकडाउन होता रहा है और बहुत ही अव्यवस्था है ।

आपने लक्ष्य बनाया है कि 2,500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छबड़ा कस्बा आज 12 हजार की आबादी का कस्बा है और वह सब डिवीजनल हैड-क्वार्टर भी है, लेकिन वह आज तक सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है । इस के बारे में हमने कई बार मंत्री महोदय का ध्यान प्रश्नों के जरिये और दूसरे तरीकों से दिलाया कि आप तो ढाई हजार के गांवों की बात करते हैं, हमारा तो 12 हजार की आबादी का कस्बा है, लेकिन अभी तक मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इसका जवाब भी देंगे ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर सलूम्बर से कायाला रोड है, उस पर बरसों से मरम्मत नहीं हुई और उसकी बहुत ही खराब हालत है । इसी तरह से मन्सोरा से हरियाला की हालत भी बहुत खराब है । इस तरह जितनी भी पुरानी स्टेट की बनी सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर जरूर ध्यान दें । और अगर मंत्री महोदय हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कोटा डिवीजन के जितने भी विधायक हैं, उनका घेराव कर देंगे क्यों कि इसके अलावा हमारे पास और कोई

Page No 221

(221)

(श्री जगमोहन सिंह)

चारा नहीं रहेगा। हमने हर स्तर पर मंत्री जी से निवेदन कर दिया, हमने सदन में भी कह दिया, पार्टी मीटिंग्स में भी उनसे निवेदन कर दिया और उनसे मिल कर भी कह दिया, लेकिन अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम घेराव करेंगे।

एक बात मैं पेयजल योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले दो सालों में कई ग्रामों के अन्दर भी पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिये तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु इसमें यह देखा जाता है कि बहुत सी जगहों के लिये योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन वास्तव में निर्माण कार्य शुरू होने में कई साल लग जाते हैं। छबड़ा की योजना चार साल पहले शुरू हुई थी, पहले उसके सोर्स की बात थी। लेकिन अगर ओरिजिनल स्कीम को हम ऐसा मानकर चलेंगे तो इस प्रकार तो यह पूरी नहीं होगी। अगर डिपार्टमेंट इस तरह की स्कीम बनाता है तो फिर क्या फायदा ? मैं समझता हूं कि फिर स्कीम क्यों बनायी ? मेरे कुछ समझ में नहीं आता। कुएं बनाने की बात थी वह भी पूरी नहीं हुई। आज वहां पर पेयजल की समस्या यों की यों बनी हुई है। सभापति महोदय, करीब साढ़े तीन लाख रुपये का खर्चा किया गया पर उससे कोई समस्या का हल नहीं हुआ। मैंने वित्त मन्त्रीजी से निवेदन किया, अब एक स्कीम 8-9 लाख रुपये की बनी है। सभापति महोदय, वह स्कीम तो एक साल पहले ही शुरू हो जानी चाहिये थी लेकिन आज तक वह स्कीम शुरू नहीं हुई। मैंने आज से करीब 20-25 दिन पहले सदन में एक प्रश्न इस बारे में उठाया था तो मन्त्री महोदय ने, यहां पर आश्वासन दिया था कि स्कीम का काम शुरू हो गया है और उसे जल्दी से जल्दी पूरी किया जायेगा। सभापति महोदय, मैं यहां पर एक बात विशेषतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कीम में जिस ठेकेदार को काम दिया गया है वह ठेकेदार जयपुर का है। सभापति महोदय, जहां इस स्कीम का काम चल रहा है वह इलाका मध्य प्रदेश के पास पड़ता है जो कि जयपुर से करीब 500 मील दूर है। सभापति महोदय, यह मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा कि वहां पर जब कभी काम चलता है तो जयपुर के इस ठेकेदार को ही काम दिया जाता है। सभापति महोदय, जब कि वहां लोकल ठेकेदार हैं जो कि वहां पर काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं दिया जाता है। इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आपने तो यह कह दिया कि काम शुरू हो गया है लेकिन वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है ऐसा मैं विश्वासपूर्वक मन्त्री महोदय को कह सकता हूं इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर तुरन्त ध्यान देकर इस स्कीम को पूरा कराया जाय। वैसे तो पिछले साल भी मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मार्च तक काम पूरा हो जायेगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वहां पर काम शुरू ही नहीं हुआ है। इसलिये इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाय।

(7.52 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

इसी प्रकार, सभापति महोदय, छीपा बड़ोद में जलप्रदाय योजना का ताल्लुक है।

(श्री जगमोहन सिंह)

सभापति महोदय, वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ उसको भी जल्दी से पूरा करने की व्यवस्था करें। इसी के साथ साथ मैं बारां के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि बारां एक बहुत बड़ा कस्बा है जिसकी आबादी चालीस हजार की है। वहां पर भी स्कीम सेंक्शन हो गयी, काम चल रहा है पर वहां की योजना भी पूरी अभी तक नहीं हुई है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं लेकिन हम हमारे ग्रामीण लोगों को, पीने के पानी की समस्या का हल नहीं निकाल सके। इसलिये मैं मन्त्री महोदय को पुरजोर शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि बारां की जनता को पीने को पानी दिया जाय। इसके लिये यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बारां के पेयजल की समस्या है उसको फिर से स्क्रूटनाईज करके उसे जल्दी ही निर्माण करने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री से मैं निवदन करना चाहता हूं वह बाहर जा रहे हैं। फिर भी सभापति महोदय, मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि आज हमने चिकित्सा सुविधा के बारे में किसी हद तक ऐक्सटेन्शन किया है। लेकिन सभापति महोदय, आज हमारे ऐरिया में गांवों में जो अस्पताल हैं, पी० एच० सी० सेन्टर हैं वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। आपने अस्पताल कायम कर दिये हैं, पी० एच० सी० सेन्टर बना दिये हैं लेकिन वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। आप जिनको भी एपोइन्ट करके भेजते हैं वह वहां पर जाना ही नहीं चाहते। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सेतला पी० एच० सी० सेन्टर में और साथला पी० एच० सी० सेन्टर में कोई डॉक्टर नहीं है। वहां का जो बजट है कोटा हैडक्वार्टर पर कन्ज्यूम किया जा रहा है। वहां के स्टाफ को डेपूटेशन पर कोटा अस्पताल में लगा दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार सांथला पी० एच० सी० सेन्टर में डाक्टर नहीं है स्थान रिक्त पड़े हुए हैं और जनता को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है। सभापति महोदय, एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है दूसरी तरफ लोगों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही हैं। इसी प्रकार मेरा यह निवेदन है कि सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर जो अस्पताल है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिये। क्योंकि आज वर्षों से वहां पर सी ग्रेड अस्पताल चल रहे हैं हालांकि आबादी बढ़ गयी है लेकिन उन अस्पतालों को सी ग्रेड से अपग्रेड करके बी ग्रेड अस्पताल नहीं बनाये गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोटा जिला में जितने भी सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर सी ग्रेड अस्पताल हैं उन्हें बी ग्रेड अस्पताल किये जायं। इसी प्रकार सभापति महोदय, अकलेरा अस्पताल है वह भी सी ग्रेड है उसको भी अपग्रेड किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, जो आज से बीस साल पहले से व्यवस्था चली आ रही है वही चल रही है उसी ग्रेड में वह अस्पताल आज भी है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन है कि इन अस्पतालों को तुरन्त अपग्रेड बी ग्रेड अस्पताल किये जाने चाहिये। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा छबड़ा में आबादी 12 हजार की है वहां पर कोई मेटरनिटी होम नहीं है हालांकि मेटरनिटी होम के लिये बिल्डिंग तो वहां की नगरपालिका ने बना दी है पर आज पिछले तीन साल से हम

(श्री मनमोहन सिंह)

लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पर मेटरनिटी होम के लिये कोई स्टाफ आज तक नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, बहुत ही खेदजनक स्थिति है आज के युग में अगर कोई 12 हजार की आबादी के गांव में कोई मेटरनिटी होम नहीं तो प्रसव के समय वहां की जनता को कितनी दिक्कतें आती होंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर मेटरनिटी होम में जल्दी से जल्दी स्टाफ दिया जाना चाहिये। इसके अलावा हरडावड़ा नाम का एक कस्बा है वहां पर कम्पाउन्डर्स स्टेन्डर्ड की डिस्पेंसरी है वहां पर अस्पताल के लिये वहां के एक सेठ श्री श्रीनाथजी ने एक लाख रुपये की बिल्डिंग बना दी लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है इसलिये हमारा निवेदन है कि वहां पर किसी सेठ ने अगर दान करके वहां पर बिल्डिंग बना दी है तो आपको कम से कम स्टाफ तो देना चाहिये। बस इन्हीं शब्दों के साथ में यही मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को मैंने उठाये हैं उनकी तरफ मन्त्री महोदय ध्यान देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री सभापति : श्री चन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वादविवाद हो रहा है, मैं भी उन मुद्दों पर जिन पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें कुछ तथ्यों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि आपके और हमारे जिले में कितना भयंकर अकाल है। सभापति महोदय, इस वर्ष दो तरह का अकाल है एक अकाल तो है कुदरती अकाल जो कि बरसात नहीं होने की वजह से पड़ा है दूसरा अकाल जो है वह महंगाई की वजह से अकाल ग्रस्त क्षेत्र में जनता को और भी ज्यादा मसीबत में और परेशानी में डाल दिया है। मैं चाहूंगा आपकी मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन करना कि इस वक्त अगर आप कुछ सड़कों का काम चालू करदें जो कि कुछ तो अधूरे पड़े हैं पूरा करादें तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जनता आपके प्रति वफादार होगी। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इतना लम्बा अकाल, हमारे बीकानेर जिले में भयंकर अकाल पड़ा है लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने अभी तक बीकानेर जिले में अकाल की भीषणता को देखते हुए कोई अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। सभापति महोदय, आज लोग वहां भूख से पीड़ित हैं पर राज्य सरकार का ध्यान अभी तक उस तरफ बिलकुल ही नहीं गया है। इसलिये मैं आपके मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोले जावें। अगर राज्य सरकार जनता को भूख से मरने को बचानी चाहती है तो उसे निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोलने चाहिये। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि लूणकरणसर, कोलायत और नोखा में कितनी भयंकर स्थिति अकाल के कारण बनी हुई है। ऐसी हालत खराब तो पहले कभी भी अकाल में नहीं हुई थी। इसके अलावा सभापति महोदय, आज जो अनाज की हालत है वह आपसे छिपी नहीं है राज्य सरकार के द्वारा जो अनाज का वितरण होता है वह एक महीने में दो या तीन किलो अनाज दिया जाता है वहां पर आप जाकर अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि लोगों के घरों में पाव भर अनाज भी नहीं है।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

इसलिये मेरा निवेदन है कि अकालग्रस्त क्षेत्र में जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अनाज की व्यवस्था करने की कृपा करें। सभापति महोदय, एक तरफ तो लोगों के पास काम नहीं है, गर्मी के दिन आने वाले हैं अगर आपने उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की तो जनता के लिये परेशानी बहुत हो जायेगी। इसलिये मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर अकालग्रस्त क्षेत्रों में वहां की जनता के लिये व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग भूख से बीमार हो जायेंगे और फिर कमजोर होकर मर जावेंगे। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुराने फेमीन के जमाने में से जो काम सड़कों के अधूरे पड़े हैं उनको अगर पूरा करा दें तो लोगों को काम मिलेगा और हमारे यहां का विकास भी हो सकेगा। इसके लिये मैं आपको नोखा, पाचूं और नोकड़ा की सड़क को पूरा करने के लिये काम शुरू करने की बात कहना चाहूंगा वह सड़क आपके प्लान में भी है दूसरे नोखा-ककू सारडा सड़क प्लान में भी है उसको पूरा कराने की व्यवस्था करें तो मैं तो आपका आभारी रहूंगा ही उसके साथ साथ हमारे इलाके की जनता भी आपकी आभारी होगी।

इसी प्रकार मामरसर कोलायत, जसरासर से नापासर तक, मैनसर से बीकानेर तक, बीकानेर से आखासर, सूडसर से साचासर, इस प्रकार ये जो सड़कें हैं, इन गांवों की जनसंख्या 2,500 से 3,000 की है। नियमानुसार ये प्लान की सड़कें हैं उन पर बसें भी चलती हैं। हमारी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं और इन पर तेजी से काम देंगे।

इन मुद्दों पर ज्यादा समय न लेकर पीने के पानी की तरफ भी माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

आपने हमारे इलाके में पीने के पानी का काम काफी हद तक ठीक किया है। लेकिन इतने से संतोष नहीं कर सकते। 25/26 वर्ष की आजादी में भी झोपड़ी में रहने वाले इन्सान को पीने का पानी न दे सकें तो हम जनता के प्रति वफादार नहीं, हम लायक नहीं हैं। हमको सोचना चाहिये। इतने लम्बे अर्से में गांव में रहने वाले इन्सान को पीने का पानी न दे सकें यह बहुत ही शोचनीय विषय है। मैं चाहूंगा कि हमारे इलाके में पीने के पानी की जो समस्या है। इस ओर ध्यान देकर, निश्चित रूप से बड़े गांव हैं मीठा पानी वहां पर पाइप के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। पानी वहां पर खारा है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ककू साथूना ग्राम है काफी बड़ी आबादी है, वहां पर पास में ही मीठा पानी उपलब्ध है। इस गांव की वाटर सप्लाई स्कीम बना कर आस पास किसानों की जो ढाणियां हैं उनको पानी दें। इससे 6/7 हजार लोगों को पानी मिलेगा। आप जैसे व्यक्ति के हाथ में यह शासन होकर भी यदि आप जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकेंगे, तो मुझे बहुत ही निराशा होगी।

चरकडा में घाव ग्राम है। वहां पर सारा का सारा पानी खारा है। न तो ढाणियां हैं। ऐसी स्कीम आप हाथ में लेकर इस गांव को पीने का पानी उपलब्ध करायें।

इसी तरह से नालूसर साईसर है। सर्वे रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। मंजूरी नहीं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

हुई है। इसी तरह से ग्राम गटूसलूडिया, मसूरा, बीयासरिया, रामसर व बीरमसर, सोमलसर, मैनसर, मुदड, धरनोखा। इन सब गांवों की स्कीम हैं, इनका सर्वे करायेंगे तो निश्चितरूप से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का पांचू गांव है। काफी बड़ी आबादी है। पास में रहने वाले लोगों की 600 ढाणियां हैं। उनको कोई पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इन ढाणियों में बसने वालों को पानी पीने का दे देंगे तो निश्चितरूप से ये लोग आराम की सांस ले सकेंगे।

नोखा गांव दियादेसर। काफी बड़ा गांव है, पीने का पानी नहीं है। सोभाना, भादला, 60 हजार की स्कीम है, इसको शुरू नहीं किया है और ये ठप्प पड़ी हुई हैं कागजों में। मंजूरशुदा स्कीमें हैं इनको जल्दी ही चालू कराने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से बनीपा, लालासर, आईसिडी और केटूबेल, इनकी ओर भी ध्यान देकर लोगों को पीने का पानी दें।

बीकानेर में आर० एस० इ० बी० के 8 ट्यूब वैल खाली पड़े हुए हैं इनको आप ले लेंगे तो लोगों को इस भयंकर अकाल में निश्चितरूप से पीने को पानी मिलेगा और पानी की किल्लत कम होगी।

जहां जहां वाटर सप्लाइ स्कीमें हैं, बिजली नजदीक है, पारवा, भामरसर, मानीपाणा, देसलसर, जगल जागलू, पीपरासर, जैसिंगदेसर, मगरा लालमदेसर छोट बडा उतमाम देसर; नाकासर आदि गांवों में बिजली दे दी जाय तो वाटर सप्लाई स्कीम्स अच्छी तरह से चल सकेंगी।

मैं आपका ज्यादा समय न लेकर, सभापति महोदय, अकाल की जो भीषण स्थिति है उस पर थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी बड़े दयालु व्यक्ति हैं। छोटे मोटे कार्य उन्होंने चालू करवाये हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो नहीं खोले हैं लेकिन भीमसेनजी के निर्वाचन क्षेत्र में थोड़े कार्य चालू कर दिये हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी कार्य खोलने की कृपा करें।

श्री भीमसेन : माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, सही तो नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज तीन की मंजूरी दी है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सौतेला व्यवहार न करके एक मानवीय दृष्टिकोण अपना कर लाभ पहुंचायेंगे। अधिक समय न लेता हुआ बाकी बचे हुए कट मोशन्स को मैं मूव कर देता हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री गोपाल जोशी : हमको भी समय दीजिये।

श्री सभापति : सीनियर को ले लिया है।

श्री उम्मेदीलाल : मेरा नम्बर कहां गया ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका उपयोग बहुत अधिक किया जा सकता है बहुत ही कम खर्चे में, बल्कि बिना खर्चे में लेकिन जिस की ओर राजस्थान सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सभापति महोदय, पिछली बार जब शिक्षा विभाग की मांग आयी थी तब भी मैंने यह रखा था कि ज्यादा से ज्यादा योगासन शिक्षा का प्रचार होना चाहिये । भारत सरकार ने एक इस पर सम्मेलन भी बुलाया। उसमें एजुकेशन के सेक्टर में योगासन चिकित्सा की दृष्टि से 7 से 10वीं जमात के बच्चों के केन्द्रों में इसको लागू किया जाय यह विचार किया गया। सेमिनार में जो अभी खत्म हुआ है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रीजी ने घोषणायें भी की हैं। राजस्थान में भी इसकी एक संस्था है । यूनिवर्सिटी के सामने राजस्थान सरकार एक संस्था चलाती है जिसका सारा खर्चा राजस्थान सरकार देती है । वहां पर एक प्रोफेसर हैं वे एक डाक्टर हैं टैस्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्वामीजी ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है "Health and Yogasans" by Swami Anandanand फार्वर्ड लिखा है भारत सरकार के भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेन्ट श्री जी० एस० पाठक साहब ने। इसमें लिखा है :

"It is, however, proved with out doubt that the Yoga practices and Yoga Asans are highly effective for peace of mind and a life with radiant health and free from disease as well as for the cure of many an ills."

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने भी प्रयोग किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात सही है कि मैंने प्रयोग किया है। मैंने ही भारत सरकार से कह कर खुलवाया है । उसमें महिलाओं के लिये अलग व्यवस्था है इस पुस्तक में बहुत फोटोज हैं। एक महिला है उसके सारे फोटोज में सारी क्रियाओं को दिखाया गया है। यह किताब स्वामीजी ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने बीमारी का अवयवों पर एक्सरसाइज से क्या असर पड़ता है, यह किताब में लिखा है। स्वामीजी की बड़ी तारीफ हुई है । सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, सदन में सुबह से बड़ी बड़ी चर्चायें हो रही हैं। डाक्टरों की कमी है, दवाओं की कमी है । सभापति महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं · · · ·

एक माननीय सदस्य : सभी जगह यह किताब बांट दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नम्रता से यह बात निवेदन करना चाहता हूं यह बहुत पुरानी विद्या है। इसके बारे में एक किताब है। जयप्रकाश नारायण जी ने उसका फारवर्ड लिखा है। वे खुद बीमार थे, स्वामीजी से मिले और उन्होंने कहा है मुझे एक महीने में बहुत फायदा हुआ है · · · ·

श्री गोपाल जोशी : जयप्रकाश नारायण की क्यों बात करते हैं, आप तो अपनी ही करें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने कहा है मैं दो ढाई साल बीमार रहा हूं और जब कलकत्ता गया तो मुझे उनसे सम्पर्क मिला । कुछ क्रियायें बड़ी अद्भुत हैं लिखा है इन क्रियाओं से मन काफी प्रसन्न रहा, शरीर स्वस्थ और प्रफुल्लित रहा । और ये सब कुछ एक महीने के बाद में इसका फारवर्ड लिखा है । बहुत तारीफ की है । अभी हाल ही में इसका एक सेमीनार हुआ एक डाक्टर की राय आई है,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बम्बई गवर्नमेंट की तरफ से राय आई है, दिल्ली के डाक्टर हैं, उनकी राय आई है, उसमें लिखा है सबकी राय एक ही आई है इसमें डायबिटिज, अस्थमा, ब्लड प्रेसर, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी और जिसका इलाज एलोपैथिक में नहीं मिले और जिसका इलाज नहीं हो सका। लेकिन हमारा जो योग का सेन्टर है उसमें उन सबका इलाज हुआ है और बहुत सक्सेसफुली इलाज करते हैं और सेन्ट परसेन्ट बीमार क्योर होते हैं लेकिन बहुत से इस बात को नहीं समझते हैं। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं जितने आदमी मोटे नजर आते हैं वे बीमार ज्यादा होते हैं। मोटे आदमी को हेल्दी नहीं समझना चाहिये। उसके कभी अस्थमा रहता है, कभी गैस की बीमारी रहती है, कभी ब्लड प्रेसर रहता है ....

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, एक सूचना चाहता हूं माननीय गुप्ता जी हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं तो उस समय इस योग ने कितना योगदान दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह योग सेन्टर श्रीमानजी मैंने ही खुलवाया था। यह डिसटर्ब न करें तो ज्यादा अच्छा रहे। सभापति महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं जो लोग दवाई लेते लेते तंग आगये और शहर वालों को इस बात की शिकायत रहती है, मैं विश्वास दिलाता हूं आप स्वामीजी के आश्रम में जायें वहां दोनों टाइम क्लासेज लगती हैं। हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब छंगाणीजी ने उसका उपयोग किया है। कुछ दिन जाया करते थे और उसके पहले माननीय नारायण सिंहजी मसूदा उन्होंने भी प्रयोग किया है और मैं भी जब मिनिस्टर था, तो यह सीखा था। मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं और पूरे तजुर्बे के साथ कहना चाहता हूं यदि आप स्वच्छ और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग सेन्टर में जाइये और योग की एक्सरसाइज कीजिये। यह तो साइन्टिफिक एक्सरसाइज है, आप जाइये और कीजिये आपको निश्चित स्वास्थ्य लाभ होगा और फिर घर घर में कीजिये। मैं आपको बताऊं पं० नेहरू जी भी 14 मिनिट रोज एक्सरसाइज किया करते थे। स्वामी जी रोज सिखाने जाते थे। उसमें भारत सरकार की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा ने यह लिखा है-मेरे पिताजी और मेरे लड़के इन सबको स्वामीजी ने बहुत सी गूढ़ क्रियायें सिखाई हैं। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं यह डरने की कोई बात नहीं है कि साधु सन्यासी हैं और हमको भी कहीं साधु सन्यासी बना दें। यह शरीर को स्वच्छ रखने की क्रियायें हैं जिस एलोपैथिक में इलाज नहीं है उसका इन यौगिक क्रियाओं में मिलता है। मुझे तजुर्बा रहा है। बहुत कम टाइम है। मैं नम्रता से यह बात निवेदन करना चाहता हूं और मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि हमारा जो योग सेन्टर है इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, यहां पर प्राकृतिक चिकित्सालय है उसमें है हांलाकि भारत सरकार खर्चा देती है। इसमें बिल्डिंग व्यवस्था होनी चाहिये और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिये। बड़ी आसानी से इसकी ब्रान्चेज खुलवा कर प्रचार करें। बड़े बड़े हास्पिटल मौजूद हैं आज बड़ी आसानी से इसका प्रचार हो सकता है। एक क्लास रोज लगायें। अब हैल्थ मिनिस्टर साहब आगये हैं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : शरीर को देख कर देना है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(मा० सदस्यों के व्यवधान करने पर अश्रव्य)

मेरे और इनके शरीर की तुलना करके दे दें और ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिल्ली में बहुत सी ब्रान्चेज हैं। मेरा निवेदन है आप भी राम निवास बाग में एक ब्रान्च खुलवा दें तो स्वामी जी वहां एक्सरसाइज करवा दें। शहर के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

मैं सभी माननीय सदस्यों से जो इसका लाभ उठाना चाहें तो स्वामी आनन्दानन्द जी वहां मौजूद हैं उनसे सम्पर्क करें और फायदा उठावें तथा साथ में इसका प्रचार भी होना चाहिये। जो योग क्रिया है वह भारत की एक प्राचीन विद्या है और शरीर के स्वास्थ्य के लिये बहुत ही उपयोगी है। मुझे अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में यही कहना है।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल-भार्गव।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान : अश्रव्य)

हाजी श्री जानमोहम्मद खां : सभापति महोदय, मेरा नम्बर . . .

श्री सभापति : माननीय हाजी साहब आपका नाम तो है नहीं फिर भी आप बैठें, आपको मौका दिया जायगा . . . .

श्री किशोरी लाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम तो और नीचे रह गया क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले चिकित्सा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी आपने यह तो कहा है कि सवाई मानसिंह हास्पिटल की व्यवस्था अब बिलकुल माकल है। वहां दवाइयां भी मिलती हैं, पट्टियों की कमी भी नहीं है खादी बोर्ड को कह दिया गया है और ये प्रश्न आप उस समय किया करते थे जब आप स्वयं एक विधायक थे तो मैं उसी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज सवाई मानसिंह हास्पिटल की स्थिति सोचनीय है और जयपुर के दोनों अस्पतालों का कम्पेरीजन करना हो तो दुर्लभ जी का हास्पिटल जो प्राइवेट रूप से चलता है उसमें और जो सरकार का जो हास्पिटल चलता है उसने दोनों में कितना अन्तर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है दवाओं की बात तो दूर है। इस तरह से बिलकुल निकम्मी व्यवस्था है। चद्दरें बिलकुल फटी हुई हैं और पलंग बिल्कुल धसे हुए, भोजन बिलकुल निकम्मा, थाली ऐसी जिसमें कलई नहीं और शायद जानवर भी भोजन खाना पसन्द नहीं करेगा और जिस थाली में भोजन लोगों को दिया जाता है, कभी कभी अच्छा खाना भी बन जाये तो थाली को देखकर शायद कोई खाना ही पसन्द नहीं करेगा। यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि दवाइयां वहां किसी प्रकार की नहीं हैं। पट्टिया नहीं, गोलियां नहीं और आज हालत यह है कि अगर किसी को ब्लड भी निकालना हो तो सिरींज भी वहां नहीं है। आपको खून को अगर टेस्ट करवाना है तो डाक्टर लोग कहते हैं कि पांच, छः

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रुपये की सिरींज आती है ले आओ। मरीज दस, पन्द्रह रोज इसलिए पड़े रहें कि वहां सिरींज नहीं कैसे निकालें और वहां पर जो मुर्दा घर है वह भी एक ही है। वहां पर पोस्टमार्टम होता है या फिर लावारिशों को वहां रख दिया जाता है। वहां भी कोने में वर्षों से पड़ी मशीन खराब है और वह मशीन इसलिए है कि गर्मी के दिनों में लाश सड़े नहीं और वह अच्छी तरह से प्रिजर्व हो जाये और बदबू न आये। यह मशीन भी गत पांच वर्षों से बिलकुल बेकार पड़ी है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो सवाई मानसिंह हास्पीटल है उसके चारों ओर भयंकररूप से गन्दगी है और दशा यह है कि यदि वहां पर पंखे के नीचे कोई खाट भी लाता है तो उसके लिए भी या तो रिश्वत या फिर किसी प्रभावशाली एम०एल०ए० से मिलकर या किसी से कहला कर पंखे के नीचे खाट आपको तब मिलेगी। यह तो वहां की दशा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एस० एम० एस० हास्पीटल की दशा जिसका लोगों ने आपको चित्रण किया है वहां पर चले जायें तो काटेज वार्ड की ट्यूब लाइटें आपको बन्द मिलेंगी, वह जलती नहीं हैं और जीनों में बिलकुल अंधेरा मिलेगा। आप वहां जाते रहे होंगे। आप अधिकारियों के कहने में नहीं आयें कि वहां पर माकूल व्यवस्था है। सवाई मानसिंह अस्पताल जिसके लिए कहा जाता है कि एशिया का एक नम्बर का हास्पीटल है तो उस एक नम्बर की हालत आज बिलकुल खराब हो गई है।

यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह हास्पीटल की दशा ही नहीं, जनाना हास्पीटल है उसकी भी दशा बिलकुल ऐसी ही है और खेद का विषय तो यह है कि इसका नाम सवाई मानसिंह हास्पीटल तो है और वहां एम्बुलेन्स की गाड़ी भी नहीं है। उसके टायर टूटे पड़े हैं। जनाना हास्पीटल का नाम जनाना हास्पीटल है नाम है क्या यह कोई ? उसका नाम क्या हो ? सवाई मानसिंह जैसे नाम है उसी तरह से किसी लेडी के नाम पर या किसी नेता के नाम पर उसका नामकरण होना चाहिए। फिर जैसे इसको जनाना हास्पीटल कहते हैं तो उसको मरदाना हास्पीटल क्यों नहीं बोलते। इस जनाना हास्पीटल का कोई नाम ही नहीं है। वहां की भी दशा बिलकुल निकम्मी है।

यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर बारबार आपका ध्यान दिलाया गया तो सदन में कहा गया कि शीघ्र ही सवाई मानसिंह हास्पीटल के पास में एक जनाना हास्पीटल बनाया जायेगा। पहले तो बोर्ड भी लगाया गया लेकिन बाद में फिर बोर्ड भी उड़ गया। पूछा तो कहा कि आंधी में उड़ गया। अब वहां नींव जरूर पड़ी है लेकिन यह तो बता दें कि जिन सेठ साहब ने पैसा दिया था उसका सदुपयोग कब तक हो जायेगा और सवाई मानसिंह हास्पीटल के पास जनाना हास्पीटल कब तक बन जायेगा और वर्तमान जनाना हास्पीटल को जिला अस्पताल कब तक बनायेंगे– इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। मैंने सभापति महोदय, दोनों अस्पतालों की तुलना कर दी प्राइवेट हास्पीटल की और सरकार के हास्पीटल हैं उसकी।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 1964 से रेडियोग्राफर की केवल दो पोस्ट हैं जब कि 1964 से मरीजों की संख्या

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दस गुनी बढ़ गई है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो रेडियोग्राफर की दो पोस्टें हैं वह कम से कम 15 पोस्टें तो होनी चाहिएं। लोग एक्सरे करवाने के लिए क्यू में खड़े रहते हैं एक्सरे वाले कमरे में और मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के एक्सरे भी सवाई मानसिंह हास्पीटल में होते हैं और जब यह होता है तो उस आमदनी में से रेडियोग्राफर्स को आप हिस्सा क्यों नहीं देते ? रेडियोग्राफर्स को भी अन्य नर्सिंग स्टाफ की भांति मिलना चाहिए। आखिरकार वह भी इमरजेन्सी में अटेण्ड करते हैं। उनके लिए भी मकान होना चाहिए, बिजली और पानी की सहूलियत होनी चाहिए और अफसोस की बात तो यह है कि जिन रेडियोग्राफर्स की दस, दस साल की सर्विस हो गयी आज तक उनको कन्फर्म नहीं किया गया है। यह हालत है आपके सवाई मानसिंह और जनाना हास्पीटल की और बाकी की शहर में जितनी भी डिस्पेन्सरीज चलती हैं उनमें दवाइयां नहीं हैं। लोग दुखी हैं। हालत यह है कि डाक्टर दवाइयां लिखेगा तो कम से कम वह 50 रुपये से कम की नहीं होंगी। अब महंगाई के समय में जो व्यक्ति राज्य कर्मचारी नहीं हैं उसकी क्या दशा होगी। एक बार में 50 रुपये की दवाई कोई व्यक्ति लायेगा तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अगर कम ले गया या दूसरी दवाई ले गया तो डाक्टर कहेंगे यह नहीं, वही लाओ और फिर दवाई भी एक तरह की नहीं पांच, सात तरह की लिख देंगे ताकि एक न एक दवाई तो जरूर लगेगी ही। मेरा निवेदन करना है कि यदि एक बार कोई बीमार पड़ जाये तो एक हजार रुपया उसके उपचार में चाहिए। फिर या तो उपचार करवा लो या फिर घरवालों को जहर दे दो। यह मैं प्रमाणिकता के आधार पर कह रहा हूं और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाये उस समय वहां आप चलेंगे तो आपको हास्पीटल की दशा का मालूम हो जायेगा। इसलिए आप कृपा करके इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें।

अब मैं थोड़ा परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहूंगा। इस परिवार नियोजन से बहुत से लोग बेकार हो गए। सभापति महोदय, एक समुदाय है, हीजड़ा समुदाय। वह सबेरे पांच बजे उठकर शहर में चौकड़ी में जाते हैं और पूछते हैं कि किसी के हुआ क्या तो वहां लोग कहते हैं कोई नहीं, परिवार नियोजन लागू है। अब आप ही बतायें वह बेकार हो गए या नहीं ? उनको रोटियों के लाले पड़ गए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आप दूसरों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं उसी तरह से उनको भी दीजिए।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको बड़ी हमदर्दी है उनसे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी आपने बेरोजगार कर दिया और ऐसे लोग जो कि प्रातः काल उठकर चौकड़ियों में जाते हैं तो खाली आ जाते हैं लौटकर....

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप उनका नेतृत्व संभालिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह आज बेरोजगार हो गए हैं और मैं सोच रहा हूं कि 25 तारीख से पहले पहले उनका यहां पर प्रदर्शन हो जाये।.....

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप जैसा भी प्रदर्शन अपने नेतृत्व में लायेंगे, मैं जरूर मिलूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लाना पड़ेगा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : चाहे दूध वालों का प्रदर्शन हो या हींजड़ों का हो आप जरूर लाइये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जरूर लाऊंगा । आपके सामने नहीं लाऊंगा तो और किसके सामने लाऊंगा क्योंकि दोनों के आप ही हैं । वह चाहे हींजड़ों का हो या दूध वालों का हो आपसे मिलाने लाना पड़ेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौथाई लोगों को भी परिवार नियोजन का लाभ नहीं हुआ । आपने कहा कि पदोन्नति कब होगी जब कि तुम लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करोगे । आपने एक पोस्टर सब जगह लगाया हुआ है जिसमें वर वधू को बताया हुआ है और आप कहते हैं कि लूपवती हो । आपने जो पोस्टर लगाये हैं उससे कितना अश्लील प्रचार हुआ है । इसमें आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया । वह लोग क्या करते हैं कि 70 साल के बूढ़े को पकड़ लायेंगे और ईनाम मिल रहा है । निवेदन करना यह है कि जितना पैसा आपने परिवार नियोजन में खर्च किया है यदि दूसरे कामों में खर्च करते तो ज्यादा अच्छा होता । ....

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य पकड़ में आये या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे तो अच्छा आप गन्दी बस्तियों में उस पैसे को खर्च करते अगर आप वहां कोई पार्क बना देते, व्यायाम करने की व्यवस्था कर देते, जमनास्टिक लगा देते तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहता और मैं समझता हूं कि आपका अपने आप परिवार नियोजन हो गया होता । यह एक व्यवहारिक सुझाव आपके सामने है । इस तरह पैसा बेकार करने से क्या लाभ । मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता सैनानियों के लिए 4 फरवरी, 1973 को राज्य सरकार ने, राज्यपाल महोदय ने एक आदेश निकाला कि स्वतंत्रता सैनानियों को चिकित्सा के लिए चिकित्सा सुविधा मिलेगी । हास्पीटल में वे गरीब वहां पर जाते हैं और जब वहां जाते हैं तो उनको जवाब दिया जाता है कि उनको प्रसन्न करने के लिए यह इस प्रकार की घोषणा करदी होगी । तो माननीय मंत्री जी, औरतों के साथ मखौल करें तो करें लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सैनानी जिनको आपने ताम्र-पत्र दिया, ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि मखौल होता है, इस राज्य में इस प्रकार का मखौल होता है तो मैं समझता हूं कि हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि स्वतंत्रता सैनानियों के साथ इस प्रकार का मजाक नहीं हो ।

प्रातःकाल भी निवेदन किया था पेंशनर्स के सम्बन्ध में, उनसे मिलने पर तो आप कहते हैं कि तुमको सब प्रकार की सुविधा देंगे लेकिन न उनको हास्पिटल में कमरा मिलता है, न भोजन मिलता है, बिलों का री-इम्बर्समेंट होता नहीं है और यह चिकित्सा की सुविधा के सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया है इन सारी बातों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

अब यहां पर दूसरा जो माननीय मंत्रीजी आपका विभाग है, वह विभाग है आयुर्वेद विभाग । आयुर्वेद विभाग के बारे में भी मैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
यह निवेदन करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान आप जयपुर में कायम करें। आयुर्वेद पद्धति के लिए विश्व विद्यालय कायम हो जिसमें यूनानी, प्राकृतिक, एलोपैथिक, होमियोपैथी सब प्रकार की चिकित्सा पद्धति को मिला कर विश्वविद्यालय कायम करें जिसमें प्रवेश योग्यता के आधार पर हो, प्रत्येक को समान आवश्यक सुविधायें मिलें और जो आयुर्वेद के लोग होंगे उनको भी समान वेतन मिलेगा, समान अवसर मिलेगा।

इसी प्रकार राजस्थान नहर में जो पट्टियां हैं वहां पर आयुर्वेद और यूनानी की जड़ी बूटियां लगाकर अनुसंधान करें, राजस्थान नहर की पट्टियों पर वनस्पति उद्यान लगायें और इसकी अनुसंधान की, साहित्य और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की व्यवस्था करें और आयुर्वेद औषधियों की परीक्षण रसायनशाला स्थापित की जावे। राजस्थान में इसकी अभी तक कोई रसायनशाला नहीं है, इससे बढ़ कर और कौनसा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर में आप एक जिला चिकित्सालय इस प्रकार जनाना हास्पिटल में बनाने जारहे हैं उसी प्रकार आयुर्वेद के नाते भी आप जयपुर जिला अस्पताल बनावें। राजकीय आयुर्वेद फार्मेसी, जोधपुर में है, भरतपुर में है, अजमेर में है, आबू की योजना विचाराधीन है। सवाई माधोपुर में, अलवर में नहीं है। निवेदन करना है कि इन सारी बातों में नहीं जाकर यदि राज्य सरकार आयुर्वेदिक फार्मेसी कारपोरेशन बनायें जैसे उत्तर प्रदेश में बनी है। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा और इस प्रकार की व्यवस्था हो सकेगी। यहां पर यह भी निवेदन करना है कि राजस्थान में जो आयुर्वेद का काम करते हैं उनकी तनख्वाह वर्तमान में मूल वेतन 180-425 है जो ग्रेज्यूएट्स का है जब कि एलोपैथी में कम्पाउण्डर का ग्रेड 275-650 है। केवल 38 व्यक्तियों को 375-800 का मिला है। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद दवाओं में, यूनानी दवाओं में जो सबसे बड़ा डाक्टर बैठा हुआ है उसको भी वही सुविधा मिलती है जो कम्पाउण्डर को, अंग्रेजी दवाइयों के कम्पाउण्डर को मिलती है। अंग्रेजी के कम्पाउण्डर को जितनी भी सुविधा मिलती है वह एक वैद्यजी महाराज को सुविधा मिलेगी तो किस प्रकार से काम करेंगे। यहां पर राज्य सरकार ने एक डी० डी० गुप्ता कमेटी बनाई थी। डी० डी० गुप्ता कमेटी ने आयुर्वेद के बारे में यह कहा:—"Grade I. 300-800 for persons possessing qualification of Bhisgacharya or other equivalent qualifications.

Grade II. 225-525 for persons possessing qualifications lower than Bhisgacharya or other equivalent qualifications.

Grade III. 150-300 for persons possessing no qualifications at all."

इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि आप यदि और बातें नहीं मानें तो माननीय मंत्रीजी कम से कम जो आपने डी० डी० गुप्ता कमेटी बनाई थी आयुर्वेद के लोगों के वेतन के बारे में जो कमीशन ने अपने सुझाव दिए थे उन्हीं को आप मान लें।

अब मेरा आप से निवेदन करना है कि आपके इस डिपार्टमेंट में आयुर्वेदिक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
डिपार्टमेंट में 18 ऐसे व्यक्ति वहुत दिनों से सस्पेंड बैठे हुए हैं, बिना जांच के पड़े हुए हैं जिन पर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं और आरोप एक है कि आपने एक ही परिवार के लोगों की तमाम चिकित्सा क्यों कर दी ? यह कोई आरोप है। और यदि कोई आरोप था तो यह कि उन्होंने इसके बिल पास कर दिए। क्यों नहीं करते, कौनसा दोष था इसमें ? दोष था तो राज्य सरकार ने उनकी पावर्स विथड्रा कर ली। पावर्स विथड्रा करने के छः माह बाद इन सब लोगों को सस्पेंड किया गया। छः महीने के बाद कई दिनों तक चार्ज शीट नहीं दी गई। यह कहां का तरीका है माननीय मंत्रीजी ? यदि किसी को सस्पेंड करें तो उसको चार्ज शीट करना चाहिए, आपने पावर्स विथड्रो कर ली और पावर विथड्रो करने के छः महीने के बाद निलम्बित करें, चार्ज शीट नहीं दें, यह क्या मखौल है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

क्या लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है और आरोप लगा रहा हूं कि उनके बारे में डायरेक्टर साहब ने 15-1-75 को लिख दिया कि इन पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इतने वर्षों से, डेढ़ डेढ़ वर्ष हो गए, लोग सस्पेंड पड़े हुए हैं मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजनैतिक आधार पर वैद्य सीताराम मिश्र, अध्यक्ष, प्रदेश वैद्य सम्मेलन के प्रभाव में आकर संगठनात्मक विरोध के कारण इन लोगों को राव नारायणसिंहजी मसूदा ने क्योंकि असेम्बली में बात कह दी कि इस पर कार्यवाही करेंगे और उस आधार पर इनको हटा दिया गया। इसलिए निवेदन करना है कि लोगों को वापिस यहां पर नौकरी पर लिया जाय वरना यह तनख्वाह तो यों ही ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं और राज्य का पैसा फालतू जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में घोषणा करनी चाहिए।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आयुर्वेद शिक्षकों और चिकित्सकों के वेतन स्तर में अन्तर है। इसी प्रकार प्रिंसिपल, निदेशक और एडीशनल निदेशक के वेतन में अन्तर है। एडीशनल निदेशक का वेतन ज्यादा है डायरेक्टर से। डायरेक्टर का वेतन कम है। राजस्थान में ही इस प्रकार की व्यवस्था है। यहां पर यह भी निवेदन है कि आज हालत यह है कि इस आयुर्वेद विभाग में सब प्रकार की परेशानी है। बेरोजगार लोगों को आयुर्वेद में कोई सुविधा नहीं है जब कि एलोपैथी के अन्दर साढ़े सात हजार रुपये काम लगाने के लिए और तीन सौ रुपया बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता है लेकिन आयुर्वेद स्नातकों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं जिससे उनका भविष्य अन्धकार में है। यह भी निवेदन करता है कि आज लोगों को निशुल्क आवास भवन की सुविधा नहीं है। मेरा निवेदन है कि जहां पर 'ए' क्लास हास्पिटल हैं वहां पर 10 रोगी शैय्याओं का आतुरालय चालू किया जावे। पर्याप्त औषधियां, फर्नीचर, उपकरण आदि देकर उन्हें सर्व साधन सम्पन्न बनाया जावे। इसके अलावा भविष्य में औषधालय खोलते समय सभी सब-डिविजनल मुख्यालयों, नगरपालिका वाले कस्बों में भी आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापित किये जावें। राज्य में कम से कम 10 आरोग्य केन्द्र चालू किये

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जावें, कम से कम मैं समझता हूं कि आबू रोड है, चौमू है, दौसा है, फुलेरा है, सांगानेर है वहां पर इस प्रकार के होस्पिटल खोले जाने चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट का समय चाहूंगा ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्साधिकारी नाम है, बिहार में चिकित्साधिकारी नाम है, गुजरात में चिकित्साधिकारी का नाम है । यहां के वैद्यों और हकीमों ने भी यह कहा है कि हमें भी सारी बातें हटा कर राजस्थान में अन्य प्रदेशों की तरह वैद्यजी महाराज नहीं रख कर चिकित्साधिकारी की मोहर लगाने का अधिकार दे दो । इसलिए चिकित्साधिकारी बनाना मुनासिब होगा ।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि अब और सब आयुर्वेद की बातें नहीं कहकर होमियोपैथी के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा । होमियोपैथी में इस प्रकार का अन्याय हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को एडवाईजर बनाया गया है मिस्टर राजवंशी को जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है । यह सी० एच० पी० का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश बोर्ड का दिया हुआ है । उनके भाई डिप्टी सेक्रेटरी थे उन्होंने अपने भाई को गलत ढंग से होमियोपैथिक बोर्ड का एडवाईजर बना दिया । पहले उनका गलत ढंग से अपोइन्टमेंट हो गया और जब उस पर भयंकर रूप से चर्चा हुई तो फिर राज्य सरकार ने एडवाईजर बना दिया । और होमियोपैथिक बोर्ड के चुनाव जो हुए वह भी गलत हैं । बैलट पैपर जो डाक से प्राप्त हुए उनकी जेन्यूननेस के बारे में कोई जानकारी नहीं की गई, बैलट पेपर्स को खुले आम खरीदा गया और उनका दुरुपयोग किया गया और गलत आधार पर चुनाव हो गए, राजस्थान सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस होमियोपैथिक बोर्ड में इस प्रकार की अव्यवस्था है जिसकी ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए । इससे बड़ी गड़बड़ बात क्या होगी कि इस मेडिकल बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है । इसके लिए नियुक्ति का प्रावधान करना चाहिए ।

सभापति महोदय, 27 वर्षों की सेवा काल में 23 वर्षों तक अधिकारी पद पर कार्यरत श्री ऋषिदेव सोलंकी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जोधपुर भ्रष्ट कारनामे में हैं । उनकी सारी आडिट रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है । उनके सम्बन्ध में भी कार्यवाही करनी चाहिए ।

अन्त में, सभापतिजी, मैं पी० डब्ल्यू० डी० के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो 24 क्वार्टर मालवीय इंजीनियरिंग कालेज से 1973 में लिए और सरकार ने छः लाख रुपये देकर लिए उसमें विद्युत् वायरिंग ठीक नहीं है, किवाड़ खराब हैं, टूटे हुए हैं । बी की छत गिर गई लेकिन आज तक ठीक नहीं हुई । ई क्वार्टर में काफी मरम्मत की जरूरत है लेकिन सरकार मरम्मत नहीं करा रही है ।

जयपुर की सड़कों की दशा के सम्बन्ध में अन्त में निवेदन है कि आप देखिए कितने वर्ष हो गए जयपुर शहर की सड़कों में खड्डे हो गए हैं चाहे आप सिरह ड्योढ़ी से चले जायं, चाहे आप शहर के बीच में चले जायं, उनकी हालत नाकारा हो गई है···

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राज्य सरकार के भरोसे इन पर डामर कब होगा ? दरवाजों की हालत खराब है। आमेर रोड की हालत खराब है। ब्रह्मपुरी में गंदा नाला बहता है। जहां पर जोशीजी, राज्य के मुख्य मंत्री एक बस्ती का शिलान्यास करने पधारे थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री के नाम पर जहां पर आप बस्ती बसाना चाहते हैं, वहां पर सूअर लौटते हैं। गंदा नाला बहता है। राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। रामनिवास बाग की दुर्दशा की ओर भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज सारा रामनिवास बाग उजड़ रहा है। बाग में बैठने की जगह नहीं है। पीने के पानी के लिए नल नहीं है। क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

अन्त में, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की जो पेयजल के लिए नलकूप की योजना थी वह फेल हो गई है। आखिर में आपको बनास की योजना को लागू करना ही होगा। जयपुर में जो पीने का पानी दिया जा रहा है, उससे लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि वह जल्दी से जल्दी बनास योजना को लागू करे। अन्त में प्रार्थना करूंगा कि पेयजल की समस्या आने लगी है। गर्मी के दिन दूर हैं। इसी प्रकार से जो पी० डब्ल्यू० डी० है, उसकी इमारतें हैं उनका रख रखाव नहीं हो पाता है। स्कूल की बिल्डिंग्स जीर्ण शीर्ण है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं। और भी कई बातें कहना चाहता हूं।

यह राजस्थान आवासन बोर्ड है। 1971 में जनता से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए और आज 1975 हो गया, सभी को मकान आवंटित नहीं हो पाये हैं। 75 तक लोगों को मकान नहीं मिल पाये हैं। प्रति वर्ष लाटरी का बहाना लिया जा रहा है। इसमें राज्य कर्मचारियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए अलग से व्यवस्था हो वह व्यवस्था भी नहीं की गई है। लाटरी के चक्कर में लोग घूम रहे हैं। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन 71 में कराया था, 75 में मकान मिल रहा है। 25 × 50 वाले मकान की 73 में लागत बतायी गयी थी 17,900 और वह 74 में बढ़कर 19,900 हो गई और 75 में आवासन बोर्ड ने उसी मकान की कीमत 25,300 कर दी है। इसकी मासिक किश्त 223 रुपये है। राज्य कर्मचारी, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी यह किश्त कैसे दे पायेगा ? इसी प्रकार, सभापति महोदय, 30 × 60 के मकान की कीमत आवासन बोर्ड ने 1973 में 26,700 बतायी थी। 74 में वह 30,600 हो गई और 75 में बोर्ड ने बढ़ा कर यह 40,600 कर दी है। इसी प्रकार से 40 × 60 वाले मकान की कीमत 73 में 38,700 थी, 74 में 40,000 हुई और 75 में वह आपने कर दी 49,000, माहवारी किश्त इसकी आपने रखी है 492 रुपये। राज्य सरकार चाहती है कि महंगाई रुके। दूसरे लोग कीमतें नहीं बढ़ावें। परन्तु राज्य सरकार का यह जो आवासन बोर्ड है, जिसने 71 में नाम दर्ज कराने के लिए प्रार्थना-पत्र लिए थे, उनको 71 की कीमतों में मकान नहीं दे रही। आवासन बोर्ड ने मकानों की कीमतों को चौगुना कर दिया है। एक अल्प वेतन भोगी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
किस प्रकार से आवासन बोर्ड को किश्तें चुका सकेगा ? इसलिए, सभापति महोदय, यह बड़ा अहमियत का प्रश्न है । इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के जिन जिन विभागों के बारे में कहा है, राज्य सरकार उन पर विचार करे । अकाल के बारे में यहां पर बताया गया है कि अब तक 200 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है । क्या सरकार इसकी जांच के लिए किसी प्रकार का आयोग बैठाने को तैयार है ? सड़कों पर मिट्टी खोद कर डाल दी गई, कुए बनाए, सीमेन्ट नहीं लगाई । इस प्रकार से अस्थायी कार्य कराये गये । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों पर पैसा ठीक ढंग से व्यय नहीं किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी का गठन करे जो अब तक हुए 200 करोड़ के व्यय की जांच पड़ताल करे और राज्य सरकार ने क्या क्या गलती की है, उसके संबंध में सुझाव दे । भविष्य में अकाल से स्थायी रूप से निपटने के लिए राज्य सरकार नलकूप बनाने की योजना बनावे ताकि सही ढंग से राशि का उपयोग हो सके ।

श्री सभापति : श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय !

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : हमें कब समय मिलेगा ?

श्री सभापति : महिला वर्ष में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, वैसे मैं अकाल के बारे में अधिक कुछ न कह करके इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय जैसा कि उदयपुर डिवीजन का समय समय पर दौरा करते रहते हैं, उस तरह से कम से ....

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय, ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण करें । आपसे निवेदन है, शांत रहें ।

श्री लूणाराम : मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे ग्रामीण अंचलों में भी पधारें और वहां पधार कर के वास्तविक जो अकाल है, उसका अनुभव करें जिससे यह पता चले कि हमारी मांग कहां तक वाजिब है । अलावा इसके, माननीय मंत्री महोदय यह न समझें कि हमारे यहां मंत्रियों का दौरा न होता हो । हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय महीने में एक बार जिले के किसी भी भू-भाग में घूम आते हैं । हमारे यहां अकाल की जो विभीषिका है उसके लिए वे किसी से कह कर नहीं आते हैं । इसलिए मैं यह आपसे विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि इन पीड़ित लोगों को आज सहायता की वास्तव में आवश्यकता है, इसलिये आप महरबानी करके एक बार पधारें । इससे आगे अकाल के बारे में निवेदन नहीं करूंगा ।

दूसरी आज चिकित्सा की मांग है । चिकित्सा के बारे में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कि मेरे कस्बे में 15 सालों से जो बैड बढ़ाने

(श्री लूणाराम)

की समस्या चली आ रही थी उसका आपने सही ढंग से स्वीकृति देकर समाधान किया है। और भी काम हुआ है चिकित्सा संबंधी। चिकित्सा के काम में सुधार हुआ है, इसके लिए उनकी कहां तक प्रशंसा करूं। सभापति महोदय, इतना निवेदन और करूंगा कि गांवों के अन्दर जो प्राईमरी चिकित्सा केन्द्र हैं, उन प्राईमरी चिकित्सा केन्द्रों के अन्दर जो कि समूचे एक पंचायत समिति क्षेत्र से संबंधित हैं माइक्रोस्कोप न होने के कारण असाध्य बीमारियों के जो लोग आते हैं, वे इन छोटी मोटी चीजों को दिखाने के लिए दूसरे अस्पतालों में जाते हैं। यह यंत्र न होने के कारण वहां पर कठिनाई हो रही है। इसी प्रकार आक्सीजन सेलेण्डर न होने के कारण से बहुत से रोगियों के सामने कठिनाई आती है और कई बार तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे आवश्यक यंत्र को अगर वे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर उपलब्ध करवा दें तो इससे बढ़ कर दूसरा अच्छा कोई काम नहीं होगा।

इसके साथ-साथ आयुर्वेद के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि इस वर्ष के अन्दर अकाल राहत कार्यों पर आयुर्वेद औषधालय कायम किया गया है। इस औषधालय को रेगुलर कर दिया जाये जिससे वहां के लोगों को राहत होगी। मेरे क्षेत्र में कहीं कहीं बिल्डिंग बनी पड़ी हैं, मैं चाहूंगा इनमें जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिये जाएं।

परिवार नियोजन के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार नियोजन के अन्दर जहां भी लूप लगाने का काम है इसके लिए पहले गांव में एक दाई को ट्रेन्ड किया जाये। इस प्रकार के लूप से स्त्रियों को कई प्रकार की असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। इससे उन पर उल्टा असर पड़ता है। मैं यह भी चाहूंगा कि जच्चा के लिए हर गांव में कम से कम एक ट्रेन्ड दाई मिले। यह छोटी सी सहूलियत गांव को मिलनी चाहिये और इसके लिए आपको दाइयों को ट्रेन्ड करना चाहिये। तो ज्यादा से ज्यादा दाइयों को ट्रेन्ड करने का काम होना चाहिये। इससे हमारे गांव के अन्दर बहुत अच्छा सुधार होगा। दूसरा निवेदन यह है कि परिवार नियोजन का जो काम आप सरकारी स्तर पर कर रहे हैं, अच्छा है। परन्तु हम इसको जनता का आन्दोलन बनावें। इसका प्रचार करें। जिन लोगों को वास्तव में परिवार नियोजन की आवश्यकता है, जो बीमार और गरीब हैं, उन लोगों में इसका प्रचार करने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम कार्यकर्त्ताओं के जरिए चलाया जाये ताकि यह आन्दोलन लाभदायक हो सके। अब वाटर वर्क्स के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी, योजना मंत्रीजी और जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी और हमारे जिले के नेता सभी प्रकार की उपाधियां आप में मौजूद हैं तो मैं इतना सा ही निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर 5 योजनाएं 71-72 के अन्दर मंजूर की गईं कुल 51 गांवों की। माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में अब की बार पधारे तो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आपने वहां पर कहा है कि 57 पर्सेन्ट जनता को पानी मुहैया करवा दिया गया है। यह सच है या झूठ। अखबार की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। वास्तव में सही बात यह है कि इन पांच योजनाओं के अन्दर सिवाय उन पांच गांवों के अन्दर जहां कि इन योजनाओं का उद्गम हो रहा है, 2 गांवों में कुल 7 गांवों में से जिनकी जनसंख्या 8।। हजार है तो सिर्फ 8।। हजार की

(श्री लूणाराम)

जनसंख्या को पानी उपलब्ध कराया गया है। और दो गांवों की योजनाओं के अन्दर तो गांव में कुए बने हुए थे और बिजली पहुंची हुई थी। सिर्फ उन के अन्दर मशीनें लगानी थीं। इतना सा काम हुआ है। इसके लिए चुरू जिला बदनाम हो रहा है कि वहां पर सारा धन खपाया है। तो यह धन खपाया कहां गया है, यह समझ में नहीं आता है। यह मेरे क्षेत्र में ही हो रहा हो-ऐसी बात नहीं है लेकिन सारे चुरू जिले में कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिसको कह सकें कि इतना जबरदस्त काम हो गया है। सभापति महोदय, यह हो सकता है कि इन कामों के लिए बम्बई और कलकत्ते के अन्दर पाइप बन रहे हों और उन पाइपों का आर्डर देने में यह रकम खर्च कर दी गई हो। इसी तरह दो-तीन ठेकेदार भी एक ही तरह के हैं जिनको सारा काम जिला भर का दिया जाता है। किसी गांव की योजना बनी हो चाहे नहीं बनी हो गांव के बीच में इनको खड़ा कर दिया जाता है। उससे आवश्यकता पूरी होगी या नहीं? निश्चित तौर से उनको खड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ है।

(रात्रि 8.53)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इन सात गांव में से एक गांव में खारा पानी है और 6 गांवों में मीठा पानी है। इनके अलावा किसी गांव को पानी नहीं दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आने वाली योजनाओं के संबंध में कि 57 पर्सेन्ट की घोषणा की योजना की मंजूरी आज से चार साल पहले दे चुके हैं, पर पानी पिलाते तो हमें पता चलता कि पानी पिलाया है। चूरू जिले में पानी की समस्या है। उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जितने खारे पानी के गांव हैं उनमें आइन्दा सालों में इन योजनाओं को पूरा करने में कितना समय और लगेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं दूसरा निवेदन है कि दो योजनाएं जो गांवों में लगी हैं उन गांवों के अन्दर लंबे लंबे पाइपों से जो पानी पहुंचाने की योजना है उनको देखकर तो हमें अभी से भय मालूम हो रहा है। एक तीन मील की लाइन खींची गई है डूंगरगढ़ से जैतसर तक वह रास्ते में कहीं पर टूट जाती है और कहीं पर लीकेज हो जाती है, और पानी पहुंचने का गांव तक नाम नहीं है। उसमें मैं यह कहता हूं कि उसको दबाया नहीं गया। 3 फीट गहरा उसको दबाया जाना चाहिए था। यह जरूरी है। हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी वहां की समस्याओं के लिए उनको कहते हैं, इस चीज के लिए धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि हर चिट्ठी का वे जवाब देते हैं। चाहे और कोई मंत्री दें या न दें लेकिन वे जरूर देंगे। पर, उपाध्यक्ष महोदय, वही बात है कि आपको लेना क्या है और हमको देना क्या है। हमारी योजनाओं के लिए कुछ भी करें लेकिन पत्र-व्यवहार में ठीक है। प्रगति के मामले में गाड़ी वहीं पर खड़ी है जहां चार साल पहले खड़ी थी, जैसा कि मंत्रीजी ने उन योजनाओं को मंजूर किया था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि शायद यह हो या नहीं भी हो।

अब दूसरी बात यह भी है कि जहां पर अनियमितताएं अधिक हो रही हैं वह भी हमारे जिले में हो रही हैं। मेरे वहां पर ट्यूबवैल खोदे गये हैं उनमें पानी नहीं आया

(श्री लूणाराम)

हम कहते हैं कि यहां पर पानी नहीं आने वाला है लेकिन जबरदस्ती खोद दिये गये। मैंने मौके पर बताया है। जहां पर पानी की कमी है उनमें मेरा गांव भी है। वहां पर सबसे पहले आज से 10 साल पहले योजना मंजूर हुई। काम स्टार्ट हो गया। टंकी बन गई, लाइन बिछा दी गई। मैंने प्रजेन्ट मंत्रीजी से भी निवेदन किया और चीफ इन्जीनियर से भी निवेदन कर दिया। सब उपायों के बावजूद भी चार हजार के गांव में आधे गांव को पानी दिया जा रहा है और आधा गांव पानी से वंचित है। 10 साल से टंकी बनी हुई है लेकिन पानी का नाम नहीं है। वैधानिक तरीके सारे हमने अख्तियार कर लिए हैं यहां तक कि पिटीशन कमेटी में पिटीशन भी दे दी, सब कुछ दे दिया पर उपाय कोई नहीं। अगर थोड़ा सा वह कुआ और बोर हो जाय तो ठीक ढंग से पानी की समस्या हल हो जाय। मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यह चुनाव की बात हो। मैं वास्तव में वही अर्ज कर रहा हूं जो कि असलियत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज वहां पर 500 फीट खोदकर 700 फीट बतलाते है। पानी होते हुए भी नहीं बतलाते हैं। मर्जी के तरीके से काम करते हैं। यह उनकी माया अलग है। यह मामला खाने पीने का है और इस शब्द के पीछे सब को दूर कर दिया जाता है और मर्जी आये उस तरह से करते हैं।

हमारे यहां पर तोलियासर में पास आ गया। उनकी गलती के कारण कुए को ठीक नहीं कर पाये तो वह रुक गया। नतीजा यह हुआ कि उसी तोलियासर के लिए दूसरी योजना बनानी पड़ी है। इसको विस्तार से देखने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि लम्बी लम्बी लाइनों के द्वारा अगर समय पर पानी नहीं मिलता है तो हमारा उन पर विश्वास नहीं रहता है। अगर ऐसा कारण भी नहीं हो तो कम से कम महरबानी करके हमारा विश्वास है कि हमारे पुराने कुओं की योजना के आधार पर गांवों के आदमियों ने बोरिंग किया तो 40-50 फीट के नीचे कुओं के अन्दर अथाह पानी आ गया। आज इन गांवों में पाइप लाइन का आप बन्दोबस्त नहीं कर सकते हैं या उनमें असफल हो गये हैं तो महरबानी करके पुराने कुओं में बोरिंग करवा कर उन के अन्दर बिजली लगवा दें। इतना सा कर दें तो खराब होने की गुन्जायश नहीं रहेगी।

इसी सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रीड़ी के अन्दर 13 गांवों की योजना है। उस गांव के कुए से पानी न देकर बोरिंग कराकर कुआ खोद लिया। मुश्किल से 7 दिन कुआ चल सका कि उसकी मशीन टूट कर कुए के अन्दर रह गई। यह तो 7 दिन में मामला खत्म हो गया, अगर दूसरे कुए नहीं होते और दूसरे कुए जारी नहीं होते, तो गांव को प्यासा रहना पड़ता। आज तीन महीने हो गये वहां पर दुरुस्ती की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोई साधन नहीं रहता तो पानी का कोई जरिया नहीं होता। तो माननीय वित्त मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि वास्तविकता को देखें और वहां पर जो कुएं हैं उनको बोरिंग करवाया जाय...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री लूणाराम : माननीय निर्माण मंत्रीजी से इतना सा ही निवेदन है कि वह अकाल का क्षेत्र है और अकाल के क्षेत्र से और जगह आने जाने के लिए थोड़ी बहुत सड़कों की आवश्यकता होती है। लूणकरणसर से मूमलदेसर के बीच की सड़क हमारे लिए ही नहीं अपितु दक्षिणी और उत्तरी राजस्थान से पंजाब जाने के लिए बहुत आवश्यक है। लूणकरणसर से बीकानेर जिले के अन्दर सड़क डामर की बनी हुई है सभी चूरू जिले के काम हैं, वह बाकी हैं। वह सड़क मन्त्री महोदय योजना में शामिल करें तो बड़ी कृपा होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह सड़क इतनी खराब हो चुकी है। इसको ठीक करें तो सारी समस्या हल हो जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इतना ही निवेदन करूंगा, मेरे क्षेत्र डूंगरगढ़ में शाहदराबाद है। जहां दो हजार रुपये जमा कराये गये। 3 ठेकेदार बदल गये, पर अभी तक छात्रावास नहीं बना है। पंचायत समिति और वह आदमी इतनी आपत्ति करते हैं। जो मैटीरियल दिखाया है, वह नहीं है। यह स्थिति दो साल से चल रही है। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप विभागीय तौर पर देखें तो कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . . .

एक माननीय सदस्य : यह आपका नाम कैसे आ गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आपको भ्रम कैसे हो गया है ?

एक अन्य माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पहले था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष करीब 63 करोड़ की मांगें हैं। मेरे लिये यह बड़ी मुश्किल हो गई है कि कौन से विषय को पहले लूं। समय कम हैं। कैसे थोड़े समय में अपनी बात कह सकूं, बड़ी मुश्किल है। मैं समझती हूं सबसे महत्वपूर्ण अकाल राहत का काम है। इसलिए मैं सबसे पहले उसी के बारे में कहूंगी। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था एक करोड़ पचपन लाख लोग, राजस्थान के 24 जिले अकाल से प्रभावित हैं। यह अकाल तो वैसे राजस्थान की आये दिन की समस्या है। फिर भी इस साल काफी भयंकर अकाल पड़ा है। मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है। मुझे पता नहीं है किस जिले में किस पैमाने पर, किस हद तक काम हो रहा है। मैं तो अपने जिले की बात कहती हूं कि कुछ भी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

काम प्रारम्भ नहीं हो रहा है। मैं माननीय राज्य मन्त्रीजी, जिनके पास यह महकमा है, निवेदन करूंगा उसके साथ में वह मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। एक करोड़ आदमियों के जीवन मरण का प्रश्न है। उनको जिन्दा रखने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी के साथ में इसे देखें मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है। कितना भयानक अकाल है और फिर भी 21 करोड़ का प्रावधान है। मार्च के बाद अप्रेल और मई का महीना रह गया है। भगवान ने चाहा तो जून तक वर्षा हो जायेगी। अब तो शिथिलता नहीं बरतें। जहां कहीं काम लेना है, कम से कम एक सप्ताह में कार्यों को शुरू करा दें – ऐसा मैं निवेदन करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कामों में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह हमारे प्रदेश में जल की है। मानवीय जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी समस्या है, वह जल की है। इस प्रदेश में जलस्रोतों का नितान्त अभाव है। मुझे अफसोस होता है, लगातार मैं 18 साल से चिल्ला रही हूं।

श्री चन्दनमल बैद : जब आप मंत्री थीं तब भी चिल्लाती थीं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तब मैं आपकी जगह बैठती थी।

तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस समय अकाल की भयंकर समस्या है। आजादी के बाद सन् 1948 में भारत सरकार ने स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए एक समिति का निर्माण किया था इस कमेटी ने समाधान ढूंढकर अपनी रिकमण्डेशन्स दी वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उसका रेलेवेन्ट पोर्शन जो राजस्थान के बारे में है, पढ़ना चाहती हूं।

"This committee recommended specifically a comprehensive plan to provide supply and sanitation facilities for 90 per cent of the population within a period of 40 years."

यह 1948 में कमेटी बनी थी। इसने 90% कुओं के मामले में बात की। 1960 में एक कमेटी बनाई गई। उसका नाम था "दी नेशनल (अश्रव्य)" उस कमेटी की यह रिपोर्ट है कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने प्रभावशाली संगठित प्रयास नहीं किया। राजस्थान के माननीय मन्त्री महोदय को एक बात और निवेदन कर दूं। वह स्वयं एक रेगिस्तानी इलाके से आते हैं। ऐसे इलाके से आते हैं जहां खारा पानी है। कहीं पानी उपलब्ध भी नहीं होता है और उसका प्रभाव वहां सामाजिक जीवन की गहराई तक किस रूप में व्याप्त है, यह याद दिलाना चाहती हूं। मारवाड़ी के एक कवि ने कहा है–

बाबा ना देहि मारु बां वरी कुंआरी रहेस।
हाथ जेवड़ो, सिर घड़ो, सिंचती ही मरेस।।

मैं इसको स्पष्ट कर दूं।

एक माननीय सदस्य : अर्थ बता दीजिये। हम तो हाड़ोती के रहने वाले हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसमें एक कुंआरी लड़की अपने बाप से कहती है, बाबा मुझे ऐसे मरु देश में मत दे देना जिससे कि जीवन भर मेरे हाथ में रस्सी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रहे और सर पर पानी का घड़ा रहे। मैं पानी लाते लाते ही मर जाऊं। कम से कम ऐसे प्रदेश में मुझे मत देना।

मैं ऐसे प्रदेश से आती हूं, कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि वित्त मंत्रीजी बहुत रूखे हैं, मैं यह तो नहीं कहना चाहती हूं····

श्री मनोहरलाल : रूखे नहीं हैं। बहुत रसिक है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : माननीय सदस्या ने एक कविता सुनाई है। एक मैं भी कह रही हूं।

काचर, फोग, थली को मेवो,
दुर्लभ छ वो देवां ने।
दूध र दलियो खा म्हारी भूरी,
मत झूरे वो मेवा में॥

श्री रामकिशन : इसका अर्थ तो बता दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : थे खाली मोली बोलो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस विधान सभा में नॉन आफीशियल रिजोल्यूशन के रूप में करीब तीन बार इस बात को लोगों ने दुहराया था कि राजस्थान की जल समस्या का निराकरण करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाये। और उस समय राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन उस आश्वासन के बाद उसकी क्या गति हुई, मुझे नहीं मालूम। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि जलप्रदाय मन्त्रीजी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे!

श्री चन्दनमल बैद : आप भी उस समय मन्त्री पद पर थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इससे क्या हुआ जो भी सरकार की योजना थी, सरकार ने जो भी योजना का आश्वासन दिया है उसको पूरा करना चाहिए था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रजातन्त्र में तो हाकिम और हुक्काम दोनों ही साथ आते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं दोनों नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इस विषय में मुगालता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई, इसको वे स्पष्ट करने की कृपा करें। मैं इस विषय में तो सरकार की प्रशंसा करूंगी कि आपने नगरीय जलप्रदाय योजना में जो पैसा खर्च किया है वह अच्छा ही किया, आज करीब-करीब जितनी भी म्युनिसिपेलिटीज हैं वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं तो कुछ अंशों में ठीक कही जा सकती है। लेकिन देहाती क्षेत्रों में इस समस्या का निराकरण करने में अभी तक राज्य सरकार असमर्थ रही है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांवों में स्वच्छ और मीठा जल उपलब्ध नहीं कर सकते तो मैं समझती हूं कि जन कल्याणकारी राज्य कहलाने का जो दावा है वह झूठा साबित हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज 1971 की सेन्सस के अनुसार शहरों में करीब 45-50 लाख की आबादी है उस पर हमने 26 करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन ग्रामीण आबादी, जो करीब-करीब 2 करोड़ 10 लाख की है, पर प्रथम पंचवर्षीय

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

योजना से लेकर आज तक कुछ करोड़ ही खर्च कर पाये हैं। 24 हजार से ऊपर गांव हैं उनमें से केवल 2 हजार गांवों में हम पीने के पानी की व्यवस्था कर सके हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं मानवीय समस्याओं की दृष्टि से न केवल चूरू का ही ध्यान रखा जाय बल्कि सारा राजस्थान उनका है, यह मानकर चलना चाहिए और इस सम्बन्ध में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार सदन में यह घोषणा की गई थी कि जिन गांवों में खारा पीने का पानी है और जिसके पीने से नाहरू की बीमारी हो जाती है उन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये प्राथमिकता दी जायगी। लेकिन उस घोषणा के बाद भी वह घोषणा कायम नहीं रही। पूरा साल बीत गया। उस घोषणा का क्या हुआ? मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं उनकी घोषणा के बारे में। आखिर जो घोषणाएं की जाती हैं, उनके इम्प्लीमेन्टेशन की भी जिम्मेदारी है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में मैं और अधिक समय नहीं लेती हुई, क्योंकि समय की बहुत कमी है, उनसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि वह इन गांवों में पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था के लिये और नाहरू की बीमारी को रोकने के लिये इस बार प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायें।

माननीय उपाध्यक्षजी, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में वैसे तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी को, जो प्रगतिशील विचारों के हैं, यह तो नहीं कहना चाहती, परन्तु व्यक्तिगत तौर पर अस्पतालों की चर्चा करके एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते अपना फर्ज निभाना आवश्यक समझती हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि झुन्झुनू जिले के हैडक्वार्टर पर एक राजकीय अस्पताल है, भगवानदास राजकीय अस्पताल। इसकी बहुत ही दुर्व्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो अस्पताल करीब 6 लाख रुपये की लागत से किसी प्राइवेट डोनेटर ने बनवाया था, और काफी अच्छी हालत में वह लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कर रहा था लेकिन इस बार वह अस्पताल एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। डाक्टर, जिसके पास मानव की सेवा का काम है, को न मरीज की चिन्ता है और न बीमारी की। दवाइयों का भी वहां पर बहुत बुरा हाल है। वहां पर आज कल बहुत राजनीति चल रही है। इसके बारे में मैं चिकित्सा मन्त्रीजी से भी मिल चुकी हूं, लेकिन ताज्जुब है, पता नहीं क्यों और किस कारण से उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि आज झुन्झुनू जिले के हैड-क्वार्टर पर जो अस्पताल है उसकी हालत इतनी खराब हो रही है कि वहां पर एक डाक्टर है, वह आने वाले मरीज से पूछता है कि कौनसी पार्टी का है। एक पार्टी का नाम बतायेगा तो उसको भर्ती कर लेंगे और दूसरी पार्टी का नाम बतायेगा तो दवा देकर भेज देंगे। डॉक्टर कह देता है इसको प्रेस्क्रिप्शन देना और घर भेज देना।

श्री रामकिशन : पार्टी का मतलब आपका राजनैतिक पार्टी से है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां।

श्री रामकिशन : अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं केवल समझी जाती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि वहां पर एक डॉक्टर था, पब्लिक सर्विस कमीशन से उसका सलेक्शन नहीं हो सका। उसने वहां पर प्राइवेट चिकित्सा केन्द्र खोल लिया। झुन्झुनू में ऐसी खराब हालत हो गई है कि वहां पर किसी से पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि झुन्झुनू के अस्पताल में गधे भी जाना पसन्द नहीं करते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या वह जानवरों का अस्पताल है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, अस्पताल तो आदमियों का है।

श्री रामगोपाल : क्या वहां पर गधे जाते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब वहां पर आदमी नहीं जायगा तो कोई भी एनीमल जायगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लेकिन यह कहने से आपका मन्त्री महोदय से क्या सम्बन्ध है ?

श्री चन्दनमल बैद : अपना सबका सम्बन्ध तो एक ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली बार जो ड्रग्स और डाइट्स के विषय में पैसा बढ़ाया गया था, वह समय की आवश्यक्ता को देखते हुए अच्छा ही किया था। लेकिन अब आप झुन्झुनू अस्पताल का सुधार करने पर भी विचार करें। जहां तक परिवार नियोजन का ताल्लुक है मैं मन्त्री महोदय और सरकार दोनों से ही कहना चाहूंगी कि उसकी दशा भी बहुत खराब है। अभी 15-20 दिन पहले ही की बात है एक मुस्लिम महिला को टुबक्टोमी के लिये भर्ती कराया गया। उसको कहा गया कि कल आपरेशन होगा, शाम को खाना नहीं खायेगी। उसने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन उसको आपरेशन टेबल पर ले जाया गया, वहां पर उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारीजी कहते हैं कि आज तुम्हारा आपरेशन नहीं करेंगे, एक अपेन्डिसाइट का केस है वह बहुत जरूरी है, उसका आपरेशन करना है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम उसको आपरेशन टेबल से तो वापस नहीं भेजना चाहिए, अपेन्डिसाइट का आपरेशन कोई ऐसा एक्यूट आपरेशन नहीं है। आखिर कोई आदमी उसको मोटीवेशन करके लाया था। लेकिन इस हालत के बावजूद डाक्टर ने आपरेशन थियेटर से वापिस भेज दिया। नतीजा यह निकला, वह महिला वहां से चली गई। इस सम्बन्ध में लोगों ने शिकायत की, चिकित्सा मंत्रीजी को प्रतिवेदन भेजा, काफी शिकायत की लेकिन चिकित्सा मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने नहीं सोचा, यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है सरकार की नीति है, अभी जो गवर्नर साहब का अभिभाषण हुआ था, उसमें पढ़ा

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)]

था, हमारी पर-केपिटा इन्कम में आज 8.51 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई नहीं 8 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई और हमारी आबादी में 8.51 की बढ़ोतरी हुई है। तो परिवार नियोजन किस हद तक सफल हो रहा है, किस हद तक नहीं–यह आंकड़ों ने सिद्ध कर दिया है। मैं समझती हूं, माननीय चिकित्सा मंत्री हैं वे इस प्रोग्राम के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। अगर निष्ठावान होते तो उस डाक्टर के खिलाफ जरूर किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही करते। इसके विपरीत किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना, कोई हमदर्दी नहीं दिखाना, कोई एक्स्प्लेनेशन काल नहीं करना–मैं समझती हूं, इस बात का द्योतक है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, आस्थावान नहीं हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट में समाप्त करती हूं।

अन्त में इस सबके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में दो शब्द कह देना चाहती हूं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वैसे सार्वजनिक निर्माण के बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या सड़कों की हालत है, हिन्दुस्तान के एवरेज के मुकाबले और प्रान्तों के मुकाबले हम कितने पीछे हैं, रख रखाव की आज के दिन क्या अवस्था है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, सीकर से झुन्झुनू जाने वाला स्टेट हाई है, उस स्टेट हाई वे को देखें, बड़ी खराब हालत है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री आधे रास्ते तक गये हैं, इतनी खराब हालत है स्टेट हाई वे की कि कह नहीं सकते। मैं यह कहती हूं कि इस बात को माना जा सकता है कि हमारे सामने फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि राजस्थान सरकार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे मन में शुबहा शंका होती है। एक तरफ फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी की बात करते हैं यद्यपि एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, उसका ठीक होना आवश्यक है, और जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि छः करोड़ रुपये आपको कृषि उपज मण्डी से मिलेंगे, उसको आप सड़कों के रख रखाव पर खर्च करिये, क्योंकि वह जोधपुर से आते हैं इसलिए उनके लिए सड़कों की अहमियत है, यह मानती हूं माइन्स के लिए भी और आने जाने के लिए भी, लेकिन मैं समझती हूं कि छः करोड़ रुपया आप जलप्रदाय योजनाओं के लिए दे दें, खास तौर पर देहाती इलाकों के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा।

मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री को एक बात और निवेदन कर देना चाहती हूं। दिल्ली के अन्दर जोधपुर भवन है। जोधपुर हाउस है, मंत्रियों के ठहरने के लिए, रख रखाव के लिए और ऐशो आराम के लिए उसमें तरमीम कर सकते हैं और पांच लाख रुपये खर्च कर सकते हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आठ लाख !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन दूसरी जरूरी बातें हैं, उसके लिए यह कहें कि आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं–तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। आखिर इसका क्या जस्टिफिकेशन है ? राजस्थान हाउस अच्छी हालत में है, राजस्थान हाउस में मंत्री ठहरें, मुख्य मंत्री ठहरें–मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि पूरा आराम वहां नहीं मिलता है। फिर

Page No 246

(246)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पांच लाख जोधपुर हाउस पर मौजूदा आर्थिक स्थिति में खर्च करने की क्या आवश्यकता थी ? एक तरफ वित्त मंत्री अपने भाषण में कहें, हमने यह मितव्ययता की है, हमने यह मितव्ययता की है, इस तरह इतने करोड़ रुपये बच जायेंगे, दूसरी तरफ ऐसी नजीर पेश करते हैं जिससे जन साधारण, आम आदमी मन में सोचता है कि नहीं, इनको जो करना है वही करते हैं। मुझे याद आ रहा है, वह बात मैं भूली नहीं हूं, जिस दिन, जो अल्पाहार गृह विधान सभा भवन में बना है, उसके उद्घाटन के वक्त माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा, यह बात सही है कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन जो करना चाहते हैं जो उसके लिए कहीं न कहीं से पैसा निकाल सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं, उस बात को माननीय समस्याओं के लिए भी सप्लाई किया करें, कुछ बातों पर नहीं। यह विधान सभा भवन बहुत अच्छा है, मैं आपसे कहती हूं, कई स्टेट के विधान सभा भवन मैंने देखे हैं और उन्हें देखने के बाद में कह सकती हूं कि राजस्थान विधान सभा भवन और असेम्बली हाउसेज के मुकाबले कम अच्छी नहीं है। मैंने कई जगह देखे हैं, इसलिए मैं कह रही हूं कि कम अच्छा नहीं है। मैं निवेदन कर रही हूं ऐसे खर्च करके आप जनता के सामने अपनी बात को जस्टीफाई नहीं कर सकते, आर्थिक परिस्थितियों में से गुजरने की बात जस्टीफाई नहीं कर सकते। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह आशा रखते हुए निवेदन करूंगी कि सीकर से झुंझुनू की जो सड़क है, जिसे स्टेट हाई वे कहते हैं, वैसे स्टेट हाई वे तो क्या विलेज हाई वे कहने में भी शर्म की बात है, जो उस पर गड्ढे खुदे पड़े हैं, जितनी कम चौड़ी है और जो रख रखाव किया जा रहा है, उससे कह रही हूं कि स्टेट हाई वे की बात छोड़िये, विलेज हाई वे कहने लायक है।

इन शब्दों के साथ सभी माननीय मंत्रियों से, जिनकी डिमाण्ड्स के ऊपर मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर गम्भीरता से मनन करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! विराजिये!

श्री किशन मोटवानी : मैं व्यवस्था की बात कह रहा हूं। मेरा नाम पार्टी के चीफ व्हिप की तरफ से नहीं आया है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिये। 9 बज कर 27 मिनिट हुए हैं। पांच माननीय मंत्री हैं जो बोलेंगे। आप सुनिये इस बात को वी मस्ट बी कन्सोडरेट अबाउट आल फेक्टर्स। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 9.30 बजे शुरू करते हैं तो करीब तीन घण्टे कम से कम लगेंगे और साढ़े बारह बजे से पहले कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती। आप जैसा आदेश दें, मैं वैसा करूं।

श्री ओंकारलाल चौहान : पांच पांच मिनिट दे दें।

श्री रामगोपाल : पांच मिनट। सुबह से तपस्या कर रहे हैं।

श्री किशोरीलाल : आपने सारे जिले के कार्यकर्त्ताओं को मौका दिया है,

(श्री किशोरीलाल)
उदयपुर के किसी कार्यकर्त्ता को मौका नहीं दिया। हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं यह अफसोस की बात है। एक जिले के तीन चार कार्यकर्त्ताओं को बोलने का मौका दिया, यह न्यायसंगत नहीं मानता। कृपा करके बोलने दीजिये।

श्री श्रीरामगोटेवाला : आप बोल कर क्या करेंगे, राज्य कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी अर्ज सुन लीजिये।

श्री किशोरीलाल : मेरा 20वां नम्बर था। उसके बाद कई बोल चुके हैं। आपकी चेअर से यह बात नहीं होनी चाहिए।

श्री फूलचन्द जैन : आपका नम्बर 24-वां नहीं है।

श्री चतरभुज : राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके बाद ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विराजिये।

श्री चतरभुज : उसके बाद में मौका नहीं दिया।

श्री किशोरीलाल : आप कृपा करके बोलने का मौका दीजिये। देर हो जायगी तो हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपको चिन्ता नहीं है। हाउस की बात है वैसे हाउस सुबह चार बजे तक बैठना चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तीन घण्टे मंत्रियों को जवाब देना है नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : पांच डिपार्टमेंट हैं। जवाब देना है। क्या बात है।

श्री गोपाल जोशी : मंत्रियों को समझे समझाये हैं। वैसे सुनेंगे। आप ज्यादा मत बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल जोशी : शुरू शुरू में जिन लोगों को मौका दिया गया, उनको ज्यादा मौका दिया गया। पहले कटौती हो तो सारा काम निपट जाता।

एक माननीय सदस्य : द्रौपदी के चीर की तरह सब लम्बा भाषण दे रहे थे।

श्री गोपाल जोशी : शुरू में टाइम मिल जाय। अब हमें नहीं मिले यह अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जान मोहम्मद खां ?

हाजी श्री जान मोहम्मद (चिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनसंख्या 2.57 करोड़ है और 26 जिले हैं। यहां चर्चा होती है पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान वाले तो रोटी और पानी के लिए रोते हैं और पूर्वी राजस्थान वाले बिजली के लिए रोते हैं पश्चिमी राजस्थान का मामला अहम भी है, रोना चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए। मैं उस सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पिड़ावा से एम०पी० एक सड़क है, 10 किलो मीटर है। दो नाले हैं। बारिश में 6–6 घंटे भरे रहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है पुलिया न बनाने की वजह से। 16 किलो मीटर का एक हिस्सा है इसमें से 6 किलो मीटर हमारी रियासत में है बाकी हिस्सा एम०पी० में है। 16 साल

(हाजी श्री जान मोहम्मद)

तक राजस्थान के कब्जे में रहा फिर वह सड़क वापस कर दी। यह 6 किलो मीटर सड़क इतनी खराब है कि बरकत साहब के इंतकाल बाद से गवर्नर साहब से भी मिला था उनसे भी कहा। उन्होंने फरमाया कि घबराओ मत, मैं कोशिश करूंगा। एम०पी० के मुख्य मंत्री सेठी को भी मैंने पत्र लिखा, हम उनके वालिद को दादा गुढ़ा कहते थे, मैंने उसका हवाला दिया। मैंने लिखा कि हमारे यहां राजस्थान के राज्यपाल पधार रहे हैं, आप भी पधारिए, आपके दादा यहां के रहने वाले हैं, वह 6 किलो मीटर सड़क हमारे राज्य में है। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो फुरसत नहीं है लेकिन मैंने सड़क बनाने के बारे में लिख दिया है हमारे शेयर की सड़क जल्दी बन जाएगी। वाकई वह अब बन गई है और वहां डामर हो रही है। एम०पी० के मुख्य मंत्री कितने अच्छे आदमी हैं। एक पत्र पर काम कर दिया। 6 किलो मीटर पर डामर पड़ रहा है। हमारी जो सड़क है उसमें दो पुलिया हैं, नाले हैं यदि बनवा दें तो जनता की तकलीफ दूर हो सकती है। लेकिन मंत्री तो इतना भी काम नहीं कर सकते। बारिश में तो रास्ता ही बंद हो जाता है। इसलिए और पुलिया बनादें तो अच्छा होगा। एक लाख रुपए खर्च होगा और क्या ?

दूसरी सड़क है पिड़ावा से कोटड़ी 4 किलो मीटर है। उस पर ढाई लाख रुपए खर्च किए। 8–10 ट्रक पत्थर के डाल दिए, त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव इंजनीयर थे और पटेल भी थे। दोनों सस्पेंडेड हैं, एनक्वायरी चल रही है। वह केस किस स्टेज पर है ? कब तय होगा, आखिरकार कोई हद होती है, 5 साल व 10 साल ढाई लाख का घोटाला है। वहां मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार भी सदन में यह बात रखी थी। ऐसे आदमियों को सजा मिलनी चाहिए।

एक और सड़क है पिड़ावा से सुनेल वहां अगर दो तीन पुलियां बनाई जायं तो कम से कम बारिश में रास्ता चालू हो सकता है। सुनेल और भवानी मंडी के बीच कच्ची सड़क है। तो आप त्रिपाठी इंजीनियर की एनक्वायरी करें, मौके पर कुछ नहीं है।

मेडिकल के मिनिस्टर छंगाणी नहीं हैं, उनको बैठना चाहिए था और हमारी बात को उन्हें सुनना चाहिए। हमारी शिकायत यह है हमारे यहां पी० एच० सी० का शफाखाना है, दो तीन साल हो गए बने हुए लेकिन कोई बाऊंडरी वाल नहीं, कोई हिफाजत नहीं। कुत्ते, गाय, भैंस बैठे रहते हैं रात दिन। 24 घंटे वहां जानवर पड़े रहते हैं। बाऊंडरी वाल पर 5–6 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं है।

एक मांग और है जो मैं 3 साल से कह रहा हूं। पिड़ावा झालावाड़ से 40 मील है। वहां लेडी डाक्टर नहीं है। मंत्री कहते हैं कि कोई जाना नहीं चाहती तो नर्स को ही भेज दो लेकिन कुछ तो करो 3–3 साल से हम कह रहे हैं। मेहरबानी करके वहां लेडी डाक्टर भेजो। ऐसे डाक्टरों को बरखास्त करो जो जाना नहीं चाहते, सख्ती की जाय उनके साथ जो नहीं आना चाहते। झालावाड़ से 40 मील दूर है, गरीब गांव है तो यह है हालत शफाखाने की। दवाइयां भी खत्म हो जाती हैं,

(हाजी श्री जान मोहम्मद)
लोग पट्टी मोल ले आते हैं, इन्जेक्शन मोल ले आते हैं, तो शफाखाना किस मर्ज की दवा है। इसलिए इस पर एक्शन लेना चाहिए।

यूनानी और आयुर्वेद शफाखाने हजारों साल से हिन्दुस्तान में रहे हैं, दवा महंगी नहीं होती। अंग्रेजी इलाज में तो फायदा हो जाए फिर बीमारी हो जाए लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। यूनानी दवाखाने राजस्थान में ए क्लास 3, बी क्लास 6, आयुर्वेद के ए क्लास 36। बहुत से आदमी रोते फिरते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती यह भेदभाव क्यों? आयुर्वेद और यूनानी दोनों बराबर हैं, दोनों को एक तरह से देखना चाहिए। राजस्थान में 26 जिले हैं, कम से कम एक लाख लोगों पर एक यूनानी दवाखाना खुलना चाहिए। ताकि दवाईयों में दिक्कत पेश नहीं आये। मैं इसके साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मौजूदा राजस्थान में जो हालात हैं वह अच्छे नहीं हैं। आज वहां पर जो भी अस्पताल हैं वहां पर काम अच्छा नहीं होता हैं राज्य सरकार उन अस्पतालों को एड भी देते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे कि वहां पर ठीक तरह से काम चल सकेगा इसके अलावा आप यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

हाजी श्री जान मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पिड़ावा में वाटर वर्क्स की एक स्कीम है जहां पर राज्य सरकार ने सिर्फ 25 कनेक्शन तो दिये हैं बाकी के लोगों को कोई कनेक्शन नहीं दिये हैं। यह इस तरह आधों को कनेक्शन देना और आधों को कनेक्शन नहीं देना कहां तक उचित है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप जो बच गये हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की व्यवस्था करें। इसके अलावा वहां पर कुए तो ज्यादा हैं पानी की कमी नहीं है लेकिन जब राज्य सरकार ने एक योजना बनायी है तो उसको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये। वहां पर हरिजन मौहल्लों में पानी की ठीक तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। पिछड़े वर्ग के लिये तो आपने योजना बनाई है और उसमें भी आपने सिर्फ 25 कनेक्शन ही दिये हैं तो यह ठीक व्यवस्था नहीं है। अगर योजना बनायी है और उसे लागू करना ही है तो उसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये। पूरे गांव में ही जिन जिन लोगों ने कनेक्शन मांगे हैं उन्हें मिलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये 15 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं।

हाजी श्री जान मोहम्मद : सदरे मोहतरम, मेरा अर्ज यह है कि जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तो मिनिस्टर साहब को यहां पर बैठना चाहिये था। छंगाणीजी यहां पर नहीं हैं हम अगर अपने ऐरिया की बात कहना चाहते हैं तो फिर कैसे कहें, किसको कहें। उन्हें यहां पर बैठे रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये। श्री किशोरीलाल।

हाजी श्री जान मोहम्मद : क्या बैठें साहब। हम हमारे ऐरिये की दिक्कतें

(हाजी श्री जान मोहम्मद)
अर्ज कर रहे हैं। मन्त्री महोदय यहां पर नहीं हैं। यह तो गैर जिम्मेदाराना काम है। उन्हें यहां पर हाजिर रहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशोरी लाल।

श्री किशोरी लाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने बैठे हुए हैं। मान्यवर, आज अकाल, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य परिवार नियोजन, की मांगों पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मान्यवर, उदयपुर जिला आज कई वर्षों से लगातार अकाल की चपेट में आ रहा है। सारा का सारा एरिया अकालग्रस्त है। मान्यवर, हमारे वहां पर आदिवासी ज्यादा है और वहां पर उन लोगों की अकाल के कारण ऐसी भयंकर स्थिति है कि उनका जो दूभर हो रहा है वैसे तो अकाल के नाम पर राजस्थान में सभी जगह पर पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन हमारे यहां उदयपुर जिले में पिछले 27 सालों तक अकाल पड़ने पर भी हमारे यहां पर अकाल राहत कार्य पूरी तरह से नहीं खुल पाते हैं। इसका कारण यह है मान्यवर, कि पहले तो मुख्य मंत्रीजी हमारे उदयपुर के थे तो वह किसी प्रकार का विशेष खर्चा नहीं कर सकते थे और आजकल अकाल राहत मंत्रीजी खुद उदयपुर जिले के हैं इसलिये हमारी तो जबान बन्द रहती है हम तो वहां के बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य : जबान बन्द कहां आप तो बोल रहे हैं।

श्री किशोरी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां की अकाल के कारण स्थिति बहुत ही खराब है और वहां पर काम नहीं खुल रहे हैं तो फिर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना ही पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि उदयपुर जिले के अन्दर करीब 6-7 लाख आदिवासी लोग इस भयंकर अकाल की विभिषिका से पीड़ित हैं वहां पर अकाल राहत कार्य खुले हुए नहीं हैं उनके पास कोई काम नहीं हैं लोगों के पास अपनी दोनों वक्त की रोटी खाने का अब कोई जरिया वहां पर नहीं रह गया है। ऐसी दयनीय स्थिति से सारा उदयपुर जिला गुजर रहा है कि आप वहां पर जाकर देखें तो पता लगे कि कितनी भंयकर हालत वहां के आदिवासियों की है। इसलिये मैं अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इतना अकालग्रस्त ज्यादा ऐरिया है जहां पर आपको कम से कम एक लाख श्रमिकों को काम देना चाहिये था वहां पर आपने सिर्फ 5-6 हजार श्रमिकों को ही काम दिया है यह तो नहीं के बराबर है। मान्यवर, जिस मन्द गति से काम चल रहा है उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां के लोगों की हालत दिन-दिन खराब ही होती जाती रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है मान्यवर, कि अगर आपने अब भी वहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले और लोगों को रोजगार धन्धा नहीं दिया तो लोग जैसा कि सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अकालग्रस्त क्षेत्र में लोग भूख से मर सकते हैं यह बात सही हो जायेगी। ऐसी बात मान्यवर, अब निकट दिनों में कभी भी हो सकती है। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, फेमिन ऐरिया में अगर जहां कि जनता

(श्री किशोरी लाल)

अकाल की विभिषिका से भयंकर पीड़ित हो वहां पर अगर काम नहीं चले लोगों के पास खाने कमाने को कोई धन्धा नहीं हो तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिये क्या हो सकती है। इसलिये मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी जो कि खद उदयपुर जिले से ही आते हैं उन्हें निवेदन है कि अकाल का मुकाबला करने के लिये ठोस कदम उठाये जायें। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को पहला सुझाव तो यह देना चाहूंगा कि पिछले अकाल के समय जो अकाल राहत कार्य खोले गये थे और वह बाद में अकाल राहत कार्य बन्द होने पर अधूरे ही रह गये थे उन्हें पूरे कराये जाने चाहिये इसमें पहलेपहल अपने को उन सिचाई योजनाओं को लेनी चाहिये जो कि अधूरी पड़ी हैं इसके अलावा क्षाण का पानी रोकने के लिये नहरों की लाईनिंग करायी जानी चाहिये। तथा जहां कहीं डाईवर्स नहरों के अधूरे ही रह गये हैं उनकी खुदाई की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि सिंचाई हो सके। इसके साथ ही आप जयसमन्द फीडर को पूरा करायें जिससे कि हमारे सलूम्बर, सराड़ा, आसपुर तहसील वाला एरिया सिंचित हो सकता है। माननीय सिंचाई मंत्री, आप कमला आम्बा बान्ध बंधाने की कार्यवाही कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उससे हमारे यहां की तीन तहसीलों की कई गांव डूबते है अतः इसको बंधाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जयसमन्द फीडर सिंचित कर सकती है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का अभाव है उसे पूरा करावें तो एक तो हमारे वहां का विकास का कार्य हो जायेगा, स्थायी कार्य होगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा वहां पर छोटी मोटी नदियां हैं उन पर पुलियाओं की व्यवस्था नहीं है वह भी की जानी चाहिये इसमें सलूम्बर-फलसाद रोड गोमती पर पुलिया बनाना आवश्यक है। इसके अलावा सलूम्बर,-उदयपुर रोड वाया नीगंचा गोमती पर भी पुलिया बनावें। इसके अलावा सलूम्बर कीर की चौकी रोड पर उसके घाट गोपनीय पुलिया को पूरी करावें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह काम वहां करावें तो वहां की जनता को काफी सुविधा मिल सकती है। नहीं तो आज स्थिति वहां इतनी खराब है कि वहां के आदिवासी भाई भूख से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य खोल कर लोगों को अकाल की विभिषिका से बचाने की व्यवस्था करें। तथा वहां के लोगों को खाने के लिये अनाज भी जल्दी से जल्दी सप्लाई किया जाय।

अब मैं थोड़ा स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। इसमें पहले हमारे उदयपुर जिले के एरिया में दो प्रकार की बीमारियां ज्यादा होती है उपाध्यक्ष महोदय, एक तो है नारू बीमारी और दूसरी हैं मलेरिया की बीमारी से हमारे वहां के लोग बहुत शिकार होते हैं। जैसा कि लोकस्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े दिये हैं कि अब राज्य सरकार ने नारू और मलेरिया नियन्त्रण कर लिया है पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। यह आंकड़े सही नहीं है हमारे उधर नारू मलेरिया की शिकायत बहुत ही ज्यादा है इसलिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन बीमारियों को रोकने की व्यवस्था तुरन्त की जावे।

(श्री किशोरी लाल)
तथा वहां पर जो भी इनके लिये औषधियां वगैरह देने की व्यवस्था को बढ़ाया जाय ताकि लोगों को राहत मिले। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो औषधियों में मिलावट है उसके लिये भी सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। जहां तक गावों में जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जैसा कि सुमित्राजी ने कहा कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का अभाव है एवं औषधियां तथा साधनों की कमी है उन्हें दूर किया जाना चाहिये, वहां पर पूरा स्टाफ होना चाहिये। नहीं तो आपने चिकित्सा केन्द्र खोल दिया, पर वहां बीमारी के निदान करने की कोई सुव्यवस्था ही नहीं है जिससे कि वहां पर लोगों का इलाज नहीं हो सकता है। आये दिन मृत्यु के शिकार होते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार उदयपुर जिले के अन्दर जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं पिछड़ा क्षेत्र है उसमें जनता को अच्छी चिकित्सा मिले इसके लिये वहां पर निदान के साधन और दवाईयां दोनों ही उपलब्ध होनी चाहिये। नहीं तो वहां पर इन दवाईयों के अभाव में वहां के लोग भगवान के भरोसे पर आज पिछले 27 साल से बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

आर्डर आर्डर, प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि 10 बजे गवर्नमेन्ट का रिप्लाई शुरू हो जायेगा ऐसा मुझे अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश मिला है अत: माननीय सदस्य सिर्फ खास मुद्दों को ही बयान कर समाप्त कर दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोग बोलने वाले हैं कम से कम समय तो माननीय सदस्यों को दिया जाना चाहिये ताकि वह अपने क्षेत्र की असुविधायें मन्त्री महोदय को निवेदन कर सकें। इसके लिये आपको चाहे कितना ही समय लगे चाहे हमें रात के चार बजे तक बैठना पड़े हम बैठेंगे आपको समय देना चाहिये। नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया।

(9.48 रात्रि)

(श्री फूल चन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति : आपका कहना सही है लेकिन अध्यक्ष महोदय ने मुझे जो आदेश दिया है वह मैं आपके सामने बता रहा हूं। वैसे भी दस बजे अगर रिप्लाई शुरू होगा तो 12 बजे तो यों ही बज जायेंगे। माननीय सदस्य जितना संक्षेप में कह सकें कहें।

(कई सदस्य बोलने पर अश्रव्य : शोरगुल)

स्थान ग्रहण करें, आर्डर, आर्डर प्लीज। आखिर कोई सदन का समय अनिश्चित समय तक तो चलाया नहीं जा सकता। आप लोगों के बोलने के बाद मन्त्री महोदय अपना रिप्लाई देंगे इसमें काफी समय लगेगा इसलिये मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें समय को रेग्यूलेट करने की आवश्यकता है। श्री किशोरी लाल।

श्री किशोरी लाल : मान्यवर, अब मैं थोड़ा प्राथमिक केन्द्र में आज प्रसूति गृह का अभाव है वहां पर प्रसव के लिये सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमारे वहां पर हर साल सैकड़ों महिलाओं की मृत्यु का शिकार होना पड़ता है।

(श्री किशोरी लाल)

क्योंकि अर्थाभाव के कारण उदयपुर जैसी जगह में नहीं जा सकते हैं। इसलिये मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि तहसील हैडक्वार्टस पर प्रसूति गृह होने जरूरी हैं अतः इस ओर ध्यान देकर खोलें।

दवाई और इन्जेक्शन जो आ रहे हैं उनके प्रति लोगों में एक प्रकार की भयावह स्थिति पैदा हो गयी है कि बचेंगे या मरेंगे। इन्जेक्शन लगाते समय लोग मर जाते हैं। गोलियां का भी विषैला प्रभाव पड़ता है। लोग सोचते हैं कि बचेंगे या नहीं। इसलिये जिन कम्पनियों के द्वारा दवाइयां तैयार की जाती हैं वहीं पर उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहियें ताकि लोग सुरक्षा पा सकें।

आयुर्वेद का जहां तक प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद की उपेक्षा की गयी है। उसका बड़ा ही अफसोस है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि न दवाइयां हैं, न आयुर्वेद के लिये कोई मकान है, न कोई गुन्जाइश है। आयुर्वेद के जितने वैद्य हैं उनका वेतनमान भी गिरा हुआ है। उनकी उपेक्षा की गयी है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ही सुरक्षा हो सकती है जीवन की इसलिये आयुर्वेद को सफल बनाया जाय और जितनी भी इसको सुविधा हो सकती है दी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : हर एक पर बोलें; यह जरूरी नहीं है। मुद्दे की बात हो वह कह दें।

श्री किशोरी लाल : राष्ट्रीय प्रोग्राम की क्या हालत हुई है। मैं बताऊं कि धर्म के नाम से लोग बचे हुए हैं। सफलता के जो आंकड़े हैं वे केवल बुद्धिजीवियों के आंकड़े हैं। लाखों करोड़ों का इस पर खर्चा कर रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है। जो बुद्धवान् लोग हैं वे स्वयम् इसको जानते हैं और पालन करते हैं। अपनी संतान जितनी ही कम हो, कम होना पसंद करते हैं और पिछड़े इलाकों के लोगों को इस प्रोग्राम में लिए जाने के लिए प्रचार प्रोपेगण्डा की व्यवस्था करना जरूरी है। रुपया आप इस पर बरबाद कर रहे हैं उससे बचा जाय और सुदृढ़ कदम उठाये जायं। वित्त मंत्रीजी पधार गये हैं। जल प्रदाय योजना के लिये निवेदन किया चाहूंगा। सलूम्बर तहसील में जलप्रदाय योजना लागू कीजिये। कंठाजी खेड़ा, एरिया, गींगला, मकराना में स्वच्छ पानी की कमी है अतः वह योजना शीघ्र स्वीकृत करावें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री किशोरी लाल : दो मिनिट में।

मेरे पूर्व साथियों ने यह बात कही कि उदयपुर तहसील में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। निर्माण मंत्रीजी बिराजे हुए हैं। क्या हालत है ? आप स्वयम् जानते हैं। पुलियायें नहीं हैं। चावंड, पारसोला गोमती पर पुलिया नहीं है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। कमी नही है यह कहें तो शोभनीय नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें

श्री किशोरी लाल: माननीय मंत्री महोदय का ध्यान में विभाग में अस्थाई जो कर्मचारियों को रखा जाता है काफी अर्से तक, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। छः महीने रखा और निकाल दिया। कई बार दो-दो, तीन-तीन साल तक रख कर निकाल देते हैं। इसलिये ऐसे लोगों को स्थायी करने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अब मैं आपको समय नहीं दे सकता।

श्री ओंकारलाल।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग): माननीय सभापतिजी, मैं केवल सार्वजनिक विभाग की मांग पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1974-75 एवं रूपरेखा 1975-76, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिया है। उसको देखने से पता लगता है इसमें काफी लम्बाई चौड़ाई सड़कों की अच्छी तरह से दिखायी गयी है। लेकिन इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि क्या योजना है? क्या प्लानिंग है। राजस्थान के अन्दर 26 जिले हैं और जितने भी फण्ड्स हमारे पास हैं, वे एक सीमित दायरे में हैं, उसके देखते हुए, 26 जिलों को देखते हुए, हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार डिपार्टमेन्ट ने सर्वे किया, क्या योजनायें बनायी, कौनसे ऐसे जिले हैं 26 जिलों में से जो बिल्कुल खराब हालत में, जहां सड़कों की दुर्दशा है और विभाग ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आंकड़ों से रखना चाहूंगा। उदयपुर जिले के आंकड़ों से, जहां से वे आते, उदयपुर में 75-76 में 12.96 लाख, 11.16 लाख, डूंगरपुर 7.00 लाख। चित्तौड़गढ़ में 11.19 लाख, भीलवाड़ा में 6.09 लाख। कुल मिला कर 74-75 में 42.55 लाख और 75-76 में 53 लाख का प्रावधान किया है। चूरू जिले में 75-76 में 10.00 लाख। जस्ट डबल। श्रीमन् कोटा डिविजन की हालत देख लीजिये।

कोटा डिस्ट्रिक्ट	74-75 में	6.05 लाख
	75-76 में	7.00 लाख
बूंदी ,,	74-75 में	5.00 लाख
	75-76 में	9.00 लाख
झालावाड़	74-75 में	4.50 लाख
	75-76 में	20.00 लाख

मंत्री महोदय, जरा भी ध्यान देते आंकड़ों की ओर और यह कोशिश करते कि कौनसा जिला इस प्रकार का है जहां पर सड़कों का विकास होना चाहिये, Road is the source of economic prosperity, हरियाणा देख लीजिये, मध्य प्रदेश को देख लीजिये। पंजाब को देख लीजिये। सड़कों के कारण मध्य प्रदेश बड़ा राज्य होते हुए भी उसका विकास ज्यादा हुआ है जब कि हमारे यहां पर वह कम हुआ है।

बजट पेश किया था उस समय भी निवेदन किया था। यह सही है कि टैक्स नही लगाया। बट इट इज नोट ए प्रोग्रेसिव स्टेप। जो आपको सोर्सेज मोबिलाइज

Page No 255

(255)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

करने चाहिये, एडीशनल टैक्स लगा कर रोड्स का निर्माण कर सकते थे । कोटा डिविजन की तो और भी बड़ी दयनीय दुर्दशा है। झालावाड़ तो बरसात में टापू हो जाता है । बूंदी में कोई एप्रोच रोड नहीं । दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया । कोटा से इटावा । ठीक नहीं है, कोटा से शाहबाद शिवपुरी को देख लीजिये । मैं सारे आंकड़ों से सिद्ध कर सकता माननीय सभापतिजी, रोड्स की इतनी दुर्दशा है और यह भी मैं माननीय मंत्री से कहूंगा । इन 27 सालों में पुराने आंकड़े भी ले लें । माननीय सभापतिजी, जो उदयपुर से आते हैं हमें उनसे कोई उपेक्षा नहीं है । हम सराहना करते हैं, विकास करते हैं ठीक है विकास होना चाहिये लेकिन इसका मतलब यह रख दें । नहीं है कि आप कोटा डिविजन को भुला माननीय सभापतिजी, ध्यान दीजिये कोटा डिविजन की हालत बहुत खराब है जहां से टेक्सेज के रूप में करोड़ों रुपया लेते हैं हमको देते क्या हैं ? मैं समझता हूं, बड़ी दयनीय स्थिति है कोटा की और आपको ध्यान देना चाहिये । बजट के बनाते समय और बजट का एलोकेशन करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा, कौनसा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा गांव जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं उनको इस प्रकार जोड़ें कि यातायात के साधन ठीक हो सकें सभापति महोदय, I am trying to sum up as early as possible.

मैं झालावाड़ जिले की रोड्स, दूर्गालिय रोड जो मध्य प्रदेस से मिलती है, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की रोड्स से दूर्गालिय की रोड्स मिलती है जो राजस्थान के हिस्से में, यह दुर्दशा है वहां तक कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती है और जब मध्य प्रदेश के हिस्से में आ जाते हैं अप्रोच रोड्स बहुत बढ़िया है । इसी प्रकार सुवासना-भवानी मंडी रोड की इतनी हालत खराब है कि बरसात में मैं समझता हूं जनता का जन जीवन दूभर हो जाता है । अपनी आर्थिक स्थिति को सम्भालना भी मुश्किल हो जाता है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा । इन सब चीजों को देखें और कोटा जिले की उपेक्षा न करें । क्या वजह है इस बात को कहने की कि कोटा जिले की बराबर उपेक्षा होती जा रही है चाहे रोड्स का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे किसी चीज का क्षेत्र हो । अगर माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं और पूर्व-पश्चिम की बात करते हैं क्योंकि आपने बजट का इस प्रकार एलोकेशन किया है, इस प्रकार का बजट बनाया है, इस प्रकार का तरीका अपनाया है । हम नहीं चाहते किसी की शिकायत करना, लेकिन जब आप मजबूर करते हैं– अपना बजट इस प्रकार रखते हैं कि क्षेत्रीय असन्तुलन हो–इक्वेलिटी पैदा होती हो, यह बात तो कहनी पड़ेगी । एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते इस प्रकार का असन्तुलन एक प्रकार की भावना बनाती है । क्या आपने कभी सोचा है, क्या कभी आपने देखा है आखिर इसके क्या कारण हैं । आपने किताब छपा दी 10 पेज की, न प्लानिंग है, न कोई सर्वे है । किस आधार पर आप राजस्थान को ले जाना चाहते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं ।

नेशनल हाई वे की बात जयपुर से भोपाल

(श्री ओंकारलाल चौहान)

क्या रोड की दुर्दशा है दो केपीटल जयपुर और भोपाल क्यों नहीं और लगाकर इस नेशनल हाई वे को पूरा किया गया है। अगर रोड्स की सुविधा होती है और ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे आवागमन के साधन ठीक होते हैं तो मैं समझता हूं कितनी बढ़िया बात हो। मिनिमम नीड प्रोग्राम में जब आप देखें एक करोड़ 20 लाख में से केवल एक लाख रुपया दिया है। इट इज स्ट्रेंज एण्ड पिटिबिल कन्डीशन। एक परसेन्ट आखिर क्या देना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम हमारा इतना है लेकिन उसमें न आप ठीक ढंग से खर्च कर सकते हैं और न ठीक प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं यह चाहूंगा इन सब चीजों पर आपका ध्यान जाय। माननीय सभापतिजी, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं ...

श्री सभापति : आप स्पेसिफिक पाइंट रख दीजिये, मंत्री महोदय समझ जायेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : भूमिका बनाई नहीं है। आपकी रिपोर्ट का पेज ...

एक माननीय सदस्य : अलग से कह देना।

श्री ओंकारलाल चौहान : वह भी कह देंगे साहब, घबराइये नहीं। ... पेज नं० 5 कुछ आदिवासियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 57.25 लाख रुपया मंजूर किया गया है आदिवासी क्षेत्र में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो आदिवासी क्षेत्र है तो क्या साधन आपके उनके लिये किये हैं। जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं सहरिया जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को नहीं हैं और मैं समझता हूं सदियों से पीड़ित हैं, शोषित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा उनका ध्यान वहां भी जाना चाहिये माननीय मंत्री महोदय, इतनी बड़ी दुर्दशा है जो बोर्ड आपने बनाया है, मैं समझता हूं 6 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें आनी चाहिये थीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लीजियेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : ... (अश्रव्य) ... 2130 होना शेष है। मैं समझता हूं काफी धन बकाया है। 2130 जो बाकी रह गये हैं, मैं समझता हूं शीघ्र निर्णय देना चाहिये।

मैं विश्राम गृह, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस और अब जोधपुर हाउस नया बन गया है इन दिनों, माननीय मंत्री महोदय, यह पाइन्ट बार बार उठा है। जब हम कटौती करते हैं, खर्चा कम करना चाहते हैं तो हमको सारे ही साधनों की तरफ देखना पड़ेगा। एक तरफ कटौती करना चाहते हैं दूसरी तरफ भवनों को इतना विशाल और सजाना चाहते हैं यह भी देखना पड़ेगा भविष्य में इस प्रकार की राशि इन पर खर्च न की जाय और जो वास्तव में उपयोगी हो और अधिक जरूरी हो उस पर ही खर्च किया जाय, छीपाबड़ोद में आज तक विश्राम गृह नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह बड़ा मुश्किल होगा.....

श्री हीरालाल देवपुरा : दो-तीन साल मिनिस्टर रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरा निवेदन है इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाय और इस बात के लिये आपने कहा मिनिस्टर रहा हूं। मेरे पास पी० डब्लू० डी० नहीं था-पी० डब्लू० डी० का रहा होता तो और दशा होती। अन्त में यह कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : मेरा चिकित्सा के भवन के बारे में कटौती प्रस्ताव है। मैं पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देवली में दो साल पहले नेता महोदय पधारे थे और यह कहा था राजस्थान में लागू करेंगे तो पहले देवली में करेंगे। 6 हजार की जनसंख्या का कस्बा है और दुनियां भर के लोग उदयपुर-जयपुर आकर देवली में ठहरते हैं, देवली सेन्टर में है वहां के लिये आपने कोई लेडी डॉक्टर नहीं रखी है। बड़ी दुर्दशा की बात है। मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है.... (अश्रव्य) .. आज करोड़ों रुपयों का बजट बनाते हैं लेकिन आप देवली को नहीं दे सकते। वहां पर भी एक दो लाख लगाइये जिससे वह बढ़ सके। जनता ने वोट दिया हम क्या मूण्डा बतायें उनको। हमारे कटौती प्रस्ताव पर सुनते नहीं हैं। तीन साल से देख रहा हूं आखिर जनता में मूण्डा कैसे दिखायेंगे। आपको भी वोट दिलाया है। दो वर्ष बाद फिर हमको जनता से वोट लेना है.... (अश्रव्य) मैं सही कहता हूं। हम कोई यहां पांच साल के लिये टुकड़े तोड़ने नहीं आये हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देवली के लिए प्रसूति गृह और डॉक्टर की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

टोडारायसिंह मेरा क्षेत्र है और आज 25 साल से वहां कोई रोड़ नहीं बनी है। आखिर हम अपने क्षेत्र में मुंह कैसे दिखायें, जब कोई काम ही नहीं हुआ है। आप 2,500 की आबादी वाले इलाके को सड़कों से जोड़ने की बात करते हैं लेकिन बड़ी दुर्दशा की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कम से कम रोड की व्यवस्था कर दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री चतुरभुज : मेरे तीन, चार कटौती प्रस्ताव हैं उनकी मन्जूरी तो दे दें।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान अजमेर व अजमेर जिले की जल समस्या की यथावत बनी हुई स्थिति की ओर आकर्षित करूंगा। हमारे जिले के ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद और अजमेर के लिए माननीय मंत्री महोदय ने इस वर्ष बनास नदी पर एक बांध बांधकर एक योजना कार्यान्वित करने की घोषणा की। यह लोंग टर्म पालिसी है। इससे हमारी जो परमानेन्ट साल्यूशन होने की बात है वह अवश्य होगी, परन्तु जब हमने एस्टीमेट्स पूरे पढ़े तो उसमें एक नया पैसा का भी प्रावधान नहीं था। हमने अपने लोगों को सांत्वना दी क्योंकि मंत्री महोदय जो अलग अलग समय पर

(श्री किशन मोटवानी)

रहे उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस योजना का क्रियान्वयन एल० आई० सी० से लोन लेकर उस माध्यम से पूर्ति करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वह अजमेर की पेयजल की समस्या है उसका समाधान करने के लिए तत्पर है और उनके मन में एक लगन है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमको आज शार्ट टर्म पालिसी की बात भी सोचनी होगी क्योंकि वह बांध बनेगा, उसके बाद दूसरा लोन लेंगे "इट विल टेक टाइम"। दो तीन साल का प्लान होगा। हमने कई बार निवेदन किया है और आप जितनी पानी की क्वान्टिटी आप हमको देते हैं उसको सुचारू तरीके से दें। हम कभी जयपुर की तरह मांग नहीं करते कि इतना गैलन पर-केपिटा मिलने के बाद भी हम उस बात के लिए चिल्लाते रहें कि हमको पानी नहीं मिलता। हम तो आपसे निवेदन करते रहे हैं कि आप हमको जितना भी पानी देते हैं आप उसको और कम कर दीजिये। आप तो 8-9 गैलन पर-केपिटा की बात करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि आप हमको 5 गैलन पर-केपिटा ही दीजिये लेकिन वह सुचारू रूप से दें। आपको मालूम है कि वहां की लाइन 20 साल पुरानी है और आज उन लाइनों के ऊपर कितना बोझा है और शहर का विस्तार हुआ और जो उसकी टेपोग्राफीकल पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए आप जो भी पानी दे रहे हैं उसको सुचारु तरीके से दें। आपको हमने एप्रोच किया। आप कहते हैं कि म्युनिसिपेलिटी हैंड ओवर करे तो हम पैसा लगायें और वह भी कर लिया गया। आप उस समय हमारे यहां आये और कुछ बातें भी हुईं। आपने एक बात उस समय निश्चित रूप से कहीं कि हम आपकी रेट तब बढ़ायेंगे जब डिस्ट्रिब्यूशन सामान्य स्थिति में ला देंगे। उसके बाद हमने आपको बुलाया आप आये। हमने उसको भी स्वीकार किया। आज हम निवेदन करते हैं कि हम रेट को भी देने के लिए तैयार हैं लेकिन आप उसका जस्टीफाई तो करें अपना डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम सुधार कर। आपने 6 लाख रुपये दिये, आप अन्दाजा तो लगायें कि इससे आप कितना कर सकेंगे। एक मानवीय दृष्टि से आप सारी स्थिति को समझ सकते हैं लेकिन हमारी जो स्थिति है उस को भी आप समझने की कोशिश कीजिए।

आज कई लोग गांवों में पानी की समस्या की बात करते हैं। वहां की बिलकुल दयनीय स्थिति है, हम उनसे बिलकुल सहमत हैं। गांव में पानी 6-7 किलो मीटर दूर से लेकर आते हैं और वही बहिन जो शहर में रहती है वह भी दो, दो मील जाकर पानी लाती है उसकी स्थिति को देखिये। वह निकलती है तो उसके अस्तव्यस्त कपड़ों की हालत देखिये और वह भरे बाजार से गुजरती है और आप छींटाकशी के दृश्य को दृष्टि में रखिये तो आप भी देखिये कि वह भी वही बहिन है। मैं निवेदन करूंगा कि जो आप हमको पानी दे रहे हैं उसको सुचारु रूप से दें। हमने निवेदन किया कि आज जो पानी दे रहे हैं उसके डिस्ट्रिब्यूशन के लिए अण्डरग्राउन्ड टैंक का और ओवरहैड टैंक का प्रबन्ध करें और 5 गैलन पर-केपिटा दीजिए। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इस साल अवश्य ध्यान देकर कुछ अण्डरग्राउन्ड टैंक और ओवरहैड टैंक

(श्री किशन मोटवानी)
बनायें और कुछ हद तक समस्या का समाधान करें।

मैं चिकित्सा की मांगों के बारे में कहूंगा। जो प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द की वह सराहनीय कदम रहा।

श्री सभापति : इस पर माननीय सदस्य आप बोल चुके हैं। समय को ध्यान में रखते हुए इसे संक्षेप में कहें।

श्री किशन मोटवानी : एक दृष्टिकोण साफ होना चाहिए कि साधारण व्यक्ति को साधारण चिकित्सा सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। आज टिचर, ए० पी० सी० की गोलियां तक मुहैया नहीं कर सकते तो हम बड़े प्लान बनाते जा रहे हैं जैसे इन्टेन्सिव केयर प्रोग्राम। आज मैं निवेदन करता हूं कि मैंने साफ कहा था कि बैकडोर एन्ट्री है प्राईवेट प्रेक्टिस की और मंत्री महोदय ने इसको नहीं माना। उसमें 25-30 लोगों की व्यवस्था करना चाहते हैं और आपकी 25-30 लाख की व्यवस्था है लेकिन साधारण आदमी को साधारण चिकित्सा तक मुहैया हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनिट और।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री किशन मोटवानी : सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में मैं निवेदन कर दूं माननीय मंत्री महोदय से आप इंजीनियर्स के पोस्टिंग का ऑर्डर परमानेंट पोस्टिंग का ऑर्डर कर दें टिल दे आर रिटायर्ड, उनके रिटायरमेंट तक का ऑर्डर कर दीजिये। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट में जो आदमी सार्वजनिक निर्माण विभाग में इंजीनियर्स लगे हुए हैं उनके लिये आप ऑर्डर निकाल दीजिये क्योंकि इन्होंने यहां का ठेका ले रखा है कि सुपरएन्यूएशन तक इनका पोस्टिंग अजमेर में रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

एक अहम मसला निवेदन कर देना चाहता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट में रोड्स की व्यवस्था की जाय, रोड्स के बारे में काफी मांग है। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करूं कि अभी 15-20 दिन पहले भी एक बहुत बड़ा गबन डिटेक्ट हुआ है। एक मस्टर रोल फर्जी बना कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कार्यवाही की गई है कि एक पूरे के पूरे विलेज के लोगों के नाम लिख कर उन पर अंगूठे निशानी लगा कर उसका पैसा लिया गया है। आपके विभाग के कर्मचारियों ने यह पैसा ले लिया परन्तु एक सतर्क आदमी ने उसको पकड़ा है और उसको पता चला कि गांव के आदमियों के नाम पर पैसा लिया है तो गांव वाले सब इकट्ठा होकर गए और ए० सी० महोदय ने इंक्वायरी कर उस पर पर्दा डाल दिया। वहां पर पैसा वापस उनसे ले लिया गया है और इसकी इंक्वायरी भी कर ली है, वह पैसा अभी भी जमा है लेकिन वह पैसा जो दस दिन भी किसी के पास रहा तो भी कैसे ले सकते हैं। यह बड़ा सीरियस ऑफेन्स है, इसकी जांच करके आप कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घन्टी)

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है। एक ही निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय जनस्वास्थ्य

260

(श्री किशन मोटवानी)

मंत्रीजी से कि गत दिनों में इसी महीने में तीन-चार दिन तक पानी बन्द रहा, बाद में भी बन्द रहा और इस महीने जो अनफिल्टर्ड पानी फाई सागर से दिया जा रहा है जिसके बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था जिसके बारे में व्यवस्था दी गई कि मैं आज की मांगों में अपनी बात अर्ज कर दूं। मैं निवेदन करूंगा कि आज ही जब यह हालत है तो गर्मी जो आने वाली है उसमें क्या अजमेर में हालत होगी।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ !

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में मैं अपने जिले के बारे में निवेदन कर रहा हूं। जलप्रदाय योजना के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है कि जिन इलाकों में खारा पानी है या पानी नहीं है उस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और जहां पर ऑलरेडी पानी उपलब्ध है वहां पर यह योजना सर्वेक्षण करके लागू की जाने वाली है।

मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को जिन इलाकों में पानी खारा है, क्लोराइड ज्यादा है उन गांवों के लिए सर्वेक्षण करा के पानी दिलाना चाहिये। इसके लिए मेरे क्षेत्र के गांव इडवा, बवरला, सीरासना, इग्यासनी, चौपलयास खुडी, पालियास ये कुछ गांव हैं जिनमें कतई खारा पानी है और ये लोग जब इन तालाबों से पानी लेकर पीते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि नाहरू, बाला रोग वगैरह हो जाते हैं, और बीमार हो जाने के कारण किसान अपने खेतों में जाकर काम भी नहीं कर सकते हैं। बरसात का मौसम आएगा तो वे अपने खेतों पर काम कैसे कर सकेंगे और पीड़ित होते हैं ऐसे गांवों के लिए तुरन्त मीठे पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। मैं कुछ उन गांवों के नाम भी बताना उचित समझूंगा, जिनमें कतई पानी नहीं है। इनमें उदियास, खानपुरा, चारणावास, दुगोर ये इस तरह के गांव हैं जिनमें पानी नहीं है। हर तरह की कोशिश करके, कुएं खोद कर देख लिया गया है। पानी बहुत दूर-दूर से लाना पड़ता है।

क्या आप यह उचित समझते हैं कि जगह-जगह पर जाकर पानी लाते रहें या गांव छोड़ कर चले जायें। आप कम से कम उनको यह तो कह दें कि हम तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तुम गांव खाली करके और जगह चले जाओ, या आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ एक चारणावास है उसमें खारा और पट्टीवाला पानी है। हबचर और नूंद में पानी नहीं है। वहां पानी 17-18 फीट नीचे चला गया है। इसके साथ ही मैं डेगाना जलदाय योजना के बारे में निवेदन करूं कि डेगाना जलप्रदाय योजना बनाई गई है उसके साथ आपने यह योजना भी बनाई कि दो हजार की जनसंख्या वाले गांवों को पानी उपलब्ध करायेंगे लेकिन मेरे इलाके के अन्दर ढ़ाई हजार से ऊपर की जनसंख्या के गांव हैं जिनके लिए कोई योजना नहीं है, जिनमें ईडवा, हबचर, नूंद वगैरा गांव आते हैं जहां के लिए जलदाय योजना बनानी चाहिये।

1 अक्टूबर, 71 में कितनी ही ग्रामीण योजनाएं सरकार ने अपने हाथ में ले लीं। उनको विभाग ने अपने अन्दर ले लिया हर्जाना हो या मुनाफा हो विभाग चलायेगी।

(श्री रामरघुनाथ)

उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है डेगाना में आपने ट्यूबवैल से पानी देने की योजना बनाई लेकिन पूरे पांच साल से बन्द है। वहां पर बिजली भी आ गई लेकिन चल नहीं रहा है। ट्यूबवैल बनाया गया तो उस समय कंकरी के साथ में पोटेशम कोट करते हैं, उसमें मिट्टी चली गई या क्या हुआ कि उसकी यील्ड पर हावर गैलन कम हो गया। फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि उसमें इतना पानी है कि गांव वालों को पानी पिलाया जा सकता है। पांच साल से यह बन्द है।

गांव में पानी है जरूर लेकिन इस योजना को चालू करके पानी उपलब्ध कराया जाय। इसी तरह से डेगाना गांव, बूटाही, चान्दारूणी में जलप्रदाय योजना लगाई है लेकिन वह भी बन्द है। इसके अलावा आपने साजू के लिए योजना बनाई नहीं वहां पर लाइन नहीं है लेकिन रुपये ले लिए।

इसके साथ ही मैं डेगाना जंक्शन की जो जलप्रदाय योजना है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पर कुछ इस तरह के रेवेन्यू के गांव हैं बोर्डर पर बने हुए हैं चार गांव हैं। गोरेरी करना, झगड़ावास, कितलसर, चारणावास। रेवेन्यू में तो चाहे अलग गांव हैं लेकिन बसे हुए एक जगह ही ऐसे हैं कि गोरेरी करना से लेगडा बिल्कुल मुश्किल से दो सौ फीट के फासले पर है। निवेदन है कि इस तरह के रेवेन्यू रिकार्ड में बाउण्डरी अलग है लेकिन एक ही जगह पर जुडवां गांव हैं जहां की तरफ ध्यान देकर पानी उपलब्ध कराना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

सड़कों के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। जो सड़कें आपने फेमिन में बनाई थीं उनकी मरम्मत नहीं हुई है। इसके फण्ड्स की, बजट की स्थिति को देखते हुए मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप सब काम करें लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मरम्मत का कुछ प्रावधान है। अगर हर साल मरम्मत होती रहे तो दो, तीन, चार साल में कभी न कभी मरम्मत होती रहे। फेयर वेदर रोड है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट और सभापति महोदय। आपने पहले तो कण्ट्रोल किया नहीं ....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे तो बीच में इतनी सी बात कहनी है कि दूसरा दिन शुरू होने में डेढ़ घण्टा बाकी रहा है।

श्री सभापति : आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए।

श्री रामरघुनाथ : इसलिए निवेदन करना है कि इसके लिए प्रावधान किया जाय जो पुरानी फेमिन रोड बनी हुई हैं उनकी मरम्मत की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा नागौर एक जिला है और उस जिले से आपके जयपुर राजधानी से मिलाने की कोई सड़क नहीं है। टार रोड कम्पलीट कोई नहीं है। जयपुर से नागौर आते हैं तो लोढ़ाना के पास कच्ची सड़क पड़ती है। दूदू होकर जाते हैं तो बीच में डावसी पुल आता है जहां पर नदी आ जाने से चार महीने रोड बन्द रहती है, वहां पर

(श्री रामरघुनाथ)

कोई साधन नहीं है । इस बारे में पहले भी कई बार निवेदन किया है लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका है । इसी तरह से किशनगढ़ होकर जावें तो रूपनगढ़ का पुल आता है जिसका सर्वे भी अभी तक अधूरा है । तो मैं········

(10.29 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जयपुर-सीकर-डीडवाना रोड को भी एक बार पूरा करा दें तो वहां आना जाना हो सके ।

इसके साथ मैं अपने क्षेत्र में मिनिमम नीड के मुत्तल्लिक निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर तहसील और पंचायत समिति का मुख्यालय जहां की आबादी छः हजार के करीब है और वहां पर किसी भी टार रोड से जोड़ा नहीं गया है और जो मिनिमम नीड का कर्यक्रम चला है वहां पर सड़कों का निर्माण कम हो रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि डेगाना जंक्शन जहां पर चार गांव की बाउन्डरी मिलती है और पॉपुलेशन छः हजार है आपकी तहसील और पंचायत समिति का मुख्यालय है और वह रोड भी जोड़ी नहीं जा सकी है । निवेदन करना है कि भैरूंदा से डेगाना सड़क आती है अगर यहां पर टार रोड बना दें तो इसमें वन-थर्ड करीब 11 किलोमीटर रोड टार रोड है। इसलिए मिनिमम नीड प्रोग्राम में इसको पूरा करवा देना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में कुछ बातें रखना चाहता हूं ।

इसके साथ ही अब मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि देहातों के सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं है । पहली बात तो यह है कि हर पंचायत समिति एक पी०एच०सी० है और देहातों में दूर-दूर तक इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है । पंचायतों में तीस-तीस मील तक इलाज के लिए जाते हैं । इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि एक कम्पाउण्डर लगाकर छोटी डिस्पेंसरी, सब-डिस्पेंसरी या लघु चिकित्सालय किसी के नाम से कर दिया जावे चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है हास्पिटल्स के बारे में माननीय सदस्य बहुत कुछ यहां पर कह चुके हैं । इतना ही निवेदन करना है कि हमारे यहां पर बन्दोबस्त करवाया जाय । प्रसूति गृह के लिए भी निवेदन है । देहातों में कोई प्रसूति गृह नहीं है । 40/50 मील की दूरी पर प्रसूति गृह है और वहां महिला को लेकर जाते हैं तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि एक पंचायत समिति के अन्तर्गत, जहां कि पापूलेशन हो, वहां पर एक प्रसूति गृह बनाया जाये । कम से कम यह प्रसूति गृह एक एक पंचायत समिति क्षेत्र में अवश्य ही दी जाये···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो पाइन्ट और निवेदन करना है । हम यहां पर अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए आते है और कहने के लिए, बोलने के लिए समय नहीं देते हैं थोड़ा समय तो मिलना चाहिये । इस इन्तजार में तो सुबह से बैठा हूं । फिर भी जब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, आप घंटी बजाये जा रहे हैं। दो मिनट में ही । इसका कोई जवाब तो

(श्री रामरघुनाथ)
नहीं मिलेगा, यह हम जानते हैं। फिर भी क्या अपने क्षेत्र की बात न कहें इसलिए निवेदन है कृपया थोड़ा समय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक मोबाइल सर्जिकल यूनिट बनी हुई है। इसके लिए यह निवेदन है कि इसका पूरा उपयोग देहातों में नहीं होता है। इस तरह की जो आपकी यूनिट है, वे देहातों में जाकर अपने अपने कैम्प लगावें ताकि देहात के लोग इसका फायदा उठा सकें। शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं। हर तरह के आपरेशन की यहां पर व्यवस्था है परन्तु गांव वालों को अपने इलाज के लिए शहरों की ओर आना पड़ता है और उनका काफी पैसा खर्च होता है। इस तरह से अगर सर्जिकल यूनिट गांव की ओर जाएंगी तो गांव वालों को फायदा होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मोबाइल सर्जिकल यूनिट की ज्यादा से ज्यादा सुविधा देहातों को उपलब्ध करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में निवेदन करना है। हमारे यहां पर रिसेन्टली 23 फरवरी को एक कैम्प लगाया गया था। मैंने वहां के डाक्टर शर्मा से बहुत पहले बात की थी और वे इस तरह का कैम्प लगाने को तैयार हो गये थे। यहां से डाईरेक्टर, एडीशनल डाईरेक्टर भी वहां गये थे। हिन्दुस्तान में यह पहला कैम्प है जहां पर कि इतने ऑपरेशन हुए हैं। डेगाना में करीब 176 आपरेशन हुए हैं। और उसके बाद मकराना के कैम्प में करीब 90 आपरेशन हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि ट्यूबेक्टोमी का आपरेशन लोगों ने खुशी से करवाया है। इसमें लोगों को कम तकलीफ है। इसलिए इसका प्रचार करवाया जावे ताकि लोगों को फायदा मिल सके। मेरा निवेदन है कि जिन डॉक्टरों ने इन्टरेस्ट लेकर इन कैम्प्स में काम किया है उनको सरकार की ओर से धन्यवाद दिया जाना चाहिये ताकि उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। मेरा यहां पर फेमिली प्लानिंग के एक डॉक्टर हैं— वे लोगों को यह कहते हैं कि आपरेशन करवाओगे तो मर जाओगे। इसके आपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। जो दूसरा डॉक्टर है वह दिलचस्पी लेकर काम कर रहा है। इसलिए ऐसे डॉक्टर को आप वहां से हटा दीजिये। आशा है, मंत्री महोदय, मेरी इस बात की ओर ध्यान देंगे।

अन्त में अकाल के लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एरिया में 90 परसेन्ट फेमिन है लेकिन अभी तक वहां पर कार्य नहीं खोले गये हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर गौर करें वहां का दौरा कर के स्थिति का जायजा लें और शीघ्र ही वहां पर राहत कार्य खोले जाएं। एक निवेदन और है। जितने पुराने काम हैं, पहले खोले थे, उनका पेमेन्ट नहीं किया गया है। पीने के पानी के कुए खुदवाये गये थे। इस तरह से लाखों रुपयों का पेमेन्ट बकाया है। कलेक्टर को भी लिखा गया है। इसलिए निवेदन है कि जिन लोगों का पेमेन्ट नहीं हुआ है उनका भुगतान करवाया जाये। यह मजदूरों की मजदूरी है, मजदूरों के लिए तो यह बड़ी रकम है सरकार के लिए यह शोभा नहीं देता। मजदूरों को थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। इससे उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा वहां पर लघु सिंचाई के कार्य हैं। इस बार

(श्री रामरघुनाथ)
फेमिन में चालू करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता देने का आपने वायदा किया है। इसके अलावा जो अधूरा कार्य है, जिन पर 80 परसेन्ट काम हो चुका है और 20 परसेन्ट काम होना बाकी है, उसके लिए भी आप से निवेदन है कि इनको पूरा करवाने के लिए सरकार काम शुरू करवाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : समय के लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, इतने कम समय में इतनी सारी बातें अर्ज करना बड़ा मुश्किल काम है। हम यह उम्मीद और यह आशा लगाये हुए थे कि विधान सभा का सत्र आयेगा, तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को इस सदन में आपके द्वारा मंत्री महोदय और राज्य सरकार को पहुंचायेंगे ? लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को अपनी बात कहने के लिए केवल पांच पांच मिनिट का समय दिया जा रहा है जब कि पांच पांच मंत्रियों की डिमाण्ड्स विचारार्थ आज सदन के सामने है। इसमें भी आप पांच, सात मिनिट की आज्ञा प्रदान करते हैं। इतने कम समय में अपनी भावनाओं को, अपने लोगों की समस्याओं को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यह जानता हूं कई माननीय सदस्य जो यहां पर विराजमान हैं, वे ऐसा सोचते हैं "हो गई आधी रात अब घर जाना है।" मैं तो उनको यही कहूंगा --"अभी न जाओ छोड़कर अभी तो दिल भरा नहीं।" हमारा तो दिल भरा नहीं हम तो बोलेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपनी घंटी की तरंगों को द्रुत गति के बजाय विलम्बित गति से ही छोड़े तो अच्छा रहेगा।....

श्री रामगोपाल : रसगुल्ले की आवाज है.....

श्री गोपाल जोशी : सब से पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बीकानेर शहर से आता हूं। आप कह सकते हैं वहां अकाल कहां से है? परन्तु मैं कह सकता हूं। वहां पर अकाल है आज हमारे गांवों में पांच साल में से तीन साल अकाल रहता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि शहरों में भी पांच साल में तीन साल ही अकाल नहीं रहता है बल्कि पांच साल से लगातार अकाल है इसका कारण यह है कि हमारे यहां पर जो लोग पढ़ लिख कर निकलते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है। हर साल पढ़े लिखे बेरोजगार शिक्षितों की भीड़ हजारों व लाखों में बढ़ती जाती है यह एक बड़ी समस्या है। सरकार ने नौकरी पर बेन लगा रखा है D. P. A. P. का काम शहर में हो नहीं सकता अकाल राहत क्षेत्रों में रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है। environmental development स्कीम के अन्दर जयपुर, जोधपुर, अजमेर के लिए 30 लाख रुपया रखा गया है और बीकानेर को इस स्कीम से अलग रखा गया है। और भी कई तरह के प्रोग्राम गांवों में लोगों को रोजगार दिलाने व राहत पहुंचाने के चलाए जाते है। इसलिए मैं अकाल राहत मंत्रीजी और योजना मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा हमारे यहां के लोगों की ओर से राजस्थान

(श्री गोपाल जोशी)
के सब शिक्षित बेरोजगार युवकों की ओर से कि उनको भी एम्पलायमेन्ट देने के लिए स्कीम्स शुरू की जावे वरना इससे स्टूडेन्ट में अनरेस्ट हो सकता है। रामोपक्ष हो सकता है अभी जो शान्ति दृष्टिगोचर हो रही है वह समुद्र में तुफान आने से पहले जो शान्ति होती है, वह शान्ति है। मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी राज्य सरकार सोचे वरना जो गुजरात में अशान्ति हुई वह यहां भी हो सकती है। जो बिहार में हुआ वह यहां भी हो सकता है विरोधी लोग शिक्षित बेरोजगारों को exploit करेंगे इन निठल्ले लोगों को काम पर लगा देंगे चाहे तोड़ फोड़ का ही क्यों न हो अतः इनको कोई छोटे मोटे धन्धों के लिए ऋण दिया जा सकता है। राजस्थान केनाल पर इनको भूमि आवंटन की जा सकती है। किसी व्यवसाय में इनको लगाया जा सकता है। जैसे इन्जीनियर्स, डॉक्टर्स को ऋण दिया जाता है, उसी तरह से जो अन-एम्पलाइड आर्ट्स के ग्रेजुएट्स हैं व पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन्हें स्टाइपेन्ड या उनको भी ऋण दिया जावे ताकि वे कोई न कोई व्यवसाय, उद्योग लगा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरे बीकानेर शहर की एक ही समस्या है। बीकानेर शहर के बीचों बीच जो रेलवे लाइन है, उससे वहां के निवासियों को राहत दिलवा दें। वहां की स्थिति को मंत्री महोदय ने देखा है। हमारे मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी ने भी इस स्थिति को देखा है। व आपसे पहिले जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे उन्होंने भी देखा है, यह एक बीकानेर शहर में न्यूसेन्स है जिसको जल्दी से जल्दी ठीक करना आवश्यक है वहां पर करीब पांच क्रासिंग हैं। इसमें से करीब एक लाख व्यक्ति गुजरते हैं और 40 गाड़ियां आती जाती हैं। इससे लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और कम से कम एक लाख मेन अवर्स वेस्ट किए जाते हैं। इसी प्रकार से मोटर साईकिलें, Fast moving और अन्य व्हीकल्स इनको काफी देर तक इन्तजार करना होता है और लोग अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे काफी नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि इसके लिये चाहे आप ओवर ब्रिज बनावें, चाहे रेलवे लाइन का डाइवरशन करके, किसी तरह से इसको शहर से दूर ले जावें तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप यह काम कर देते हैं तो मैं यह समझूंगा कि पांच साल में मेरी यह एक उपलब्धि होगी इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से कई बार मिल चुका हूँ। पत्र भी लिखे हैं। कई तरीकों से अर्ज किया है।

इसके अतिरिक्त पी० एच० ई० डी० के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आज यहां मैंने एक प्रश्न उठाया था। उसमें यह कहा गया था कि बीकानेर शहर में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की पाइप लाइन टूट जाने से, पानी लीक हो गया और वह पानी लोगों के मकान में घुस गया और इससे कई लोगों के मकान उपाध्यक्ष महोदय, गिर गये। उपाध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में लोगों का घर बसाना, मकान बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक घर जिन्दगी में बन जाये, यह एक बड़ी बात होती है। जिसने घर बनाया और वह घर बिगड़ गया तो समझ लीजिये उपाध्यक्ष महोदय, उसके सपने टूट जाते हैं। उसका सब कुछ लुट जाता है। हम यदि किसी का मकान बनाकर न दे सकें तो कम से कम उसे तो तोड़ें नहीं, उजाड़ें तो नहीं।

(श्री गोपाल जोशी)
मैं चाहूंगा कि जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर में यह कहा कि जांच करायेंगे तो जांच कराने से पहले में यह चाहूंगा कि जांच कराने के आदेश अपने अधिकारियों को दें तो मुझे भी सूचना दे दें ताकि मैं वहां पर पड़े हुए खण्डहरों को दिखा सकूं, वहां पर पड़े हुए टूटे पाइप जो कि रिप्लेस किये गये हैं उनको दिखा सकूं कि आपके पाइप्स के चूने के कारण ये घर धराशायी हुए हैं और उनके जीवन भर की कमाई समाप्त हो चुकी है लोग लुट चुके हैं, उन्हें बसाना उनकी मोरल ड्यूटी है ।

आप जिस गिनानी स्कीम पर 30-40 लाख रुपये लगा चुके हैं लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इतने पैसे से तो बीकानेर में सारी नालियां बन जातीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर या बड़े शहरों की गलियों या मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं होती है तो वह भी एक गांव में नहीं होने के बराबर होती है रूरल एरिया में आप पैसा लगा रहे हैं मुझे ऐतराज नहीं है । आप खूब पैसा लगायें, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा 1, 2 या 4 पर्सेन्ट यहां पर भी लगा दें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां के लोगों को राहत मिलेगी।

उसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर के अन्दर लिफ्ट कैनाल आ रही है तो बीकानेर में पेयजल और उद्योगों को जल देने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है । मैंने राजस्थान कैनाल बोर्ड के चेयरमैन साहब से बातचीत की थी । उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पैसे का प्रावधान नहीं है । मैंने इस सम्बन्ध में एक पत्र भी आपको लिखा था और आपने उस पत्र के जवाब में लिखा था कि अगले वर्ष प्रावधान हो सकेगा । तो मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि बीकानेर में पेयजल के लिए और उद्योगों को जल देने के लिए जो प्रावधान करना था जैसा कि आपने सूचित किया था शायद कर दिया होगा और यदि नहीं किया हो तो आप अवश्य अब ऐसा देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा चिकित्सा के सम्बन्ध में आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे यहां से 600 विद्यार्थी हर साल शिक्षित होकर मेडिकल कालेजों से बाहर निकलते हैं · · · · ·

एक माननीय सदस्य : 600 नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : मेरा ऐसा ख्याल है जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है । उनमें से 40-50 को ही आपकी एब्जार्ब करने की शक्ति है । बाकी को कहां एब्जार्ब करेंगे, क्या करेंगे, उनको क्या इन्सेन्टिव देंगे ? यह मैं जानकारी चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े में ही समाप्त कर दूंगा । मैं द्रुतगति से ही चल रहा हूं · · ·

एक माननीय सदस्य : घंटी विलम्बित में नहीं बोल रही है ।

श्री गोपाल जोशी : विलम्बित में नहीं । लेकिन मैं तो द्रुत में चल रहा हूं । मैं अर्ज कर रहा हूं कि गांवों में जाने के लिए इनको इन्सेन्टिव दिया जाय तो इन लोगों में जाने का

(श्री गोपाल जोशी)

एन्करेजमेंट मिलेगा, और वहां पर आपको पोटेन्शिल और बनेगा। यह निश्चित रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की एप्रिशियेबल बात है, यह निश्चित रूप से सराहनीय बात है कि आपने प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द कर दिया है, लेकिन इसको सच्चे स्वरूप में लागू कर दिया जाय और यह लागू हो जानी चाहिये लेकिन फिर भी इस मायने में तो निश्चित रूप से यह यह बड़ा भारी एचीवमेंट है, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत से डॉक्टर इसमें ऐसे हैं कि जैसा कि नियम है कि जहां कहीं मरीज देखने जायं उनको रसीद काटना अनिवार्य है, उसमें से कुछ पर्सेन्ट सरकार को उन्हें पैसा जमा कराना अनिवार्य है। वे पै क्लिनिक में लोगों को बुलाना पसन्द नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि पे क्लिनिक के दूसरे रोज जब कि उनका आउटडोर हो या घर पर देख लेंगे पे क्लिनिक को फेल करने की साजिश हो रही है। इसके प्रति आप यदि सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी होगी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चाहे आपको बड़े डाक्टर, प्रोफेसर्स, रीडर्स और लेक्चरार्स यह नाराज हो सकते हैं, लेकिन नये डाक्टर तो आप से बड़े खुश हैं इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है उन लोगों को पोटेन्शियल मिला है उन लोगों को भी अवसर मिला है इसलिए मैं समझता हूं कि अन्य दूसरे डाक्टरों की जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जाय तो दूसरे और लोगों को मौका मिलेगा। जो गवर्नमेन्ट सर्विस में नहीं जाना चाहते हैं और अलग से प्राइवेट प्रेक्टिस करना चाहते हैं उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

आपने जिस तरह से पिछले वर्ष एन्टी-एडल्टरेशन ड्राइव चलाया था वह तो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य था। बड़े बड़े होलसेलर्स जो हैं उन लोगों के सेम्पल लिये जांय और उनकी जांच की जाय जैसी कि की गई थी और कई लोगों को दोषी पाया गया तो उनका चालान भी किया गया। लेकिन मैं उसमें अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे छोटे हलवाई हैं, चाय बनाने वाले हैं, चाय बनाने वाले की बात जहां तक है उनके दूध का भी सेम्पल लिया जाता है। तो उनका दूध तो पानी मिलाने के लिए ही है फिर सेम्पल किस बात का। यदि दूध बेचते हों कड़ाई लेकर दूध बेचते हों उसमें से सेम्पल लिया जाय तो ठीक है। यह बात देखने की है, हालांकि यह सेन्ट्रल एक्ट है इसमें आप चेन्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो व्यवहारिक कदम से उसको हमें समझना पड़ेगा, क्यों कि छोटे से छोटे दोष के लिए चाहे लाइसेन्स 15 दिन में रिन्यू नहीं कराता है तो उसमें भी वही सजा जो कि जहर मिलाने में सजा मिलती है। पानी मिलाता है तो 6 महीने कैद और एक हजार रुपया जुर्माना और जहर मिलाता है तब भी वही सजा। क्योंकि यह सेन्ट्रल एक्ट है उसमें आप हालांकि कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आदमी का किस तरह से चालान किया जाय। आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर में यह नहीं है कि थप्पड़ मारता है तो एक सजा और चाकू मारता है तो दूसरी सजा। उसमें अगर गोली मारता है तो तीसरी सजा है,

(श्री गोपाल जोशी)
लेकिन इसके अन्दर एक ही तरह की सजा है। जहर मिलाया जाय तो निश्चित रूप से फांसी या कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये, लेकिन पानी पिलाने वाले को भी वही सजा दी जाय तो यह एक व्यवहारिक बात नहीं होगी। तो इसके व्यवहारिक पहलुओं को देखने की बात अनिवार्य है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनिट और बीकानेर के बारे में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा भी हो गई, एडल्टरेशन एक्ट भी हो गया।

श्री गोपाल जोशी : एक बात मैं यह चाहता हूं कि बीकानेर मेडिकल कालेज में रेडियोलाजी में एम०डी० खोली जाय। लेकिन रेडियोलाजी में एम०डी० खोलने के लिए जब तक आप थेरेपी और डयग्नोसिस इसकी दो शाखाओं को अलग आप नहीं करेंगे तब तक इन्डियन मेडिकल कौन्सिल इसकी परमीशन नहीं देती है। इसमें या तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिलेक्शन लिया जाय या डिपार्टमेन्ट को वेल-इक्विप्ड किया जाय तभी एम०डी० खोला जा सकता है।

मैंने ऐसा सुना है कि अच्छी से अच्छी जो म्यूजियम में रखने के लायक थी ऐसी एक्स-रे प्लेट्स को गायब कर दिया गया है। उसकी जांच की जानी चाहिये।

बीकानेर में जो टी०बी० क्लिनिक है उसको हटाने की सन् 70 में बातचीत हुई थी और उसको हटाने के लिए काफी करस्पोंडेन्स भी हुई थी लेकिन एक व्यक्ति उसकी जगह एक लाख रुपया देने को तैयार है और आप हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। यदि उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाय तो अभी जो स्टेशन से 2-3 मील दूर है जहां पर मरीजों का पहुंचने में काफी समय व पैसा तांगे किराया आदि का लगता है तो वह भी बच सकता है और वहां पर एक अन्य डिस्पेंसरी एक व्यक्ति अपने नाम से हमेशा के लिए अपने खर्च से चलाने को तैयार है। कोई दिक्कत नहीं है फिर भी देरी हो रही है और उसको इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमेंट कर दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : बाकी चेम्बर में कह दें।

श्री गोपाल जोशी : अच्छी बात है। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्षजी, ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन आप बोलना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टू दी प्वाइण्ट ही बोलूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : आप हमेशा ही टू दी प्वाइण्ट बोलते हैं।

श्री रामगोपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 27 मार्च, 74 को कोटा जिले के बारे में विचार रखे थे। कोटा जिले में ग्रामीण सड़कों के बारे में असन्तोष है। वहां की

(श्री रामगोपाल)

जनता असन्तुष्ट है। आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। हम तीन साल से बराबर कहते आये हैं। कोटा जिले के बारे में आपने बजट कम दिया है। मेरे इलाके शाहाबाद के लिए आपने 80 हजार दिया है। 27 मार्च को आपने जो भाषण दिया था उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको पूरा कर दें। पार्वती से रामगढ़ रोड है। उसको भी आप कर दें आप स्वास्थ्य मन्त्रीजी भी हैं। कोटा में काफी बेरोजगार हैं। जो कि मेडिकल कालेज में एडमीशन लेने के इच्छुक हैं पर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि कोटा में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रयत्न किया जाये। जिससे कि वह शिक्षा ले सके माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय मेरा एक निवेदन यह भी है कि बारां होस्पीटल एक बड़ा होस्पीटल है। वहां पर आंखों के इलाज की व्यवस्था की जाये। वहां पर 50 पलंग हैं। रोगी वहां पर ज्यादा आते हैं उसकी दुर्दशा ज्यादा हो रही है। यह आपके काम का स्वरूप है इसको आप नोट नहीं करें। इसको आप लाइटली लें वह अलग बात है कोटा के अन्दर जो मरीज हार्ट पेशेन्ट होते हैं। उनको ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए बिल्डिंग में लिफ्ट की व्यवस्था की जाय ताकि हृदय के जो रोगी हैं, उनके लिए यह व्यवस्था हो सके। आयुर्वेद के बारे में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय को। तहसील छीपाबड़ौद में एक आयुर्वेद का औषधालय खोल दिया जाये। मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। समाज कल्याण विभाग आपके पास है और स्वास्थ्य विभाग भी है तो आपको स्वास्थ्य विभाग से मेरा यह कहना है कि एक शिड्यूल कास्ट कम्पाउन्डर है। अनूसूचित जाति का है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये।

श्री रामगोपाल : मैं जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण मसला है। एक मानकचन्द कम्पाउन्डर है। 25-3-74 को उसका ट्रान्सफर कर दिया उसके बाद 10-1-75 को उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है। वह स्वास्थ्य विभाग का कम्पाउण्डर है आप नोट कीजिये। एक कम्पाउण्डर को तब से चार दफा ट्रांसफर किया गया है। यह स्थिति आपके बारे में बताई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बरांशियां है, वहां पर 3 साल से उस इलाके की डिस्पेंसरी में डाक्टर नहीं गया है वह आदिवासियों का इलाका है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है आप इसको मजाक समझ कर हंसते हैं। आप नोट करलें। पेयजल की समस्या के बारे में संक्षेप में अर्ज कर देता हूं। शार्ट में अर्ज कर देता हूं। जो वस्तुस्थिति है आपने अपने जवाब में कह दिया है कि वहां पर पेयजल की कोई समस्या नहीं है मैं निवेदन करता हूं कि वहां की जो प्रोब्लम है, उसको आप पूरा करायेंगे। जगन्नाथ सिंह मेहता, फेमिन सेक्रेटरी, जो यहां पर बैठे हुये हैं और गोविन्द मिश्रा, कलेक्टर, कोटा, वह वहां पर गये हैं। उन्होंने वहां पर अवलोकन किया है। पेयजल समस्या है। 100-150 गांव हैं। मुझे यह देखकर शंका होती है कि करेंगे या नहीं। आप वहां पर हैन्डपम्प लगा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 270

(270)

(श्री रामगोपाल)

26 मार्च, 1970 को मैंने सदन के अन्दर कहा था। आप पढ़ लेना 301 नम्बर पर है।

एक माननीय सदस्य : पढ़ लेंगे।

श्री रामगोपाल : मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ वह स्थान है। उन्होंने हैण्डपम्प लगा रखे हैं। हमारे इधर के आदमी पानी पीने के लिए जाते हैं सड़कों और मेडिकल कालेज का आप ध्यान दीजिए और जो शिड्यूल कास्ट कम्पाउन्डर हमारे सामने जो कि रोया है। अगर आप शिड्यूल कास्ट कम्पाउण्डर होते और हमारे सामने रोते तो मेरी क्या स्थिति होती।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कुछ नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल।

श्री रामलाल (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट में आपने समय दिया है, इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप लास्ट में नहीं हैं।

श्री रामलाल : सबसे पहले मैं अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि वह इस तरह की मेहरबानी करें कि अकाल का नाम ही नहीं आये। निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि धौलपुर में सड़कों पर शाही जमाने में इतना विकास हुआ था उन सड़कों की आज मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं। उस जमाने में सड़कें कुटती थीं। क्योंकि धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा। राजाखेड़ा से आगरा, धौलपुर-आगरा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। सारी सड़कें हैं। धौलपुर से बाड़ी और सरमथुरा से गिरजा होते हुये सड़क थी एक बसेड़ी से आगे निकल जाती है आज यह देखिये कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है। जयपुर–धौलपुर जाने के लिए कितनी लम्बी सड़क है। उस में 16 किलो मीटर मेरे क्षेत्र में है। बाकी महाराज साहब के क्षेत्र में पड़ती है। मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे मालूम नहीं था। पिछले साल मंत्री जी वहां उद्घाटन करने के लिए गये। मैं कहता कि आप सरमथुरा होकर जाते। एक छोटा सा टुकड़ा है। करौली में एक मेला लगता है। वहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी काफी लोग और गाड़ियां आती हैं। जब राजस्थान की सड़क पर वह आते हैं तो सभी उस सड़क का मजाक उड़ाते हैं। तो बहुत दफे नीचे देखना पड़ा है। वे कहते हैं धन्य है राजस्थान की सड़क। मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि वे कुछ तो बजट में ले लेंगे। मन्त्रीजी के हाथ में, पांच-पांच साल, दस-दस साल में पूरी हो जाय।

अब मैं चिकित्सा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो सुधार कराये हैं उनके लिये धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में चार डिस्पेन्सरी बाड़ी, सरमथुरा, बरौनी और बसेड़ी में हैं। बाड़ी से धौलपुर 26 मील पड़ता है और 24 मील सरमथुरा है। बाड़ी में पी० एच० सी० है। पुरानी बिल्डिंग में ही डिस्पैन्सरी है। वहां पर आप एक डाक्टर और दो कम्पाउन्डर कर दें, वहां पर 26 हजार की आबादी है। दूसरी बात वहां पर एक्स-रे मशीन के बारे में बार-बार निवेदन कर रहे हैं। अगर डिस्पैन्सरी में एक्स-रे मशीन मिल जाय तो वहां की

(श्री रामलाल)

जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। एक और बात है कि जितनी भी डिस्पेन्सरीज हैं मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बजट आप पास कर रहे हैं वह तो बहुत पुराने जमाने से जितना पहले करते थे वही है, उसको और बढ़ाना चाहिए, तीन-चार हजार रुपये तो बढ़ाना ही चाहिए, इतने कम बजट से अस्पतालों में कोई दवाई पानी भी नहीं देता, इसलिए कुछ थोड़ी पट्टी दवा पानी कुछ तो मिल सके, इसलिए बजट को बढ़ाना चाहिए, इस बात पर आप विचार करें।

अब मैं मेरे क्षेत्र की सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में सरमथुरा-बसेड़ी वाली सड़क है, सरमथुरा पहाड़ी इलाका होने के कारण पिछली साल वहां पर लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, इसके लिये मैं किसी कर्मचारी की बुराई नहीं करता, उससे क्या होता है। उसको ठीक कराया जाय। एक स्कीम और बनाई है जलप्रदाय विभाग की ओर से कि जो सर्वे कराया गया, पार्वती डेम से केवल पांच-चार गांव करौली, टैरई, सरमथुरा वगैरह को ही पानी दे सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों ही मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोई हर्ज नहीं है आप पानी की स्वीकृति दें तो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जानता हूं महाराज, आपकी घंटी, मैं अब समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे टाइम काफी हो चुका है और अन्तिम समय में, मेरा ख्याल है, मुझे टाइम मिला है। वैसे सवाई माधोपुर जिले के 8-9 केन्डीडेट थे उनमें से हाउस में किसी का नाम निशान भी नहीं है और केवल मैं ही रहा हूं। इसलिए उसके साथ साथ मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट करूं कि कुछ समय दो ताकि सारी व्यवस्था आपके सामने रख सकूं।

श्री चन्दनमल बैद : खूब समय है आपके लिये, बोलो आप तो।

श्री उम्मेदीलाल : सवाई माधोपुर जिले में हिन्डौन क्षेत्र में जो सारे जिले में पहला नम्बर पिछड़ा हुआ है इसके बारे में मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय भी पी० डब्ल्यू० डी० मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सड़क महुआ से करौली जाने वाली है और करौली से केला देवी जाने वाली है इन सड़कों की हालत और हिन्डौन से बयाना जाने वाली जो खानों की तरफ जाती है उसमें ढाई तीन मील का टुकड़ा, इन सब सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है ऐसी खराब हालत है कि कोई आदमी वहां उन सड़कों पर पैदल भी नहीं जा सकता है। सड़क दोनों तरफ टूट गई है और उसकी चौड़ाई केवल 8 फुट रह गई है और जमीन से 6 इन्च ऊपर निकल आई है और जमीन कट गई है। ऐसी हालत हो गई है कि ट्रेफिक आता-जाता है, आमने-सामने ट्रक या कोई भी गाड़ी हो तो निकलना मुश्किल हो जाता है और आये दिन दुर्घटना हो जाती है। दोनों गाड़ीयां टकरा जाती हैं और एक्सीडेन्ट हो जाते हैं। इसके बारे में,

(श्री उम्मेदीलाल)
इन सड़कों के बारे में आप विचार करें, माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैला देवी एक बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, यहां पर लाखों यात्री आया करते हैं जिससे काफी ट्रेफिक चलता है इसलिए यह सड़क अच्छी हो तो हमारे लिये शोभनीय बात है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उन सड़कों को ज्यादा नहीं हो सके तो 18 फीट चौड़ी करायें ताकि ट्रक या बस आ सकें और जा सकें। इसके अलावा एक कोटड़ी खानों की फैली कपड़ा की सड़क सात मील है, सात मील में से कोटड़ी की तरफ साढ़े तीन मील बन गई है और फैली कपड़ा की तरफ साढ़े तीन मील हो चुकी हैं और नाहर घाटी की ढाई-तीन किलोमीटर सड़क पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा, पिछले साल मंजूरशुदा सड़क का आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने बार-बार रिक्वेस्ट की, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला। वहां लोग यह कहते हैं कि जब हजारों ट्रक का ट्रेफिक चलता है तो हमारी सड़क का एक-दो किलोमीटर टुकड़ा नहीं बन सकता क्योंकि जब पत्थरों पर से गाड़ी आती है तो तीन हजार का एक टायर होता है, ट्रक मालिक का तीन हजार का एक टायर फूट जाता है तो उसको बड़ा भारी धक्का लगता है। पन्द्रह सौ ट्रक खानों पर चलते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस सड़क को शीघ्र से शीघ्र पूरा करवायें ....

श्री हीरालाल डेबपुरा : बस, बस !

श्री उम्मेदीलाल : (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं मान्यवर, बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा।

हिण्डौन के अन्दर जो हॉस्पिटल है उसके बारे में थोड़ा अर्ज कर दूं। वहां 1 लाख 50 हजार की जनसंख्या है, वह सब-डिविजन है और वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेण्टर है, वहां डॉक्टरों में, दोनों में आपसी मतभेद हैं। वहां मरीज जाय और मरीज इस बात को सोचे कि मुझे दवा मिलेगी, लेकिन मरीज को दवा नहीं मिल कर धक्के मिलते हैं। तो मान्यवर, मैं आपके द्वारा हैल्थ मंत्री से यह चाहूंगा कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनायेंगे और जो प्राइमरी हैल्थ सेण्टर है, उसको हॉस्पिटल में परिवर्तित करेंगे।

इसके साथ साथ जयपुर का एक नुस्खा है, वह मैं आपके सामने अर्ज कर दूं ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : नुस्खा ?

श्री उम्मेदीलाल : दांतों के विभाग में जयपुर हॉस्पिटल में एक चेअर पांच-छः महीने पहले खरीदी गई थी लेकिन एस०डी० शर्मा की जिद के कारण उसको स्टोर से बाहर नहीं निकालते हैं। मेरे कहने का मतलब है ...

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह किसने लिख कर दिया है आपको ?

श्री उम्मेदीलाल : यह जो मेरे पास आया है और मैं आपके सामने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मंत्री से चाहूंगा कि जो नई चेअर 32 हजार की पहले खरीद

(श्री उम्मेदीलाल)
कर रखी हुई है, छः महीने पहले की रखी हुई है उसको निकालेंगे और डॉक्टर काम करेंगे तो मरीजों को फायदा होगा। उसको घरे-वरे क्या करते हैं। जिस डॉक्टर ने चेम्बर नहीं निकाली है, उसके खिलाफ विभागीय जांच कराकर कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये !

श्री उम्मेदीलाल : मान्यवर, थोड़ी सी बात और मेरे सामने है।

मेरे यहां श्री महावीरजी में एक पी०डब्ल्यू०डी० ओवरसियर है। पी० डब्ल्यू डी० ओवरसियर जो कि महावीरजी का हैडक्वार्टर है, उस महावीरजी हैडक्वार्टर पर जो सरकारी शीशम है, जो शीशम पन्द्रह सौ, दो हजार रुपये का है, उसको बेच-वेच कर अपनी जेब में डाल लिया है। उसकी आज तक न छानबीन हुई है, न उसकी व्यवस्था की गई है। सरकार को बार-बार वहां के लोगों ने एप्लिकेशन दी, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसकी छानबीन कराकर इस ओवरसियर ने जितना सरकार का नुकसान किया है, उसको शीघ्र जुर्माना करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : आग आपने लगाई थी। आप कहिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : आपकी सहिष्णुता तारीफ के काबिल है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : सब लोग खूब कहिये।

श्री गोपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है, सुबह से मैं चन्दनमलजी पर नजर रखे था, वे इस वक्त भी मौजूद हैं। मैं तीन-चार बात कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा। जल प्रदाय योजना के बारे में मुझे कुछ कहना था। यह सही है कि पिछले तीन चार साल में जलप्रदाय योजना के लिए अच्छी धनराशि आवंटित हुई है और काफी काम भी हुआ है। इसके बारे में एक सुझाव मैं रखना चाहूंगा और वह यह है कि जनसंख्या के आधार को मानकर, ज्यादा ऐसी जगहों पर जल प्रदाय योजना शुरू कर देते हैं कि वहां उससे उतना ज्यादा लाभ नहीं होता है, जितना जलप्रदाय योजना को आवश्यकता के आधार को मान कर प्राथमिकता से करें तो दो हजार से कम आबादी के गांवों में जहां पानी बहुत ही कम गहरा है, और पानी अच्छा है, वहां जनसंख्या के आधार पर जलप्रदाय योजना को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। और दो हजार से ज्यादा जनसंख्या के गांव हैं और जहां दस फीट से पानी नीचे है, वहां जलप्रदाय योजना को प्राथमिकता देने के लिए क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो क्राइटेरिया फिक्स किया है वह परमावश्यकता के आधार पर प्राथमिकता देने का तय करेंगे और जल प्रदाय योजना चलायेंगे तो ज्यादा लोगों को फायदा होगा।

(श्री गोपालसिंह)

खण्डेला के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछले बजट सत्र में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिसका जवाब दिया था कि खण्डेला गांव में पानी की कमी पड़ जाती है, इसलिये कांवट से पानी लाकर खण्डेला को पानी देंगे। यह जवाब पाकर मुझे अचम्भा हुआ कि तेरह-चौदह मील से पानी लाकर पन्द्रह हजार का जो कस्बा है उसको पानी देंगे और उसमें 32 लाख का खर्च आयगा। मैं नहीं समझता कि इस स्कीम को टेक अप कर सकेंगे। मैंने पिछली दफा एक सजेशन दिया था कि खण्डेला की हालत यह है कि पानी से डूबता है और पानी से प्यासा रहता है। वहां केवल 2.56 लाख, ढाई लाख खर्च होने से बांध बन सकता है, और कुओं का पानी सेचुरेट हो सकता है तो लोकल सोर्स से वहां के लोगों को पानी दे सकते हैं। इससे खण्डेला डूबने से भी बचेगा। सिंचाई मंत्रीजी यहां बैठे हैं, इसमें खतोकिताब में काफी देर हो सकती है, इसलिए निवेदन है कि सिंचाई मंत्री इसको टेक अप करेंगे या अपने बजट से खण्डेला में डेम का काम शुरू कर दीजिये। इससे एक तो गांव डूबने से बचेगा और लोगों को पानी नहीं मिलता है और गर्मी के दिनों में परेशानी हो जाती है उस समस्या का समाधान भी हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जनस्वास्थ्य के अलावा मुझे सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में एक पाइन्ट निवेदन करना है। सीकर जिले में वैसे सड़कें बहुत कम हैं। सीकर में पलसाना से खण्डेला की सड़क के बारे में इस सदन में पहले भी चर्चा हुई है, प्रश्न आया है और आपने आश्वासन दिया था कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। मेरा निवेदन है कि पिछले चालीस-पैंतालीस वर्ष से खण्डेला से पलसाना बस चलती है, रेल्वे की आउट एजेंसी चलती है, 1971-72 में आपने बजट रखा था और सात मील का काम भी किया है। एक बार मिनिस्टर लेवल पर बात हुई थी, तब कहा था देअर इज नो प्लान रोड। हमने कहा कि कागज ढूंढें। यह कहा गया कि कागज नहीं मिलता है। हमने पता किया तो मालूम हुआ कि प्लान और बजट से दोनों से ड्रॉप कर दिया है। इतनी इम्पॉर्टेन्ट सड़क को क्यों ड्रॉप कर दिया। हो सकता है कि धनाभाव के कारण आप चालू नहीं कर सके। जब प्लान में था तो उसको ड्रॉप करने से आपको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि सात मील तक के काम को तो आपने कर दिया है। यहां सार्वजनिक निर्माण मंत्री मौजूद हैं। इस ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ...

श्री फूलचन्द जैन : (ट्रेजरी बेंचेज की ओर इंगित कर) सभापति महोदय, आपस में झगड़ा हो गया है .....

श्री गोपाल सिंह : मंत्री महोदय सामने बैठे हैं वह जवाब देंगे। यह महत्वपूर्ण सड़क है। आप अपने जवाब में इस सड़क के बारे में और खंडेला जलप्रदाय योजना के बारे में जरूर कहें।

इसके अलावा चिकित्सा मंत्री से एक बात कहनी है। आप गांवों में इग्नोरेंट पॉप्यूलेशन को बीमारी से बचायें। हर गांव और शहर में छोटे-छोटे लोग न मालूम कैसे और किस नाम से प्रमाण पत्र हासिल करते हैं और डॉक्टर बन

(श्री गोपालसिंह)

जाते हैं। इग्नोरेंट लोगों के सामने बड़े फिजीशियन्स बनकर ग्रा जाते हैं। रास्ते में ही उनको रोक लेते हैं और केज्युग्रल्टीज होती है।

खंडेला में 3-4 महीनों पहले एक हार्ट ट्रबल का केस था व क्वेक के हाथ में चला गया ग्रौर मर गया। इस तरह से क्वेक्स बढ़ते जा रहे हैं ग्रौर गांवों की बरबादी हो रही है, आप कोई तरीका ढूंढ़िए ताकि ऐसी बात नहीं रहे।

ग्राशा है मैंने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में मंत्री महोदय कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मंत्री ।

श्री चंदनमल बैद (जन स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी दर्यादिली की तारीफ करता हूं कि आपने माननीय सदस्यों को इजाजत दे दी बोलने की, मैं समझता हूं कि आपकी दर्यादिली ग्रभी भी कायम रहेगी ग्रौर जो 5 मंत्री बोलने वाले हैं उनको भी खुलकर बोलने की इजाजत देंगे। ग्रधिकांश माननीय सदस्यों ने पी० एच० ई० की मांगों के बारे में अपनी राय जाहिर की है। इस विभाग में पिछले 3-4 साल में जो काम हुआ है उसकी ग्रधिकांश माननीय सदस्यों ने तारीफ की। कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रालोचना भी की है। एक सवाल जो शुरू में उठा वह था कि शायद शहरों में ज्यादा कार्य किया है ग्रौर देहातों में जहां पीने के पानी की समस्या उग्र रूप से है, वहां कम काम किया है। झूंझुनू से ग्राने वाली माननीय सदस्या ने सुन्दर दोहा या कविता सुनायी। आपने कहा कि एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि मुझे मरूदेश में मत भेजना क्योंकि मुझे हमेशा पानी कुएं से खींचना पड़ेगा ग्रौर सर पर घड़ा लेकर पानी लाना पड़ेगा, इससे ग्रच्छा होगा कि मैं कुग्रारी रह जाऊं। माननीय सदस्या को मैं वह दिन याद दिलाता हूं कि जब वे इस विभाग की मंत्राणी थी ग्रौर उसे मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में वाटर वर्क्स योजना के उद्घाटन के लिये ले गया था, वहां पर महिलाग्रों ने इकट्ठा होकर मांग की...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कम से कम मैंने आपके यहां कोई वाटर वर्क्स स्कीम चालू तो की लेकिन ग्रापने तो तीन सालों में कुछ नहीं किया।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने ग्रापका भाषण शांति से सुना। क्योंकि आप महिला थी गांव की सारी महिलायें इकट्ठी हुई थीं। उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे घरों पर नल लग जांय ताकि सर पर ढोने से तो बच जाय। उस समय माननीय सदस्या ने मार्मिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान की संस्कृति है ग्रौर वह पनघट संस्कृति, अगर घर पर नल लग जायेंगे तो पनघट संस्कृति लुप्त हो जाएगी तो पीहर से जो ग्रच्छा कपड़ा लाते हैं वे कहां ले जाग्रोगी, कैसे दुनियां को दिखाग्रोगी ? उस मार्मिक भाषण को सुनकर हमने तय किया है कि हम कोशिश इस बात की करें कि जहां तक हो सके हम एक जगह पानी मुहैइया करें जिससे पनघट संस्कृति माननीय सदस्या को हर जगह देखने को मिले।

यहां यह भी कहा गया कि देहातों ग्रौर शहरों में जल प्रदाय योजनाओं में जो खर्च किया गया है, उसमें भेदभाव

Page No 276

(276)

(श्री चन्दनमल बैद)

हुआ है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में नगरीय क्षेत्रों में 88 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लाख, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नगरीय क्षेत्रों में 4.78 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों 14.84 लाख। तृतीय पंच वर्षीय योजना में नगरों में 4,60,14,000 ग्रामों में 23,92,000। 1966-67 में 64.88 लाख ग्रामों में 77.44 लाख। 67-68 में 56.80 लाख ग्रामों में 98.90 लाख। 68-69 में नगरों में 1,36,74,000 ग्रामों में 60,29,000। 1968-69 तक गरीब क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जाता रहा लेकिन चौथी योजना में यह स्थिति आई कि जहां नगरीय क्षेत्रों में 11,50,59,000 खर्च किया, ग्रामीण क्षेत्रों में 20,90,21,000 खर्च किया........

श्री रामकिशन : क्यों गलत कह रहे हो, सदन को मिसलीड कर रहे हैं। शहरों को योजनाएं पूरी होती गईं तो खर्चा घटता गया।

श्री चन्दनमल बैद : चौथी पंचवर्षीय योजना में बहुत से नगरों में योजनायें बाकी थी और आज भी ब्यावर, अजमेर, नसीराबाद, किशनगढ़, योजनायें हमारे सामने बाकी हैं। जैसे सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा रतनगढ़ में प्राइवेट योजना चल रही है उसके लिए हमें कुछ करना है। रीआर्गेनाइजेशन करना है। जल प्रदाय योजनाओं की यह खासियत है कि एक बार योजना बनादी उसके बाद 10-15-20 वर्ष बाद रीआर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। एक तो आबादी बढ़ जाती है और दूसरे पानी ज्यादा खर्च करने की आदत हो जाती है इसलिए यह कहना कि शहरों में योजनायें पूरी हो गई यह नहीं है। धीरे धीरे इस बात पर सोचा गया कि देहातों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, इसलिये देहाती योजनाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया।

इसी तरीके से 1974-75 में जहां शहरों की योजना 2,55,34,000) है ग्रामीण क्षेत्रों की योजना 65 करोड़ 76 हजार है। अगले वर्ष के लिए नगरों के लिए 2.30 करोड़ है जब कि देहातों के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से उस प्रावधान का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो कुओं के लिए है। अभी भी 1974-75 समाप्त होने तक जहां नगरी क्षेत्रों के लिए 26.91 करोड़ खर्च किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32.01 करोड़ किया गया। खास तौर से झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या कह रहीं थीं कि उन्हीं के समय में शहरों में ज्यादा पैसा खर्च होता रहा परन्तु चौथी योजना और खास तौर से पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और आगे भी कोशिश इस बात की है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया जाए। पांचवी योजना का प्रारूप हमने आयोग को भेजा है, उनमें हमने सिफारिश की है कि ग्रामीण योजनाओं के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया जाय जब योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाय तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ग्रामीण योजनाओं पर रखें।

इस बात की भी शिकायत की गई है चूरू जिला जहां से मैं आता हूं वहां

(श्री चन्दनमल बैद)
ज्यादा खर्च किया गया है, ऐसा नहीं है। दो माननीय सदस्यों ने कहा कि चूरू जिले में कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल टंकिया बन रही हैं, पाइप आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी बातों पर नहीं जाऊंगा और सिर्फ जो यहां पर असन्तुलन की बात कही गयी है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार जिलेवार आंकड़े देने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन जब बार-बार सदन में यह बात कही जाती है कि राज्य सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन फैला रही है, तो मैं यहां पर कुछ जिलों में जो धनराशि खर्च की जाने वाली है उसके बारे में जिलेवार आंकड़े देने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस वर्ष बाड़मेर के लिये 2 करोड़ 52 लाख 33 हजार रुपये की योजना बनायी है। बीकानेर के लिये एक करोड़ 59 लाख 30 हजार रुपये की योजना बनायी है। इसी प्रकार चूरू के लिये 2 करोड़ 7 लाख 66 हजार रुपये की योजना है। इसी प्रकार जैसलमेर के लिये एक करोड़ 45 लाख की योजना है, जालौर के लिये दो करोड़ 62 लाख 72 हजार की योजना है और नागौर के लिये दो करोड़ और कुछ लाख की है और पाली के लिये दो करोड़ 39 लाख की योजना है, तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता लग जायगा कि कितना-कितना, कहां-कहां खर्चा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिलेवाइज आंकड़ों को देने का मैं हामी नहीं हूं क्योंकि मैं हमेशा राजस्थान को एक ही मानता हूं और इसलिये इस प्रकार की भावनाओं को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यहां पर यह भी उठाया गया है कि चूंकि मन्त्री महोदय, चूरू जिले से आते हैं इसलिये उन्होंने अपने यहां पर ज्यादा पैसे की योजनायें बनाई होंगी। तब मैंने भी इस ओर ध्यान दिया तो पता लगा कि यहां पर जो असन्तुलन की चर्चा करते हैं वह बिल्कुल गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मुझसे कुछ प्रश्न अपने जनस्वास्थ्य विभाग के बारे में किये, उसकी उपलब्धियां क्या हैं इस बारे में भी पूछा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वाटर वर्क्स विभाग का काम है सेवा करना। मैं और मेरे अधीनस्थ जो भी इस विभाग में कर्मचारी हैं वह हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जैसा हमारा विभाग है उसी तरह हमें समाज की सेवा करनी चाहिये। इसके लिये मैं आपको एक बात यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा विभाग ऐसा विभाग है जो कि कभी भी हड़ताल करने के पक्ष में नहीं रहता। और आपने देखा होगा कि सभी विभागों की हड़ताल हुई है, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने कभी भी हड़ताल नहीं की और लगातार सेवा करते रहे। इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के कर्मचारियों ने यह फैसला किया है कि अगले पांच वर्ष तक वह कभी भी हड़ताल पर नहीं जायेंगे। मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं और वह बधाई के पात्र हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय 26 जनवरी को लिया। तो जब हमारे कर्मचारी इतनी निष्ठा से काम करने की बात करते हैं तो फिर राज्य सरकार का भी दायित्व हो जाता है कि हम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों

(श्री चन्दनमल बैद)

की समस्याओं के लिये एक हाई पावर कमेटी बना दी है और उसमें यह निर्णय दोनों ही पार्टियां ने लिया है कि हाई पावर कमेटी जो भी निर्णय लेगी वह दोनों को ही मान्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरा निवेदन यह है कि हमारा जो विभाग है उसका काम ही सेवा करना है और आज तक सेवा राजस्थान की जनता की करते आये हैं और करते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी बात कही गई है कि जहां पर पानी की समस्या है वहां पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से पानी का पता लगाकर उस क्षेत्र में लिफ्ट योजनाओं से सिंचाई की जानी चाहिये। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली में पेयजल के लिये वहां सिंचाई के बारे में भी बात की। अभी वह सदन में मौजूद नहीं है लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक योजना पाली और जोधपुर जिले के लिये बनाई है जिसमें कुल 56 गांव हैं। इसमें पाली जिले के 43 गांव और जोधपुर जिले के 13 गांव हैं वहां पर जवाई बांध से नहर निकाल कर इस एरिया में पानी दिया जायेगा। यह स्कीम कुल मिलाकर उपाध्यक्ष महोदय, 80 लाख रुपये की होगी। यह काम पिछले डेढ़ साल से अधूरा पड़ा था उसको पूरा किया जायेगा। इसके अलावा यहां पर राजस्थान नहर से बीकानेर जिले और चूरू जिले में पानी पहुंचाने की बात भी कही गई। उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी चूरू जिले की चर्चा सदन में आती है तो मैं सोचता था कि वहां की समस्या दूसरे जिलों से कम है और वहां पर पैसा राज्य सरकार खर्च कर रही है लेकिन जब मैंने ध्यान लगाकर आंकड़ों की स्थिति से देखा तो मालूम हुआ कि वहां पर कोई काम सिंचाई वगैरह के नहीं हो रहे हैं तो हमने यह तय किया लिफ्ट सिंचाई करने के लिय राजस्थान नहर से चूरू और लूणकरसर में नहर लाई जायेगी। और माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि वह कार्य इस साल में शुरू किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में वाटर पोल्यूशन और एअर पोल्यूशन के बारे में भी निवेदन किया गया है। यहां पर बार-बार इस बात की चर्चा आती है तो राज्य सरकार वाटर पोल्यूशन के लिये एक पोल्यूशन बोर्ड का गठन करेगी जो आज इण्डस्ट्रीज की वजह से हवा दूषित हो जाती है उसको रोकने के लिये वह वाटर पोल्यूशन बोर्ड सुझाव देगा। आज यहां पर पानी के बारे में जो कहा जाता है कि गन्दा पानी जो नाली और दूसरी तरह से गन्दगी पानी में आ जाती है उसको रोकने के लिये व्यवस्था करेगी। बोर्ड को इसके लिये पूर्ण अधिकार होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पिछले दो सालों में हमारे यहां पर नारू रोग बहुत फैलता जा रहा है। तो उसको तकलीफ मिटाने के लिये राज्य सरकार ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जहां कि यह नारू बीमारी की तकलीफ को मिटाने के लिये राज्य सरकार ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में 2,273 हैण्ड पम्प लगाये हैं इसमें 1804 पम्प्स के सक्सेसफुल रिजल्ट तो

(श्री चन्दनमल वैद)

आ गये हैं और उसमें 670 गांवों को फायदा हुआ है। इसमें 80 लाख रुपये के करीब खर्च होगा। मैं उम्मीद करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जल्दी ही वहां पर इस बीमारी की समस्या का हल निकल आयेगा। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने पेयजल की समस्या के बारे में काफी जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 33,307 गांव हैं जिसमें से 24,037 गांवों में पेयजल की समस्या है इसमें 9,457 गांवों में पानी खारा है और 3,769 गांव में जो पानी है वह क्षार युक्त है और 3,723 गांवों में क्लोराइड युक्त है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक स्टेण्डर्ड पानी के लिये बनाया हुआ है। उसके अनुसार अगर पानी के अन्दर कोई खराबी होती तो उसके लिये भारत सरकार भी मदद देती है। तो जैसा कि 3,723 गांवों में पानी में क्लोराइड है उसमें 1.5 पी०पी० एम० और दूसरे इलाकों में 3.0 पी०पी०एम० है उससे काफी नुकसान होता है। मैं मानता हूं कि हमारे यहां पर कई जगह पर पानी बहुत नीचे है और कई जगह गांवों में पानी का स्टैंण्डर्ड भी खराब है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह तो हमारे यहां की जनता उस पानी को पीने के लिये आदि हो गई है फिर भी हमें इस ओर विशेष प्रयास करने की जरूरत है। हमें अपनी पेयजल की समस्या का हल निकालने की जरूरत है। राज्य सरकार इस ओर जितना अपनी जनता के पीने के पानी की समस्या को सुधार सकती है उसकी ओर कार्यवाही कर रही है। और जिन समस्याओं को हल किया है उसको हम मानते हैं, जिसमें पाइप से वाटर सप्लायी करते हैं। पिछले सारे योजनाकाल में 4 करोड़ रुपया कुएं सुधारने में, टांके बनाने के लिये पंचायत समितियों को बांटे हैं। इस प्रकार गांवों में जल की समस्या को हल किया है। गांवों में टांके और कुएं रहे हैं। यह मान कर चलना कि हमारे काम से ही समस्या हल हो गयी हो, पाइप वाटर सप्लायी दे दी गयी इसलिये समस्या हल हो गई हो, ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक 33 हजार 305 गांवों का मास्टर प्लान बना लिया है। हमारे पास हर एक गांव की सूची है कि कहां-कहां पानी उपलब्ध है। 683 योजनायें हैं जो 2,286 गांवों को कवर अप करती है। 48 करोड़ की योजनायें तैयार पड़ी हैं। यह सब ही माननीय सदस्यों को मालूम है कि अगले साल से नयी योजना पर पैसा खर्च करेंगे। जिला समितियों को लिखा गया है, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और जो भी हो, ये योजनायें बनी हैं उनके अनुसार कार्य करें और जहां योजना नहीं बनी है उसको बनायेंगे।

यह कहा जा रहा है कि आपने फलांनी तहसील में ज्यादा काम कर दिया और फलांनी में कम कर दिया। अब इससे यह माननीय सदस्यों का दायित्व हो जायेगा कि किस जिले को अधिक अहमियत देना चाहते हैं और किस जिले को नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा जाता है कि जहां शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोग बसते हैं, जलप्रदाय योजना बनाते हैं, उनके मोहल्लों को जल देने की व्यवस्था नहीं करते हैं। हमने इस प्रकार के आदेश दे दिये हैं कि जो भी योजना बने वह मोहल्लों में जानी चाहिये।

(श्री चन्दनमल वैद)

85 लाख 22 हजार रुपये की योजना है। जिसमें से 5 लाख रुपये सोशियल वेल्फेयर डिपार्टमेंट से मिले हैं। 80 लाख रुपया पी० एच० ई० डी० ने अपनी मद में से खर्च करके शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के मोहल्लों में पानी ले जाने की कोशिश की है और आवश्यकता हुई तो 15 लाख रुपया खर्च करेंगे। जो नयी योजनायें चालू होंगी उनमें निश्चित रूप से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के मोहल्लों में पानी जावेगा और जिस जगह पर नहीं पहुंचा है, डैड एण्ड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पिड़ावा ?

श्री चन्दनमल बैद : वह भी राजस्थान में है और वह अलग नहीं रहेगा।

छः कालिंग अटेन्शन मोशन आज हुए हैं। उनके बारेमें जिक्र करना चाहूंगा। एक तो बीकानेर शहर की पाइप लाइन टूट जाने के सम्बन्ध में है। इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं, कालिंग अटेन्शन मोशन में सुबह। दूसरा है अजमेर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में। सन् 71 की जनगणना के अनुसार यहां की 2 लाख 69 हजार की जनसंख्या है। 20 लाख गैलन पानी मिल रहा है फाई सागर से। फाई सागर का पानी कम हो रहा है। आम तौर पर पानी गर्मी में कम हो जाता है। 49 लाख गैलन पानी मिल रहा था, धीरे-धीरे दो-तीन लाख गैलन पानी कम हो जाता है। स्कीम को हाथ में ले लिया है। पाइप लाइन के लिये, इस साल के लिये आवंटन किया गया है। खर्चा हो जावेगा। चार नलकूप का निर्माण भी किया जा रहा है। मावली में सुधार किया जा रहा है। इससे दो लाख गैलन पानी एक्स्ट्रा मिलेगा।

यह कोशिश कर रहे हैं कि जितना पानी उपलब्ध है, जो माननीय सदस्य अजमेर से पधारे हैं उनका कहना है कि पांच लाख गैलन और दिया जाय। 39 लाख गैलन पानी दे सके हैं। इससे संतोष हमें भी नहीं। और पानी बढ़ायेंगे। लांग टर्म योजना के द्वारा पिकअप बनाकर ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, अजमेर को पानी देने के लिये योजना बनायी जाय। इसके लिये अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने सारे बजट को छान मारा लेकिन उन्हें कहीं इसका प्रावधान नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 30 लाख रुपया आवंटित किया गया है 75-76 के लिये, वह कहीं जाने वाला नहीं है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको शुरू करें।

अजमेर में पूरा पानी वितरण नहीं हो रहा है इसके लिये मेरा कहना यह है कि अनासागर से पानी मिलता है, एक पाइप लगा हुआ था। अनासागर में डालते हैं। अनासागर में एक कुआ बना हुआ है उससे पानी मिलता है बीच में बन्द हो जाता है इसलिये कि पाइप लाइन खराब हो गयी थी। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनासागर से पानी मिलेगा तो वहां से दिया जावेगा, वहां बन्द हो जावेगा तो इससे दिया जावेगा। चार्जेज के बारे में अलग से सोच लिया जावेगा।

ब्यावर-जवाजा जलप्रदाय योजना बन्द हो जाने के बारे में काल अटेन्शन

(श्री चन्दनमल बैद)
मोशन आया है। ब्यावर की 71 की जनगणना के हिसाब से 66,114 जनसंख्या है। यह योजना नगरपालिका, ब्यावर के पास थी। पहले 7 लाख 35 हजार गैलन पानी दिया, अब 5½ लाख गैलन हो गया है। अप्रेल से शायद 4 लाख ही हो जावेगा। 73-74 में परेशानी पानी की हुई थी। तब 58 हैंड पंप लगाये थे और साथ-साथ दो कुओं को ग्रहण किया था। दो कुएं और और 2 ट्यूबवैल नये बनाये, कुछ को ग्रहण किया है। सेंदरा और निमाज से टैंकों द्वारा ब्यावर को पानी दिया गया है। 73-74 में जितना इन्तजाम किया था उन सबको पूरा कर सकें उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितना जल कष्ट ब्यावर का कम कर सकें उसके लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं। लोंगटर्म योजना भी है। राजमहल बांध बना कर उसको पूरा करेंगे।

जवाजा और टाटगढ़ के लिये यह निवेदन है कि 65-66 में योजना बनी, पंचायत समिति के सुपुर्द कर दी। 66 में उसको उन्होंने बन्द कर दिया। टाटगढ़ में भी इसी तरह से पंचायत समिति को दी और उन्होंने बन्द कर दी। अब उन लोगों का कहना है कि दोनों को हाथ में लें। सरकार जल्द ही निर्णय करने वाली है दोनों को सुधारें और चालू करें।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बांध बरेठा से पानी न मिलने के बारे में चिन्ता व्यक्त की। वहां पर 7 लाख गैलन पानी मिल रहा है वह पर्याप्त नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब काफी पैसा लगाकर 4-4 मील दूर से पानी लाकर पिलाने की स्कीम ली है। भरतपुर और बांध बरेठा तक पाइप लाइन डाल दी है। अब जहां तक बन्ध बारेठा से पानी आने का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पाइप लाइन में सुधार करना बाकी है, कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन बन्ध बारेठा से पानी देने का सवाल है हमारे और सिंचाई विभाग में झगड़ा नहीं है और अब बन्ध बारेठा से भरतपुर को पानी मिलना शुरू हो गया है और चाहे तो आप ताली भी बजा सकते हैं।

श्री चतुर्भुज : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, मैं बिलकुल अलाऊ नहीं करूंगा।

(पुनः माननीय सदस्य के बोलने पर)

आप बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक पाइन्ट और रह गया है उसके बारे में मैं और कहना चाहता हूं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का आग्रह किया है कि पाली को जवाई बान्ध से पानी जाता है और उस पानी को गांव में दिया जाय जिससे आज जो अकाल के कारण गांव में पानी पीने की दिक्कत है वह दूर की जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर ऐसा नहीं रहा है जब फरवरी में अकाल का सीजन होता है तो फरवरी में जवाई बान्ध से जोधपुर के गांवों को पानी दिया जाता है लेकिन इस साल पानी कम हो गया है। 30 जुलाई से पानी 15-12 तक और

(श्री चन्दनमल वैद)

21-1 तक के बीच में नहर में कुछ ब्रीचेज आगया था और मरम्मत आगई थी इसलिये पानी बन्द करना पड़ा और जोधपुर के लिये भी पानी स्टोर करना था इसलिये 21-1 तक पानी बन्द रहा। 21-1 से फिर पानी देना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल यही होता रहा है 200 एम. सी. टी. पानी हम देते हैं और 450 एम. सी. टी. पानी पाली जिले के गांवों को देने को कहा है 150 एम. सी. टी. पानी जोधपुर जिले को देने को कहा है और आज तक हम 180 एम. सी. टी. पानी दे चुके हैं पाली जिले को। हमने हरसाल से ज्यादा रियायत की है और कोशिश की है पाली जिले के गांवों को जो अकाल से पीड़ित हैं ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकें लेकिन कलेक्टर साहब ने और अकाल विभाग के सब लोगों ने बैठकर मीटिंग की अगर हम ज्यादा दूर तक पानी देते हैं तो निश्चितरूप से पानी का अपव्यय होता है और यह कहा कि 10 मील के गांवों में कच्ची नालियों से दे दिया जाय और इससे आगे टैंकों द्वारा दिया जाय। अभी 21 गांवों को पानी दिया गया है और हमें 56 गांवों की सूची दी गई थी और बाकी को और देने की कोशिश है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि और कई माननीय मंत्री महोदयों को बोलना है, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ यही प्रार्थना करूंगा जो-जो मांगें पी० एच० डी० के विभाग के संबन्ध में पेश की है उनको पास किया जाये और जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं कुछ नहीं बोल सका हूं तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं मैं उन माननीय सदस्यों को लिखितरूप से उत्तर दे दूंगा। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य नाराज न हों क्योंकि मैं जयपुर के लिये कुछ नहीं बोला हूं। जयपुर के बारे में तो अभी दो-तीन पहले ही एक काल अटेन्शन मोशन था और भी मैं चर्चा करता रहूंगा.....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो जवाब दे दीजिये।

श्री फूलचन्द्र जैन : एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा क्योंकि कोई माननीय मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है....

श्री चन्दनमल वैद : नहीं, मैं भूल गया।

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह जानना चाहता था जब सर्वेक्षण सारे राजस्थान के गांवों का किया है तो मेहरबानी करके यह बता दीजिये आपके सर्वेक्षण से ऐसे कितने खारे पानी के स्थान हैं जहां पीने का पानी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है छापर की पब्लिक पोस्ट के बारे में कहा है उसके पानी के पैसे सब कुछ देने को तैयार है और चीफ इंजीनियर ने हुकुम दे दिया था और वह मेरी लेवल पर आकर हुकुम रुक गया। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं जितनी शहरों की जल प्रदाय योजना है—पी० एस० पी० लगे हुये हैं वे नगरपालिका ने लगाये हैं और वे ही इनका चार्ज देते थे। उन्होंने बन्द किया और लाखों रुपया देना पड़ा। जो पी० एस० पी० लगाना चाहते हैं और हमारे नियम है 1000 की आबादी पर

(श्री चन्दनमल वैद)
एक पी. एस. पी. लगाते हैं। आज फलां आदमी कहता है 20 पी. एस. पी. लगा दें। दो-चार महीने तो बिल भी चुका दें अगर हम बन्द करें तो फिर बन्द नहीं कर सकते हैं.....

श्री फूलचन्द्र जैन : क्यों गलत जवाब देते हैं? बिलकुल गलत जवाब।

श्री चन्दनमल वैद : तो उसी तरीके से अजमेर, जयपुर की पी. एस. पी. बन गई है, उसको बन्द नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य मेरे पास आये थे मैंने उनको भी निवेदन किया था एक ज्वाइन्ट अकाउन्ट बैंक में खोल दीजिये और इतना रुपया जमा करा दीजिये कि जो पी. एस. पी. का खर्चा आता है उससे इतना ब्याज आये कि जो रुपया ब्याज में आवे, जिससे खर्च उठा सके, जिससे पैसा नहीं भरें तो हमें दिक्कत न आये तो पी. एस. पी. लगा दें और गांवों में एक हजार के पीछे पी. एस. पी. लगवा लें लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य पी. एस. पी. लगाना चाहते हैं वे नगर-पालिका के चुनाव में यश लूटने के लिये एक जाल मात्र है। दो तीन महीने के लिये देकर उसको फिर गायब कर देना चाहते हैं और जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि मुझे चुनाव में वोट दो...

श्री फूलचन्द जैन : अच्छा होता गलत जवाब देने से तो जवाब ही नहीं देते।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य को यह मालूम पड़ता है कि मैंने गलत बातें कही है मैं क्षमा चाहता हूं उनको बुरा लगा लेकिन बात बिलकुल सही है। राजस्थान में 3733 गांव हैं इफेक्टेड और 6146 में जल स्रोत नहीं है, 9457 गांव है जहां अपर्याप्त पानी है 50 फीट से नीचे है, 3220 गांव है और ऐसे गांव जिनमें साल्ट की मात्रा है 3749 है कुल गांव 24 हजार 37 है। मैने पहले भी बता दिया था और अब भी बता दिया है। 9268 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने की पानी की कोई समस्या नहीं है।

श्री सभापति : सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री हीरालाल देवपुरा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक विभाग की सम्बन्धित मांगों पर आज माननीय सदस्य ने जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया 33 में से 23 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राब्लम्स की दृष्टि से उनके क्षेत्र की सड़कों की क्या हालत है और क्या क्या सड़कें बननी चाहियें, किन किन पुलियाओं का बनना आवश्यक है या किन किन सड़कों की रिपेयर होनी चाहिये-इस सम्बन्ध में जिक्र किया। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विभाग में आमतौर पर जो काम हो रहा है उस सिलसिले में जिक्र किया और कुछ माननीय सदस्यों ने खासतौर से बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्रजी जैन ने, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विभाग में भ्रष्टाचार की चर्चा की...

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किसी प्राब्लम विशेष की ओर ध्यान आकर्षित किया है उनका मैं जवाब दूंगा और कुछ बातें रह जायेंगी लिखित-रूप में उनका जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन कुछ मुद्दे जो यहां पर उठाये गये हैं उस संबंध में जरूर जिक्र करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग खास तौर से सड़कों के संबंधित बातों के ऊपर यहां पर चर्चा की गयी, उसी दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा और जहां तक यह बात है कि राजस्थान के अन्दर आवश्यकरूप से जितनी सड़कें बननी चाहिएं वह सड़कें बन सकीं और आम लोगों को राहत मिल सकी, राजस्थान के विकास में अपना योगदान कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि अभी जो योजना बन रही है यह योजनायें जो आर्थिक स्थिति देशकी और प्रान्त की है उसमें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता रहा है और इस सदन में कई बार इस बात पर जिक्र भी किया जा चुका है। माननीय सदस्यों ने स्वयं ने भी जब इस प्रकार की बात आती है तो प्राथमिकता पर जो दिया है और उस दृष्टि से जैसे सिंचाई की डिमाण्ड के दिन मैंने निवेदन किया था कि प्राथमिकता के अन्दर इस वर्ष जो योजना बनी है उसमें और गत वर्ष बनी थी उसमें सिंचाई, विद्युत और कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। जल प्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था और जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न था उसे लास्ट प्रायोरिटी में लिया गया। किसी भी दृष्टि से देखिये लेकिन यह वस्तुस्थिति तथ्य है और उससे इन्कार नहीं किया जा सकता और उसी दृष्टि से प्लान के अन्दर इस विभाग को अलॉटमेन्ट होता है और उस अलाटमेन्ट के आधार पर काम हाथ में लिये जाते रहे हैं और उसी आधार पर काम हुआ है, उस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सड़कों का काम अपेक्षाकृत जो हमारी आकांक्षायें थीं उनके मुकाबले में कम हुआ है, उससे मैं इन्कार करके नहीं चलता। लेकिन जो स्थिति है वह मैं माननीय सदस्यों के समक्ष स्पष्ट रखना चाहता हूं। इस बात को कहने के साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राजस्थान सड़कों की दृष्टि से देश के दूसरे प्रान्तों में अपेक्षाकृत बहुत पीछे है, बहुत कम काम यहां पर हुआ है। इस बात को जब हम देखते हैं तो राजस्थान की ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों स्थितियों पर विचार करके सोचना होगा। राजस्थान का वैसे देशी रियासतों से निर्माण हुआ है जिन रियासतों के समय में सड़कों की दृष्टि से अपने-अपने क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ था जब कि देश के दूसरे प्रान्त जो कि ब्रिटिश हुकूमत के समय में प्राविन्सेज थे और सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अन्तर्गत थे वह अपने आप में सड़कों की दृष्टि से विकसित थे। तो उन प्रान्तों का अगर आज हम राजस्थान का मुकाबला करेंगे तो निश्चित बात है कि हम राजस्थान को पीछे पायेंगे लेकिन हमारा जैसा यह प्रान्त है, जो देशी रियासतों से मिलकर एक प्रान्त बना है और जैसी स्थिति राजस्थान की पहले थी वैसी ही स्थिति उस प्रान्त की थी जैसे मध्यप्रदेश एक प्रान्त है। अगर मध्यप्रदेश राजस्थान से आगे

(श्री हीरालाल देवपुरा)
जायेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि मध्यप्रदेश में जो टोटल लेन्थ पर किलो-मीटर है वह .094 आती है और राजस्थान में भी टोटल लेन्थ रोड की है पर किलोमीटर .094। तो हमने जो राजस्थान में सड़कें बनाई हैं वह मध्यप्रदेश से कम नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश को भी देखें तो उत्तर प्रदेश में हालांकि उत्तर प्रदेश ब्रिटिश शासन काल में अलग से प्राविन्स था लेकिन वहां की जो स्थिति है उससे हम आंकते हैं तो रोड़ लेन्थ वहां आती है पर स्क्वायर किलोमीटर .098 और गुजरात में .059 आती है। यह हमारे आसपास के प्रान्त हैं जिनसे हम राजस्थान का मुकाबला करते हैं तो प्रति किलोमीटर जो हमारी रोड लेन्थ आती है उसमें हम राजस्थान में पीछे नहीं है। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बराबर हैं और गुजरात से हम अधिक ही हैं। हरियाणा और पंजाब से जब हम मुकाबला करते हैं टोटल लेन्थ राजस्थान में काफी ज्यादा है।

राजस्थान की टोटल लेन्थ 32905 किलोमीटर 31-3-72 को थी। यह मैं 31-3-72 तक की फिगर दे रहा हूं इसलिए कि दूसरे प्रान्तों की फिगर मेरे पास 1973 की नहीं है। कम्पेरेटिव फिगर्स सिर्फ 1972 की ही हैं। हरियाणा में टोटल लेन्थ 12219 किलोमीटर है, पंजाब में 12846 किलोमीटर, मध्यप्रदेश में 41570 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 28803 किलोमीटर और गुजरात में 11508 किलोमीटर। इससे भी अन्दाजा लगाया जा सकता है कि टोटल लेन्थ के हिसाब से देखें क्योंकि हरियाणा और पंजाब छोटे प्रान्त हैं इसलिए प्रति स्क्वायर किलोमीटर निकलें तो वह ज्यादा जायेगा लेकिन टोटल लेन्थ जो राजस्थान में बनी है और राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है रेगिस्तानी इलाका काफी लम्बा चौड़ा, पहाड़ी इलाका काफी लम्बा चौड़ा। उस दृष्टि से राजस्थान सड़कों की दृष्टि से पड़ौस के प्रान्तों से किसी प्रकार कम नहीं हैं। राजस्थान को जो साधन उपलब्ध हो सकते थे उनका उपयोग करते हुए बिलकुल ठीक ढंग से काम हुआ है। इसमें नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान सड़कों की दृष्टि से पीछे है। यह मैंने कम्पेरीजन किया हमारे पड़ौसी प्रान्तों से जिनसे आमतौर से तुलना करनी चाहिये उनसे की हैं और उसके आधार पर मैंने निवेदन किया कि राजस्थान के ही पीछे नहीं हैं।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज भी उसी प्रकार से कम्पेरीजन किया जैसे सिंचाई के दिन उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि सरकार और खासतौर से मेरे विभाग के संबंध में कि चूंकि सरकार उदयपुर वालों के हाथ में रही हैं और सिंचाई विभाग और पी० डब्ल० डी० विभाग उदयपुर वालों के हाथ में रहे हैं इसलिए अपेक्षाकृत उदयपुर में अधिक काम हुए हैं दूसरे क्षेत्रों को अपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य से मैंने उस दिन भी कहा था कि उपेक्षा की दृष्टि से देखने का कोई प्रश्न नहीं है। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। उन्होंने कुछ आंकड़े यहां पर सड़कों की दृष्टि से और प्लान के हिसाब से दिये कि किस क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ और यह बताने की कोशिश की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उपाध्यक्ष महोदय कि उदयपुर में कहीं ज्यादा काम हुआ है, भीलवाड़ा में ज्यादा हुआ है और भरतपुर में, सवाई माधोपुर में और इस तरफ के इलाकों में कुछ कम काम हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, और भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब स्पेसिफिक बात किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कही जाये और कम्पेरीजन किया जाये तो मैं कर्त्तव्य समझता हूं कि इस भ्रम को भी दूर किया जाये कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा कि कहा जाता है।

आपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को भी डिस्ट्रिक्ट माना, भरतपुर को भी डिस्ट्रिक्ट माना, सवाई माधोपुर को भी डिस्ट्रिक्ट माना, डूंगरपुर को भी डिस्ट्रिक्ट माना, बूंदी को भी एक डिस्ट्रिक्ट समझा। उस डिस्ट्रिक्ट में भौगोलिक स्थिति क्या है उसको नहीं देखा, उसका एरिया क्या है उसको नहीं देखा, उसकी पापुलेशन क्या है उसको नहीं देखा। किस डिस्ट्रिक्ट में वाहन कितने चलते हैं और कम्युनिकेशन के साधन रोड्स वगैरह बनाना चाहिए – इसको इन्कार नहीं करते लेकिन दूसरे आस्पेक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं करके भरतपुर की बात निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर में···

श्री राम किशन : वह तो मेरे पास हैं सारे।

श्री हीरालाल देवपुरा : ····भरतपुर में पर वन स्क्वायर किलोमीटर रोड लेन्थ है .190 और उदयपुर में पर वन स्क्वायर किलोमीटर रोड लेन्थ है .192 तो कहां पर डिफरेन्स आया है मेरी समझ में नहीं आया कि जिससे यह कहा जाय कि भरतपुर में सड़कों को कम बनाया और उदयपुर में सड़कें बहुत ज्यादा बना दी। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, आप चितौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए तो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में .100 है। तो चितौडगढ़ में तो उतना भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा में .111 है और डूंगरपुर में .187 है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में .145 है तो दक्षिण क्षेत्र के अन्दर जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यह कहना कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मुख्यमंत्री हैं और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं इसलिये वहां पर सड़कें बहुत बना दी और बाकि डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाई गई, यह कहना उचित नहीं है। चूंकि भरतपुर जिले का खासतौर पर नाम लिया गया इसलिए मैंने आपके सामने यह बातें बताई हैं जिनका कोई लाभ नहीं है फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के दृष्टिकोण से विचार करना किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा सड़कें बना दी और किसी डिस्ट्रिक्ट की बहुत उपेक्षा की गई इस तरह से विचार नहीं रखा जाना चाहिए। यहां पर यही दृष्टिकोण रहा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी को ध्यान में रख कर जिस सड़क को प्राथमिकता दी जाकर बनाना चाहिए था उसी हिसाब से बनाते जा रहे हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में कहीं पर भी किसी डिस्ट्रिक्ट को अधिक सड़कें और किसी डिस्ट्रिक्ट के प्रति भेदभाव और उपेक्षा की दृष्टि से नहीं रखा गया है और हर डिस्ट्रिक्ट की

(श्री हीरालाल देवपुरा)
आवश्यकता के अनुसार उसी हिसाब से सड़कें बनाई गई हैं ।

एक बात अलॉटमेंट ऑफ फण्ड्स के बारे में कही गई कि अलग 2 जगह पर किस तरह से खर्चा किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रति किलो मीटर पड़ने वाला खर्चा भी बराबर नहीं होता । पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर खर्चा उस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होगा, जिसमें रोड का कटिंग, रोड का फीलिंग उस पर खर्चा होगा । प्लेन एरिया में सड़कों पर खर्चा कम होगा । इस प्रकार से फिजिकल आधार पर इसको देखा जाना चाहिए, केवल मोनेटरी आधार पर कितना खर्चा किस जिले पर किया गया, इस आधार पर नहीं लेकर फिजिकल टार्जेट क्या अचिव किया गया इस आधार पर जो उपलब्धि प्राप्त की गई इस हिसाब से हमें देखना होगा । फिजिकल टार्जेट को देख कर ही हम विकास को ठीक तरह से आंक सकेंगे । केवल मोनेटरी डिस्ट्रिब्यूशन के आधारपर आंकेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, विकास की दृष्टि से हम इसको सहीतौर पर नहीं आंक सकेंगे । इस पर मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अलाटमेंट ऑफ फण्ड्स का सवाल है हमने कोई उसमें इस तरह की बात की हो कि जिससे माननीय सदस्यों को लगे कि हमने फण्ड अलॉटमेंट कोई इस तरह की बात कर दी हो कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा दे दिया और किसी डिस्ट्रिक्ट की उपेक्षा कर दी । इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि रोड्स के मेंटीनेंस के ऊपर जो गत वर्ष हमने अलॉटमेंट किया वह अलॉटमेंट, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो उससे अन्दाजा लगेगा कि अगर उसमें भेदभाव बर्ता जाता तो उदयपुर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट किया जा सकता था । उसके मुकाबले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहां की आवश्यकता को देखते हुए अलॉटमेंट किया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 65 लाख का अलॉटमेंट किया गया है । अलवर डिस्ट्रिक्ट में 28 लाख का अलाटमेंट किया गया है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 35 लाख का, सवाई माधोपुर के लिए 22 लाख का, झुंझुनू के लिये 12 लाख का अलाटमेंट किया गया है । इसी तरह से जोधपुर में 25 लाख का, कोटा में 45 लाख का, बूंदी में 20 लाख का, झालावाड़ में 30 लाख का, उदयपुर में 22 लाख का, भीलवाड़ा में 16 लाख का और डूंगरपुर में 10 लाख का, बांसवाड़ा में 12 लाख का और चित्तौड़गढ़ में 17 लाख का अलॉटमेंट किया गया है ।

श्री किशन मोटवानी : अजमेर में ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अजमेर का भी बता देता हूं ।

श्री रामकिशन : ऊपर ही ऊपर है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अजमेर में 16 लाख है । तो उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा जा सकता कि कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम किया गया है । कोटा से, डग से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने बड़े जोर से कह दिया कि कोटा की सड़कों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । झालावाड़,

(श्री हीरालाल देवपुरा)
बूंदी और कोटा तीनों जिलों का नाम लेकर कह दिया कि उदयपुर डिविजन में जिले के प्लान के अन्दर कितना खर्च कर दिया। इस बात को लेकर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कोटा डिस्ट्रिक्ट को, कोटा डिविजन को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी फिगर्स निकाले हैं उदयपुर डिविजन में पांच डिस्ट्रिक्ट की लगभग पचास लाख की जनसंख्या है और कोटा डिविजन में तीन डिस्ट्रिक्ट और उनकी जनसंख्या 22 लाख और उसमें उदयपुर डिविजन में फर्स्ट प्लान से लेकर फोर्थ प्लान के अन्त तक खर्चा हुआ 680 लाख रुपया और कोटा डिविजन में हमने खर्चा किया 303 लाख रुपया। जहां कि पापुलेशन 50 लाख की और पांच पांच डिस्ट्रिक्ट वहां पर 680 लाख का खर्चा किया गया और कोटा डिविजन जिसकी पापुलेशन 22 लाख और तीन डिस्ट्रिक्ट वहां पर 303 लाख का खर्चा किया गया जिससे स्पष्ट है कि कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया गया है या जिससे आप यह कह सकें कि प्लान के अन्दर उदयपुर और कोटा डिविजन में भेद किया गया हो मैं मानता हूं कि उदयपुर और कोटा डिविजन की ज्योग्राफिकल कण्डीशन लगभग एक सी है।

श्री जानमोहम्मद खां: वहां तो कुछ नहीं हुआ, आखिर पैसा कहां गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा: तो यह जो खर्चा हुआ वह आपके सामने है। यह कह करके कि उदयपुर डिविजन में या कोटा डिविजन में राजस्थान के और भागों की अपेक्षा कम खर्चा किया गया है तो ऐसी कहीं पर भी स्थिति नहीं है। यह कहना कि राजनैतिक आधार पर कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम खर्च किया गया हो यह बात नहीं है। यह तो फिगर बताते हैं, तथ्य बताते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो छबड़ा से आते हैं उन्होंने भी इस प्रकार का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का जिक्र हम न करें। मैं मानता हूं कि आज राजस्थान की सड़कों की हालत खराब है इसको मैं इन्कार नहीं करता। उदयपुर में सड़कों की हालत खराब है, कोटा में खराब है, जयपुर में खराब है, भरतपुर में हालत खराब है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। सवाल पहले यह है कि आज सड़कों के लिए हमें जितना खर्चा करना पड़ता है, सड़कों के संधारण के लिए, सड़कों की मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है और इससे खर्चा नहीं कर पाते हैं। हमारे बजट का जो अलॉटमेंट है उसको आप देखेंगे तो आज जो रोड के इसके जो नोर्म्स तय किये गये हैं उतना पैसा भी हमको नहीं मिलता। इसके लिए जितना पैसा कम से कम हमें मिलना चाहिए वह पैसा भी नहीं मिलता जब पैसा ही नहीं मिलता तो सारा का सारा खर्चा रिपेयर के लिए पूरा कैसे कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर, कोटा के माननीय सदस्य ने फैमिन की बात कही कि अकाल राहत के वक्त उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी सड़कें बनी हैं। मैं मानता हूं कि अकाल के समय में जो जिले अकाल से प्रभावित रहे हैं वहां पर रिलीफ वर्क चले हैं और उन रिलीफ वर्क्स में सड़कें बनी हैं। उन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रिलीफ वर्क्स में सड़कों के साथ सॉयल कंजर्वेशन का काम हुआ है, छोटे मोटे इर्रीगेशन के काम भी हुए हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता । ठीक इसी प्रकार से इन जिलों में जब पूरी तरह की नेचुरल केलेमिटि हुई, फ्लड आया भरतपुर में तो वहां पर भी सड़कों पर विशेष खर्चा किया गया । फ्लड के अन्दर भरतपुर में सिचाई के अन्दर विशेष खर्चा किया गया । ठीक इसी प्रकार फ्लड में कोटा डिविजन में सबसे अलग उनके लिए अलग से प्रावधान करके उन सड़कों का सुधार किया गया है, मरम्मत की गई, रिपेयर की गई है । इस फैक्ट को तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए और इन फैक्ट्स को सामने रख कर ही माननीय सदस्यों को बात करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि राजस्थान की सड़कों को ज्यादा ठीक तरह से ठीक कर सकें जिससे इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो, लेकिन जो फण्ड अवेलबल है उसी के अनुसार, उसी अनुपात में हम सड़कों को ठीक कर सकते हैं । फिर भी हमने गतवर्ष राजस्थान के अन्दर लगभग, मेरे पास में जनवरी, 75 के फिगर्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, गतवर्ष में हमने 183.50 किलोमीटर बी.टी. रोड्स और 142 किलोमीटर-रोड का संधारण किया, इम्प्रुवमेंट किया है। जो कुछ भी फण्ड अवेलेबल है इन फण्ड्स के आधार पर राजस्थान के विभिन्न जिलों के अन्दर जो कुछ काम किया है मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाकर दूसरी बात यहां पर मिनिमम नीड प्रोग्राम के बारे में कही गई है उस बारे में निवेदन करना चाहूंगा । मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्दर कई जगह ऐसे गांव रह गए कि जिनकी आबादी दो हजार, ढाई हजार से अधिक की जनसंख्या है उनको भी हमने अपने प्रोग्राम के अन्दर इन्क्लूड नहीं किया । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि मिनियम नीड-प्रोग्राम को हमने हाथ में लिया है । यह प्रोग्राम कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया हो ऐसी बात नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी कमेटीज बनी हुई हैं जिसमें माननीय सदस्य कमेटी के सदस्य हैं और कलेक्टर चेयरमैन है और उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर उनकी जानकारी है कि गांव की जनसंख्या कितनी है वे इस बात को ज्यादा जान सकते हैं बनिस्बत आप और मेरे यहां बैठ कर अपने स्वयं के गांव के बारे में दो हजार की जगह तीन हजार की जनसंख्या बता कर इस नजरिये से हम यहां देख सकते हैं लेकिन सेन्सस रिपोर्ट, रेवेन्यू रिकार्ड और पटवारी की रिपोर्ट है । इसलिए इसको गलत नहीं कह सकते । डिस्ट्रिक्ट कमेटी में प्लान बनता है । प्रायोरिटिज वहां पर तय की जाती है । ये प्रायोरिटिज प्लानिंग डिपार्टमेन्ट में डिसकस की जाती है । और प्लानिंग डिपार्टमेन्ट मीनिमम नीड के अन्तर्गत जो फन्ड्स है 130 लाख रुपये का, उसके अन्दर कार्यक्रम बना कर विभाजित करता है। जितनी रोड्स हो सकती है, उतनी ही रकम, फन्ड एलाट किया जाता है। कोटा डिविजन से आने वाले माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी नाराजगी प्रकट की है । कोटा में डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 47 हजार रुपया एलाट किया गया है । जब वे कोटा डिस्ट्रिक्ट को देखते

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है और उसके मुकाबले इस 47 हजार की राशि की तुलना करते हैं तो उनको यह राशि बहुत कम नजर आती है। इस प्रकार से देखने पर नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन जिस आधार पर यह अलाटमेन्ट होता है रेवेन्यूरिकार्ड के अनुसार उनके जिले में केवल एक गांव है जिसकी जनसंख्या 2500 होते हुए भी वह सड़क से कनेक्टेड नहीं है। उसे रोड से कनेक्ट करने के लिए यह रकम प्राविधित की गयी है। जितनी रोड़ की लेन्थ है, साढ़े बारह हजार उससे गांव को कनेक्ट करना है। इस अनुपात में यह एलाटमेन्ट हुआ है और 47 हजार रुपया एलाट किया गया है। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोटा जिले की उपेक्षा की है। यह बात समझना है कि जो मीनीमम नीड का कार्यक्रम है, उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं बनाता है। यह कार्यक्रम आपकी जिला कमेटी तय करती है और उस पर प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से फैसला होता है। प्लानिंग डिपार्टमेन्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह काम सौंपता है और सार्वजनिक निर्माण विभाग इन कामों को शुरू करवाता है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम माननीय सदस्यों को नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्रीमती नगेन्द्र बाला: ढ़ाई हजार की जनसंख्या का आधार है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में ऐसे कई गांव के नाम मैं बता सकती हूं जो कि रोड़ से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे कई गांव अभी भी पड़े हुए हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा: आप स्वयं कमेटी की मेम्बर हैं। आपको कलेक्टर से कहना चाहिए था और उनकी मन्जूरी कराना चाहिए।

श्रीमती नगेन्द्र बाला: कलेक्टर ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई और न मीटिंग का मालूम हुआ है। आप जो यहां पर कह रहे हैं, वैसी स्थिति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय ......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: इट इज इम्पासिबल।

श्री हीरालाल देवपुरा: जो सिद्धान्तत: हैं वह मैंने यहां पर बताया है कि किस तरह से खास तौर पर इस कार्यक्रम पर कार्य किया जा रहा है। माननीय सदस्य, यदि यह जानते हैं कि इसमें कोई कमी रह गई है तो उसकी बाबत भी बताया जा सकता है। मीनीमम नीड प्रोग्राम में एक बार जो कार्यक्रम बना दिया और गलत है तो उसको कट नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। कोई गलत बात होगई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। कोई गांव छूट जाये तो उसको शामिल किया जा सकता है। उस पर पुनर्विचार करके उसको ठीक किया जा सकता है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह जो मीनीमम नीड प्रोग्राम है यह पांच साल तक चलने वाला प्रोग्राम है। इसलिए आज जो एलाटमेंट हुए हैं, वे किस आधार पर हुए हैं, यह मैंने यहां पर बताया है।

कुछ बातें यहां पर माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने सड़क के अलावा, बिल्डिंग्स के बारे में कही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बिल्डिंग्स की रिपेअर्स करता है। चाहे वे जनता द्वारा बनवाये गये

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्कूल हैं, चाहे औषधालय हों और चाहे सार्वजनिक काम के भवन हों, उनको सरकार को सौंप देने के बाद उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं संभालता है, यह भी कहा गया। मैं कुछ सिद्धांत की बात यहां पर पहले कह दूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुछ बिल्डिंग्स मार्क की हुई होती हैं। जहां तक बिल्डिंग्स के रिपेअर्स का सवाल है, एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर्स तक जो भी सरकारी बिल्डिंग हैं, उनकी रिपेअर्स, रख रखावा, व्हाइट वाश, दुरुस्ती आदि की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर्स से नीचे की बिल्डिंग, तहसील लेविल की बिल्डिंग्स, चाहे स्कूल, औषधालय हो इन बिल्डिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की कोई बिल्डिंग्स जो जन-सहयोग या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्माण करायी जाती है, उनको भी सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं लेता है। वे बिल्डिंग्स जिस विभाग से संबंधित हैं, वो ही विभाग इन बिल्डिंग्स को लेता है। अगर वो एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर्स से ऊपर की है तो उसकी मरम्मत, मेन्टीनेन्स आदि की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होगी। अगर उससे नीचे है, तो संबंधित विभाग ही उसकी रिपेअर करायेगा। इस दृष्टि से काम होता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर यह बात कही गयी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वे ठीक तरह से नहीं बनती हैं। उनके अन्दर खराबी रह जाती है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक शिकायत किसी प्रकार की आएगी तो निश्चित रूप से मैं उसकी जांच कराऊंगा। क्या खराबी हुई है और किस प्रकार का काम हुआ है, यह तो जांच के बाद ही मालूम हो सकेगी। इसके बारे में जांच कराई जा सकती है लेकिन स्पेसिफिक शिकायत हो तभी। यह सब यहां पर जनरल वे में बात कही गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस विभाग में करप्शन है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक ओवरसीयर के बारे में कहा है। एस० ई० से इसकी जांच हुई और जांच में लीपापोती हो गई, इस तरह का आरोप लगाया गया है। यह चीज पहली बार ही मेरे सामने आयी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, दूसरे माननीय सदस्यों ने आमतौर पर जनरल वे में बात कही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। भ्रष्टाचार होगा। इसको रूट आउट करने के लिए जनरल बात कही है। सिर्फ कहने से भ्रष्टाचार रूट आउट नहीं होगा। अपने क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक बात हुई हो, किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो, कोई घोटाला हुआ हो, वह माननीय सदस्य सीधे ही मुझे बताने का कष्ट करें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके ऊपर निश्चितरूप से कार्यवाही की जावेगी . . .

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : पुराना कोटड़ा की शिकायत है। वहां पर ढाई लाख का घोटाला हुआ है। . . .

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)
बात स्पेसिफिक रूप से आयेगी, निश्चित एलीगेशन आएंगे तो उस पर निश्चितरूप से कार्यवाही की जाएगी। विभाग को इस प्रकार की जो भी सूचना मिलेगी, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी दस अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है और 30 कर्मचारियों पर भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही हुई है। इन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। कोटड़ा के एक्स०इ०एन० के बारे में यहां पर अभी कहा गया है। उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। एन्टी करप्शन में केस चल रहा है। वह व्यक्ति सस्पेन्ड है। विभाग ने जांच कर ली है। गबन की, रिश्वत की शिकायत है, जो पुलिस के अन्दर चल रही है....

श्री हाजी जान मोहम्मद खां : काफी अर्सा हो चुका है।....

श्री हीरालाल देवपुरा : एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की जांच मेरे हाथ में नहीं है। इस वक्त क्या कार्यवाही चल रही है, कह नहीं सकता। वह व्यक्ति सस्पेन्ड है। जांच में विलम्ब हुआ है किन्तु वह व्यक्ति भी पांच साल से निलम्बित है। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट की कार्यवाही चल रही है। ठीक इसी प्रकार से 10 गजेटेड आफीसर सस्पेन्ड हैं और 34 नॉन गजेटेड कर्मचारी भी निलम्बित हैं। इसी तरह से हमने कुछ लोगों को सजाएं दी हैं इनमें गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों ही कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिला कर 37 अधिकारियों को दंडित किया गया है जो गजेटेड हैं और 138 कर्मचारी हैं जो नान गजेटेड हैं, इनको विभाग ने सजाएं दी हैं। विभाग इस बारे में सजग है, जागरूक है। जहां भी इस प्रकार की गलती पाई जाएगी उनको सजा दी जाएगी जिससे लोगों में इस प्रकार की भावना न फैले। भ्रष्टाचार के बारे में स्पेसिफिक रूप से बतायेंगे तो निश्चितरूप से कार्यवाही करेंगे। जो कार्यवाही की गई है उसमें तेजी लायेंगे ताकि विभाग के ऊपर जो चार्ज लगाता है, वह हमेशा के लिए दूर हो। मैं उपाध्यक्ष महोदय, और ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहता हूं कुछ जो अगले नये काम लेने वाले हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर दो पुल गम्भीरी नदी पर बनाना बहुत जरूरी है। प्लान एडवान्स में हमें गम्भीरी पर दो पुलों की इस वर्ष स्वीकृति दी गई है। अगले 75-76 में इन दो पुलों का जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं। 50–50 लाख रुपया एक एक पुल पर खर्च होगा। इस प्रकार एक करोड़ रुपया भरतपुर के लिए खर्च होगा।

ठीक इसी प्रकार से दौसा से सवाई-माधोपर के बीच में बनास पर पुल का सवाल है। जिसके बारे में बार बार कहा गया था। उस पुल की भी स्वीकृति हम देना चाहते हैं और अगले वर्ष बहुत जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं। उसमें भी 50 लाख रुपया खर्च होगा।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रेलवे ब्रिज की बात कही है। बीकानेर की हालत को देखते हुए रेलवे ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। दोनों जगह ऐसे क्रासिंग हैं जहां पर बहुत दिक्कतें हैं। खास-तौर से बाजार वाले क्रासिंग पर हेवी ट्राफिक जमा हो जाता है। दूसरा थो

(श्री हीरालाल देवपुरा)
दूर बाहर निकल कर हैं, लेकिन दराजा वाले क्रासिंग पर ग्राम क्रासिंग है वहां पर पुल का सर्वे किया गया है तो पुल बनाने की गुंजायश नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और काफी बाजार हैं उसका एक्वीजिशन करते हैं तो काफी लम्बा-चौड़ा खर्चा करना पड़ता है रेलवे अधिकारियों से इस संबंध में बात की है एक पुल बाहर की तरफ बना दिया जाये तो नीचे का जो कन्जेस्शन है काफी खुला रास्ता है और एक और रास्ता खुल जायेगा बाहर के लिए पुलिया का रेलवे आथोरिटीज ने मान लिया है और सर्वे भी प्रारम्भ हो चुका है और अप्रेल 76 तक सर्वे पूरी हो जायेगी। उसके बाद रेलवे वालों से बात करके जल्दी ही इस पुल को प्रारम्भ कर सकें ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं 77 में इसको शुरू करने की स्थिति में हो जायेंगे। इसमें रेलवे के भी फण्ड मिलने की जरूरत होगी। रेलवे वाले भी उसमें फण्ड देंगे। रेलवे की सेन्क्शन आने से पहले हम शुरू नहीं कर सकते हमारा प्रयास यह रहेगा कि जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें, लेकिन जब तक रेलवे की मन्जूरी नहीं आजायेगी

श्री राम किशन: आप विधान सभा के चुनावों से पहले करवा दें यहीं उनकी मन्शा है।

श्री हीरालाल देवपुरा: दूसरी तरफ से रेलवे लाइन निकालने के लिए भी रेलवे वाले सर्वे करा रहे हैं। उसमें काफी लाभ बीकानेर को होने वाला है। उस पुल के बारे में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था और मेरे से पूर्व वाले मंत्रीजी ने कहा कि हमने जल्दी ही कार्यवाही करने की कोशिश की है। माननीय सदस्य को स्वयं को मालूम है कि इस बारे में प्रयत्न बराबर चालू है। तो आज उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू से आने वाली माननीय सदस्या जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, ने कहा कि सीकर और झुन्झुनूं सड़क पर काम शुरू कर दिया जाय। उनको शायद ख्याल नहीं था कि प्लान एडवान्स में जो रुपया मिला है उसमें जो सड़कें मन्जूर की गई हैं उनमें सीकर से झुन्झुनूं वाली सड़क उसमें रिपेयर्स भी हो जायं और उसका वाइडनिंग भी हो जाय उस काम को हमने लिया है।

इसी प्रकार से हमने कई सड़कें, उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उनको ले लिया है प्लान एडवान्स के अन्दर। और बहुत सी बातें जिनको हम नहीं ले पा रहे हैं उसका कारण यह है कि हमारे पास फण्ड्स एवेलेबल नहीं हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है कि विभाग जहां सड़कों की मरम्मत की जरूरत है उसको न करवायें बल्कि जो सधारण सड़कें हैं उनको हाथ में लेकर चलें और पूरा कर सकें।

बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर मौजूद नहीं हैं वे कहते हैं और बार बार कहते हैं और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी दो सड़कों के बारे में कहा है। भरतपुर से धौलपुर और धौलपुर से करौली जो सरमथुरा होकर निकलती है उस सड़क की मन्जूरी दी है। उस पर 10 के करीब कलवर्ट्स हैं उनकी मन्जूरी दी है। जो पुलियाएं जो पूर्ववर्ती नालों पर बनने वाली हैं उसकी शुरुआत कर दी है। उससे सरमथुरा होकर धौलपुर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से करौली लिंक होना चाहिए इसलिए जितनी छोटी मोटी पुलियाएं हैं उनको पूरा कर दें ताकि पहाड़ी हिस्सा है उसको सड़क का रास्ता बराबर खुल जाय, और सड़क को पक्की बनाने का हमारा कार्यक्रम है।

इसी प्रकार से कुछ मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके संबन्ध में मैंने अभी निवेदन किया है। नेशनल हाईवे के लिये जिक्र आया था जयपुर से केवल टोंक, देवली, कोटा और झालावाड़ होकर जो सड़क जाती है उसको नेशनल हाई वे स्वीकार करने की कोई बात चली थी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बात चली तो भारत सरकार को लिखा है और भारत सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने इसको एप्रूव भी किया है कि इस सड़क को नेशनल हाई वे में ले लिया जाय, लेकिन वह अभी केस केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से क्लियर होकर नहीं आया है। उन्होंने मन्जूरी नहीं दी है। जब तक केन्द्रीय मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल जाय इसको कर नहीं सकते हैं। टेक्निकली प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही हाई वे डिक्लेयर करने के बाद नेशनल हाई वे के नार्म्स के आधार पर, उनके स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर इस सड़क पर काम कर पायेंगे। वहां पर पुल बनाने की बात थी। काली सिंध का पुल इन्टरस्टेट पूलों के अन्दर मन्जूर किया गया था। बाद में चूंकि इसको नेशनल हाई वे बनाने जा रहे हैं उसमें इसका पैसा मिल जायगा तो इसको बना सकेंगे। इस वजह से इसको ड्राप किया हुआ है। प्लान में स्वीकार नहीं है इसलिए पुल को नहीं ले पा रहे हैं। कोटा डिवीजन की खूबी यह है कि वहां पर नदी नाले बहुत हैं और वहां की मिट्टी भी · · ·

श्रीमती नगेन्द्र बाला: कोटा में एनाउन्स किया था कि स्टेट लेवल पर डेवलप कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा: प्लान एडवान्स जो मिला है उसके अन्दर इसका काम लिया है, लेकिन जो मूल नेशनल हाई वे की बात है उसी योजना में बनास का पुल भी बनेगा। वह उसी बात पर निर्भर करता है कि सड़कों को चौड़ा करने का काम है वह शुरू हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में खास दिक्कत यह है कि वहां पर मिट्टी काली है और प्रतिवर्ष सड़क की मिट्टी बैठ जाती है और हर वक्त सड़क पर काफी हैवी व्यय करना पड़ रहा है। एक विशेष प्राबलम वहां पर है इसलिए वहां पर सड़कों के बारे में हमेशा शिकायत रहती है। वहां पर नदियों में इतना पानी रहता है पुलियाएं नहीं बना पाते हैं। उनकी ऐसी स्थिति में सभी नदियों पर पुलियाएं बनानी बारिश के दिनों में नदियों में पानी भर जाता है तो उन दिनों के लिए रास्ते बन्द हो जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की दिक्कत मिट सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: टोंक फाटक की पुलिया है · · ·

श्री यशवन्तसिंह नाहर: भीलवाड़ा के रेलवे ब्रिज के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भीलवाडा के रेलवे ब्रिज के बारे में वही बात थी जो कि बीकानेर के बारे में जिक्र नहीं किया गया इसलिए मैंने नहीं कहा। भीलवाड़ा के रेलवे ब्रिज के बारे में वही बात थी जो कि बीकानेर के बारे में कही है। रेलवे आथोरिटीज से बात की है। उन्होंने स्वीकृति दे दी है। कुछ रेलवे के फण्ड से, कुछ प्लानिंग से और रेलवे के अपने हिस्से से करना पड़ेगा। उसको लेकर जल्दी ही पुल को बनवाने का काम शुरू करेंगे। निश्चितरूप से नहीं कह सकता कि कब इसको ले पायेंगे, लेकिन उसके बारे में रेलवे से बात होकर प्लान फाइनल हो गया है। केवल रेलवे बोर्ड की स्वीकृति होती है वह बाकी है। बीकानेर से एड्वांस स्टेज पर है। उससे पीछे की स्टेज पर नहीं है। वह भी जल्दी हो पूरा करने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : टोंक फाटक पर पुल बन रहा है उसके बारे में और जयपुर शहर की सड़कों के बारे में फर्मावें।

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले ब्रिज के बारे में आपने जो कटमोशन दिया था उसमें आपने टोंक के पुल का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी बारंबार पूछते हैं। मैं कह चुका हूं कि राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस पुल के लिए जितना काम करना चाहिए था वह कर चुका है। बाकी का काम वह रेलवे की तरफ से होने वाला काम है। वह प्रोग्रेस में है। वह मैं चाहता हूं कि जल्दी हो। काफी तेजी से काम चल रहा है। जल्दी ही पुल का काम खत्म हो जायगा। आप यह समझते हो कि सारी सड़क का काम चाहे वह किसी जगह बनती हो, चाहे शहर में बनती हो आपका दृष्टिकोण शायद यह है कि सारा काम सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। कुछ काम शहर में म्युनिसिपैलिटी करती है, कुछ काम यू० आइ० टी० है वह करता है दूसरा कुछ सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको पता है कि वह पुल आप बना रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : टोंक फाटक का पुल रेलवे वाले बना रहे हैं और वे काम कर रहे हैं।

अब रेलवे वालों की जिम्मेदारी है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि.....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर की सड़कों पर डामर कब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने जो मांगें रखी हैं, उनको पारित किया जाय।

श्री जान मोहम्मद खां : मुझे भी कुछ अर्ज करना है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में काफी कुछ कहा गया है।

श्री चन्दनमल बैद : काफी अच्छा हो रहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कई शिकायतें डाक्टरों के दुर्व्यवहार के बारे में, कुछ

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
शिकायतें पटिट्यां नहीं मिलती हैं। दवाई नहीं मिलती है, इसी प्रकार की कुछ बातें कही गई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमारा एलोपैथी विज्ञान पश्चिमी संस्कृति में पल पोसकर आया है और यहां की संस्कृति में वह अभी घुलमिल नहीं पाया है। हमारा जो कल्चर है, जो डाक्टर और अधिकारी होते हैं। उनकी व्यवस्था में शिकायत होती रहती है हम को ऐसी चीजों के समझने के लिए एलोपैथी उदय के साथ साथ काफी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। तभी हम इसके बारे में सोच पायेंगे यह सही है कि जब शुरु में एलोपैथी शुरू हुई थी और गांवों में एलोपैथी का जाना शुरू हुआ। ग्रामों में इस चिकित्सा पद्धति के बारे में कानफिडेंस था। लोग बीमारी का इलाज कराते। इसके साथ ही मैं भी पूरा सन्तोष नहीं मानता हूं। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से जनता के अन्दर घुलमिल जाना चाहिये। वह नहीं घुलमिल पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के व्यक्ति मिलें। उसी प्रकार से बातें हुई हैं मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। समय कम है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बोलिये, बोलिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसलिए खास खास मुद्दों पर आऊंगा। कहा गया है कि हेल्थ सर्विसेज में पूरे तौर से काम नहीं करते हैं। हमने कोई विकास नहीं किया है चूंकि चिकित्सा पद्धति विदेशी संस्कृति में पली। जैसे इंग्लैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी इस प्रकार के देशों में जो इसका विकास हुआ है। इन देशों के हिन्दुस्तान और हमारे राजस्थान की क्या स्थिति होनी चाहिए। इसलिए लाजिकली यह धारणा एग्री की जाती है। इसी मापदण्ड से हमने तौलने की कोशिश की है। यह राजस्थान के कल्चर मापदण्ड से ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 50-51 में 416 इन्स्टीट्यूशन थे। वियना, इंग्लैण्ड में एलोपैथी की जो स्थिति है, आज उसी मापदण्ड से हम नहीं नाप सकते हैं। न बाम्बे के बारे में कह सकते हैं। क्यों जो प्रेजीडेंसी शहर है, उनमें बहुत पहले ही, अंग्रेजों के आने के समय से ही चल गया था। तो उस समय 416 इन्स्टीट्यूशन थे और आज 1,009 हैं उस समय मेडिकल कॉलेज एक था। इस समय 5 हैं। एरिया कवर्ड 8.60 प० स्क्वा० अब 3349। बेड्स पहले 5120 थे। आज 15092 है पहले बेड्स का परसेण्टेज 0.36 था और अब 0.59 है। पहले डाक्टर 880 थे और अब 2,000 है। ये मेडिकल कॉलेज के फिगर्स नहीं दे रहा हूं। गांवों और शहरों के आकड़े बोले हैं। जो हेल्थ सर्विसेज के बारे में कल्पना कर रहे हैं। आज उपाध्यक्ष महोदय, जहां जहां हमारी यूनिट है, एक यूनिट 10 हजार पापूलेशन को कवर करती है। मैं यह नही मानता हूं कि यह सन्तोषजनक सर्विस करते है। लेकिन हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज जो हमारा इन्वेस्टमेंट हैल्थ सर्विस में होना चाहिये। यह जो हैल्थ सर्विसेज में दो प्रायोरिटी में रहना चाहिये वह उत्पादन के धन्धे में अधिक होना चाहिये। इसलिए हैल्थ में ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट नहीं हो पाया है। हम बाद के विस्तार कर पायेंगे। राजस्थान में उपाध्यक्ष महो-

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

दय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन के बारे में भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने काफी बुनियादी मुद्दे उठाये हैं। आप कमरे में बन्द हों और चाबी खो जाय तो क्या हो। मैं दरअसल इसकी तो तारीफ करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने गाना गाया है। इसी को मापदन्ड मानें तो स्वीडन और फ्रांस में। वहां तो इस गाने से भी ज्यादा की छूट और प्रचार है। जहां तक हमारे यहां भारतवर्ष का सवाल है, अभी एक पापूलेशन कान्फ्रेंस हुई थी उसके बाद दिल्ली में भी एक कान्फ्रेंस हुई तो हमारा जो तरीका है, उसको बुनियादी रूप से सहयोग मिलना चाहिये तभी सफल होगा। अभी हमारे यहां जो लूप का बोलबाला है और लूपवती भव यह आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। तो इसका पापूलेशन को खासतौर से कन्ट्रोल करते हैं। इसका प्रयास करते हैं। सफलता मिली या नहीं यह कहने की - जरूरत नहीं हैं। बावजूद सभी कमियों के हम स्टिरलाइजेशन में 53 प्रतिशत टारगेट एचीव कर चुके हैं। आई० यू० सी० डी० में भी एचीव किया है। फेमिली प्लानिंग को गांवों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो। नेशनल प्रोग्राम के रूप में यह एमर्ज हो सके। तभी हम इस मामले में सफल हो पायेंगे। मलेरिया की 3, 4 स्टेजेज हैं। एक तो कन्सोलीडेशन स्टेज, माइनर स्टेज, मेंन्टेनेंस स्टेज। पूरी नहीं कर पाये हैं, इसका कारण यह है कि मच्छर सारी दवाईयां खा गया है। वह नीलकण्ठ हो गया है। डी० डी० टी० पाउडर आदि सब बेकार और नाकामयाब हो रहे हैं। इसलिए इसको नये ढंग से कैसे कन्ट्रोल किया जाये इस बारे में कोशिश की जा रही है। इसमें भी जनसहयोग जिस रूप में होना चाहिए, वह कमी रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आलोचना करना सरल होता है। इसको सफल करना दूसरी बात होती है। उपाध्यक्ष महोदय, स्माल पोक्स के 11 केसेज हुये हैं। 5 महीनों में एक भी केस नहीं हुआ है। इसके लिए राजस्थान सराहनीय रहा है। दूसरे केसेज में निरन्तर तरक्की कर रहे हैं। धीरे धीरे कन्ट्रोल में आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्माल पॉक्स, टी० बी० या कालरा है। हमारे हैल्थ सर्विस से इसको कन्ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रिवेन्टिव एण्ड एडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में ऐतराज उठाया है। इस बारे में जिस व्यापक रूप में करना चाहिए वह नहीं कर पाये हैं। मैं यह मानता हूं। अच्छी शुरुआत है। हम काफी कन्सोलिडेट रूप में सुधार करने की कोशिश करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 5,205 सेम्पुल लिये हैं। 1,773 का चालान कर दिया गया है। इसी तरह से दवाईयों के बारे में अभियान शुरू किया गया, उसका भी बहुत बड़ा असर हुआ। परिणामस्वरूप मिलावटी, घटिया किस्म की दवाईयां और सब-स्टेन्डर्ड की दवाईयां हट गई हैं, दवाईयां अच्छी मिलनी शुरू हो गयी हैं और रिइम्बर्समेंट पर भी भारी असर पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, रिइम्बर्समेंट के सम्बन्ध में मैं आपको जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं, जो राशि पहले 72-73 में करीब 71 से 72 हजार थी वह अब 43 हजार आ गयी है, निश्चित है कि इसमें कुछ इम्पेक्ट हुआ है। इसमें मैं नहीं कहता कि काम्प्लेक्सेज हो गये और अभियान को

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हम तेज नहीं करना चाहते हैं, हमारा यह हमेशा प्रयास और भी तेज रहेगा कि जो भी खराबियां और चोरियां हो रही हैं उनको कन्ट्रोल में लाने के लिये प्रयास किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, इस साल सरदार शहर में होस्पिटल में बैड की संख्या 50 कर दी गई है और नसीराबाद वेस्ट कैन्टोनमेन्ट हास्पिटल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । ब्यावर हास्पिटल के लिये 50 नये बैंड एड करने के लिये डोनेशन की मन्जूरी दे दी गई है । मेड़ता सिटी में 30 बैड की डिस्पेंसरी, दांतापाली में एक, एक एम०सी०डब्लु० सेन्टर मंडावा में, एक देवली, पाली और एक चूरू में मंजूरी दे दी है । उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल और जहाजपुर दोनों स्थानों पर होस्पिटल को 30 बैडेड रेफरल होस्पिटल में कन्वर्ट करने का निर्णय ले लिया गया है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो निश्चय किया गया है वह डोनेशन के बारे में तय हो जाने के कारण ही इसकी मन्जूरी दी गई है। इसके पश्चात् उपाध्यक्ष, आज जो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हैल्थ सर्विसेज को गांवों तक ले जाने के लिये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, एक्सपर्ट्स को वहां पहुंचाया जाय और गरीब से गरीब आदमी को इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके, इस साल उपाध्यक्ष महोदय, पैराफर्नोल से कॉलेज तक 30 लाख का प्रावीजन किया गया है और कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ताकि जो भी एक्सपर्ट्स हों उनको हम गांव गांव में अवेलेबल कर पायें । उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पंचवर्षीय योजना के लिये स्ट्रेटेजी बन रही है, रीजनल इम्बेलेंसेज को कम करना, हर जगह दवाईयों की व्यवस्था करना, दस हजार की पोपूलेशन पर एक यूनिट की स्थापना करना, इसके लिये हमारा प्रयास जारी है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के जरिये और दूसरे प्रोग्राम के जरिये। इस साल हम वित्तीय साधनों की कमी के कारण इनको नहीं ले पाये हैं, परन्तु ज्योंही हमको वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, सब–सेन्टर दस हजार की पोपूलेशन में, उसको कवर करने का प्रयास किया जायगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैडिकल कॉलेजों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा । खासतौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवाल उठाये हैं । बीकानेर की मैडिकल कॉलेज के बारे में मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में एम. डी., रेडियोलोजी और एम. एम., एनस्थिसिया के लिए हमने लिख कर दे दिया है और यह यूनिवर्सिटी के विचाराधीन है और वहां से परमीशन मिलते ही हम वहां पर खोल देंगे। इसके अलावा और दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे इसलिये फाइनेन्शियल बर्डन पर विचार चल रहा है और पोस्ट ग्रेजूएट क्लासेज के लिये हम कुछ और प्रोजेक्ट्स खोलने का प्रयास कर रहे हैं ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

Name of the Medical College	Without Financial burden	With financial burden
Jaipur	Microbiology M. D., T. B. Paediatric Surgery Urology	Skin & V. D. Paychiatry
Jodhpur	Medicine Surgery Physiology Pathology Pharmacology Anatomy P. & S. M. Gynaecology Paediatric	Opthalmology Radiology Anaesthesia Orthopaedic
Ajmer	Medicine Surgery Gyn. P. & S. M. Anatomy Physiology Pathology Pharmaecology Anaesthesia	Radiology Orthopaedic Opthalmology Paediatric
Udaipur	DCP DTD DMRT, DMRD DA	Orthopaedic ENT Radiology
Bikaner	P. & S. M. Microbiology T.B. (already recognised.)	

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ हम रिसर्च की ओर से पूरा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आज कई बार इस सदन में माननीय सदस्यों ने इक्विपमेन्ट्स के बारे में शिकायतें की। इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने प्रश्नोत्तर के काल में भी निवेदन किया है कि जयपुर में सेन्ट्रल वर्कशाप की स्थापना होते ही सारी समस्या हल हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कई और बातें भी कही गई हैं, जैसे बैन्डेज की कमी बताई गई। मैंने प्रश्नोत्तर काल में भी निवेदन किया था कि आज बैन्डेज की, काटन गॉज की और दूसरी चीजों की अब कमी नहीं रहेगी, नये रेट कान्ट्रेक्ट्स हो गये हैं, सप्लाई भी शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
अगले साल में इस प्रकार की कमी नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्कशोप के सम्बन्ध में मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि सैन्ट्रल वर्कशोप के अलावा कुछ कालेजों में हम पायलेट वर्कशोप भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें टैक्निकल स्टाफ भी रहेगा। वैसे एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर में रेफरीजरेटर और कूलर वगैरह की रिपेयर का बहुत ही अच्छा काम किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनजी अग्रवाल ने साढ़े सात लाख रुपये रिहेबिलिटेशन एन्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना के लिये डोनेशन दिये हैं, इसका भवन निर्माणाधीन है, एस०एम०एस० हास्पिटल बाउन्डरी में ही बन रहा है। जनाना हास्पिटल जो एस० एम०एस० के नजदीक बन रहा है, उसकी भी कार्यवाही चालू है और आशा है शीघ्र ही इसका निर्माण हो जायगा। नक्शे वगैरह सब पास हो गये हैं। जब यह जनाना हास्पिटल बन जायगा, उसके बाद उसको जो अभी है उसको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में कनवर्ट कर दिया जायगा। ऑपरेशन के बारे में जो कठिनाईयां हैं, उनको भी ठीक करने का प्रयास किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और नया रीजनल आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेन्टर भी हमको दान के रूप में मिला है। यूरोलॉजी रिसर्च सेन्टर के लिये श्री सागरमलजी मोदी ने ढाई लाख रुपया देना दान के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा एक धर्मशाला बनाने के लिये श्री सागरमलजी मोदी ने 50,000/- दान देना स्वीकार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, को वार्ड 60 का रिप्लेसमेन्ट बीकानेर करने के लिये मिनाय ट्रस्ट ने ढाई लाख रुपये देने का वायदा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम, 600 डॉक्टर हर साल निकालते हैं उनको सही तौर पर नहीं रख पायेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम 40 से 50 डॉक्टर को रख सकते हैं साल भर में। इसलिये इन्टर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम रद्दोबदल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि ज्योंही इन्टर्नशिप में एन्टर हों, जो विद्यार्थी प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनको हम दो भागों में विभक्त करेंगे – एक तो वे विद्यार्थी जो रिसर्च और टीचिंग में और दूसरे जो प्रेक्टिस करना चाहते हैं उनको कालेज के प्रिन्सिपल इलेक्ट करेंगे।

श्री रामकिशन : इलेक्ट करेंगे या सलेक्ट करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगानी : इलेक्ट करेंगे या सलेक्ट करेंगे, कुछ भी कह दो। और वे टीचिंग होस्पिटल में रखे जायेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये प्रोत्साहित किये जायेंगे।

दूसरे डाक्टर जो प्रेक्टिस की तरफ जाना चाहते हैं....

श्री रामकिशन : इलेक्ट करेंगे या सलेक्ट ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सलेक्ट करिये या इलेक्ट करिये। कुछ भी कहिये। जिनमें एप्टीट्यूट वगैरह है, वह फाइनल करके डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में जाकर प्रेक्टिस का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके बाद आत्म विश्वास आयेगा और प्राइवेट प्रेक्टिस को ज्योंही एस्टेब्लिश करना चाहें, जहां एस्टेब्लिश करना चाहें

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उसके अन्दर किसी तरह के आत्म विश्वास की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही हम चाहेंगे, हमारी स्कीम है, इन्टेन्सिव स्कीम, साढ़े सात हजार रुपये देने की, दो साल तक देने की दो सौ, ढाई सौ रुपये माहवार, उस स्कीम के तहत जो डॉक्टर बेकार हैं जिनको नौकरी नहीं मिले, वह इस स्कीम का फायदा उठा कर किसी जगह प्राइवेट क्लिनिक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तब जाकर हमारी जो प्राबलम है, मेडिकल कालेज से पांच सौ, छः सौ डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं, उसको सोल्व करने की सम्भावना हो जायगी, अन्यथा यों बैठे रहें कि सरकार नौकरी देगी, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हैल्थ सर्विसेज का फैलाव हो रहा है वह कम है, और अन्ततोगत्वा उसे खुद जाकर अपनी हिम्मत और साहस के साथ क्लिनिक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद इस समस्या को हल कर पायेंगे ।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ स्पेसिफिक चार्जेज भी लगाये गये थे । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आर. जे.एस., आर. ए.एस., आर. पी. एस. को फिटनैस सर्टिफिकेट देने के बारे में चार्ज लगाया था । एक एमा कम्पनी की दवा, जो पर्चेज के लिए ली है, उस के बारे में कुछ बात कही थी । यह जो आर.एस., आर.ए.एस., आर. पी. एस. को फिटनैस सर्टिफिकेट देने के बारे में अनियमितता की बात कही गई, मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, आज सारा रिकॉर्ड सीज कर लिया है और इन्क्वायरी की शुरूआत कराई है । एमा के बारे में जानकारी करके बताऊंगा, उसके बारे में क्या है क्या नहीं । आज जानकारी प्राप्त नहीं है । व्यक्तिगत तौर पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कल या परसों उसकी जानकारी दे दूंगा ।

इसके अलावा एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में मुझे सफाई देने का आदेश प्राप्त हुआ था । वह स्थगन प्रस्ताव श्री गुमान मल जी ने रखा था, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में गत 11 मार्च को एक महिला की इन्जेक्शन से मृत्यु हुई । यह घटना 8-3-75, श्रीमती सुमन अधिकारी उमर 25 साल फोड़े फुन्सी के उपचार के लिए अस्पताल में गई । डाक्टर बागवाड़ा ने स्ट्रेप्टोपेन्सिलिन का इन्जेक्शन देने के लिए कहा । पहले सेन्सिटिविटी टेस्ट हुआ । उसके दरम्यान उसकी चिन्ता जनक स्थिति हो गई और उसकी मृत्यु हो गई । समाचार आते ही यहां इत्तिला मिलते ही, वैसे सेन्सिटिविटी टेस्ट में ऐसी घटनायें अक्सर घटती हैं, फिर भी जैसे ही जानकारी मिली, उसके बाद सूचना मिलने पर स्ट्रेप्टोपेन्सिलिन मार्क शार्प एण्ड डोम का सेम्पल जांच के लिए भेज दिया है और उसकी बिक्री सस्पेन्ड करा दी है । अब टैस्ट का क्या परिणाम आता है, उसकी ज्यों ही सूचना होगी, गुमानमल जी को मैं सूचना दे दूंगा । इसमें डॉक्टर या परिचारिका की गलती नहीं है । अक्सर ऐसी घटनायें सेन्सिटिविटी टैस्ट के दौरान हो जाती हैं।

इसके साथ ही मैं आपसे कहूंगा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की मांग पारित की जाय ।

श्री रामगोपाल : मैंने एक प्रश्न पूछा था······

श्री मोहनलाल छंगाणी : बाद में जवाब दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय मंत्री, There will be end or not ? I think there will be.

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग के संदर्भ में······

There is no compulsion. If you feel sleepy don't sit. It is your own discre tion.

श्री उपाध्यक्ष : There is.....discretion.

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग की मांग के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने विभाग की कमियों के बारे में ध्यान आकर्षण किया है । साथ ही साथ कुछ अनियमितताओं के बारे में रोष भी प्रकट किया और विभाग के सुधार के लिए और इस चिकित्सा पद्धति के प्रसार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी पेश किये । इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले कुछ अर्से में विभाग को व्यवस्थित करने के लिए और अनियमितता रहीं हैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के प्रयत्न किये गये हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस सम्बन्ध में लिए गये हैं । सबसे अधिक अनिश्चितता की और असंतोष की स्थिति विशेषतौर से इस कारण बनी हुई थी, इस विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची कुछ सालों से प्रकाशित नहीं हुई थी और साथ साथ अनेक वर्ष से डी. पी. सी. की बैठक भी नहीं हुई थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाकर डी.पी.सी. की बैठक प्रारंभ हो चुकी है । शीघ्र ही अनिश्चितता की स्थिति समाप्त की जाकर इसको निश्चित किया जा सकेगा और बहुत बड़ी इस विभाग के कर्मचारीयों और अधिकारियों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

इसके साथ ही पूर्व में एडहॉक नियुक्ति की परम्परा चलती थी । उस परम्परा को बन्द कर दिया गया है। साथ ही साथ नियुक्तियों के सम्बन्ध में, चयन के सम्बन्ध में अनियमितता नहीं हो, अथवा किसी को किसी प्रकार का आरोप लगाने की स्थिति पैदा नहीं हो–इसलिए विभाग द्वारा मैरिट फार्मूला के आधार पर चयन पद्धति अपनाई गई है इसमें योग्यतम व्यक्तियों का मैरिट के आधार पर चयन किया जायगा और किसी प्रकार के आक्षेप की स्थिति पैदा नहीं होगी ।

इसके साथ साथ इस विभाग का महाविद्यालय चलता है, उसक स्तर को ऊंचा करने के लिए और सम्पूर्ण आयुर्वेद जगह, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को ऊंचा बनाने के लिए विशव निर्णय लिया गया है और शैक्षणिक डिग्री है, और गोपनीय अभिलेख है, उसके साथ ऐसा परिपत्र और लगाया जायेगा, जिस परिपत्र में उसकी शिक्षा के सम्बन्ध में, उसके लेखों के सम्बन्ध में, उसके परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में, उन्होंने इस प्रकार का शोध कार्य किया और रुचि रही– इस प्रकार उनका स्तर बनाने के बारे में परिपत्र के साथ संलग्न रहेगा, जिसके जरिये हमें उम्मीद है कि स्तर ऊंचा उठ सकेगा ।

साथ साथ इस बात की कोशिश की गई है वेतन मानों के बारे में इस विभाग क

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अन्दर बहुत आक्रोश है इस विभाग में काम करने वालों का रहा है। वास्तव में इस तरह की स्थिती है कि विभाग में एक पद के लिए एक योग्यता के लिए पांच पांच वेतनमान बने हुए हैं। उन वेतनमानों को मिटाना एकदम सम्भव नहीं है, फिर भी विचार किया जा रहा है और विश्लेषण किया जा रहा है, किस प्रकार विभिन्न वेतनमानों को धीरे धीरे फेज्ड वे में समाप्त किया जाकर एक वेतनमान उस योग्यता के लिए रखा जाय उसमें क्या वित्तीय इन्वाल्वमेंट होगा, क्या प्रशासनिक दिक्कत होगी, क्या क्रियान्वन में पैदा होगी—इसके अध्ययन के बाद में इसे लागू किये जाने का प्रयास किया जायेगा। यह बहुत बड़ी दिक्कत इस विभाग में चलती है — इसका निराकरण करने की दिशा में इसको हाथ में लिया गया है। मैं समझता हूं, इस दिशा में शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे इसके अलावा हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति को और जो विभिन्न प्रकार की और पद्धतियां हैं उन सभी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उनकी व्यापकता को बढ़ाने के लिए और उनकी औषधियों को समानता का स्थान साथ में कायम रखने के लिए, यह जरूरी समझा गया है कि जब तक किसी चिकित्सा पद्धति का निरंतर शोध और अनुसंधान का कार्य नहीं किया जाएगा तब तक वह पद्धति न लोकप्रिय हो सकती है न अपना प्रभाव जो चाहिये समय के साथ देने में सक्षम हो सकती है।

इसलिए इस बात का निर्णय लिया गया है कि अनुसंधान मंडल कायम किया जाये और उसके जरिए से औषधियों और बीमारियों का समय समय पर अनुसंधान किया जा सके। आज के दिन जो हमारे पास में उदयपुर में अनुसंधान संस्थान कायम है उस संस्थान में भी जो शिक्षकों की कमी है अथवा इक्युपमेंट की कमी है उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किये हैं और जो सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट जयपुर में काम कर रहा है उसका लाभ जयपुर कॉलेज को मिल सके और जयपुर शोध संस्थान से उदयपुर के ग्रेजूएट्स और पोस्टग्रेजूएट्स को मिल सके, इसका भी निर्णय लिया गया है और उसके परिणाम अपने आप में कुछ समय में निकलेंगे।

इस बात को महसूस किया गया कि राजस्थान में आयुर्वेद के शिक्षण और प्रशिक्षण का बहुत महत्व है और ऐतिहासिक परम्परा होने के कारण से इस राज्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और उस विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन विभाग द्वारा किया जा रहा है। गुजरात विश्वविद्यालय से और गुजरात सरकार से इस बारे में संपर्क स्थापित किया गया है, उनके साहित्य के जरिए और अधिकारियों के जरिए संभावनाओं का जल्दी से जल्दी अध्ययन किया जाएगा और उचित समय पर जब संभव हो सकेगा, उस समय इस दिशा में भी कदम उठाये जायेंगे।

इसके साथ साथ में जैसे आपको मालूम होगा, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत में किसी भी राज्य में हम आल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडीसिन्स स्थापित करेंगे इस इंस्टीट्यूट को हम राजस्थान में लगा सकें और उसकी स्थापना यहां हो सके, इसकी हम बराबर चेष्टा कर रहे हैं क्योंकि

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

राजस्थान में ऐसे इन्स्टीट्यूट की स्थापना के सभी जो आवश्यक साधन और संस्थान हैं हैं। इसके लिए मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं भी निजी तौर पर रुचि लेकर इस इन्स्टीट्यूट को राजस्थान में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं और आशा है, इस दिशा में सफलता मिलेगी।

एक जो बड़ा काम हम आयुर्वेद के लिए करना चाहते हैं वह है जब तक आयुर्वेद के अन्दर औषधियां सही नहीं होंगी उनकी टेस्टिंग के लिए स्थिति पैदा नहीं होगी तब तक हम इस चिकित्सा पद्धति के बहुत ही प्रशंसनीय परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए इस बात का निर्णय किया है कि एक ओर जहां औषधियों के लिए बजट प्रावधान कम है उसको ज्यादा बढ़ाने की चेष्टा करेंगे लेकिन साथ साथ में राजस्थान के जंगलों में, पहाड़ों और मैदानों में आज दिन जितनी औषधियां उड़ती है और बेकार जाती हैं, जिसकी विभाग को जानकारी नहीं है, उनको सुरक्षित किया जाय और समय समय पर उनको विभाग के द्वारा इकट्ठा करवा लिया जाए इसके अलावा जो औषधियां वनों में पैदा नहीं हो रही है लेकिन राजस्थान के विभिन्न जलवायु में पैदा कर सकते हैं, उनके लिए भी अनेक जिलों में भूमि सुरक्षित की जाए और वनों में औषधियां उगाई जाएं। साथ साथ में इनको उगाने का सर्वेक्षण का और सप्लाई करने का जो काम है, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसको विभाग के जरिए करने में शायद बहुत सालों तक सक्षम नहीं हो सकेंगे। इसलिए एक औषधि निगम बनाया जाए, इसका निर्णय लिया गया है और इसके लिए जो और राज्यों में इस प्रकार के जो निगम बने हुए हैं, उनके साहित्य को मंगाया जा रहा है और वहां से किसी को भेजा जाकर उसकी तमाम जानकारी लेकर इसकी स्थापना की दिशा में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए, इसकी चेष्टा की जा रही है।

औषधियां सही हों और सही मापदंड से बनी हों और स्टैन्डर्ड की हों इसके लिए टैस्टिंग लैबोरेटरी की आज कमी है। हालांकि स्थिति यह है कि अभी तक देश में कहीं लैबोरेटरी, जो इस प्रकार का काम दे सके और जिस प्रकार से आयुर्वेद औषधियों का निर्माण हो रहा है उनके व्यवहारिक पहलू को देखकर कारगर सिद्ध हो सके, ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी जहां से हो सकती है उसके सन्दर्भ में स्थापना की चेष्टा की जाय।

इस बात की भी चेष्टा की गई है कि वर्तमान में जो हमारे औषधालयों में काम करते हैं उनमें काम करने वाले वैद्य अच्छी तरह से अपना उत्तरदायित्व निभायें और उनकी कुशलता बढ़े और उनकी शोध और अध्ययन के प्रति रुचि बढ़े उस दिशा में चेष्टा की गई है। आज हमारे जो नए पद जिस प्रकार से कायम किये गए हैं उनके द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा सके इसके लिए उन्हें हिदायतें दी गई हैं कि वे न सिर्फ यह देखें कि कितने टेबुल और कुर्सियां हैं बल्कि इस बात को भी देखें और मार्ग दर्शन करें वैद्यों के प्रशासनिक तौर तरीके और चिकित्सा संबंधी तौर तरीके में कितनी कमी है और कैसे आगे विकास किया जा सकता है। साथ साथ में उन वैद्यों को अपने आस पास के स्थानों में

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

गावों में और स्कूलों में एक स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम भी उनको दिया गया है जिसके माध्यम से वे ग्राम सेवकों में अथवा विद्यार्थियों को इस बात के लिए अवगत करायेंगे कि किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहार-विहार बनाया जाना चाहिए और साथ साथ में घरेलू नुस्खों की पद्धति जो लुप्त हो चुकी थी उसको वापस जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण संकल्प तैयार किया गया है और सब जगह गांव गांव तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे और गांव वालों को उस दिशा में रुचि पैदा करके और उसके जरिए से आज के एलोपैथिक जगत में जो महंगी दवाइयां हैं और कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव होते हैं, उनसे उनको बचाया जा सके।

इस बात की भी चेष्टा की गई है कि समय समय पर गोष्ठियां की जाएं और कॉलेजों में जो बहुत विद्वान हैं उनके भाषणों के जरिए से उनको अवगत कराया जाए और जो भी आज के दिन प्राइवेट तौर पर अथवा सरकारी तौर पर विशिष्ट लोगों का इलाज कर रहे हैं उनका भी लाभ उठाया जा सके, उनकी खोज की जा रही है। साथ में दोनों कॉलेजों के जरिए और विभाग के जरिए एक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है उससे भी सबकी रुचि बढ़ेगी, जो शिक्षण अथवा जनक्षेत्र में काम कर रहे हैं वे लेख लिखें और अनुसंधान के जरिए तमाम लोगों को अच्छी जानकारी पहुंचा सकें।

पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के बीच भेदभाव बरता जा रहा है, इस कारण से यूनानी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि विभाग में सभी पद्धतियों के अलग अलग बजट प्रावधान किये हुए हैं, चाहे वह आयुर्वेद पद्धति है, चाहे प्राकृतिक पद्धति है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे यूनानी हो। उसके अनुसार इन पद्धतियों का विकास करने की विभाग की तरफ से चेष्टा की जाती है। जहां तक जयपुर में तिब्बिया कॉलेज का सवाल है, उसके डिग्री और डिप्लोमाज को पूर्व में मान्यता थी, कुछ वर्षों से वह मान्यता खत्म की गई। इसके स्तर को उठाने के लिए और इसमें जो कमियां हैं, पूर्ति करके जो परीक्षायें पास करने वाले लोग हैं उनको मान्यता दी जाए। इसके लिए मैं स्वयं अपने स्तर पर बहुत सचेष्ट हूं और विभाग की तरफ से तिब्बिया कॉलेज, दिल्ली से एक व्यक्ति को बुलाकर, चर्चा करके, इस बारे में कार्यवाही किये जाने का हमारा पूरा विचार है। साथ साथ में जो ऐड दी जा रही थी उसको बंद करने का विचार हम नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि जब राजस्थान में एक कॉलेज मौजूद है उसको स्तर पर ला सकते हैं तो उसके बाद में हकीमों की उपलब्धि हो जाएगी जो आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस दिशा में माननीय सदस्य का विचार करना कि भेदभाव की नीति बरती जा रही है, ऐसा नहीं है। इस बारे में विभाग की तरफ से कार्यवाही की जा रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ में यह निवेदन करना चाहूंगी कि आयुर्वेद विभाग की मांगों को पारित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: वह आपने वैद्यों के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग में 18 वैद्यों को सस्पेन्ड किया गया था। वह रसायन शाला में नियुक्त थे और उनके खिलाफ अनियमितता करने के आरोप थे उसके बारे में जांच हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूं कि वहां पर अनियमिततायें हुई हैं और उसके लिए जांच चल रही है और जांच चलते चलते काफी समय बीत गया है इसमें यह हुआ था कि 18 में से 16 वैद्यों ने तो अपने जवाब दे दिये थे और दो के अभी जवाब आये नहीं हैं राज्य सरकार इस बारे में अब जल्दी ही कार्यवाही कर रही है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि 18 में से दो को छोड़कर करीब करीब कार्यवाही पूरी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें कई व्यक्तियों के खिलाफ में प्राइमाफेसी केस बना या नहीं बना, उसके लिए तिथि निश्चित करना, और कौनसी तिथि को वह घटना हुई और उसके बाद उस तिथि के बाद उनको आरोप-पत्र दिया गया और आरोप-पत्र देने के बाद राज्य सरकार ने उनको सस्पेंड किया। इसमें काफी समय निकल गया। अब दो साल से ज्यादा समय गुजर गया है। इसलिए अब इसे जल्दी निपटाया जा रहा है और यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे मामलों में तत्परता बर्ती जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन 18 वैद्यों को सस्पेन्ड रखा जायेगा या राज्य सरकार उनको बहाल करेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : 18 वैद्यों को आरोप-पत्र दिये थे। मैंने पहले ही जवाब दिया है उसमें से दो के जवाब अभी आये नहीं है और उन दो के जवाब आने पर कार्यवाही पूरी होगी। जब तक उनके जवाब नहीं आयेंगे तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है उसको शीघ्रता से अब उनका जवाब आजायेगा तब उनके बारे में घोषणा की जाएगी।

श्री जान मोहम्मदखां: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव दिये थे उनके बारे में कोई जिक्र नहीं आया, इसका जवाब तो आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री जान मोहम्मद और एक और माननीय सदस्य के बोलने पर (अश्रव्य)

आप बिराजिये। स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज। सुनिये। अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री गुमानसिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्रीजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में आज मांग संख्या 33 के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये उसमें से 15 माननीय सदस्यों ने बहस में अपने विचार व्यक्त किये। माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते समय अपने क्षेत्र के बारे मैं चल रहे अकाल कार्यों के बारे में, या अकाल राहत कार्य वहां कहां पर नहीं खोले गये हैं, कहां कहां पर अकाल राहत कार्य खोलने की आवश्यकता है इस तरह से अपने विचार व्यक्त किये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि भारत सरकार राज्य सरकार को कोई अकाल राहत कार्यों के लिये मदद नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

महोदय, सर्वप्रथम तो मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कि अपने बहुमूल्य सुझाव अपने भाषण के दौरान दिये तथा अपने अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह निवदन करना चाहूंगा कि यह जो बात यहां पर कहीं गयी है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को अकाल राहत कार्यों के लिये कोई मदद नहीं दी, यह गलत सूचना दी है। राजस्थान सरकार ने जब भारत सरकार से इस बारे में निवेदन किया तो भारत सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये आश्वासन दिया और बाद में एक अध्ययन दल राजस्थान का दौरा अकालग्रस्त क्षेत्रों में करने के लिये भेजा और उस अध्ययन दल ने राजस्थान में अकाल की हालत को देखते हुए भारत सरकार से सिफारिश की वह राजस्थान को अकाल राहत कार्यों के लिये धनराशि, मदद दे। तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 10 करोड़ 24 लाख रुपये की अग्रिम राशि हमें अकाल-राहत कार्यों के लिये दी। तो यह कहना कि भारत सरकार ने कोई मदद नहीं दी, गलत है। यह मत सत्य नहीं है। हां इतना जरूर था कि हमारे यहां जो अकाल राहत खोले जावें, ऐसे खोले जावें कि जो स्थायी हों, और वह कार्य ऐसे हों जिनसे कुछ उत्पादन हो ताकि हम उन स्थायी कार्यों के माध्यम से आइन्दा अकाल की स्थिति से मुकाबला कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमने 5 करोड़ 24 लाख रुपये बड़ी योजनाओं पर राजस्थान कैनाल है उस पर और दो करोड़ मीडियम इर्रीगेशन प्रोजेक्ट पर और तीन करोड़ और कुछ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान किया। इसके अलावा हमें अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये प्रधान मंत्री कोष से एक लाख रुपये की तदर्थ सहायता भी दी गई। भारत सरकार इस प्रकार हमें अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये बराबर मदद दे रही है। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी शिकायत की अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में पिछले जो अकाल के समय अधूरे कार्य रह गये हैं उन्हें पूरा करने के लिये जोर दिया। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि काफी समय तक अकाल राहत कार्य खोल नहीं गये और जनता अकाल की वजह से काफी परेशान हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार हमेशा से ही अपने कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठावान रही है। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 16 अक्टूबर से अकाल राहत कार्य खोलने की बात की और यह तय किया कि राजस्थान कैनाल, भेजा, जाखम और माही, जैतपुरा के करीब एक लाख लोगों को मजदूरी पर लगाया और हमने राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्र की जनता से यह कहा कि वहां जाकर, राजस्थान कैनाल पर जाकर काम करे इस के लिए राज्य सरकार ने उन लोगों को वहां पर पहुंचाने की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था भी की और इसके लिए जो अकाल से ज्यादा पीड़ित क्षेत्र थे जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, बीकानेर आदि जिलों के लोगों को भेजने की व्यवस्था की। इसके साथ साथ उन्हें रास्ते में प्रति व्यक्ति को पांच रुपया खर्चा देने की भी व्यवस्था की। वहां उनके लिए सिरकिएं वगैरह का भी इन्तजाम किया

Page No 308

(308)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां राजस्थान कैनाल पर काम करने वाले मजदूरों के लिए 12 किलो अनाज देने की व्यवस्था भी की थी लेकिन जहां पर हमने एक लाख मजदूरों के भेजने का सोचा था वहां पर सिर्फ 31 हजार मजदूर ही काम कर रहे हैं। इसी तरह मेजा, जैतपुरा, जाखम और माही के अन्तर्गत 44 हजार मजदूर काम कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने यह देखा कि लोग अपने क्षेत्रों को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो राज्य सरकार ने दिसम्बर में फैसला किया कि स्थानीय क्षेत्रों में भी अकाल राहत कार्य खोले जायं तब राजस्थान सरकार ने 17 जनवरी को तय किया और 18 जिलों में सड़कों के निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की और इसके लिए 3 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया। 18 जनवरी के बाद 28 फरवरी को सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति कर दी गई और आज के दिन कई जगह कार्य चल रहा है। आज टोटल मजदूरों की संख्या एक लाख 70 हजार है। इसमें 80 हजार मजदूर सड़कों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। 22 हजार मजदूर सिंचाई विभाग में काम कर रहे हैं और 44 हजार मजदूर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं इसके अलावा 24 हजार मजदूर वन विभाग के अन्तर्गत जो कार्य चल रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं। फिर भी 23 फरवरी के बाद राज्य सरकार ने और अकाल राहत कार्य खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहां पर बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले वर्षों में फैमिन पड़ा था तो मार्च के महीने में 50 हजार आदमी काम कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी उपस्थित नहीं हैं, वे चले गये हैं, मैं सदन के मार्फत उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि मार्च के महीने में 25 हजार आदमी काम कर रहे थे। तजी से काम शुरू किया था। राजस्थान कैनाल पर काम देने की नीति थी। लेकिन बाड़मेर जिले से राजस्थान कैनाल पर 3 हजार व्यक्ति ही आये। इसलिए स्थानीय काम लिए हैं। आज के दिन 20 सड़कों का काम हाथ में लिया है। नौ हजार आदमियों के रोटी की व्यवस्था की है। बाड़मेर में 30 हजार लोगों को काम देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पाली से आने वाल माननीय सदस्य ने भी कुछ आंकड़े उद्धृत करते हुए अपनी बात कही थी। वे भी अभी इस समय मौजूद हैं नहीं लेकिन उन्हें भी सदन के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में भी डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत सिंचाई का तथा सड़कों का काम शुरू किया है। पाली जिले में 16 सड़कों का काम सिंचाई के 8 काम, डी० पी० ए० पी० के 12 काम शुरू किए हैं और उनके द्वारा 8 हजार आदमियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

शार्दुलपुर राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने राहत कार्य नहीं खोलने की बात कही। जैसा मैंने निवेदन किया कि चूरू जिले से भी राजस्थान कैनाल पर भेजने की बात सोची थी और सारी सुविधाएं देने की भी घोषणायें की थी, लेकिन जिले से केवल 200 व्यक्ति ही राजस्थान कैनाल पर पहुंच पाये हैं। स्थानीय दृष्टि से चूरू में काम शुरू किये हैं और 15 सड़कों की स्वीकृति दे दी है जिनमें काम कराये जायेंगे।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य और नोखा से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी अपने-अपने इलाकों के अन्दर काम करने की बात कही। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, वे अपनी बात कह कर चले गये। इस सदन में, स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। आसन की ओर से मुझे आदेश मिला है कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय में निवेदन करूं।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही थोड़ी देर में ध्यानआकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उनको मैं उत्तर दे रहा हूं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, अभी मौजूद नहीं हैं और अपनी बात कह कर चले गये, मैं उन्हें सदन के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में 20 सड़कों के काम शुरू कर दिये हैं।

राजस्थान में यह मानकर चलते हैं कि अकाल के हालात से गुजर रहे हैं लेकिन अकाल की भीषणता को और गम्भीरता को देखें तो डूंगरपुर और बाड़मेर ही ये दो जिले इसमें प्रमुख माने गये हैं। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि विशेष ध्यान रखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की यह नीति है कि राजस्थान में जिन इलाकों में अकाल की भीषण स्थिति है वहां विशेष काम किये हैं, किये जायेंगे और मजदूरी दी जावेगी।

बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था और यह कहा था कि जो लोग राजस्थान कैनाल पर काम कर रहे हैं उनको कन्ट्रोल का कपड़ा मिलना चाहिये और शक्कर भी मिलनी चाहिये। मैं उनकी राय से सहमत हूं, सुझाव से सहमत हूं और इस बात का फैसला किया है कि राजस्थान नहर पर जो लोग गये हुए हैं, अन्य लोगों की भांति उनको राशन का कपड़ा और चीनी उपलब्ध की जायगी।

इसी दृष्टि से बाड़मेर में अधिक लोगों को काम कराने की दृष्टि से साइल कन्जरवेशन भूमि के कटाव से बचाव की बात कही इस पर भी सरकार विचार करेगी और शीघ्र ही इन योजनाओं को शुरू करने का निर्णय करेगी।

इसी तरह से पश्चिमी जिले हैं, 7 जिले हैं डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये हैं और भारत सरकार ने 48 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। इन जिलों में भी काम प्रारम्भ करने को सोच रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चलने दें असेम्बली को इन कन्टीन्युशन में।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको जल्दी है?

श्री चन्दनमल बैद : आपको जल्दी नहीं है, हमको जल्दी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसी तरह तात्कालिक सहायता देने के लिए जिलाधीशों को 1 लाख की राशि आवंटित की गई है 1-1-75 से। जो लोग असहाय हैं, काम पर नहीं जा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं,

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
ऐसे व्यक्तियों को 1 रु० प्रति दिन देने के लिए यह धनराशि आवंटित की गई है जिलाधीशों को 11 हजार रुपये की राशि प्रतिदिन वे दे रहे हैं।

बीकानेर में पानी की कमी के कारण 9 टैंकरों से पानी दे रहे हैं बाड़मेर में 16, जैसलमेर में 6, चूरू 8, जोधपुर 5, जालौर 10, नागौर 3, जयपुर 5। इस तरह से टैंकरों के द्वारा पानी देने का काम कर रहे हैं।

जहां तक पशुओं के पोषण और उनको बचाने का सवाल है इसके लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल अकाल के समय भी और इस साल भी पशु-पोषण केन्द्र खोलने की योजना बनायी है। राजस्थान गो-सेवा-संघ, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के जरिये काम हाथ में लिये हैं और अलग अलग स्थानों पर शिविर खोलने जा रहे हैं। इसमें प्रति मवेशी के हिसाब से राजस्थान सरकार 60 पैसे प्रति मवेशी अनुदान देगी बाकी पशु पालक देंगे। इस प्रकार के काम भी हमने हाथ में लिए हैं। यही नहीं हमने राजस्थान के कुछ जिलों में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिये ऊन कताई का काम भी हाथ में लिया है जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू में काम करने के लिये राजस्थान खादी बोर्ड को 25 लाख रुपया दिया है और बैंक से कर्जा लेकर योजना बनाई गई। 5750 आदमियों को काम में लगाने की योजना बना चुके हैं और इस योजना में कताई में ढाई रुपये देने का कार्यक्रम बना लिया है यही नहीं राजस्थान में हमने इस बात की कोशिश की है कि उत्पादक काम क्या हो सकते हैं कुए खोदने का काम भी हाथ में लिया है। जिस भूमि विकास बैंकों की ऋण क्षमता घट गई थी उनको भी हिस्सा राशि देकर उनकी क्षमता को बढ़ाया है और इस योजना के तहत 15353 कुओं को 13260 रु० ऋण राशि विकास बैंको के जरिये मिल सकेगा। इस बात की पूरी पूरी कोशिश की है।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शासन से आज्ञा हुई है और जैसा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में है और स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में है जोधपुर में शिवपुरा तहसील विजयनगर का एक स्थगन प्रस्ताव दिया था इसी तरह से उन्होंने आज एक अखबार की कटिंग को देखते हुए यह बताया था कि चोहटन में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है ये दोनों ही घटनायें भूख से मरने की जो माननीय सदस्यों ने बताई वह तथ्यहीन और निराधार है। भूख से राजस्थान में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है यह बात सही नहीं है। इसकी जांच जिलाधीश, अजमेर से करवाई और जिलाधीश अजमेर ने अपनी फाइन्डिंग्स दी है उसको मैं पढ़कर आपके समक्ष रखना चाहूंगा -

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि जो मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं उसमें भूख से लोग कैसे मरते हैं, यह भी बता दें तो हमको मालूम पड़ जाय। हमें ताज्जुब है हिन्दुस्तान की सरकार 27 साल से इस बात को तय नहीं कर पायी कि भूख से मरना नहीं मानते हैं तो फिर भूख से कैसे मरते हैं, यह भी नहीं बता पाई ताकि लोगों को पता तो होजाय कि भूख से इस प्रकार मरा जाता है . . .

Page No 311

(311)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय.. (अश्रव्य) श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! आप जवाब देने लग गये क्या भरतपुर के माननीय सदस्य का।

श्री रामकिशन : मंत्री जी बतायें कैसे मरते हैं भूख से।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : He died due to illness, old age, infermity and shock due to the death of his wife .. चौहटन के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कहा कि संचेती नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैंने आज ही जिलाधीश बाड़मेर से जानकारी प्राप्त की है उन्होंने मुझे सूचित किया है कि संचेती नाम के पांच व्यक्ति इस गांव में हैं और वे पांचों ही जीवित हैं सरपंच ने पूरी जानकारी करके जिलाधीश को बताई है। इसी प्रकार समाचार-पत्रों में डीडमल की मृत्यु के सम्बन्ध में कहा गया है। तहसील चौहटन से इस बात की जांच की गई है और इस बात को गलत बताया है। किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई है। इसी सम्बन्ध में हमारे विरोधी पक्ष के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर ने आज यहां पर अभी मौजूद नहीं है उन्होंने भी डूंगरपुर में 7 मौतें होने का बताया है हालांकि 7 नाम तो नहीं बताये हैं, पांच नाम उन्होंने दिये हैं इसकी जांच कलेक्टर डूंगरपुर से करवाई गई है और जो जांच प्राप्त हुई है उसमें लिखा है भूख से मृत्यु नहीं हुई है। कुछ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव चूरू, अजमेर, बाड़मेर में राहत कार्य खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन कर चुका हूं। पहले हमने योजनान्तर्गत कार्य शुरू किये थे लेकिन जनता का सहयोग न मिलने से शुरू नहीं किये जा सके। 18 जनवरी से सभी जिलों में कार्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं। लोगों को रोजगार मिलना प्रारम्भ हो गया है। बहुत अधिक निवेदन न करते हुये मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा जब अकाल पड़ता है तब माननीय सदस्य सुझाव देते हैं सरकार को कि उत्पादक और उपयोगी काम हाथ में लेने चाहियें और जब सरकार काम शुरू करती है तो माननीय सदस्यों का बहुत कम सहयोग मिलता है। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जब हमने उत्पादक और उपयोगी काम शुरू किये हैं तो वे भी राजस्थान की जनता को सलाह दें कि राजस्थान की अकाल की समस्या को हल करने के लिये वे उन कामों पर आयें और कामों को निष्ठा के साथ पूरा करें ताकि अकाल को हमेशा के लिये मिटा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा मांग संख्या 33 को पारित किया जाय।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,64, 86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,38,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,41,23,000 रुपये की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,03,58,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1676 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,87,72,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 के सम्बंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,98,88,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,39,95,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई है ।

सदन की कार्यवाही आज दिनांक 21-3-75 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक 21-3-75 को 1-50 (मध्य रात्रि) को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

— —

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 653 की सूची)

राजस्थान लघु उद्योग निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद	कब से प्रतिनियुक्ति पर है ?
1.	श्री मुन्ना लाल गोयल (राजस्थान प्रशासनिक सेवा)	प्रबन्ध संचालक	18–5–63
2.	श्री बी० एल० शर्मा (राजस्थान लेखा सेवा)	वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त)	15–5–72
3.	श्री के० एल० पारीक (राजस्थान प्रशासनिक सेवा)	वरिष्ठ अधिशाषी (टेक्निकल आर्ट्स)	27–6–72
4.	श्री एस० एस० भंडारी (राजस्थान प्रशासनिक सेवा)	प्रशासनिक अधिकारी (आर० एम० एस०, चूरू)	4–9–72
5.	श्री एम० एस० यादव (राजस्थान लेखा सेवा)	लेखाधिकारी (वित्त)	7–7–73
6.	श्री कुशल राज सिंघवी	सहायक लेखाधिकारी	23–12–72
7.	श्री केदारनाथ शर्मा	सहायक लेखाधिकारी	2–3–74
8.	श्री हिम्मत सिंह (उद्योग विभाग से)	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	23–10–74
9.	श्री विश्वम्भर दयाल खण्डेलवाल (सचिवालय सेवा से)	निजी सचिव (अध्यक्ष)	22–6–74
10.	श्री सत्यनारायण (उद्योग विभाग से)	लेखा लिपिक	31–8–73

परिशिष्ट—2

(स्थगित प्रश्न सं० 424 की सूची)

सूची कर्मचारीगण, सहकारी विभाग जिनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1958 के अंतर्गत जांच करवाई गई एवं रिपोर्ट विचाराधीन है।

क्र० सं०	नाम	जांच रिपोर्ट प्राप्त होने का दिनांक
1.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निरीक्षक (कार्यकारी)	6-7-74
2.	श्री हरिसिंह निरीक्षक, (कार्यकारी)	6-3-75
3.	श्री शिवकृष्ण सिमरोट, सहायक निरीक्षक	11-12-75
4.	श्री किशन चौधरी, सहायक निरीक्षक	30-10-74

———

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम दड़ीबा (चूरू) में ताम्बे का सर्वे

655. **श्री रावतराम आर्य** (छापर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के ध्यान में है कि ग्राम दड़ीबा, जिला चूरू में ताम्बा मिलने की पूरी सम्भावना है? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने सर्वे आदि की कार्यवाही की है?

(2) यदि सर्वे आदि करवाया है तो उसके क्या परिणाम रहे और भविष्य में सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) गांव दड़ीबा (चूरू जिला) में ताम्बा पाये जाने के लक्षणों से सरकार पूर्ण रूप से अवगत है। इस हेतु यहां पर एक-दो बार पूर्वेक्षण भी करवाया गया था, लेकिन ठोस सबूत हाथ नहीं लगे।

(2) उपरोक्त दी गई सूचना के अलावा, गांव दड़ीबा का एक नये जियो-फिजिकल यंत्र से भी जो कि शीघ्र ही खरीदा जा रहा है, सर्वे करवाया जावेगा

शिक्षित बेरोजगारों को सहायता

656. **श्री जनार्दन सिंह** (गांधीनगर, जयपुर) एवं **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्य सरकार को कितनी राशि वर्ष 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 में आवंटित की?

(2) उक्त आवंटित राशि के सम्बन्ध में किस विभाग अथवा निगम ने क्या योजना बनाई?

(3) उक्त बनाई गयी योजनाओं में से कितने बेरोजगार, शिक्षित एवं तकनीकी को लाभ मिला? कृपया जिलेवार विवरण बताने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि कई बेरोजगार इन्जीनियरों को उद्योग चलाने हेतु उक्त राशि में से कुछ राशि का आवंटन किया गया? यदि हां, तो कितनी किस जिले में कितनों को? कृपया यह भी बतायें कि क्या उनके उद्योग वर्तमान में चल रहे हैं अथवा बन्द पड़े हैं?

उत्तर

(1) शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग सैक्टर के लिए वर्ष 72-73 में 70.00 लाख तथा 73-74 में 51 लाख रुपये आवंटित किये गये तथा भारत सरकार ने हाफ-ए-मिलियन जॉब्स प्रोग्राम (Half-a-million Jobs Programme) 73-74 के अन्तर्गत 73.48 लाख रु० एवं रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम (Employment Promotion Programme) 74-75 के अन्तर्गत 30.02 लाख रुपये आवंटित किये हैं।

(उद्योग मंत्री)

सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उद्योग विभाग एवं राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से लाभान्वित शिक्षित एवं तकनीकी व्यक्तियों की जिलेवार विगत सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) 1,034 व्यक्तियों को रोजगार मिला ।

(4) जी हां । सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है । मार्जिन मनी ऋण की राशि वर्ष 1974-75 में ही बेरोजगार इन्जीनियरों को उपलब्ध कराई गई है और उनके उद्योग द्वारा स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है । अतः उद्योगों के बन्द अथवा चालू होने का प्रश्न अभी नहीं उठता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

दौसा व बस्सी तहसीलों में विचाराधीन मुकदमे

657. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उप-खण्ड दौसा व तहसील बस्सी के कितने फौजदारी, दीवानी मुतफर्रिक (मिसलेनियस) मुकदमात विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

(2) वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज, जयपुर के न्यायालय व इनसे संबंधित न्यायालयों में कितने मुकदमे (अपीलें) चल रहे हैं ?

(3) इनमें से कितनी अपीलें फौजदारी, दीवानी, मुतफर्रिक उप-खण्ड दौसा व बस्सी तहसील से संबंधित हैं ?

(4) क्या सरकार उप-खण्ड के आकार, मुकदमों (अपीलों) की संख्या, पक्षकारान की सहूलियत को दृष्टिगत रखकर दौसा में अपीलेट न्यायालय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की स्थापना के संबंध में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उप-खण्ड दौसा व तहसील बस्सी के कुल 4,728 फौजदारी, दीवानी मुतफर्रिक (मिसलेनियस) मुकदमात विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

(2) वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर के न्यायालय व इनसे संबंधित न्यायालयों में अपीलों की संख्या 734 है ।

(3) इनमें उप-खण्ड दौसा व बस्ती तहसील से 261 व 31 अपीलें क्रमशः फौजदारी, दीवानी एवं मुतफर्रिक (मिसलेनियस) संबंधित हैं ।

(4) दौसा में ए० डी० जे० कोर्ट स्थापित करने का मामला अभी विचाराधीन है ।

सिनेमा गृह का राष्ट्रीयकरण

658. योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने सिनेमा गृह

(वित्त मंत्री)
हैं ? इनसे राज्य सरकार को मनोरंजन कर एवं अन्य मदों से कुल कितनी आमदनी होती है ?

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान के समस्त सिनेमा गृहों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मनोरंजन कर इस विभाग द्वारा केवल उन्हीं स्थानों के छविगृहों से वसूल किया जाता है, जो स्थान नगरपालिकाओं की सीमा में आते हैं। पंचायत समितियों वाले स्थानों में संबंधित पंचायत समितियों द्वारा मनोरंजन कर वसूल किया जाता है। इस विभाग को कर देने वाले कुल 161 छविगृह हैं। इससे राज्य सरकार को निम्न प्रकार आय प्राप्त हुई है:—

वर्ष	मनोरंजन-कर अतिरिक्त मनोरंजन कर सहित।	विज्ञापन-कर	सरचार्ज	कुल आय
1973-74	1,85,31,544	90,833	24,12,812	2,10,35,189
अप्रेल, 74 से दिसम्बर, 74 तक।	1,70,31,340	61,529	26,16,020	1,97,08,889

(2) यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

ग्राम राखी (सिवाना) में पहाड़ियों से बहने वाले बरसाती पानी का उपयोग

659. श्री मगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिवाना पंचायत समिति के राखी ग्राम में स्थानीय पहाड़ियों से बहने वाले बरसाती पानी को इकट्ठा कर राखी ग्राम के तालाब में डाल कर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित सिंचाई कार्य को इस वर्ष अकाल राहत कार्य के रूप में चालू किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधालय

660. श्री शिवनारायण (बारां): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1974-75 में

राज्य सरकार द्वारा कितने आयुर्वेदिक औषधालय मंजूर किये गये थे और कहां-कहां खोले गये ?

(2) क्या इस वर्ष भी सरकार नये औषधालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 74-75 में 25 नवीन औषधालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1975-76 में 102 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं।

वर्ष 1974-75 में खोले गये नवीन औषधालयों की सूची
आयुर्वेद

	ग्राम का नाम	जिला		ग्राम का नाम	जिला
1.	सामरिया	बांसवाड़ा	12.	आकड़साद	भीलवाड़ा
2.	कूचोली	उदयपुर	13.	बम्बोरी घाटा	कोटा
3.	बखर	झुंझुनू	14.	जस्सूसर गेट	बीकानेर
4.	हुसोसरी	,,	15.	गोगागेट	,,
5.	सियासरिया	जोधपुर	16.	धार्वरिया	,,
6.	टेपू	,,	17.	कोलासर	,,
7.	साईवाड़	जयपुर	18.	नौसेरा	,,
8.	नांगलभरड़ा	,,	19.	बारबारा	,,
9.	अणतपुरा	,,	20.	मोहनमगरिया	गंगानगर
10.	छापड़ाखुर्द	,,	21.	जोरावरपुरा	,,
11.	झाग	,,	22.	बाहूवाले	,,

यूनानी

1.	बिसनिय	भीलवाड़ा	3.	दूदियां	बाड़मेर
2.	ततागढ़	भरतपुर			

झालरापाटन शहर का चिकित्सालय

661. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन शहर (जिला झालावाड़) के चिकित्सालय में 1 कम्पाउन्डर, 2 नर्सें, 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत अर्से से कमी चली आ रही है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को वहां कब तक लगाया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

खानपुर तहसील के गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय

श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इस वर्ष राजस्थान में आयुर्वेद औषधालय खोले जा रहे हैं ? अगर हां तो क्या खानपुर तहसील में ग्राम मऊ बोरड़ा एवं गोलाना जिसके आस पास 10·15 हजार की आबादी है, पर कोई औषधालय अथवा डिस्पेन्सरी नहीं है, में खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

चालू वर्ष 74-75 में 25 नवीन औषधालय खोले गये तथा वर्ष 1975-76 में 102 औषधालय खोले जावेंगे । नये औषधालय खोलते समय इस तहसील में कोई औषधालय खोलने के बाबत विचार किया जावेगा ।

जालोर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण

663. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर औद्योगिक दृष्टि से अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने इस जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर का औद्योगिक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो, यह सर्वेक्षण कब करवाया गया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में लघु उद्योग लगाने की दृष्टि से बड़ा भारी स्कोप है ? अगर हां, तो इस जिले में कब तक लघु उद्योग लगाने की संभावनायें हैं ?

(4) जालोर जिला केन्द्र पर कौन 2 से उद्योग शुरू में लगाये गये थे ? अब उन उद्योगों की क्या स्थिति है ? उक्त उद्योगों के नहीं पनपने के क्या कारण थे ? अब उन उद्योगों के पुनर्जीवित कराने के लिये राज्य सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ? जालोर में औद्योगिक बस्ती में कौन 2 से नये उद्योग लगाने की संभावना है ?

(5) क्या यह सत्य है कि भीनमाल

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
में कई नये उद्योग लगने की पूरी गुंजाइश है ? अगर हां, तो कौन-कौन से उद्योगों की ? उनके विकास के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाना उपयुक्त समझेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1970-71 में पिछड़ा जिला घोषित किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1974-75 में लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है।

(3) औद्योगिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही संभावनाओं के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिल सकेगी। कब तक लघु उद्योग स्थापित कर सकेंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(4) 1 जनवरी, 1969 तक जिला केन्द्र पर 94 पंजीकृत इकाइयां थीं, जिनमें 29 कार्यरत हैं। शेष 65 इकाइयां बन्द पाई गईं और उनके बन्द होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बंन्द उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समग्र सहायता कार्यक्रम (पैकेज ऑफ असिस्टेंस) के अन्तर्गत कोशिश की जा रही है। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने हेतु जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया गया है। जालोर में कोई भी औद्योगिक बस्ती नहीं है।

(5) औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही संभावनाओं के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिल सकेगी। सर्वेक्षण से जिन उद्योगों की संभावना जिले में होगी उनको स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा प्रयत्न किए जावेंगे।

तिजारा से मुन्सिफ कोर्ट का स्थानान्तरण

664. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य यूनिट के राजस्थान में मिलने से पूर्व तिजारा में मुंसिफ कोर्ट स्थापित था ?

(2) तिजारा से मुंसिफ कोर्ट का स्थानान्तरण किशनगढ़बास में किस कारण और किस आदेश के अन्तर्गत तथा किस तारीख में किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसा करने से तिजारा तहसील के दूरवर्ती ग्रामीणों को किशनगढ़बास आने में भारी असुविधा और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोलने के आदेश गत वर्ष दिये थे ? कृपया हाई कोर्ट आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार अलवर के सेशन जज और जिलाधीश दिनांक 12-9-74 को तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोलने के लिए तिजारा साथ-साथ दौरे पर गये और वहां जिलाधीश ने तिजारा तहसील भवन में मुंसिफ कोर्ट के लिए चैम्बर का स्थान व लॉकअप सेशन्स जज के सुपुर्द कर दिया ?

(श्री रतीराम यादव)

(6) क्या यह भी सत्य है कि अलवर के सेशन्स जज ने तिजारा में मुंसिफ कोर्ट तुरन्त खोलने की अपनी सिफारिश राजस्थान सरकार को कर दी थी ? सेशन्स जज की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि किशनगढ़-बास के मुंसिफ कोर्ट में मुकदमों की भारी संख्या में फाइलें विचाराधीन हैं और अकेले मुंसिफ से उनका निपटारा होने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिससे जनता को भारी आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है और तारीखें लगती रहती हैं ?

(8) क्या यह भी सत्य है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने तिजारा में मुंसिफ कोर्ट खोलने के आदेश रद्द कर दिये ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अब सरकार तिजारा में मुंसिफ कोर्ट कब तक खोलने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मत्स्य यूनिट के राजस्थान में विलय होने से पूर्व तिजारा में मुंसिफ कोर्ट स्थापित था।

(2) तिजारा में मुंसिफ कोर्ट का स्थानान्तरण आज्ञा संख्या 4081 जो दिनांक 21-12-48 द्वारा किया गया, जो राजस्थान बनने से पूर्व की बात है। वह पत्रावली उपलब्ध न होने के किस कारण ऐसा किया गया, नहीं कहा जा सकता। मुंसिफ कोर्ट, किशनगढ़ में तारीख 1-1-49 से प्रारम्भ हो गई थी।

(3) तिजारा व किशनगढ़बास के बीच करीब 15 मील का अन्तर है इस दूरी को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि तिजारा तहसील के दूरवर्ती ग्रामीणों को असुविधा और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

(4) हां, यह सत्य है कि राज्य सरकार ने तिजारा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट (मुंसिफ नहीं) का कोर्ट खोलने के आदेश गत वर्ष दिये थे। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर, जिलाधीश, अलवर व चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अलवर तिजारा गये थे और वहां पर जिलाधीश जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के लिये इमारत देने को तैयार हो गये थे।

(6) जी नहीं, सेशन्स जज की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट तिजारा में खोलने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को ऑफिसर लगाने के लिये लिखा था पर आर० जे० एस० ऑफिसर की कमी होने के कारण कोई ऑफिसर नहीं लगाया जा सका।

(7) हां, यह सही है कि किशनगढ़-बास में मुंसिफ कोर्ट में मुकदमों की भारी संख्या में फाइलें विचाराधीन हैं। करीब 3,100 मुकदमे (दीवानी, फौजदारी व अन्य) इस न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(8) जी नहीं, सही स्थिति तो यह है कि राजस्थान न्यायिक सेवा में अधि-

(न्याय मंत्री)

कारियों की भारी कमी होने के कारण अभी तक कुछ न्यायालयों में अधिकारी नहीं लगाये जा सके हैं। अधिकारियों की नई भर्ती के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में जैसे-जैसे अधिकारियों की नियुक्ति होती जावेगी यह समस्या भी हल हो जावेगी।

राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांक प० 4 (2) न्याय 174, पार्ट-2 दिनांक 1-4-1974

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं० 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार एतद्द्वारा 1 अप्रेल, 1974 से न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के निम्नलिखित नये न्यायालयों का उनके प्रत्येक के सामने उल्लेखित बैठक के स्थान सहित सृजन एवं स्थापन करती है :-

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थानक
1	2	3	4
1.	न्यायिक (जुडिशियल) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तिजारा	अलवर	तिजारा

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह० सम्पतराज सिंघी,
शासन सचिव।

कोटपूतली का अस्पताल

665. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली के भगवानदास मोरीजावाला, अस्पताल के लिये वर्तमान में कितनी जमीन है और क्या वह पर्याप्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त अस्पताल का और विस्तार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उक्त अस्पताल के लिए वर्तमान 460 × 750 (3,45,000) वर्ग गज जमीन है जो पर्याप्त है।

(2) जी नहीं, योजना मद में उक्त अस्पताल के विस्तार के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

नीमकाथाना में खानों के ठेके

666. **श्री मालाराम** (नीमकाथाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीमकाथाना उप-खण्ड, जिला सीकर में कुल कितनी खानों का ठेका किस-किस ठेकेदार के नाम से है ?

(2) नीमकाथाना उप-खण्ड को खानों से सालाना कितनी आय होती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस उप-खण्ड में सालाना आय लगभग तीन लाख दस हजार होती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नयापुरा (लाखेरी) में शराब की दुकानें

667. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी कस्बा में देशी शराब का ठेका है ? यदि हां, तो किस के नाम और किस स्थान के नाम से है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नयापुरा ग्रामपुरा में ग्राम पंचायत भवन के सामने जहां पर मजदूर एवं हरिजन बस्ती बनी है वहां पर शराब की दुकान है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस शराब की दुकान को हटाये जाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि मजदूर संगठन, ग्राम पंचायत एवं ग्राम जनता की शिकायतें हैं कि इस शराब की दुकान को हटाया जावे । यदि हां, तो विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां । ठेका श्री प्रहलादकुमार पुत्र श्री भंवरलाल कलाल, निवासी देव गांव के नाम से है और ग्राम लाखेरी के नाम से स्वीकृत है ।

(2) खोले वर्ष में अर्थात् तारीख 1-4-75 से इस दुकान को अन्यत्र हटाने के आदेश जनवरी सन् 1975 में ही जारी कर दिये गये हैं ।

(3) शिकायतों के कारण ही उक्त निर्णय लिया गया है ।

क्राफ्ट इण्डिया 74 प्रदर्शनी

668. **श्री मनोहरलाल** (कामां)* : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्राफ्ट इण्डिया 74 नाम की प्रदर्शनी में गेम ऑफ स्किल के नाम से कितने प्रकार के जुओं को स्वीकृति दी गई थी, और उसकी अवधि क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि क्राफ्ट इण्डिया 74 में इन जुओं से आयोजकों ने लाखों रुपयों के वारे न्यारे किये ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर की पुलिस ने इन जुओं को रोकने में

(श्री मनोहर लाल)
कोई सक्रियता नहीं दिखाई और इन्हें बन्द नहीं किया ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्राफ्ट को उठाना बताया गया है जबकि जुए लगाना नहीं था ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रदर्शनी की अध्यक्षिका संसद सदस्य श्री यशपाल कपूर की पत्नी हैं ?

उत्तर

(1) इस प्रदर्शनी में गेम ऑफ स्किल के नाम से खेले जाने वाले खेल जुओं की तारीफ में नहीं आते हैं। इसलिए स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

(2) क्राफ्ट इण्डिया, 74 की प्रदर्शनी में कोई जुआ, सट्टा नहीं हुआ था।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) हस्तकला की सुरुचिपूर्ण व अच्छी वस्तुओं का प्रदर्शन एवं उनकी बिक्री के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी लगाई गई थी।

(5) जी हां।

पिंडवाड़ा तहसील के गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सर्वे

669. श्री भूराराम (आबू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील के कुछ गांवों की ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दो-दो बार सर्वे करके स्कीम तैयार कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष इस प्लान को स्वीकृत कर सरकार कार्य प्रारम्भ करने की मंशा रखती है ? अगर हां, ता कब तक ? कृपया निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, पिण्डवाड़ा पंचायत समिति, जिला सिरोही की एक विद्युतीकरण योजना ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृति हो चुकी है। इस योजना में 93 गांव सम्मिलित हैं। योजना पर कार्य मई/जून, 1975 तक प्रारम्भ हो जायगा।

राजकीय महाविद्यालय, करौली के छात्रों में झगड़ा

670. श्री खेतराम (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि दिनांक 10-1-75 को राजकीय महाविद्यालय, करौली में छात्रों के दो दलों में झगड़ा हो गया था ? यदि हां, तो झगड़ा करने वाले छात्रों के खिलाफ आचार्य, महाविद्यालय ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि झगड़ा होने पर आचार्य महोदय ने स्टाफ कौन्सिल की कोई (आपातकालीन) बैठक आमंत्रित नहीं की और न स्टाफ कौन्सिल के सदस्यों को विश्वास में लिया गया ?

(श्री चेतराम)
यदि बैठक हुई है, तो उसमें कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे और कौन-कौन अनुपस्थित थे ? तालिका तथा बैठक की कार्यवाही का वृत्तान्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या घटना होने पर उच्च अधिकारियों, शिक्षा निदेशक, जिला प्रशासन आदि को तुरन्त सूचित किया गया ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(4) क्या यह सच है कि झगड़े के तुरन्त पश्चात् कई दिनों तक छात्र उपस्थिति नगण्य रही थी ? यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया ?

(5) क्या महाविद्यालय के रिकार्ड में इस झगड़े का वृतान्त है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह झगड़ा 10-1-75 को दो छात्रों में ही हुआ था। झगड़ा करने वाले छात्रों के बीच में समझौता तत्काल लिखित में करवा लिया गया था।

(2) उपरोक्त झगड़ा शान्त हो जाने के बाद पुनः यह झगड़ा शहर में हुआ। स्टाफ कौन्सिल की मीटिंग नहीं बुलाई गई, किन्तु 11 लेक्चरार्स की एक मीटिंग अवश्य बुलाई गई। उसके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गणमान्य लोगों से सम्पर्क किया जाये, छात्रों के अभिभावकों को बुलाया जाये, तथा शांति स्थापित की जाय।

(3) घटना घट जाने पर जिलाधीश, जिला आरक्षी पुलिस व शिक्षा निदेशक को अवगत करा दिया गया–विशेषतौर से पुलिस ने शहर में सतर्कता रखना आरम्भ कर दिया व शांति बनाये रखी।

(4) जी हां। श्री जगन्नाथजी पहाड़िया, केन्द्रीय डिप्टी मिनिस्टर को जो वहां दौरे पर आये थे उनसे निवेदन कर स्थानीय नागरिकों की मीटिंग बुलाई गई तथा छात्रों को कॉलेज में आने के लिये सूचना प्रसारित करवाई गयी। छात्र संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से भी अपील प्रकाशित करवाई व कॉलेज में प्रधानाचार्य ने भी अपील निकलवाई।

(5) चूंकि झगड़ा शहर में हुआ इसलिये इसका कोई रिकार्ड नहीं है।

सूची सदस्यों की जिन्होंने, बैठक में भाग लिया

तारांकित प्रश्न सं० 65/ शि० मं०
प्रश्नकर्ता–श्री चेतराम

1. श्री दिनेश शर्मा
2. श्री ओ० पी० अवस्थी
3. श्री घनश्याम ओलखा
4. श्री भागचन्द जैन
5. श्री सुरेशपाल
6. श्री कृष्ण मीना
7. श्री भरतलाल वर्मा
8. श्री जगदीश लाल
9. श्री टीकाराम मीना
10. श्री सूरजमल मीना
11. श्री एस० एन० पाण्डे

(326)

राजस्थान नहर का पानी

671. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर का पानी हनुमानगढ़ के नजदीक घग्घर नदी में सन् 1974 के जून माह के आखिर और जुलाई माह में छोड़ा गया जिससे आगे के काश्तकारों को पानी नहीं मिलने से हजारों बीघा में की गई काश्त नष्ट होगई ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नहर का पानी घग्घर नदी में बहने का निर्देश राज्य सरकार का नहीं था और किसी एक अभियन्ता विशेष ने किन्हीं के प्रभाव में आकर पानी छोड़ने का कार्य किया ? अगर हां, तो उस अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की काश्त की उपज बढ़ाने हेतु राजस्थान नहर का पानी घग्घर नदी में विशेष सुविधा हेतु छोड़ा गया था। अगर हां, तो इस पानी का विशेष लाभ प्राप्त होने वाले प्रभावित काश्तकार कौन-कौन रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि अनूपगढ़ और घड़साना एरिया में अप्रेल मास में पानी न देकर 24 जुलाई, 1974 को पानी दिया गया, जिससे हजारों बीघा की फसलें नष्ट हो गई और लाखों रुपयों का नुकसान काश्तकारों को हुआ ? अगर हां, तो अप्रेल में पानी न देने का जिम्मा किसका रहा तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? फसलें नुकसान होने का क्या अनुमान आंका गया है ? जानकारी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर का पानी घग्घर नदी में सन् 1974 में 25 जून से 29 जून एवं 20 जुलाई, 31 से जुलाई तक छोड़ा गया था । यह सही नहीं है कि इस कारण वहां आगे के काश्तकारों को पानी नहीं मिलने से हजारों बीघा में की गई काश्त नष्ट होगई ।

(2) घग्घर नाली में चावल की फसल को पानी की आवश्यकता होने से पानी छोड़ना आवश्यक था । अतः किसी भी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) जी नहीं

(4) अनूपगढ़ व घड़साना क्षेत्रों में अप्रेल व मई माह में पानी दिया गया लेकिन उपलब्ध पानी की मात्रा गत वर्षों की अपेक्षा नदी में बहाव कम होने के कारण पर्याप्त नहीं थी । इस कारण जिम्मेवारी निश्चित करने एवं खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-75)

जेबरा कण्डक्टर का मामला

425. श्री श्रीराम गोटेवाला: (किशन पोल, जयपुर) एवं श्री राजेन्द्र भारतीय

(बूंदी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने सदन में यह बताया था कि जेबरा कण्डक्टर का मामला आर्बीट्रेशन में चल रहा है, क्या आर्बीटेशन का फैसला हो चुका है? यदि हां, तो उस फैसले की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त फैसले/रिपोर्ट में विद्युत् मण्डल के कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके नाम बताने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार दोषी पाए कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जेबरा कण्डक्टर का मामला अभी भी आर्बीट्रेशन में चल रहा है। आर्बीट्रेशन का फैसला अभी नहीं हुआ है। अतः फैसले की प्रति सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

328

परिशिष्ट–4

(अता. प्र. सं. 381 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

		No. of wells energised in 1973-74	No. of wells energised in 1974-75 up-to Jan. 1975
1.	Ajmer	498	324
2.	Alwar	334	833
3.	Banswara	90	198
4.	Barmer	64	125
5.	Bharatpur	478	635
6.	Bhilwara	410	377
7.	Bikaner	3	—
8.	Bundi	128	81
9.	Chittorgarh	886	653
10.	Churu	24	27
11.	Dungarpur	78	75
12.	Jaipur	1,214	1,560
13.	Jaisalmer	—	—
14.	Jalore	64	207
15.	Jhunjhunu	172	573
16.	Jhalawar	243	293
17.	Jodhpur	183	256
18.	Kota	227	311
19.	Nagaur	463	680
20.	Pali	226	454
21.	Sawai Madhopur	534	604
22.	Sikar	347	1,010
23.	Sirohi	47	54
24.	Sriganganagar	324	284
25.	Tonk	205	252
26.	Udaipur	574	587
	Total....	7,789	10,453

परिशिष्ट—5

(प्रता. प्र. स. 382 की सूची)

तालिका—(1)

सूची रेग्युलेशन 12 मासी नहरें गंग कैनाल दिनांक 15-4-74 से 14-10-74 (फसल खरीफ 1974)

वार	तादादबुर्ज	एम एल एफ	एम एल एफ	एफ	एल	बी आर एफ	बाढ़	जैड	डी मसर	फार्म	जी जी	एच एल एल उक्कड़ एल	एम उक्कड़ एल	बी बी	के के सिरमान के	आर बी	बी एस	एस के	आर एस एस	करनौली	औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रविवार	26	18	17	14	15	17	17	17	17	17	17	16	17	15	17	14	15	17	19	15	16
सोमवार	27	28	19	14	16	16	17	15	20	16	16	17	18	15	16	15	15	18	19	14	16
मंगलवार	26	18	16	15	17	15	17	17	17	15	13	16	19	15	15	11	14	15	17	13	16
बुधवार	26	16	17	14	15	15	19	13	19	14	16	17	18	15	13	14	16	16	17	14	16
बृहस्पतिवार	26	17	18	15	14	16	17	14	17	15	15	15	18	13	15	14	18	15	16	17	16
शुक्रवार	26	18	17	15	15	17	16	14	16	15	14	16	15	15	14	15	17	16	18	17	16
शनिवार	26	16	17	16	14	17	16	15	16	15	15	15	17	15	16	16	16	17	19	16	16

तालिका —(2)

सूची रेग्युलेशन 12 वाली नहरें गंग कैनाल डिविजन दिनांक 15-10-74 से 15-2-75 तक (फसल रबी 1974-75)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रविवार	17	16	16	13	14	14	17	10	16	16	14	14	15	15	15	14	15	15	17	13	15
सोमवार	17	15	16	13	14	14	16	16	15	15	14	15	16	14	13	15	14	15	16	14	15
मंगलवार	18	16	17	14	15	14	17	17	17	17	15	15	16	15	15	16	14	15	16	13	15
बुधवार	18	16	17	14	15	14	16	18	16	15	15	15	16	14	16	14	15	15	16	13	15
गुरुवार	18	16	17	14	15	15	16	16	16	15	15	15	15	14	16	15	15	15	17	13	15
शुक्रवार	18	16	16	14	15	14	17	16	17	16	15	14	15	14	15	15	14	16	17	13	15
शनिवार	18	16	16	14	15	15	17	16	17	16	13	15	15	16	15	15	15	14	17	14	15

परिशिष्ट–6

(अता. प्र. सं. 394 की सूची)

सूची पेण्डिंग केसेज (वृद्धावस्था व अपाहिज) कार्यालय उप-जिलाधिकारी, दौसा

1.	मु० बशीरन उर्फ भुट्टो स्त्री मुनीदार खां, नि० लालसोट	वृद्धावस्था
2.	मु० रामसुखी स्त्री तुलसीनाथ, देवली, तह० लालसोट	"
3.	कजोड़मल पुत्र श्योनारायण महाजन, नि० लालसोट	"
4.	किशनदास पुत्र छोटेलाल ब्राह्मण, नि० महूखुर्द तह० बसवा	"
5.	बंशीधर पुत्र रामसहाय ब्राह्मण नि० मोनावास, तह० बसवा	"
6.	मु० गोरावाई स्त्री सुन्दरलाल ब्राह्मण, बांदीकुई	"
7.	मु० गोरा स्त्री छाज्या बैरवा, महूखेड़ा, तह० बसवा	"
8.	लालाराम पुत्र भूरजी राणा, तह० बसवा	"
9.	रामक्या पुत्र श्योला बैरवा, पीचूपाड़ा, तह० बसवा	"
10.	मु० दुर्गादेवी बेवा छाजूराम ब्राह्मण, नि० बडियाल, तह० बसवा	"
11.	मु० रुकमणी बेवा सुखलाल महाजन, बसवा	"
12.	ठण्ड्या पुत्र नन्दा मीणा, सिकराय,	"
13.	कालूराम पुत्र सेवाराम, श्यालावास, तह० बसवा	"
14	रमेशकुमार सिंह पुत्र सागरसिंह, बान्दीकुई	अपाहिज
15.	मु० गंगा स्त्री बिरदीचन्द बेरवा, नागवास, तह० बसवा	वृद्धावस्था
16.	मूल्या पुत्र छोट्या माली, भांडारेज, तह० दौसा	"
17.	केसरबाई बेवा समुन्द्रसिंह राजपूत, मोराडी, तह० बसवा	"
18.	बाला बक्श पुत्र बन्जी राणा, बडियाज कलां, तह० बसवा	"
19.	सुरज्ञानी पुत्र छीतर ब्राह्मण, भांडारेज, तह० दौसा	"
20.	मु० बापा पुत्री चतरू ब्राह्मण, भांडारेज, तह० दौसा	"
21.	रेबड पुत्र छोटू, भौरी स्त्री रेबड़ बलाई, बरखेड़ा, तह० दौसा	"
22.	मु० सरस्वती देवी स्त्री गुरुदासंसिंह जी, दौसा	"
23.	मु० नारायणी स्त्री शंकरनाथ बरखेडा, तह० दौसा	"
24.	मु० बिसमल्ला स्त्री चांद खां मुसलमान, दौसा	"
25.	मु० शकीना स्त्री नूरखां मुसलमान, दौसा	"
26.	राधेश्याम पुत्र छोटूराम खटीक, दौसा	अपाहिज

(332)

परिशिष्ट–7

(अता./प्र. सं. 398 की सूची)

DIRECTORATE OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN, JAIPUR
LIST OF THE COLLEGES IN RAJASTHAN

S. No.	Name of College
1.	2

P. G. COLLEGES (MEN):

1. Govt. College, Ajmer
2. R.R. College, Alwar
3. S. D. Government College, Beawar
4. M.S.J. College, Bharatpur
5. M. L. V. Government College, Bhilwara
6. Dungar College, Bikaner
7. Government College, Kota
8. Government College, Sriganganagar
9. S.K. Government College, Sikar
10. Lohia College, Churu,

DEGREE COLLEGE (MEN):

1. Government College, Banswara
2. Government College, Baran
3. Government College, Barmer
4. Government College, Bhinmal
5. Government College, Bundi
6. Government College, Chittorgarh
7. Government College, Dausa
8. Bangar College, Deedwana
9. Government College, Dholpur
10. Government College, Dungarpur
11. Government College, Jalore.
12. Government College, Jhalawar
13. Government College, Jaisalmer
14. Government College, Kaladera
15 Government College, Karauli
16. Government College, Kishangarh

1	2
17.	Government College, Kotputli.
18.	Government College, Ladnun.
19.	Government College, Nagaur.
20.	S.M.B. Government College, Nathdwara.
21.	S.N.K.P. Government College, Neemkathana.
22.	Government College, Nasirabad.
23.	Bangar College, Pali.
24.	Government College, Partapgarh.
25.	R.N. Ruia Govt. College, Ramgarh.
26.	Government College, Rajgarh.
27.	S.B.D. Govt. College, Sardarshahar,
28.	Government College, Shahpura,
29.	Government College, Sirohi,
30.	Government College, Sambhar Lake.
31.	G.H.S. Arts & Com. Govt. College, Sujangarh.
32.	Government College, Sawai Madhopur.
33.	Government College, Tonk.

DEGREE COLLEGE (WOMEN):

1. G. D. Girls College, Alwar.
2. M. S. College For Women, Bikaner.
3. J. D. B. Girls College, Kota.
4. Ch. BRG. Govt. Girls College, Sriganganagar.
5. Govt. Meera Girls College, Udaipur.
6. Government Girls College, Bharatpur.
7. Government Girls College, Bhilwara.

334

शुद्धि-पत्र

गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1975

क्रम संख्या	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	2	ऊपर से 2	प्रातिमाह्	प्रतिमाह्
2.	9	,, 15	जय प्रदाय	जल प्रदाय
3.	22	ऊपर से 8	श्री रामाकि न	श्री रामकिशन
4.	24	ऊपर से 4	श्री श्री गोपाल जोशी	श्री गोपाल जोशी
5.	28	,, 5	मकाना	मकान
6.	30	,, 10	बातने	बताने
7.	34	,, 21	संशोनिन	संशोधन
8.	42	अंतिम से 1	देहासवान	देहावसान
9.	48	ऊपर से 11	समुख	सम्मुख
10.	50	,, 2	बतालायें	बतलाए
11.	53	,, 8	तथा	—
12.	63	,, 13	रामचन्द्र रोत	श्री रामचन्द्र रोत
13.	86	,, 3	लट	लूट
14.	119	अन्तिम से 4	अन्तर्गन	अन्तर्गत
15.	120	ऊपर से 5	मुख्या	मुख्य
16.	121	अन्तिम से 7	गांग	मांग
17.	123	ऊपर से 7	तोशाबड़ा	तोसावड़ा
18.	124	,, 15	31	31 ए
19.	137	,, 4	(वि०स० 50) प्रस्ताव करेंगे कि:—	(फतेहपुर)
20.	155	,, 9	परितवर्तन	परिवर्तन
21.	164	,, 2	आवश्यकाता	आवश्यकता
22.	253	,, 13	तिब्बिय	तिब्बिया
23.	258	,, 3	श्री रामाकिशन	श्री रामकिशन
24.	276	,, 12	था	थे
25.	320	अन्तिम से 17	की	—
26.	332	अन्तिम से 1	करन	करना
27.	361	अन्तिम से 3	दिलान	दिलाना

1	2	3	4	5
28.	398	अन्तिम से 2	थ	तब
29.	445	,, से 13	श्री चन्नीलाल	श्री चुन्नीलाल
30	461	,, से 4	भा ँ व	भार्गव
31	489	,, से 8	हाई	हाईदे
32.	494	,, से 17	विडावा	पिडावा
33.	536	,, से 6	बद	बैद
34.	546	,, से 15	क्या क्या	कहां कहां
35.	583	ऊपर से 1	श्री हीरलाल	श्री हीरालाल
36.	590	अन्तिम से 7	श्री मोहन छंगाणी	श्री मोहनलाल छंगाणी
37.	630	,, से 8	दोसा	दौसा
38.	643	ऊपर से 9	कितती	कितनी